



इलाहबाद जाते हुए

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

७०

(१६ जुलाई से ३० नवम्बर, १९३९)



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

नवम्बर, १९७८ (कात्तिक १९००)

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९७८

साठे सात-खण्डे

५००००

कापीराइट

नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली-११०००१ द्वारा प्रकाशित और
शान्तिनाथ हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-३८००१४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

इस खण्डमें १६ जुलाईसे ३० नवम्बर, १९३९ तक की सामग्री दी गई है। गांधीजी की सलाहसे जो संवैधानिक प्रयोग कांग्रेसने जुलाई, १९३७ में आरम्भ किया था, वह इस अवधिमें सहसा समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व-युद्धके छिड़ते ही देशके नेतृत्वके समक्ष असमंजसकी स्थिति उपस्थित हो गई—वह अंग्रेजोंकी साम्राज्य-रक्षाकी इस लड़ाईमें उनकी सहायता करे, या उनके साथ सहयोग करने से इनकार करके द्रुनियाकी नजरोंमें अपनेको फासिस्ट ताकतोंका मददगार साबित करे। गांधीजी ने इस द्विधाको बृहत्तर नैतिक परिप्रेक्ष्यमें देखा। यूरोपीय संकटको घनीभूत होते देखकर उन्होंने हिटलरके नाम एक पत्र (जिसे भारत सरकारने अंग्रेषित नहीं किया) लिखा, जिसमें उससे “मानव-जातिको बर्बर अवस्थामें पहुँचा” देने की सम्भावनासे युक्त उस युद्धको रोकने का आकुल अनुरोध किया (पृ० २३), और जब युद्ध छिड़ गया तो उनका मन “त्रास”से भर उठा। उन्हें विश्वास था कि मानवताकी एकमात्र त्राता अहिंसा ही है; अतः उन्होंने इस संकटमें अपनी भूमिका निभाने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि “इस नाटकमें हम अभिनेता और दर्शक दोनों हैं” और “मेरा मार्ग तो निश्चित है।” वे चाहे कार्य-समितिकी रहनुमाई करें या सरकारका मार्ग-दर्शन, वह “उनमें से एक या दोनोंको अहिंसाके मार्गपर ले जाने के लिए होगा, फिर चाहे उस मार्गपर उनकी प्रगति अगोचर ही क्यों न रहे” (पृ० २२५-२६)।

इस दारुण विपत्तिपर गांधीजी की प्रतिक्रियाकी प्रथम सार्वजनिक अभिव्यक्ति मनुष्य-जातिके लिए उनकी चिन्ताकी गहराईको प्रकट करती है। ४ सितम्बरको वाइसरायसे अपनी मुलाकातके बाद समाचारपत्रोंको दिये एक वक्तव्यमें उन्होंने कहा :— . . . पार्लियामेंट भवन और वेस्टमिन्स्टर एबि तथा उनके सम्भावित विध्वंसका चित्र खींचते-खींचते मेरा दिल भर आया और मेरा कण्ठ अवरुद्ध हो गया। . . . इसलिए इस समय मैं भारतकी मुक्तिकी बात नहीं सोच रहा हूँ। भारतको अवश्य मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर इंग्लैंड और फ्रान्सका पतन हो जाता है, अथवा यदि उन्हें विध्वस्त जर्मनीपर फतह मिल जाती है तो उसका क्या मूल्य रह जायेगा?” (पृ० १७९-८०)।

कांग्रेसको कौन-सी नीति अपनानी चाहिए, इस सम्बन्धमें गांधीजी का विचार मानव-जातिके लिए उनकी इसी व्यापकतर चिन्तासे उद्भूत था। उनका निष्कर्ष था कि युद्धका दायित्व हिटलरके सिर है (पृ० १८९)। यद्यपि वे भारतमें ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध गत बीस वर्षोंसे संघर्ष-रत थे, तथापि अब उनकी सहानुभूति पूर्ण रूपसे मित्र-राष्ट्रोंके साथ थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह “पश्चिममें विकसित

प्रजातन्त्र, और हर हिटलर जिसका प्रतीक है, उस सर्वसत्तावादके बीचकी लड़ाई थी (पृ० २२५)। इसलिए उन्होंने कांग्रेसको अंग्रेजोंको बिना शर्त नैतिक समर्थन देने की सलाह दी (पृ० १९४ और ३४७)। एक अंग्रेज शान्तिवादीको गांधीजी ने समझाया, ऐसा समर्थन “मित्र-राष्ट्रोंके उद्देश्यको ऊँचा नैतिक बल” प्रदान करेगा, और “उस हालतमें कांग्रेसका प्रभाव शान्तिके लिए बहुत कारगर होगा।” उनकी दृष्टिमें यह देखना “कांग्रेसका खास फर्ज” था कि “अगर युद्ध अन्त तक लड़ा जाता है तो कोई पराजित पक्षका किसी तरह मान-भंग अथवा अपमान न करे” (पृ० २८६)। यही इस युद्धमें कांग्रेसकी भूमिकाकी उनकी कल्पना थी। लेकिन उनका विचार था कि कांग्रेसको ऐसी नैतिक सत्ता तभी प्राप्त होगी जब वह अहिंसाको अपने सिद्धान्त और नीतिके रूपमें अपनाये और बाहरी आक्रमणसे भी देश की रक्षा करने के लिए हिंसाका सहारा न ले; क्योंकि “भारतका शस्त्रीकरणकी होड़में शामिल होना उसके लिए आत्महत्याके समान होगा। भारतके अहिंसाका दामन छोड़ देने का मतलब यह होगा कि संसारकी आवाजा यह एकमात्र सूत्र भी टूट गया” (पृ० २७१)।

किन्तु समग्र देशका प्रतिनिधित्व करने का दावा करनेवाले राजनीतिक संगठनके रूपमें कांग्रेस अहिंसाको एक सिद्धान्तकी तरह नहीं अपना सकती थी, और न अंग्रेजोंको बिना शर्त नैतिक समर्थन देने के गांधीजी के सुझावको ही स्वीकार कर सकती थी। देशमें ऐसे बहुत-से नेता थे जो इस मार्गके पक्षमें नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेनके इस कथनमें उनका विश्वास नहीं था कि वह लोकतन्त्रकी खातिर लड़ रहा है। अतएव, चार दिनोंकी लम्बी चर्चके बाद १४ सितम्बरको कांग्रेस कार्य-समितिये जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें “साम्राज्यवादी नीतियों पर . . . तथा भारतमें और अन्यत्र साम्राज्यवादको मजबूत करने” के लिए चलाये जा रहे युद्धसे कोई सरोकार रखने से इनकार करते हुए ब्रिटिश सरकारको अपने युद्ध-लक्ष्योंकी घोषणा करने और यह बताने को आग्रह-न्वित किया गया कि वे “भारतपर कित्त तरह लागू होते हैं और इस समय उन्हें किस प्रकार लागू किया जायेगा” (पृ० ४६३-६४)। उत्तरमें वाइसरायने सिर्फ इतना किया कि “ब्रिटिश उपनिवेशोंके बीच अपना उचित स्थान प्राप्त” करने में भारतको सहायता देने के ब्रिटिश इरादेका फिरसे इजहार किया, “विभिन्न कौनों, दलों और हितों तथा भारतीय नरेशों” के “परामर्श” से १९३५ के भारत सरकार अधिनियममें कुछ परिवर्तन करने का वचन दिया, और एक “सलाहकार समिति” जिसमें “ब्रिटिश भारतके सभी बड़े राजनीतिक दलों और देशी नरेशोंके प्रतिनिधि शामिल होंगे,” नियुक्त करने का प्रस्ताव किया (पृ० ४६९ और ४७१)। गांधीजी की दृष्टिमें यह “घोषणा बड़ी निराशाजनक” थी (पृ० २९७)। बादमें पार्लियामेंटके दोनों सदनमें हुई बहसों और कामन्स सभामें सर सैन्यबल होरके भाषणसे गांधीजीको विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकारसे अपने युद्ध-लक्ष्योंकी घोषणा करने की माँग करके कार्य-समितिये बुद्धिमानीका काम किया (पृ० ३४७)।

भारतीय समस्याके प्रति ब्रिटेनके दृष्टिकोणके पीछे मात्र ब्रिटिश और भारतीय वर्गगत हितोंकी रक्षाकी प्रेरणा थी। उसे इस बातकी कोई चिन्ता नहीं थी कि यहाँ किसी-ऐसी सवैधानिक व्यवस्थाका विकास हो जो जन-साधारणके प्रभावको निर्वाध रूपसे अपनी शक्तिका परिचय देने का अवसर दे और इस प्रकार भारतमें सच्चे अर्थोंमें लोकतान्त्रिक, न्याययुक्त और एकीकृत समाजकी रचना हो सके। कार्य-समितिनै १४ सितम्बरके प्रस्तावमें "भारतमें पूरी तरहसे लोकतन्त्रकी स्थापना" करने और भारतकी जनता को "आत्म-निर्णय करने . . . अर्थात् . . . बिना किसी बाहरी हस्तक्षेपके संविधान-सभा द्वारा अपने संविधानका निर्माण करने" का अधिकार देने की माँग की थी (पृ० ४६२)। भारत-मन्त्री लॉर्ड जेटलैंडके अनुसार इसका मतलब संक्षेपमें यह था कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके सम्बन्धमें समझौता करके यथासम्भव व्यापकतम मताधिकारके आधारपर निर्वाचित संविधान-सभा द्वारा भारतके भावी शासन-विधानकी रचनामें ब्रिटिश सरकार कोई विरोध-आपत्ति नहीं कर पायेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि ब्रिटिश सरकारके लिए इस स्थितिको स्वीकार करना असम्भव था, क्योंकि उनकी रायमें, भारतके साथ ब्रिटेनके दीर्घकालीन सम्बन्धोंके फलस्वरूप उसके सिर कुछ ऐसे दायित्व आ गये थे जिनसे जी चुराना उसके लिए अशक्य था (पृ० ४८४ और ४८५)। इन दायित्वोंका सम्बन्ध देशी नरेशों, यूरोपीय व्यापारिक हितों तथा अल्पसंख्यकोंसे था। कार्य-समितिके प्रस्तावमें देशी नरेशोंके सम्बन्धमें यह उचित बात कही गई थी कि देशके बाहर लोकतन्त्रके पक्षमें अपनी आस्थाकी घोषणाएँ करने के बावजूद "अपनी रियासतोंमें . . . जहाँ आज विशुद्ध तानाशाहीका बोलबाला है", "लोकतन्त्रकी स्थापना" करने में उनकी कोई रुचि नहीं है (पृ० ४६३)। जनताके प्रति नरेशोंका यह एक ऐसा दायित्व था जिसे पूरा करने के लिए अधीश्वरी सत्ताने उनसे न कभी कोई अनुरोध किया और न उन्हें प्रोत्साहन ही दिया था। गांधीजी ने बड़ी साफगोईके साथ यह भी बताया कि "ग्रेट ब्रिटेन प्रजातन्त्रका संरक्षक बनता है, लेकिन जबतक ५०० निरकुश शासक उसके मित्र हैं तबतक उसका प्रजातन्त्रके संरक्षकवाला रूप दूषित है" (पृ० २५२)। और विदेशी व्यापारिक हित तो भारत पर जबरन थोपी गई एक चीज थी, जिसकी "रक्षा ब्रिटिश सगीनों द्वारा होती" थी। गांधीजी ने स्पष्ट घोषणा की कि "स्वतन्त्र भारत हरएक यूरोपीय हितकी उसके गुण-दोषके अनुसार जाँच करने की माँग करेगा और ऐसा जो हित राष्ट्रीय हितके विरुद्ध दिखाई देगा, वह समाप्त कर दिया जायेगा" (पृ० ३५४)।

देशी नरेशों और यूरोपीय हितोंके सम्बन्धमें अपने पक्षकी कमजोरीका अंग्रेजोंको पूरा एहसास था। इसलिए ब्रिटिश प्रवक्ताओंने जान-बूझकर अल्प-संख्यकोंकी समस्याका राग अलापना शुरू किया, हालाँकि — जैसा कि स्वयं लॉर्ड जेटलैंडने स्वीकार किया था — कांग्रेस जिस संविधान-सभाकी माँग कर रही थी वह साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके वारेमें पारस्परिक समझौतेके आधारपर बुलाई

जानेवाली थी (पृ० ४८४)। गांधीजी ने ब्रिटिश सरकारको तरह-तरहसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “जहाँतक भारतका ताल्लुक है, यहाँ केवल राजनीतिक दल ही हो सकते हैं, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय नहीं। बहुसंख्यकोके अत्याचारका शोर सर्वथा कृत्रिम शोर है”, क्योंकि “हिन्दुत्व एक बहुत लचीला शब्द है, जिसकी निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती, और मुसलमानों और ईसाइयोंकी तरह हिन्दुओंका कोई ऐसा समाज नहीं है जो सर्वथा समजातीय हो।” “बहुसंख्या केवल कागजी बहुसंख्या” ही तो थी, क्योंकि “सैनिक दृष्टिसे बहुत कमजोर” होने के कारण “वह ज्यादा-कुछ कर नहीं सकती” थी। भारतीय परिस्थितिके मर्मकी अद्भुत पहचानका परिचय देते हुए गांधीजी ने बताया कि “तथाकथित अल्पसंख्यकोंको जो थोड़ा-बहुत डर है भी, उसके लिए सिर्फ तभी तक कुछ आधार है जबतक कि दुर्बल बहुसंख्याके पास प्रजातन्त्रका खेल खेलने के लिए ब्रिटिश शस्त्र-बलका सहारा है” (पृ० २८८ और २८९)। सर सैम्युअल होर द्वारा भारतके “कांग्रेसी भारत और गैर-कांग्रेसी भारत” के रूपमें विभाजन किये जाने का अर्थ वास्तवमें उसका “सशस्त्र भारत और निःशस्त्र भारत” के रूपमें विभाजन था, और उसका तात्पर्य एक प्रकारसे दुनियाको यही बताना था कि “भारतकी आजादीकी लड़ाई तबतक नहीं जीती जा सकती जबतक कि निःशस्त्र भारत सशस्त्र भारतसे, जिसमें ब्रिटिश सरकार भी शामिल” थी, “समझौता नहीं करता” (पृ० ३५४ और ३५५)। लेकिन ये सारी दलीलें बेकार गईं, क्योंकि वास्तविकता यह थी कि ब्रिटिश सरकार असली सवालका सामना करने को तैयार ही नहीं थी। असली सवाल यह था कि “क्या ब्रिटेनके लिए यह उचित” था “कि वह भारतपर अपने कब्जेको वाजिब बताने के लिए हमारे आपसी झगड़ोंकी दुहाई देता फिरे” (पृ० २८७)। “क्या लोगोंको बुलाकर उनसे यह पूछना उचित” था “कि वे . . . स्वाधीनता चाहते हैं अथवा नहीं? क्या किसी गुलामसे उसकी आजादीकी वांछनीयताके सम्बन्धमें राय ली जानी चाहिए?” (पृ० ३१२) दूसरे शब्दोंमें, आवश्यकता इस बातकी थी कि “ब्रिटेन भारतीयोंकी इच्छाओंका विचार किये बिना भारत-सम्बन्धी अपने इरादोंकी घोषणा करे” (पृ० ३७६)। लेकिन, जैसा कि गांधीजी ने कार्य-समितिके प्रस्तावपर १४ सितम्बरको समाचारपत्रोंको दिये अपने वक्तव्यमें बताया था, ऐसे निर्णयके लिए “ब्रिटिश राजनेताओंके दृष्टिकोणमें आमूल परिवर्तन” की आवश्यकता थी (पृ० १९५)। उनके एक दूसरे वक्तव्यके शब्दोंको लें, तो इसका मतलब यह था कि “यदि साम्राज्यवादका सचमुच अन्त हो गया है तो अतीतसे स्पष्ट सम्बन्ध-विच्छेद होना चाहिए” था और “नये युगके उपयुक्त भाषाका उपयोग किया जाना चाहिए” था (पृ० ३७६)।

किन्तु “दृष्टिकोणमें” वैसे “आमूल परिवर्तन” के लिए ब्रिटिश राजनेता अभी तैयार नहीं थे, और उनका यह हठ उपमहाद्वीपकी सुख-शान्तिके लिए घातक परिणामोंकी सम्भावनासे आपूरित था। वास्तवमें अपने ही कर्म-अकर्मसे ब्रिटिश

सरकारने युद्ध-प्रयत्नोंमें कांग्रेसके सहयोगका रास्ता बन्द कर दिया था। फिर भी गांधीजी का दृढ़ मत था कि “कांग्रेसको उसके सामने कोई परेशानी खड़ी करके इन प्रयत्नोंमें बाधा नहीं डालनी चाहिए” (पृ० ३५३)। वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगोकी सदाशयतामें उन्हें विश्वास था। वे मानते थे कि “हमारे बीच जो मित्रता कायम हो गई है, वह हमारे आपसी मतभेदोंके कारण पड़नेवाले बोझ को झेल लेगी” (पृ० ३२७)। इसलिए जबतक वाइसराय समझौतेकी सम्भावनाओंकी तलाश कर रहे थे तबतक गांधीजी सविनय अवज्ञाकी बात सोचने को तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन था कि वाइसराय और भारत-मन्त्री गलती पर थे, लेकिन उनकी सदाशयतामें विश्वास करते हुए वे उन्हें “सौभलने के लिए समय” देने के पक्षमें थे, और उनका सुझाव था कि इस बीच “हमें अपने देश और विदेशोंकी जनताको सच्ची बातें बताकर वास्तविक प्रचार-कार्य करना चाहिए” (पृ० ४३७)। सविनय अवज्ञा आरम्भ करने में गांधीजी की अनिच्छाके अन्य कारण थे—मुस्लिम लीगका विरोध और “कांग्रेसके अन्दर अनुशासनहीनता और फूट” (पृ० ३७७)। मुस्लिम लीग कांग्रेसकी मुसलमानोंका शत्रु मानती थी, और कांग्रेसमें ऐसी अहिंसक शक्ति नहीं थी कि वह उसके विरोधको निरस्त कर सकती। अंग्रेजोंके खिलाफ उसकी “अहिंसा वस्तुतः स्थगित या निष्क्रिय हिंसा थी . . .। इसके अलावा . . . कांग्रेसकी सभाओंमें भी . . . प्रतिस्पर्धी कांग्रेसी एक-दूसरेके विरुद्ध हिंसापर उतर आते” थे, और “कांग्रेसके चुनावोंमें प्रकट होनेवाली घोर अनुशासनहीनता और बोलेबाजी कांग्रेसमें विद्यमान हिंसाकी परिचायक” थी (पृ० २९५)। हिंसाके इस वातावरणके प्रति गांधीजी इतने अधिक संवेदनशील थे कि उन्हें लगता था, मानों “मेरे पैरों तले बरूद बिछी हुई है” (पृ० ४२०)। उन्हें आशंका थी कि ऐसे वातावरणमें सविनय अवज्ञाका “परिणाम निश्चित रूपसे हिन्दू-मुस्लिम दंगा होगा” (पृ० ३५२)। जल्दबाजीमें कदम उठाने में समाये हुए खतरोंपर जोर देते हुए उन्होंने कहा: “मुझे इस बातका दुःखद भान है कि भारत अभी बड़े पैमानेपर अहिंसात्मक सविनय अवज्ञाके लिए तैयार नहीं है। इसलिए अगर मैं कांग्रेसको उस समयतक प्रतीक्षा करते रहने के लिए राजी नहीं कर सकता जबतक कि अहिंसात्मक युद्ध किया जाना सम्भव हो सके, तो दो जातियोंमें विनाशकारी गृह-युद्ध देखने के लिए जीवित रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं निश्चित रूपसे जानता हूँ कि अगर मैं कांग्रेसके सन्तोषके लायक अहिंसात्मक क्रियाशीलता या निष्क्रियताका कोई तरीका न निकाल सका और साम्प्रदायिक समझौता न हुआ तो सत्तारकी कोई भी शक्ति हिंसाके विस्फोटको नहीं रोक सकती, जिसका परिणाम कुछ समयके लिए अराजकता और महाविनाश होगा” (पृ० ४०८)। किन्तु गांधीजी “अराजकता नहीं” चाहते थे, क्योंकि “अराजकतासे स्वराज्य नहीं मिल सकता” था (पृ० ३५३)। उनकी मान्यता थी कि “साम्प्रदायिक सन्देहको दूर करने का एकमात्र रास्ता . . . इस समय स्वराज्यकी खातिर सविनय अवज्ञा न” करना था (पृ० ३६०)।

लेकिन इस तरहकी आशंकाएँ सभी कांग्रेसियोंके मनमें नहीं थीं। वर्षके आरम्भसे ही सुभाष बोस, यथासम्भव शीघ्र सार्वजनिक आन्दोलन छेड़ने की हिमायत कर रहे थे, और इस प्रश्नपर गांधीजी के साथ अपने मतभेदके फलस्वरूप भड़के महीनेमें उन्होंने कांग्रेसके अध्यक्ष-पदसे त्यागपत्र दे दिया था (खण्ड ६९)। बाद की घटनाओंसे कार्य-समितिको सुभाष बाबूके “जान-बूझकर और खुल्लमखुल्ला किये गये अनुशासन-भंगके कार्य” के विरुद्ध कार्रवाई करने को विवश होना पड़ा (पृ० ९५), लेकिन उनके प्रति अब भी कांग्रेसमें लोगोंकी सहानुभूति थी। युद्ध छिड़ने के बाद गांधीजी और सुभाष बाबूके मतभेद इतने गहरे हो गये कि उन्हें पाटना असम्भव हो गया। निदान गांधीजी को उन्हें लिखना पड़ा: “तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। फिलहाल तो तुम मटक गये हो और मैंने तुम्हें छो दिया है। यदि मैं सही हूँ और मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं तुम्हें किसी दिन अपने समूहमें लौटा हुआ पाऊँगा” (पृ० ४१९-२०)। मतभेद गांधीजी और जवाहर-लालके बीच भी पैदा हो रहे थे, और गांधीजी निश्चयपूर्वक यह भी नहीं कह सकते थे कि कार्य-समितिके अन्य सदस्य भी उनके साथ थे या नहीं। २६ अक्तूबरको उन्होंने नेहरूको लिखा: “मैं महसूस करता हूँ कि यदि मैं तुम सब लोगोंकी सहमति और समर्थन प्राप्त नहीं कर सकता तो मुझे नेतृत्व भी नहीं करना चाहिए। . . . तुम पूरी तरह बागडोर अपने हाथमें ले लो और देशका नेतृत्व करो, और मुझे अपना मत प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दो। किन्तु यदि तुम सबके विचारमें मुझे पूर्णतया मौन रहना चाहिए तो आशा है, ऐसा करने में भी मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी” (पृ० ३३१)। फिर हप्तै-भर बाद उनसे व्यक्तिगत तौरपर बातचीत करने के उपरान्त उन्होंने जवाहरलालको लिखा: “हमारे इतिहासके इस नाजुक दौरमें हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और सम्भव हो तो हमें एकमत होना चाहिए” (पृ० ३६६)।

गांधीजी ने सविनय अवज्ञाका वर्जन किया, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने हर प्रकारकी कार्रवाईका निषेध कर दिया। असहयोग तो कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलोंके त्यागपत्रके साथ ही आरम्भ हो गया था (पृ० ३६७)। और उन्हें पूरा विश्वास था “कि समस्याके मुकाबलेके लिए कांग्रेस अपने ऊपर स्वयं लगाई हुई सीमाओंके अन्दर भी सविनय अवज्ञाके अलावा और कोई उपाय ढूँढ़ लेगी” (पृ० ३८४)। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि वह उपाय क्या होगा। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने कहा था: “मेरे पास कोई ठोस योजना तैयार नहीं है। . . . और बातें मुझे दिन-ब-दिन सूझती जायेंगी, जैसे कि मेरी सब योजनाओंके बारेमें हमेशा हुआ है। . . . मुझे अन्तरात्माकी क्षीण आवाजके अनुसार ही काम करना चाहिए” (पृ० २२६ और २२७)। जब उन्होंने दाँडी-कूचका निश्चय किया था, उस क्षणके पूर्वतक कैसे उन्हें उसका कोई आभास नहीं था, इसका स्मरण करते हुए उन्होंने कहा: “इतना मुझे मालूम है कि ईश्वरने मेरे द्वारा इतिहासकी पुनरावृत्ति शायद ही कभी करवाई हो और सम्भव है, इस बार भी न करवाये” (पृ० ४२१)।

यद्यपि गांधीजी ने “अन्तर्यामीकी आवाजको सुनने” की कोशिश का ही नहीं, बल्कि “उसे सुनने का” भी दावा किया, तथापि आक्सफर्ड ग्रुपके सदस्योंके समक्ष उन्होंने नम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि “मैं ईश्वरसे अब भी दूर हूँ . . . आत्म-प्रवचनासे शायद पूर्णतः मुक्त नहीं हूँ।” वस्तुतः उन्होंने भारतको “ईश्वरके रास्ते पर लाने की भरसक कोशिश की” थी, लेकिन यद्यपि उसमें उन्हें कुछ सफलता मिली थी, तथापि वे “अब भी लक्ष्यसे बहुत दूर” थे (पृ० २१५-१६)। अन्तरात्माकी आवाजको सुनने का साधन प्रार्थना थी। गांधीजी ने चार्ल्स फावरीको समझाया कि प्रार्थनासे वे अपने अन्दरके उस दिव्य तत्त्वको जाग्रत करने का प्रयत्न करते थे जो “जड़-चेतन सभी पदार्थोंमें” विद्यमान है। उनका विचार था कि जबतक मनुष्य “अपने-आपको शून्य नहीं बना” लेता तबतक उसे “ईश्वर या प्रार्थनाका अर्थ मालूम नहीं” हो सकता। “इन्हीं अवसरोंपर हमें ईश्वरकी छाँकी मिलती है, उसके दर्शन होते हैं, जो जीवनमें हर कदमपर हमें रास्ता बता रहा है” (पृ० ३०-३३)।

कुछ लोगोंने गांधीजी पर यह आरोप लगाया था कि उनका “ब्रह्मचर्य अपनी वासनाको छिपाने का एक साधन है।” इसका उत्तर देते हुए गांधीजी ने बताया कि किस प्रकार १९०६में लिये गये अपने ब्रह्मचर्य-व्रतके कारण वे माताके रूपमें स्त्रियोंके प्रति दुर्निवार रूपसे आकृष्ट हुए और कैसे स्त्रियाँ उनके लिए “इतनी पवित्र हो गईं कि . . . उनके प्रति वासनामय प्रेमका खयाल” उनके मनमें आ ही नहीं सकता था। फलतः जब उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय स्त्रियोंको वहाँके सत्याग्रह-संघर्षमें शामिल होने को आमन्त्रित किया तो उन्हें “इस बातका पता चल गया कि स्त्री-जातिकी सेवाके लिए वे खास तौरसे उपयुक्त” थे। “भारत लौटने पर यहाँ भी . . . भारतीय स्त्रियोंसे” वे जल्दी ही हिल-मिल गये, और उनके लिए “यह एक सुखद रहस्योद्घाटन था कि” वे “उनके हृदयोंतक कितनी आसानीसे पहुँच” जाते थे (पृ० ३४९-५१)। गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि “स्त्री त्यागकी और इसीलिए अहिंसाकी मूर्ति होती है”, और उन्हें लगा कि “उसे हिंसात्मक युद्ध . . . में” घसीटना “मौजूदा सम्यताके लिए कोई क्षोभाकी बात नहीं है”, और “हिंसा स्त्रीके लिए इतनी अशोभनीय चीज है कि वह अपनी मूल प्रकृतिपर इस तरह प्रहार किये जाने के विरुद्ध शीघ्र ही उठ खड़ी होगी” (पृ० ४२८)।

उनका विचार था कि आधुनिक सम्यता न केवल स्त्रियोंकी मूल प्रकृतिका वरन् सम्पूर्ण मानव-प्रकृतिका ही हुनन करती है, क्योंकि उसका आधार शोषण है, जो हिंसाका मूल है (पृ० ३३०)। गांधीजी की मान्यता थी कि सच्चा भारत सैनिक नहीं, बल्कि शान्तिवादी है और यदि लाखों लोगोंको हिंसाके पाषाणिक नियमका प्रशिक्षण देना सम्भव है तो “नव-संस्कार-सम्पन्न मनुष्य” के नियम-रूप “अहिंसामें . . . उन्हें दक्ष बनाना और भी सम्भव है” (पृ० २२३)। उनकी दृष्टिमें, अहिंसा केवल “ऋषियों अथवा गुफाओंमें रहनेवालों” का ही धर्म नहीं

थी, बल्कि उसका आचरण “लाखों लोग कर सकते” थे। उन्होंने अपने मित्रों और आलोचकों, दोनोंसे ‘हिन्द स्वराज्य’ को उनकी दृष्टिसे पढ़कर यह समझने का आग्रह किया कि “स्वावलम्बी गाँवों” की बुनियादपर भारतको कैसे अहिंसक रखा जा सकता है (पृ० ३३०)। एक ओर गांधीजी “अपने कामपर पैदल चलकर” जाने के आदर्श (पृ० २२३)में विश्वास रखते थे और दूसरी ओर रेल और मोटर गाड़ियोंका बेझिझक उपयोग कर रहे थे। उनके आदर्शको उनके आचरणसे अलग करती-सी दिखती इस “कमी न पटनेवाली खाई” (पृ० २६६) के सम्बन्धमें गांधीजी ने अपने आलोचकोंको समझाया कि ‘हिन्द स्वराज्य’ “तथाकथित अज्ञान और अन्धकारके युगमें पीछे लौटने का प्रयत्न नहीं है, बल्कि वह ऐच्छिक सादगी, गरीबी और धीमेपनमें सौन्दर्यको देखने का प्रयत्न है। . . . आज लोगोंमें जो नित नई वस्तु प्राप्त करने की ललक दिखाई देती है . . . अपनी आवश्यकताओंको निरन्तर बढ़ाते जाने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है . . . ये सब बातें हमारी अन्तरात्माका हनन करती हैं” (पृ० ३६७-६८)। उन्होंने यह स्वीकार किया कि कोई भी आदर्श पूर्ण रूपसे आचरित नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही उनका कहना था कि “आनन्द तो साधनामें है, सिद्धिमें नहीं, क्योंकि ज्यों-ज्यों हम अपने ध्येयकी ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों अधिकाधिक मनोरम दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं” (पृ० ३६७)। यही गांधीजी के कर्मयोगका रहस्य और उसका मर्म था।

प्रथम विश्व-युद्धके दौरान अंग्रेजोंसे सहयोग करने और उनके वर्तमान रवैये के बीच असंगतिके आरोपके उत्तरमें गांधीजी ने स्पष्ट किया कि “किसी विषय पर मैं पहले जो-कुछ कह चुका हूँ, उससे संगत होना मेरा उद्देश्य नहीं होता, बल्कि प्रस्तुत अवसरपर मुझे जो सत्य मालूम पड़े, उसके अनुसार आचरण करना मेरा उद्देश्य होता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मुझे एकके-बाद-एक सत्यका दर्शन होता गया है” (पृ० २२४)। कर्मयोगी अपने विचार और कर्मसे सीमित सत्यके, वर्तमान क्षणकी वास्तविक आवश्यकताके तकाजेको पूरा करता है, किन्तु अन्तिम आदर्शोंके रूपमें अमूर्त सत्य और सम्पूर्ण अहिंसामें उसकी निष्ठामें कभी कोई कमी नहीं आती। व्यावहारिक प्रयोजनोंके लिए गांधीजी ने अहिंसा और साहसका प्रयोग एक-दूसरेके पर्यायोंके रूपमें किया। उन्होंने कहा: “दुर्बलता और अहिंसा उसी प्रकार एक साथ नहीं चल सकती जैसे “पानी और आग” (पृ० ३३०)। यही कारण था उस स्पृहणीय असंगतिका, जो पोलैण्डकी प्रसिद्ध प्रशस्तिमें कहे उनके इन शब्दोंमें लक्षित होती है: “यदि पोलैण्डमें उच्च कोटिकी वीरता और स्वार्थहीनता होगी तो इतिहास इस बातको भूल जायेगा कि उसने हिंसा-बलसे अपनी रक्षा की थी। उसकी हिंसा लगभग अहिंसा ही मानी जायेगी” (पृ० २०१)।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित संस्थाओं, पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकोंके प्रकाशकोंके आभारी हैं :

संस्थाएँ : काशी विद्यापीठ, वाराणसी; केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम; गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय और नवजीवन न्यास, अहमदाबाद; म्यूनिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद; नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली; विश्वभारती, शान्ति-निकेतन और सावरभती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास एवं संग्रहालय, अहमदाबाद ।

व्यक्ति : श्रीमती अमृतकौर; श्री आनन्द तो० हिंगोरानी, इलाहाबाद; श्री ए० के० सेन, कलकत्ता; श्री एम० आर० मसानी, श्री कान्तिबाल गांधी, बम्बई; श्री गुलाम रसूल कुरैशी, अहमदाबाद; श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता; श्री जयरामदास दौलतराम, नई दिल्ली; श्री जी० एन० कानिटकर, पुणे; श्री जीवणजी डा० देसाई, श्री डाह्याभाई एम० पटेल, अहमदाबाद; श्रीमती ताराबहन प्रताप, बम्बई; श्री त्र्यंबकलाल पोपटलाल; श्री नारणदास गांधी, राजकोट; श्री नारायण देसाई, वारडोली; श्री पुरुषोत्तम के० जेराजानी, बम्बई; डॉ० पी० ए० पटाडिया, सुरेन्द्रनगर; सरदार पृथ्वीसिंह, लालरू, पंजाब; श्री पोपटलाल चुडगर, राजकोट; श्री प्यारेलाल, नई दिल्ली; श्रीमती प्रेमाबहन कंटक, सासबड; श्रीमती मनुबहन मधारूवाला, बम्बई; श्रीमती मीराबहन, गाडेन, ऑस्ट्रेलिया; श्री मुन्नालाल गं० शाह, सेवाग्राम; श्री मुलुभाई नौतमलाल; श्रीमती लीलावती आसर, बम्बई; श्री वल्लभराम वैद्य, अहमदाबाद; श्री बालजी गो० देसाई, पुणे; श्रीमती विजया-बहन एम० पंचोली, सनोसरा; श्रीमती शारदाबहन गो० चोखावाला, सूरत; श्रीमती सुशीलाबहन गांधी, फीनिक्स; श्री हरिभाऊ उपाध्याय, नई दिल्ली और श्री हरिभाऊ जी० फाटक, पुणे ।

पुस्तकें : ' (द) इंडियन एनुअल रजिस्टर, १९३९', जिल्द २; 'इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम'; 'गांधी - १९१५-१९४८: ए डिटेल्ड क्रॉनोलॉजी'; 'पाँचवें पुत्रको बापूके आक्षीर्वाद'; 'पिल्ग्रिमेज ऑफ फ्रीडम'; '(ए) बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स'; 'बापुना पत्रो-२: सरदार वल्लभभाईने'; 'बापुना पत्रो-५:

चौदह

कु० प्रेमावहेन कंटकने'; 'बापुना पत्रो-७ : श्री छगनलाल जोशीने'; 'बापुनी आश्रमनी केलवणी', 'बापुनी प्रसादी'; 'बापूकी छायामें'; 'बापूके पत्र मीरावहनके नाम'; 'बापू-स्मरण'; 'भील सेवामण्डल सेवा स्मृतिग्रंथ, १९६६', 'महात्मा : लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी', जिल्द ५; 'महात्मा गाधी-द ग्रेट रोग ऑफ इंडिया'; 'मेमरीज ऐंड रिफ्लेक्शन्स'; 'लीब्ज फॉम ए बायरी' और 'विद नो रिग्रेट्स'।

पत्र-पत्रिकाएँ : 'बाँम्बे क्रॉनिकल', 'हरिजन', 'हरिजनबन्धु', 'हरिजनसेवक', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'हिन्दू।'

अनुसन्धान एव सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओंके लिए सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रलेखोंकी फोटो-नकल तैयार करने में मदद देने के लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके आभारी हैं।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजी के स्वाक्षरोंमें मिली है, उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोंकी स्पष्ट भूलोंको सुधारकर दिया गया है।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करने में अनुवादको मूलके समीप रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है। और मूलमें प्रयुक्त शब्दोंके सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखने की नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणमें संशय था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजी ने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजी ने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्थाहीमें छापा गया है, लेकिन यदि कोई ऐसा अंश उन्होंने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजी के कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्थाहीमें छापे गये हैं। भाषण और मेट की रिपोर्टके उन अंशोंमें, जो गांधीजी के नहीं हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है। परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की गई है, और आवश्यक होने पर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है, उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशन की है। गांधीजी की सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधारपर उसका अनुमान लगाया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

सोलह

इस ग्रंथमालामें प्रकाशित प्रथम खण्डका जहाँ-जहाँ उल्लेख किया गया है, वह जून, १९७० का संस्करण है।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' सकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका; 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका; 'एम० एम० यू०' मोवाइल माइक्रोफिल्म यूनिटका; 'एस० जी०' सेवाग्राममें सुरक्षित सामग्रीका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देने के लिए मूल से सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट भी दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

भूमिका आभार पाठकोंको सूचना	पृच तेरह पन्द्रह
१. तार : राजेन्द्रप्रसादको (१६-७-१९३९)	१
२. पत्र : चिमनलाल न० शाहको (१६-७-१९३९)	१
३. तार : राजारामको (१७-७-१९३९)	२
४. तार : नटेश अय्यरको (१७-७-१९३९)	३
५. तार : कराची जिला काँग्रेस कमेटीके अध्यक्षको (१७-७-१९३९)	३
६. तार : पत्तम ताणु पिल्लैको (१७-७-१९३९)	४
७. पत्र : सिकन्दर हयात खाँको (१७-७-१९३९)	४
८. पत्र : अमृतकौरको (१७-७-१९३९)	६
९. पत्र : मीरावहनको (१७-७-१९३९)	७
१०. पत्र : शारदावहन गौ० चौखालाको (१७-७-१९३९)	८
११. तार : राजेन्द्रप्रसादको (१८-७-१९३९)	८
१२. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको (१८-७-१९३९)	९
१३. पत्र : अमतुस्सलामको (१८-७-१९३९)	९
१४. दोषी नहीं (१९-७-१९३९)	१०
१५. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (१९-७-१९३९)	१३
१६. पत्र : अमृतकौरको (२०-७-१९३९)	१४
१७. पत्र : डुनीचन्दको (२०-७-१९३९)	१५
१८. पत्र : अमृतकौरको (२१-७-१९३९)	१५
१९. नाबालिगी शासन (२२-७-१९३९)	१६
२०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (२२-७-१९३९)	१९
२१. पत्र : प्रभावतीको (२२-७-१९३९)	१९
२२. टिप्पणियाँ : सत्यकी प्राप्ति कैसे हो? (२३-७-१९३९)	२०
२३. सन्देश : बम्बई सरकार मद्य-निषेध बोर्डको (२३-७-१९३९)	२१
२४. पत्र : एस० के० वोलैको (२३-७-१९३९)	२१
२५. पत्र : डॉ० बी० एस० मुंजेको (२३-७-१९३९)	२२
२६. पत्र : एडोल्फ हिटलरको (२३-७-१९३९)	२३

अठारह

२७. पत्र : एगथा हैरिसनको (२३-७-१९३९)	२४
२८. भाषण : एवटावादमें (२३-७-१९३९)	२५
२९. तार : अमृतकौरको (२४-७-१९३९)	२७
३०. तार : डॉ० डी० डी० गिल्डरको (२४-७-१९३९)	२८
३१. पत्र : एन० एस० हर्डीकरको (२४-७-१९३९)	२८
३२. तार : अमृतकौरको (२५-७-१९३९)	२९
३३. पत्र : सिकन्दर हयात खाँको (२५-७-१९३९)	२९
३४. बातचीत : चार्ल्स फावरीके साथ (२६-७-१९३९ या उसके पूर्व)	३०
३५. पत्र : सम्पूर्णानन्दको (२६-७-१९३९)	३५
३६. तार : जवाहरलाल नेहरूको (२७-७-१९३९)	३५
३७. भाषण : हरिजन उद्योगशाला, दिल्लीमें (२७-७-१९३९)	३६
३८. पत्र : राधाकृष्ण वजाजको (२७-७-१९३९)	३८
३९. औद्योगिक सर्वेक्षण समितिकी रिपोर्टका सारांश (२९-७-१९३९)	३८
४०. टिप्पणियाँ : और भी मन्दिर खुले (२९-७-१९३९)	४६
४१. तार : सिकन्दर हयात खाँको (२९-७-१९३९)	४७
४२. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२९-७-१९३९)	४७
४३. पत्र : अमृतुस्सलामको (२९-७-१९३९)	४८
४४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (२९-७-१९३९)	४९
४५. घामी-काण्डसे सबक (३०-७-१९३९)	५०
४६. टिप्पणियाँ : संस्कृतसे उद्भूत भाषाओंके लिए एक लिपि (३०-७-१९३९)	५२
४७. हरिजन-सेवक सम्मेलन (३०-७-१९३९)	५३
४८. पत्र : द० वा० कालेलकरको (३०-७-१९३९)	५४
४९. पत्र : अमृतुस्सलामको (३०-७-१९३९)	५४
५०. पत्र : अमृतकौरको (३१-७-१९३९)	५५
५१. पत्र : जयसुखलाल गाँधीको (३१-७-१९३९)	५६
५२. पत्र : नारणदास गाँधीको (३१-७-१९३९)	५६
५३. पत्र : देवदास गाँधीको (३१-७-१९३९)	५७
५४. पत्र : जीवनजी डा० देसाईको (३१-७-१९३९)	५८
५५. पत्र : कृष्णचन्द्रको (३१-७-१९३९)	५८
५६. तार : लॉर्ड लिनलिथगोको (१-८-१९३९)	५८
५७. तार : नारणदास गाँधीको (१-८-१९३९)	५९
५८. पत्र : कृष्णचन्द्रको (१-८-१९३९)	६०
५९. पत्र : अमृतुस्सलामको (१-८-१९३९)	६०
६०. अकालका भय (२-८-१९३९)	६१

उन्नीस

६१ वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (२-८-१९३९)	६२
६२. पत्र : अमृतकौरको (३-८-१९३९)	६३
६३. पत्र : पोती श्रीरामलु चेट्टीको (३-८-१९३९)	६३
६४. पत्र : द० वा० कालेलकरको (३-८-१९३९)	६४
६५. पत्र : प्रभावतीको (३-८-१९३९)	६४
६६. पत्र : तंजीम-उल-मोमिनीनके अध्यक्षको (४-८-१९३९ के पूर्व)	६५
६७. भेंट : गोवर्धनलाल शुक्लको (४-८-१९३९ या उसके पूर्व)	६६
६८. धावाश बम्बई! (४-८-१९३९)	६७
६९. पत्र : अमृतुस्सलामको (४-८-१९३९)	६९
७०. वातचीत : वी० वी० साठेके साथ (५-८-१९३९)	६९
७१. पत्र : राखालको (५-८-१९३९)	७३
७२. क्या मैं सर्वसमर्थ हूँ? (६-८-१९३९)	७३
७३. टिप्पणियाँ : सेठ जमनालालजी, काठियावाड़का अनुकरण; एक भूल-सुधार (६-८-१९३९)	७६
७४. पत्र : वालजी गो० देसाईको (६-८-१९३९)	७८
७५. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको (६-८-१९३९)	७९
७६. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको (६-८-१९३९)	७९
७७. पत्र : अमृतुस्सलामको (६-८-१९३९)	८०
७८. पत्र : कृष्णचन्द्रको (६-८-१९३९)	८०
७९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (६-८-१९३९)	८१
८०. सन्देश . दुनियादी शिक्षा-योजनाके शुमारम्भपर (७-८-१९३९ या उसके पूर्व)	८१
८१. एक स्पष्टीकरण (७-८-१९३९)	८२
८२. मिल बनाम चरखा (७-८-१९३९)	८२
८३. हरिजनोके लिए एक और मन्दिर खुला (७-८-१९३९)	८३
८४. पत्र : तोताराम हिंगोरानीको (७-८-१९३९)	८४
८५. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको (७-८-१९३९)	८४
८६. पत्र : प्रभावतीको (७-८-१९३९)	८५
८७. पत्र : अमृतुस्सलामको (७-८-१९३९)	८५
८८. पत्र : वसुमती पण्डितको (७-८-१९३९)	८६
८९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (७-८-१९३९)	८६
९०. पत्र : शारदावहन गो० चौलावालाको (८-८-१९३९)	८७
९१. पत्र : मणिलाल गांधीको (८-८-१९३९)	८७
९२. पत्र : सीता गांधीको (८-८-१९३९)	८८

बीस

९३. पत्र : सुशीला गांधीको (८-८-१९३९)	८८
९४. पत्र : दिलखुश बी० दीवानजीको (८-८-१९३९)	८९
९५. पत्र : राधाकृष्ण वजाजको (८-८-१९३९)	८९
९६. पत्र : गोपबन्धु चौधरीको (८-८-१९३९)	९०
९७. पत्र : डॉ० जीवराज एन० मेहताको (९-८-१९३९)	९०
९८. पत्र : लीलावती आसरको (९-८-१९३९)	९१
९९. पत्र : तारा जसाणीको (९-८-१९३९)	९२
१००. पत्र : आर० एल० हांडाको (१०-८-१९३९)	९३
१०१. पत्र : सुरेन्द्र बी० मशरूवालाको (१०-८-१९३९)	९३
१०२. कांग्रेस कार्य-समितिका प्रस्ताव (११-८-१९३९)	९४
१०३. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (११-८-१९३९)	९५
१०४. पत्र : गुलाम रसूल कुरैचीको (११-८-१९३९)	९६
१०५. मूख-हड़ताल (१४-८-१९३९)	९७
१०६. छोटी-छोटी रियासतोंका परिसंघ (१४-८-१९३९)	९८
१०७. टिप्पणियाँ : आर्यसमाज; पंजाब कांग्रेस; दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंका संघर्ष; अकालसे सुरक्षा और शिक्षाके माध्यमके रूपमें खादी (१४-८-१९३९)	१००
१०८. पत्र : जीवणजी डा० देसाईको (१४-८-१९३९)	१०४
१०९. पत्र : रविशंकर शुक्लको (१४-८-१९३९)	१०४
११०. पत्र : लक्ष्मीधर सिन्हाको (१५-८-१९३९)	१०५
१११. पत्र : डॉ० जीवराज एन० मेहताको (१५-८-१९३९)	१०५
११२. पत्र : अरोड़ासिंहको (१६-८-१९३९)	१०६
११३. पत्र : लीलावती आसरको (१६-८-१९३९)	१०६
११४. पत्र : कृष्णचन्द्रको (१६-८-१९३९)	१०७
११५. तार : जवाहरलाल नेहरूको (१८-८-१९३९)	१०७
११६. मुल्कराजके नाम तारका मसौदा (१८-८-१९३९)	१०८
११७. पत्र : च० राजगोपालाचारीको (१८-८-१९३९)	१०८
११८. पत्र : नारणदास गांधीको (१८-८-१९३९)	१०९
११९. सन्देश : दलितवर्ग-सम्मेलनको (१९-८-१९३९ या उसके पूर्व)	१०९
१२०. पत्र : एन० एस० हर्डीकरको (१९-८-१९३९)	११०
१२१. पत्र : ईश्वरशरणको (१९-८-१९३९)	११०
१२२. पत्र : वल्लभराम वैद्यको (१९-८-१९३९)	१११
१२३. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको (१९-८-१९३९)	१११
१२४. कर्तव्योंकी मजदूरी (२०-८-१९३९)	११२

इक्कीस

१२५. टिप्पणियाँ : 'जरायमपेशा जातियो' के बीच (२०-८-१९३९)	११४
१२६. पत्र . विजयावहन एम० पचोलीको (२०-८-१९३९)	११५
१२७. ग्राहक चाहिए (२१-८-१९३९)	११६
१२८. टिप्पणियाँ : सिर्फ मद्य-निषेध ही क्यों?; खादीमें घोषाघड़ी (२१-८-१९३९)	११८
१२९. पत्र : एम० मुजीबको (२१-८-१९३९)	१२०
१३०. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको (२१-८-१९३९)	१२१
१३१. पत्र : संयुक्ता गांधीको (२१-८-१९३९)	१२१
१३२. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको (२१-८-१९३९)	१२२
१३३. पत्र : जमनालाल बजाजको (२१-८-१९३९)	१२२
१३४. पत्र : किशोरलाल घ० मगह्वालाको (२१-८-१९३९)	१२३
१३५. पत्र : पोपटलाल चुडगरको (२२-८-१९३९)	१२४
१३६. पत्र : किशोरलाल घ० मगह्वालाको (२२-८-१९३९)	१२४
१३७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (२३-८-१९३९)	१२५
१३८. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको (२४-८-१९३९)	१२८
१३९. पत्र : आजम आवेदको (२४-८-१९३९)	१२८
१४०. पत्र : रावजीभाई ना० पटेलको (२४-८-१९३९)	१२९
१४१. पत्र . अमृतलाल ठा० नानावटीको (२५-८-१९३९ के पूर्व)	१२९
१४२. स्वेच्छा-प्रेरित सघ-व्यवस्थाकी जरूरत (२५-८-१९३९)	१३०
१४३. मोटर बनाम बैलगाड़ी (२५-८-१९३९)	१३२
१४४. पत्र : गिवजी देवशंकरको (२५-८-१९३९)	१३३
१४५. पत्र : विजयावहन एम० पचोलीको (२५-८-१९३९)	१३४
१४६. मिलका या धानीका तेल (२६-८-१९३९)	१३४
१४७. एक महाराजाकी धमकी (२६-८-१९३९)	१३६
१४८. तार : श्रीप्रकाशको (२६-८-१९३९)	१३९
१४९. पत्र : मुल्कराजको (२६-८-१९३९)	१३९
१५०. टिप्पणियाँ . वम्बई नगरनिगम और हरिजन (२७-८-१९३९)	१३९
१५१. वक्तव्य . समाचारपत्रोंको (२७-८-१९३९)	१४१
१५२. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२७-८-१९३९)	१४२
१५३. एक पत्र (२७-८-१९३९)	१४२
१५४. पत्र : इन्दु एन० पारेखको (२७-८-१९३९)	१४३
१५५. पत्र : विजयावहन एम० पचोलीको (२७-८-१९३९)	१४४
१५६. तमिलनाडुमें खादी (२८-८-१९३९)	१४४
१५७. टिप्पणियाँ : क्या इससे सबक लेंगे? (२८-८-१९३९)	१५१

बाईस

१५८. तार : राजेन्द्रप्रसादको (२८-८-१९३९)	१५२
१५९. पत्र : जगलाल चौधरीको (२८-८-१९३९)	१५३
१६०. पत्र . लॉर्डे लिनलिथगोको (२९-८-१९३९)	१५३
१६१. पत्र : ए० गुप्तको (२९-८-१९३९)	१५४
१६२. पत्र : प्रभावहन कंटकको (२९-८-१९३९)	१५४
१६३. पत्र : प्रभावतीको (२९-८-१९३९)	१५६
१६४. पत्र : विजयाबहन एम० पंचोलीको (२९-८-१९३९)	१५७
१६५. सन्देश : पोलैंडवासियोंको (३०-८-१९३९ के पूर्व)	१५७
१६६. पत्र : ए० वैद्यनाथ अय्यरको (३०-८-१९३९)	१५८
१६७. पत्र : वी० एम० प्रसादरावको (३०-८-१९३९)	१५८
१६८. पत्र : बालजी गो० देसाईको (३०-८-१९३९)	१५९
१६९. टिप्पणियाँ : ग्राम-शिक्षा बनाम शहरी शिक्षा (३१-८-१९३९)	१६०
१७०. लीम्बडी (३१-८-१९३९)	१६१
१७१. तार : धनश्यामदास विड़लाको (३१-८-१९३९)	१६३
१७२. तार : मुल्कराजको (३१-८-१९३९)	१६३
१७३. पत्र : वी० ए० सुन्दरमूको (३१-८-१९३९)	१६४
१७४. पत्र : पत्तम ताणु पिल्लैको (३१-८-१९३९)	१६४
१७५. पत्र . मनुबहन सु० मशरूवालाको (३१-८-१९३९)	१६५
१७६. पत्र : पुरुषोत्तमदास अ० पाटडियाको (३१-८-१९३९)	१६६
१७७. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (३१-८-१९३९)	१६६
१७८. पत्र : जयसुखलाल गाधीको (१-९-१९३९)	१६७
१७९. अशोभनीय प्रदर्शन (२-९-१९३९)	१६७
१८०. तार : राजेन्द्रप्रसादको (२-९-१९३९)	१६९
१८१. तार : लॉर्डे लिनलिथगोको (२-९-१९३९)	१६९
१८२. टिप्पणियाँ : पाठ्यपुस्तकें; अघकचरी निष्ठा; दुर्भिक्षमें सहायताके तरीके; आन्ध्रमें सूत्र-यज्ञ (३-९-१९३९)	१७०
१८३. मामलेकी जाँच की जाये (३-९-१९३९)	१७४
१८४. टिप्पणियाँ : घनिक न्यासी है (३-९-१९३९)	१७५
१८५. पत्र : मीराबहनको (३-९-१९३९)	१७६
१८६. उत्तर : ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंको (३-९-१९३९ के पश्चात्)	१७६
१८७. तार : सी० पी० रामस्वामी अय्यरको (५-९-१९३९)	१७६
१८८. तार : जमनालाल बजाजको (५-९-१९३९)	१७७
१८९. पत्र : डॉ० जीवराज एन० मेहताको (५-९-१९३९)	१७८
१९०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (५-९-१९३९)	१७८

तेईस

१९१. पत्र : जमनालाल बजाजको (६-९-१९३९)	१८०
१९२. तार : पत्तम ताणु पिल्लैको (८-९-१९३९)	१८१
१९३. तार : पादरेफस्कीको (८-९-१९३९)	१८१
१९४. पत्र : लीलावती आसरको (८-९-१९३९)	१८२
१९५. पत्र . वलवन्तसिंहको (८-९-१९३९)	१८३
१९६. पत्र : रगराव रा० दिवाकरको (९-९-१९३९)	१८३
१९७. टिप्पणियाँ : अतिरिक्त खादी; त्यागकी जरूरत; मेरी वात प्रमाण नहीं; यहूदी धर्ममें शराव (१०-९-१९३९)	१८४
१९८. पत्र : हरिवंशसिंहको (१०-९-१९३९)	१८७
१९९. मेरी सहानुभूतिका आधार (११-९-१९३९)	१८७
२००. काठियावाड़की रियासतें (११-९-१९३९)	१९०
२०१. पत्र : जी० एन० कानिटकरको (११-९-१९३९)	१९०
२०२. पत्र : नारणदास गांधीको (११-९-१९३९)	१९१
२०३. पत्र : विजयावहन एम० पंचोलीको (११-९-१९३९)	१९२
२०४. टिप्पणी : 'एक महाराजाकी धमकी' पर (१२-९-१९३९)	१९२
२०५. पत्र : विजयावहन एम० पंचोलीको (१३-९-१९३९)	१९३
२०६. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (१५-९-१९३९)	१९४
२०७. पत्र . दूधामाई दाफडाको (१६-९-१९३९)	१९६
२०८. जयपुर-सत्याग्रह (१७-९-१९३९)	१९६
२०९. पत्र . पुरुषोत्तम के० जेराजाणीको (१७-९-१९३९)	१९८
२१०. टिप्पणियाँ : सिरोही, एक पोलिसा बहनकी अन्तर्व्यथा (१८-९-१९३९)	१९८
२११. मन्दिर-प्रवेश (१८-९-१९३९)	२०१
२१२. तार . अबुल कलाम आजादको (१८-९-१९३९)	२०४
२१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१८-९-१९३९)	२०४
२१४. पत्र : रामकृष्ण धूतको (१८-९-१९३९)	२०५
२१५. पत्र . अमृतलाल टा० नानावटीको (१८-९-१९३९)	२०५
२१६. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (१८-९-१९३९)	२०६
२१७. पत्र : डॉ० वाई० एम० दादूको (१९-९-१९३९)	२०६
२१८ पत्र : नारणदास गांधीको (१९-९-१९३९)	२०७
२१९. पत्र : रामसिंहको (१९-९-१९३९)	२०७
२२०. पत्र : सुरेन्द्र बा० मेढको (१९-९-१९३९)	२०८
२२१. प्रान्तीय विधान-मण्डलके प्रस्तावका मसौदा (२०-९-१९३९)	२०८
२२२. एक वक्तव्य (२०-९-१९३९ को या उसके पूर्व)	२१०

चौबीस

२२३. पत्र : सी० पी० रामस्वामी अय्यरको (२०-९-१९३९)	२११
२२४. पत्र : अकबर हैदरीको (२०-९-१९३९)	२१२
२२५. पत्र : पत्तम ताणु पिल्लैको (२०-९-१९३९)	२१२
२२६. पत्र : विजयावहन एम० प्रंचोलीको (२१-९-१९३९)	२१३
२२७. पत्र : बल्लभभाई पटेलको (२२-९-१९३९)	२१४
२२८. पत्र : रामकृष्ण वजाजको (२२-९-१९३९)	२१४
२२९. बातचीत . ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंसे (२३/२४-९-१९३९)	२१५
२३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२४-९-१९३९)	२१७
२३१. पत्र : पुरुषोत्तम के० जेराजाणीको (२४-९-१९३९)	२१८
२३२. अनुप्रस्थ बनाम अनुलम्ब पद्धति (२४-९-१९३९)	२१८
२३३. एक रोचक निरीक्षण (२४-९-१९३९)	२२०
२३४. पत्र : बल्लभभाई पटेलको (२४-९-१९३९)	२२१
२३५. क्या हिन्दुस्तान सैनिक देश है? (२५-९-१९३९)	२२२
२३६. पहिलियाँ (२५-९-१९३९)	२२४
२३७. पुराने क्रान्तिकारी (२५-९-१९३९)	२२७
२३८. पत्र : एस० सत्यमूर्ति और लक्ष्मीको (२५-९-१९३९)	२३०
२३९. पत्र : पी० कोदण्डरावको (२५-९-१९३९)	२३१
२४०. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको (२५-९-१९३९)	२३१
२४१. पत्र : अमृतुस्सलामको (२५-९-१९३९)	२३२
२४२. पत्र : शारदाबहन गो० चौलावालाको (२५-९-१९३९)	२३२
२४३. पत्र : कंचनवहन सु० शाहको (२५-९-१९३९)	२३२
२४४. पत्र : बलबन्तसिंहको (२५-९-१९३९)	२३३
२४५. पत्र : डॉ० वार्ड० एम० दाहूको (२७-९-१९३९)	२३३
२४६. पत्र : लेडी रजा अलीको (२७-९-१९३९)	२३४
२४७. हिन्दू-मुस्लिम एकता (२८-९-१९३९)	२३४
२४८. टिप्पणियाँ : एक आकर्षक विचार; नरसिंहगढ (२८-९-१९३९)	२३७
२४९. प्रश्नका उत्तर (२८-९-१९३९)	२३९
२५०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंकी (२८-९-१९३९)	२३९
२५१. पत्र : नारणदास गांधीको (२९-९-१९३९)	२४०
२५२. पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको (२९-९-१९३९)	२४१
२५३. पत्र : मनुबहन और सुरेन्द्र मशरुवालाको (२९-९-१९३९)	२४२
२५४. पत्र . अमृतलाल ठा० नानावटीको (२९-९-१९३९)	२४२
२५५. पत्र : मुन्नालाल गंगादास शाहको (३०-९-१९३९)	२४३
२५६. तार : गोविन्द वी० गुरजलेको (सितम्बर, १९३९)	२४३

पन्चीस

२५७. टिप्पणियाँ : आभार; और अधिक झूठ (१-१०-१९३९)	२४४
२५८. विनोद-वृत्तिकी कमी (१-१०-१९३९)	२४६
२५९ पत्र . गोविन्ददास कसलको (१-१०-१९३९)	२४९
२६०. त्रावणकोरकी अभागी प्रजा (२-१०-१९३९)	२४९
२६१. पत्र . अमृतकौरको (२-१०-१९३९)	२५२
२६२. सन्देश : ब्रिटिश जनताको (३-१०-१९३९)	२५३
२६३. तार : एगथा हैरिसनको (५-१०-१९३९)	२५३
२६४. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको (६-१०-१९३९)	२५४
२६५. पत्र : बालजी गो० देसाईको (६-१०-१९३९)	२५४
२६६ पत्र : सरस्वती गांधीको (६-१०-१९३९)	२५५
२६७. पत्र : कुन्दर दीवानको (६-१०-१९३९)	२५५
२६८. आँखें खोल देनेवाला काम (७-१०-१९३९)	२५६
२६९. पत्र : अमृतकौरको (७-१०-१९३९)	२५७
२७०. पत्र : नारणदास गांधीको (७-१०-१९३९)	२५८
२७१. पत्र : विजयावहन एम० पंचोलीको (७-१०-१९३९)	२५८
२७२. पत्र : जमनादास गांधीको (७-१०-१९३९)	२५९
२७३ पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको (८-१०-१९३९)	२५९
२७४. भारतका दृष्टिकोण (९-१०-१९३९)	२६०
२७५. जैसे साँपनाथ तैमे नागनाथ (९-१०-१९३९)	२६३
२७६. एक मन्त्रीका स्वप्न (९-१०-१९३९)	२६५
२७७. कभी न पटनेवाली खाई (१०-१०-१९३९)	२६६
२७८. कसौटीपर (१०-१०-१९३९)	२६९
२७९ पत्र : शिवाभाई जी० पटेलको (१०-१०-१९३९)	२७२
२८० वातचीत : एक मित्रके साथ (१०-१०-१९३९ या उसके पश्चात्)	२७२
२८१. पत्र : हरिभाऊ जी० फाटकको (१२-१०-१९३९)	२७४
२८२. पत्र . डॉ० विधानचन्द्र रायको (१२-१०-१९३९)	२७५
२८३. पत्र . कुँवरजी खेतसी पारेखको (१२-१०-१९३९)	२७६
२८४ वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (१३-१०-१९३९)	२७६
२८५. खाँड़ेके बारेमें एक भ्रम (१४-१०-१९३९)	२७७
२८६. पत्र अबुल कलाम आजादको (१४-१०-१९३९)	२७९
२८७. पत्र : मुहम्मद यूनुसको (१४-१०-१९३९)	२८०
२८८ पत्र : एम० एस० हर्बीकरको (१४-१०-१९३९)	२८०
२८९. पत्र : ए० ईश्वरनको (१४-१०-१९३९)	२८१
२९०. पत्र : ताताचारको (१४-१०-१९३९)	२८१

छब्बीस

२९१. पत्र : सैयद फ़ैजुल हसनको (१४-१०-१९३९)	२८२
२९२. पत्र : बल्लभभाई पटेलको (१४-१०-१९३९)	२८२
२९३. पत्र : रहमान जीवाभाईको (१४-१०-१९३९)	२८३
२९४. पत्र : कृष्णचन्द्रको (१४-१०-१९३९)	२८३
२९५. पत्र : इन्दिरा नेहरूको (१५-१०-१९३९)	२८४
२९६. पत्र : इन्दिरा नेहरूको (१५-१०-१९३९ के पश्चात्)	२८४
२९७. टिप्पणियाँ : एक प्रश्न (१६-१०-१९३९)	२८५
२९८. बहुसंख्यक वर्गका कृत्रिम हौआ (१६-१०-१९३९)	२८६
२९९. मोरवीमें दुर्भिक्ष-निवारण-कार्य (१६-१०-१९३९)	२९०
३००. बापा-जयन्ती (१६-१०-१९३९)	२९२
३०१. पत्र : सी० एफ० एण्ड्र्यूजको (१६-१०-१९३९)	२९३
३०२. होरेस अलेक्जैण्डरको लिखे पत्रका अंश (१६-१०-१९३९)	२९३
३०३. पत्र : नारणदास गांधीको (१६-१०-१९३९)	२९४
३०४. मौन-दिवसकी टिप्पणी (१६-१०-१९३९ या उसके पश्चात्)	२९४
३०५. टिप्पणियाँ : हिन्दू-मुस्लिम दंगे; अभी बहुत देर नहीं हुई (१७-१०-१९३९)	२९५
३०६. पत्र : नारणदास गांधीको (१७-१०-१९३९)	२९७
३०७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (१८-१०-१९३९)	२९७
३०८. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको (१८-१०-१९३९)	२९८
३०९. पत्र . एम० आर० मसानीको (१८-१०-१९३९)	२९९
३१०. पत्र : गोविन्द वी० गुरजलेको (१८-१०-१९३९)	२९९
३११. पत्र : हरिश्चन्द्रको (१८-१०-१९३९)	३००
३१२. पत्र : प्रभावतीको (१८-१०-१९३९)	३००
३१३. पत्र . सुरेन्द्र और मनुबहन मशरूवालाको (१८-१०-१९३९)	३०१
३१४. पत्र : कंचनबहन एम० शाहको (१८-१०-१९३९)	३०१
३१५. पत्र : नाजुकलाल एन० चोकसीको (१८-१०-१९३९)	३०२
३१६. पत्र : बी० पी० रस्तोगीको (१९-१०-१९३९)	३०२
३१७. पत्र : कान्ति एन० पारेखको (१९-१०-१९३९)	३०३
३१८. पत्र : जयसुखलाल गांधीको (१९-१०-१९२९)	३०३
३१९. पत्र : कनु गांधीको (१९-१०-१९३९)	३०३
३२०. पत्र : तारा जसाणीको (१९-१०-१९३९)	३०४
३२१. भाषण : स्थानिक संस्थाओंके प्रतिनिधियोंके सम्मेलन, वर्धामें (१९-१०-१९३९)	३०४
३२२. पत्र : रविशंकर शुक्लको (१९-१०-१९३९ या उसके पश्चात्)	३०८

सत्ताईस

३२३ पत्र वी० ए० सुन्दरम्को (२०-१०-१९३९)	३०९
३२४. पत्र : कृष्णचन्द्रको (२०-१०-१९३९)	३०९
३२५. पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२०-१०-१९३९)	३१०
३२६ मॅट. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिको (२०-१०-१९३९)	३१०
३२७. क्या मैं ईश्वरका दूत हूँ? (२१-१०-१९३९)	३१३
३२८. तार : पत्तम ताणु पिल्लैको (२१-१०-१९३९)	३१६
३२९. पत्र . एन० एस० हर्षीकरको (२१-१०-१९३९)	३१६
३३०. पत्र . ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२१-१०-१९३९)	३१७
३३१. मौनके लाभ (२२-१०-१९३९)	३१७
३३२. ब्रह्मचर्यके बारेमें (२२-१०-१९३९)	३१९
३३३. पुर्जा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा डिप्टी कमिश्नरको (२२-१०-१९३९)	३२१
३३४. पत्र . मुन्नालाल ग० शाहको (२२-१०-१९३९)	३२२
३३५. तार विद्वकके समाचारपत्रोंको (२३-१०-१९३९)	३२३
३३६. एक पत्र (२३-१०-१९३९)	३२४
३३७. किन कारणोंसे? (२४-१०-१९३९)	३२४
३३८. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको (२४-१०-१९३९)	३२७
३३९. पत्र . अमतुस्सलामको (२४-१०-१९३९)	३२७
३४०. पत्र . जवाहरलाल नेहरूको (२५-१०-१९३९)	३२८
३४१. पत्र : बलवन्तसिंहको (२५-१०-१९३९)	३२८
३४२. चर्चा : गांधी सेवा संघकी कार्यकारिणीके सदस्योंके साथ - १ (२५-१०-१९३९)	३२९
३४३. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२६-१०-१९३९)	३३१
३४४. पत्र : बी० जी० खेरको (२६-१०-१९३९)	३३२
३४५ पत्र . कुँवरजी खेतसी पारखको (२६-१०-१९३९)	३३२
३४६. पत्र दिग्विजयसिंहको (२६-१०-१९३९)	३३३
३४७ चर्चा : गांधी सेवा संघकी कार्यकारिणीके सदस्योंके साथ - २ (२६-१०-१९३९)	३३३
३४८. पत्र वालजी गो० देसाईको (२७-१०-१९३९)	३३६
३४९. पत्र . पृथ्वीसिंहको (२७-१०-१९३९)	३३६
३५०. वक्तव्य . समाचारपत्रोंको (२७-१०-१९३९)	३३७
३५१ तार 'न्यूज क्रॉनिकल'को (२८-१०-१९३९ के पूर्व)	३३९
३५२. टिप्पणियाँ ठक्कर बापा और भारत सेवक मण्डल (२८-१०-१९३९)	३४०
३५३. सन्देश बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन, पूनाको (२८-१०-१९३९)	३४२
३५४ पत्र : पुरातन जे० बुचको (२८-१०-१९३९)	३४२

बट्टाईस

३५५. पत्र : मुन्नालाल गं० शाहको (२८-१०-१९३९)	३४३
३५६. पत्र : कृष्णचन्द्रको (२८-१०-१९३९)	३४३
३५७. पत्र : हरिभाऊ ज्ञाघ्यायको (२८-१०-१९३९)	३४४
३५८. पत्र : अमृतकौरको (२९-१०-१९३९)	३४५
३५९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२९-१०-१९३९)	३४६
३६०. पत्र : प्रेमावहन कंटकको (३०-१०-१९३९ के पूर्व)	३४६
३६१. विना शर्त सहायता (३०-१०-१९३९)	३४७
३६२. मेरा जीवन (३०-१०-१९३९)	३४८
३६३. अगला कदम (३०-१०-१९३९)	३५२
३६४. अच्छा भी और बुरा भी (३०-१०-१९३९)	३५४
३६५. टिप्पणियाँ : हिन्दू-मुस्लिम एकता (३०-१०-१९३९)	३५६
३६६. पत्र : अमृतकौरको (३०-१०-१९३९)	३५७
३६७. पत्र : च० राजगोपालाचारीको (३०-१०-१९३९)	३५७
३६८. पत्र : कनु गांधीको (३०-१०-१९३९)	३५८
३६९. पत्र : कंचनबहन मु० शाहको (३०-१०-१९३९)	३५८
३७०. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको (३०-१०-१९३९)	३५९
३७१. कांग्रेसजन (३१-१०-१९३९)	३५९
३७२. पत्र : अमृतकौरको (३१-१०-१९३९)	३६१
३७३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (३१-१०-१९३९)	३६१
३७४. तार : सम्पूर्णानन्दको (अक्टूबर, १९३९)	३६२
३७५. पत्र : सिकन्दर ह्यात खाँको (१-११-१९३९)	३६२
३७६. एच० एच० कुंराको लिखे पत्रका अंश (१-११-१९३९)	३६३
३७७. चीनी बच्चोंको लिखे पत्रका अंश (१-११-१९३९)	३६३
३७८. तान युन-शानको लिखे पत्रका अंश (१-११-१९३९)	३६३
३७९. तार : अमृतकौरको (१-११-१९३९)	३६४
३८०. भाषण : हरिजन-निवास, नयी दिल्लीमें (२-११-१९३९)	३६४
३८१. भेंट : 'मैचेस्टर गार्जियन' के सम्बन्धिताको (४-११-१९३९)	३६५
३८२. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (४-११-१९३९)	३६६
३८३. भेंट : समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंको (५-११-१९३९)	३६६
३८४. फिर त्रावणकोर (६-११-१९३९)	३६७
३८५. पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको (६-११-१९३९)	३६९
३८६. पत्र : गुलाम रसूल कुरैशीको (६-११-१९३९)	३६९
३८७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (६-११-१९३९)	३७०
३८८. मतभेद होते ही हैं (७-११-१९३९)	३७१

उनतीस

३८९. पत्र : शम्भुशंकर त्रिवेदीको (७-११-१९३९)	३७५
३९०. तार : पालितानाके शासकको (७-११-१९३९ के पश्चात्)	३७५
३९१. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (८-११-१९३९)	३७६
३९२. तार : एस० सत्यमूर्तिको (९-११-१९३९ या उसके पूर्व)	३७८
३९३. पत्र : अमृतकौरको (११-११-१९३९)	३७८
३९४. पत्र : प्रभावतीको (११-११-१९३९)	३७९
३९५. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको (११-११-१९३९)	३७९
३९६. पत्र : अमृतकौरको (१२-११-१९३९)	३८०
३९७. पत्र : ईश्वरखरणको (१२-११-१९३९)	३८०
३९८. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (१२-११-१९३९)	३८१
३९९. क्या कांग्रेस हिन्दुओंकी संस्था है? (१३-११-१९३९)	३८१
४००. अनावश्यक भय (१३-११-१९३९)	३८३
४०१. तार : अमृतकौरको (१३-११-१९३९)	३८४
४०२. राजनीति बनाम नैतिकता (१४-११-१९३९)	३८५
४०३. टिप्पणियाँ : पंच-निर्णय या सरकारी निर्णय? (१४-११-१९३९)	३८७
४०४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१४-११-१९३९)	३८८
४०५. तार : 'न्यूज ऑनिकल' को (१४-११-१९३९)	३८९
४०६. पत्र : अमृतकौरको (१४-११-१९३९)	३९१
४०७. पत्र : गोविन्द वी० गुरजलेको (१५-११-१९३९)	३९१
४०८. पत्र : जानकीदेवी वजाजको (१५-११-१९३९)	३९२
४०९. तार : अमृतकौरको (१६-११-१९३९)	३९२
४१०. पत्र : अमृतकौरको (१६-११-१९३९)	३९३
४११. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको (१६-११-१९३९)	३९४
४१२. पत्र : विजयावहन एम० पंचोलीको (१६-११-१९३९)	३९४
४१३. पत्र : दिलखुशा वी० बीवानजीको (१६-११-१९३९)	३९५
४१४. पत्र : कचनबहन मु० शाहको (१६-११-१९३९)	३९५
४१५. पत्र : अमृतकौरको (१६-११-१९३९)	३९६
४१६. नोट : एक साथी कार्यकर्ताको (१७-११-१९३९ या उसके पूर्व)	३९६
४१७. एक पत्र (१७-११-१९३९)	४०१
४१८. पत्र : मनुबहन सु० मखरुवालाको (१७-११-१९३९)	४०१
४१९. पत्र : जयसुखलाल गावीको (१७-११-१९३९)	४०२
४२०. पत्र : भाणेकलाल और राधा कोठारीको (१७-११-१९३९)	४०३
४२१. पत्र : शारदाबहन गो० चौखावालाको (१७-११-१९३९)	४०३
४२२. मुहम्मद यूनूसको लिखे पत्रका अंश (१८-११-१९३९)	४०४

तीस

४२३. पत्र : पी० कोदण्डरावको (१८-११-१९३९)	४०४
४२४. पत्र : अमृतकौरको (१८-११-१९३९)	४०५
४२५. पत्र : जयकृष्ण प्र० भणसालीको (१८-११-१९३९)	४०५
४२६. पत्र : कृष्णचन्द्रको (१८-११-१९३९)	४०६
४२७. पत्र : डाह्याभाई म० पटेलको (१८-११-१९३९)	४०६
४२८. एक ही रास्ता (१९-११-१९३९)	४०७
४२९. भाषण : कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबादमें (१९-११-१९३९)	४१०
४३०. राजकोट सुधार (२०-११-१९३९)	४११
४३१. टिप्पणियाँ : कमला नेहरू स्मारक; फिर याद दिला दूँ; एक अच्छा सुझाव (२०-११-१९३९)	४१३
४३२. पत्र . शमशेरसिंहको (२०-११-१९३९)	४१५
४३३. कांग्रेस कार्य-समितिका प्रस्ताव (२२-११-१९३९)	४१६
४३४. प्रमाणपत्र : मुन्नीलालको (२३-११-१९३९)	४१९
४३५. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको (२३-११-१९३९)	४१९
४३६. बातचीत : संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारिणीके सदस्योंके साथ (२३-११-१९३९)	४२०
४३७. पत्र : बारीन घोषको (२४-११-१९३९)	४२४
४३८. मंसूरके लोगोको लिखे पत्रका अंश (२४-११-१९३९)	४२४
४३९. पत्र . सरस्वती गांधीको (२५-११-१९३९)	४२५
४४०. पत्र : मदनमोहन मालवीयको (२५-११-१९३९)	४२५
४४१. पत्र : अमृतकौरको (२६-११-१९३९)	४२६
४४२. पत्र : त्र्यम्बकलाल पोपटलालको (२६-११-१९३९)	४२७
४४३. स्त्रियोंके हाथों स्वराज (२७-११-१९३९)	४२७
४४४. टिप्पणियाँ : हिन्दू महासभा क्यों नहीं?; फिर साम्प्रदायिक निर्णय, धरना शान्तिपूर्ण कब होता है? (२७-११-१९३९)	४२९
४४५. सन्देश : ठक्कर बापा जयन्ती समारोहके अवसरपर (२७-११-१९३९)	४३२
४४६. दुःखकी बात (२८-११-१९३९)	४३२
४४७. चक्करमें डालनेवाली स्थिति (२८-११-१९३९)	४३६
४४८. सिन्धमें ढंगे (२८-११-१९३९)	४३९
४४९. पत्र : अमृतकौरको (२८-११-१९३९)	४४०
४५०. पत्र : अमृतकौरको (२९-११-१९३९)	४४१
४५१. पत्र : भारतन् कुमारप्पाको (२९-११-१९३९)	४४१
४५२. पत्र : अमृतकौरको (३०-११-१९३९)	४४२

इकतीस

परिशिष्ट :

१. सिकन्दर ह्यात लॉका पत्र	४४३
२. हरिजन-सेवक सम्मेलनके प्रस्ताव	४४६
३. लॉर्ड लिनलिथगोका पत्र	४४९
४. काठियावाड़की रियासतें	४५०
५. कांग्रेस-अध्यक्षके नाम सुभाषचन्द्र बोसका पत्र	४५२
६. कांग्रेस-अध्यक्षकी घोषणा	४५५
७. कांग्रेस-अध्यक्षका सुभाषचन्द्र बोसको पत्र	४५६
८. कांग्रेस कार्य-समितिका प्रस्ताव	४५६
९. यादवेन्द्रसिंहका पत्र	४५८
१०. कार्य-समितिका घोषणा-पत्र	४६०
११. अ० भा० का० कमेटीका प्रस्ताव	४६५
१२. वाइसरायकी घोषणा	४६६
१३. कांग्रेस कार्य-समितिका प्रस्ताव	४७२
१४. सर सैम्युअल होरका भाषण	४७४
१५. त्रावणकोर सरकारकी प्रेस-विज्ञप्ति	४८०
१६. वाइसरायकी रेडियोपर प्रसारित घोषणा	४८१
१७. नेताओंके साथ हुए पत्र-व्यवहारके प्रकाशनपर वाइसरायकी प्रस्तावित टिप्पणियाँ	४८३
१८. लॉर्ड जेटलैण्डका वक्तव्य	४८५
१९. वाइसरायको कांग्रेस-अध्यक्षका पत्र	४८८
सामग्रीके साधन-सूत्र	४९१
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त	४९३
शीर्षक-साकेतिका	४९९
साकेतिका	५०५

१. तार : राजेन्द्रप्रसादको

एबटाबाद
१६ जुलाई, १९३९

राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद
रांची

मेरा वक्तव्य देखिए। हमें साफ-साफ कहना चाहिए कि जेलसे रिहाईके लिए उपवास करना बिलकुल अनुचित है। इस मसलेपर गम्भीरतासे विचार करने की जरूरत है। यदि मेरी राय स्वीकार्य हो तो पत्र-लेखकको तदनुसार सलाह दीजिए।

बापू

मूल अंग्रेजीसे : राजेन्द्रप्रसाद पेपर्स, सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

२. पत्र : चिमनलाल न० शाहको

एबटाबाद
१६ जुलाई, १९३९

चि० चिमनलाल,

तुम्हारा पत्र और भाई सुखामाईके खर्चका तखमीना मिला। १,६४५ रुपये पूंजी लगाने पर फिलहाल तो मैं कोई मुनाफा नहीं देखता। कितनी खादीका उत्पादन सम्भव है, यह बात भी इसमें नहीं बताई गई है। तथापि उसे एक वर्षतक तो कोशिश करने दें। यह खर्च आश्रम-खर्चमें समझना चाहिए। महादेवसे हुण्डी ले लेना।

१. यह राजेन्द्रप्रसादके तारके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें लिखा था: "... बंगालके नब्बे भूल-बड़ताली राजनीतिक कैदियोंने मुझसे कांग्रेस-अध्यक्षके नाते सहायताके लिए अपील की है। लोगोंमें उनक लिए बहुत सहानुभूतिकी भावना है। कोई कारणर उपाय दिखाई नहीं देना। कृपया सलाह दीजिए।"

२. १५ जुलाईका; देखिए खण्ड ६९, पृ० ४८२-८३ और "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", पृ० १३ भी।

३. ये राजनीतिक कैदी सुभाषचन्द्र बोसकी अपीलपर ३ अगस्तको अपना उपवास २ माहके लिए स्थगित करने को राजी हो गये थे। देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", ६-८-१९३९।

४. चरखा संवके सुखामाळ चौधरी

जिस व्यक्तिकी टाँग कट गई थी, उम्मीद है, वह अच्छा हो गया होगा। पारनेरकर^१ हमेशा बीमार क्यों पड़ता रहता है? लगता है उसने शरीर स्वस्थ रखने की कला हस्तगत नहीं की है।

वहाँ बरसात कितनी हुई है? सड़ककी क्या स्थिति है। क्या वह कामचलाऊ पुल बन गया? कुएँका पानी अभी निर्मल नहीं हुआ है, यह विचारणीय बात है। शारदाके^२ पत्र तो आते होंगे? लीलावती^३ लिखती है क्या? भणसालीपर^४ क्या लहसुनका अच्छा-बुरा असर नहीं होता?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०६००)से।

३. तार : राजारामको

एनटावाद

१७ जुलाई, १९३९

राजाराम राजासाहब^५

तंजौर

हरिजनोके लिए बड़े मन्दिरका द्वार खोले जाने पर बधाई।^६

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. पञ्चवन्त महादेव पारनेरकर
२. चिमनलाल शाहकी पुत्री, शारदानहन गो० नोखावाला
३. लीलावती आसर
४. जयकृष्ण पी० भणसाली
५. “राज-परिवारके एक वरिष्ठ सदस्य एवं तंजौर राजमवन देवस्थानोके आनुवंशिक न्यासी”;
देखिए “टिप्पणियाँ” का उपशीर्षक “और भी मन्दिर खुले”, पृ० ४०।
६. १६ जुलाई, १९३९ को तंजौरके बृहदीश्वर मन्दिरका द्वार हरिजनोंके लिए खोल दिया गया था।

४. तार : नटेश अय्यरको

एवटावाद

१७ जुलाई, १९३९

नटेश अय्यर
वर्णाश्रम संघ
मदुरा

मन्त्री रामनाथन् आपके आरोपोका' स्पष्ट शब्दोंमें खण्डन करते हैं और कहते हैं हरिजनो-सहित सभी वर्गोंके लोग मन्दिरमें जाते हैं।

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

५. तार : कराची जिला कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको

एवटावाद

१७ जुलाई, १९३९

अध्यक्ष
कांग्रेस कमेटी
कराची

नशाबन्दी कार्यक्रमकी सफलताकी कामना करता हूँ। आशा है कि घटना विशुद्ध रूपसे शिक्षात्मक और शान्तिपूर्ण होगा।

अग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए खण्ड ६९, पृ० ४८३।

२. कराची जिला कांग्रेस कमेटीने सिन्ध सरकारको नशाबन्दी लागू करने के लिए प्रेरित करने के उद्देशसे सभाओंका आयोजन करके अपना नशाबन्दी-अभियान शुरू किया था।

६. तार : पत्तम ताणु पिल्लैको

एवटावाद

१७ जुलाई, १९३९

ताणु पिल्लै
राज्य-कांग्रेस
त्रिवेन्द्रम

तुम्हारा जवाब बिलकुल सही है।^१

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सीजन्य : प्यारेलाल

७. पत्र : सिकन्दर हयात खाँको

एवटावाद

१७ जुलाई, १९३९

प्रिय सर सिकन्दर,

आपके इसी १२ तारीखके पत्रके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हरिजनोके लिए पृथक् निर्वाचक-मण्डलके बारेमें मेरे प्रश्नका^१ उत्तर देना आप भूल गये हैं।

आपकी योजनाको और हिन्दू-मुस्लिम एकता-सम्बन्धी मेरे मसौदेपर^२ आपने जो विचार व्यक्त किये हैं, उन्हें अब मैं ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ।

मेरे लिए यह योजना इतनी जटिल है कि मैं इसके बारेमें कोई राय कायम नहीं कर सकता। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत सरकार अधिनियमका मैंने ऐसा अध्ययन नहीं किया है जिससे, स्पष्ट ही, उसके संघीय ढाँचेवाले हिस्सेका स्थान लेने की दृष्टिसे तैयार की गई आपकी इस योजनाका सही मूल्यांकन कर सकूँ।

मैं देखता हूँ कि आप प्रान्तीय और संघीय विधान-मण्डलोंके बीच क्षेत्रीय विधान-मण्डलोंकी व्यवस्था करने का विचार रखते हैं। मेरी दृष्टिमें तो भारत सरकार

१. त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसके अध्यक्ष पत्तम ताणु पिल्लैने त्रावणकोर-सरयाद्वहके विषयमें गांधीजीके साथ बातचीत की थी; देखिए खण्ड ६९, पृ० ३४३-४४।

२. गांधीजी द्वारा पूछे गये इस और अन्य प्रश्नोंके उत्तर सिकन्दर हयात खाँने अपने २० जुलाईके पत्रमें दिये थे; देखिए परिशिष्ट १।

३. कांग्रेस कार्य-समितिके वारडोलीमें हुई अपनी ११ जनवरीकी बैठकमें अल्पसंख्यक समरघासे सम्बन्धित गांधीजीके नये मसौदेपर विचार किया था।

अधिनियमकी योजना ही बहुत ज्यादा व्ययसाध्य और जटिल है। आपकी योजना तो सच और जटिलतामें और इजाफा करती जान पड़ती है।

फिर, आप यह कहते हैं कि आपकी योजनामें जिस प्रसंग-विशेषका उल्लेख किया गया है वह जबतक उपस्थित नहीं होता तबतक सेनाके गठनमें कोई रद्दोबदल नहीं की जानी चाहिए। जहाँतक अहिंसामें पूर्ण विश्वास रखनेवाले मुझ-जैसे व्यक्तिका ताल्लुक है, मैं तो सेनाको बिल्कुल भंग कर देना चाहूँगा। सेना और अहिंसा परस्पर मेल नहीं खाती। लेकिन मैं जानता हूँ और मुझे इस बातका दुख है कि अहिंसाके बारेमें मेरा जैसा कट्टर विचार है उसमें कोई मेरे साथ नहीं है। जो लोग देशके स्वतन्त्र होने के बाद भी सेनाको बनाये रखने में विश्वास करते हैं, वे किस हदतक आपके सुझावको स्वीकार करेंगे, सो मैं नहीं कह सकता।

इसके अतिरिक्त आपने औपनिवेशिक स्वराज्यका प्रतिपादन एक स्वीकृत तथ्यके रूपमें किया है। कांग्रेसियोंके लिए यह एक कड़वा घूँट है।

लेकिन मैं देखता हूँ कि आपका साम्प्रदायिक समस्याका समाधान आपकी यह योजना ही है, जिसमें सेना-सम्बन्धी प्रस्ताव भी शामिल है। लीगकी ओरसे पेश किये गये प्रस्तावोंमें केवल आपका प्रस्ताव ही रचनात्मक है। इसे तैयार करने में आपने जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि आपने पूरी योजनाको प्रकाशित करने का निश्चय किया है।^१ आपने मुझे अपना विश्वासभाजन बनाया और इस योजनाके बारेमें मेरी राय पूछी है, इसके लिए आपको धन्यवाद।

और जहाँतक समाधान-सम्बन्धी मेरे मसौदेका सवाल है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वह किसी भी अर्थमें कार्य-समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन इस प्रश्नपर आज भी मेरे विचार वही हैं जो मैंने उसमें व्यक्त किये हैं। आपने उसकी जो आलोचना की है, मैं उसकी कद्र करता हूँ। और यदि वह कभी हमारी कठिनाइयोंको सुलझाने का आधार बन सका तो मुझे आपके बहुत-से सुझाव स्वीकार कर लेने होंगे।

सरकारी नौकरियोंमें अल्पसंख्यकोंके प्रतिनिधित्वके सम्बन्धमें आपने जो समाधान रखा है, वह कठिनाई पैदा करनेवाला है। अल्पसंख्यक क्या हैं? उनकी क्या कोई अन्तिम सूची है? इसलिए सरकारी सेवाओंमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी बातको लेकर मैं बहुत चिन्तित हूँ। यदि हम सरकारी सेवाओंके सन्दर्भमें अल्पसंख्यकोंके प्रश्नको बहुत ज्यादा महत्त्व देंगे तो इससे न केवल कार्य-कुशलता खतरेमें पड़ जायेगी बल्कि देशके प्रशासनकी शुद्धता और निष्पक्षतापर भी सकट आ जायेगा। लेकिन मैं आपके इस सुझावका हृदयसे अनुमोदन करता हूँ कि राष्ट्रके पिछड़े सदस्योंको उन्नत लोगोंके समकक्ष बनाया जाना चाहिए।

आपकी आलोचनासे उत्पन्न अन्य मुद्दोंकी चर्चा मैं इस पत्रमें नहीं करना चाहता। यदि हम सब इस सक्ल्पके साथ मिल-बैठने का निश्चय कर लेंगे कि हम

किसी-न-किसी निर्णयपर पहुँचे बिना अलग नहीं होंगे तो इन समस्याओंका समाधान बहुत सरल है।

हृदयसे आपका,

सर सिकन्दर हयातखाँ
मुख्य मन्त्री
लाहौर

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पत्र, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

८. पत्र : अमृतकौरको

एवटावाद

१७ जुलाई, १९३९

प्रिय पगली,

वेशक, तुम सर कैलाशकी^१ अतिथि बनकर कश्मीर आ सकती हो, क्योंकि मैं भी उन्हींका अतिथि बनूँगा। इसलिए स्वाभाविक है कि तुम मेरे साथ ही ठहरोगी। इसमें अटपटी लगनेवाली बात तो यह होगी कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर भटकता फिरे। तुम्हें यह शब्द याद रहा, इससे दिखता है कि इस मामलेमें तुम मुझसे सहमत नहीं हो।

आज मुझे सर कैलाशका पत्र मिला है। वह साथमें भेज रहा हूँ। तुम देखोगी कि उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया है। हम २५ तारीखको कश्मीरके लिए रवाना होंगे और वहाँ ज्यादासे-ज्यादा एक हफ्ता रहेंगे।^२ मेरा खयाल है कि तुम रास्तेमें हमारे साथ हो लोगी, बशर्ते कि तुम हमसे पहले ही पहुँचकर हमारी अगवानी करने के लिए वहाँ मुस्तैद न रहो। मैं अभी तुरन्त सर कैलाशको तार भेज रहा हूँ।

मुझे उम्मीद है कि तुम सांगलीका कार्यक्रम^३ रद्द कर दोगी।

हाँ, हम श्रीमती परमानन्दके अतिथि हैं अथवा यो कहें कि वे और हम एक ही छतके तले रह रहे हैं।

मैं नहीं चाहता कि तुम दातारसिंहसे बलवन्तसिंहके अनुभवका जिक्र करो, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा। मुझे यकीन है कि अब सब-कुछ ठीक हो गया है। ऐसी बातोंकी चर्चा करना कृतघ्नता होगी। मेरे मनमें तो इस बातका खयाल भी

१. कैलाश नारायण हत्तर, जम्मू और कश्मीरके महाराजाके निजी सलाहकार

२. लेकिन यह यात्रा रद्द कर दी गई थी; देखिए : पृ० १५।

३. वहाँ २९ जुलाईको अखिल भारतीय महिला सम्मेलन होनेवाला था

न आया होता। मन्मथ है दातारसिहने वह मकान देखा भी न हो जिसमें ब्रह्मवन्तसिंहको ठहराया गया था।

स्नेह।

तानाशाह

संलग्न १

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३०) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२३९ से भी

९. पत्र : मीराबहनको

१७ जुलाई, १९३९

चि० मीरा,

ममात्रारोमे भरी हुई तुम्हारी पुस्तिका^१ मिली। निस्सन्देह विहारी लोग प्यारे होने हैं। यदि तुम अपना स्वास्थ्य ठीक रखोगी तो मैं तुम्हें उनसे अलग नहीं कहूँगा। स्वस्थ न रहने पर अपनेको इस भुलावेमें मत रखो कि तुम स्वस्थ हो। अपना ध्यान रखो और जो काम सामने आ जाये, उसे करो।

जन्दबाजोमें राय मत कायम करो। तुम पर्याप्त आँकड़ोंके बिना ही निष्कर्ष पर पहुँच जाती हो।

हम कम्मीरके लिए २५ तारीखको खाना होंगे और वहाँ ज्यादासे-ज्यादा सात दिन ठहरेंगे

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४४७) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० १००४२ से भी

१. बापू लेटर्स टु मीराने मीराबहन लिखी है कि यह संकेत उनके "छन्दे पत्र" की ओर था।

१०. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

एवटावाद

१७ जुलाई, १९३९

चि० बबुड़ी,

तुझे क्या लिखूँ? क्या मुझसे दूर रहकर तू अपनी तबीयत ठीक नहीं रखने-वाली है? इसलिए क्या मुझे तुम दोनोंको साथ रखना चाहिए अथवा तुझे तलाक ले लेना चाहिए? इस तरह बीमार पड़ते रहने से काम नहीं चलेगा। आहारमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया है न? - -

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००१४) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला

११. तार : राजेन्द्रप्रसादको

एवटावाद

१८ जुलाई, १९३९

राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद

रांची

यदि बैठक^१ वर्षामें नहीं हुई तो पटना अथवा इलाहाबादमें से जहाँ ठीक लगे, की जा सकती है। मैं पच्चीस तारीखको कश्मीर जा रहा हूँ। वहाँ एक हफ्ता ठहरने के बाद, मेरी जहाँ भी जरूरत हुई, वहाँ लौट आऊँगा।

बापू

मूल अंग्रेजीसे : राजेन्द्रप्रसाद पेंपर्स; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक, जो ९ से १२ अगस्तक वर्षामें हुई थी।

१२. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको

एबटाबाद

१८ जुलाई, १९३९

चि० अमृतलाल,

तुम्हारे वर्ष पवन-वेगसे उड़ते जा रहे हैं। तुम्हें ३४ वीं वर्ष लगा है, मैं यह सोच भी नहीं सकता। मुझे तो लगता है, जैसा मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, अब भी वैसे ही हो। यह भी अच्छा ही है। हमेशा जवान बने रहो और सेवा करते रहो। चन्दनकी^१ तवीयतमें भले ही धीरे-धीरे सुधार हो, अन्तत उसे विलकुल ठीक हो जाना चाहिए। विजयाको^२ मुझे मविस्तार लिखना चाहिए। क्या उसे बीमारीकी वजहसे आना पडा अथवा किसी और कारणसे ?

काका साहबकी निराशा मेरी समझमें नहीं आई।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

हम २५ तारीखको कश्मीर जायेंगे। वहाँ ज्यादासे-ज्यादा सात दिन बिताकर वापस आयेंगे। वहाँसे कहाँ जाना होगा, यह निश्चित नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७९०)से।^३

१३. पत्र : अमतुस्सलामको

१८ जुलाई, १९३९

चि० अ० स०,

तेरा खत सारा-का-सारा पढ गया हूँ। मैं क्या करूँ, अगर तुझे डाक न मिले तो। आजकल तो हमेशा खत जाते हैं। जो काम करनेवाले मिले उनके लिए ह० आ०^१में जगह निकालना मुश्किल है। लाल बगलाका^२ क्या ? नजदीकमें

१. समीश द० कालेकरकी पत्नी

२. विजयावहन प्रम० पंचोली

३. हरिजन आश्रम

४. हरिजन आश्रम, सावरमतीके निकट स्थित डॉ० प्राणजीवनदास मेहता का बंगला

दूसरे मकान भी तो है। वह काम हो जावे तो मकान भी बन सकते हैं। लेकिन तू बीमार पड़ा करेगी तो क्या हो सकता है? बीमारी का कारण तू ही है। बा-मजेमें है।

बापुके आशीर्वाद

श्री अमतुलसलामवहन^१
हरिजन आश्रम^२
सावरमती^३

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२५) से।

१४. दोषी नहीं

कांग्रेसके सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्तावपर^४ इस समय जो विवाद चल रहा है, उसके बारेमें डॉ० लोहियाने मुझे एक लम्बा और युक्तियुक्त पत्र भेजा है। उसका एक अंश ऐसा है, जिसपर सार्वजनिक रूपसे विचार करने की आवश्यकता है। वह यह है :

सत्याग्रहका सिद्धान्त आपके खास कार्यक्रमके दायरेसे जरा भी बाहर जाकर लागू किया जाये, यह आपको स्वीकार नहीं है। क्या यह सम्भव नहीं है कि सत्याग्रहको सर्वव्यापी बना दिया जाये, उसे आपके कार्यक्रमके अलावा अन्य कार्यक्रमोंकी आधार-शिला बना दिया जाये? शायद यह सम्भव नहीं है। लेकिन आपके खिलाफ मेरी दलील यह है कि आपने ऐसे किसी प्रयोगकी अनुमति नहीं दी है, उसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। लोग छुद आपके मन्त्रिमण्डलीय कार्रवाई और रचनात्मक प्रवृत्तियोंके कार्यक्रमको आज पूर्णतः पर्याप्त नहीं मानते; इसलिए वे किसानोंकी हलचल-जैसे कार्यक्रमोंको आजमा रहे हैं। इन नये कार्यक्रमोंके अन्तर्गत ऐसे समय भी स्थानीय और छिट-पुट संघर्ष चलाये जा सकते हैं जब देशमें सामान्य रूपसे सत्याग्रह न चल रहा हो। सामान्य रूपमें सत्याग्रह शुरू करने का कोई सूत्र जबतक आपको न मिल जाये, तबतक क्या आप इन छोटे सत्याग्रहोंको रोक रखेंगे? ऐसा करने से उस अराजकताके फैलने का डर है जो दमनसे उत्पन्न होती है। अहिंसात्मक सामूहिक-कार्रवाई समस्त इतिहास-कालमें मानव-जातिको प्राप्त अत्यन्त विरल और मूल्यवान उपहारोंमें से है, मगर शायद हम उसकी हिफाजत करने और उसे जारी रखने का तरीका जान ही न पायें।

१ और २ नूलमें ये शुक्रातीमें हैं।

३. नूलमें यह अश्रेणी में है।

४. देखिए खण्ड ६९, पृ० ४००।

मैंने अपने खास कार्यक्रमके दायरेसे बाहर जाकर सत्याग्रहका सिद्धान्त लागू किये जाने पर कोई रोक तो नहीं ही लगाई है, उल्टे लोगोको ऐसे नये कार्यक्रम पेज करने को आमन्त्रित किया है। लेकिन अभीतक मुझे किसी नये कार्यक्रमके एक भी उदाहरणकी जानकारी नहीं मिली है। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि मेरे कार्यक्रमसे हटकर कोई और कार्यक्रम नहीं हो सकता या मेरे कार्यक्रममें कोई नई बात नहीं जोड़ी जा सकती। मैंने यह जरूर कहा है, और उसे फिर दुहराना चाहूंगा कि मैं किसी ऐसे कार्यक्रमको अपना आशीर्वाद या प्रोत्साहन नहीं दे सकता जो मुझे नहीं जँचता। मेरा दावा है कि मेरा कार्यक्रम सत्याग्रहकी मेरी कल्पनासे उद्भूत हुआ है। इसलिए सम्भावना यही है कि अगर सत्याग्रहकी अभिवृद्धि करनेवाली कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति प्रकट हुई तो वह मेरी निगाहसे चूकेगी नहीं।

मेरा कार्यक्रम सामान्य रूपसे कांग्रेसके प्रबुद्ध वर्गके गले नहीं उतरता है, इसका मुझे दुःख भान है। यह मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि कांग्रेसजनोकी उदासीनताका कारण यह नहीं है कि उस कार्यक्रममें कुदरतन कोई खराबी है, बल्कि दरअसल बात यह है कि अहिंसामें उनका जीवन्त विश्वास नहीं है। भला इससे अधिक स्पष्ट और क्या हो सकता है कि हममें पूर्ण साम्प्रदायिक एकता हो, अस्पृश्यता दूर हो जाये, शराबकी दुकानें बन्द करके शराबसे हानेवाली आमदनीसे हाथ धो लिया जाये और मिलके कपड़ेकी जगह खादी ले ले? मेरा तो कहना है कि यदि हिन्दू, मुसलमान और अन्य समुदाय अपने आपसके अविश्वासको दूर करके सगे भाइयोकी तरह नहीं रहेंगे, अगर हिन्दू अस्पृश्यताके अभिशापको मिटाकर अपनेको शुद्ध नहीं करेंगे और इस प्रकार उन लोगोके साथ निकट सम्पर्क स्थापित नहीं करेंगे, जिन्हे सदियोंसे उन्होंने समाजसे बहिष्कृत कर रखा है, यदि भारतके धनी स्त्री-पुरुष शराब तथा अन्य नशीली चीजोकी दुकाने बन्द करवाकर इन चीजोके शिकार बने बेचारे गरीबोके सामनेमे इन प्रलोभनोको हटाने के निमित्त अपने सिर करोका अतिरिक्त वान नहीं लेंगे, और अन्तमें, लाखो अबभूखोके साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए अगर हम सब मिलके कपड़ोके शौकको छोडकर भारतकी शोपड़ियोमें लाखो हाथोसे बननेवाली खादीका नहीं अपनायेंगे तो अहिंसक स्वराज्य असम्भव है। रचनात्मक कार्यक्रमके खिलाफ जो-कुछ लिखा गया है, उसमें उसके वास्तविक गुण या अहिंसात्मक स्वराज्यकी दृष्टिसे उसके महत्त्वके खिलाफ जँचनेवाली एक भी दलील मुझे नहीं मिली है। मैं तो यहाँतक कहने का साहस करता हूँ कि अगर सभी कांग्रेसजन अपनी पूरी शक्ति इस रचनात्मक कार्यक्रमपर केन्द्रित कर दें, तो देश-भरमें अहिंसा का वह वातावरण देखते-देखते तैयार हो जायेगा जिसकी सौ फीसदी सत्याग्रहके लिए आवश्यकता है।

अब हम डॉ० लोहिया द्वारा उल्लिखित किसानोकी हलचलको ही सम्भावित नये कार्यक्रमके उदाहरणके रूपमें रखकर विचार करे। मुझे खेदपूर्वक यह कहना पडता है कि अधिकांश मामलोमें किसानोको अहिंसात्मक कार्रवाईकी शिक्षा नहीं दी जा रही है। उन्हें तो लगातार उत्तेजनाकी हालतमें रखा जा रहा है और उनमें

ऐसी आशाएँ पैदा की जा रही हैं जो हिंसात्मक संघर्षके बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। यही बात मजदूरोंके बारेमें कही जाये तो अनुचित न होगा। मेरा अपना अनुभव तो मुझे यही बतलाता है कि मजदूरों और किसानों, दोनोंको प्रभावकारी अहिंसात्मक कार्यवाहीके लिए संगठित किया जा सकता है, बशर्ते कि कांग्रेसजन ईमानदारीसे इसके लिए प्रयत्न करे। लेकिन अगर अहिंसात्मक कार्यवाहीके अन्ततः सफल होने में उनका विश्वास न हो, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए जो-कुछ जरूरी है वह यही कि मजदूरों और किसानोंको इसकी उपयुक्त शिक्षा दी जाये। यह बतलाने की जरूरत है कि अगर वे उपयुक्त रूपसे संगठित हो, तो उन्हें समझाना चाहिए कि पूंजीपतियोंके पास अपनी पूंजीकी बढ़ोतरी जितनी सम्पत्ति और साधन-सामग्री है, अपने परिश्रमकी रू से मजदूरोंके पास उससे ज्यादा सम्पत्ति और साधन-सामग्री है। फर्क सिर्फ इतना है कि पूंजीपतियोंका रुपयेके बाजारपर नियन्त्रण है, जब कि मजदूरोंका श्रमके बाजारपर नियन्त्रण नहीं है, हालाँकि मजदूरोंके चुने हुए नेताओंने अगर उनकी ठीक सेवा की होती, तो उन्हें उस अदम्य शक्तिका अच्छी तरह भान हो गया होता जो अहिंसाकी उपयुक्त शिक्षा मिलने पर प्राप्त होती है। लेकिन इसके बजाय मजदूरोंको अपनी मांगे पूरी कराने के लिए जोर-दबावके उपायों का सहारा लेना सिखाया जा रहा है। जिस तरहकी शिक्षा आज आम तौरपर मजदूरोंको मिल रही है उससे वे अज्ञानी ही बने रहते हैं और शक्तिके अन्तिम साधन के रूपमें हिंसापर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार किसानों या मजदूरोंकी वर्तमान हलचलको सत्याग्रहकी तैयारीके लिए नया कार्यक्रम मानना मेरे लिए सम्भव नहीं।

सच तो यह है कि अपने आसपास मैं जो-कुछ देख रहा हूँ वह अहिंसात्मक लड़ाईकी नहीं, बल्कि हिंसात्मक विस्फोटकी ही तैयारी है, चाहे वह विस्फोट जितने अनजाने और बिना इरादेके हो जाये। इसे अगर मेरे पिछले बीस वर्षोंके प्रयत्नका फल बतलाकर मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाये, तो मुझे अपना दोष स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट न होनी चाहिए। क्या मैं स्वयं इन पृष्ठोंमें पहले भी यह बात नहीं कह चुका हूँ? लेकिन मेरी दोष-स्वीकृतिसे तबतक कोई लाभ न होगा जबतक कि उसके फलस्वरूप हम अपने कदम वापस न ले ले, जो गलती हम कर चुके हैं उसे दुस्त न कर ले। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्ण स्वाधीनताकी प्राप्ति के एकमात्र साधनके रूपमें हम बुद्धिपूर्वक अहिंसात्मक उपायों ही विश्वास रखें। जब हमारे अन्दर ऐसा विश्वास आ जायेगा तब कांग्रेसका सारा आन्तरिक कलह मिट जायेगा, सत्ताके लिए गहिल आपाधापी नहीं होगी और आपसमें एक-दूसरेपर कीचड़ उछालने के बजाय पारस्परिक सहायताका वातावरण पैदा होगा। लेकिन यह हो सकता है कि कांग्रेसजन यह मानने लगे हो कि मेरी व्याख्यावाली अहिंसा अब निकम्मी हो गई है, या उसको प्राप्त करना सम्भव नहीं है। उस हालतमें कांग्रेस-जनोके सब गुटोंका एक औपचारिक या अनौपचारिक सम्मेलन, अथवा कांग्रेस महा-समितिकी विशेष बैठक हो, और उसमें इस बातपर विचार किया जाये कि क्या ऐसा बन्त नहीं आ गया है जब हम अहिंसाकी नीति और उसके फलस्वरूप बने

हुए रचनात्मक कार्यक्रमपर फिरसे विचार करके ऐसा कोई कार्यक्रम बनायें जो कांग्रेसजनोंकी वर्तमान मनोवृत्तिके अनुरूप और अनुकूल हो? गहरी अन्तःशोध करना और इस मुख्य समस्याका समाधान ढूँढना आज हरएक कांग्रेसजनका कर्तव्य है। वहावके साथ निरदृश्य बहते जाने की नीतिपर चलते जाने में कांग्रेसकी न तो सुरक्षा है और न प्रतिष्ठा। मैं चाहूँगा कि इस तरहके सम्मेलनमें लोग भूल जायें कि हम अलग-अलग गुटोंसे सम्बन्धित हैं और यह याद रखें कि हम शुरूसे अन्ततक राष्ट्रके ऐसे सेवक हैं जिन्होंने एक मनसे राष्ट्रकी आजादीकी लड़ाई लड़ने की शपथ ले रखी है। आज तो कांग्रेस आपसी फूटसे जर्जर संस्था है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए।

एवटावाद, १९ जुलाई, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, २९-७-१९३९

१५. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको'

एवटावाद

१९ जुलाई, १९३९

समाचारपत्रोंसे ज्ञात होता है कि भूख-हड़ताल करनेवाले बन्दिनों^१ मुझे एक पत्र भेजा है और जनताके नाम एक अपील भी जारी की है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हें लोकमतका समर्थन प्राप्त है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे इस समर्थनसे सन्तोष मानें और उपवास छोड़ दें। वे बहादुर हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि उनकी भूख-हड़ताल गलत है और इसमें उनकी कोई बहादुरी नहीं है। उन्हें चाहिए कि वे तबतक साहसपूर्वक कष्ट-सहन करते रहें जबतक लोकमत उन्हें रिहा करने के लिए सरकारको बाध्य न कर दे। वे मुझपर भरोसा रखें कि सम्मानजनक ढंगसे उन्हें रिहा करवाने के लिए मैं कुछ उठा नहीं रखूँगा।

[अग्नेजीसे]

हरिजन, २२-७-१९३९

१. यह वक्तव्य "नोट्स" (टिप्पणियाँ) शीर्षकके अन्तर्गत "भूख-हड़ताल छोड़ दें" उप-शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। यह २०-७-१९३९ के हिन्दू में भी प्रकाशित हुआ था।

२. बंगाल में; देखिए "नारः राजेन्द्रप्रसादको", पृ० १।

१६. पत्र : अमृतकौरको

एवटावाद

२० जुलाई, १९३९

प्रिय पगली,

तुम्हारी हिन्दी अच्छी होती जा रही है।

धामीके^१ बारेमें मुझे तुम्हारे अगले पत्रका इन्तजार है। कितना अच्छा होता यदि तुम इस मामलेकी सचाईका पता लगा सकती! यह हर तरहसे बुरा है।

मुझे तुम्हें दुःखके साथ बताना पड़ रहा है कि कश्मीरमें राज्यके आतिथ्यकी स्वीकृति मुझे वापस लेनी पड़ी। जनता ऐसी किसी बातको सहन नहीं करेगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं कटुता पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं मान गया। सो मैं जनताका मेहमान होऊँगा, इसका जो भी अर्थ हो। तुम्हें अपने कार्यक्रममें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हालाँकि तुम मेरे साथ रहोगी, फिर भी तुम हक्सरकी ही मेहमान होगी। मैं सिर्फ यह चाहूँगा कि तुम मुझसे पहले, एक भी दिन पहले, पहुँच जाओ। बेशक ऐसा तभी करना है जब धामीसे तुम फुरसत पा सको। तुम्हें इस मामलेको सबसे ऊँची प्राथमिकता देनी चाहिए।

कानमकी माँ निर्मला^१ आज कानमको ले जाने के लिए आयेगी।

और यह रहा बलवन्तसिंहका एक और पत्र। इससे तुम देखोगी कि वह ठीक काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि सरदार साहबने किसी चीजका बुरा नहीं माना। तुम पहलेकी तरह इस निर्देशके साथ पत्र सेगाँव भेजोगी कि वह किशोरलाल और सुरेन्द्रको दे दिया जाये।

मौसम अब भी गर्म है, हालाँकि एक अच्छी बारिश हुई है।

स्नेह।

तानागाह

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३१)से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२४० से भी

१. शिमलासे २२ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी रियासत, जहाँ १७ जुलाईको पुलिसने लोगोंकी एक भीड़पर गोली चलाई थी। ये लोग अपनी कुछ शिकायतें दूर करवानेके लिए राणा साहबको अपनी धाँचिका देनेके उद्देश्यसे राजमहलमें प्रवेश करनेका प्रयत्न कर रहे थे। देखिए पृ० ५०-५१।

२. रामदास गाधीकी पत्नी, जिन्हें नीम् भी कहा जाता था।

१७. पत्र : दुनीचन्दको

एबटावाद
२० जुलाई, १९३९

प्रिय लाला दुनीचन्द,^१

मैं समयका अभाव होने के कारण पत्राव नही जा रहा, ऐसी बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर कुछ कर पाऊँगा। दूसरे धब्बोंमें, आत्मविश्वासकी कमीके कारण ही मैं वहाँ नही जा पा रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५८५)से।

१८. पत्र : अमृतकौरको

एबटावाद
२१ जुलाई, १९३९

प्रिय पगली,

तुम्हारा इस तरह निरन्तर उदास रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह उदासी परमात्मा, मानव-प्रकृति और अटूट मित्रतामें आस्थासे विलकुल असंगत है। लेकिन तर्क तो काफी हो चुका। समय आने पर उदासी स्वयमेव दूर हो जायेगी।

कश्मीर-यात्रा रद्द हो गई है। मुझे इसका दुःख नहीं है। मैं यहाँसे २६ तारीखको बयकि लिए रवाना होने की आशा रखता हूँ। कार्य-समितिकी बैठक वही होगी। अतः सम्भव है कि मैं कमसे-कम कुछ दिन, गायद कांग्रेस-अधिवेशन होने तक, तो सेर्गावमें ही बना रहूँ। क्या तुम हमारी मण्डलीमें शामिल होओगी या अगस्तके आरम्भमें मुझसे मिलोगी?

बामिका मामला बहुत बुरा है। आशा है, तुम सचार्डकी तहतक पहुँच जाओगी। तुम राणासे स्वयं ही क्यों नहीं मिल लेती? इस मामलेकी अन्ततक जाँच

१. पंजाब विधान-सभाके सदस्य

और खोजबीन करना। मैं इस विषयपर लिखनेवाला हूँ। तुम्हें जल्दी एक टाइप की हुई प्रति मिल जायेगी।
स्नेह।

तानाशाह

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३२) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२४१ से भी

१९. नाबालिगी शासन

चम्बाका राजा नाबालिग है। इसलिए राज्य सीधे ब्रिटिश प्रशासनके मातहत है। वहाँका प्रशासक लगभग राजाकी ही तरह काम करता और राजाकी पूरी सत्ता का उपभोग करता है। चम्बासे एक सज्जन लिखते हैं:

हमारे यहाँ नाबालिगी शासन होने से राज्य सीधे अधीश्वरी सत्ताके नियन्त्रणमें है। स्वातन्त्र्यकी भावनाको दण्डनीय माननेवाले जो कानून नाबालिगी शासनके दौरान लागू किये गये हैं, उन्हें रद्द कर देने के लिए हम जोर डाल रहे हैं और चाहते हैं कि जो अस्थायी प्रशासकीय परिषद् कायम हुई है, उसमें कमसे-कम राजाके नाबालिग रहने तक तो प्रजा-तत्त्वका समावेश किया जाये। . . .^१ हमारे-जैसे मामलेमें अधीश्वरी सत्ता यह नहीं कह सकती कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर राजाके अधिकारोंकी रक्षा करना उसका काम है, तो राज्यकी प्रजाके प्रति भी क्या उसका कोई फर्ज नहीं है? . . .^१ क्या आप इस प्रश्नपर कुछ प्रकाश डालेंगे?

प्रश्न उचित है। ब्रिटिश भारतकी प्रजा जित स्वतन्त्रताका उपभोग करती है, कोई वजह नहीं कि अंग्रेजों द्वारा शासित रियासतोंकी प्रजा उस संवका उपभोग न करे। तब तो यह है कि किसी देशी रियासतके वृद्धिमान और उदार प्रशासकको अपनी सत्ताकी रू से उस रियासतकी प्रजाका कल्याण करने की जितनी सुविधा जुलन है, उतनी ठेठ ब्रिटिश भारतके किसी प्रशासकको नहीं है। प्रान्तीय प्रशासनकी बँधी-बँधाई पद्धतिके अन्तर्गत काम करनेवाले अधिकारीकी वनिस्वत देगी राज्यके प्रशासकको निश्चय ही ज्यादा स्वतन्त्रता है। प्रान्तीय सरकारके अधिकारीको अपने कई उच्च अधिकारियोंके मातहत काम करना पड़ता है और उसकी सत्ता भी मर्यादित होती है। किसी रियासतका प्रशासक अपनी छोटी-सी रियासतमें किसी गवर्नरसे भी बहुत-कुछ अधिक ही होता है। उसके ऊपर अंकुश केवल उस एजेंसीके रेजिडेंटकी सामान्य देखभालका ही होता है जिसके अन्तर्गत उसकी रियासत हो। इसलिए अगर अधीश्वरी सत्ताकी नीति असन्दिग्ध भाषामें घोषित हो और उसपर पूरी तरह अमल किया जाता

१ और २. यहाँ साधन-रूपमें कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं।

हो, तो ऐसे राज्योंमें कुशासन अथवा न्यायकी निष्फलताके लिए कोई बहाना ही नहीं रहता। लेकिन अगर राज्यका प्रशासन जैसा होना चाहिए वैसा न हो, तो उससे यही जाहिर होता है कि जर्हातक रियासतोंकी प्रजाका सम्बन्ध है, अधीश्वरी सत्ताकी नीति स्पष्ट नहीं है। रियासतोंमें प्रजाके साथ उचित व्यवहार हो, इसपर उसका आप्रह्न नहीं है। प्रजाके प्राथमिक अधिकारोंके सम्बन्धमें तो अधीश्वरी सत्ताके लिए अहस्तक्षेपकी नीति-जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। यह अहस्तक्षेपकी नीति तो बिना चुनौतीके तभीतक चल सकती है जबतक कि रियासतोंकी प्रजा अपनी शक्तिसे अनभिन्न है। लेकिन आजकल तो रियासतोंकी प्रजामें इतनी अधिक जागृति है कि अहस्तक्षेपकी नीति आगे और सफल नहीं हो सकेगी। ब्रिटिश प्रशासनके अधीनस्थ रियासतोंमें न्यायसे इन्कार तो कल्पनासे बाहरकी बात होनी चाहिए। अतः चम्बाके लोगोंको वहाँकी परिस्थितिके बारेमें सब बातें बिना मुलुम्मा चढाये प्रकाशित कर देनी चाहिए। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अगर वहाँ कोई अन्याय हुआ होगा तो लोकमतके जोरसे उसका मार्जन हो जायेगा।

देगी राज्योंकी प्रजाके अधिकारोंके सम्बन्धमें अधीश्वरी सत्ताकी घोषित नीतिके अभावको धामी नामक छोटे-से पहाड़ी राज्यमें अभी हालमें हुई घटना स्पष्ट रूपसे उजागर करती है। अधीश्वरी सत्ताकी नीति अगर जाहिर होती, तो जो गोलीकाण्ड वहाँ हुआ वह असम्भव होता। राजनीतिक एजेंटकी ओरसे जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, उसे इस दुष्काण्डके बारेमें ब्रह्मवाक्य नहीं समझना चाहिए। एजेंटके पास ठीक रायपर पहुँचने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी। ऐसे हरएक गोलीकाण्डके बाद खुली अदालती जाँच अविलम्ब होनी चाहिए। जो राजा जरा-से में भयभीत होकर गोलीबारीका सहारा लेते हैं, उन्हें आज अपनी प्रजाके जानोमाल पर जो सत्ता प्राप्त है वह न होनी चाहिए। लेकिन प्रजाको भी राय कायम करने के लिए अवसर सुलभ नहीं है। वह खुद अधिकृत जाँच कमेटी नहीं नियुक्त कर सकती। और किसी राजनीतिक एजेंटकी विज्ञप्तिसे सच्ची बातका पता नहीं चल सकता। धामीकी ही विज्ञप्तिको लीजिए। उसमें जो बातें कही गई हैं, उनको चुनौती देने की मुझे जरूरत नहीं है। शायद उसका हरएक शब्द सच ही हो। लेकिन असल बात यह है कि ऐसी विज्ञप्तिमें लोगोंका पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। अपनी प्रकृतिसे ही यह विज्ञप्ति एकतरफा दस्तावेज है। राजनीतिक एजेंट अपने कथनके समर्थनमें कोई भी कानूनी सबूत पेश नहीं कर सकता। वह यह नहीं बतलाता कि उसकी जानकारीके स्रोत क्या हैं। लोगोंमें विश्वास पैदा करने के लिए ऐसी अदालती जाँच की जानी चाहिए जिसके फलस्वरूप गुनहगार या गुनहगारोंको अपने अपराधका दण्ड भोगना पड़े, फिर वह अपराध रियासतकी ओरसे हुआ हो या प्रजाकी ओरसे। उदाहरणार्थ, अगर प्रजाने राणाको दवाने या भयभीत करने का प्रयत्न किया हो तो यह निस्सन्देह गलत था, और अगर श्री भागमलके खिलाफ जारी किये गये आदेशकी अवज्ञा की गई हो तो वह भी गलत था। इसी तरह अगर कथित प्रदर्शनमें बाहरी लोग शामिल हुए हों तो वह भी गलत था। अविलम्ब उत्तरकी अपेक्षा

रखनेवाली अन्तिम चेतावनी देने की बात भी अगर सच हो, तो वह ऐसी भारी उद्भ्रतता थी जिसकी तीव्र निन्दा की जानी चाहिए। उत्तरदायी शासन अधिक सख्त घातुसे बनी चीज है। घामी राज्य अगर सचमुच केवल ५,००० की आबादी और ३०,००० रुपयेकी वार्षिक आयवाली रियासत हो, तो वहाँ उत्तरदायी शासन निरर्थक चीज है। अगर हरएक छोटी-मोटी रियासतकी प्रजा कानूनको इस तरह हाथमें लेने लगेगी तो वह अपने ध्येयको ऐसा नुकसान पहुँचायेगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उनका पथ-प्रदर्शन करने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा-परिषद् मौजूद है। हरएक प्रजामण्डल को उसकी रहनुमाईमें चलते हुए अपन-स्वतन्त्रताका पक्ष तैयार करना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं मालूम होता कि प्रजाने अनुचित उतावलापन दिखाया है।

लेकिन राणाके बारेमें क्या कहा जाये? क्या वे प्रजाके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करते रहे हैं? क्या सचमुच उनका जीवन इतनी जोखिममें पड़ गया था कि उन्हें आत्मरक्षाकी खातिर गोलीवारीका सहारा लेना पड़ा? हरएक भीड़ दुश्मनोंकी ही भीड़ हो, यह आवश्यक नहीं है। गोलीवारीको कोई मामूली चीज नहीं समझना चाहिए। मनुष्यके जीवनकी देशी राज्योंमें भी वही कीमत समझी जानी चाहिए जो ब्रिटिश भारतमें समझी जाती है। हर गोलीकाण्डके बाद उसकी वारीकी के साथ जाँच-पड़ताल होनी चाहिए। और उपयुक्त दण्डात्मक तथा निरोधात्मक कदम उठाये जाने चाहिए। अधीश्वरी सत्ताका यह फर्ज है कि जो राजा अपनी सत्ताका न्यायोचित उपयोग करना न जानते हों, उन्हें उस सत्तासे वंचित कर दे। सच तो यह है कि बृहत्तर भारतमें देशी राज्योंका स्थान क्या हो, इस पूरे प्रश्नपर नये सिरेसे विचार करने की आवश्यकता है।

पुरानेकी जगह नया युग आया है। समयके साथ सभी पक्षों, अर्थात् अधीश्वरी सत्ता, राजाओ और उनकी प्रजाके तौर-तरीकोंमें, और कांग्रेस जिस आन्तरिक सकट से ग्रस्त हो गई है, उससे यदि वह उबर जाती है तो खासकर उसके तौर-तरीकोंमें परिवर्तन आना चाहिए। जिस कांग्रेसके सायेमें रियासतकी प्रजा आरम्भसे ही विकसित होने और फूलने-फलने की अम्यस्त रही है, उसकी अधीश्वरी सत्ता या राजा उपेक्षा करेगे तो वह उनकी बड़ी भूल होगी। कांग्रेसको उसकी रहनुमाई करनी ही है। कांग्रेसकी ऐसी रहनुमाई राजाओ या अधीश्वरी सत्ताको दुरी लगे तो उसका परिणाम अवश्यभावी किन्तु अनावश्यक संघर्ष होगा। जिनकी रगोंमें एक ही खून प्रवाहित होता है और जो घनिष्ठतम सामाजिक और आर्थिक बन्धनोसे परस्पर जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगोंको कृत्रिम रूपसे एक-दूसरेसे बहुत दिनीतक कैसे अलग रखा जा सकता है? कांग्रेससे डरने या उसपर सन्देह करने के बजाय सबके लिए उचित बात तो निश्चय ही यही है कि जब भी कांग्रेसकी मदद मिल सके, तब राजाओं और उनकी प्रजा, दोनोंके हितकी दृष्टिसे वे उसका स्वागत करें।

इसमें शक नहीं कि कांग्रेसको भी अपनी मर्यादा समझनी पड़ेगी। वह मंत्री-भावसे और शान्तिपूर्वक काम करेगी तभी असरदार ढंगसे कुछ करने की आशा रख

सकती है। उसे सब पक्षोंके बीच न्यायतुलाको सन्तुलित रखना पड़ेगा। हर प्रकारके बन्धप्रयोग या दबाव डालने की नीतिसे उसे बचना होगा। इस दृष्टिसे बाहरी लोगो द्वारा घामी राज्यके प्रदर्शनमें शामिल होने की जो बात कही जाती है, वह कांग्रेसकी रहनुमाईमें असम्भव होनी चाहिए थी। कांग्रेस अगर अहिंसापर कायम रहेगी तभी उसका प्रभाव काम कर सकेगा। नैतिक प्रभाव ही उसकी एकमात्र पूंजी है। दूसरी कोई भी स्थिति वह स्वीकार करेगी तो उसी समय आन्तरिक झगड़े और खून-खराबी शुरू हो जायेगी। घामीकी घटनाओंसे ऐसी शिक्षा मिलती है जिसे कांग्रेस-जनोंको हृदयंगम कर लेना चाहिए। यह बात मैं इस तथ्यके बावजूद कहता हूँ कि घामीमें क्या हुआ और उसमें वस्तुतः किसका कसूर है, यह अभी हम नहीं जानते। उपयुक्त अदालती जाँच जबतक न हो, तबतक ठीक कार्रवाई सम्भव ही नहीं है।

एवटाबाद, २२ जुलाई, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-७-१९३९

२०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

एवटाबाद

२२ जुलाई, १९३९

मुझे दुःखके साथ कहना पडता है कि अनिवार्य कारणोंसे मुझे अपनी कस्मीर-यात्रा रद्द करनी पड़ी है। मैं उन लोगोंसे क्षमा-याचना करता हूँ जिन्हें भारतके स्वर्गकी मेरी यात्राकी आशा बँध गई थी।^१

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू २२-७-१९३९

२१. पत्र : प्रभावतीको

एवटाबाद

२२ जुलाई, १९३९

चि० प्रभा,

तेरा पत्र पेगावरसे होकर कल यहाँ पहुँचा। तूने राजेंन बाबूको पत्र लिखा, यह तो ठीक है, लेकिन तुझे अपनी तवीयत सुधारनी ही चाहिए। नहीं तो तू किसी कामकी न रहेगी। तू चिन्तित क्यों रहती है? हम यहाँसे २६ तारीखको रवाना हो रहे हैं। २८ तारीखको सेर्गाव पहुँचेंगे। क्या तबतक तू सेर्गाव नहीं आ सकेगी?

राजकुमारी शिमलामें है। पता है: मैनरविल, शिमला। जब मैं सेर्गाव पहुँचूँगा, तब कदाचित् वह भी वहाँ आ जायेगी। अमृतुस्सलाम सावरमतीमें है।

१. देखिए "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", पृ० ४७-४८।

लीलावती न्यू एरा स्कूल, बम्बईमें भरती हो गई है। बालकोवा^१ वाडीलाल साराभाई सैनिटोरियम, पंचगनीमें है। उसके साथ कृष्णचन्द्र है। सुशीला दिल्लीमें ठहर जायेगी और वहाँ अपने पुराने अस्पतालमें एक महीना रहकर और अनुभव प्राप्त करेगी और बादमें सेगाँव पहुँचेगी। दो दिनोंसे नीमू आई हुई है। वह कानमको लेकर कल वापस देहरादून लौट जायेगी। बादमें वह भी सेगाँव चली जायेगी। बलवन्त-सिंह लाहौरके पास एक दुग्धशालामें अनुभव प्राप्त कर रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५३४) से।

२२. टिप्पणियाँ

सत्य की प्राप्ति कैसे हो?

लब बिबंदो, चरम बंदो, गोश बंद।

गर नबीनी सिररे हक, वर मा बिखंद ॥

अपने ओठ बन्द रख, आँख बन्द रख, कान बन्द रख। इसके बाद भी यदि तू सत्यके गूढ़ तत्त्वको न समझ सके तो मुखपर हँसना।

यह मौलाना रूमीका शेर है। ऐसे अनमोल वचन कच्छके चमन कवि मुक्षे कभी-कभी भेजते रहते हैं। जब मैं राजकोटमें था, तब उन्होंने मुझे उपर्युक्त शेर उसके अर्थके साथ भेजा था। मुझे यह शेर इतना अच्छा लगा कि मेरा मन हुआ कि मैं इसे 'हरिजनबन्धु' के पाठकोंके समक्ष रखूँ। आज स्थिति यह है कि हम चाहे जो बकवास करते हैं, हमारे कान चाहे जो सच्ची-झूठी और गन्दी बातें सुनते हैं और हमारी आँखें चाहे जो बीभत्सता देखती हैं। ऐसे समय यह वचन तीरके समान हमारे हृदयमें आकर लगना चाहिए। सत्यकी शोषकी ऐसी ही कड़ी अर्त है। हम भले ही अपने ओठ, कान और आँखें सचमुच बन्द न करें, लेकिन यदि करेंगे तो इससे हम कुछ खोनेवाले नहीं हैं। लेकिन हम इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि ओठोंसे असत्य अथवा कोई कड़वी बात न बोलें, कानोंसे किसीकी निन्दा अथवा गन्दी बात न सुनें, आँखोंसे हम ऐसा कुछ न देखें जिससे हमारी इन्द्रियाँ चलायमान हो जायें; अपितु हमेशा सच बोलें, ईश्वरके नामका जाप करें, कानोंसे भजन-कीर्तन और ऐसी बातें सुनें जिनसे हमारा आत्मिक विकास हो और आँखोंसे ईश्वरकी लीला देखें, सन्तजनोंके दर्शन करें। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वही सत्यके दर्शन कर सकेगा। वही शूद्र सत्याग्रही बन सकेगा और उसीकी तपश्चयति हम शान्तिमय स्वराज्यके दर्शन कर सकेंगे। बाकी सब निरर्थक है।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २३-७-१९३९

१. बालकृष्ण भावे

२३. सन्देश : बम्बई सरकार मद्य-निषेध बोर्डको^१

एवटाबाद

२३ जुलाई, १९३९

मैं आशा करता हूँ कि बम्बई अपनी जिस समझदारीके लिए प्रसिद्ध है, अन्ततः वह जमीसे काम लेगा, और बम्बई मन्त्रिमण्डल द्वारा आरम्भ किया गया यह साहसपूर्ण सुधार जिस सफलताके योग्य है, वह सफलता उसे दिलाने में सब लोग मिलकर प्रयत्न करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मादक द्रव्यों और पेय पदार्थोंके अभिशापके दूर होने से देशको स्थायी लाभ होगा।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-८-१९३९; वॉम्बे क्रॉनिकल, ३१-७-१९३९ भी

२४. पत्र : एस० के० बोलेको^१

एवटाबाद

२३ जुलाई, १९३९

प्रिय राववहादुर,

आपके इसी २० जुलाईके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने जो कैफियत दी है उसे मैं समझता हूँ। मुझे स्मरण-पत्र^१ पर उसी रूपमें विचार करना था जिस रूपमें वह लिखा गया था। अन्तिम अनुच्छेदका कोई और अर्थ तो निकलता ही नहीं था। ऐसी परिस्थितियोंमें मैं सोचता हूँ कि अपने लेखके वारेमें कुछ और कहना मेरे लिए अनावश्यक है। किन्तु यदि आपकी राय अन्यथा हो तो आप जो स्पष्टीकरण^१ भेजना उचित समझें, उसे मैं इसमें समाविष्ट कर दूंगा। वह सभिप्त और सगत होना चाहिए।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८८०) से।

१. हरिजनमें प्रकाशित "नोट्स" (टिप्पणियों)से उद्धृत, जिसमें कहा गया था कि सन्देश "बम्बईमें पहली अगस्तसे लागू किये जानेवाले मद्य-निषेधके सम्बन्धमें" भेजा गया था।

२. यहाँ भण्डारी जातिके लोगों द्वारा बम्बईके मुख्य मन्त्रीको दी गई याचिकाकी ओर संकेत है। देखिए एज ६९, पृ० ४३२-३३।

३. देखिए "एक स्पष्टीकरण" ७-८-१९३९।

२५. पत्र : डॉ० बी० एस० मुंजेको

एवटावाद

२३ जुलाई, १९३९

प्रिय डॉ० मुंजे,

मुझे आपका खरा पत्र पसन्द आया। लेकिन आप जो चाहते हैं, मैं वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे रास्ते बिल्कुल अलग-अलग हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० बी० एस० मुंजे
१९, आर्थोडॉक्स क्वार्टर
कार्ड रोड, शिमला
[अंग्रेजीसे]

बी० एस० मुंजे पेपर्स, फाइल नं० २४/१९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय
तथा पुस्तकालय

१. हिन्दू महासभा के

२. २० जुलाईका, जिसमें कहा गया था : “... आम तौरसे कांग्रेसके अन्दर और देशमें भ्रष्टाचार और हिंसाके उदयके कारण तथा खास तौरसे हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने में विफलता की वजहसे आपको यह उचित नहीं लगता कि आप कांग्रेसको सामूहिक सविनय अवज्ञा आरम्भ करने की सलाह दें, ताकि वह संवन्धवस्थामें आपकी इच्छाके अनुसार परिवर्तन कराने के लिए सरकारपर जोर डाल सके। . . . लेकिन साथ ही कांग्रेस इस व्यवस्थाको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूजरी और सरकारपर चूँकि आपकी इच्छानुसार संवन्धवस्थामें परिवर्तन करने के लिए कोई दबाव नहीं पड़ेगा और उसे किसी प्रकारसे मजबूर नहीं किया जायेगा, इसलिए वह इस मामलेके प्रति उदासीन रहेगी, लेकिन साथ ही यह भी हो सकती है कि वह इसमें ऐसा परिवर्तन करने को प्रेरित हो जाये जो मुस्लिम लीगके अनुकूल हो। परिणामतः मुस्लिम साम्प्रदायिकता को और भी बल मिलेगा और हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आशा सदाके लिए भिद जायेगी। . . . क्या यह अच्छा नहीं होगा कि वर्तमान संवन्धवस्थाके तमाम दोषोंके नाबजूद उसे स्वीकार कर लिया जाये और उसका उपयोग आगे और उद्देष्टेकर करने तथा और अधिक लाभ प्राप्त करने के आधारके रूपमें किया जाये? . . .”

२६. पत्र : एडोल्फ हिटलरको^१

स्थायी पता : बर्मा, मध्य प्रान्त, भारत

२३ जुलाई, १९३९

प्रिय मित्र,

मित्रोंका यह आग्रह रहा है कि मानवताकी खातिर मैं आपको कुछ लिखूँ। लेकिन मैं उनके अनुरोधको अस्वीकार करता रहा हूँ, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूँ कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामलेमें मुझे हिसाब-किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो।

यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि आज ससारमें आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्धको रोक सकते हैं, जो मानव-जातिको बर्बर अवस्थामें पहुँचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्यके लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टिमें कितना ही महान् क्यों न हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्तिकी अपीलपर ध्यान देंगे जिसने सोच-विचारकर युद्धके तरीकेका त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे ?^२

मैं हूँ,

आपका सच्चा मित्र,

हर हिटलर

बर्लिन

जर्मनी

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५१०) से।

१. सरकारने इस पत्रको जाने नहीं दिया।

२. देखिए “वक्तव्य : समाचारपत्रोंको”, ५-९-१९३९ भी।

२७. पत्र : एगथा हैरिसनको

एवटानाद

२३ जुलाई, १९३९

प्रिय एगथा,

उचित समय आने पर ही लॉर्ड लिनलिथगोसे फिर सम्पर्क करेंगे। मुझे हमेंना तैयार रहना चाहिए, लेकिन जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए। उनके पत्र लिखने अथवा पत्रकी विषयवस्तुमें कोई दोष नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि वे सोचते हैं, मुझे जिन मामलोंमें दिलचस्पी है उनमें, उनसे जितना हो सकता था, उतना वे कर चुके हैं। इसलिए अब मुझे उन मामलोंको लेकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अब मैं केवल लोकमतको प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ और सभी पक्षोंको यह बता रहा हूँ कि नया तरीका कैसे कारगर हो सकता है।

संघके बारेमें मेरी स्थिति विलकुल साफ है। यह विलकुल सच है कि यदि सरकार मेरी शर्तोंको मान लेती है तो मैं संघको स्वीकार कर लूंगा और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस भी कर लेगी। लेकिन उन शर्तोंके पूरा किये जाने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। मेरी मांगोंके पीछे कोई ताकत नहीं है। और ब्रिटिश सरकार ऐसी कोई चीज नहीं दे सकती जो ग्रहीता व्यक्ति अपनी ताकतसे हासिल करके अपने पास न रख सकता हो। विश्वास रखो, समय आने पर हर चीज ठीक हो जायेगी। मैं हिटलरको अभी-अभी जो पत्र भेज रहा हूँ, उसकी प्रति संलग्न है।

स्नेह।

वापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५०९) से।

१. देखिय पिछला शीर्षक।

२८. भाषण : एबटाबादमें

[२३ जुलाई, १९३९]

जब मैं यहाँ आया तब मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बार भी, जब यह तीसरी बार^१ मैं आपके प्रान्तमें आया हूँ, आप मुझे मानपत्र इनायत करेंगे। मैंने तो समझा था कि मैंने आपके प्रान्तके साथ अपना इतना अधिक तादात्म्य स्थापित कर लिया है कि आप मुझे अपनेमें ही गिनेंगे और मुझे मानपत्र भेंट करने या अन्य गिफ्टाचारकी कोई जरूरत नहीं मानेंगे। तो क्या मुझे यह समझना चाहिए कि अब भी मुझे आपमें प्रमाणपत्र प्राप्त करना बाकी है? पिछली बार तो आपने मुझे मानपत्र और थैली दोनों दिये थे, लेकिन इस बार सिर्फ मानपत्र ही दिया है—थैली नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ कि अपने किस गुनाहके कारण मैं इस तरह आपकी 'नजरोसे गिर गया हूँ'?

अनेक बार मैंने यह शिकायत सुनी है कि हिन्दू-मुस्लिम एकतामें इसलिए देर हो रही है कि मैं उसके लिए काफी प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं मात्र इमीपर अपनी शक्ति केन्द्रित कर दूँ तो आज ही उक्त एकता स्थापित हो सकती है। क्या मैं आपको विश्वास दिलाऊँ कि अगर आज मैं ऐसा करता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा हूँ तो इसका कारण यह नहीं है कि हिन्दू-मुस्लिम एकतामें बेरा उत्साह कम हो गया है। बात यह है कि इस महान् कार्यके लिए अपनी अपूर्णता और ऐसे बड़े उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए केवल बाहरी साधनोकी अपर्याप्तता जितनी मुझे अब महसूस हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। मैं पूर्णतः प्रभुकी कृपापर निर्भर रहने का पाठ अधिकाधिक सीखता जा रहा हूँ।

अगर आप मेरे हृदयको चीरकर देख सके, तो आप पायेंगे कि उसमें सोते-जागते चौबीसों घण्टे, लगातार हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए प्रार्थना और आध्यात्मिक साधना चल्ती रहती है। मैं हिन्दू-मुस्लिम एकता अवश्य चाहता हूँ—और किसी कारणसे नहीं तो इस कारणसे कि मैं जानता हूँ उसके बिना स्वराज्य हासिल नहीं हो सकता। किसीको इस भ्रममें नहीं रहना चाहिए कि हिन्दुओका बहुमत होने के कारण वे दूसरी जातियोंके समर्थन या सहायताके बगैर सविनय अवज्ञा संगठित करके हिन्दुस्तानके लिए या खुद अपने ही लिए स्वराज्य हासिल कर लेंगे। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, सविनय अवज्ञा अगर बिलकुल शुद्ध रूपमें हो तो कुछ आदमियोतक सीमिततर होने पर भी वह प्रभावकारी हो सकती है। लेकिन जरूरत यह है कि वे चन्द व्यक्ति ऐसे हों जिनके पीछे सारे राष्ट्रकी स्वीकृत इच्छा और शक्ति हों। सगस्त्र

१. हिन्दुस्तान टाइम्सके आधारपर, जबकि हरिजनमें २४ जुलाई दी गई है।

२. इसके पहले गांधीजी मई और अक्टूबर-नवम्बर, १९३८ में वहाँ गये थे।

युद्धमें भी क्या यही बात नहीं होती? लड़नेवाली फौजोंके पीछे सारे गैर-फौजी लोगोंकी मदद और सहयोग होना जरूरी होता है। ऐसा न होने पर वे अर्पण हो जाती हैं। जब स्वराज्यके लिए मैं अधीर हूँ तब हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए तो मेरा अधीर होना जरूरी ही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देरमें या जल्दी, बल्कि शायद जल्दी ही, हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच ऐसी एकता स्थापित हो जायेगी जो जोड़-तोड़कर किया हुआ कोई राजनीतिक समझौता न होकर सच्ची और स्थायी दिल्ली एकता होगी। यह एक ऐसा सपना है जो बिलकुल बचपनसे ही मेरे जीवनमें ओतप्रोत रहा है। अपने पिताके वक्तकी मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे स्मरण है कि तब राजकोटके हिन्दू-मुसलमान किस प्रकार आपसमें मिलते-जुलते थे और किस तरह एक-दूसरेके पारिवारिक और धार्मिक समारोहोंमें सगे भाइयोंकी तरह शामिल होते थे। मेरा विश्वास है कि देशमें वे सुनहरे दिन एक बार फिर आयेंगे। दोनों जातियोंके बीच इस समय जो तू-तू मैं-मैं और जरा-जरा-सी बातपर झगड़े-फसाद होते रहते हैं वे मतिभ्रमके कारण हो रहे हैं। वे हमेशा कायम नहीं रह सकते।

इस दुनियामें बड़े-से-बड़े काम केवल मनुष्यके प्रयत्नसे नहीं होते। वे तो समय आने पर ही होते हैं। अपने साधनोंके चुनाव करने का ईश्वरका यह अपना तरीका है। हो सकता है, लगातार हार्दिक प्रार्थनाके वावजूद मैं इस महान् कार्यके उपयुक्त न पाया जाऊँ। हम सबको हर क्षण कटिबद्ध रहना चाहिए, क्योंकि कब और किसको वह अपने कामके लिए चुन ले, यह हम नहीं जानते। मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी डालकर आपको अपनी जिम्मेदारीसे नहीं बचना चाहिए। मेरे लिए आप यह दुआ माँगें कि मेरे जीवन-कालमें ही मेरा सपना सच हो जाये। हमें कभी निराश या हताश नहीं होना चाहिए। मनुष्यकी हिकमतके मुकाबले ईश्वरकी लीला तो अपरम्भार है।

मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ है कि इस प्रान्तके कांग्रेसजनोंमें भी अन्दरूनी झगड़े पैदा होने लगे हैं। कल एक घण्टेसे अधिक समयतक आपकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंसे एकान्तमें मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता बतलाऊँ। मैं कहता हूँ कि इसका हल तो आपके अपने ही हाथोंमें है। खानसाहब अब्दुल गफ्फार खाँको आपने अपना नेताजका बादशाह माना है। आपने उन्हें 'बादशाह खान' और 'फख्र-ए-अफगान' की गौरवपूर्ण उपाधियाँ बख्ती हैं। अतः आपके लिए, पहलेकी तरह ही, उनका शब्द ही कानून होना चाहिए। दलीलोंमें उनका विश्वास नहीं है। वे तो जो-कुछ कहते हैं अपने दिलसे कहते हैं। आपने उन्हें जो उपाधियाँ दी हैं, अगर वे दिखावटी नहीं हैं और उनको आप सही साबित करना चाहते हैं, तो आपको अपने आपसी मतभेदोंको भुलाकर उनके नेतृत्वमें एक संगठित दलकी तरह काम करना सीखना चाहिए।

फिर, सीमा-प्रान्तकी जनतामें फैली हुई गरीबीका भी सवाल है। मुझे बताया गया है कि जनमें से बहुतोंको भर-पेट खाना भी मुश्किलसे ही मिलता है। पठान-जैसी हठी-कट्टी कौमको ऐसी दुर्दशामें रहना पड़े, यह उसके लिए बड़े अपमानकी

घात है। लेकिन इसका इलाज भी बहुत हदतक आपके ही हाथोंमें है। आपको चाहिए कि लोगोंको आप अपने हाथोंसे काम करना और श्रमकी गरिमा समझना सिखायें। इसमें शक नहीं कि मन्त्रिमण्डल सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकता है और करायेगा। लेकिन तफसीलोंका ध्यान रखते हुए आरम्भिक प्रयत्न तो स्वयंसेवकोंको ही करना पड़ेगा।

ईश्वर आपको सही मार्ग दिखलाये। मैं यह जानता हूँ कि जब हम आपसमें झगड़ते भी हैं तो स्वाधीनताके आगमनकी गतिमें तेजी लाने के लिए इस आशासे ही झगड़ते हैं कि उसके आने पर हमारे सारे दुःख मिट जायेंगे। ईश्वर करे, आजादीकी हमारी लयन हमें अलग करनेवाले तमाम मतभेदोंकी तुलनामें हमारे बीच एकता स्थापित करनेवाला ज्यादा मजबूत सूत्र साबित हो।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-८-१९३९; हिन्दुस्तान टाइम्स, २४-७-१९३९ भी

२९. तार : अमृतकौरको

एनटावाद

२४ जुलाई, १९३९

राजकुमारी अमृतकौर
शिमला वेस्ट

मैं वर्धा जाते हुए २७ को दिल्ली पहुँचूँगा। क्या तुम वहाँसे मेरे साथ ही सकोगी? हिमालयी प्रजामण्डलसे^१ कहना मैं २७ को दिल्लीमें मिल सकता हूँ। स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३३) से; रीजन्य अमृतकौर। जी० एन० ७२८२ से भी

३०. तार : डॉ० डी० डी० गिल्डरको

एवटावाद

२४ जुलाई, १९३९

डॉ० गिल्डर
आवकारी मन्त्री
बम्बई

‘सैबथ’^१ से सम्बन्धित मामला भूल गया था। ‘ज्यूइश ट्रिब्यून’ को आज तार^२ दे रहा हूँ। खैरातके बारेमें आपका विचार ठीक है।

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३१. पत्र : एन० एस० हर्डिकरको

एवटावाद

२४ जुलाई, १९३९

प्रिय डॉ० हर्डिकर,^१

मेरे मनमें इस सम्बन्धमें कोई दुविधा नहीं है कि हमें एक मजबूत स्वयंसेवक संगठनकी जरूरत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इस समस्याको हल नहीं कर सकता। तुम्हें जवाहरलालसे सलाह लेनी चाहिए। इस विषयमें वही ठीक मार्ग-दर्शन कर सकते हैं। अब भी मेरी यह राय है कि हमारी केन्द्रीय संस्था बने, उसके पूर्व हमें प्रांतीय संस्थाएँ खड़ी करनी चाहिए। शून्यमें से हम केन्द्र नहीं बना सकते। दुःखकी बात यह है कि एक भी प्रान्तमें ऐसी कोई संस्था नहीं है जो वाकीके लिए नमूना बन सके।

तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजीसे : एन० एस० हर्डिकर पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय। प्यारेलाल पेपर्स भी; सौजन्य : प्यारेलाल

१. यहूदियोंके धार्मिक विश्रामके लिए नियत सप्ताहका सातवाँ दिन—रविवार।

२. तार महादेव देसाईने भेजा था, जिसमें कहा गया था : “कृपया आवकारी-मन्त्री डॉ० गिल्डरको ‘सैबथ’के दिन यहूदियों द्वारा मथके उपयोगसे सम्बन्धित धार्मिक नियमोंका विवरण प्रमाणिके साथ दीजिए।” देखिए “ट्रिपुणियाँ”, १०-९-१९३९ का उपशीर्षक “यहूदी धर्ममें श्राव” भी

३. हिन्दुस्तानी सेवा दलके संगठन-मन्त्री

२. तार : अमृतकौरको

एवटावाद

२५ जुलाई, १९३९

राजकुमारी अमृतकौर

मैनरविल

शिमला वेस्ट

मैं हरिजन बस्तीके पास जोहरा अन्सारीके यहाँ ठहरनेवाला हूँ। प्रजामण्डलके लोग दो बजे मिल सकते हैं। स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३४) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७२४३ से भी

३३. पत्र : सिकन्दर हयात खाँको

एवटावाद

२५ जुलाई, १९३९

प्रिय सर सिकन्दर,

कृपया इसी २० तारीखके अपने अत्यन्त स्पष्ट पत्रके^१ लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मैं आपके इस सुझावको स्वीकार करता हूँ कि मैं कार्य-समितिसे सन्नाह करके आपको उसकी राय बताऊँ। समितिकी बैठक सम्भवतः अगले मासकी ९ तारीखको होगी।

हरिजन निर्वाचकोंके सम्बन्धमें मैं आशा करता हूँ कि पृथक् निर्वाचन-मण्डलकी बातको धह नहीं दी जायेगी। मुसलमानोंके लिए पृथक् निर्वाचन-मण्डलका होना एक बात है, किन्तु एक ही जातिमें ऐसा विभाजन होना बिलकुल भिन्न बात है।

हृदयसे आपका,

सर सिकन्दर हयात खाँ

[अंग्रेजीसे]

गाधी-नेहरू पेपर्स १९३९; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. देखिय परिशिष्ट १।

३४. बातचीत : चार्ल्स फाबरीके साथ'

एबटावाद

[२६ जुलाई, १९३९ या उसके पूर्व]

गांधीजी : प्रार्थना करते समय मैं क्या करता हूँ, इसे पूरी तरह समझाना कठिन है। परन्तु मैं आपके प्रश्नका उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। दैवी इच्छा नहीं बदली जा सकती, परन्तु दिव्य तत्त्व जड़-चेतन सभी पदार्थोंमें है। प्रार्थनाका अर्थ यह है कि मैं अपने अन्दर के दिव्य तत्त्वको जाग्रत करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मुझे इसका बौद्धिक विश्वास तो हो, परन्तु कोई जीवन्त अनुभूति न हो। इसलिए जब मैं भारतके स्वराज्यके लिए प्रार्थना करता हूँ तो मैं उस स्वराज्यको प्राप्त करने की या उसे प्राप्त करने में अधिकसे-अधिक योग देने की पर्याप्त शक्तके लिए प्रार्थना या इच्छा करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि प्रार्थनाके उत्तरमें मैं वह शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ।

फाबरी : तब तो आपका उसे प्रार्थना कहना ठीक नहीं है, प्रार्थना करने का अर्थ याचना या माँग करना है।

हाँ, यह सही है। आप कह सकते हैं कि मैं अपने-आपसे, अपनी उच्च आत्मासे, उस वास्तविक आत्मासे याचना करता हूँ जिसके साथ मैं अभीतक पूर्ण तादात्म्य स्थापित नहीं कर सका हूँ। इसलिए आप इसका वर्णन यों कर सकते हैं कि जिस दिव्य तत्त्वमें सब समायें हुए हैं, उसमें अपने-आपको खो देने की सतत आकांक्षा करना ही प्रार्थना है।

और इसके लिए आप एक पुरानी पद्धतिका इस्तेमाल करते हैं ?

अवश्य। जीवन-भरकी आदत तो बनी ही रहती है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि मैं एक बाहरी शक्तिसे प्रार्थना करता हूँ। मैं उस अनन्तका एक

१. यह बातचीत महादेव देसाईके "ए डायलॉग विद ए बुद्धिस्ट" (एक बौद्धसे बानचीन) शीर्षक लेखसे ली गई है। बातचीत का सन्दर्भ स्पष्ट करते हुए महादेव देसाईने लिखा था : "... पुरा-तत्त्ववेत्ता . . . डॉ० फाबरी . . . भारतमें कई वर्षोंसे हैं। वे प्रोफेसर सिल्वा लेवीके शिष्य थे और प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता सर आरेल स्ट्राइन्के सहायकके रूपमें यहाँ आये थे। . . . वे हंगरीके हैं। पहले गांधीजीके साथ पत्र-व्यवहार कर चुके हैं और सहानुभूतिके तौरपर उन्होंने उनके साथ व्यवहार भी किया है। वे विशेष तौरपर गांधीजीसे मिलनेके लिए ही एबटावाद आये थे। . . . खासकर इस प्रश्नको लेकर उनके मनमें बहुत ऊहापोह चल रही थी कि प्रार्थनामें क्या होना चाहिये और वह कैसी होनी चाहिये। वे यह जाननेको बड़े उत्सुक थे कि गांधीजी किस तरहकी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थनासे ईश्वरका मन बदला जा सकता है? क्या प्रार्थनासे उसे जाना जा सकता है?"

२. गांधीजी २६ जुलाई, १९३९ को एबटावादसे चले पड़े थे।

अंध हैं, लेकिन इतना छोटा अंध हूँ कि मैं अपने-आपको उससे बाहर अनुभव करता हूँ। हालाँकि मैं आपको बौद्धिक स्तरपर स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, लेकिन उस दिव्य तत्त्वके साथ तादात्म्य स्थापित किये बिना मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह कहते ही कि मैं यह करता हूँ अथवा वह करता हूँ, सहसा मुझे अपनी अयोग्यता और तुच्छताकी प्रतीति होने लगती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि मुझे किसी अन्यकी, किसी उच्चतर शक्तिकी सहायताकी आवश्यकता है।

दॉल्ट्सायका भी यही कहना है। प्रार्थना वास्तवमें पूर्ण समाधिकी स्थिति है, जिसमें प्रार्थना करनेवाला पूरी तरह परमात्मामें लीन हो जाता है। फिर भी कभी-कभी मनुष्य इस स्थितिसे च्युत होकर उसी प्रकार अनुनय-विनय करने लगता है जिस प्रकार कोई बच्चा अपने पितासे करता है।

क्षमा करें, मैं इसे च्युत होना नहीं कहूँगा। यह कहना ज्यादा समीचीन होगा कि मैं उस ईश्वरकी प्रार्थना करता हूँ जो वादलोके भी ऊपर कहीं रहता है, और वह हमसे जितनी ज्यादा दूर है, उतनी ही ज्यादा मुझे उसकी लगन है और चिन्तन करते हुए मैं अपनेको उसके समीप पाता हूँ। और विचारकी गति, आप जानते ही हैं, प्रकाशकी गतिसे ज्यादा है। इसलिए उसके और मेरे बीचकी दूरी यद्यपि अनुमानसे परे है, तथापि विचारोके आगे वह मिट जाती है। वह इतना दूर होते हुए भी इतना अधिक निकट है।

यह तो विश्वासकी बात हो जाती है, लेकिन मुझ-जैसे कुछ लोग हैं, जिनका दुर्भाग्य यह है कि उनकी विवेचनात्मक बुद्धि अत्यन्त तीव्र है। मेरे लिए तो बुद्धने जो-कुछ सिखाया है, उससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है और न खुद बुद्धसे बड़ा कोई शिक्षक ही है। कारण, संसारके तमाम शिक्षकोंमें से केवल एक बुद्ध ही है जिन्होंने कहा : 'मैं जो-कुछ कहता हूँ उसे आँख बन्द करके मत स्वीकार करो। किसी भी सिद्धान्त या किसी भी ग्रन्थको अचूक मत समझो।' मेरे लिए कोई भी ग्रन्थ अचूक नहीं है, क्योंकि उनके रचयिता दिव्य तत्त्व कितने ही प्रेरित क्यों न रहे हों, अन्ततः ये तो वे मानव ही। इसलिए मैं ऐसे किसी भी ईश्वरकी कल्पनामें विश्वास नहीं करता जो किसी महाराजाकी तरह बड़े भारी शूभ्र सिंहासनपर बैठकर हमारी प्रार्थनाएँ सुनता हो। मुझे खुशी है कि आप एक भिन्न धरातलपर प्रार्थना करते हैं।

मैं आपको याद दिला दूँ कि आपका यह कहना भी आंशिक रूपसे ही सही है कि मेरी प्रार्थना एक भिन्न धरातलपर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अपनी जिस बौद्धिक प्रतीतिकी बात मैंने की है, वह सदा मेरे साथ नहीं रहती। जो चीज हमेशा रहती है वह है श्रद्धाकी तीव्रता, जिसके कारण मैं अपने-आपको उस अदृश्य शक्तिमें लीन कर देता हूँ। इसलिए वजाय यह कहने के कि मैंने कोई कार्य किया है, यह कहना मत्त्यके ज्यादा निकट है कि ईश्वरने उस कार्यको हमारे लिए कर दिया है। मेरे जीवनमें कितनी ही ऐसी चीजें हुई हैं जिनके लिए मैं बहुत लालायित था, लेकिन जिन्हें मैं स्वयं कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। मैंने हमेशा

अपने साथी कार्यकर्ताओंसे कहा है कि वे चीजें मेरी प्रार्थनाके उत्तरमें ईश्वरने की हैं। मैंने उनसे यह नहीं कहा कि वे चीजें मेरे अन्दरके दैवी तत्त्वमें अपने-आपको लीन कर देने के मेरे बौद्धिक प्रयासके फलस्वरूप हुई हैं। मेरे लिए यह कहना सबसे सरल और ठीक था कि 'ईश्वरने मेरा देड़ा पार लगा दिया है।'

लेकिन इन चीजोंके योग्य तो आप अपने कर्मके कारण बने। ईश्वर कृपा नहीं, न्याय है। आप अच्छे आदमी हैं और आपके साथ अच्छी बातें होती हैं।

बिलकुल नहीं। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि ऐसी चीजें मेरे साथ हों। अगर मैं कर्मकी इस दार्शनिक कल्पनाको लेकर चलूँ तो अक्सर भारी भूले कर बैठूँ। मेरा कर्म मेरी सहायता न करे। हालाँकि मैं कर्मके कठोर नियममें विश्वास करता हूँ, लेकिन तथापि मैं बहुत-से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जीवनका एक-एक क्षण नये कर्म, अतीतके अनुभूत कर्मोंको धो डालने और वर्तमानकी अभिवृद्धि करने का प्रयास है। अतः यह कहना गलत है कि चूँकि मेरा अतीत अच्छा है, इसलिए मेरे साथ इस समय अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं। अतीत तो शीघ्र ही चुक जायेगा, और मुझे अपने भविष्यको प्रार्थनाके सहारे निर्मित करना है। मैं आपको बताता हूँ कि केवल कर्म तो कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने-आपसे कहूँ कि 'यह माचिस जलाओ,' और फिर भी अगर बाहरी सहयोग न हो तो मैं उसे जला नहीं सकूँगा। मैं माचिस जलाने लूँ उससे पहले ही यदि मेरे हाथको लकवा मार जाये, या मेरे पास एक ही तीली हो और हुवाका झोंका उसे बुझा दे तो? यह मात्र एक दुर्घटना है या ईश्वर अथवा कोई उच्चतर शक्ति है? मैं अपने पूर्वजों या बच्चोंकी भाषाका प्रयोग करना बेहतर समझता हूँ। मैं किसी बच्चेसे बेहतर नहीं हूँ। हम ज्ञानियोंकी तरह और पुस्तकोंके बारेमें बात करने की कितनी ही कोशिश क्यों न करें, लेकिन जब यथार्थसे पाला पड़ता है, जब हमें किसी संकटका सामना करना होता है, तब हम बच्चों-जैसा व्यवहार करने लगते हैं और रोने-पीटने और प्रार्थना करने लगते हैं। उस समय हमारा बौद्धिक विश्वास हमें कोई सान्त्वना नहीं देता।

मैं ऐसे उच्च कोटिके लोगोंको जानता हूँ जिन्हें ईश्वरके प्रति आस्थासे अद्भुत शान्ति प्राप्त होती है और चरित्र-निर्माणमें मदद मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे महात्मा भी हैं जो इस आस्थाके बिना भी काम चला सकते हैं। बौद्ध धर्मने मुझे यही शिक्षा दी है।

लेकिन बौद्ध धर्म तो एक दीर्घ प्रार्थना ही है।

बुद्धने प्रत्येक मनुष्यसे अपने भीतरसे ही अपने भोक्षका मार्ग ढूँढ़ निकालने को कहा। बुद्ध प्रार्थना नहीं करते थे, वह मनन करते थे, ध्यान करते थे।

आप उसे जिस नामसे चाहें पुकारें, चीज वही है। उनकी नूतियोंको देखिए।

लेकिन वे सचमुच उन-जैसी नहीं हैं। वे उनकी मृत्युके ४०० वर्ष बादकी हैं।

बुद्ध-सम्बन्धी जो भी ऐतिहासिक जानकारी आपको मिली हो, वह मुझे बताइए। मैं सिद्ध कर दूँगा कि वे प्रार्थनाशील बुद्ध थे। बौद्धिक कल्पना मुझे सन्तुष्ट नहीं

गरनी। जैसे आप अपने विचारोंको स्पष्ट रूपसे बता नहीं सकते, उनी तरह मैंने ग्यः निर्दोष और पूरी व्याख्या नहीं दी है। वर्णन करने की कोशिश स्वयमे एक मीमा है। उमका विदलेपन नहीं किया जा सकता, और नतीजा यह होता है कि आपके पल्ले मात्र नास्तिकता आती है।

जो लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, उनके बारेमें आपका क्या कहना है?

मैं उनमें कहूँगा कि नम्र वनों और बुद्धकी अपनी कल्पना द्वारा सच्चे बुद्ध नयकों मीमित मत करो। अगर उनमें प्रार्थना करने लायक विनम्रता न होती तो कराटों मनुष्योंके जीवनपर उन्होंने जो राज किया और आज भी कर रहे हैं, वह न कर पाते। बुद्धसे कहीं ऊँची कोई चीज है जो हमपर और नास्तिकोंपर भी शासन करती है। उनके जीवनके नाजुक मौकोंपर उनकी नास्तिकता और उनका तन्त्रज्ञान उनकी मदद नहीं करता। उन्हें सहारा देने के लिए किसी बेहतर चीज की, अपनेमे बाहरकी किसी चीजकी जरूरत होती है। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति मेरे मामले कोई ऐसी समस्या रखता है तो मैं उससे कहता हूँ, 'जबतक तुम अपने-आपको धन्य नहीं बना लोगे, तबतक तुम्हें ईश्वर या प्रार्थनाका अर्थ मालूम नहीं होगा। तुममें यह ममत्तन लायक नम्रता होनी चाहिए कि अपनी महानता और प्रकाण्ड बुद्धके बावजूद तुम ब्रह्माण्डमे एक रजकणके समान तुच्छ हो। जीवनकी दानोंकी निरी बौद्धिक कल्पना काफी नहीं होती। बुद्धिके लिए अगम्य आध्यात्मिक कल्पना ही वह चीज है जो मनुष्यको सन्तोष दे सकती है। धनवान लोगोंके जीवनमें भी नमय-नमयपर नाजुक वस्त आता है। यद्यपि उनके चारों ओर वे सब चीजे होती हैं जो पैसेसे खरीदी जा सकती हैं और प्रेमसे मिल सकती हैं, फिर भी उनके जीवनमें कुछ ऐसे दावसर आते हैं जब वे सर्वथा व्यग्र-विभ्रान्त हो उठते हैं। इन्हीं अवसरोंपर हमें ईश्वरकी क्षांकी मिलती है, उसके दर्शन होते हैं, जो जीवनमें हर कदमपर हमें रास्ता बता रहा है। यही प्रार्थना है।'

आपका मतलब उस चीजसे है जिसे हम सच्चा धार्मिक अनुभव कह सकते हैं और जो बौद्धिक कल्पनासे अधिक बलवान होता है। जीवनमें दो बार मुझे यह अनुभव हुआ, परन्तु बादमें मैंने उसे खो दिया। परन्तु अब मुझे बुद्धके एक-दो घबनोसे बड़ी सान्त्वना मिलती है : 'स्वार्थ दुःखका कारण है' और 'भिक्षुओ, याद रखो, प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है।' इन वचनोंका विचार लगभग श्रद्धाका स्थान ले लेता है।

यही प्रार्थना है।

अपना जीवन खत्म कर देने के मनुष्यके अधिकारके बारेमें आप क्या कहेंगे? मैं तो जीवनको जीवनकी दृष्टिसे बहुत कम महत्त्व देता हूँ।

मेरे खयालमें कुछ परिस्थितियोंमें अपना जीवन खत्म कर देने का मनुष्यको पूरा अधिकार है। मेरे एक साथीको' कौटकी बीमारी है। यह जानकर कि यह रोग

असाध्य है और उनका जीवन जितना उनके लिए उतना ही उनकी सेवा-शुश्रूषा करनेवालों के लिए भी एक बलेश है, हालमें उन्होंने अन्न-जल छोड़कर प्राण त्याग देने का निश्चय किया। मैंने उनके इस विचारको आशीर्वाद देते हुए कहा, 'अगर सचमुच आप ऐसा समझते हैं कि आप इस कष्टको बरदास्त कर लेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं।' यह मैंने इसलिए कहा कि मैं जानता था, डूबकर या जहर खाकर मर जाने से इस तरह धीरे-धीरे तिल-तिल कर मरना बहुत भिन्न है। और मेरी यह चेतावनी पूरी तरह ठीक निकली, क्योंकि किसीने उन्हें यह आशा दिलाई कि एक आदमी है जो कोढ़का इलाज कर सकता है, और अब मैं सुनता हूँ कि उन्होंने फिर खाना-पीना और उस आदमीका इलाज शुरू कर दिया है।

मुझे लगता है, कसौटी यह है कि यदि कोई मनुष्य इतने कष्टमें है कि उसे अपनी पीड़ाके सिवा अन्य किसी बातका विचार ही नहीं रहता तो उस मनुष्यको निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए यह भी जरूरी नहीं कि वह बीमार ही हो, वह जीवनकी कशमकशसे थककर भी ऐसा कर सकता है।

नहीं, नहीं, मेरा मन इस तरहकी आत्महत्याकी बात कबूल नहीं करता। कसौटी यह नहीं है कि आदमी जीवनकी कशमकशसे थक गया हो, बल्कि यह है कि उसे ऐसा लगता हो कि वह औरोंपर भार-रूप है और इसलिए ससारका त्याग करना चाहता है। कोई पीड़ासे नहीं भागना चाहता, बल्कि दूसरोंपर बोझ बनने से बचना चाहता है। नहीं तो अपनी वेदनाका अन्त करने के उग्र प्रयत्नमें उसे कही ज्यादा तीव्र पीड़ा भोगनी पड़ती है। लेकिन फर्ज कीजिए कि मुझे कैसर हो गया है, और मेरी मृत्यु केवल समयकी ही बात रह गई है, तो मैं अपने डाक्टरसे ऐसी कोई दवा देने के लिए भी कहूँगा जिससे मैं हमेशाके लिए सो जाऊँ।' . . .

आपके ही अनुसार, अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं अपना काम कर चुका, तो मुझे जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं। और मैं समझता हूँ कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ।

नहीं, मुझे तो विश्वास है कि अभी आप और भी अनेक वर्ष मानव-समाजकी सेवा कर सकते हैं। लाखों लोग आपके जीवनके लिए प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। और मैं तो यद्यपि न प्रार्थना कर सकता हूँ न कुछ चाह ही सकता हूँ—

हाँ, हाँ, अंग्रेजी भाषा इतनी लचीली है कि उसी बातको आप दूसरे शब्दोंमें भी कह सकते हैं।

हाँ, मैं निःस्वार्थ-भावसे यह राय दे सकता हूँ कि अभी आपको बहुत वर्ष जीना है।

ठीक है। आपको शब्द मिल गया। यहाँ भी मैं कहूँगा कि मनुष्यके जीवित न रह सकने की वारणा विद्युद्ध रूपसे बौद्धिक ही है। अगर उसकी जीवित रहने

१. यहाँ महादेव देसाईने लिखा है: "डॉ० फावरी जाने के लिए चले और जाते-जाते उन्होंने यह शुभकामना व्यक्त की कि गांधीजी अभी अनेक वर्ष जीयें और इसी तरह लोकहितके कार्य करते रहें।"

की इच्छा न हो, तो जीवित रहने की इच्छाके अभावमें ही उसका शरीर-पात हो जायेगा।

[अंग्रेजीमें]

हरिजन, १९-८-१९३९

३५. पत्र : सम्पूर्णानन्दको

रेलगाड़ीमें,

२६ जुलाई, १९३९

भाई सम्पूर्णानंदजी,^१

आपका तार कल रात्रिको मिला। नयी तालीमके लिये २००० पाठशाला खोलने का निश्चय बहुत बड़ा कार्य है। मेरी सलाह है कि प्रयत्न सर्वथा सफल होगा। आपको इस माहसके लिए मेरे धन्यवाद।

आपका,

मो० क० गांधी

मी० डब्ल्यू० १०२५९ से; सौजन्य : काशी विद्यापीठ

३६. तार : जवाहरलाल नेहरूको

दिल्ली

२७ जुलाई, १९३९

जवाहरलाल नेहरू

भारतका कांग्रेस

गिरगांव, बम्बई

तुमने वीरता और उत्साहपूर्वक काम किया है।^१

बापू

[अंग्रेजीमें]

गांधी-नेहरू पत्र, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. संयुक्त प्रान्तके शिक्षा-मन्त्री

२. जवाहरलाल लाल ही में लकाकी थायाने लौटे थे; देखिए "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", पृ० ४७ ४८।

३७. भाषण : हरिजन उद्योगशाला, दिल्लीमें'

२७ जुलाई, १९३९

इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि १९३६ में स्थापित किये गये इस स्कूलसे पास होकर निकलनेवाले छात्रोंके प्रथम जल्येको प्रमाणपत्र देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हो सका हूँ। लेकिन उनके प्रमाणपत्र प्राप्त करने से उनकी और मेरी भी जिम्मेवारी बहुत अधिक बढ़ गई है—मेरी इसलिए कि जो हादिक आशीर्वाद मैं इन्हें दे रहा हूँ वह सफल होना चाहिए। इस आशीर्वादका क्या असर होगा, यह तो समय ही बतला सकता है। जो लड़के आज जा रहे हैं उनके साथ श्री वियोगी हरिको सम्पर्क बनाये रखना पड़ेगा। वह सम्पर्क ऐसा घनिष्ठ होना चाहिए जैसा कि माँ-बाप और उनके बच्चोंके बीच होता है। जब बच्चे कामके लिए दूर-दूरके स्थानोंको जाते हैं, तो उनके प्रति माँ-बापकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। वे मुझे आपकी प्रगतिसे परिचित रखेंगे।

यहाँ आप लोगोंने जो शिक्षा पाई है, जो शुद्ध जीवन व्यतीत किया है, और जो उत्थानकारी सम्पर्क कायम किया है, उसके योग्य बनने की आपकी जिम्मेवारी भी कुछ कम नहीं है। लेकिन अगर आपमें अपना दायित्व पूरा करने की इच्छा नहीं होगी तो मेरा आशीर्वाद किसी काम न आयेगा। आपकी जिम्मेवारी इसलिए और बढ़ जाती है कि आप हरिजनोंके प्रतिनिधि होकर यहाँसे जा रहे हैं, और आपको अपने वहाँके जीवनमें उस जीवनको प्रतिबिम्बित करना पड़ेगा जो आपने यहाँ जीया है। आप अपना जीवन जितना शुद्ध रखेंगे और जितनी आप अपनी जातिकी सेवा करेंगे, उसी अनुपातमें अस्पृश्यताके नाशमें आपका योगदान होगा। यह याद रखिए कि अस्पृश्यताके रहते हिन्दू-धर्म जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इस पुण्यकर्मके लिए आपको स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवा अर्पित करनी होगी।

श्री वियोगी हरिने कहा है कि सिलाई-विभागको स्वावलम्बी बनाना मुदिकल है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तब जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें जरूर कुछ गलती है। हरएक उद्योगकी शिक्षा स्वावलम्बनके आधारपर दी जा रही है या दी

२. यह महादेव देसाई लिखित "परमं हरिजनं स्वाज्ञ" (हरिजन बालकोंके बीच) शीर्षक लेखसे लिखा गया है। गांधीजी इस स्कूलके प्रथम दीक्षान्त-समारोहकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस स्कूलमें शिक्षाके साथ-साथ बढईगारी, दर्जागारी, चमड़ेका काम और कागज बनाने की शिक्षा भी दी जाती थी। २८-७-१९३९ के हिन्दुस्तान टाइम्समें लिखा है कि स्कूलके अधीक्षक, श्री वियोगी हरिने इस अवसरपर रिपोर्ट पढ़ी और अपना भाषण देने से पहले गांधीजीने स्कूलके २१ छात्रोंको प्रमाणपत्र प्रदान किये, परं जिन लड़कोंने कनाई के काममें विशेष योग्यताका परिचय दिया था, उन्हें इती स्कूलमें निर्मित चरखे भेंट किये।

जानी चाहिए। आप विद्यार्थियोंको समय-समयपर वियोगीजी मे यह मालूम करते रहना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, उससे पर्याप्त आमदनी हो रही है या नहीं, और नहीं हो रही तो इसमें क्या गलती है। तभी आप अपनी शालाको आदर्श उद्योगशाला बना सकेंगे। अगर अपनी शिक्षाका खर्च आप अपने काममें पूरा कर देने में वादमें अपनी आजीविका कमाने में आपको कभी कोई कठिनाई नहीं होगी।

यहांमें निकलनेवाले हराएक लडकेको, वह कहीं भी क्यों न जाये, काम मिल जाना चाहिए। अगर यहांमें पूरी शिक्षा पाये हुए किसी लडकेको कोई काम न मिले, तो उद्योगशालाका कर्त्तव्य होगा कि वह उसे काम सुलभ कराये। किसीको ऐसा मोचने का मौका नहीं देना चाहिए कि यहाँ तो सबसे गरीब लोगोके लायक इन्तरे दर्जेकी ही शिक्षा मिलती है। मेरी रायमें तो यहाँकी शिक्षा उससे कहीं ऊँचे दर्जेकी है जो अधिकांश सम्पन्न घरोंके लडके अन्यत्र पाते हैं। अपने कामसे यह दिखला देना आपके ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी दूसरी संस्थामें मिलनेवाली ऐसी ही शिक्षाके मुकाबले यहाँकी शिक्षा किसी भी प्रकार नीचे दर्जेकी नहीं है। मेरी तो यह पक्की राय है कि जो तो हरिजन सेवक सघकी अन्य प्रवृत्तियाँ भी उपयोगी हैं, लेकिन ऐसे उद्योगशालामें दिया जानेवाला शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि इस मन्थामें खरी योग्यतावाले ऐसे थोड़े-से भी लडके निकले जो हरिजनोंकी भेदामें अपनेको लगा दें तो वे अस्पृश्यताकी समस्याको हल करने में बड़ा ठोस योगदान करेंगे।

मेरी कामना है कि आप सरल और शुद्ध जीवन व्यतीत करे और इस प्रकार न केवल हरिजनोंके बल्कि उन करोड़ों गैर-हरिजनोंके भी प्रतिनिधि बनें जो हरिजनों की सेवा करना चाहते हैं।

[अग्नेजीमे]

हरिजन, ५-८-१९३९

३८. पत्र : राधाकृष्ण बजाजको

रेलगाड़ीमें
२७ जुलाई, १९३९

चि० राधाकिसन,^१

मैं कल वर्धा पहुँचुंगा। वहाँ सब हाल लिखीये।

जमनालालको मिलने के लिये महादेवको भेजने की आवश्यकता है क्या? शंकरलालका^२ तार है। महादेवको कलकत्ता भेजा है कैदीयोंके बारेमें।^३ उसके आने के बाद अगर जरूर मानी जाय तो भेज सकुंगा। अब जमनालालकी तबीयत कैसी है?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१२७) से।

३९. औद्योगिक सर्वेक्षण समितिकी रिपोर्टका सारांश^४

मध्य प्रान्त सरकारकी ओरसे पिछली १५ दिसम्बरको एक औद्योगिक सर्वेक्षण समितिकी नियुक्ति की गई थी। इस समितिको जो कार्य सौंपे गये, वे निम्नलिखित हैं :

१. उद्योग-विभागकी स्थापनाके समयसे लेकर आजतक उसने प्रान्तमें जो कार्य किया है, उसका पुनरीक्षण।

२. विशेष रूपसे नियुक्त एक अधिकारी द्वारा पुराने प्रकाशनों और रिपोर्टोंमें से बड़े और लघु उद्योगों और विशेष रूपसे कुटीर उद्योगोसे सम्बन्धित तथ्य-आंकड़ोंके संकलनका पर्यवेक्षण करवाना।

३. प्रान्तमें औद्योगिक सर्वेक्षण किस पद्धतिपर किया जाये, इस सम्बन्धमें कार्यभारी अधिकारीको सलाह देना और समय-समयपर कामकी प्रगतिका पुनरीक्षण करना।

१. जमनालाल बजाजके भनीये

२. शंकरलाल बैकर

३. देखिए “वक्तव्य : समाचारपत्रोंको”, पृ० १३।

४. हरिखनमें यह “पत्र ऑरिणल रिपोर्ट” (मौलिक प्रतिवेदन) शीर्षकसे धारावाहिक रूपमें छह अंकोंमें प्रकाशित हुआ था। यहाँ छहों खंडोंके मात्र प्रासंगिक भंश अन्तिम किस्की प्रकाशन-तिथिके अन्तर्गत सार-रूपमें दिये जा रहे हैं।

४. नमूनेकी तरह चुनकर सास-सास गाँवमें जाकर वहाँकी आर्थिक दशाका अध्ययन करना और वहाँ कुटीर-उद्योगोंके पुनरुद्धारकी सम्भावनाओंकी जांच करना और ऐसा करते समय अजिल भारतीय चरखा संघ तथा अजिल भारतीय ग्रामोद्योग संघमें सलाह और मार्ग-दर्शन लेना।

५. प्रान्तमें उपलब्ध कच्चे माल, विशेषतः वन और खनिज सम्पदाकी औद्योगिक सम्भावनाओपर रिपोर्ट तैयार करना।

६. प्रान्तमें औद्योगिक विकासके लिए और विशेषकर गाँवोंमें कुटीर उद्योगके विकासको बढ़ावा देने के लिए सरकारको क्या कदम उठाने चाहिए, इस सम्बन्धमें अपनी रिपोर्ट देना, और साथ ही इन उद्योगोंके लिए धनकी व्यवस्था किस प्रकारसे की जा सकती है भयवा इन उद्योगोंका और किस तरहसे विकास किया जा सकता है, इस बारेमें सरकारको सुझाव देना।

समितिके दस सदस्य होंगे, जिनके नाम ये हैं:

अध्यक्ष : श्री जे० सी० कुमारप्पा, वर्धा।

सदस्य : श्री चतुर्भुजभाई जसाणी, एम० एल० ए०, गोविया; श्री बी० बी० सूबेदार, एम० एल० ए०, सागर; श्री के० पी० घेरा, जनरल मैनजर, सेंट्रल प्राविसेज सिण्डिकेट लिमिटेड, नागपुर; श्री आर० एन० झा, सेक्रेटरी, वरार चेम्बर ऑफ कॉमर्स, अकोला; श्री के० पी० सागरया, आई० एफ० एस०, सिल्विकल्चरिस्ट, मध्य प्रान्त और वरार; डॉ० ए० एन० कापन्ता, डिमॉन्स्ट्रेटर ऑफ केमिस्ट्री, कॉलेज ऑफ साइन्स, नागपुर; श्री वाल्टर दत्त, वैरिस्टर, नागपुर; डाइरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्रीज, मध्य प्रान्त और वरार; डॉ० आर० एस० ठाकुर, नागपुर विश्वविद्यालयके लक्ष्मीनारायण इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालोजीसे सम्बन्धित ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। वे समितिके सचिवका काम भी करेंगे।

समिति को उप-समितियाँ नियुक्त करने तथा विशेष कार्योंके लिए अन्य सदस्योंको सहयोजित करने का अधिकार प्राप्त है।

उनके अतिरिक्त १२ जनवरी, १९३९ की 'गजट' सूचनामें प्रकाशित प्रस्ताव संख्या १७५-८९-५-७ के अनुसार दो अन्य सदस्योंकी नियुक्ति भी की गई, जिनके नाम निम्नलिखित हैं :

श्रीमती साराहम्मा इतिपराह, एम० ए०, वर्धा (भूतपूर्व प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स, लाहौर); श्री ई० आर० महाजनो, मैननेजिंग डाइरेक्टर, श्री लक्ष्मी ऑयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, अकोला।

समितिकी कार्यवाही पिछली १५ जनवरिने आरम्भ हो गई। सर्वेक्षण २१ जनवरिसे आरम्भ हुआ और ६ फरवरीको समाप्त हो गया। उस सर्वेक्षणमें २०७ विचारियाँ, जिनमें ८ महिलाएँ भी थी, अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। सर्वेक्षण-दलका

नेतृत्व करने के लिए १४ व्यक्तियोंको सहयोजित किया गया। दलको दस-दस विद्यार्थियोंकी टुकड़ियोंमें बाँटा गया। दलने ६०६ गाँवोंका सर्वेक्षण किया, जिनकी जनसंख्या १५ लाख है और जिनकी वार्षिक राजस्व-अदायगी ११ लाख रुपयेसे ऊपर है। सर्वेक्षणमें मोटे तौरपर ३,००० रुपये खर्च हुए, अर्थात् प्रत्येक गाँवपर ५ रुपये। जितना खर्च बैठा वह अनुमानका केवल दसवाँ भाग था।

यह रिपोर्ट हाथसे बने कागजपर लिखी गई है और कुल मिलाकर ४६ फुल-स्केप पृष्ठोंमें है।

दलके सदस्योंने तीसरे दर्जेमें ही यात्रा की, लेकिन जब दलके कुछ सदस्योंने अपने सर्वेक्षणके दौरान बूढ़ी स्त्रियोंको खाने के लिए घासके बीजतक चुनते देखा तो उन्होंने तीसरे दर्जेका किराया लेने से भी इन्कार कर दिया। गाँववाले सर्वेक्षण-दलके रहने-खाने की जैसी व्यवस्था कर पाये, दलने उसीमें सन्तोष माना। उनके लिए विशेष रूपसे कुछ भी तैयार नहीं किया गया था।

प्रोफेसर कुमारप्पाने रिपोर्टके साथ जो पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने लिखा है :

१. हमारा सर्वेक्षण कोई ऐसा अकादमिक सर्वेक्षण नहीं है जिसका एकमात्र ध्येय ठीक-आँकड़े इकट्ठा करना हो।

२. न ही यह ऐसा प्रचारात्मक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य पूर्वनिर्धारित सिद्धान्तोंको सिद्ध करने के लिए साक्ष्य इकट्ठा करना हो।

३. न ही यह अर्थशास्त्रके ज्ञानमें वृद्धि करने के विचारसे किया गया जाँच-पड़ताल करनेवाला क्लिनिकल सर्वेक्षण है।

४. यह सर्वेक्षण तो अल्पकालमें सम्पादित नैदानिक सर्वेक्षण है, जिसका निश्चित उद्देश्य उपयुक्त नुस्खा बताकर रोगीकी जान बचाना है, और यह एक राष्ट्रीय आयोजन है—सारे देशमें लागू की जानेवाली आयोजना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिके लिए उसके कार्यक्षेत्रमें उपलब्ध कच्चे मालके आधारपर उसकी आर्थिक प्रवृत्ति निर्धारित करनेवाली आयोजना।

कर्मचारीवृन्दके एक सदस्यने, जो अर्थशास्त्रमें एम० ए० हं, यह बलील पेश की कि विशद आँकड़े प्राप्त किये बिना यह सिद्ध करना असम्भव होगा कि गाँवोंमें रहनेवाले लोग गरीब हैं या नहीं और दिन-ब-दिन गरीब होते जा रहे हैं या नहीं। मैं उन्हें अपने साथ गाँवोंमें ले गया और उन्हें दूटे-फूटे मकान दिखाये, एक तिमंजली इमारत भी दिखाई जो आधी ढह चुकी थी, और गाँवके सुनार भी दिखाये जो बेकार बैठे हुए थे।

निःसन्देह यह ऐसा स्थूल तर्क है जो हर समय दिया जा सकता है। लेकिन यदि हमारे अधिकांश गाँवोंमें सुनिर्मित मकानोंके भग्नावशेष भरे पड़े हैं और दस्त-कार लोग धन्वेके अभावमें बेकार बैठे हुए हैं तब तो ये तथ्य हमारे गाँवोंकी गरीबीके अधिक सुनिश्चित और निर्णायक प्रमाण हैं, वनिस्वत उन कोरे आँकड़ोंके जिनसे सब-कुछ या कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता।

रिपोर्टमें, जो खण्ड १ का पहला भाग है (खण्ड २ और भाग २ बादमें प्रकाशित किया जायेगा), छह अध्याय हैं और उनके अलावा इनमें तीन मदम्यो दान विमति व्यक्त करने हुए दो गई महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी हैं। ये सदस्य हैं डॉ० ठाकुर, डॉ० कापडा तथा श्री सागरदा। अपनी टिप्पणियोंमें इन विमति व्यक्त करनेवालों ने मुख्यतः औद्योगीकरणकी आवश्यकतापर बल दिया है, यद्यपि उन्होंने इन बातको स्वीकार किया है कि मुख्य रिपोर्टकी निष्कारियोंके मुताबिक ग्रामोद्योगोंको महत्त्वनाकी जरूरत है।

रिपोर्टके अध्याय २ में "आम विचारणीय बातों" की चर्चा है। इसमें रिपोर्टको एक मौलिक दस्तावेज बताया गया है और यह दिखलाया गया है कि इन रिपोर्टको ऐसी अधिकार रिपोर्टोंके समान ताकपर नहीं रख देना चाहिए, बल्कि इनपर नत्काल अमल किया जाना चाहिए। और इनपर अमल करने का एकमात्र तरीका, जैसा कि रिपोर्टमें बताया गया है वह है कि अखिल भारतीय चरखा मच तथा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग मचको इस रिपोर्टके सुझावोंको कार्यान्वित करने में सरकारकी मदद करने के लिए आमन्त्रित किया जाये।

यहाँ मैं "आम विचारणीय बातों" वाले अध्यायका पूरा सार दे रहा हूँ . .।

शायद पाठकोंने यह भ्रमसा होगा कि मध्य प्रान्तके औद्योगिक सर्वेक्षणपर कुमारप्पा-समितिकी रिपोर्टका मेरा विवेचन पूरा हो चुका है। पर असल बात यह है कि लगातार मफर और व्यस्तताके कारण मैं जतनी नियमिततासे यह विवेचन नहीं कर पाया जितनी नियमिततासे मैं करना चाहता था। अब सीमा-प्रान्तकी लम्बी यात्राने मुझे भवमर दिया है कि यह विवेचन आगे जारी रखूँ और पूरा कर लूँ।

पिछली किस्तमें दूसरे अध्यायतक का विवेचन हुआ था। तीसरेका महत्त्व भी कुछ कम नहीं। ६०६ गाँवोंके सर्वेक्षणमें समितिको इस दुःखद तथ्यकी जानकारी मिली कि गाँवोंकी प्रति व्यक्ति औमत आय केवल १२ रुपये है। इसमें आराम-कुर्मी पर बैठे-बैठे पुस्तकोंके माध्यममें आँकड़े एकत्र करनेवाले वे अर्थशास्त्री चॉक न जायें जिन्हें यह गिनाया-पढाया गया है कि औमत आय ६० रुपयेमें ८० रुपयेके बीच है। दोनों अपने-अपने दृष्टिकोण और प्राप्त आँकड़ोंके अनुसार ठीक है। ६५ में ८० रुपयेतक तो मसूचे भारतकी औसत आय है, जिनमें लक्षपतियों, विचौलियों और जमींदारोंकी आय भी शामिल है। इस राशिका अपना ही उद्देश्य है, किन्तु कुमारप्पा-समितिके लिए ६५ का आँकड़ा तो बिलकुल गलत है। १२ का आँकड़ा उनके लिए नहीं और वान्तवमें वैज्ञानिक है। उन समितिको केवल ग्रामवासियोंकी औमत आयमें मतलब था। समितिके कहा है .

हमारे सर्वेक्षणसे प्रकट होता है कि अधिकांश उद्योग लड़खड़ा रहे हैं।

शायद ही कोई उद्योग हो जिसकी दशा सामान्य भी कही जा सके। जनताकी

१. यह आठ उपशीर्षकोंमें प्रकाशित हुआ था: 'राशिके कर्तव्य', 'कर तथा श्रम', 'पूँजी और श्रम-दान', 'धन और श्रम-विनिमयक अर्थशास्त्र', 'वस्तु-विनिमय तथा सरकारी क्रोम', 'कच्चा मट: उद्योग और श्रम', 'प्रशाननिक व रचनात्मक कार्य-कुशलता' तथा 'उत्पादनके मार्गमें बाधा'।

राजस्व-अदायगीकी सामर्थ्य तेजीसे गिरती जा रही है और यदि इस मामलेको अविलम्ब संभाला नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब सरकार जनतासे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। . . .

आयकी अल्पता तो लोगोंकी खुराक ही बता देती है। रिपोर्टमें कहा गया है :

. . . उनकी खुराकका अधिकांश भाग चावल या कोई दूसरा अन्न है, जिसको कभी-कभी वे पेट भरने की खातिर लपसीके रूपमें पी भी लेते हैं, किन्तु परिस्थितिकी विडम्बना यह है कि जो थोड़ा-बहुत चावल उन्हें प्राप्त है वह भी पालिश किया होता है, जो उनकी खुराकको बदतर बना देता है। चोकर मुश्किलसे ही उनके पल्ले पड़ता है। इस कारण सरकारका यह कर्त्तव्य है कि निर्बन्तोंको जो चावल मिलता है वह अपने सभी पौष्टिक तत्त्वोंसे युक्त हो। . . .

खुराकके विषयमें और भी मूल्यवान सकेत दिये गये हैं, जिनके लिए मैं पाठकोंसे मूल ही पढ़ने को कहूँगा।

कृषिका संक्षिप्त उल्लेख है, जिसमें से एक अंश दे रहा हूँ :

. . . राजस्व-अदायगीकी समस्याकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा भूमिकी पट्टेदारीकी समस्या भी हमें विचारणीय लगती है। . . . ध्यानसे योजना बनाये बिना ही जो असंगत बसूलियाँ होती हैं उनसे बड़ी हानि पहुँची है और अब भी पहुँच रही है। सर्वेक्षणके दौरान हमने देखा कि भूमिकी उर्वरता वापस लाने की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। . . . समय आ गया है कि कृषि-विभाग भूमिके पुनः उर्वरीकरणका जिम्मा अपने कंधोंपर ले ले और मौसमके अनुसार किसानोंको गाँवोंमें स्थापित विभिन्न भण्डारोंसे खाद दे और फसल कटने के समय उनसे उसकी कीमतकी बसूलो करे। कृत्रिम खादका उत्पादन देशका एक प्रमुख उद्योग बन जाना चाहिए। किसानोंको बीज भी दिया जा सकता है। . . .

उत्पादनकी पद्धतियोंके विषयमें समितिने कहा है :

. . . आजकल बड़े-बड़े व्यवस्थित उद्योगोंको अनेक प्रकारकी सहायता मिलती है और सरकारने छूट भी दे रखी हैं, जिससे वे सस्ता माल तैयार कर पाते हैं, जबकि ग्राम और कुटीर उद्योगोंकी इकाइयोंके अस्तित्वको भी मान्यता नहीं मिलती, सहायता और छूट मिलना तो दूर रहा। . . . कुटीर और ग्रामोद्योगोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जबतक घन-वितरणकी है, तबतक उनका किसी भी राष्ट्रकी अर्थ-व्यवस्था और विशेषतः हमारे देशकी अर्थ-व्यवस्थामें एक ऐसा सुनिश्चित स्थान है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। गौरसे निरीक्षण किया जाये तो प्रकट होगा कि बड़े पैमानेके उद्योगोंकी उत्पादनकी सस्ती दर या मितव्ययताका कारण आवश्यक रूपसे इस उत्पादन-पद्धतिका अपना कोई सहज गुण नहीं है। यह तो मुख्यतः देश-भरमें तरह-तरहसे किये जानेवाले उस व्ययके कारण है जो इस उत्पादन-पद्धतिके बढ़ते-सते डाला जाना चाहिए।

बीया अध्याय उद्योग-विभागके विषयमें है। रिपोर्टमें विभागके विषयमें कुछ तीखी बातें भी कही गई हैं। सार निम्नलिखित है।

. . . अपने वर्तमान रूपमें यह विभाग उद्योगोंका कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता, वह तो एक बड़ा निरीक्षणालय-मात्र है। . . . इस विभागकी रचना ही ऐसी होनी चाहिए कि हरएक ग्रामवासी स्वभावतः उससे सहायता और सलाह माँगे। . . . इस विभागकी वह धुरी होना चाहिए जिसके चारों ओर जनताकी उत्पादकताका चक्र घूमता रहे। इसे वैज्ञानिक, आर्थिक और तकनीकी, सब प्रकारकी मदद सीधे जनतातक पहुँचानी चाहिए। . . .

यहाँ जो सुझाव दिया गया है वह उसी ढंगपर है जिस ढंगपर अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ और अखिल भारतीय चरखा संघ पहलेसे ही सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके मगनवाड़ी, वर्धामें स्थित मुख्यालयमें कई प्रकारके ग्रामोद्योग चल रहे हैं। छात्रोंको उद्योगों और ग्राम-सेवाका प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ वैज्ञानिक शोध-कार्य भी होता है। जो सामान तैयार किया जाता है वह संघ द्वारा संचालित एक दुकानमें बेचा जाता है। मगन संग्रहालय भी संघसे जुड़ा हुआ है। यह भागे वर्णित किस्मका एक संग्रहालय है। चरखा संघने इन सब बातोंपर जोर देने के अलावा गाँवके उत्पादकोंका संगठन किया है और देश-भरमें अपनी दुकानोंका जाल बिछा दिया है, जहाँ गाँवोंकी संस्थाओं द्वारा तैयार सामान बेचा जा सके। . . .

ध्यान देने लायक बात यह है कि उद्योग-निदेशकने, जो इस समितिके सदस्य हैं, अपने विभाग-सम्बन्धी इन टिप्पणियोंका अनुमोदन किया है। अपने निर्लिप्त तथा निष्पक्ष दृष्टिकोणके लिए वे बधाईके पात्र हैं।

व्ययके वर्गीकरणका निम्नलिखित विश्लेषण ध्यानपूर्वक देखे जाने लायक है :

शिक्षा	०-३-५ $\frac{1}{2}$
सामान्य प्रशासन	०-३-०
राजस्वकी वसूली	०-३-०
पुलिस और जेल	०-३-०
न्याय	०-१-३
चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	०-१-०
कृषि, पशु-चिकित्सा, निर्माण	०-१-१
सहकारी ऋण	०-०-१
उद्योग-धन्धे	०-०-१ $\frac{1}{2}$

जहाँ उद्योग-धन्वोंपर, अर्थात् ग्राम अर्थ-व्यवस्थापर केवल १½ पाईका व्यय हो वहाँ तो निश्चय ही व्यवस्थामें कोई बड़ी खराबी है। और जैसा कि समितिने सत्य ही कहा है, उसका भी अधिकांश भाग केवल प्रशासनिक कार्योंमें लग जाता है। यदि इस विभागको उचित पद्धतिसे चलाया जाये तो गाँवोंमें खुशहाली होगी और उसी मात्रामें प्रान्तकी खुशहालीमें भी वृद्धि होगी। सोलह आनेमें से सामान्य प्रशासन और पुलिस तथा जेलपर तीन आने चले जायें, सरकारके लिए ऐसा करना बहुत गलत है।

पाँचवाँ अध्याय, जिसमें सर्वेक्षणकी चर्चा की गई है, वास्तवमें छठे और अन्तिम अध्यायकी भूमिका ही है, जिसमें ग्रामोद्योगोका विशद विवरण है। गाँवोंकी दशाका इस प्रकार वर्णन किया गया है :

. . . जनताकी प्राथमिक आवश्यकताओंको देखते हुए कहना पड़ता है कि गाँवोंसे प्राप्त राजस्वका व्यय सबसे पहले वातावरण स्वच्छ बनाने और ताजे तथा अच्छे पानीका प्रबन्ध करने पर होना चाहिए, क्योंकि इसका ग्राम-वासियोंके स्वास्थ्यपर असर पड़ता है। किन्तु दुर्भाग्यवश जल-आपूर्तिकी, खास तौरसे हरिजन-परिवारोंके निमित्त जल-आपूर्तिकी, उपेक्षा की जाती रही है। सामाजिक प्रथाओंके खिलाफ चाहे जो कहा जाये, किन्तु हम इन दलित जातियोंको जल-सुविधा सुलभ कराने के लिए उन प्रथाओंके सुधरने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। . . .

गाँवोंमें उद्योगोंकी दशाके सम्बन्धमें रिपोर्टमें यह कहा गया है :

. . . अपने सर्वेक्षणके दौरान हमने देखा कि बिना किसी नीति या योजनाके जहाँ-तहाँ अनेक प्रकारके उद्योग सन्निविष्ट कर दिये गये हैं। इस सबका फल यह है कि आज ग्राम विखण्डित होते विसाई देते हैं। . . .

इससे स्पष्ट हो जाता है कि अतीतमें गाँवोंकी घोर उपेक्षा हुई है। यदि कांग्रेसी सरकारे कांग्रेसके घोषित उद्देश्योंको पूरा करना चाहती है तो वे ग्रामवासियोंके जीवनका पुनर्निर्माण करेंगी और उन्हें अपने समयका ऐसा सदुपयोग करने का सुअवसर देंगी जिनसे वे अपनी अधिकांश आवश्यकताएँ स्वयं ही पूरी कर लें। जैसा कि रिपोर्टमें दरसाया गया है, सरकारोंको दो काम करने हैं. (१) गाँवोंकी आर्थिक व्यवस्थामें हस्तक्षेप रोकने के लिए गाँवोंमें एक तो विदेशी मालका आना रोकें, और दूसरे, अपने देशी व्यापारियोंको गाँवोंमें मिलमें तैयार किया गया आटा, चावल और तेल इत्यादि लाने से रोकें। इन वस्तुओंके आने से ग्रामवासी बेकार हो जाते हैं और पालिश किये हुए निस्त्व खाद्य-पदार्थोंसे उनका स्वास्थ्य क्षीण होता है। (२) रोकथामके इन उपायोंके साथ-साथ मौजूदा उद्योगोंको और अधिक लाभकर बनाने के लिए उन्हें चलाने की प्रणालीमें सुधार किया जाये और खास-खास गाँवोंमें वहाँ उपलब्ध कच्चे मालकी दृष्टिसे नये उद्योग लगाये जायें। इस कदमको सफल बनाने के लिए योजनामें एक और बातका समावेश करना होगा — वह यह कि गाँव अपनी आवश्यकताके

निए नही, बल्कि उत्पादन-क्षेत्रने बाहर बेचने के लिए जो मामान तैयार करे, उसकी मपतका प्रबन्ध मरकार करे।

ममितिके ध्यानमें ये ग्रामोद्योग आये हैं : धान कूटना, आटा पीमना, तेल निखालना, गड़ बनाना, चीनीका उत्पादन, मयुमकवी-पालन, मिट्टीके बरतन बनाना, काँचका काम, मावुन बनाना, कपाम-मम्बन्धी थियाएँ (जैसे कपास चूना, ओटना, घुनना, कातना, धुना), धुलाई, रंगाई, ऊन कातना-घुनना, भेड़-पालन, बड़ईगिरी, कुहागी, रेयाम-उत्पादन, चटाई घुनना, रन्नी बटना, चमडा कमाना, मृत डोरोको टिकाने लगाना, मछली-पालन, मुर्गी और बत्ख-पालन, गो-पालन, जूते गाँठना, पीतल या धानुकी घन्तुएँ बनाना, पिपलाने बनाना, मुतारी, कागज बनाना, परिवहन, लागका उद्योग, बाँसका काम, दियासलाई बनाना इत्यादि। उद्योगोंमें बीड़ी बनाना भी आना है। उम उद्योगके विषयमें ममितिने यह कहा है :

बीड़ी-उत्पादन इस प्रान्तका बहुत ही लाभप्रद, किन्तु हानिकर उद्योग है। . . . चूँकि काम करने के इच्छुक लोगोको अन्य उद्योग सुलभ नहीं हैं, इसलिए जीवन-निर्वाह और मजदूरीकी दरको देखते हुए बहुत कम मजदूरी पर इस उद्योगकी ओर मजदूर खिचे छले आते हैं . . .। वे दो-ढाईसे लेकर तीन आने रोजाना तो बना ही लेते हैं, जो गाँवकी मजदूरीकी दरको देखते हुए बहुत अच्छी कमाई है। . .

ममितिने मभी उद्योग-धन्धोंके बारे में व्यावहारिक सुझाव दिये हैं। प्रत्येक धीर्यकके अन्तर्गत जो सुझाव दिये गये हैं उनका सार-संक्षेप देने में उनका आशय ठीक प्रकट नहीं होता। जिन्हें उत्सुकता और रुचि है उन्हें तो रिपोर्ट मँगाकर उमीका अध्ययन करना चाहिए। मरकारको चाहिए कि एक सस्ता और सुविधाजनक सम्बरण निकाले और कमसे-कम हिन्दुस्तानीमें उसका अनुवाद भी कराये। यह रिपोर्ट दूसरे प्रान्तोंके लिए भी उपयोगी है। अतएव दूसरे प्रान्तोंकी मरकारोंको चाहिए कि कुछ प्रतिधा मँगवाकर अपने निदेशकोकी निर्देश दे कि रिपोर्टका अध्ययन करके उमके अनुसार चले। मैं आशा करता हूँ कि मध्य प्रान्त मरकार ममितिकी मभी मिफार्मिओका पूरी तरह पालन करेगी।

[अग्नेजीमे]

हरिजन, २०-५-१९३९, ३-६-१९३९, १५-७-१९३९, २२-७-१९३९ और २९-७-१९३९

४०. टिप्पणियाँ

और भी मन्दिर खुले

राजा श्री राजाराम राजा साहब तजौर राजमवन देवस्थानोके बड़े महाराजा और आनुवंशिक न्यासी है। श्री बृहदीश्वर नामक सुप्रसिद्ध मन्दिर-सहित ९० मन्दिर उनकी देख-रेखमें है। इन सब मन्दिरोंको उन्होंने बिलकुल स्वेच्छापूर्वक प्रायश्चित्तके तौरपर हरिजनोके लिए खोल दिया है और इस प्रकार शुद्धिके उस कामकी गति बढा दी है जो हिन्दू-धर्ममें चल रहा है। राजा साहबका यह काम बहुत महान् और श्रेष्ठ है। वे उन सबकी बधाईके पात्र हैं जो यह विश्वास करते हैं, कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मपर कलंक-रूप है। श्रीमती रामेश्वरी नेहरूने दक्षिणमें हरिजनोके लिए मन्दिर खोले जाने के पक्षमें व्याप्त उत्साहका जो विवरण भेजा है उससे मालूम पड़ता है कि यह सुधार सच्चा है और स्थायी होगा। वे चीजोंको बहुत सावधानीके साथ देखती-समझती है। उनका कहना है कि जिन सभाओमें वे भाषण करती हैं उनमें हजारों आदमी शामिल होते हैं और वे जो-कुछ कहती हैं, उसका एक-एक शब्द वे समझते हैं। योग्य दुभाषियेके जरिये उनकी बात श्रोताओको समझाई जाती है, और उनका कहना है कि वे जो विचार प्रकट करती हैं, उनका श्रोतागण प्रसन्नतापूर्वक समर्थन करते हैं। यह सब पहलेकी वनिस्वत स्पष्ट प्रगतिका द्योतक है। इस प्रकार यद्यपि बहुत-कुछ किया जा चुका है, फिर भी हिन्दू सुधारकोके लिए अभी आरामकी गुंजाइश नहीं है क्योंकि अब भी बहुत-कुछ करना बाकी है। मन्दिर-प्रवेशके साथ-साथ मन्दिरोंका सुधार भी करना है। अगर सुधार सतही नहीं है बल्कि हिन्दू-धर्म तथा हिन्दुओकी आत्मशुद्धिकी इच्छाका द्योतक है, तो उसके साथ-साथ मन्दिरोंका भी हर तरहसे सुधार होना आवश्यक है। उनकी पवित्रता और लोक-प्रियता बढनी चाहिए। मन्दिरोंमें हरिजनोके प्रवेशका मतलब यह होना चाहिए कि उससे हरिजनोके जीवनमें खुद-ब-खुद उत्थान आ गया है। ये बातें तभी सम्भव हैं जब हरिजन-सेवक अधिक जागरूकतासे काम ले, दूने उत्साहसे काम करें और उन्हें लगे कि उनकी सहायतासे जो सुधार हो रहा है, उससे खुद उनका भी उत्थान हुआ है। हरिजनोके लिए मन्दिरोंके द्वार खोलने-जैसे सुधारोसे, जो लोग इस काममें लगे हुए हैं और जिनपर इसका असर पड़ता है, उनके जीवन आम तौरसे ऊँचे उठने चाहिए।¹

सेर्गाव, २९ जुलाई, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ५-८-१९३९

१. देखिए खण्ड ६९, पृ० ४५९-६१ भी।

४१. तार : सिकन्दर हयात खाँको

सेर्गाव

२९ जुलाई, १९३९

महान्दर हयात खाँ
शिमला

तारको^१ निम्न पत्रवादा । धमा माँगने की कोई जरूरत नहीं । ऐसी चीजें जन-मेवकोंके जीवनमें फाँसी ही रहती हैं ।

अंग्रेजीकी नकलमें प्यारेलाल-पेपर्स; मौजबूत : प्यारेलाल

४२. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेर्गाव, वर्धा

२९ जुलाई, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

धामीके लोभोका पत्र-प्रदर्शन करने के बजाय मैंने उन्हें तुम्हें सीप दिया है।^१ मेरे ग्यालमें, मेरी तरफमें किमी इन्तखेपके बिना तुम्हारीको इस दायित्वसे निवट लेना चाहिए। देशी राज्योंका यह विचार दिवार्ड देता है कि कांग्रेसको और इस तरह प्रजा परिषद्को अलग-थलग कर दिया जाये और उनकी उपेक्षा की जाये। मैं 'हृग्जिन' में पहले ही मुझसे दे चुका हूँ कि तुम्हारी समितिमें पूछे बिना किसी रिगामती मंथ या मण्डलको अपने-आप कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ करना ही हो तो तुम्हारी मारफत करना चाहिए, अर्थात् जब तुम मुझमें पूछो तो जैसे मैं कार्य-समितिको अपनी राय दे देता हूँ वैसे ही तुम्हें दे दूँ। कल ग्वालियर-घालों में भी मैंने ऐसा ही कहा है। तुम्हारी समितिको ठीक दगने काम करना है तो मुझे उसको थोड़ा-ना पुनर्गठित करना होगा।

१. २७ जुलाईको भेजे गये इस तारमें सिकन्दर हयात खाँने २९ जुलाईको लाहौर रेलवे स्टेशन पर निम्न भाँगी द्वारा किये गये अशोभनीय प्रदर्शनोंके लिए माफी माँगी थी।

२. दिवसकी रात प्रजासत्ताकी ओरने एक मिष्टमण्डल गार्थनीने दिल्लीमें २७ जुलाईको निम्न भाँगी और उनमें धामीमें हुए गोपी-काण्डमें उन्हें अवगन कराया था।

३. रेडिटर पृ० १६-१९।

४. अंग्रेज राजकीय ऐसी रात प्रजासत्ताकी स्थायी समिति, जिम्मे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे।

आखिर मेरा कश्मीर जाना नहीं हुआ। शेख अब्दुल्ला और उनके मित्रोंने मेरा सरकारी मेहमान बनने का विचार सहन नहीं था। अपने पिछले अनुभवके आधारपर मैंने इस आशासे राज्यका प्रस्ताव मंजूर कर लिया था कि शेख अब्दुल्लाकी सहमति मिल जायेगी। परन्तु मैंने देखा कि मैं गलतीपर था। इसलिए राज्यके आतिथ्यकी स्वीकृति रद्द करके मैंने शेखका आतिथ्य स्वीकार किया। इनने राज्यको परेशानी हुई। इसलिए मैंने वहाँ जाने का विचार ही छोड़ दिया। मैं डुहरी मूर्खताका दोषी बना — एक तो मैंने तुम्हारे बिना वहाँ जाने का विचार करने का दुस्साहस किया और दूसरे, राज्यका प्रस्ताव मान लेने से पहले शेखकी इजाजत नहीं ली। मैंने सोचा था कि राज्यका प्रस्ताव मंजूर करके मैं प्रजाकी सेवा करूँगा। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि शेख और उनके मित्रोंके साथ मेरा सम्पर्क सुखद नहीं था। वे हम सबको बहुत ही बेतुके मालूम हुए। खानसाहबने उन्हें समझाया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला।

तुम्हारी लंका-यात्रा शानदार रही। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तात्कालिक परिणाम क्या रहा। सालेह तैयबजी मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि तुम्हें वनां भेजूं और ऐन्ड्र्यूज तुम्हें दक्षिण आफ्रिका भेजने के सम्बन्धमें सोच रहे हैं। लंकाके लिए कांग्रेसके शिष्टमण्डलका विचार तो मुझे सहज ही सूझा था। लेकिन इन दो स्थानोंपर भेजने की प्रेरणा उकसाने पर भी नहीं हो रही है। लेकिन इनके बारेमें तो जब मिलेंगे, तब चर्चा करेंगे। आगा है, तुम चूस्त हो और कृपणा भजेमें है। स्नेह।

वापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पत्र, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृ० ३७७-७८ भी

४३. पत्र : अमतुस्सलामको

सेगांव

२९ जुलाई, १९३९

चि० अ० स०,

तू मुझे दुःखी कर में तुझे। यह तो अच्छा सौदा हुआ ना? तुझे रोज खत भेजे जाते थे। दा० सुशीलाको तेरे खत देता था। मैंने गलती की, माफ कर। अब जैसे आवेंगे ऐसे फाड़े डालुंगा। जवाब किस चीजका दूँ?

हां, रमण मूर्खीके पास जायगी तो अच्छा तो होगा।

अगस्टमें छूटेगी तो क्या पत्नीवाला जायगी कि मुंबई?

१. कृपणा हठीसिंह, ज्वाहरलाल नेहरूकी छोटी बहन

मैं तो शायद सारा अगस्त मासमें यही हूंगा। पीछे तो ईश्वर जाने। सु० दिल्लीमें रही है, एक महीना रहेगी।

बापुकी हुआ

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२६) से।

४४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको'

सेगांव,

२९ जुलाई, १९३९

दक्षिण आफ्रिकाकी सत्याग्रह-समितिके नेता डॉ० दाडू और मेरे बीच तारोंका आदान-प्रदान होता रहा है। मुझे सत्याग्रह-समितिके यह कहने में कोई हिचकिचा-हट नहीं है कि पहली अगस्तको वह जो संघर्ष आरम्भ करनेवाली है, उसे कुछ समयके लिए स्थगित कर दिया जाये। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे सम्मानजनक समझौतेकी कुछ आशा है। मैं जानता हूँ कि भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार राहत दिलाने की कोशिश कर रही है। मैं मन्त्रियोंके साथ सम्पर्क बनाये हुए हूँ। ऐसी स्थितिमें मैं थोड़े समयके लिए संघर्ष स्थगित करना जरूरी मानता हूँ। मैं सत्याग्रहियोंके जोशसे भली-भाँति अवगत हूँ। वे अपनी सामर्थ्य पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, और जरूरत पड़ी तो फिर उसे सिद्ध कर देंगे। लेकिन सत्याग्रहियोंका सिद्धान्त है कि सत्याग्रह टालने के हूर अवसरका उपयोग किया जाये, बशर्ते कि ऐसा सम्मानपूर्वक किया जा सके। शान्तिकी खोजमें जब भी संघर्ष रोका जाता है, तब सच्चे योद्धाकी शक्ति बराबर बढ़ती ही है। उन्हें याद रखना चाहिए कि १९१४ का केप टाउन समझौता शान्तिकी खातिर संघर्ष रोक देने का ही परिणाम था। मुझे आशा है कि प्रस्तावित संघर्ष-विरामका परिणाम भी वैसा ही होगा। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा न हो और संघर्ष छिड़ ही जाये, तो डॉ० दाडू और उनके साथी सत्याग्रहियोंको जान लेना चाहिए कि सारा भारत उनके साथ होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-८-१९३९

१. यह "ट्रिपुणिवी" के अन्तर्गत "संघर्ष स्थगित करें" उप-शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। वक्ताव्य हिन्दुस्तान टाइम्सके ३०-७-१९३९ के अंकमें भी प्रकाशित हुआ था।

२. यह संघर्ष १९३९ के पश्चिम (दार्जिलिंग) भूमि और व्यापार अधिनियमके विरुद्ध आरम्भ किया जानेवाला था। अधिनियमका उद्देश्य दार्जिलिंगमें भारतीय समाजके आर्थिक हितोंकी रक्षण सम्मान कर देना था। देखिये खण्ड ६९, पृ० १२८ भी। ३१-७-१९३९ के बॉम्बे क्रान्तिकारके अनुसार दाडूने एक वक्ताव्य जारी किया था, जिसमें उन्होंने गांधीजीके अनुरोधको स्वीकार करते हुए कहा था कि आगे उनकी सलाह मिलने तक संघर्ष स्थगित रखा जाये।

४५. धामी-काण्डसे सबक

धामी-प्रकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है। सच्ची बात अभीतक प्रकट नहीं हुई है। हिमालयी राज्य प्रजामण्डलने राजनीतिक एजेंटके स्वभावतः एकतरफा बयानकी सचाईपर आपत्ति उठाई है। मण्डलके वक्तव्यसे जाहिर होता है कि उन घटनाओं की खुली अदालती जाँच किस प्रकार नितान्त आवश्यक है जिनके कारण धामीके राणाको गोली चलानी पड़ी।

दिल्लीमें मेरे कुछ देरके प्रवामके दौरान हिमालयी प्रजामण्डलके कुछ सदस्य मुझसे मिलने आये। धामी-काण्डने मुझे विचार-निमग्न कर दिया था। क्या मेरे दुष्काण्डको रोकने का कोई उपाय सम्भव नहीं? इस बारेमें मुझे थिग्ट-मण्डलसे बहुत-कुछ कहना था, लेकिन मैंने यह महसूस किया कि हिमालयी राज्य प्रजामण्डलका शार्गदर्शन करने का भार अपने कन्धोंपर लेना मेरी गलती होगी। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी तरह इससे पैदा होनेवाले प्रश्न भी बहुत बड़े थे। डमीलिए मुझे यह लगा कि यह समस्या मुझे नहीं, बल्कि अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद्की स्थायी समितिको निपटानी चाहिए। रियासतोंकी समस्या दिनो-दिन विकराल होती जा रही है। राजा लोग अब बन्दूकका इस्तेमाल करने में बेझिझक होते जा रहे हैं। वे यह महसूस करते हैं कि जहाँतक अधीश्वरी सत्ताका सम्बन्ध है, वे सुरक्षित हैं। कांग्रेसका उनपर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। अब तो बहुत-से राजा अपनी प्रजाके बढ़ते हुए उत्साहको कुचलने का और बने तो कांग्रेसके लिए रियासती प्रजाकी समस्याओंमें हस्तक्षेप करना तो दूर, उनका प्रभावकारी पथ-प्रदर्शन करना भी असम्भव बना देने का सरजाम कर रहे हैं। मगर कांग्रेसको तो इस मामलेमें अपना फर्ज अदा करना ही है। मुझे प्रजा परिषद्के संविधानका ठीक ज्ञान नहीं है, मगर मेरा खयाल है कि वह किसी-न-किसी रूपमें कांग्रेससे सम्बद्ध है। कुछ भी हो, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्था है जिसकी रचना रियासती प्रजाका पथ-प्रदर्शन करने की दृष्टिसे विशेष उपयुक्त है। इस प्रकारके पथ-प्रदर्शनपर रियासतोंका नाराज होना गलत होगा। उन्हें भी यह समझ लेना चाहिए कि इस तरहकी नाराजगी बेकार होगी। कांग्रेस रियासतोंकी प्रजाकी जरूरतके समय उसके पथ-प्रदर्शनके अपने कर्तव्यका परित्याग नहीं कर सकती। एक समय वह भी था जब कांग्रेस अधीश्वरी सत्ताके खिलाफ रियासतोंका पथ-प्रदर्शन करती थी और उनके अधिकारोंकी रक्षा भी करती थी। यदि आवश्यकता के समय रियासतें कांग्रेसकी मैत्रीकी इच्छा और उसका स्वागत करती थी, तो अपनी प्रजाको कांग्रेससे मलाह, मार्ग-दर्शन और रक्षाकी प्रार्थना करते देखकर बिदकना उन्हें शोभ-नहीं देता। दुर्भाग्यसे यह बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस उन्हें हर समय प्रभावकारी मदद नहीं दे सकती। कांग्रेसको अपने

संघटनके आधारको मजबूत बनाकर तथा विवेकपूर्ण समय द्वारा निष्पक्षता और कठोर न्यायपरायणताकी अपनी साख जमाकर आवश्यक शक्ति अर्जित करनी है। यदि कांग्रेसको सही तौरपर अपना, कर्तव्य निभाना है, तो अपने कार्यकर्ताओंसे उसे इस बातका आग्रह रखना होगा कि वे अपने पक्ष तैयार करने में आजकी अपेक्षा अधिक यथार्थतासे काम लेना सीखें। स्थायी समितिके सामने जो भी चीज आये उसकी क़ड़ी जाँच होनी चाहिए, ताकि उसके सामने केवल खरी चीजें ही आयें। अगर रियासतोंका ऐसी कारगुजारियोंका सही-सही विवरण प्रकाशित किया जाये जिनमें प्रजाको साधारण न्यायसे भी वंचित कर दिया गया हो, तो उनसे कार्रवाई करने का समुचित आधार प्राप्त होगा।

यह तो मैंने कार्य-दिशाका संकेत-भर किया है। स्थायी समिति अपनी नीति और समय-समयपर उठनेवाली समस्याओंको सुलझाने के लिए अपने तरीके तो, बेशक, आप ही निर्धारित करेगी। मेरा यह लिखने का उद्देश्य रियासतोंके कार्यकर्ताओंको यह चेतावनी देना है कि वे मेरे पास न आशा करे और न मुझसे किसी सलाहकी आशा करें। उन्हें स्थायी समितिके पास ही जाना चाहिए। मैं तो कांग्रेसजनोंको भी ऐसे आम मामलोंमें सलाह नहीं देता जिन्हें निपटाने का काम कांग्रेसकी कार्य-समितिका है। हाँ, मैंने अपनी सेवाएँ कार्य-समितिके हवाले कर रखी हैं। इसी तरह भविष्यमें नई रियासती समस्याओंके बारेमें भी कड़गा। जिन लोगोंसे पहलेसे ही मेरा सीधा सम्बन्ध है, उनका पथ-प्रदर्शन मैं नहीं छोड़ूँगा। कहने की जरूरत नहीं कि मैं रियासतोंके जन-आन्दोलनका सीधा मार्ग-दर्शन करने की झगटमें न पड़कर, रियासतोंको प्रभावित करनेवाले मामलोंमें अपने खास ढंगसे जो-कुछ कर सकता हूँ वह करता रहूँगा। रियासती कार्यकर्ताओंसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे स्थायी समितिको सूचना दिये और उसकी मजूरी लिये बिना कोई आन्दोलन खड़ा न करें। कांग्रेसका यह कर्तव्य होना चाहिए कि राज्य प्रजा परिषद्के जरिये काम करते हुए, वन पडे तो, रियासतोंके साथ झगडेको टालें।

सेगाँव, ३० जुलाई, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ५-८-१९३९

४६. टिप्पणियाँ

संस्कृतसे उद्भूत भाषाओंके लिए एक लिपि

यह मवाल अनेक वर्षोंसे लोगोंके नामने है कि संस्कृतमें उद्भूत या जिन्होंने स्वेच्छासे संस्कृतको अपने स्रोतके रूपमें ग्रहण कर लिया है, उन नव भारतीय भाषाओंकी एक लिपि होनी चाहिए। इनके बावजूद तीव्र प्रान्तीयताके इन दिनोंमें एक लिपिके पक्षमें कुछ कहना शायद धृष्टता समझी जायेगी। लेकिन मागे देशमें साक्षरताका जो आन्दोलन चल रहा है, उसके कारण एक लिपिका प्रतिपादन करने-वालों की बात चुननी ही चाहिए। मैं भी बरसोंमें एक लिपिका प्रतिपादन करना रहा हूँ। मुझे याद है कि अपने दक्षिण आफ्रिकी प्रवासके दौरान भारत-स्थित कुछ गुजरातियोंसे अपने पत्र-व्यवहारमें मैंने देवनागरी लिपि अपना ली थी। ऐसा करने ने प्रान्तोंके पारस्परिक सम्पर्कमें बहुत सुविधा हो जायेगी और विभिन्न प्रान्तीय भाषाएँ सीखने में आजकी बनिस्वत बहुत ज्यादा आसानी होंगी। अगर देशके विभिन्न लोग आपसमें मिलकर विचार करें और एक लिपिका निश्चय कर लें, तो नबके द्वारा उसका ग्रहण किया जाना आसान बात हों जायेगी। उन करोड़ों निरक्षर लोगोंके लिए इस बातमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पढ़ाईके लिए कौन-सी लिपि रखी गई है। अगर यह सुखद स्थिति आ जाये, तो भारतमें देवनागरी और उर्दू ये दो लिपियाँ ही रह जायेंगी और हरएक राष्ट्रवादी दोनों लिपियोंको भली-भाँति सीखना अपना फर्ज नमझेगा। मैं सभी भारतीय भाषाओंका प्रेमी हूँ। यथालम्बव अधिकसे-अधिक लिपियाँ सीखने की मैंने कोशिश भी की है। सत्तर वर्षकी उम्रमें भी मुझमें इतनी शक्ति मौजूद है कि अगर वक्त मिले, तो मैं और भी भारतीय भाषाएँ सीख सकता हूँ। ऐसी पढ़ाई मेरे लिए मनोरंजनकी ही चीज होगी। लेकिन भाषाओंके प्रति अपने इतने प्रेमके बावजूद, मुझे यह कबूल करना पड़ेगा कि मैं सब लिपियाँ नहीं सीख पाया हूँ। अलबत्ता, अगर एक स्रोतमें निकली हुई भाषाएँ एक ही लिपिमें लिखी जायें, तो बहुत थोड़े समयमें प्रान्तोंकी खान-खान भाषाओंका कामचलाऊ ज्ञान मैं प्राप्त कर लूँगा। और जहाँतक देवनागरीका सवाल है, सौन्दर्य या नजाबतकी दृष्टिमें लज्जित होने जैसी बात उसमें नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग साक्षरता का आन्दोलन चलाने में लगे हुए हैं, वे मेरे इन मुझावपर भी कुछ विचार करेंगे। अगर वे देवनागरी लिपिको ग्रहण कर लें, तो निश्चय ही वे भावी मन्तविके परिश्रम और समयकी भारी बचत करके उनकी दुआएँ पायेंगे।

मेगाँव, ३० जुलाई, १९३९

[अंग्रेजीमें]

हरिजन, ५-८-१९३९

४७. हरिजन-सेवक सम्मेलन

पूनामें पिछली ४-७ जूनको पश्चिमी और मध्य भारतके हरिजन-सेवकोंका एक सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय सघकी उपाध्यक्षा श्रीमती रामेश्वरी नेहरूने उसकी अध्यक्षता की थी। मुझे खेद है कि अभी तक उस सम्मेलनके कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रस्तावोंका मैं 'हरिजन' में जिक्र नहीं कर पाया। और हालाँकि ये प्रस्ताव आजसे लगभग दो महीने पहले पास किये गये, फिर भी वे अब भी प्रकाशनके योग्य हैं। यहाँ उनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दिये जा रहे हैं।'

आशा है, इन्दौर और खालियर राज्योंको सम्बोधित करके जो प्रस्ताव पास किये गये हैं, उनका कुछ परिणाम निकलेगा। इसी आशयके देवास और काठियावाड़से सम्बन्धित जो प्रस्ताव पास किये गये हैं, उन्हें मैंने पुनरावृत्तिसे बचने के लिए छोड़ दिया है। नि सन्देह यदि राजा लोग भारतीय जनताके इस तिरस्कृत हिस्सेके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करना चाहते हों, तो सघको उन्हें याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सनातनियोंकी तरह वे अस्पृश्यताका बचाव नहीं करते। उन्होंने अभी तक तो हरिजनोंके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, उसका कारण हरिजनोंके प्रति उनकी उदासीनता ही मानी जा सकती है। हम आशा करते हैं कि सम्मेलन द्वारा की गई अपीलको अनसुना नहीं किया जायेगा।

सेगाँव, ३० जुलाई, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-८-१९३९

४८. पत्र : द० बा० कालेलकरको

सेगांव

३० जुलाई, १९३९

चि० काका,

इसके साथ मगनभाईके^१ लिए एक पत्र है। यदि तुम्हे यह पसन्द आये तो इसपर अपनी टिप्पणी लिखकर भेज देना।

एक लिपिके बारेमें लिखा लेख^२ इसके साथ है। इसमें यदि तुम कोई रद्दोबदल करने का सुझाव देना चाहो तो उसकी सूचना मुझे जल्दी भेजना। यदि तुम्हें लेख पसन्द न आये तो मैं इसे रद्द करने के लिए तैयार हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९२३)से।

४९. पत्र : अमनुस्सलामको

३० जुलाई, १९३९

चि० अ० स०,

तेरा खत मिला। मैं क्या कहूँ। तू तेरी प्रतिज्ञा तोड़ सकती है तू जो दिल चाहे सो कर। मैं रूपाये किसी औरको नहीं दूंगा। अकबरको^३ मैं यहाँ तेरे सिवा नहीं रख सकता और तू प्रतिज्ञा भंग करके यहाँ कैसे आ सकेगी? शंकरलालभाई^४ मिलकर बात कर लेना और जो ठीक जंचे वह करना।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२७)से।

१. मगनभाई प्रभुदास देसाई

२. देखिए पृ० ५२।

३. अकबरभाई चावडा

५०. पत्र : अमृतकौरको

सेर्गाँव, वर्षा
३१ जुलाई, १९३९

प्रिय पगली,

इससे पहले लिखने का समय ही नहीं मिला। मैं 'हरिजन' के काममें निमग्न था। अब भी मेरे सामने बेटे पत्र उत्तर देने को पड़े हैं।

हमारी यात्रा कठिन रही—हर जगह असाधारण भीड़। रातके दो बजे ग्वालियर पहुँचने से पहलेतक आराम नहीं मिला। अचानक ही इस तरह लोग क्यो उमड़ पड़े, यह बात मेरी समझमें नहीं आई।

महादेव अभी कलकत्तामें ही है।

पहलेसे कोई सूचना दिये बिना ही मीरा कल यहाँ आ गई। मैं यह तो जानता था कि वह आनेवाली है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि कब आ रही है। लोग आते ही जा रहे हैं।

आर्यसमाजियोंकी समस्याकी ओर मुझे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है।

हम सब ठीक हैं। मीराको सख्त खाँसी और कब्ज है।

स्नेह।

तानाशाह

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३५) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२४४ से भी

१. तात्पर्य आर्यसमाजियोंके 'आर्य सत्संग' से है, जो उन्होंने निजाम सरकारकी हिन्दू-विरोधी नीतिके प्रति अपना असन्तोष व्यक्त करने के लिए किया था। निजाम सरकारने अन्ततः सुधारोंकी एक योजनाकी घोषणा की, जिसमें आर्यसमाजियोंकी धार्मिक भाँगोंको सार-रूपमें स्वीकार किया गया था। हिन्दुस्तान डाइरेक्शन २८-७-१९३९ के अंकमें लिखा था: "२७ जुलाईको एक शिष्टमण्डल गाधीजीसे मिला। इस शिष्टमण्डलमें मध्य प्रान्त विधानसभाके अध्यक्ष श्री घनश्यामसिंह शुप्त, श्री बिनाथकराव और श्री देशबन्धु गुप्ता थे। शिष्टमण्डलने गाधीजी के सम्मुख श्री घनश्यामसिंह शुप्त और हैदराबादके प्रधान मन्त्री सर अकबर हैदरीके बीच हुआ पत्र-व्यवहार रखा। हैदराबाद-सुधारोंके प्रति आर्यसमाजियोंके मनमें जो संकायें थीं उन्हीं के बारेमें यह पत्र-व्यवहार हुआ था।" देखिए "टिप्पणियाँ" का उप-शीर्षक "आर्यसमाज", पृ० १०० भी।

५१. पत्र : जयसुखलाल गांधीको

सेगाँव, वर्षा
३१ जुलाई, १९३९

चि० जयसुखलाल,

तुम्हारा पत्र मिला. और सयुक्ताका^१ भी। उसे अलगसे नहीं लिखूंगा। ईश्वरकी कृपा है कि कसुम्बा^२ ठीक होती जा रही है। तुम्हारे लिए मुझे कुछ नहीं सूझता। तुम यदि जमनालालजी को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तुम्हारे जैसा मामला विचार करने योग्य है। तुम्हारा धर्म तो मैं समझता हूँ। उसका पालन बहुत कठिन लगेगा ही। इसलिए वहाँ कमाई करने के लिए जो तुमसे हो सके, सो करो। विट्ठलदाससे मिलो। अमुक वेतन ही मिलना चाहिए. इसका लोभ छोड़ देना। कसुम्बाके अच्छा होने के बाद और विचार करना।

बापूके आशीर्वाद

श्री जयसुखलाल गांधी
सर हरकिशनदास हॉस्पिटल
न्यू चर्ची रोड, बम्बई

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से।

५२. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगाँव, वर्षा
३१ जुलाई, १९३९

चि० नारणदास,

तुम्हारे दोनो पत्र मिल गये हैं। तुम 'हरिजनवन्धु' में देखोगे कि मैंने तुम्हारे सुझावपर अमल किया है।^१ तुम्हारा सुझाया सुधार^२ भी कर दिया है। गणितकी ऐसी भूलें मुझसे हो जाती हैं। यदि कागज लेकर हिसाब करता तो भूल न होती।

१. जयसुखलाल गांधी की पुत्री
२. जयसुखलाल गांधी की पत्नी
३. देखिए पृ० ६१।
४. देखिए पृ० ७७-७८।

महादेवने भी इसकी जाँच की थी। लेकिन उसे भी यह भूल नहीं दिखाई दी। उसे सन्देह तो हुआ, लेकिन बादमें वह सन्देह दूर हो गया।

साधु पुरुषके संकल्प-बलवाला वह वाक्य ठीक है। वह 'संकल्प-बल तुम्हारा है, मेरे आशीर्वाद देने की यहाँ गुजाइश नहीं है। सत्तर लाख [गज सूत] का संकल्प तुम्हारा है। उस संकल्पमें बल भरा हुआ है।

मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें ७०० गज सूत दे सकूँगा। बा भी देगी।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

-भगवानजीका मामला, नाजुक है। मुझे लगता है कि उसे और पैसा दिये बिना छुटकारा नहीं है। समय मिला तो इस बारेमें बिस्तारसे समझाऊँगा। फिलहाल तो दे देना।

बापू

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५५८ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

५३. पत्र : देवदास गांधीको

सेगाँव, ४घाँ

३१ जुलाई, १९३९

चि० देवदास,

तेरा पत्र मिला। उससे मुझे क्लेश नहीं होता। तुझमें और मुझमें मतभेद हो गया है, यह बात खटकती है। लेकिन मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि कालान्तरमें यह मतभेद खत्म हो जायेगा। तू मेरा जितना समय लेना चाहे उतना ले सकता है। मैंने जो सरदार आदिसे राय लेने की बात कही थी, वह सरल भावसे कही थी। उनकी रायका कदाचित् मुझपर कुछ असर हो। एक बात मत भूलना। तेरा और मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। तू मानता है कि मेरे उपचारसे रोगीकी मृत्यु हो जाती है; मैं मानता हूँ कि मेरे उपचारके कारण ही रोगी टिक पाता है। अब इस दृष्टिभेदके बारेमें क्या करे? इसीसे मैं धीरज रखे हुए हूँ। जिसका दोष होगा उसका दोष एक-एक दिन दिख ही जायेगा।

तू सुनीलासे मिल और उसके साथ प्रेमसे बातचीत कर। उससे भी मैंने यही कहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एम० २०४९) से।

५४. पत्र : जीवणजी डा० देसाईको

सेर्गाव, बर्धा
३१ जुलाई, १९३९

चि० जीवणजी,

'आत्मकथा' का देवनागरी सत्करण कब प्रकाशित होनेवाला है ?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९९४४) से। सी० डब्ल्यू० ६९१९ से भी;
सौजन्य : जीवणजी डा० देसाई

५५. पत्र : कृष्णचन्द्रको

सेर्गाव
३१ जुलाई, १९३९

चि० कृष्णचन्द्र,

तुमारे खत मिले हैं। डाक जाती है। आज ज्यादा नहिं लिखुंगा। तुमारे बारेमें सोच रहा हू। यहा पानी विलकुल नहिं, लोग परेशान हैं।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३२३) से।

५६. तार : लॉर्ड लिन्लिथगोको'

बर्धा
१ अगस्त, १९३९

बाइसराय महोबय
बाइसरायका कैम्प

मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं इस पांच तारीखको दिल्ली नही पहुँच सकता, विशेषकर इसलिए कि मुलाकातका कोई खास प्रयोजन नही है। यहाँ आवश्यक कार्य करने को हैं। सीमा-प्रान्तसे वापसीकी यात्रा

१. यह तार लॉर्ड लिन्लिथगोके २८ जुलाईके पत्रके उत्तरमें था, जिसमें कहा गया था: "मैं कहना चाहना हूँ कि यदि शनिवार, ५ अगस्तको किसी भी तरह दिल्ली आना आपके लिए सुविधाजनक हो सके तो मुझे आपसे फिर मिल कर बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। . . . वैसे कोई विशेष विषय नहीं है जिसकी मैं आपके साथ चर्चा करना चाहना होऊँ, लेकिन हमें मिले अब कुछ नहीं हो गये हैं और मैं आपसे दुबारा मिलनेके अवसरका स्वागत करूँगा।"

बहुत थकानेवाली थी। इस माहकी बीस तारीखके बादका कोई भी दिन मेरे लिए ठीक रहेगा।^१

अंग्रेजीकी तकल (सी० डब्ल्यू० ७८३० ए) से; सौजन्य . धनश्यामदास बिडला

५७. तार : नारणदास गांधीको

वर्धा

१ अगस्त, १९३९

नारणदास गांधी

राष्ट्रीय शाला

राजकोट

आशा है 'रेटिया यज्ञ'^१ का उद्घाटन सफल रहा। यदि सूखा जारी रहा तो सत्तर प्रतिशत अकाल-पीड़ितोंकी सहायतार्थ दे दिया जाना चाहिए। इसलिए ऐसे एव सूतके रूपमें विशेष रूपसे व्यापक पैमाने पर योगदान होना चाहिए।

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५५९ से भी; सौजन्य . नारणदास गांधी

१. बाइसरायके उत्तरके लिए देखिय परिशिष्ट ३।

२. गांधीजीके जन्म-दिवसके उपलक्ष्यमें नारणदास गांधीने इस यज्ञकी शुरुआत की थी। यह 'रेटिया भारत' भी कहलाता था। इसमें भाद्र बदी १२ से (विक्रम संवत्के अनुसार गांधीजीकी जन्म-तिथि, जो प्रायः सितम्बर मासके दूसरे पखवाड़ेमें पड़ती है) २ अक्टूबरतक अखण्ड कनाई-पूजा चलना था। देखिय "टिप्पणियाँ", १०-९-१९३९ का उप-शीर्षक "अतिरिक्त खादी"; और खण्ड ६९, पृ० ४५८-५९।

५८. पत्र : कृष्णचन्द्रको

सेर्गाव

१ अगस्त, १९३९

चि० कृष्णचन्द्र,

मैं शकरीबहन अथवा कचनवहनको भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। बाल-कृष्णको यो ही कभी नहीं रखा जाय। आज भी इतना ही समय है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३२४) से।

५९. पत्र : अमलुस्सलामको

सेर्गाव, वर्षा

१ अगस्त, १९३९

चि० अ० स०,

कल तेरा खत नहीं था। तू अब कहां होगी? उसीका पता ही नहीं है इसलिए यह खत ल० भाई [की] मार्फत भेज रहा हू। जिस तरह तू अब चल रही है उसके लिये मैं तैया[र] नहीं था। कोई जिम्मेदारीका काम तेरे सिपुर्द हो ही नहीं सकता है, ऐसा सिध्द होता है। अच्छा जैसी ईश्वरकी इच्छा होगी ऐसे ही बन सकता है। उसमें से नया सबक मिलेगा। गायद मृदुलावहनके वापस आने तक ठहरेगी।

यह सब अच्छे हैं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२८) से।

१. कम्पिदास भासर

२. श्रुतुला साराभाई

६०. अकालका भय

काठियावाड़में बहुत-से स्थानोंपर अभीतक वर्षा नहीं हुई। श्री छगनलाल बोधी निम्न प्रकार लिखते हैं :^१

यह खबर भयानक है। हम आशा तो करते हैं कि काठियावाड़ इस संकटसे बच जायेगा। कदाचित् ऐसा न हो तो दूसरी आशा मैं यह करता हूँ कि जिनके पास अनाज और चारा है अथवा उसकी व्यवस्था है, वे लोग संकटसे लाभ उठाकर दारोंमें वृद्धि न कर उन्हें लागत मूल्यपर बेचेंगे। तीसरी आशा मैं यह करता हूँ कि राजा अपने धर्मका पालन करते हुए लोगोंकी जितनी मदद की जा सकती है, उतनी मदद करेंगे। और चौथी उम्मीद यह है कि स्थान-स्थानपर स्वयंसेवक मददके लिए निकल पड़ेंगे। २ अगस्तसे राजकोटकी राष्ट्रीय शालाकी ओरसे सत्तर दिनका चरखा-यज्ञ चलेगा। उसके सम्बन्धमें यह सुझाव है कि यज्ञ अधिक वेगसे हो और उससे जो आमदनी हो, उसका सत्तर प्रतिशत अकाल-पीड़ितोंकी सहायताके लिये दिया जाये। और इस बीच यदि वर्षा होने लगती है और काठियावाड़ संकटसे बच जाता है तो सूत आदिका उपयोग पूर्व-निश्चित कार्यक्रमके अनुसार किया जा सकता है। इस समय तो मुख्य बात उत्पादन बढ़ाने की है। और यह वृद्धि पैसा इकट्ठा करने और अधिक सूत कातने से हो सकती है। जो लोग सामान्यतया कताई-यज्ञमें भाग नहीं लेते, उम्मीद है कि वे लोग भी अकालकी स्थितिको देखते हुए इस यज्ञमें शामिल हो जायेंगे। यदि कताई के लिए उचित वातावरण तैयार हो गया तो अकाल-पीड़ित व्यक्तिको चरखेका काम देने में कम कठिनाई होगी और उसके द्वारा उसकी ठीक-ठीक मदद हो सकेगी तथा उससे उसके स्वाभिमानकी भी रक्षा होगी। अकालमें सहायता करने के निमित्त काम बड़े पैमानेपर करना होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके लिए योग्य व्यक्तियोंकी एक समिति नियुक्त की जाये।

पाँचवीं और अन्तिम उम्मीद यह है कि चरखा-यज्ञ तथा संकटग्रस्त लोगोंको चरखेका काम देने से जो खादी तैयार होगी, उसकी आसानीसे खपत हो सकेगी। यदि खादीकी तुरन्त खपत न हुई तो चरखेके द्वारा संकट-निवारण नहीं हो सकेगा।

सेर्गांव, २ अगस्त, १९३९

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ६-८-१९३९

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। उसमें बताया गया था कि किस तरह छेव और मवेशी भूखों मर रहे हैं। नारणदास गांधीकी तरह उनका भी यह विचार था कि 'रेटिया जपन्ती' से होनेवाली भायका ७० प्रतिशत सहायना-कार्यपर खर्च किया जाना चाहिए।

२. अर्थात् इसे काठियावाड़में हरिजन-कार्य, खादी-कार्य-और राजकोट राष्ट्रीय शालापर समान रूपसे खर्च किया जाये। रेखिण खण्ड. ६९, पृ० ४५८-५९।

६१. चक्रवर्त्य : समाचारपत्रोंको'

सेर्गाव,

२ अगस्त, १९३९

दमदम जेलके भूख-हड़ताली बन्दियोंने श्री महादेव देसाईकी भारफत मेरे लिए कुछ प्रश्न भेजे हैं। उनका यदि मैं सार्वजनिक रूपसे उत्तर देता हूँ तो यह उद्देश्यके हितमें बेहतर रहेगा। मुझे खेद है कि मैं उनकी रिहाईके लिए कोई तारीख पक्की नहीं कर सकता और न कोई और वादा ही कर सकता हूँ। मेरा बस चलता तो मैं अवश्य करता। मुझमें केवल इतनी ही सामर्थ्य है कि अपनी पूरी शक्तके साथ उनके हितकी पैरवी करूँ। लेकिन वे लोग अपनी भूख-हड़ताल जारी रखकर मुझे कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। जहाँतक उपवासका उद्देश्य जनताका ध्यान इस समस्याकी ओर आकर्षित करना था, वह सफल हो चुका है। उपवास आगे जारी रखने का मतलब उसके प्रयोजनको विफल बनाना होगा। ऐसे बहुत-से लोग हैं जो बन्दियोंकी रिहाईके लिए सक्रिय रूपसे कार्य करने को तैयार हैं, बशर्ते कि वे लोग भूख-हड़ताल छोड़ दें। मेरा भी यह दृढ मत है कि उनकी यह भूख-हड़ताल उचित नहीं है। वे लोग अपनी-जैमी स्थितिवाले अन्य लोगोंको भी गलत रास्ता दिखा रहे हैं। यदि इन बन्दियोंका लोग भारी सख्यामें अनुकरण करने लगे तो उससे सारी अनुशासन-व्यवस्था भंग हो जायेगी और सुव्यवस्थित शासन चलाना असम्भव हो जायेगा। बन्दियोंका पक्ष तो तत्त्वतः न्यायसंगत है, किन्तु अपने इस हठसे वे उसे कमजोर बना रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे जीवित रहें और एक ऐसे व्यक्तिकी सलाहपर ध्यान दें जो उपवास-शास्त्रमें निष्णात होने का दावा करता है और राजनीतिक बन्दी बनकर रहने के शास्त्रको भी जानने का दावा करता है। जिसको वे अपना सर्वोत्तम हिमायती मानते हैं उसकी राहमें वे रोडे न अटक़ायें। मैं यह कहने का भी साहस करता हूँ कि यदि भाग्य उनके और मेरे विपरीत न होता तो पिछली १३ अप्रैलसे पहले ही उनकी रिहाई हो गई होती। किन्तु मैं विगतकी चर्चा नहीं करना चाहता। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यदि वे भूख-हड़ताल छोड़ने से इन्कार कर देंगे तो कार्य-समिति उनकी रिहाईके लिए जो भी प्रयत्न करना चाहेगी, उसमें उसे परेशानी होगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-८-१९३९

१. यह "दू बंगाल मिजनेस" (बंगालके बन्दियोंसे) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। बन्दन्य २-८-१९३९ के हिन्दू और ३-८-१९३९ के हिन्दुस्तान टाइम्स में भी छपा था।

६२. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव, वर्षा
३ अगस्त, १९३९

प्रिय पगली,

तुम्हें पत्र लिखने के लिए मुझे एक क्षणका भी समय नहीं मिला। मैंने धामीके बारेमें तुम्हें तार^१ भेजा था। जवाहरलाल तो संघर्षके लिए उतारू है।

कहने की जरूरत नहीं कि तुम अपने साथ कुकर और जरूरतकी हर वस्तु ले आना। लेकिन कुकर क्यों? पहलेकी तरह तुम्हें खाना तो मेरे साथ ही खाना है। यह बेरी तो खेदजनक है। तुम यहाँ केवल कामके लिए ही तो नहीं आ रही हो। लेकिन अब और विलम्ब मत करो।

स्नेह।

तानाशाह

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३६) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० ७२४५ से भी

६३. पत्र : पोत्ती श्रीरामुलु चेट्टीको

सेगाँव, वर्षा
३ अगस्त, १९३९

प्रिय श्रीरामुलु,^१

तुम्हारा पत्र मिला।

मुझे राजाजी को नहीं लिखना चाहिए। तुम्हें कोदम्बक्कम आश्रम^१ जाकर वहाँ स्वयंसेवकके रूपमें अपनी सेवाएँ अर्पित करनी चाहिए। यदि तुम स्थिरमन कार्यकर्ता हो तो वे तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लेंगे।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११२) से।

१. देखिए पृ० २७।

२. नेल्सन्के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिन्होंने पुथक् आश्रम राठ्यकी स्थापनाके लिए १९५३ में आभरण अनशन करके श्रुत्याका नरण किया।

३. हरिजन आश्रम

६४. पत्र : ६० वा० कालेलकरको

३ अगस्त, १९६९

चि० काका,

मगनभाईवाला पत्र तुरन्त डाकमें डाल दिया गया था।
मेहर आश्रमकी रिपोर्ट देने के लिए आज ३ बजे आना।
उक्त भाईके बारेमें वैनलैस [अस्पताल]का अच्छा-खासा विल भाया है। वह
मुझसे माँग लेना।
'आत्मकथा' के बारेमें जीवणजीसे पूछा है।^१

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९७१) में।

६५. पत्र : प्रभावतीको

सेर्गाव, चर्वा

३ अगस्त. १९३९

चि० प्रभा,

तेरा पत्र मिल गया है। यदि राजेन्द्र बाबूका भाग्रह ही है तो तू बोस उठा
ले और तुझसे जितना बन सके उतना कर। ईश्वर तुझे बल देगा।

सुशीलाका पता है : डॉ० मुशीला नैयर, लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली।^१

काकाजी को डम पतेपर लिख सकती है : सेठ जमनालालजी बजाज, स्टेट
प्रिज्नर, जयपुर।^१

विद्यावतीको^२ यदि फिर स्राव नहीं होता तो चिन्ताका कोई कारण नहीं है।
इसके लिए उपचार तो मिट्टीकी पट्टी, कटिम्नान. बिना मसालेकी सादी खुराक. तेल
नहीं, हरी मन्जियाँ, ककडी, तुरई आदिका साग, नारंगी, मोसंबी. अनार, अंगूर
आदि खूब खाने चाहिए। तली हुई चीजे बिल्कुल न ले, चावल कम खाये। खायरा
खा सकती है, लेकिन रातको कुछ नहीं। पानी खूब पीये।

१. देखिये पृ० ५८।

२ और ३. पते मूलमें अश्रेणीमें है।

४. प्रभावतीकी बहन, राजेन्द्रप्रसादकी क्येड पुत्रवधू

में तो फिलहाल यही हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

यह पत्र पढ़कर सुमंगलको^१ दे देना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५३५) से।

६६. पत्र : तंजीम-उल-मोमिनीनके अध्यक्षको^२

[४ अगस्त, १९३९ के पूर्व]^३

प्रिय मित्र,

मेरे सम्मुख इस समय इस दृष्टिसे पर्याप्त कागजात पड़े हैं कि मैं शिया-मुन्नी विवादके बारेमें अस्थायी तौरपर कोई राय बना सकूँ। मेरे पास पन्तजी^४ का लिखा एक लम्बा पत्र और कुछ ऐसे छपे कागजात भी हैं जिनमें स्थितिका निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करनेका दावा किया गया है।

इतनी बात तो स्पष्ट है। 'मधे सहावा' में निर्वाचित खलीफाओंकी प्रशस्ति है; 'तबरा' में प्रथम तीन खलीफाओंके लिए दुर्वचन कहे गये हैं। लोगोंकी सार्वजनिक रूपसे प्रशंसा करने के अधिकारकी बात तो समझमें आ सकती है, लेकिन क्या मृत व्यक्तियोंको कोसने के अधिकार-जैसी भी कोई चीज है? पाक कुरान में 'तबरा' की इजाजत दी गई हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खलीफाका पद हजरत मुहम्मदकी मृत्युके बाद कायम हुआ। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे 'तबरा' कहने के धार्मिक कर्त्तव्यके बारेमें बतायें।

मैं यह मानने को भी सहज ही तैयार हूँ कि खलीफाओंकी प्रशस्ति करने का कोई धार्मिक कर्त्तव्य नहीं हो सकता—खास तौरपर सार्वजनिक स्थानों पर और ऐसे लोगोंकी उपस्थितिमें जिनकी भावनाओंको उससे ठेस पहुँचती हो। इसलिए मेरी इस रायके विपरीत आपके पास कुछ कहने को हो तो बात और है, अन्यथा फिलहाल मैं आपको यह सलाह दूँगा कि आप शान्तिकी खातिर सत्याग्रह^५ वापस ले ले

१. सुमंगल प्रकाश

२. साधन-सूत्रमें लिखा था कि हालमें ही तंजीम-उल-मोमिनीनका एक शिष्टमण्डल गांधीजीसे मिला था और उन लोगोंने सार्वजनिक रूपसे सुविधों द्वारा 'मधे सहावा' और शियाओं द्वारा 'तबरा' गाने के अधिकारको लेकर च्ल रहे विवादपर उनकी राय माँगी थी। यह आन्दोलन मार्चमें ही शुरू हो गया था। देखिए खण्ड ६९, पृ० ३०९ और ३२८-२९।

३. यह पत्र दिनांक "लखनऊ, ४ अगस्त" के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

४. गोविन्दवल्लभ पन्त, संयुक्त प्रान्तके मुख्य मन्त्री और गृह-कार्य तथा वित्त-विभागके मन्त्री

५. जो शियाओंने जूतेके शुरूमें आरम्भ किया था

बीर बिना किसी धर्मके सार्वजनिक रूपसे 'तबरा' कहना बन्द कर दें और इस बातको सुन्नियोंके सद्विवेकपर छोड़ दें कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके शिष्या भाइयोंकी भावनाओंको आघात पहुँचता हो।

मैंने यह पत्र प्रकाशनार्थ नहीं लिखा है। चूँकि आपने इस बारेमें मेरी स्पष्ट राय माँगने का सौजन्य दिखाया, इसलिए मैंने अस्थायी तौरपर यह राय व्यक्तकी है। आपको मैंने जो सलाह दी है उसके अनुसार अपना निर्णय घोषित करने में यदि इससे आपको मदद मिलती हो तो आप इस पत्रको प्रकाशित कर सकते हैं। मैं अपनी इस रायकी प्रतिलिपि किसीको नहीं भेज रहा हूँ। यह तो केवल आपके और उन मित्रोंके लिए है जो आपके साथ आये थे और जिनकी ओरने आप आये थे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-८-१९३९

६७. भेंट : गोवर्धनलाल शुक्लको

[४ अगस्त, १९३९ या उसके पूर्व]^१

गांधीजी ने श्री शुक्लसे^१ कहा कि मैं पंजाब और बंगाल दोनों ही राज्योंके राजनीतिक कंदियोंकी रिहाईके प्रश्नको कोई मामूली प्रश्न नहीं मानता। उन्होंने बताया कि बंगालकी जेलोंमें राजनीतिक कंदियों द्वारा की जा रही भूल-भ्रष्टाल के कारण इस समस्याका हल ढूँढ़ने में दिक्कत पैदा हो रही है।

गांधीजी ने घोषणा की कि राजनीतिक कंदियोंकी समस्या कांग्रेस कार्य-समिति के सामने उठाई जानेवाली है।

गांधीजी ने बताया कि बंगालमें राजनीतिक कंदियोंकी समस्याका हल ढूँढ़ लेने पर पंजाबके कंदियोंसे सम्बन्धित समस्या स्वयंमेव और तत्काल सुलझ जायेगी।

खबर है, इसके बाद गांधीजी ने श्री शुक्लसे कहा कि आप भूसे पंजाबके कंदियोंके बारेमें पूरा विवरण तथा उनकी रिहाईके लिए किये गये प्रयत्नोंका ब्योरा दे दें; इनके मिल जाने के बाद जो मेरे बूतेका होगा, मैं करूँगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-८-१९३९

१. इस भेंट का विवरण दिनांक "बधा, ४ अगस्त" के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

२. कानपुरके

६८. शाबाश बम्बई !

जो विचरण मुझे मिले हैं, उन सबसे मालूम पड़ता है कि पहली अगस्तको, अर्थात् शरावबन्दीकी शुरुआतके दिन बम्बईने ऐसा-कुछ कर दिखाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिनके प्रदर्शनोंको अपनी आँखों देखनेवाले एक व्यक्तिये मुझे बतलाया है कि आजाद मैदानमें एकत्र होनेवाली मानव-भेदनीने उस भारी भीड़को भी मात कर दिया, जो अमर लोकमान्यकी अर्थीको जलूसके रूपमें लेकर चौपाटीके तटपर गई थी। उनके कथनानुसार, सारी बम्बई नगरी वहाँ उमड़ पड़ी थी। मजदूर लोग, जिनको इस कानूनसे खास तौरपर फायदा पहुँचेगा और साथ ही जिनपर शरावबन्दीका सबसे ज्यादा असर भी पडा है, अपनी स्त्रियोंके साथ हजारोंकी तादादमें मौजूद थे। जिस राक्षसके मृत्युपाशसे वे बाह्य सहायताके बिना मुक्त नहीं हो सकते थे, उससे मुक्ति मिल जाने के कारण वे उल्लसित हो रहे थे। तो क्या वे निहित स्वार्थोंके विरोधके समक्ष अडिग रहकर यह कल्याणकारी कदम उठाने का साहस दिखलानेवाले मन्त्रियोंके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने गये थे ?

यह कोई मजदूरोंका ही प्रदर्शन नहीं था। सभी वर्गोंने इसमें भाग लिया। उस विराट सभामें कहीं भी उत्साह भंग करनेवाला कोई स्वर नहीं था। ये हजारों स्त्री-पुरुष शरावबन्दीकी सफल शुरुआतके लिए ईश्वरको धन्यवाद देने वहाँ एकत्र हुए थे।

महान् पारसी कौमने, शरावबन्दी कानूनकी प्रबल विरोधी होते हुए, भी जो समय रखा उसके लिए वह बचाईकी पात्र है। स्पष्ट ही उन्होंने बुद्धिमानीसे काम लिया और उनके द्वारा कोई विरोधी प्रदर्शन किया गया मालूम नहीं पड़ता। मेरी यह आशा ठीक ही सिद्ध हुई मालूम पड़ती है कि पारसी कौमकी परोपकारी भावनाके आगे उसका विरोध-भाव तिरोहित हो जायेगा। शरावबन्दीकी पूरी सफलताके लिए पारसियोंके दिली सहयोगकी आशा करना क्या कोई बहुत बड़ी बात होगी ? उन्हें यह याद रखना चाहिए कि बम्बईके इस प्रयत्नकी कीर्ति न केवल सारे प्रान्तमें, बल्कि समस्त भारतमें फैलेगी। मैं तो यह कहने का भी साहस करता हूँ कि अभी तो यद्यपि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन पारसियोंकी भावी सन्तति डॉ० गिल्डरको अपना सच्चा प्रतिनिधि और हितैषी मानकर उन्हें दुआएँ देगी। जैसे भारतको इस बातका गर्व है, उसी तरह पारसियोंको भी सचमुच इस बातका गर्व होना चाहिए कि उन्होंने डॉ० गिल्डर-जैसा आदमी पैदा किया जो वहिष्कार और उससे भी दुरी धमकियों से भरे भयंकर विरोधके बावजूद चट्टानकी तरह दृढ़ रहा।

सच तो यह है कि जिस दृढ़ताके साथ मन्त्रिमण्डलने इस महान् नैतिक सुधारको लागू किया, उसके लिए पूरा मन्त्रिमण्डल हार्दिक बचाईका पात्र है। पहली

अगस्तके प्रदर्शनसे जाहिर है कि लगभग समस्त बम्बई उसके साथ था और है। इस महान् नैतिक सुधारका लोगोने जितने उत्साहके साथ समर्थन किया, उतने उत्साहके साथ कांग्रेसके और किसी रचनात्मक कार्यका समर्थन नहीं किया गया है।

यह खेदकी बात है कि शराबबन्दीके नहीं, बल्कि सम्पत्ति-करके खिलाफ इसी दिन मुसलमानोने एक जलूस निकाला, जिसका परिणाम पुलिसके साथ संघर्ष हुआ। लेकिन उससे तो उल्टे शराबबन्दीके सिलसिलेमें होनेवाली सार्वजनिक सभाका महत्त्व बढ़ा ही, क्योंकि उस महान् और अदम्य प्रदर्शनपर उस जलूसका कोई असर नहीं हुआ। आजाद मैदानमें स्पष्ट हो गया कि बम्बई नगरी इस प्रश्नपर एकमत है।

हमें आशा करनी चाहिए कि इस गानदार शुरुआतमें इतना बल और तेज है कि इसी गानके साथ यह काम पूरा भी होगा। शराबकी दुकानें बन्द करने से जो लाभ प्राप्त हुआ है, उसको स्थायी पायेपर खड़ा करने के लिए बहुत-कुछ रचनात्मक प्रयत्नकी जरूरत होगी। दुकानें बन्द होने से शराब पीनेवाले को जो प्रलोभन मिलता था वह तो दूर हो गया, पर शराबकी तलव नहीं मिटी है। जरूरत इस बातकी है कि उसके मनको ठीक दिशामें ले जाया जाये। अतः उसे किसी ऐसे स्थानमें स्वास्थ्यप्रद जलपान मिलना चाहिए जहाँ वह अपने थके हुए मन और शरीरको विश्राम पहुँचाकर तरोताजा कर सके। मजदूरोंमें सेवाकार्य करनेवाले कार्यकर्त्ताओंको मजदूरोंके जीवनका अध्ययन करके शराबकी तलवपर विजय पाने में उनकी मदद करना अपना फर्ज समझना चाहिए। इस लाभको स्थायी आधारपर खड़ा करने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। अमुक परिणाममें लोगोंकी सद्भावनासे सरकार कानून बनाकर शराबकी दुकानें तो बन्द कर सकती थी, लेकिन शराबकी तलवसे पीछा छुड़ाने में शराबियोकी मदद करने के लिए सरकारी प्रयत्नके साथ-साथ उसे स्वेच्छापूर्वक काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओंके दलके सक्रिय सहयोगकी भी आवश्यकता होगी।

सेर्गाव, ४ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-८-१९३९

६९. पत्र : अमृतुस्सलामको

सेगाँव, वर्षा
४ अगस्त, १९३९

चि० अ० स०,

तुझे तार तो नहीं भेजता। क्या भेजू? आना है तो आयेगी ही। जो काम नहीं हो सकेगा सो वो कैसे करेगी। तेरी प्रतिज्ञा यह थी कि जब मृतुला व ल० [लक्ष्मीदास] भाई तुझे छोड़े तब वापिस आ सकती है। अब श० [शकर] भाई आ गये हैं उनसे मिलकर जो ठीक लगे सो कर। अकबरके बारेमें मैंने ल० भाईको लिखा तो है। यहां रखने की मेरी हिम्मत नहीं है। कल यहां एक मुस्लीम दाक्टरनी आ गई है। सी० पी० की है। उसके बाप भी दाक्टर है। एक महीना-भर रहेगी। अच्छी लडकी लगती है। सुधीलाका काम कर रही है।

नीमू तो है ही।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९) से

७०. बातचीत : वी० वी० साठेके साथ'

सेगाँव

५ अगस्त, १९३९

गांधीजी : अगर आप सत्याग्रही हैं, तो मैं भी तो एक सत्याग्रही हूँ और चूँकि मुझे मेरे अनेक मित्रोंने बताया है, आप एक समझदार और संयमी आदमी हैं, इसलिए मैं आपको आपकी गलती समझाऊँगा।

१. यह बातचीत महादेव देसाई द्वारा लिखित "५ सत्याग्रही वसेंज ५ सत्याग्रही" (सत्याग्रही बनाम सत्याग्रही) शीर्षक लेखसे ली गई है। इसमें उन्होंने लिखा है: "श्री वी० वी० साठे एक पक्के अनशन-कारी और काग्रेसचन हैं। अपना भोजन खुद ही पकाने के अधिकारके लिए जेलमें उन्होंने अनशन किया था... और जेलमें बिना कपड़ोंके ही रहे... क्योंकि उन्हें खादी पहनने की इजाजत नहीं थी। वे पूरे प्रामाणिक आदमी हैं, पर अक्सर माखस ऐसा होता है कि उनका तर्क उनकी व्यावहारिक बुद्धि पर हावी हो जाया करना है।... वे १४ दिन का अनशन करने का पक्का निश्चय करके ५ तारीखकी सुबह सेगाँव आये।... श्री साठेको ऐसा लगता है कि बम्बईके मन्त्रिमण्डलने कुछ बातोंमें भयंकर भूल की है, जैसे — जलस्रोतोंके बारेमें आधाएँ निकालना, बख्तवारेसे जमानतें माँगना और गोली चलवाना। गांधीजीकी उपस्थिति में अनशन करने का निश्चय करके वे सेगाँव आये थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गांधीजी 'काग्रेसके विधावा' हैं, और काग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंने इतनाफे उनकी जेलमें पड़े हुए हैं।..."

आपको पहले तमाम संवैधानिक उपायोंको आजमाकर देखना चाहिए था। आपको यह याद रखना चाहिए कि बम्बईका कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बम्बई, इन चार कांग्रेस कमेटीयोंके अधीन है। आपको अपनी शिकायत उनके सामने पेश करनी चाहिए थी। वहाँ सन्तोष न मिलता, तो आपको कार्य-समितिके पास जाना चाहिए था। वहाँ भी सन्तोष न होता, तो महासमितिके पास और फिर कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें अपनी शिकायतें लेकर जाना चाहिए था। और अगर आप सत्याग्रहके विशेषज्ञके रूपमें मेरे प्रमाणको मानते हैं, तब आपको मेरे पास आना चाहिए था, भगर अनशनका निश्चय करके नहीं।

साठे : मैं आपको आखिरी प्रमाण नहीं मानता, पर मैं आपकी सलाह जरूर लूंगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ—यह कि ये सारी कांग्रेस कमेटीयाँ मेरे पक्षमें राय दें या न दें, पर अगर मन्त्री लोग यह कहते हों कि उन्होंने कांग्रेसके सिद्धान्तोंका भंग किया है, तब ?

क्या वे ऐसा कहते हैं ?

जी हाँ, पर वे यह भी कहते हैं कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जबतक कि उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा नहीं जायेगा। लेकिन उन्होंने चुनावके घोषणा-पत्रमें जो वादे किये थे, उनको उन्होंने जरूर तोड़ा है।

घोषणा-पत्रोंके बारेमें ऐसी कोई सख्तीकी बात नहीं है। आप बहुत-सी बातें कह सकते हैं, पर उन सबको आप पूरा नहीं कर सकते।

मेरे अपने सदाशिव पेठके निर्वाचन-क्षेत्रको ही लें। वहाँ यह प्रस्ताव पास किया गया कि मन्त्रिमण्डलने अपने वादोंको पूरा नहीं किया।

अच्छा, तब उस कमेटीको महासमितिके पास जाना चाहिए। पर यह अनशन किसलिए ? पहले आपको सभी स्वाभाविक कदम उठाकर देख लेना चाहिए।

ऐसा करने में कई साल लग जाते हैं। यह व्यवस्था ही ऐसी जटिल है।

कई साल तो नहीं, पर शायद एक साल लग जाये। इसकी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए।

कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें जाने का मेरा विचार तो है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी सत्ता है, जो आपसे ऊपर है।

मेरी तो कुछ भी सत्ता नहीं। अमुक हृदयक मेरा नैतिक प्रभाव जरूर है।

पर उसे आप अमलमें नहीं लाते।

यह आपको कैसे मालूम हुआ ? आपको सारी हकीकतें मेरे सामने रखनी चाहिए, और मुझे कायल करना चाहिए कि जो मेरे बूतेका था, वह मैंने नहीं किया है।^१

१. महादेव देसाई लिखते हैं : “ अब भी साठे अपनी तमाम शिकायतोंको एक-एक कर उचाने लगे। . . . जल्दियोंके सम्बन्धमें जारी की गई आशाओंकी तमाम तफसील, और लोग इन आशाओंकी अवहेलना कर जल्द निकालने के लिए कौन-कौन-सी तरकीबें काममें लाते हैं आदि। ”

पर आप मुझे यह आशा तो नहीं करते कि मैं इन मामलोपर अपना निर्णय दूँ ?

अवश्य करता हूँ।

पर यह मैं कैसे दे सकता हूँ ? सिर्फ इतने पर से कि आपने मुझे उन हुक्मोका मजबून पढकर सुना दिया और आपके पास जो हकीकतें थी, सब मेरे सामने रख दी, मैं किसी नतीजेपर कैसे पहुँच सकता हूँ ? अब मन्त्री लोग इसपर क्या कहते हैं, वह भी तो मुझे सुनना चाहिए।

पर यह तो आप आसानीसे कर सकते हैं। आप आला कमान जो हैं।

आला कमान मैं कैसे हूँ ?

क्योंकि आपने कहा है कि मन्त्रियोंके इस्तीफे मेरी जेबमें हैं।

मैंने ऐसा कब कहा ? दिखलाइए मेरा कोई वक्तव्य।^१

नहीं, नहीं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अगर मैंने कोई ऐसा वेहूदगीसे भरा वक्तव्य दिया हो, तो उसे मेरी डीग ही समझना चाहिए। विधानमें आपको कहीं भी मेरे नामका उल्लेख नहीं मिलेगा। निश्चय ही मैं अपनी नैतिक सत्ताको काममें ला सकता हूँ, पर यह सिर्फ तभी, जब मैं देखता हूँ कि कार्य-समिति या मन्त्रिमण्डलको अमुक काम नैतिकतावश करना चाहिए।

तब इधर मेरा अनशन चलेगा और उधर आप इस सारे मामलेका अध्ययन कर डालें।

अनशन आप कैसे कर सकते हैं, जब कि आप अब भी मुझे कायल नहीं कर पाये हैं कि आपका अनशन करना उचित है ?

मैं तो सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अनशन कर रहा हूँ।

यह तो आप अनशन न करके ही कर सकते हैं। जिस क्षण आपने अनशन शुरू किया, मेरा ध्यान बँट जायेगा, निष्पक्ष निर्णय देने की मेरी क्षमता समाप्त हो जायेगी। अगर मुझे यह मालूम हो गया कि कोई आदमी बिना कारण ही अनशन कर रहा है, तो मुझे अपना खाना अच्छा नहीं लग सकता। और यह तो आपको मालूम ही होगा कि यह सारी बस्ती अनशनकारियोंकी है। भणसाली तो यहाँ सबसे बड़े अनशनकर्त्ता हैं ही, फिर बिनोदाने कई अनशन किये हैं, और काकासाहबने भी। बेहतर होगा कि आप उनसे जाकर मिले, बात करें और देखें कि वे आपका अनशन पसन्द करते हैं या नहीं।^२

मैं आपकी रायसे सहमत नहीं हूँ। अगर हमारी राष्ट्रीय सरकार हो, और ऐसे अखवार हों, जो मुकदमोपर आधार रखकर ही चलते हों, तो हम क्या कर

१. इसपर साठेने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ ईस पढ़े।

२. महादेव देसाई लिखते हैं : “लेकिन श्री साठे अब अखबारोंसे जमानन मँगाने के अपने दूसरे आरोपपर आ गये। ब्रिटिश सरकार भले ही ऐसा कर सकती थी, पर कांग्रेस सरकारके लिए ऐसा करना बहुत बड़ा अन्वया है। सम्पादकोंपर मुकदमे क्यों न चलाये जायें ? बिना मुकदमा चलाये जमानन मँगाने ही नहीं चाहिए।”

सकते हैं? पर इसका यही अर्थ हुआ कि हमारे बीच नौलिक नवमेद है। हमें हर चीजको जानना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी नैतिक ज्ञानको काममें लाऊँ, तो मुझे इस बातका कुछ विश्वास होना ही चाहिए कि जिन तीन मानकोंका आपने जिक्र किया है, उनमें मन्त्रियोंने गहरी मूल की है। और अगर मुझे विश्वास हो गया, तो मैं जरूर मन्त्रियों और कार्य-समितिके इसके बारेमें कहूँगा। पर यह सब करने के लिए मुझे आपके लगाये आरोपोंकी फुरसतसे जाँच जरूर करनी चाहिए। और आप यकीन रखें कि हालाँकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, फिर भी आप जो कागजात मेरे पास भेजेंगे, उनका मैं सिर्फ आपकी खातिर जरूर अध्ययन करूँगा।

पर इस बीच मैं अनशन कर सकता हूँ।

नहीं, आप सारे मानलेको, चाहें तो कार्य-समितिके सामने रख सकते हैं।

मुझे इसका क्या अधिकार है?

अधिकार तो हर-किसीको है। कार्य-समितिका कर्तव्य है कि वह हरएक कांग्रेसी तथा गैर-कांग्रेसीकी शिकायत सुने। पर अब चूँकि आपने मुझसे अनशनका अध्ययन करने के लिए कहा है, इसलिए शायद आप इसे कार्य-समितिके सामने न रखें। मेरे निर्णय देने के बाद आप मुझसे बहस कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं, और तब अगर आप देखें कि मैं हठमतिता कर रहा हूँ, तो आप मेरे विरुद्ध अनशन कर सकते हैं।

आप 'गीता' का अध्ययन करते हैं?

करता हूँ।

अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका अनशन तीसरे प्रकारके तपमें आयेगा, जिसका वर्णन 'गीता' के १७ वें अध्यायमें आया है — जिसे विमूढता और दुराग्रहजनित 'तामस तप' कहा गया है।

अगर मुझे सन्तोष न हुआ, तो क्या मैं एक महीने बाद अनशन कर सकता हूँ?

पर अगर मुझे और ज्यादा समयकी जरूरत हुई तो आपको मुझे देना होगा।

जरूर।

[अंग्रेजीमें]

हरिजन, १२-८-१९३९

१. भाष्यद्गीता, १९ वाँ श्लोक।

२. महादेव देसाई आगे लिखते हैं: "श्री साहेबुन ही साहेबुन गंगने रहनेवाले आदमी हैं; जल्दी चलते भी बहुत थोड़ी हैं। वे कुछ समयका एक राष्ट्रीय लक्ष्य हडनाकर रह चुके हैं। गांधीजीने उन्हें वहाँ [तेगाँवमें] रहने के लिए रानी करनेकी जोशिश करने हुए कहा कि वे वहाँकी विभिन्न प्रवृत्तियोंका अध्ययन करें, और जो प्रवृत्ति उन्हें अच्छी लगे, उसमें अपना समय दें। उत्की देहीकी आवश्यकताएँ वहाँ आसानीसे पूरी हो सकती हैं। पर वे सत्सर्गसे फलने कन्वले भेजे ही थे! उन्होंने पूना वापस जाना ही नय किया।"

७१. पत्र : राखालको

सेगाँव, वर्षा

५ अगस्त, १९३९

भाइ राखाल,

तुमारे आने से और कुछ दिन सेगावमें रहने से मुझे आनंद हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो विश्वास सत्य-अहिंसा इ० में तुमारेमें पैदा हुआ है वह सब क्रतिकारी भाई-बहिनोंमें पैदा हो जाय। जिनके संपर्कमें मैं आया था उन्होंने मुझे ऐसा विश्वास तो दिलाया था। मैं जानता हूँ कि सत्य-अहिंसा इ० के सिवा हम कभी आझादी हासिल नहीं कर सकेंगे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४६६७)से।

७२. क्या मैं सर्वसमर्थ हूँ ?

इस सप्ताह दो कांग्रेसजन मेरे पास आये। उनमें से एकने कहा :

मध्य प्रान्तमें हम लोगोंका खयाल है कि आप जो भी चाहें वह कर सकते हैं। आप चाहें तो मन्त्रिमण्डलको हटा सकते हैं, और उससे आप चाहे जो करवा सकते हैं।

दूसरे सज्जनने कहा :

असलमें कार्य-समिति तो आप है। इसलिए हरएक कांग्रेसजन मौजूबो भ्रष्टाचारके लिए आपको ही दोष देता है। आपने ही हमें यह बताया कि नैतिक सत्ता ही सबसे बड़ी सत्ता है। आपने हमें यह सिखाया कि मौजूदा शासन-प्रणाली शैतानियतसे भरी हुई है। यह भी आपने सिखाया था कि जब कांग्रेसका शासन होगा तब कोई शैतानियत नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रके जीवनके हर क्षेत्रमें पवित्रता होगी। लेकिन आज तो हम इससे उलटा पाते हैं। कांग्रेसकी हुकूमत आज कई प्रान्तोंमें है, और फिर भी सर्वत्र भ्रष्टा-चारका बोलबाला है। कांग्रेसजन आपसमें लड़-झगड़ रहे हैं। स्पष्टतः हालत बदतर हो गई है। शैतानियत गई नहीं। आप संख्या-बलपर भरोसा नहीं रखते। आपने अक्सर कहा है कि भुट्टी-भर सच्चे और अच्छे कांग्रेसजन भी

अपने नैतिक गुणोंके बलपर सारे राष्ट्रका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सच्चा लोकतन्त्र विकसित किया जा सकता है। लेकिन गुण-बलके बजाय आज तो सर्वत्र संख्या-बलका ही जयजयकार सुनाई देता है। हालमें कांग्रेस-विधानमें जो संशोधन हुए हैं, वे व्यर्थ हैं। न तो उनसे देशमें बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार दूर होगा, और न कांग्रेसके इस बेसंभाल रूपमें ही कोई कमी आयेगी। अगर आपका यह कहना है कि कार्य-समितिके लिए आपका वश नहीं चल सकता, तो हमें यह मालूम हो जाना चाहिए। हमारा तो विश्वास यह है कि आपमें सब-कुछ करने की सामर्थ्य है, और इसलिए हमें आश्चर्य होता है कि आप क्यों वस्तु-स्थितिको बदसे-बदतर होने दे रहे हैं। अपनी खादी-सम्बन्धी धाराको ही लीजिए। कांग्रेसमें इस धाराके कारण व्यापक पाखण्ड फैला हुआ है। खादीमें बहुत कम लोगोंका विश्वास है, और वे सिर्फ दिखावे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वास्तवमें खादी तो झूठ और पाखण्ड का प्रतीक बन गई है। देशको आप एक नैतिक ऊँचाईपर ले गये थे, और आज आप उसे नीचे गिरा रहे हैं। अगर ऐसी ही हालत रही जैसी आज है, तो शीघ्र ही कांग्रेस देशमें उपहासका विषय बन जायेगी। अगर आप कांग्रेसको सुधार नहीं सकते, तो आप उससे अपना नाता विलकुल तोड़ क्यों नहीं लेते ?

यह दूसरे आलोचक एक विख्यात कांग्रेसी और सगठनकर्त्ता हैं। उन्होंने मुझसे यह गहरी मनोव्यथाके साथ कहा। मैंने वादा किया कि उन्हें मैंने जो जवाब दिया है, उसका साराग मैं इन स्तम्भोंमें दे दूंगा।

चाहे मध्य प्रान्त मन्त्रिमण्डलके संदर्भमें हो या कार्य-समितिके संदर्भमें, मैं सर्वसमर्थ नहीं हूँ। मन्त्री लोग कहीं क्या करते हैं, इसका मुझे बहुत कम पता रहता है। मैं उनके काममें कभी दखल नहीं देता। इसे मैंने कभी अपना काम भी नहीं माना। ग्रामोद्योग, वृनियादी तालीम या ऐसे ही दूसरे मामलोंके बारेमें मैं उनसे कभी-कभी पत्र-व्यवहार करता हूँ, मगर यह पत्र-व्यवहार ठीक उसी तरह करता हूँ जिस तरह कोई भी नागरिक करेगा। उनके काममें दखल देने से मैं बराबर इन्कार करता रहा हूँ। मैं चाहूँ भी तो मेरे पास इसके लिए समय नहीं होगा। अगर ऐसा करने लूँ, तो इसका अर्थ कार्य-समितिकी ससदीय उप-समितिके काम पर अनुचित अधिकार जमाना होगा।

जहाँतक कार्य-समितिका सम्बन्ध है, जब मेरी जरूरत समझी जाती है, तब मैं उसकी बैठकोंमें शरीक जरूर होता हूँ। जिन मामलोंमें मुझे सलाह ली जाती है, उन मामलोंमें मैं जरूर उसके निर्णयोंको प्रभावित भी करता हूँ। पर दूसरी बातोंमें कभी दखल नहीं देता। समितिकी बहुत-सी बैठकोंमें मैं विलकुल शरीक नहीं होता। उसके बहुत-से प्रस्तावोंका मुझे पता भी तभी लगता है, जब वे पास हो जाते हैं और सो भी अखबारोंके जरिये। जब मैंने पहली बार कांग्रेससे अपना

औपचारिक सम्बन्ध-विच्छेद किया, तब यही व्यवस्था की गई थी।^१ कार्य-समितिपर मेरा जो प्रभाव है, वह शुद्ध नैतिक प्रभाव है। मेरी राय उसी हदतक मानी जाती है, जहाँतक मैं उसे सदस्योंके गले उतार सकता हूँ। मैं यह राज़ बता दूँ कि अक्सर मेरी सलाह कार्य-समितिके सदस्योंको प्रभावित नहीं करती। मसलन, अगर मेरी चलती तो कांग्रेसमें छँटनी करके मैं उसका आकार यथासम्भव बहुत छोटा करवा देता। उसमें थोड़े-से चुने हुए सेवक होते, जो राष्ट्रकी मर्जीपर हटाये जा सकते, मगर राष्ट्रके सामने जो कार्यक्रम वे रखते, उसमें उन्हें लाखोंका स्वैच्छिक सहयोग मिलता। लेकिन कांग्रेसजनोके लिए यह तजवीज बहुत ज्यादा सख्त और अलोकतान्त्रिक है।

मैं यह कबूल करता हूँ कि खादीकी धारासे बहुत असत्य और पाखण्ड फैला है। अगर मेरा वश चलता, तो यह धारा कभी की रद्द हो गई होती। जब मैं कांग्रेससे अलग हुआ, उस समय भी मैंने इस धाराको हटवा देने की कोशिश की थी।^१ मैंने बादमें भी कई बार प्रयत्न किया है, पर सफलता नहीं मिली। दलील यह दी जाती रही है कि इस धाराके हटाने की बात आमतौरसे कांग्रेसजन सुनेंगे नहीं।

इसी प्रकार, कांग्रेस-संविधानमें से 'शान्तिपूर्ण और उचित' इन शब्दोंको भी हटवाने की मैंने कोशिश की है,^१ लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। मैं ऐसे और भी बहुत-से प्रसंग बतला सकता हूँ जिनमें मैं कार्य-समितिको अपनी रायसे सहमत करवाने में असफल रहा हूँ। इन असफलताओंका जिक्र मैं कार्य-समितिके खिलाफ तिकायतके रूपमें नहीं कर रहा हूँ। सदस्योंने जो मेरी सलाहपर ध्यान नहीं दिया, उसके लिए उनके पास बजनदार कारण थे। अपने पुराने साथियोंके साथ जिस नैतिक बन्धनसे मैं बँधा हुआ हूँ, उसे तोड़ने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई है। मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि मैं उनसे किसी बातमें श्रेष्ठ हूँ। उनके साथ काम करना मैंने अपना सौभाग्य समझा है। राष्ट्रके वे उतने ही अच्छे और बफादार सेवक हैं जितना अच्छा एव बफादार सेवक होने का दावा मैं करता हूँ। चूँकि मुझे यह आशा है कि किसी दिन या तो वे मेरे दृष्टिकोणको मान लेंगे या मैं उनकी विचार-सरणीको मान लूँगा, इसलिए उनसे चिपटा हुआ हूँ।

मैं इस आरोपको भी नहीं मानता कि पुरानी हुकूमत मौजूदा हुकूमतसे ज्यादा शुद्ध थी। यह तो मैं स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस सगठनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार आ गया है, उसमें बहुत-से स्वार्थ-साधक आ घुसे हैं, पर मेरा यह भी विश्वास है कि कांग्रेसका शासन पहलेके शासनके मुकाबले अधिक शुद्ध है। मेरा यह भी विश्वास है कि कांग्रेसी हुकूमत द्वारा आम जनताकी हालत सुधारने के लिए कई अच्छे-अच्छे काम किये गये हैं। मद्य-निषेधको मैं उनमें सबसे बड़ा काम समझता हूँ। पर इसमें कोई शक नहीं कि अब भी करने के लिए बहुत काम पड़ा हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि किसी दिन कांग्रेसके अन्दरकी गन्दगी भी साफ हो जायेगी, और

१. १९३४ में, देखिए खण्ड ५९, पृ० २८०-८१।

२ और ३. देखिए खण्ड ५९, पृ० १०-११।

हमारे दूसरे आलोचकोंकी आशंकाएँ दूर हो जायेंगी। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपनी आशंकाओंके लिए उनके पास ठीक कारण है। एक अदम्य आशावादी होने के कारण वर्तमान वस्तुस्थितिसे मैं उतना निराश नहीं हूँ जितने वे हैं। उनकी बताई बातें इतनी गम्भीर हैं कि उनसे प्रत्येक कांग्रेसजनमें सहज ही कर्तव्य-बुद्धि जागनी चाहिए। कांग्रेस यदि केवल अपने नैतिक गृणके सुदृढ़ आधारपर खड़ी नहीं रहेगी, तो वह जरूर नष्ट हो जायेगी।

सेगाँव, ६ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-८-१९३९

७३. टिप्पणियाँ

सेठ जमनालालजी

सेठ जमनालालजी एक असाधारण कैदी हैं। उनका विश्वास है कि कैदी होने के नाते उन्हें अपने शरीरकी उससे अधिक सार-सँभाल नहीं करनी है जितनी उनके लिए तैनात किये गये डॉक्टर, करते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्यकी सही हालतका पता मुझे अब जाकर चला है। श्री शंकरलाल वैकर जमनालालजी से मिलने के लिए जयपुर गये थे और वहाँ उन्होंने उनके स्वास्थ्यकी जो हालत देखी, उससे वे चिन्तित हो उठे और उन्होंने मुझे बताया कि दशा कितनी बुरी है।

इस विषयमें मुझे जो पत्र-व्यवहार प्राप्त हुआ है, उसे मैं फिलहाल प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। जयपुरके सिविल-सर्जनके मतानुसार उनकी हालत ऐसी है कि उनका विशेष रूपसे उपचार किया जाना चाहिए। अगर यह बात है तो रियासतका यह कर्तव्य है कि वह जमनालालजी को बिना गतं रिहा कर दे और यह बात भी उन्हीं पर छोड़ दे कि वे अपना विशेष उपचार रियासतमें ही करवायेंगे अथवा उससे बाहर जाकर। जमनालालजी से यह कहना वेकार है कि यदि वे रिहा कर दिये जाते हैं तो उन्हें जयपुर छोड़ देने का वचन देना चाहिए। जिस गतंके भंगकी खातिर उन्होंने जेलका आह्वान किया उसीको स्वीकार करके रिहाई पाने से तो वे जेलमें ही मर जाना ज्यादा पसन्द करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, राज्यमें जमनालालजी द्वारा सविनय अवज्ञाको प्रोत्साहन दिये जानेकी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि वह तो अनिश्चित कालके लिए स्थगित कर दी गई है। अधिकारी लोग जानते हैं कि जमनालालजी स्वभावतः अहिंसावादी हैं और यह भी जानते हैं कि वे वचनके पक्के हैं। उन्हें इस तरह जेलमें रखना मेरे लिए एक पहली है और उनके स्वास्थ्यकी वर्तमान दशाको देखते हुए यह अपराध है।

जमनालालजीको सामान्यतया यह मालूम नहीं है कि जमनालालजी जहाँ कैद हैं, वह स्थान वैसे तो अच्छा है और वहाँ आसानीसे पहुँचा भी जा सकता है, किन्तु वह

हिंस्र पशुओंका विचरण-स्थल है। जयपुर राज्यके शिकार-नियमोंके अधीन, जो मेरी दृष्टिमें सरासर वर्बरतापूर्ण है, इन जानवरोंको मारनेवाले भारी जुर्मानेके भागी हैं और इन्हीं नियमोंके अधीन रियासत इनकी सुरक्षा करती है। कहते हैं, वहाँ शेर तथा अन्य हिंस्र पशु वेखटके मनुष्यों और ढोर-डगरोको मारकर खा जाते हैं। हालाँकि शिकार-सम्बन्धी ये नियम मुझे बहुत अमानुषिक जान पड़ते हैं, तथापि यहाँ मेरा उद्देश्य उनपर विचार करना नहीं है। मेरा हेतु तो व्याघ्रग्रस्त स्थानमें जमनालालजी को कैद रखने के विरुद्ध आवाज उठाना है। खबर मिली है कि उनके रक्षक भी अपने इस कामसे कोई खास खुश नहीं हैं। जमनालालजी के भाग जाने का कोई भय नहीं है। यदि उन्हें जेलमें ही रखना है तो उन्हें ऐसे स्थानमें क्यों नहीं रखा जाता जहाँ डाक्टरी तथा अन्य प्रकारकी सहायता सहज ही मिल सकती हो ?

एक और मुद्देपर ध्यान देने की जरूरत है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें अमीतक एक साथी रखने की अनुमति नहीं मिली है। उन्हें कोई नर्स नहीं दी गई है। ऐसे भी प्रसंग जानकारीमें आये हैं जब उन्हें रातको परिचारककी बहुत आवश्यकता थी। उनके इस सम्बन्धमें शिकायत न करने का मतलब यह नहीं है कि अधिकारी परिचयके लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने में लापरवाही करें। उनके निजी सचिवने कई बार अधिकारियोंका ध्यान इस ओर खींचा है।^१

काठियावाड़का अनुकरण

राजकोट राष्ट्रीय शालाके श्री नारणदास गांधी द्वारा आयोजित सत्तर दिनके कताईके कार्यक्रमके^१ वारेमें पढकर श्री सीताराम शास्त्रीने उनका अनुकरण करने का निश्चय किया है, और आगामी २ अक्टूबरतक अपने सहकर्मियों द्वारा पच्चीस लाख भज सूत कतवाने का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। मेरी कामना है कि उन्हें इसमें पूरी सफलता मिले। इसकी सफलता इस बातपर निर्भर है कि पहलेसे कातनेवालों के नाम, और जितना सूत कातने का वे निश्चय करें, वह दर्ज कर लिया जाये, और प्रति सप्ताह उनके कार्यका हिसाब भी रखा जाये। कातनेवाले स्वेच्छापूर्वक कातेंगे, अतः स्वभावतः उनसे यह आशा की जायेगी कि वे यथासम्भव मजबूत, समान और वारीक सूत कातेंगे और कमसे-कम रुई बरबाद करेंगे। ऐसे तमाम प्रयत्नोंके पीछे उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रोंमें अच्छे विशेषज्ञ साबित होंगे और अपने पड़ोसियोंके सामने एक सुन्दर उदाहरण रखेंगे।

एक भूल-सुधार

काठियावाड़के कताई-कार्यक्रमपर मैंने जो टिप्पणी^१ लिखी है, उसमें हुई एक भूलकी ओर श्री सीताराम शास्त्रीने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। उसमें मैंने लिखा है कि ७० दिनोंमें ७० लाख गज सूत कातने के लिए प्रतिदिन १००० गज

१. जमनालालजी ९ अगस्तको रिहा कर दिये गये थे।

२ और ३. देखिए खण्ड ६९, पृ० ४५८-५९।

कातनेवाले ७०० कर्तियोंकी और १०० गज कातनेवाले ७००० कर्तियोंकी जरूरत होगी। यहाँ '७०००'के स्थानपर १०० और '७००'के स्थानपर १००० होना चाहिए। इस भूलको मैं खुशीसे सुधार देता हूँ, पर मैं यही कहूँगा कि चाहे ७०० या ७००० लोग कताई-यज्ञमें भाग लें, इससे कोई हानि नहीं होगी। जितने अधिक लोग कातेंगे उतना ही अच्छा होगा।

सेगाँव, ६ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-८-१९३९

७४. पत्र : वालजी गो० देसाईको

६ अगस्त, १९३९

चि० वालजी,

तुम्हारा पत्र कल मिल गया था, लेकिन इतना समय नहीं था कि उसका उसी समय उत्तर दिया जा सकता। चित्रेको लिख तो रहा हूँ लेकिन क्या वह तुम्हारा काम कर देगा? उसी पतेपर रामचन्द्रनको भी लिख रहा हूँ। चित्रेके रवाना होने से पहले यह पत्र तुम्हें मिलेगा। इसलिए मैं जो लिख रहा हूँ यदि वह तुम्हें ठीक लगे तो चित्रेको रुकने का तार भेज देना। यह तो मेरी सलाह है। लेकिन चित्रेको तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। इसके अतिरिक्त वह तुम्हारा भक्त है इसलिए अच्छी तरहसे काम आयेगा। तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? खाने-पीनेमें तो कोई गफलत नहीं हुई? मैं तो यह उम्मीद लगाये बैठा हूँ कि रोगको नेस्तनाबूद करके तुम वापस लौटोगे।

बापूके आशीर्वाद

प्रोफेसर वा० देसाई

सैनिटोरियम

डाकखाना बाणीविलास मुहल्ला, मैसूर

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४८५) से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई

७५. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

सेगाँव, बर्वा

६ अगस्त, १९३९

चि० मणिलाल और सुशीला,

तेरा लम्बा और खबरोसे भरा पत्र मिला। उससे मुझे मदद मिलेगी।

यहाँ तो खूब घडल्लेसे काम चल रहा है। तुम्हारे प्रधान मन्त्रीके बाहर होने की वजहसे थोड़ी ढील हो गई है। विशेष जानने-लायक यदि कोई बात होगी तो मैं बताता रहूँगा। असल बात तो तुम्हारे जोर डालने पर निर्भर करती है और करेगी। नानाने मुझे तार भेजा है कि मैंने मुलतवी रखने की जो सलाह दी, सो ठीक ही किया है। मैंने तारका जवाब नहीं दिया है। वहाँकी फूट मिट सके, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता? हत्या की घमकी देनेवाले कौन लोग हैं? बात इतनी दूर तक कैसे गई?'

एजेन्ट-जनरल यदि वहाँ विलकुल न रहे तो लाभ है, ऐसा क्योकर मानते हो? उन्हें वापस बुलाना आसान है। लेकिन किसीको फिर नहीं भेजा जा सकेगा इसलिए अच्छी तरहसे विचार करके निर्णय करना चाहिए।

मुझे वहाँकी खबर जरूर मिलती रहनी चाहिए।

साथमें वा का पत्र है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९००) से।

७६. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

६ अगस्त, १९३९

चि० अमृतलाल,

साथका पत्र पढकर तुम्हें खुशी होगी।'

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७९१) से।

१. देखिय खण्ड ६९, पृ० ४०५ भी।

२. चन्द्रनवहन पारेखने गांधीजीको अपनी देखमाल करने के लिये नानावटी-जैसा धीरजवाला व्यक्ति भेजने के लिये धन्यवाद देते हुए पत्र लिखा था।

७७. पत्र : अमृतुस्सलामको

सेगांव

६ अगस्त, १९३९

चि० अ० स०,^१

तेरे दो खत एक साथ मिले। मैंने तो लिख दिया है जैसा दिल चाहे ऐसा कर। यहा आ जाना है तो आ जा। शकरलाल भाईमें बात कर लेना।

बापुकी दुआ

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३०) से।

७८. पत्र : कृष्णचन्द्रको

सेगांव, बर्वा

६ अगस्त, १९३९

चि० कृष्णचंद्र,

तुमारा खत मिला। शकरीबहन^१ तैयार तो हो गई है लेकिन उनको कुछ हिचकिचाहत पैदा हो गई है। इसलिये मैंने उनको भेजने का मोकुफ किया है। अब दूसरी तलाशमें हू। हो सकते इतनी जल्दी कर रहा हू। गदेलो ऐसा क्यों रखा है? खाट वहांकी नहीं है। साथका खत बछराजभाईको^२ देना। [बालकृष्णका] कान अच्छी तरह भाफ किया जाता है ना? सुशीलाबहिनको सब बयान दिया करो। ठिकाना : लेडी हार्डिंग कालेज अस्पताल, नई दिल्ली है।^३ बालकृष्णको वहा बिलकुल अच्छा हो जाना चाहिये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३२५) से।

१. मूलमें सम्बोधन शुज्जानीमें है।
२. चिंमनलाल एन० शाहकी पत्नी
३. बछराज सेठ, जिन्होंने जमनालाल नजानको गोद लिया था।
४. मूलमें पता अंग्रेजीमें है।

७९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको'

सेर्गाव

६ अगस्त, १९३९

उपवास करनेवाले बन्दियोंको, दो महीनेके लिए ही सही, उपवास छोड़ने को राजी करने में सफल होने और इन बन्दियोंकी रिहाईके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस समितिको प्रेरित करने का सुभाष बाबूने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं उन्हें बचाई देता हूँ। मुझे अलीपुरके कैदियोंकी ओरसे भी एक तार मिला है, जिसमें भूख-हड़तालके स्थगित होने की सूचना देते हुए मुझसे कहा गया है कि मैं अपने प्रयत्न फिरसे जारी कर दूँ। कहने की जरूरत नहीं कि उन बन्दियोंको रिहा करवाने के लिए मुझसे जो-कुछ भी बन पड़ेगा, सो मैं करूँगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, उनके द्वारा भूख-हड़ताल स्थगित कर दिये जाने से मुझे कुछ आशा बँधी है कि मेरे प्रयत्नका कुछ असर होगा। मैं यह भी आशा करता हूँ कि बंगाल सरकार इस अवसरका लाभ उठाते हुए उदारतापूर्ण कदम उठायेगी और इस व्यथाका अन्त करेगी।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १२-८-१९३९

८०. सन्देश : बुनियादी शिक्षा-योजनाके शुभारम्भ पर'

[७ अगस्त, १९३९ या उसके पूर्व]'

शिक्षाकी नई पद्धतिके अन्तर्गत १,७०० स्कूल खोलने का निर्णय एक महान् उपक्रम है। मुझे आशा है कि यह उपक्रम हर दृष्टिसे सफल होगा। उचित साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए मेरी बचाई।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, ७-८-१९३९

१. यह "बंगाल प्रिजनर्स" (बंगालके राजनीतिक बन्दी) शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। उक्त वक्तव्य ७ अगस्तके हिन्दूस्तान टाइम्स और हिन्दूमें भी प्रकाशित हुआ था।

२ और ३. यह सन्देश हिन्दूमें दिनांक "इलाहाबाद, ७ अगस्त" के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। उसके साथ निम्नलिखित टिप्पणी भी थी: "मुख्य मंत्री पण्डित गो० व० पन्त कल संयुक्त प्रान्तमें बुनियादी शिक्षा-योजनाका शुभारम्भ करेंगे, उससे वहाँ एक बड़ा प्रयोगात्मक शिक्षा-कार्य आरम्भ होगा। . . ."

८१

८१. एक स्पष्टीकरण

पूर्वोक्त पत्रको मैं खुशीके साथ प्रकाशित कर रहा हूँ और जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उसे भी स्वीकार करता हूँ। इस स्पष्टीकरणके बिना प्रार्थना-पत्रके अन्तिम अनुच्छेदको केवल धमकी ही समझा जा सकता था। तथापि मध्य-निपेथके कार्यक्रमको आगे बढ़ाने में भण्डारी जो मदद कर सकते हैं वह इस स्पष्टीकरणसे अधिक उपयोगी होगी। उन्हें चाहिए कि वे कांग्रेस-सरकार और देशके सच्चे सिपाही बनें, ठीक उसी तरह जिस तरह कि वे ईस्ट इण्डिया कम्पनीके सिपाही थे हालाँकि वह एक विदेशी कम्पनी थी और देशका शोषण करने के लिए यहाँ आई थी। यदि ये सच्चे हृदयसे सरकारके इस दुष्कर कार्यमें सहयोग करेंगे तो देखेंगे कि इन तरह वे अपनी सहायता भी करेंगे, जो वे अन्यथा कभी न कर पाते।

सेर्गाव, ७ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-८-१९३९

८२. मिल बनाम चरखा

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ भगनवाड़ी, ववति कुछ समयसे 'ग्राम उद्योग पत्रिका' नामकी एक मासिक पत्रिका निकाल रहा है। उसका सालाना चन्दा बारह आने है। उसके जुलाईके अंकमें राष्ट्रीय आयोगनापर एक दिलचस्प लेख प्रकाशित हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जिज्ञासु पाठक उस लेखको जरूर पढ़ें। यहाँ तो मैं निम्न आश्चर्यजनक आँकड़ोंकी तरफ ही ध्यान खीचना चाहता हूँ:

. . . अगर हम अपनी जरूरतका सारा कपड़ा मिलोंके जरिये पैदा करें तो हमें ३ अरब रुपये की पूँजी और ३३ लाख आदमी चाहिए। पर अगर इस कपड़ेका उत्पादन कुटीर उद्योगसे हो तो करीब ७२ करोड़ रुपया लगाना

१. यह पत्र दिनांक "बम्बई, ३१ जुलाई, १९३९" के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। पत्र पृष्ठ ० के० बोलेने लिखा था। इसमें अन्य बानोंके बलावा यह कहा गया था: "उत्त आन्दोलन-पत्रके इत्यादरकर्ताओंने जो कुछ किया, वह ईना नदारानि साधकिया है और उनका इरादा बम्बईके नम्बिनडक्को धमकी देने का नहीं था। उक्त आन्दोलन-पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें उक्त समयके हालातको देखने हुए मध्य-निपेथकी नीतिके लागू किये जाने से मजदारी-समितिको निच परिणामोंको आशंका थी, उत्तनी स्पष्ट अभिव्यक्ति की गई थी।" देखिए पृ० २१ भी।

२. यहाँ कुछ अंश ही उद्धृत किये गये हैं।

पड़ेगा और ८ करोड़ आदमियोंको काम मिलेगा। उत्पादनकी इन दोनों विधियोंमें प्रत्येकके अपने लाभ हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। . . . हम लोग गरीब जरूर हैं, पर हमारे पास बेहिसाब श्रम-रूपी सम्पदा पड़ी हुई है। इसलिए बुद्धिपूर्वक की गई आयोजनासे मालूम होगा कि कुटीर-उद्योगका तरीका ही हमारे देशकी योजनामें ठीक-ठीक बैठ सकता है। . . . कोई भी आयोजना, जिसमें श्रम-सम्पदाका समुचित उपयोग करने की व्यवस्था न हो, व्यर्थकी आयोजना होगी। हमारे विश्लेषणने यह दिखा दिया है कि केन्द्रीकृत उत्पादन-पद्धतिमें चाहे जितना अधिक माल पैदा करने की शक्ति हो, पर हमें जिस विशाल जन-संख्याको रोजी देनी है, उसे काम देने की गुंजाइश इस पद्धतिमें नहीं है। अतः यह पद्धति इस देशके लिए निकम्मी है।

इन आंकड़ोंपर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। अगर यह साबित न किया जा सके कि यह गलत है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि मिलोंके उत्पादनकी अपेक्षा चरखे द्वारा, और इसी दलीलसे, ग्रामोद्योग द्वारा होनेवाला उत्पादन हमारे लिए श्रेयस्कर है। पर इस विषयके विशेषज्ञोंको मैं आमन्त्रित करता हूँ कि वे इन आंकड़ोंकी जाँच-पड़ताल करें और इन्हें गलत साबित कर सकें तो जरूर करें।

सेर्गाव, ७ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-८-१९३९

८३. हरिजनोंके लिए एक और मन्दिर खुला

हरिजन सेवक संघ, इलाजीके मन्त्री मुझे सूचित करते हैं कि २६ जुलाईको कोर्तालमके मन्दिरको व्यवस्थापकने हरिजनोंके लिए खोल दिया है। अपने कर्त्तव्यका पालन करने के लिए मन्दिरके व्यवस्थापकको मैं बधाई देता हूँ। स्थानीय सचके अव्यक्तने मन्दिर खोल देने के लिए व्यवस्थापकको राजी किया था। मैं आशा करता हूँ कि मन्दिरमें पूजाके लिए जानेवालो ने मन्दिर खोलने पर कोई आपत्ति नहीं की होगी।

सेर्गाव, ७ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीमें]

हरिजन, १२-८-१९३९

८४. पत्र : तोताराम हिगोरानीको

सेर्गाव, वर्षा
७ अगस्त, १९३९

प्रिय हिगोरानी,

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपका आनन्द और विद्यासे मेल-मिलाप हो गया है और वे दोनों जैसी सेवाकी आपको जरूरत पड़ सकती है वैसे पुत्रोचित सेवा करने के लिए आपके पास हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री तोताराम हिगोरानी
कराची

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार, और आनन्द तो० हिगोरानी

८५. पत्र : आनन्द तो० हिगोरानीको

सेर्गाव. वर्षा
७ अगस्त, १९३९

चि० आनंद.

मुझको तो तुमारा निर्णय अच्छा लगता है। निर्वाहके लिए धंदा करना कोई बुरी चीज नहीं है। पिताकी इच्छाकी तृप्ती करना पुत्रका धर्म है—जबतक वह इच्छा अपवित्र न हो। पिताजी की इच्छा कि तुमारे धंदा करना और अपने पैरोंपर खड़ा रहना शुभेच्छा है। मेरा विश्वास है कि जो मनुष्य अपनी आजीविका नीतितसे कमाता है और अपना गृहस्थाश्रम नीतिपूर्वक चलाता है वह भी देशकी सेवा करता है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि अपना धंदा दिलचस्पीसे करो। पिताजी को खुश करो और धंदा करते हुए जितनी हरिजन-सेवा हो सके किया करो।

१ और २. तोताराम हिगोरानीके पुत्र और पुत्रवधू

मुझको तो जितना पैसा भेजेगा इतना हजम करूंगा। लेकिन नहीं भेज सकेगा तो भूखो नहीं मरूंगा। जैसा सुभिता रहे ऐसा करो।

साथकी चिट्ठी' पिताजी को देना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार, और आनन्द तो० हिंगोरानी

८६. पत्र : प्रभावतीको

सेगाँव, वर्षा

७ अगस्त, १९३९

चि० प्रभा,

यदि तू शिक्षकको छुट्टी दे सके तो देना ही अच्छा होगा। न दे सके तो एक महीना पूरा करके काममें लग जाना। काम जितना हो सके उतना करना। यदि राजेन्द्र बाबू तुझे छोड़ें तो छूट जाना, और अभ्यास जारी रखना। क्या सीखेगी, कितना समय लगेगा और शिक्षक कौन है?

बापुके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२७)से।

८७. पत्र : अमतुस्सलामको

सेगाँव, वर्षा

७ अगस्त, १९३९

चि० अ० स०,

तुमारी शिकायत मिली। मैं तो बराबर लिखता रहा हूँ। शिकायत पोस्ट मास्टर से कर। मैंने ये भी लिख दिया है कि जैसा दिल चाहे ऐसा कर। शकर-लालभाईसे मशिवरा कर। इसलिये तार नहीं भेज रहा हू।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३१) से।

८८. पत्र : वसुमती पण्डितको

सेर्गाव

७ अगस्त, १९३९

वि० वसुमती,

तेरा पत्र मिला है। वसुसे^१ कहना कि वह कितनी डरपोक लड़की है! क्या अमृतुस्सलाम तुम्हारे साथ नहीं रह रही है?^२ वा आनन्दपूर्वक है। कमजोर तो जरूर है। यहाँ वर्षा नहीं हुई है।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३१) से।

८९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको^३

सेर्गाव, वर्षा

७ अगस्त, १९३९

मैं जब एवटावादमें था, तब मेरे और डॉ० खान साहब^४ तथा काजी अताउल्ला साहबके^५ बीच जो बातचीत हुई थी, उसकी रिपोर्टके रूपमें एसोसिएटेड प्रेस द्वारा भेजे गये सन्देशकी तरफ मेरा ध्यान गया है। वह खानगी बातचीत थी। डॉ० खान साहबने हिन्दू सदस्योंकी किसी भी साजिशके बारेमें मुझसे गिरावत की हो या उन सदस्योंको हटा देने के बारेमें मैंने सहमति दी हो, ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं पड़ती। यह बात तो स्पष्टतः असम्भव है, क्योंकि जिनके विरुद्ध ऐसे गम्भीर आरोप लगाये जायें, उनसे मिले वगैर मैं ऐसी बातपर कोई राय दे ही नहीं सकता। इसी प्रकार डॉ० खान साहब ऐसी अशोभन चीज मुझसे कराने की आशा नहीं रख सकते। इसी प्रकार मुझे इस बातका जरा भी स्मरण नहीं आ रहा है कि काजी साहबने

१. बनमाला न० परीख

२. गांधीजी ने यह पत्र अमृतुस्सलामको पत्र लिख चुकने के बाद लिखा था; देखिए पिछला शीर्षक।

३. यह "ए डिनार्डल" (इन्कार) शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। उपरोक्त वक्तव्य ८-८-१९३९ के हिन्दूमें भी प्रकाशित हुआ था।

४. उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तके मुख्य मंत्री

५. उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तके शिक्षा-मंत्री

नौकरियोंके प्रश्नपर मुझसे कोई चर्चा की थी। पत्रकार लोग ऐसी महत्त्वकी खबरें प्रकाशित करने से पहले सम्बन्धित पक्षोंसे उनकी मजूरी ले लें, तो कितना अच्छा हो! मैंने सुना है, सीमा-प्रान्तके हिन्दू इस खबरको पढकर बहुत बेचैन हो गये हैं।

[अग्नेजीसे]

हरिजन, १९-८-१९३९

९०. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

सेगाँव, बर्वा

८ अगस्त, १९३९

चि० बबुडी,

तेरा पत्र मिला। तू अच्छी हो गई, यह खुशखबरी है। अब कोई निशान बाकी तो नहीं है न? यहाँ तो सारे कमरे भरते जा रहे हैं। दुर्गाबहन^१ आज आई है। डेवरभाई^२ आ गये हैं। आज तो नानावटी भी यहाँ है। अन्य दो जन सोजिवासे आये हैं। वे कुछ समय रहना चाहते हैं। भणसालीभाई फिलहाल तो पढाने में व्यस्त है। मैथ्यूजी बालकोबाकी झोंपड़ीमें है। सुशीलाबहनकी जगह उसके ही कालिजकी एक महिला डॉक्टर आई है। बहुत भली महिला है। नीमु आदि तो हैं ही। अब तो पत्र खबरोसे भर गया न? मैं मजेमें हूँ। बा ठीक है।

तुम दोनोंको,

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००१५) से; सौजन्य . शारदाबहन गो० चोखावाला

९१. पत्र : मणिलाल गांधीको

सेगाँव, बर्वा

८ अगस्त, १९३९

चि० मणिलाल,

तेरा पत्र मिला है। अब तो तुझे मेरे पत्र बराबर मिलते ही रहेंगे।

कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंके विरुद्ध केस करने में व्यर्थ ही समय बरवाद होगा और कटुता बढेगी। इसके विपरीत, यदि तुम लोग अपना काम करते रहोगे तो तुम्हारा बल बढेगा और कांग्रेस भी तुम्हें अप्रत्यक्ष रूपसे तो मदद देती रहेगी। न दे तो कोई हर्ज नहीं। तुझे याद नहीं है, किन्तु क्रिस्टोफरको याद होगी कि मैंने तो जान-बूझकर कांग्रेस और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशनको अलग-अलग रखा था। मैंने पैसिव

१. महादेव देसाईकी पत्नी

२. उ० न० देवर

रेसिस्टेंस एसोसिएशनकी स्थापना की और मूझे कांग्रेस आदि संस्थाओंकी मदद मिलती रहती थी। ये लोग जेल नहीं जाते थे, अपने पैसेका त्याग भी नहीं करते थे, लेकिन मेरी तो पैसेसे मदद करते थे। एजेंट तुम्हारी संस्थाको ही स्वीकार करेगा और उसे आदर देगा।

इस सम्बन्धमें मैं कदाचित् 'हरिजन' में लिखूंगा। संलग्न पत्र तुम्हारे काम आयेगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसके पीछे दो पत्र^१ हैं।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९०१) से।

९२. पत्र : सीता गांधीको

सेर्गाच

८ अगस्त, १९३९

चि० सीता,

तेरी चिट्ठी मिली। यदि तू भी जेल जायेगी तो 'ई० ओ०' कौन चलायेगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९०१) से।

९३. पत्र : सुशीला गांधीको

सेर्गाच

८ अगस्त, १९३९

चि० सुशीला,

मेह^२ लिखता है कि तूने भी जेल जाने का निश्चय किया है। लेकिन यदि समझौता हो गया तो? जेल जाने के लिए क्या तू अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेगी?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९०१) से।

१. देखिए "टिप्पणियाँ" का उप-शीर्षक "दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंका संघर्ष", पृ० १०२।

२. देखिए अगले दो शीर्षक।

३. इंडियन ओपिनियन।

४. सुरेन्द्र मेह

९४. पत्र : दिलखुश बी० दीवानजीको

सेर्गाव, बर्वा
८ अगस्त, १९३९

भाई दिलखुश,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम उधार माँगते हो तो पैसा कब वापस दोगे? कमसे-कम कितने चाहिए? जो खादी तैयार होती है उसका क्या करते हो? गाहकी काफी है क्या? कोई कातनेवाली वापस न जाये तो अच्छा होगा। कातनेवाली हमारे नियमोका अनुसरण करनेवाली होनी चाहिए। जो सूत काता जाये, वही बुना जाना चाहिए।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

बुननेवाले यदि कम हों तो नये तैयार किये जायें।

दिलखुश दीवानजी

गाधी कुटीर

कराड़ी

बरास्ता जलालपुर

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २६४२) से।

९५. पत्र : राधाकृष्ण बजाजको

सेर्गाव, बर्वा
८ अगस्त, १९३९

चि० राधाकिसन,

तुमारा खत मिला है। मेरा लेख^१ तो देखोगे। कमलनयनने मुझको थोड़े कागज दिये हैं। उसमें हिंस्र जानवरोंका आधा वर्णन है।^२ आधा वाकी है। मुझे पूरा चाहिये। अब जमनालालकी तबीयत कैसी है?

कमलनयन^३ सावित्रीकी^४ प्रसूती नजदीक होने के कारण कलकत्ता गया है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११२८) से।

१. देखिये खण्ड ६९, पृ० ४३६-३७।

२. देखिये पृ० ७६-७७।

३ और ४. जमनालाल बजाजके पुत्र और पुत्रवधू

९६. पत्र : गोपबन्धु चौधरीको

सेर्गाव, बर्वा
८ अगस्त, १९३९

भाई गोपबाबु,^१

यह खत^१ पढ़ो। उस[के] वारेमें कुछ हो सकता [है] क्या?
तुमारा स्वास्थ्य कुंछ] विगड़ा था?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७९३) से।

९७. पत्र : डॉ० जीवराज एन० मेहताको

सेर्गाव, बर्वा
९ अगस्त, १९३९

भाई जीवराज,

बारडोलीमें आपकी सुशीलाके साथ कुछ बातचीत हुई थी, मैं उसी समय आपको लिखना चाहता था लेकिन काममें अधिकाधिक व्यस्त होता चला गया और बादमें मैंने लिखने का विचार छोड़ दिया। लीलावतीके समझ आपने कुछ आलोचना की थी, इसीमें मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूँ। आपने जो आलोचना की उसमें लीलावतीको दुःख हुआ। वस्तुतः लीलावतीको उनी समय अपने मनकी बात कह देनी चाहिए थी और आपसे पूछना चाहिए था। मन-ही-मन नुलगत रहती है उससे क्या फायदा? आप मेरे शरीरके रक्षक हैं इसलिए मेरी नीतिके (अर्थात् आचरणके) भी रक्षक हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। यदि मैं कुछ न करने

१. उत्कल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष

२. उड़ीसा विधान-सभाके अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद दास द्वारा गांधीजी को भेजा गया ४ अगस्त, १९३९ का पत्र, जिसमें लिखा था: "उड़ीसाके कांग्रेसियोंके आपसी झगड़े खत्म हो जाने चाहिए।... क्या आप गोपबन्धु चौधरीको इस मामलेमें हस्तक्षेप करने के लिए लिख सकते हैं? उन्हें सब दर्जोंका विश्वास प्राप्त है।"

३. डॉ० सुशीला नैयर

४. लीलावती आसर

५. देखिये अगला शीर्षक भी, और "पत्र : लीलावती आसरको", पृ० १०५-६।

लायक काम करता हूँ तो उससे आपको निस्सन्देह दुःख होगा। लेकिन मुझे इसके बारेमें बताना आपका कर्त्तव्य है। इसलिए यदि आपको मेरा व्यवहार टीका अथवा निन्दा करने के योग्य लगा हो तो आप नि शंक होकर मुझे बताना। इसे मैं सच्ची मित्रता मानूंगा। मैं जानता हूँ कि आजकल समाचारपत्र मेरे प्रति गालियोसे भरे रहते हैं। मैं उन्हें पढ़ता ही नहीं। मेरे सुनने में अवश्य आती हैं। इन गालियोका मुझपर कोई असर नहीं होता। लेकिन आप-जैसे मित्रोंके मनमें इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है, यह जानने की इच्छा अवश्य होती है। मेरा जीवन खूली पुस्तक है। मैंने किसी दिन किसीसे कुछ छिपाकर नहीं रखा है। इसलिए जहाँ आपको पूछने लायक कोई बात दिखाई दे, आप खुशीसे पूछ सकते हैं। आप-जैसे साधियोंमें मैं बहुत काम लेने की आशा रखता हूँ और यदि मेरे जीवनमें गोपनीय-जैमी कोई बात हुई तो मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ।

मोहनदासके वंदेमातरम्

मूल गुजरातीसे . जीवराज मेहता पेपर्स , सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

९८. पत्र : लीलावती आसरको

सेर्गाव, वर्धा

९ अगस्त, १९३९

वि० लीला,

तेरा पत्र मिला। मैं लड़कियोंके 'बलेव दिवम' अथवा किसी अन्य अवसर पर भिक्षा माँगने के लिए निकलने की कोई जरूरत नहीं समझता। उनका ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। पैसा उगाहने का काम सचालकोका है।

तू अपने अभ्यासमें तल्लीन रहना। उत्पात मत करना। जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करना और उसके बाद जो भी परिणाम निकले उससे सतोप मानना।

डॉ० मेहताके कहने पर तू चुप क्यों रही? उन्होंने सिर्फ विनोद ही किया हां तो? यदि उसमें दंश था तो तू उसे तुरन्त निकाल सकती थी। लडकी पिताकी वगलमें सोये और किसी संस्थामें लडकियाँ एक-दूसरेपर सोये, क्या ये दोनो बातें एक-जैमी हैं, यह तू उनसे पूछ सकती थी। मैं समझता हूँ कि तेरा चुप रहना

१. इसे 'रक्षाभन्धन' के नामसे भी जाना जाना है जो श्रावण मासकी पूर्णमासीके दिन मनाया जाना है।

२. देखिए पिछला शीर्षक भी।

ही कुछ हदतक दोषको स्वीकार करना था। लेकिन मुझे तेरा जो पिछला पत्र मिला था उसमें भी मुझे लज्जाका आभास होता है। इसीसे तो जीभ नहीं खुलती। तो इसमें डॉ० जीवराजका क्या दोष? यदि कोई मेरी कटु आलोचना करता है तो उसका मुझपर कोई असर नहीं होता। लेकिन यदि मैं कोई निन्दनीय काम करता हूँ तो किसीके कुछ न कहने पर भी शरमाऊँगा और क्षिप्तकूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० १००९१) से; सौजन्य : लीलावती आसर

९९. पत्र : तारा जसाणीकी

मगनवाड़ी, वर्धा

९ अगस्त, १९३९

त्रि० तारा,

अपनी छड़ियोंके बिना घूमने जाना मुझे अरुचिकर लगता है। कनू^१ और बाबलौ^२ तो ठहरे कामकाजी, इसलिए मेरे साथ नहीं निकलते।

मैं पहाडोका वर्णन तुझे लिख भेजूँ इससे तो बेहतर होगा कि तू किसी दिन अपनी आँखोंसे ही देख लेना।

अकाल पड़ा तो तू क्या सेवा करेगी? सूत-यज्ञमें कितना योगदान देगी?

कानजी मुनिका^३ व्याख्यान सुनती है, यह अच्छी बात है। पूजनीय बा और बापू तो उसमें लीन थे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९८३४) से; सौजन्य : ताराबहन प्रताप

१. नारणदास गांधीके पुत्र

२. महादेव देसाईके पुत्र, नारायण देसाई

३. श्वेताम्बर जैन मुनि

१००. पत्र : आर० एल० हांडाको

सेगाँव

१० अगस्त, १९३९

प्रिय मित्र,

मैंने तुम्हारा पत्र^१ तथा काठियावाड़की रियासतोंपर लिखे संलग्न लेख^१ देखे। दोनों अच्छे हैं। तुम्हारा पत्र 'हरिजन' के आगामी अंकमें छप रहा है, लेकिन लेख बादमें स्थान मिलने पर ही छापे जायेंगे। मैं समझता हूँ कि रियासतोंकी समस्याके सम्बन्धमें तुम्हारा दृष्टिकोण कुल मिलाकर युक्तिपूर्ण और व्यावहारिक है।^१

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अग्रेजीसे]

लीब्ल फॉर्म ए डायरी, पृ० ७७

१०१. पत्र : सुरेन्द्र बी० मशरूवालाको

सेगाँव, वर्धा

१० अगस्त; १९३९

चि० सुरेन्द्र,

मनुको^१ जो पत्र मैं लिखता हूँ क्या वह तुझे लिखने जैसा नहीं है? मैं मान लेता हूँ कि तुम दोनों परस्पर एक-दूसरेमें इतने तल्लीन हो कि तुम्हें मेरी ओरसे किसी प्रकारके आश्वासनकी जरूरत नहीं रह जाती। इससे हालाँकि तुम मेरी नजरोंके आगे तो रहते ही हो फिर भी पत्र लिखने का समय बचा लेता हूँ। मनुकी मेरे साथ बहुत समयतक रही है, इसलिए जाहिर है कि वह मुझसे कभी-कभी पत्रकी अपेक्षा रखती है, इस कारण उमे लिखता हूँ और यह मान लेता हूँ कि तुसे भी लिख दिया है।

१. देखिए पृ० ९८-९९।

२. उद्धरणोंके लिए देखिए परिशिष्ट ४।

३. देखिए "काठियावाड़की रियासतें", ११-९-१९३९ भी।

४. सुरेन्द्र मशरूवालाकी पत्नी

तेरा काम ठीक-ठीक चल रहा है, ऐसा मनु कहती थी। उम्मीद है, तेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा।

बापूके आगीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ५०४९) से; सौजन्य : मनुबहन सु० मशरूवाला

१०२. कांग्रेस कार्य-समितिका प्रस्ताव^१

[११ अगस्त, १९३९]^२

राष्ट्रीय कांग्रेसके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोसने^३ अ० भा० कां० क० की पिछली बैठकमें पारित "प्रान्तोमें सत्याग्रह" और "कांग्रेस मन्त्रिमण्डल तथा प्रा० कां० कमेटियां", इन दो प्रस्तावोंके^४ सम्बन्धमें जो कार्रवाई की है, उसपर कार्य-समितिने बहुत सावधानीके साथ विचार किया है। कार्य-समितिने श्री सुभाष बाबूके उसे लम्बे पत्रपर^५ भी विचार किया है जो संलग्न है। कार्य-समिति बहुत दुःख और अनिच्छाके साथ इस निष्कर्षपर पहुँची है कि कांग्रेस-अध्यक्षने जो मुख्य मुद्दा उठाया है और जो उनके घोषणा-पत्रमें^६—यह भी संलग्न है—स्पष्ट रूपसे प्रस्तुत किया गया है उसे सुभाष बाबू विलकुल समझ नहीं पाये। भूतपूर्व अध्यक्षके रूपमें उन्हें यह भी महसूस करना चाहिए था कि कांग्रेस-अध्यक्षकी ओरसे अपरिहार्य निर्देश^७ प्राप्त करने के बाद राष्ट्रके सेवकके नाते उनका यह स्पष्ट कर्तव्य था कि वे अध्यक्षसे मतभेद होने के बावजूद उन निर्देशोंपर श्रद्धापूर्वक अमल करते। अध्यक्षके निर्णयसे सन्तुष्ट न होने पर यदि वे चाहते तो कार्य-समिति अथवा अ० भा० कां० क० के सम्मुख अपील कर सकते थे। लेकिन जबतक अध्यक्षके निर्देश कायम थे तबतक बफादारीके साथ उनका पालन करने को वे बाध्य थे। किसी भी संस्थाके उचित संचालनके लिए यह पहली शर्त है तथा राष्ट्रीय कांग्रेस-जैसी उस विशाल संस्थाके लिए तो और भी, जो संसारके सबसे ज्यादा संगठित और शक्तिशाली साम्राज्यवादी संगठनके विरुद्ध जीवन-मरणके संघर्षमें लगी हुई है। सुभाष बाबूके पत्रसे उनका तो यह विचार लगता है कि प्रत्येक सदस्यको कांग्रेस-संविधानकी मनमानी व्याख्या करने का

१. इसका मसौदा गांधीजी ने तैयार किया था; देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", पृ० १२५-२७।

२. गांधी — १९१५-१९४८ : पृ० डिटेल्ड क्रॉनोर्लॉजी से।

३. उन्होंने लोमोसे कहा था कि वे ९ जुलाई, १९३९ को 'विरोध-दिवस' मनायें।

४. देखिए खण्ड ६९, पृ० ३९९-४०१।

५. जो कांग्रेस-अध्यक्षको लिखा गया था; देखिए परिशिष्ट ५।

६. देखिए परिशिष्ट ६।

७. देखिए परिशिष्ट ७।

हक है। इस विचारको मान लेने से तो कांग्रेसमें अराजकता फैल जायेगी और थोड़े ही समयमें उसके टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे।

कार्य-समिति अत्यन्त दुःखके साथ इस निष्कर्षपर पहुँची है कि यदि वह सुभाष बाबूके जान-बूझकर और खुल्लमखुल्ला किये गये अनुशासन-भंगके कार्यकी उपेक्षा करती है तो वह अपने कर्तव्यसे च्युत होती है। इसलिए कार्य-समिति यह निश्चय करती है कि अनुशासन-भंग करने के गम्भीर अपराधमें सुभाष बाबू अगस्त, १९३९ से तीन वर्षके लिए बंगाल प्रान्तीय कांग्रेसके अध्यक्ष-पदके लिए अयोग्य होंगे। कार्य-समितिको विश्वास है कि सुभाष बाबू अपनी भूलको पहचानेंगे और उनके विरुद्ध यह जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, उसे सच्चे हृदयसे स्वीकार करेंगे।

अन्य अनेक कांग्रेसियोंकी, जिनमें कई जिम्मेदार पदाधिकारी भी शामिल हैं, अनुशासनहीनताकी ओर भी कार्य-समितिका ध्यान गया है। लेकिन क्योंकि उन्होंने सुभाष बाबूकी प्रेरणापर ऐसा कार्य किया है, अतः कार्य-समितिने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। तथापि यदि प्रान्तीय समितियाँ अनुशासनके ठीक-ठीक पालनके लिए और विशेष रूपसे उन लोगोंके विरुद्ध, जिन्होंने अनुशासन भंग किया और अपने किये पर पश्चात्ताप नहीं किया है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना आवश्यक समझें, तो वे ऐसा कर सकती हैं।

कार्य-समिति अध्यक्षको यह अधिकार भी देती है कि वे ऐसे सदस्योंके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे जो अपनी वाणी अथवा आचरणके द्वारा अनुशासन-हीनताके लिए पश्चात्ताप करने के बजाय अनुशासन भंग करने का दुराग्रह जारी रखते हैं।

[अग्रेजीसे]

द इंडियन एनुअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० २१२-१३

१०३. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्षा

११ अगस्त, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

मेरा मन हो रहा था कि तुमसे कार्य-समितिके सम्मुख ही (समयके अभावके कारण) योजना-समितिके बारेमें बातचीत करें। तुमसे बातचीत करने के बाद शंकरलाल आज सबेरे मेरे पास आये थे और इस सम्बन्धमें कृपलानीको लिखे अपने पत्रकी प्रतिलिपि भी लाये थे। उन्होंने जो आपत्ति उठाई है उसपर मैंने सहानुभूति

१. देखिये खण्ड ९९, पृ० ४१७।

२. जे० बी० कृपलानी, महामंत्री, अ० भा० का० कमेटी।

व्यक्तकी। योजना-समितिका यह सारा श्रम न कभी मेरी समझमें आया और न मुझे जंचा है। जिस प्रस्तावके जरिये इस समितिकी रचना हुई थी, उसकी सीमा-रेखाके बीच यह काम करती नहीं जान पड़ती। मुझे नहीं लगता कि कार्य-समितिको उसके क्रिया-कलापकी सूचना दी जाती रही है। ये जो बहुत-सी उप-समितियाँ बनाई गई हैं उनका क्या उद्देश्य है, सो मैं नहीं समझ सका हूँ। मुझे तो लगता है कि एक ऐसे कार्यमें बहुत श्रम और धन लगाया जा रहा है जिससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरी ये शक़ाएँ हैं। मैं इनका समाधान चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन चीनमें है। यदि तुम्हारा यह खयाल हो कि शाह^१ मुझे तुम्हारे विचारोंसे अवगत करा सकेंगे तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा अन्यथा इस महान् यात्रासे तुम्हारे वापस लौटने तक प्रतीक्षा करूँगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम सकुशल स्वदेश लौट आओ।

स्नेह।

वापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पत्र, १९३९; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृ० ३७८-७९ से भी

१०४. पत्र: गुलाम रसूल कुरेशीको

सेर्गान

११ अगस्त, १९३९

चि० कुरेशी,

तुम्हारा पत्र मिला। १०० रु० आने तो शुरू हो गये हैं, ऐसा मानता हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने 'मुगन्वी' से छूटकारा पा लिया।

वापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

यदि अ० स० वहाँ हो तो कह देना कि मैंने यह सोचकर पत्र नहीं लिखा कि वह अवतक वहाँसे चली गई होगी।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०७७३) से; सौजन्य: गुलाम रसूल कुरेशी

१. जवाहरलाल नेहरू चीन जानेवाले थे; लेकिन वे २० अगस्त, १९३९ को चीनके लिए रवाना हुए।

२. के० टी० शाह

१०५. भूख-हड़ताल

भूख-हड़ताल आजकल निश्चय ही एक महामारी बन गई है। जरा-जरा-सी बातपर कुछ लॉग भूख-हड़तालोंका सहारा लेना चाहते हैं। इसलिए यह अच्छा ही है कि कमसे-कम जहाँतक कैंदसे रिहाईके लिए भूख-हड़ताल करने का सम्बन्ध है, कांग्रेस कार्य-मितिने स्पष्ट शब्दोंमें उसकी निन्दा की है। चाहिए तो यह था कि कार्य-मिति कुछ और आगे बढ़ती और जवरन् खाना खिलाने की भी निन्दा करती। इम तरह जवरदस्ती खाना खिलाने को मैं मानव-शरीरपर, जो कि कैंदीका होने पर भी इतना पवित्र है कि उसके साथ कोई खिलवाड नहीं करना चाहिए, एक अनुचित ज्यादानी ही समझता हूँ। नि सन्देह, कैंदियोंके शरीरपर राज्यका नियन्त्रण होता है, लेकिन इतना नहीं कि वह उनकी आत्माको ही हनन कर दे। इस नियन्त्रणकी निश्चित सीमाएँ हैं। अगर कोई कैंदी भूखो मर जाने का निश्चय करे तो, मेरी रायमें, उसे ऐसा करने देना चाहिए। भूख-हड़तालीको जवरदस्ती खाना खिलाने से भूख-हड़ताल अपना जोर, यदि उसमें अपना कोई जोर हो तो, खो देती है। अगर किसी-न-किसी तरह पर्याप्त मात्रामें भोजन मुँह या नाकके जरिये गलेमें उतार दिया जाता है, तो फिर भूख-हड़ताल कोरा मजाक ही हो जाती है। अलबत्ता, नाकके जरिये खाना खिलाने के विकट मन सहज ही विद्रोह करता है, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि कुछ दिनोंके अग्यासके बाद ऐसा करना स्वयं उस व्यक्तिको अटपटा नहीं लगता जिसे इस प्रकार नाकके जरिये खिलाया जाता हो। हाँ, जब कोई कैंदी जवरदस्त प्रतिरोध करे, तो बात मुश्किल हो जाती है। लेकिन ऐसे प्रतिरोधके उदाहरण बिरल ही होते हैं। क्योंकि इस मामलेमें प्रभावकारी प्रतिरोध ज्यादा समयतक नहीं किया जा सकता। अलबत्ता, दूढ निश्चयसे प्रतिरोध करनेवाला पहले प्रयत्नमें ही मर जायेगा और इस प्रकार उसे असफल कर देगा। लेकिन ऐसे प्रतिरोधके लिए बड़े भारी साहसकी, मौतकी ओरसे लापरवाहीकी जरूरत है। हर हालतमें, मेरा तो यह पक्का विश्वास है कि जवरदस्ती खाना खिलाने के तरीकेको वर्चरताका अवशेष समझकर त्याग देना चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि कुछ कैंदी जवरदस्ती खाना खिलाने जाने को इसलिए पसन्द करते हैं कि इससे बिना बात ही उन्हें भूख-हड़ताली कहलाने का गौरव मिल जाता है। जेलरोंने अक्सर मुझसे कहा है कि जवरदस्ती खाना खिलाना बन्द हो जाये, तो ऐसे कैंदियोंको अफसोस होगा। मुझे यह भी बताया गया है कि मौजूदा कानूनके अधीन समझाने-बुझाने में काम न चले, तो जेल-अधिकारी जवरदस्ती खाना खिलाने के लिए बाध्य हैं। अगर ऐसा कोई कानून हो, तो मैं उनमें मगोचन करने की सिफारिश करूँगा।

१. ९ से १२ अगस्तक दुई अपनी बैठकमें

यह भी विचारणीय है कि क्या कार्य-समिति द्वारा ऐसा नियम पास नहीं कर दिया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत इजाजत लिये बगैर सार्वजनिक या राजनीतिक भूख-हड़ताल करना अनुशासनका भंग समझा जाये। किसी व्यक्तिकी स्वतन्त्रतापर अंकुश लगाना मुझे उस वक्ततक पनन्द नहीं है जबतक कि ऐसा उसके अपने और उस समाजके लाभके लिए ही न किया जाये जिनका वह एक सदस्य है। लेकिन भूख-हड़ताल एक ऐसी बला बन गई है कि इसके सत्तरनाक रूप धारण करने से पहले ही अगर कार्य-समिति इसे रोकनेकी कुछ कार्रवाई करे तो ठीक होगा। ऐसे मामलोमें कार्य-समितिके प्रस्तावका अर्थ है सुविचारित लोकमतकी अनिव्यक्ति, जिसका उस प्रथाको दुरुपयोगसे बचाने के लिए अच्छा असर पड़ सकता है। यह दूसरी बात है कि उसे कभी अमल में लानेकी जरूरत न पड़े।

सेगांव, वर्षा, १४ अगस्त, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, १९-८-१९३९

१०६. छोटी-छोटी रियासतोंका परिसंघ

क्या मैं पत्र लिखकर काठियावाड़की रियासतोंकी समस्याकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करनेकी घृष्टता कर सकता हूँ? वेस्टर्न इंडिया एजेंसीमें जो रियासतें शामिल हैं उनका बारीकीसे अध्ययन करने पर किसीको भी यह विश्वास हो जायेगा कि काठियावाड़की असली समस्या अलग-अलग रियासतोंमें उत्तरदायी शासनकी नहीं है। यह माँग तो वस्तुतः ऐसी है जिसकी आर्थिक दृष्टिसे कोई सम्भावना नहीं है। इनमें से पाँच या छह रियासतोंको छोड़कर कोई भी ऐसी नहीं है जो शुद्ध रूपमें पृथक् और स्वशासित इकाई के रूपमें रह सके। आर्थिक पहलूको छोड़ भी दिया जाये तो भी उनके भौगोलिक सान्निध्य और सांस्कृतिक तथा भाषा-सम्बन्धी एकताके कारण निश्चित रूपसे यही वांछनीय मालूम पड़ता है कि प्रशासनिक रूपसे उन सबका एक समूह बना दिया जाये। इन रियासतोंका एक परिसंघ बना देने पर ही इनके प्रजाजन बम्बई प्रान्त, या कहिए कि ब्रिटिश भारत, के किसी भी अन्य प्रान्तके समकक्ष हो सकते हैं।

रहा यह भय कि राजा लोग शायद इस बातको बहुत नापसन्द करें, तो कहा जा सकता है कि ऐसी किसी भी सुधार-योजनाका, जिसमें वास्तविक अधिकार प्रजाको देनेकी बात हो, राजाओंकी तरफसे घोर विरोध होना सुनिश्चित है। और जब हर हालतमें इस विरोधके खिलाफ हमें लड़ना ही है (निश्चय ही वह लड़ाई अहिंसात्मक होगी), तो हमारे लिए ऐसे सवालपर लड़ना बुद्धिमत्ता होगी जो हमारी मुख्य और अन्तिम माँग होनी चाहिए।

हमारी तात्कालिक और न्यूनतम मांग कुछ भी क्यों न हो, अन्तिम उद्देश्यको हमें कभी दरगुजर नहीं करना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ कि काठियावाड़के—और भारतकी कोई तीन-चौथाई रियासतोंके—मामलेमें सब राजनीतिक मुद्धारकोंका अन्तिम उद्देश्य ऐसे परिसंघका निर्माण ही होना चाहिए जिसकी रूपरेखा संलग्न मुद्रित लेखोंमें बताई गई है।

मैं आशा करता हूँ कि आप मानेंगे कि यह विचार नया या मौलिक न होते हुए भी ऐसा है कि इसका प्रचार किया जाना चाहिए। क्योंकि कई रियासतोंके गुट या समूह द्वारा संयुक्त रूपसे परिसंघके लिए आन्दोलन करने में कुछ स्पष्ट लाभ हैं जो किसी एक राज्यमें शासन-सुधारोंके लिए आन्दोलन करने में नहीं हो सकते। जब आप राजकोटके मामलेमें सक्रिय रूपसे ध्यस्त थे, कितना अच्छा होता यदि उस समय आप इस विचारका प्रचार करते। अब भी इसके समर्थनमें आपका एक ही शब्द—किन्तु उसी स्थितिमें जब आप सामान्यतः इस विचारसे सहमत हों—इस विचारको एक दृढ़ आधार प्रदान करेगा।

यह महत्त्वपूर्ण पत्र^१ मुझे एवटावादमें मिला था। संलग्न लेख लाहौरके 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित हुए थे और उनमें इस समस्यापर खास तौरसे विचार किया गया है। इन लेखोंमें^२ काठियावाड़की रियासतोंका दिलचस्प विश्लेषण है और बटलर-समितिकी^३ रिपोर्ट तथा वाइसरायकी हालकी एक घोषणाके^४ उद्धरणोंसे उसकी पुष्टि की गई है। फिलहाल मैं इस प्रस्तावका हृदयसे समर्थन करके ही सन्तोष मानता हूँ। छोटी-छोटी रियासतोंसे सहानुभूतिपूर्वक अगर इसके लिए कहा जाये, तो मुझे उनमें उतने विरोधका भय नहीं है जितनेकी आशाका उक्त पत्र-लेखकने व्यक्त की है। जल्दी ही उन्हें महसूस हो जायेगा कि किसी-न-किसी तरहके सधमें शामिल होने और प्रजाको अधिकारोंमें साझीदार बनाने में ही उनकी सुरक्षा है। खास बात यह है कि बिना भावावेशमें आये समस्या सामने रखी जाये और ऐसा लोकमत पैदा करने की कोशिश की जाये जिसका न तो जवाब दिया जा सके और न विरोध ही हो सके।

सेर्गाव, वर्धा, १४ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १९-८-१९३९

१. भार० एन्ड हावाकी ओर से; देखिय पृ० ९३।

२. उद्धरणोंके लिए देखिय परिशिष्ट ४।

३. इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिस्ट १, पृ० ४५९ के अनुसार हारकोर्ट बटलरकी अध्यक्षतामें गठित इस समितिने "सिफारिश की थी कि भारतीय रियासतों तथा ब्रिटिश भारत, दोनोंसे सम्बन्धित उच्च-स्तरके महत्त्वपूर्ण मामलोंका निपटारा करने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किये जायें"।

४. यहाँ संकेत सम्भवतः नई दिल्लीमें १३ मार्च, १९३९ को नरेश-मण्डलके वार्षिक अधिवेशनमें दिये गये वाइसरायके भाषणकी ओर है।

१०७. टिप्पणियाँ

आर्यसमाज

आर्य-सत्याग्रहका अन्त^१ सुखद रहा। अबतक मैंने इस सत्याग्रहके सम्बन्धमें एक भी शब्द नहीं लिखा। विषय इतना नाजुक था कि सार्वजनिक रूपसे कुछ कहना या लिखना मुझे ठीक नहीं प्रतीत हुआ। देश यह जानता है कि सार्वजनिक या खानगी वातासे निपटने का मेरा अपना विशेष तरीका है। कुछ तो इसे अब्यावहारिक भी कहते हैं। इसलिए आर्य-सत्याग्रहपर मेरे मौनका यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि इस सघर्षमें मेरी गहरी दिलचस्पी नहीं थी। मैं इन दोनों आर्यसमाजी नेताओं और हैदरावादके मामलोमें किसी भी तरहका सम्बन्ध रखनेवाले मुस्लिम नेताओं के सम्पर्कमें था।^२ निस्सन्देह, मैं मौलाना अबुल कलाम आजादकी रायसे काम कर रहा था। जहाँतक आर्यसमाजियोंकी माँगोका सम्बन्ध है, मेरी सहानुभूति उनके साथ थी। वे मुझे अत्यन्त सादी और प्राथमिक लगी। पर मैं अपने ही दृष्टिकोणसे उनके सत्याग्रह करने के विरुद्ध था। यह दृष्टिकोण मैंने उनको बता दिया था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि यह सत्याग्रह मेरे नेतृत्वमें किये गये सत्याग्रहोसे यदि अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं है, तो मैं चकित रह गया। उन्होंने यह भी कहा कि आप हमसे यह आशा न रखें कि हम आपके नये तरीके या नई शर्तोंको समझेंगे और उनके अनुसार काम करेंगे। मैंने महसूस किया कि मुझे इनको दलीलसे समझाने के सिवा और किसी प्रकारका दबाव डालने का अधिकार नहीं है। फिर जहाँतक सम्भव था, मैं निजाम-सरकारको भी परेशानीमें नहीं डालना चाहता था। इसलिए व्यक्तिगत रूपसे मुझे बड़ी खुशी है कि यह सघर्ष सद्भावनाके साथ समाप्त हो गया। निजाम-सरकार और आर्य-समाज^३ दोनों ही बधाईके पात्र हैं। आशा करता हूँ कि आर्यसमाजी लोग श्री धनश्यामसिंह गुप्तके शानदार वक्तव्यका उचित उत्तर देंगे। इसमें सन्देह नहीं कि संघर्षके दौरान बहुत कटुता पैदा हो गई है। यदि आर्यसमाजी लोग श्री गुप्तके अनुरोधकी भावनाके अनुसार काम करे और निजाम-सरकार अपनी विज्ञप्तिकी^४ भावनासे काम करे,

१. ८ अगस्तको

२. देखिए पृ० ५५ ।

३. आर्यसमाज की सर्वोच्च कार्यकारिणी।

४. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० १४ के अनुसार इस विज्ञप्तिमें “ निजाम सरकार द्वारा १७ जुलाई, १९३९ को जारी विज्ञप्तिके मुद्दोंको, जिसमें धार्मिक स्वतन्त्रताके प्रक्षर सरकारका दृष्टिकोण बनाया गया था, स्पष्ट किया गया था। साथ ही, १९ जुलाई, १९३९ के असाधारण ‘राज्यपत्र’ में धार्मिक सुधारोंको जो घोषणा की गई थी, उससे उठनेवाले कुछ सवाल्योंका भी स्पष्टीकरण किया गया था।”

तो कटुना दूर हो जायेगी और जहाँतक सीधी-सादी धार्मिक तथा सास्कृतिक स्वतंत्रताका सम्बन्ध है, फिरसे मर्घप छेड़ने का कोई अवसर उपस्थित नहीं होगा।

पंजाब कांग्रेस

डॉ० सत्यपालने सार्वजनिक जीवनसे हटने के लिए नाहक ही मेरा हवाला दिया है। अगर अन्तरात्माकी प्रेरणासे उन्होंने ऐसा किया है, तो उनका निर्णय ठीक है। लेकिन अगर लाला दुनीचन्दको सरल भावसे लिखे मेरे पोस्टकार्डके कारण ऐसा किया है, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब्बल तो वह पोस्टकार्ड पत्रावलीके उस पूरे वातावरणके सम्बन्धमें था, जिसके फलस्वरूप न केवल इस या उम व्यक्तिके, बल्कि खुद मेरे खिलाफ अविश्वासकी भावना पैदा हो गई है। कोई आलोचक चाहे तो इसे कायरता कह सकता है। उसे चाहे कायरता कहा जाये या आत्मविश्वासका अभाव, पर जबतक मुझमें यह दोष मौजूद है, तबतक मैं मध्यस्थताके लिए बेकार हूँ। इसलिए डॉ० सत्यपालकी ओरसे जब सरदार मंगलसिंह और लुधियानाके अन्य मित्र बर्षा आये, तब मैंने उनसे कहा कि मैं तो इस कामके लिए बेकार हूँ, लेकिन कांग्रेस-संगठनके प्रधानकी हैसियतसे राजेन्द्र वावू पंजाब जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। राजेन्द्र वावूने यह मजूर भी कर लिया है कि ज्यो ही स्वास्थ्य ठीक हुआ और दूसरे काम-काजसे फुरसत मिली त्योही वे वहाँ जायेंगे। लेकिन मैंने तो इन मित्रोंको सुझाया है कि अपने-आप अपनी मदद करने के समान कोई मदद नहीं है। अतः उन्हें अपने प्रयत्नोंसे ही अपने घरको व्यवस्थित करना चाहिए। डॉ० सत्यपाल अगर अपनी अन्तरात्माकी प्रेरणासे सार्वजनिक जीवनसे नहीं हटे हैं, तो बहुत देरतक वे अपनेको उससे बाहर नहीं रख सकेंगे। खुद उनकी प्रकृति ही इम कृत्रिम आत्मदमनके विरुद्ध विद्रोह कर देगी। इसलिए मैं उससे अच्छा एक तरीका सुझाता हूँ। वह यह है कि वे दलबन्दीसे अलग हो जायें। पुराने झगड़े-टटोको भूल जायें और पंजावमें सच्ची एकता पैदा करने के काममें जुट जायें। यह कैसे किया जा सकता है, सो मैं नहीं कह सकता। मेरे पास ऐसी कोई सामग्री भी नहीं है कि इसके लिए कोई कार्यक्रम बना सकूँ। खुद उन्हींको इसे तैयार करना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वे अगर सचमुच चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। यह तो सब जानते हैं कि पंजावमें उनके अनुयायियोंकी काफी बड़ी सख्या है, वे एक अनवरत परिश्रम करनेवाले कार्यकर्ता हैं और उन्होंने काफी सुर्वानी की है। इसलिए पंजावके कांग्रेसियोंके बीच अगर कोई शान्ति स्थापित कर सकता है, तो निश्चय ही वह डॉ० सत्यपाल हैं। लेकिन चाहे वे हों या कोई और, जो कोई ऐसा करना चाहता है उसे अपनेको भूलकर अपने या अपने दलके हितके मुकाबले जनताके हितको पहले रखना चाहिए, क्योंकि वही वास्तवमें कांग्रेसका भी हित है। मेरी हिचकिचाहटके पीछे मेरी यह तीक्ष्ण भावना समझनी चाहिए कि पंजावके

१. पंजाब विधान-सभाके सदस्य

२. देखिए पृ० १५।

कांग्रेसियोंको मनमें कोई गाँठ रखे बगैर आपसमें हिलमिल जाना चाहिए और एक होकर काम करना चाहिए।

दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंका संघर्ष

दक्षिण आफ्रिकामें हमारे प्रवासी देश-भाइयोंको अनाक्रमक प्रतिरोधका सहारा चाहे लेना पड़े या न लेना पड़े, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर उन्होंने अपने आपसी झगड़े दूर न किये और एकमन होकर निःस्वार्थ भावसे काम न किया, तो वे बाजी जीत नहीं सकेंगे। अगर व्यक्तियोंने अपने स्वार्थ-साधनके लिए जातिके हित और सम्मानपर आँच आने दी, तो वे अपने संयुक्त अस्तित्वको कायम नहीं रख सकेंगे। इस समय वहाँ स्थानीय कांग्रेस और सत्याग्रहियोंके बीच फूट है। लगता है अधिकतर भारतीय सत्याग्रहियोंके साथ है। लेकिन दक्षिण आफ्रिकी कांग्रेसका नाम और प्रतिष्ठा गैर-सत्याग्रहियोंके साथ है। कांग्रेसके वही-खातो, कोष और आफिसोंके कब्जेके सवालपर मुकदमेबाजीकी सम्भावना है। मैं सत्याग्रहियोंको आगाह करता हूँ कि वे कानूनी जालमें न पड़ें। वे मेरे उदाहरणपर चले। मेरे जमानेमें वहाँ कांग्रेसकी बराबरीकी संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी। सत्याग्रहकी शुरुआतके समयसे ही मैंने देखा कि सभी भारतीय लड़ाईमें शरीक नहीं होंगे, न हो सकते हैं, भले ही उन सबकी उसके प्रति सहानुभूति हो, जैसी कि असलमें थी भी। यद्यपि मन्त्रीकी हैसियतसे मैं एसोसिएशनके नाम और प्रतिष्ठाका उपयोग निर्वाध रूपसे कर सकता था, फिर भी मैंने एक अलग ही संगठनकी स्थापनाकी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सर्वधानिक मर्यादाओंके अन्दर रहकर वह जो-कुछ करना चाहे, सो करने के लिए उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया। इस व्यवस्थासे गैर-सत्याग्रहियोंको हानिसे बचाना सम्भव हो सका और सत्याग्रहियोंके प्रति उनकी सहानुभूति भी बनी रही और सत्याग्रहियोंको उस उलझनसे बचाया जा सका, जो यदि वे उसी संस्थाके सदस्य होते तो गैर-सत्याग्रहियों द्वारा जरूर पैदा की जाती। मौजूदा सत्याग्रही अपने खुदके तरीकोसे काम करे, और अपनी शक्ति, बलिदान और कष्ट-सहनके द्वारा प्रतिष्ठासे भी अधिक ऊँची वस्तु प्राप्त करने पर भरोसा रखें। सत्याग्रहीको उदार हृदयका होना चाहिए, और उसे मात्र अपने साथियोंका ही नहीं, बल्कि अपने विरोधियोंतक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जो भी हक वह हासिल करेगा, सबके लिए करेगा। वह सभीका मित्र होता है, शत्रु किसीका नहीं। सफल अनाक्रामक प्रतिरोध या सत्याग्रहकी यह पहली शर्त है।

अकालसे सुरक्षा और शिक्षाके माध्यमके रूपमें खादी

वर्षामें इसी माह १२ तारीखको होनेवाली अखिल भारतीय चरखा सघकी बैठकमें और उसके बाद खादी-कार्यकर्त्ताओंने खादी-सम्बन्धी समस्याओपर विस्तारसे चर्चा की है। खादीके तीन सुनिश्चित लाभ हैं, ऐसा दावा किया गया है। यह भारतके करोड़ों अधभूखे और अधनगे लोगोंको, अन्य किसी भी कार्यकी अपेक्षा

अधिक बड़े पैमानेपर पूरक काम-धन्या प्रदान करती है। यह कमसे-कम नुकसानके साथ अकाल-पीड़ित इलाकोंमें लोगोंको काम उपलब्ध कराती है, और यह भारतके बालक-बालिकाओंके लिए प्राथमिक स्तरपर शिक्षाका सर्वोत्तम माध्यम है।

लेकिन खादी अकालसे नुरक्षाके रूपमें या प्राथमिक स्तरपर शिक्षाके माध्यमके रूपमें सफल हो, इसकी एक निश्चित शर्त है। अकाल-पीड़ित क्षेत्रों और स्कूलोंमें तैयार की गई खादीका क्या किया जाना है? यदि खादी बेची नहीं जा सकती, तब तो वह उम्मी प्रकार बेकार है जिस प्रकार भारतके अनेक भागोंमें अकालके समय नुड़वाये गये पत्थर बेकार होते हैं। मैंने इन स्थानोंमें अक्सर कहा है कि अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों और स्कूलोंमें तैयार की गई खादीको सरकार ले ले। यह चीज अखिल भारतीय चरखा सघकी मारफत अत्यन्त सरलतासे की जा सकती है, बशर्ते कि जिस प्रकार आज रेलवेमें लाभांश और अन्य चीजोंकी गारंटी सरकार देती है उसी प्रकारकी गारंटी सरकार खादीपर होनेवाले नुकसानके खिलाफ भी दे। मूल्यके लिहाजमें खादी निश्चय ही मिलके कपड़ेसे महँगी है। इसीलिए उसे केवल राष्ट्रप्रेमी और परोपकारी लोग ही खरीदते हैं। लेकिन जिन लोगोंके पास फालतू पैसे नहीं हैं वे लोग तो देशप्रेम या परोपकारकी भावनासे ऐसा करनेको आसानीसे प्रेरित नहीं होंगे। वे लोग तो सस्तीमें-सस्ती चीज ही लेंगे। इसलिए यह काम सरकारका है कि जो चीजें सामान्य लोगोंके कल्याणकी दृष्टिसे विक्रीनी चाहिए, ऐसी चीजोंसे प्रतियोगिता करनेवाली वस्तुओपर भारी कर लगा दे या उनका बाजारमें आना ही रोक दे। मेरा खयाल है कि यह बात स्वयंसिद्ध मानी जा सकती है कि खादी ऐसी ही लोकोपकारी वस्तुओंकी श्रेणीमें आती है। कांग्रेसका आठ प्रान्तोंके शासनपर इतना नियन्त्रण तो है ही कि वह चाहे तो खादी और ऐसी ही वस्तुओंको संरक्षण दे सकती है। खादीके सवालपर जब कहीं कोई मतभेद नहीं है तब कोई कारण नहीं है कि अन्य प्रान्त भी खादी-जैसी चीजोंको संरक्षण प्रदान करने में कांग्रेस-नियंत्रित प्रान्तोंका अनुकरण क्यों न करे। हममें से बहुत-से लोग जितनी जल्दी हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित होते देखना चाहते हैं, शायद वह उतनी जल्दी न हो सके। लेकिन जिस प्रकार हम समान रूपसे उसी हवामें साँस लेते हैं, उन्ही नदियों, कुओं अथवा नलोंका जल पीते हैं, उसी प्रकार हम यदि अपने मतभेदोंको दुर्भाग्यवश कायम ही रखना चाहते हैं, और उनका वहाना लेकर आपसमें लड़ना ही चाहते हैं तो भी, उन मतभेदोंके वावजूद जीवनके लिए आवश्यक अन्य वस्तुओंके बारेमें हम एक समान नीतिका निश्चय ही पालन कर सकते हैं। लेकिन अन्य प्रान्त अनुकरण करे या न करें, कांग्रेसी प्रान्तोंके लिए यह जरूरी है कि वे अखिल भारतीय चरखा सघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघके साथ परामर्श करे और एक ऐसा कार्यक्रम बनायें जिसकी मददसे मैंने जो कठिनाई बताई है, उस कठिनाईको अविलम्ब हल किया जा सके।

मेगाव, बर्मा, १४ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीमें]

हरिजन, १९-८-१९३९

१०८. पत्र : जीवणजी डा० देसाईको

सेगाँव, वर्धा

१४ अगस्त, १९३९

भाई जीवणजी,

तुम मुझसे कैसे लेखकी अपेक्षा रखते हो? क्या मुझे छोड़ नहीं देना चाहिए? यदि मैं तुम्हारे सौंपे अन्य कार्य कर सकूँ तो भी तुम्हें मुझको इनाम देना चाहिए। 'आत्मकथा' के बारेमें समझा।'

बापूके आशीर्वाद

भाई जीवणजी

पो० अॉ० बॉक्स १०५

अहमदाबाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९९४७) से। सी० डब्ल्यू० ६९२१ से मी;
सौजन्य : जीवणजी डा० देसाई

१०९. पत्र : रविशंकर शुक्लको

१४ अगस्त, १९३९

भाई शुक्लजी,

इसका मैंने यह उत्तर दिया है "मुझे आपका 'अल्टीमेटम' मिल गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लिए सही रास्ता प्रधान मन्त्री या ससदीय बोर्डसे पूछना है।"

आप कुछ कहेंगे?

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए पृ० ५८।

२. यह पत्र मध्य प्रान्तके मुख्य मंत्री रविशंकर शुक्लके एक पत्रके जवाबमें था। शुक्लजी ने गांधीजी को दक्षिण बर्गौकी सरथाग्रह समिति नागपुरके सचिव एच० जे० खाडेकर, एम० एल० ए० का एक तार भी पत्रके साथ भेजा था। खाडेकरने मध्य प्रान्तके मन्त्रिमण्डलमें एक हरिजन-मन्त्री रखने की माँग पन्द्रह दिनोंके अन्दर पूरी न किये जाने पर "सेगाँव सरथाग्रह" फिर शुरू करने की धमकी दी थी। देखिए खण्ड ६७, पृ० २५६-५७ और ३२३-२४ भी।

३. भागे उद्धरण-चिह्नोंमें दिये गये दो वाक्य अंग्रेजीमें हैं।

११०. पत्र : लक्ष्मीश्वर सिन्हाको

सेगाँव, वर्धा

१५ अगस्त, १९३९

प्रिय लक्ष्मीश्वर,^१

मैं आना करता हूँ कि तुम आर्यनायकमूसे^१ सलाह किये बिना अन्तिम निर्णय नहीं करोगे। यदि किसी तरह भी सम्भव हो तो मैं तुम दोनोंसे एक साथ मिलना चाहूँगा।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० १४७३) से, सीजन ए० के० सेन

१११. पत्र : डॉ० जीवराज एन० मेहताको

सेगाँव, वर्धा

१५ अगस्त, १९३९

प्रिय जीवराज,

आपका स्पष्टवादितापूर्ण पत्र आज ही मिला। पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने और कुछ सोचा ही न था। आपने जो लिखा है, मो मैं समझ गया हूँ। आपकी गलाहपर मैं बड़ाचित् पूरी तरह अमल नहीं करूँगा। यदि कोई पुद्घप मालिश करे और मैं तगनावस्थामें होऊँ तो इसपर क्या आपको आपत्ति होगी? यदि खुली हवामें लोग साथ-साथ सोयें तो इस बातको भी क्या आप स्वास्थ्यके लिए हानिकार मानेंगे? पुरुष और स्त्रीके एक साथ सोनेमें अनौचित्यके विचारको एक तरफ रखकर मेरे उग्रयुक्त प्रश्नपर विचार करना।^१

१. टीचर्स ट्रेनिंग ब्रूक ऑफ वेसिक एज्युकेशन थ्रू कार्डबोर्ड मॉडर्लिज्म लेखक। वे वर्धामें वेसिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटरमें कार्य कर रहे थे और उन्होंने गांधीजीसे सेंटरमें अलग होने को अनुमति माँगी थी।

२. गांधीजी के कहने पर हिन्दुस्तानी तालीमी संघके मंत्री ई० टब्ल्यू० आर्यनायकमूसे लक्ष्मीश्वर सिन्हामें अनुरोध किया था कि जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्टमें शामिल करने के लिए गुनिघाटी दस्तावेजोंमें सम्बन्धित पाठानुमत्ता एक मसौदा तैयार कर दें।

३. देखिए "पत्र : डॉ० जीवराज एन० मेहताको", पृ० ९०-९१ भां।

पाखानेमें पढ़ने आदिकी आदत वर्षोंसे पड़ी हुई है। इसे आप एक प्रकारका व्यसन मानें। मेरे पास अगर उपयोगी पाठ्यसामग्री रहती है तो मुझे खुलकर पाखाना आता है अन्यथा इसमें विघ्न पड़ता है। यह तो दयनीय स्थिति कही जायेगी लेकिन मैं इस स्थितिका भी लाभ उठा लेता हूँ। यदि आप कोई भय दिखाकर मेरी यह आदत छुड़वा दें तो बहुत अच्छा होगा।

मो० क० गांधीके वन्देमातरम्

मूल गुजरातीसे : जीवराज मेहता पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

११२. पत्र : अरोड़ासिंहको

१६ अगस्त, १९३९

मुझे पता चला है कि आप माननीय एम० वाई० नूरीके बारेमें जो शंका करते हैं, वह निराधार है।^१

अंग्रेजीकी नकलसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

११३. पत्र : लीलावती आसरको

१६ अगस्त, १९३९

चि० लीला,

तू देखेगी कि डॉक्टरका पत्र स्पष्ट है। वे मुझपर कोई कलंक नहीं लगा रहे हैं। इसलिए तेरे दुःखी होने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने तेरे साथ हुई बात-चीतका जो विवरण दिया है वह तो ठीक है न? मुझे समस्याको^२ किस तरह सुलझाना चाहिए, यह सवाल अलहदा है। इसकी चिन्ता तू मत कर।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९५९३) से। सी० डब्ल्यू० ६५६५ से भी; सौजन्य : लीलावती आसर

१. अरोड़ासिंहने शिकायत की थी कि कांग्रेसी मन्त्री नूरीने बहुत ब्यादा धन शकड़ा कर लिया है।

२. देखिए पृ० ९१-९२।

११४. पत्र : कृष्णचन्द्रको

१६ अगस्त, १९३९

चि० कृ० च०,

हां, एक घटे बैठो, तकली चलाओ, घूमने के लिये आना। बाकी जो मिले सो। हिंदी तो जो चाहे पेट-भरके तुमारे साथ पढे, भले ताराबहिन भी।

बापू

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३२६) से।

११५. तार : जवाहरलाल नेहरूको

वर्धागज

१८ अगस्त, १९३९

जवाहरलाल नेहरू
आनन्द भवन
डलाहावाद

ईश्वर करे तुम्हारी चीन-यात्रा सफल हो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे और तुम सकुशल वापस लौट पाओ। श्रीप्रकाश जो कर रहे हैं, उसपर दुःख है। उन्हें तुम्हारे वापस लौटने तक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।^१ तुम्हारा यदि कोई और विचार न हो तो सकट और युद्ध-प्रस्तावपर एक बन्तव्य^२ जारी करने का इरादा है। अपना चीनका पता भेजना। स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजीसे: गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य . नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. श्रीप्रकाश काग्रेससे र्थागपत्र देना चाहते थे। देखिए "तार: श्रीप्रकाशको", पृ० १३९ भी।
२. देखिए "एक बन्तव्य", २०-९-१९३९।

११६. मुल्कराजके नाम तारका मसौदा^१

१८ अगस्त, १९३९

कोप इम्पीरियल बैंक वर्धाकी मारफत बैंक ऑफ नागपुर वर्धा स्थानान्तरित कर दीजिए।

मूल अग्रेजीसे. प्यारेलाल पेपर्स, सीजन्य. प्यारेलाल

११७. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सेगाँव, वर्धा

१८ अगस्त, १९३९

प्रिय सी० आर०,

आपने महादेव देमाईको कितना दुःख-भरा पत्र लिखा है। जब आपका मन साफ है, तब श्रीनिवास आयगर^२ कुछ भी कहे उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप अन्दर रहते हैं या बाहर, एक ही बात है। दोनों ही स्थितियोंमें आपको काम करना होगा।

उम्मीद है, लक्ष्मी^३ आंर बच्चे ठीक होंगे।

पंजाबके कैदियोंके मिलमिलेमें महादेव गिमला गया है।

स्नेह।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७५) में।

१. जलियाँवाला बाग स्मारक-निधि समितिके सचिव; देखिए खण्ड ६९, पृ० १२३, १७३ और १८१
२. ७ अगस्तको च० राजगोपालाचारीने मद्रास विधान परिषद्में असेम्बली द्वारा पास किया गया "मन्दिर-प्रवेश प्राधिकरण और क्षतिपूर्ति विधेयक" पेश किया था। टी० सी० श्रीनिवास आपगरने यह मन व्यक्त किया था कि लोकमनकी जाँच करने के कामको न्यासीपर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए और सुझाव दिया था कि एक प्रातिनिधिक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए, जो मतदानसे पिछे तरीकोंसे लोकमनका जायजा ले सके।

३. च० राजगोपालाचारीकी पुत्री

११८. पत्र : नारणदास गांधीको

सेर्गाव, बर्धा
१८ अगस्त, १९३९

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला है। यदि समय मिला तो फिर कुछ लिखूंगा। छगनलालसे^१ कहना कि मैं उसे पत्र नहीं लिख पाया। यदि अकालकी^२ स्थिति जारी रही तो मैं किसीको भेजने की तजवीज करूंगा। 'रेंटिया वारम' दिवसपर किसे भेजूं? क्या श्रीरावहन भाये?

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से। सी० डब्ल्यू० ८५६० से भी;
मौज्य : नारणदास गांधी

११९. सन्देश : दलितवर्ग-सम्मेलनको^३

[१९ अगस्त, १९३९ या उसके पूर्व]

मुझे सम्मेलनमें भाग लेने के लिए निमन्त्रण प्राप्त हुआ। मैं इसकी सफलताकी कामना करता हूँ।

[अग्नेजीमे]

हिन्दू, २४-८-१९३९

१. छगनलाल जोशी

२. काठियावाड़ के विभिन्न भागोंमें; देखिए पृ० ६१ भी।

३ और ४. माधन-सूत्रके अनुसार यह सन्देश अखिल भारतीय दलितवर्ग राष्ट्रीय लीग सम्मेलनमें पढ़ा गया था। सम्मेलन १९ अगस्तको दिल्लीमें संयुक्त प्रान्तके शिक्षा-मंत्रीके समन्वय सचिव, कर्णान्दि कापेंके सभापतित्वमें हुआ था।

१२०. पत्र : एन० एस० हर्डोकरको

सेगाँव, वर्षा

१९ अगस्त, १९३९

प्रिय डॉ० हर्डोकर,

तुम व्यर्थकी परेशानीमें पड़े हुए हो। हम बुरे समयमें गुजर रहे हैं, लेकिन यदि हम सीधे रास्तेपर चलते रहेंगे तो संकटके बादल अपने-आप छूट जायेंगे। मैंने जिस वक्तव्यपर हस्ताक्षर किये थे, उसपर मैं अब भी कायम हूँ। मुझे दुःख है कि उसके जो अंश तुमने भेजे हैं, उन्हें तोड़ा-मरोड़ा गया है। मेरी सलाह यही है कि उसका जवाब न दिया जाये। जहाँ आवश्यक हो वही झूठी बातका खण्डन करना और सत्यपर आग्रह रखना, फिर चाहे कुछ समयके लिए तुम्हें अलोकप्रिय ही क्यों न होना पड़े।

तुम्हारा,

अंग्रेजीकी नकलसे: एन० एम० हर्डोकर पेपर्स; मौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१२१. पत्र : ईश्वरशरणको

सेगाँव, वर्षा

१९ अगस्त, १९३९

प्रिय मुदीजी,

आपका पत्र बड़ा रोचक है। मुझे खुशी है कि आप तेजीसे प्रगति कर रहे हैं।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० १०२००) से; मौजन्य: नगरपालिका संग्रहालय, इलाहाबाद

१२२. पत्र : वल्लभराम वैद्यको

नेगांव, वर्षा

१९ अगस्त, १९३९

भाई वल्लभराम,

तुम्हारा पत्र मिला। चन्दनबहन^१ यदि विलकुल अच्छी हो जाये तो उससे मुझे बहुत मतांप होगा। यदि विजयाके^२ पिताका^३ उपचार करने की हिम्मत हो तो उनका बुलावा न आने पर भी तुम वहाँ पहुँचकर उन्हें देख लेना। विजया बराडमें होनी चाहिए। कुछ दिनोंमें उमका कोई पत्र नहीं मिला है।

वापुके आशीर्वाद

श्री वल्लभराम वैद्य

माडवीनी पोल्, देवनी शेरी

अहमदाबाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० २९०७) से; सौजन्य : वल्लभराम वैद्य

१२३. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको

१९ अगस्त, १९३९

चि० अमृतलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं समझता हूँ कि विजया अभी बराडमें ही है। उसका फिर कोई पत्र नहीं आया। वैद्यका पत्र मैं वही भेज रहा हूँ।^४

वह बम्यई गई ही नहीं। नारणभाई उसके खाना होने से पहले बम्यई गये थे।

वापुके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७९३) में।

१. चन्दन पारेख, सतीश कालेलकर की धर्मपत्नी

२ और ३. विजयाबहन पंचोली और नारणभाई पटेल

४. देविण पिछ्ठा शीर्षक भी

१२४. कर्तव्योंकी मजदूरी

अ० भा० चरखा संघने इसी १५ तारीखको वर्षामें हुई बैठकमें जो प्रस्ताव पास किया, उसका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है :

अ० भा० चरखा संघ पिछले चार वर्षोंसे अपना यह फर्ज समझ रहा है कि कत्तिनोंको दी जानेवाली मजदूरीमें क्रमशः वृद्धि की जाये। इस कर्त्तव्यकी पूर्तिके उद्देश्यसे संघकी महाराष्ट्र-शाखाने अन्य सब शाखाओंकी वनिस्वत सबसे ज्यादा मजदूरी दी है। लेकिन उसके इस प्रयोगका नतीजा यह हुआ कि खादी इस बोझको संभालने में असमर्थ साबित हुई है और उसकी बिक्री काफी घट गई है। मजदूरीमें वृद्धिका यह परिणाम तो न होना चाहिए कि बेरोजगारोंको काम देने की खादीकी क्षमतामें ही कमी हो जाये। मौजूदा परिस्थितिको देखते हुए ऐसा लगता है कि कत्तिनोंको आठ घंटेकी कताईके लिए तीन आनेसे अधिक देने के आग्रहको फिलहाल स्थगित कर देना ही ठीक है। क्योंकि बेकारी यहाँ बहुत है। ऐसी कत्तिनोंकी बहुत काफी संख्या मौजूद है जो आठ घंटेकी कताईका काम एक आना रोजसे कमपर भी करने को तैयार हैं और दूसरे लोग अ० भा० चरखा संघ द्वारा रखे गये सिद्धान्तको नुकसान पहुँचाकर भी उन्हें एक आना रोजकी कम मजदूरीपर काम देने को तैयार हैं। अतः संघ उनके लिए भी कामकी व्यवस्था करे, इसके सिवा इस बुराईके मुकाबलेका कोई दूसरा तरीका नहीं मालूम पड़ता। इस प्रकार संघके दो कर्त्तव्य हैं। एक तो यह कि कत्तिनोंकी मजदूरी बढ़ाकर आठ घंटेकी आठ आने रोज कर दी जाये, और दूसरा यह कि बेरोजगार स्त्रियोंके लिए कामकी तलाश की जाये। इन दोनों कर्त्तव्योंका एकसाथ पालन करने से पहले कुछ धक्का भी लगेगा।

इसके अलावा, देशके कुछ भागोंमें अकालका भी खतरा है। चरखा ऐसे धक्का सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हो रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मजदूरीकी दर तीन आनेसे भी कम कर देना आवश्यक है? एक तीसरी समस्या वर्षा-शिक्षण-योजनाके अनुसार चलनेवाले स्कूलोंमें तैयार होनेवाले सूतकी पैदा होती है।

इन सब बातोंको मद्देनजर रखकर संघ निम्नलिखित परिणामपर पहुँचा है :

१. यहाँ २६-८-१९३९ के हरिजनसेवकमें उपलब्ध प्रस्तावका हिन्दी पाठ उद्धृत किया जा रहा है।

आम तौरपर निश्चित प्रमाणका काम आठ घंटे करने पर तीन आने मजदूरी देने की दरमें फिलहाल कोई कमी न की जाये। लेकिन इस बातकी छूट होना चाहिए कि कोई धापा चाहे तो इससे अधिक मजदूरी भी दे सके, बशर्ते कि अधिक मजदूरीवाले मालको बेचने की जिम्मेदारी वह खुद ही उठाये। दुर्भिक्ष-पीड़ित इलाकोंमें कारीगरोंकी मजदूरी कम करने की आवश्यकता हो तो मन्त्रीकी पहलेसे स्वीकृति लेकर ऐसा किया जाये। दुर्भिक्ष-पीड़ित इलाकों और वर्षा शिक्षण-योजनाके अनुसार चलनेवाले स्कूलोंमें तैयार होनेवाली खादी सम्बन्धित सरकारोंसे संधको ले लेनी चाहिए, बशर्ते कि ऐसी खादीको उपाने में जो घाटा हो उसको वे सरकारें बरदाश्त करें।

यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यह उस गतिको धीमा करने का संकेत है जिस गतिमें मैं सधको इस बातके लिए प्रेरित कर रहा था कि कत्तिनोकी मजदूरी बढ़ाते हुए उन्हें आठ घंटेकी कताईके आठ आने दिये जायें। मैं यह जानता था कि एक छलांगमें इन लक्ष्यपर नहीं पहुँचा जा सकता। फिर भी मैंने इस आशाको पोसा था कि हर कुछ मासमें मजदूरीमें कुछ क्रमिक वृद्धि होगी। लेकिन विभिन्न धाम्नाओंसे आनेवाली रिपोर्टों, और मजदूरी बढ़ाते जानेकी ऊँची आशाके साथ श्री विनोबाकी देवरेखमें श्री जाजूजीने 'मेरी आँखोंके सामने ही जो काम शुरू किया था उनको आशिक असफलताने मेरी आँखें खोल दी हैं और यह कठोर और निर्दय मृत्यु प्रकट कर दिया है कि यह देश इतना गरीब है कि लाखों स्त्रियोंको आठ घंटे कामकी आठ आने रोज मजदूरी नहीं दे सकता। आम तौरपर देहातोमें कहीं भी देहाती मजदूरों या कारीगरोंको आठ घंटे कामकी आठ आने रोज मजदूरी नहीं मिलती। जबतक सभी वर्गवालोंको इतनी मजदूरी न मिले, तबतक कत्तिनें भी आठ आने नहीं कमा सकती। और जबतक परिस्थितिमें कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन न हो, नभी लोगोंको आठ आने रोज मजदूरी देने लायक पैसा खरीदार वर्गके पास नहीं है। सेनाका कुचलनेवाला और अनुत्पादक भार देशको विलकुल निर्धन बनाता जा रहा है। फिर, सरकारी अधिकारियोंको असाधारण रूपसे मिलनेवाली वे चढ़ी-चढ़ी तनख्वाहें और पेंशन हैं, वे भी विदेशोंमें ही खर्च होती हैं। इसके अलावा, हम नयकर गरीबीके कुछ अन्य आन्तरिक कारण भी हैं। लेकिन मुझे इन लेखके विषयमें बाहर नहीं जाना चाहिए।

कारण चाहे जो हो, खादी-कार्यकर्ताओंने हमें इस दुःखद बातका भान कराया है कि खादी नरोदनेवाले मध्यम श्रेणीके लोग चाहे जितना चाहें तो भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे उन महंगे मोल खादी खरीद सकें, जो मजदूरीमें तीन आनेमें अधिक वृद्धि करने के कारण जरूरी हो गया है। उनका कहना है कि कमसे-कम फिलहाल तो तीन आने ही हद है। उपर्युक्त प्रस्ताव इसी दुःखद मृत्युकी स्वीकृति है।

लेकिन अगर प्रान्तीय सरकारें मदद न करें तो तीन आनेकी दर भी कायम नहीं रखी जा सकती। प्रान्तीय सरकारें कानून बनाकर और प्रशासनिक स्तरपर प्रयत्न करके भी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन ऐसा वे तभी कर सकती हैं जब चरखा संघ, ग्रामोद्योग संघ और हिन्दुस्तानी तालीमी संघका इस्तेमाल अपनी ही विशेषज्ञ, निःशुल्क और स्वयंसेवी एजेंसियोंकी तरह करें। यह बात मैं इस सम्भावनाके साथ उनके सामने रखता हूँ कि इस तरह भूखों मरते हुए ग्रामवासियोंको उनके अवकाशके समय काम देकर उनको कई लाख रुपयेकी मदद पहुँचाई जा सकेगी। लेकिन अगर ग्रामीणों द्वारा तैयार किये गये मालका इस्तेमाल आम नहीं होगा, तो इस विषयमें कोई प्रगति नहीं हो सकती।

सेर्गाव, २० अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २६-८-१९३९

१२५. टिप्पणियाँ

‘जरायमपेशा जातियों’ के बीच

बीजापुरके निकट ‘जरायमपेशा जातियों’ की जो बस्ती है वहाँकी स्त्रियों द्वारा तैयार की हुई कुछ सुन्दर पूनियाँ और वैसा ही अच्छा उनका काता हुआ सूत अ० भा० चरखा संघकी कर्नाटक-शाखाके श्री एच० एस० कौजलगीने मेरे पास भेजा है और लिखा है :

ये स्त्रियाँ खुद जरायमपेशा नहीं हैं, बल्कि इस बस्तीमें कुछ प्रतिबन्धोंके साथ रखे गये पुराने अभ्यस्त जरायमपेशा लोगोंकी नजदीकी आश्रित हैं। बस्तीके मनेजरने अ० भा० चरखा संघकी कर्नाटक शाखासे कहा कि वह बस्तीके अन्दर चरखा दाखिल कराने के लिए प्रयत्न करे। चूँकि इन स्त्रियोंके लिए चरखा एक नई चीज थी, इसलिए उनके मनमें किसी खास तरहके चरखे या पिंजाईके सम्बन्धमें कोई आग्रह नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि यदि हम कातने और पींजने की आंश्र-पद्धतिसे उन्हें सिखायेंगे तो उससे कतिनोंको बहुत लाभ होगा। १९ जुलाईको हमने काम शुरू किया। पाँच स्त्रियाँ वर्गमें आती हैं। वे भाट, कोरवी और बडर जातियोंकी स्त्रियाँ हैं। उन्हें कताईकी तालीमके दौरान डेढ़ आना रोज मजूरी दी जाती है। अब वे तीन घंटों ५०० गज सूत कात सकती हैं। हम जयवन्त नामक रईका इस्तेमाल करते हैं और जो सूत काता जाता है वह ३० से ४० नम्बरतक का होता है। हम अगस्तके अन्ततक यह वर्ग चलायेंगे, जिसके बाद हम उन्हें रई देकर उनसे सूत खरीदा करेंगे। अगर हमारा यह प्रयोग सफल

रहा तो हम अन्य जरायमपेदा वस्तिपोंमें भी कताईकी तालीम शुरू करेंगे। पूनाके पिछड़े वर्गके अधिकारी श्री ध्रुव इस काममें बड़ा उत्साह रखते हैं।

अगस्तके अन्तमें हम कताई-प्रतियोगिताका आयोजन कर रहे हैं। जो स्त्रियाँ एक घंटेमें ३० नम्बरका तीन सौ गजसे अधिक सूत कातेंगी उन सबको हम उपहारमें साड़ियाँ प्रदान करेंगे। चूँकि ये स्त्रियाँ फुर्तीली और समझदार हैं, अतः मुमकिन है कि पाँचों कस्बियोंको एक-एक साड़ी मिले।

यह एक अच्छी धुन्नात है। यदि प्रान्तीय सरकारें अ० भा० चरखा संघ, अ० भा० ग्रामोद्योग मघ और हिन्दुस्तानी तालीमी मघ इन तीनों विशेषज्ञ और रचनात्मक गन्त्याओंका पूरा-पूरा फायदा उठायें तो वे कमसे-कम शक्ति और पैसा मच करके अधिकतम रचनात्मक कार्य करवा सकती हैं। लेकिन इन तीनों सस्थाओं की प्रवृत्तियोंमें तैयार हुए मालकी चिकीकी समस्याका उन्हें निस्सन्देह सामना करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न उन अभागों देसमें ही पैदा होता है। दूसरे देशोंमें तो राज्य द्वारा अथवा राज्यके नियंत्रणमें तैयार होनेवाले मालका राज्यके लोग इस्तेमाल करें, ऐसा प्रबन्ध करना खुद राज्यका ही काम होता है। प्रान्तीय सरकारोंके लिए स्थितियोंको सुधारने का—शुछ हदतक ही सही—यह अच्छा अवसर है।

मेगांव, २० अगस्त, १९३९

[अग्नेजीम]

हरिजन, २६-८-१९३९

१२६. पत्र : विजयावहन एम० पंचोलीको

वर्धा

२० अगस्त, १९३९

चि० विजया,

तू आजकल पत्र नहीं लिखती, यह तू जुल्म करती है। मैंने कल जो पत्र भेजा था यदि वह मिल गया है, तब तो ठीक है।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७११२)में। सी० डब्ल्यू० ४६०४ में भी;
सांज्य : विजयावहन एम० पंचोली

१२७. ग्राहक चाहिए

निम्नलिखित अंश गांधी आश्रम, मेरठके एक पत्रसे लिया गया है :

अ० भा० चरखा संघ आज तीन लाखसे अधिक आदमियोंको काम दे रहा है। संघका खादी-कार्य १३,००० गाँवोंमें फैला हुआ है। राष्ट्र-निर्माणकी इस महान् प्रवृत्तिमें २,५७१ कार्यकर्त्ता लगे हुए हैं। इसमें संयुक्त प्रान्तका योगदान कुछ कम नहीं है। हमारे रजिस्ट्रारोंमें ४०,००० से अधिक कातनेवालों के नाम दर्ज हैं। अन्य कारीगरों—जुलाहों, धोबियों, पंजिनेवालों आदि—की संख्या ४,७८० है। तकरौवन ३,०४३ गाँवोंमें हमारी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, और ६०० कार्यकर्त्ता प्रान्तके विभिन्न भागोंमें खादीका सन्देश पहुँचा रहे हैं। इससे राष्ट्रकी समस्त रचनात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो उठी हैं। हम लोग सहयोग करना, योजनाएँ बनाना और संगठित होना और निर्माण करना सीखते हैं। बताया जाता है कि पंडित नेहरूने कार्य-समितिकी बैठकमें कहा है कि चरखा हमारे कपड़ेकी आजकी सारी जरूरतोंको पूरा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यह कथन चरखेकी संभावनाका ठीक मूल्यांकन नहीं करता। हमारे जो अनुभव हैं उनके आधारपर मैं यह कह सकता हूँ कि हम इस समस्याकी परिधितक भी नहीं छू सके हैं। हम जो खादी बनाते हैं यदि उसके लिए तैयार भंडी मिल जाये, तो हम बहुत ही कम असमें हजार गुनी ज्यादा खादी तैयार कर सकते हैं।

मैंने वह अंश छोड़ दिया है जिसमें लेखकने विक्रीके सम्बन्धमें अपील की है। मैं आशा करता हूँ कि उनके प्रयत्नको उचित सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ मैं इस बातपर विचार करना चाहता हूँ कि उत्पादनके साथ विक्रीका मेल न बैठने का क्या कारण है। प्रचार-कार्यका भी निःसन्देह अपना स्थान है, किन्तु प्रचारसे भी ज्यादा जरूरत वैज्ञानिक शोध की है। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति औसतन १५ गज कपड़ा इस्तेमालमें आता है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इस कपड़ेपर देशका प्रतिवर्ष करीब १०० करोड़ रुपया खर्च होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ३५ करोड़की जनसंख्यामें प्रति व्यक्ति ३ रुपयेसे कुछ कम कपड़ेका खर्च आता है। यह बड़ी आसानीसे कहा जा सकता है कि अगर सरकारकी ओरसे खादीको संरक्षण मिल जाये, तो इसका विक्रीपर प्रभाव पड़ सकता है। मेरी रायमें यह स्वयंसिद्ध बात है कि खादी संरक्षणकी पात्र है। लेकिन क्या

१. देखिए “टिप्पणियों” का उपशीर्षक “अकालसे सुरक्षा और शिक्षाके माध्यमके रूपमें खादी”, पृ० १०२ भी।

गार्दीने गार्थवर्त्ताजोने, जिनमें योग्यता है, इस बातका पता लगाया है कि सरक्षण बिना बित्री बजाने के लिए हमने अपनी शक्ति-भर प्रयत्न कर लिया है? इसमें दो बायागें हैं। मिल्खा बना कपड़ा खादीसे अधिक सस्ता कहा जाता है, और वह कई रंगोंका, कई डिजाइनोंका होता है और उसमें अपनी एक सफाई होती है। ये बातें खादीमें नहीं होतीं। जहाँतक डिजाइनोंका नवाल है, यह कभी काफी हदतक पूरी कर दी गई है, पर मायद अब भी बहुत-कुछ करने का बाकी है। खादीकी सम्भवत कुछ सीमा हानों ही चाहिए, जिससे आगे वह नहीं जा सकती। यदि ऐसी कोई सीमा है, तो हमें स्पष्टतया उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पर मुझे भय यह है कि दामोके मन्त्रन्धमें अभी पर्याप्त खोज नहीं की गई है। श्री कुमारप्पाने चरखेके विषयमें आम्चर्चजनक दावा पेश किया है। अपने दावेके पक्षमें उन्होंने आँकड़े भी दिये हैं।^१ लेकिन साधारण मनुष्य तो यही पूछेगा 'तो फिर खादी मिलके कपड़ेसे महँगी क्यों है?' इस प्रश्नका सन्तोषजनक उत्तर देना होगा। इसके लिए आम तीरपर जो उत्तर दिये जाते हैं, उन्हें मैं सन्तोषजनक नहीं समझूँगा। जो उत्तर दिये जायें, उनकी पूरी-पूरी जाँच की जानी चाहिए और जबतक खादी अपनी न्वाभाविक महत्ता प्राप्त नहीं कर लेती तबतक मार्गमें आनेवाली कठिनाइयोंपर चिन्म प्राप्त करने के उपाय टूँड निकालने चाहिए और उनका अनुसरण किया जाना चाहिए।

यह बड़ी शर्मकी बात है कि हम जो अपनी जरूरतसे ज्यादा कपास पैदा करते हैं, उसे अपनी जरूरतके वस्त्र बनवाने के लिए बाहर भेजे। यह भी हमारे लिए उतनी ही शर्मकी बात है कि हम, जबकि हमारे गाँवोंमें बेशुमार बेकार मजदूर मिल सकते हैं और माल तैयार करने के लिए हमें जितने साधनोंकी जरूरत हो वे सब भी गाँवोंमें प्राप्त कर सकते हैं, अपनी वस्त्र-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए अपनी कपास गहरोंकी मिलोंमें भेजते हैं। इस शर्मका इतिहास हमें मालूम है। पर अभी तक जनताकी देश-प्रेमकी भावनाको जगाकर इस दिशामें उससे थोड़ा-बहुत करवाने के अतिरिक्त हम इस दुहरी शर्मको दूर करने का कोई निश्चित मार्ग नहीं खोज पाये हैं। जनताकी ओरसे हमें तो हमारी अपीलका उत्साहवर्धक उत्तर मिला है। पर हालका प्रस्ताव जाहिर करता है कि जनताने खादीको आजतक जो आश्रय दिया है वह उसकी सामर्थ्यकी सीमा है। हमें तबतक सन्तोष नहीं होना चाहिए जबतक कि खादी सबके पहनने की चीज न बन जाये। हो सकता है कि अपनी खोजके दौरान हमें यह मालूम हो — जैसा कि कुछ लोगोका कहना भी है — कि खादी कभी आर्थिक दृष्टिसे महत्त्वकी वस्तु नहीं बन सकती। यदि ऐसा हो तो हमारे स्वाभिमानको चाहे कितनी ही ठेस क्यों न पहुँचे और हम जिन अवधारणाओंको इतने विश्वासके साथ आगे रखते आये हैं, हमें भले ही उन्हें छोड़ देना पड़े फिर भी उसे स्वीकार करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हानी

चाहिए। किन्तु हम तबतक यह स्वीकार नहीं कर सकते जबतक मेरे द्वारा उठाये सवालका स्पष्ट उत्तर ढूँढ़ने के लिए हम हर सम्भव प्रयत्न नहीं कर लेते।

सेर्गाव, २१ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २६-८-१९३९

१२८. टिप्पणियाँ

सिर्फ मद्य-निषेध ही क्यों?

एक सज्जन मुझे लिखते हैं:

मद्य-निषेधपर आपने इतना जोर दिया यह तो ठीक ही किया। पर क्या आप समझते हैं कि शेर वाजारमें होनेवाले सट्टे, 'आँक-फरक', जुएके अड्डों, घुडदौड़ और सिनेमासे लोगोंकी नैतिकता और उनकी जेवोको शराबकी अपेक्षा कम नुकसान होता है? मैंने सुना है कि आप कभी सिनेमा देखने नहीं गये हैं। मैं कहता हूँ कि आप, चाहे एक ही वार हो, जरूर जायें और यदि आप जायेंगे तो आपको चित्रपटपर और दर्शकोंके बीच ऐसी बातें दिखाई देंगी जिनसे आप सोचमें पड़ जायेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जिन चीजोंका जिक्र किया है, वे चीजें भी शराबकी तरह ही ध्यान देने योग्य हैं।

यह गुजरातीमें लिखे हुए एक काफी लम्बे आरोप-पत्रका सार है। इस पत्रमें और भी बहुत-सी बातें हैं। लेकिन उसके प्रासंगिक अशकों ही मैंने यहाँ अपने शब्दोंमें दिया है।

मुझे पत्र-प्रेषककी इस बातसे सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं है कि जिन बुराइयोंका उन्होंने नाम लिया है, वे गम्भीर हैं और उनकी और ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन बिल्लीके गलेमें घटी कौन बाँधे? अगर मैं ऐसा कर सकता, तो कभी का मैंने ऐसा कर दिया होता। लेकिन मेरी तो अपनी मर्यादाएँ हैं। अभी हाल ही में मैं यह बतला चुका हूँ कि जैसा कुछ लोग समझते हैं वैसा सर्वसमर्थ मैं नहीं हूँ। शराबकी बुराईको तो इस देशके लोगोंने बुराई मान लिया है। लेकिन दूसरी बुराईयाँ तो कमोवेश फैशनकी चीज बन रही हैं। यदि मैं शेरोंके सट्टेके खिलाफ आन्दोलन उठाता हूँ तो मैं स्वेच्छासे और नियमित रूपसे चन्दा देनेवाले कुछ लोगोंसे हाथ धो बैठता हूँ। और यदि घुडदौड़ और वहाँ जो घृणित जुआ होता है, उसके खिलाफ लोगोंको भड़काता हूँ तो वाइसरायसे लेकर नीचेतक सब बड़े-बड़े आदमी मेरे खिलाफ कमर कसकर तैयार हो जायेंगे। और जिन लोगोंके कारण घुडदौड़

के लिए विशेष रेलगाड़ियाँ चलती हैं उनका क्या होगा ? और यदि मैं सिनेमाओंके गिन्नाफ जिहाद बोलना हूँ, तो शिधागास्त्रियों और मुधारकोकी विरादरीसे निकाल दिया जाऊँगा। उन्होंने तो जल्मर ऐसी दलीले देकर मुझे भी अपने पक्षमें करने को कोशिश की है कि सिनेमा गिलाका बडा अच्छा साधन है और पश्चिममें तो चर्च तथा गुयारक लोग भी उसे बराबर अधिकाधिक प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए जो रवैया मैंने शराबखोरीके प्रति अपनाया है यदि वही इन सब बुराइयोंके प्रति भी अपनाऊँ और उनके खिलाफ धरनेका आयोजन करूँ, तो मुझे विरादरीमें अलग कर दिया जायेगा, मेरा महात्मापन मुझसे छिन जायेगा और अपनी जान भी, जिसकी निम्नदेह मेरे जीवनकी डम अवस्थामें बहुत कम कीमत है, गँवा दूँगा। लेकिन चूँकि मैं यह तिहरी हानि बरदास्त नहीं करना चाहता, अतः मैं इन पत्र-प्रेषक तथा जन-जैने दूनरे लोगोंको यह समझने दूँगा कि मैं एक स्पष्ट कर्तव्यमें जी चुरा रहा हूँ। उन बुराइयोंको मैं जानता हूँ। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझसे भी बडे गुयारक जनगे निपटेंगे। मेरे लिए तो एक कदम ही काफी है।

खादीमें धोलाधड़ी

अखिल भारतीय चरखा संघकी पञ्जाब-शाखाके मंत्री लिखते हैं :

मैं अलग पार्सलसे बटाला खादीका एक विज्ञापन भेज रहा हूँ। ये १९३७ के अन्ततक हमारे प्रमाणित केन्द्र थे। उसके बाद उनके द्वारा प्रयोगमें लाये जानेवाले सूतकी शुद्धताको लेकर कुछ शंका उत्पन्न हुई। इसपर मामलेकी जाँच की गई और अहमदाबादके कार्यालयने निर्णय किया कि इनको अपने केन्द्रमें अखिल भारतीय चरखा संघका एक निरीक्षक रखना होगा, जो यह देखेगा कि केन्द्रमें मिलके बने सूतका उपयोग न किया जाये। उन्होंने इस निर्णयको मानने से इन्कार कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनका प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया। अब वे हमारे उस प्रमाण-पत्रका नाजायज फायदा उठा रहे हैं जो हमने उन्हें उस समय दिया था जब वे हमारे प्रमाणित केन्द्रके रूपमें कार्य कर रहे थे। वे यह नहीं कहते कि उनका प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया है, बल्कि वे जनताको अब भी अपना पुराना प्रमाण-पत्र दिखाते हैं और इस तरह उसे यह आभास देते हैं कि उन्हें अब भी महात्मा गांधी, श्री जमनालाल बजाज और अन्य माननीय नेताओंका संरक्षण प्राप्त है। मुझे लगता है कि इस धारणाको दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाना चाहिए।

यहाँ मैंने विज्ञापन नहीं दिया है। पत्रमें जिंग तरहकी कारंवाईकी शिकायत की गई है, वह खादीके सम्बन्धमें स्पष्टतः धोलाधड़ीका मामला है। डम दिनामें सम्भवतः अदालती कारंवाई की जा सकती है। यद्यपि चरखा संघ खादीमें धोला न हों, हमने सम्बन्धमें जनमतपर भरोसा करने की नीतिका अनुसरण करता रहा है

तथापि गलत काम करनेवालों को यह समझ लेना चाहिए कि उसने आवश्यकता पड़ने पर कानूनका सहारा न लेने की कोई कसम नहीं खाई है। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग रद्द प्रमाण-पत्रका उपयोग कर रहे हैं, वे विवेकपूर्वक उसका उपयोग करना छोड़ देंगे और प्रमाण-पत्र चरखा संघको वापस दे देंगे और चरखा संघके नियमोंको भंग करके नकली खादीका व्यापार नहीं करेंगे। पंजाब-शाखाके मन्त्रीको चाहिए कि वे गलत काम करनेवाले व्यक्तिको रद्द प्रमाण-पत्रका उपयोग करने के विरुद्ध चेतावनी दे दें और केन्द्रीय कार्यालयको उसके परिणामसे अवगत करायें।

सेर्गाव, २१ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २६-८-१९३९

१२९. पत्र : एम० मुजीबको

सेर्गाव, बर्मा

२१ अगस्त, १९३९

प्रिय मुजीब,

जमीयत-उल-उलेमाने जो पुस्तिका निकाली है क्या तुमने उसे पढ़ा है? उन्होंने इस पुस्तिकाकी एक प्रति कार्य-समितिको भेजी थी। राजेन्द्र बाबूने उसमें से कुछ अक्षर पढ़कर सुनाये। उनमें से एकमें यह कहकर बर्मा-योजनापर आक्षेप किया गया है कि यह कहना गलत है कि अहिंसा इस्लामका अनिवार्य अंग है और इस्लाम प्रसिद्ध धर्मोंके प्रति समान रूपसे आदर-भाव रखना सिखाता है तथा वह सहिष्णुताकी गिम्हा देता है। एक अन्य व्यक्तिके सुझाव दिया कि हिन्दुस्तानी तो उर्दूका ही पर्यायवाची शब्द है।

यदि तुमने यह पुस्तिका नहीं पढ़ी है तो इसे प्राप्त करो और यदि पुस्तिका तुम्हारे पास है तो उन उद्धरणोंके सम्बन्धमें अपनी प्रतिक्रिया लिख भेजो जिन्हें मैंने अपने शब्दोंमें तुम्हें लिखा है। मेरे पास मूल पुस्तिका नहीं है।

तुम अपना खर्च कैसे चला रहे हो? और कैसा चल रहा है? क्या जामियामें छात्रोंकी उपस्थितिपर भी कुछ असर पड़ा है? जाकिर [हुसैन] की प्रगति कैसी है?

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० १४६५) से।

१३०. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको

गंगाव, वर्धा

२१ अगस्त, १९३९

वि० अमृतलाल,

काका का पत्र उमठे साय है। अपने बोलको अच्छी तरहमे उठाना। मैं तो यह समझता हूँ कि काकाको सफर करना बन्द कर देना चाहिए। मैं तो आदेश द्वारा ही उन्हें रोक सकता हूँ, लेकिन तुम ममझा-बुझाकर, विनयपूर्वक ऐसा कर सकते हो। वे जो लिखते हैं बिल्कुल सच है। फर्क इतना ही है कि वे हमेशा बालक-जैमे ही रहे हैं, बुढ़ापेके कारण ऐसे नहीं हो गये हैं। विजयाको तुम हमेशासे जैमे लिखते आये हो वैसे ही लिखते रहना और उनमे सुझाव दिया था कि तुम्हे नारणभाईका पूरा नाम लिखना चाहिए। उसका कोई पत्र नहीं आया। इससे लगता है कि वह परेधानीमे है। लेकिन उससे उबर जायेगी। आज-कलमे उसका पत्र जट्टर आयेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७९४) से।

१३१. पत्र : संयुक्ता गांधीको

गंगाव, वर्धा

२१ अगस्त, १९३९

वि० संयुक्ता,

तुझे पत्र क्यों लिखूँ? क्या जयमुगलालमें तेरा समावेश नहीं हो जाता? नर, अब तुममे जयमुगलालका समावेश नहीं करता। तू जितनी मेवा कर रही है उम नवमे मुझे अवश्य लाभ होगा। कमुम्बाको तो नया जीवन मिल रहा है। देना जाये, अब वह क्या-क्या पराक्रम दिखाती है?

जयमुगलाल वहाँ जो प्रयत्न कर सकता है सो करे और फिलहाल उनमे सन्तुष्ट रहे।'

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३)से।

१. देखिए पृ० ५६ भी।

१३२. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

सेर्गाव, वर्धा

२१ अगस्त, १९३९

चि० मणिलाल और सुशीला,

अब तुम लोग मेरे पत्र न आने की शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन सघर्षको लेकर अवश्य कर सकते हो। याद रखना कि तुम दोनोंको वहाँ अपना सर्वस्व लुटा देना होगा। संघर्ष छिड़ा तो तुरन्त बन्द नहीं होगा। बच्चोका क्या करोगे? तुमने सब बातोंपर विचार कर लिया होगा। यदि उन्हें वहाँ नहीं रखा जा सकता तो कदाचित् सुशीला सघर्षसे अलग रहेगी और बच्चोको यहाँ ले आयेगी अथवा यदि उसमें हिम्मत हुई तो वह अकेले ही 'इंडियन ओपिनियन' को चलायेगी। इस तरह इन सब बातोंपर पहलेसे ही सोच-विचार कर लेना।

यहाँ सब कुशल है। और अब यहाँके बारेमें जानने के लिए तुम्हें समय ही कहीं मिल पाता होगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९०२) से।

१३३. पत्र : जमनालाल बजाजको

सेर्गाव

२१ अगस्त, १९३९

चि० जमनालाल,

पंजाब नेशनल बैंकके बारेमें तुम जो-कुछ कहते हो, उसके लिए क्या करना है? मैं नागपुर [बैंक] के विषयमें पहले ही सूचना भेज चुका हूँ।'

बापू

मूल गुजरातीसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

१. बापू-स्मरणसे; देखिय "मुल्कराजके नाम तारका मसौदा", पृ० १०८ भी।

१३४. पत्र : किशोरलाल घ० मशरूवालाको

२१ अगस्त, १९३९

नि० किशोरलाल,

क्या उनके बारेमें तुम्हें कुछ मालूम है ? वेदोकी छपाईकी यह क्या चर्चा हो रही है ? चन्द्रा इकट्ठा करने के बारेमें वह क्या कह रहा है ?

उम्मीद है, तुम्हें मेरी कलकी टिप्पणी मिल गई होगी।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च .]

गायका चेक मेरे खातेमें जमा करवा दो। चेकके बारेमे तुम यह विवरण दे सकते हो कि यह चेक मगन जेराजाणीकी ओरसे अकाल [सहायता-कार्य] अथवा ऐसे ही किसी अन्य उद्देश्यके लिए मिला है।

बापू

श्री किशोरलालभाई

भून्ड गुजरातीमे : गाधी निधि फाइल; सौजन्य : गाधी स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१ और २. पदां संज्ञन गाधी सेवा संज्ञके पत्र मद्रस्य सुभ्रम्य बाप्पवत्या द्वारा लिगिन २० अगस्त, १९३९ के त्रैमासिक कार्य-विवरणकी ओर है। इसमें अन्ध बानोंके अलावा उन्होंने लिखा था कि उन्होंने केशिके प्रसन्नार्थ चन्द्रा इकट्ठा करने के लिए विलयाश्रम (पहले वे रहे थे) से बाहर आठ दिन बिनाये है। पत्र रिपोर्टके प्रथमभाग पर लिखि हुआ है।

१३५. पत्र : पोपटलाल चुडगरको^१

सेगाँव, वर्धा
२२ अगस्त, १९३९

भाई चुडगर,

सरदारके हाथमें ही सारा कार्य-भार है। वह जो करते हैं वह मुझे स्वीकार्य होगा, वशतें कि मेरी स्वीकृति की जरूरत हो।

बापूके आशीर्वाद

श्री पोपटलाल चुडगर
बैरिस्टर
राजकोट सिटी
काठियावाड़

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९८३१) से, सौजन्य . पोपटलाल चुडगर

१३६. पत्र : किशोरलाल घ० मशरूवालाको

२२ अगस्त, १९३९

चि० किशोरलाल,

लक्ष्मीदास . . .^१को पत्र लिख रहा हूँ। जमनालाल से सम्बन्धित [कुछ भी] खातोमें मत चढाना। फिलहाल तो ऐसे ही रहने देना।

क्षमाके बारेमें तुमने जो कहा वह मेरे गले नहीं उतरा, मुझे समझाने की कोशिश करना। अभी न समझा सको तो समय मिलने पर समझाना। तुम यदि थोड़ा-सा भी लिखोगे तो मैं समझ जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजरातीसे : गाधी निधि फाइल, सौजन्य : गाधी स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. बैरिस्टर; सीकरके राव राणाके कानूनी सलाहकार
२. साधन-सूत्रमें यह वंश पढ़ा नहीं जाता।

१३७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको'

सेर्गाव

२३ अगस्त, १९३९

कार्य-समितिये सुभाष बाबूके वारेमें जो प्रस्ताव^१ पास किया है उसको लेकर मेरे पास बराबर ऐसे खत आ रहे हैं जिनमें से अधिकांश गाली-गलौजसे भरे होते हैं। राजेन्द्र बाबूके नाम लिखा एक पत्र भी मैंने देखा है, जिसमें इतनी गन्दी भाषाका प्रयोग किया गया है कि उससे बढ़कर गन्दी भाषाका इस्तेमाल शायद ही हो सकता है। युद्ध-सम्बन्धी प्रस्तावकी^२ भी कुछ आलोचनाएँ मैंने देखी हैं।

इन दोनों प्रस्तावोंके बारेमें जनताके सामने अपनी स्थिति साफ कर देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि सुभाष बाबूवाले प्रस्तावका मसौदा मैंने ही तैयार किया था। मैं यह कह सकता हूँ कि कार्य-समितिके सदस्य ऐसी कार्रवाई करनेकी जिम्मेदारीको अगर टाल सकते तो जरूर टालते। वे जानते थे कि उनकी इस कार्रवाईपर विरोधका तूफान उठ खड़ा होगा। इसलिए ऐसा प्रस्ताव पास करनेकी बनिस्बत, जिसमें व्यक्तियोंका खयाल न रखा गया हो, कोई हलका-सा प्रस्ताव पास करने में उन्हें कहीं ज्यादा आसानी होती। यदि वे कोई कार्रवाई न करते तो कांग्रेसजनोंमें अनुशासन बनाये रखनेके अपने प्राथमिक कर्तव्यसे च्युत हो जाते। फिर, सुभाष बाबूने तो खुद ही इस कार्रवाईको आमंत्रित किया था। उन्होंने बहादुरीके साथ यह कहा था कि अगर कोई कार्रवाई करनी ही हो, तो कार्य-समितिके प्रस्तावका विरोध करनेवाले प्रमुख व्यक्तिके नाते वह मेरे ही खिलाफ की जाये। मेरी रायमें तो कार्य-समितिये जो कार्रवाईकी है वह यथासम्भव नरम-से-नरम है। इसके पीछे बदला लेनेकी कोई इच्छा नहीं थी। सुभाष बाबूकी स्थितिका विचार करने पर बदला लेनेका तो निश्चय ही कोई सवाल नहीं उठता। वे जानते थे कि कार्य-समिति उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकती। उनका खयाल था कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ गई है कि कार्य-समितिकी किसी कार्रवाईका उनपर कोई असर नहीं पड सकता। सुभाष बाबूने यदि कांग्रेस-संगठनके नहीं तो कार्य-समितिके विरुद्ध मोर्चा लिया है। इसलिए कार्य-समितिके सदस्योंको अपना फर्ज अदा करना था और इस बातका निर्णय कांग्रेसजनों तथा जनतापर छोड देना था कि वे सही

१. यह "द टू रेजोल्यूशन्स" (दो प्रस्ताव) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। वक्तव्य २३-८-१९३९ के हिन्दू, और २४-८-१९३९ के हिन्दुस्तान टाइम्समें भी प्रकाशित हुआ था।

२. देखिय पृ० ९४-९५।

३. देखिय परिशिष्ट ८।

है या सुभाष बाबू। यह कहा गया है कि ऐसी परिस्थितिमें जो मैं करता वही सुभाष बाबूने किया है। मुझे तो अपनी सारी जिन्दगीमें ऐसा एक भी उदाहरण याद नहीं पड़ता जिसमें मैंने सुभाष बाबूने जो किया है वैसा किया हो, अर्थात् जिस संस्थाके प्रति मैं वफादार होऊँ, उसकी अवज्ञा की हो। अलबत्ता, विद्रोहकी बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तभी जब उस संस्थासे अपना सम्बन्ध तोड़ लूँ। १९२० के अहिंसापूर्ण असहयोगका अर्थ और रहस्य यही था।

लेकिन ये पक्षियाँ मैं मुख्यतः कार्य-समितिकी कार्रवाईका औचित्य सिद्ध करने के लिए नहीं बल्कि सुभाष बाबू और उनके समर्थकोंसे यह प्रार्थना करने के लिए लिख रहा हूँ कि कार्य-समितिके प्रस्तावको वे सद्भावनाके साथ ग्रहण करें और जबतक वह मौजूद है तबतक उसे मानें। कांग्रेस महासमितिके इस निश्चयके विरुद्ध अपील करने का उन्हें पूरा हक है। वहाँ अगर कामयाब न हों, तो कांग्रेसके सालाना अधिवेशनमें वे मामलेको उठा सकते हैं। यह सब वे बिना किसी कटुता और कार्य-समितिके सदस्योपर ऐसी बुरीसे-बुरी किस्मकी बदनीयतीका इलजाम लगाये बिना कर सकते हैं। वे ऐसा मानकर सन्तोष क्यों नहीं करते कि निर्णय करने में सदस्योसे भूल हो गई होगी? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस महासमितिके सदस्योका बहुमत अगर कार्य-समितिके कार्यसे लिखित रूपमें असहमति प्रकट करता है तो कार्य-समिति खुशीसे इस्तीफा दे देगी। मतभेद उपस्थित होने पर एक-दूसरेकी नीयत पर हमला करके कांग्रेसजन उस ढाँचेको नष्ट करते हैं जो आधी सदीके अविरल परिश्रमसे तैयार किया गया है। वस्तुतः देखा जाये तो अगर किसी बुरे उद्देश्यका सन्देश हो, तो भी जबतक असंदिग्ध रूपसे वह साबित न कर दिया जाये, तबतक उसका आरोप न लगाना ही अच्छा है। कल्याणकर लोकमत तैयार करने के लिए यह जरूरी है कि लोकमतके नेता विविध घटनाओं और निर्णयोका फँसला उनके गुण-दोषोकी दृष्टिसे ही किया करें।

युद्ध-सम्बन्धी प्रस्तावपर मेरी पूरी हार हुई। मुझसे प्रस्तावका मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया। इसी तरह प० जवाहरलाल नेहरूसे भी कहा गया था। मुझे अपने मसौदेपर गर्व था, पर मेरा गर्व चूर-चूर हो गया। मैंने देखा कि जबतक मैं दलील और आग्रहसे काम न लूँ, मेरा प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। तब हमने जवाहरलालजी का प्रस्ताव सुना। और मैंने तुरन्त यह स्वीकार कर लिया कि उनका प्रस्ताव मेरे प्रस्तावकी बनिस्वत देशके मतको बल्कि कुल मिलाकर कार्य-समितिके मतको भी ज्यादा अच्छी तरह व्यक्त करता है। मेरा प्रस्ताव तो पूर्णतः अहिंसापर आधारित था। यदि कांग्रेस एक नीतिके रूपमें ही दिलसे सम्पूर्ण अहिंसामें विश्वास करती है तो यह उसकी कसौटीका समय था। लेकिन कुछ लोगोंको छोड़कर कांग्रेसजन ऐसी अहिंसामें विश्वास नहीं करते और जो करते हैं वे भी यह मानते हैं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए सरकारसे लड़ने में ही इसका उपयोग है। लेकिन कांग्रेसके पास संसारके लिए अहिंसाका कोई सन्देश नहीं है। काश यह मानने का कोई आधार होता कि उसके पास ऐसा सन्देश है।

जल्द ही कि दोनों प्रस्तावोंके उपसंहार एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न होते। लेकिन चूँकि इन दोनोंके प्रेरक हेतु भिन्न थे इसलिए भिन्न परिदृश्यमें इनका अर्थ भी भिन्न-भिन्न होता। आज हिन्दुस्तानमें जो हिंसा हो रही है और कांग्रेस सरकारोंको जो फौज और पुलिसकी मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उसको देखते हुए संसारके सामने अहिंसाकी घोषणा करना उपहास ही मालूम पड़ता। उसका न तो हिन्दुस्तानपर कोई असर पड़ता, न संसारपर। इतने पर भी अगर खुद अपने प्रति मैं सच्चा हूँ, तो जो मसौदा मैंने तैयार किया उसके सिवा कोई और नहीं कर सकता था।

मेरे प्रस्तावका जो हथ्र ह्वा और जिस हथ्रको लाने में खुद मैं भी शरीक था उसने यह सावित कर दिया है कि कांग्रेससे अपना वाजाव्ता सम्बन्ध तोड़कर मैंने ठीक ही किया। कार्य-समितिकी बैठकोमें मैं कोई इसलिए शरीक नहीं होता कि उसके प्रस्तावो या सामान्य नीतिमें भी मेरी सहमति हो। मैं तो अहिंसाके अपने उद्देश्यको पूर्ण करने के लिए ही उनमें शामिल होता हूँ। जबतक वे लोग मेरी उपस्थिति चाहते हैं, मैं उनके कार्यों और उनके द्वारा कांग्रेसजनोंके कार्योंमें अहिंसापर जोर देने के लिए वहाँ चला जाता हूँ। हम सब एक ही उद्देश्यको लेकर चल रहे हैं। वे सब यदि हो सके तो पूरी तरह मेरे साथ चलें, लेकिन जैसे मैं अपने प्रति सच्चा रहना चाहता हूँ इसी तरह वे भी अपने प्रति और उस देशके प्रति सच्चे रहना चाहते हैं जिसका इस समय वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि अहिंसाकी प्रगति जाहिरा तौरपर बहुत धीमी प्रक्रिया है। लेकिन अनुभवने मुझे बतलाया है कि हमारे सम्मिलित लक्ष्यका यही सबसे निश्चित मार्ग है। लड़ाई और शास्त्रसे न तो भारतको मुक्ति मिल सकती है, न संसारको। हिंसा तो न्याय-प्राप्तिके लिए भी लगभग निष्फल सावित हो चुकी है। अहिंसामें पूरी श्रद्धा रखने में अगर कोई मेरा साथी न हो तो अपने इस विश्वासके साथ मैं अकेला ही इस पथपर चलने में सन्तुष्ट हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २६-८-१९३९

१३८. पत्र : नरहरि द्वा० परोखको

सेर्गाव, बर्वा
२४ अगस्त, १९३९

वि० नरहरि,

मुझे पता चला है कि अमृतुस्सलामका हनीफ' तुम्हारे नियन्त्रणमें है और पीजना सीख रहा है। यदि यह लडका होनहार है तो उसे कुशल कारीगर बनाना हमारा धर्म है। यदि वह अच्छा और कुशल कारीगर भी बने तो सबसे अच्छा हो। मेरी इच्छा तो उसे बुनाईतक की सब प्रक्रियाएँ सिखाने की है। समस्त प्रक्रियाओंमें पारंगत लोग हमारे पास कम ही हैं। यदि हम एक-दो मुसलमानोंको तैयार कर सकें तो बहुत काम हों। मेरी यह मान्यता जरूर है कि जिन तरह गोधरामें मैंने यह चाहा था कि मोची अथवा बटर्ड नभापति बने उसी तरह मैं नमस्रता हूँ कि सामान्य मुसलमानोंकी मारफत हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्थापित हो सकता है। इसलिए यदि हनीफ और अकबर-जैसे लोग भी हममें आते हैं तो मुझे खुशी होगी। लेकिन तुम तो अपनी गामर्थ्य और अनुभवके अनुसार ही व्यवहार करना।

ब्रापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एन० एन० ९११५) से।

१३९. पत्र : आजम आबेदको

सेर्गाव, बर्वा
२४ अगस्त, १९३९

भाई आजम आबेद,

आपका पत्र मिला। स्वर्गीय नवाब खानके बारेमें, और अन्य कतरनें भी मिली है। नवाब खानके सम्बन्धमें यहाँमें कुछ ही मरुता है, ऐसा मैं नहीं समझता। उनके बारेमें गुनकर दुःख हुआ।

मो० क० गांधीके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८१५) से।

१ पंजाबके एक खादी-कार्यकर्ता

१४०. पत्र : रावजीभाई ना० पटेलको

सेगांव, वर्धा

२४ अगस्त, १९३९

वि० रावजीभाई,

देखता हूँ कि तुम्हारा यज्ञ तो बहुत बड़ा होता जा रहा है। खादीको किस तरह निकाला जाये, इस प्रश्नका समाधान तो तभी होगा जब हम गहरे उतरकर अभ्यास करेंगे। आँकड़े इकट्ठे करने की बात इसमें निहित है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९०१०) से।

१४१. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको

[२५ अगस्त, १९३९ के पूर्व]

वि० अमृतलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। जब तुम आ सको, तब आना। बादमें विजयाका कोई पत्र नहीं आया लेकिन उसे बराबरमें होना चाहिए। इसके साथ उसके लिए पोस्टकार्ड है। इसमें थोड़ा कोरा भाग है, उसमें तुम लिखना। नारण पटेलके पिताका नाम मैं भूल गया हूँ। वह लिख भेजना। पिताका नाम न दिया जाये तो पत्र नहीं मिलता।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च .]

साथके पोस्टकार्डपर पूरा पता लिखकर डाकमें डाल देना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७९२) से।

१. "विजयाका कोई पत्र नहीं आया" और "इसके साथ उसके लिए पोस्टकार्ड है" के उल्लेखसे। यह कार्ड लिखने के दुरन्त बाद ही उसका पत्र मिल गया था; देखिए "पत्र : विजयाबहन एम० पंचोलीको", पृ० १३४।

१२९

१४२. स्वेच्छा-प्रेरित संघ-व्यवस्थाकी जरूरत

हिन्दुस्तानपर यदि जबरदस्ती संघ-व्यवस्था लादी गई तो सम्भवतः वह आजसे भी अधिक विभक्त हो जायेगा। ब्रिटिश सरकार अगर यह घोषणा कर दे कि वह अपने संघके ढाँचिको हिन्दुस्तानपर जबरदस्ती नहीं लादेगी तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। वाइसराय चाहे ऐसा कहें या नहीं, लेकिन वे इसी दिगामें कार्य करते प्रतीत होते हैं। अगर मेरी धारणा सही है, तो मैं कहूँगा कि इस बारेमें स्पष्ट घोषणा कर देने से उनके कामकी खूबसूरती बढ़ेगी और उससे नायद वास्तविक संघका और इसलिए सच्ची एकताका रास्ता भी साफ हो जायेगा। वह संघ स्वभावतः भारत सरकार अधिनियममें सुझाये ढंगका हरगिज नहीं हो सकता। वह जैसा भी हो, यह आवश्यक है कि वह सारे हिन्दुस्तानके स्वतन्त्र इच्छाकी उपज हो।

लेकिन स्वतन्त्र रूपसे पसन्द किया गया ऐसा राजनीतिक और कानूनसम्मत संघ बनने से पहले, शुरुआत करने के लिए अगर सारे भारतका नहीं तो उसके कुछ भागोंका ही स्वेच्छा-प्रेरित संघ बनाया जाये तो अच्छा होगा। लघु गुजरातके कुछ भागों तथा सारे काठियावाड़में आज दुमिश्का जो प्रकोप है उसके आधारपर यह विचार मेरे दिमागमें आ रहा है। मुझे ऐसे रोष-भरे पत्र मिले हैं जिनमें चारा और अनाज लाने-लेजाने के सम्बन्धमें बम्बई सरकारने जो प्रतिबन्ध लगा रखा है और जिसे उन लोगोंने हृदयहीन नीति कहा है, उसकी ओर मेरा ध्यान खींचा गया है। मैं पत्र भेजनेवालों की बातोंपर विश्वास नहीं कर सका। मैं यह जानता था कि गुजरात और काठियावाड़, दोनों जगहोंके कष्ट-निवारणके लिए सरदार जमीन-आप्तमान एक कर रहे हैं। फिर भी अपनी और दिलजमई करने के लिए नये मुख्य मन्त्रीको तार भेजा, जिसका उन्होंने मुझे उसी दिन तत्काल यह जवाब दिया :

छह जिलोंसे कलक्टरकी इजाजतके बिना चारा बाहर ले जाने की मनाही कर दी गई है, क्योंकि अपने प्रान्तकी आवश्यकतापर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। जितना चारा हमारी जरूरतसे ज्यादा होगा उसे बाहर ले जाने की जरूर इजाजत दी जायेगी।

इस तारके बाद एक पत्र मुझे मिला, जिसमें उस विधेयककी प्रति भी संलग्न थी जो बम्बई विधान-सभामें पेश किया जानेवाला है। इसमें अकाल अथवा तंगीके समय अनाज और चारेके यातायात तथा मूल्यको नियंत्रित करने की ही बात है। यह प्रतिबन्ध नहीं बल्कि चारे और अनाजपर ऐसा नियंत्रण रखने की नीति है, जिससे सटोरिये लोग उसे अपने कब्जेमें जमा करके न रख लें या इतने बड़े पैमानेपर उसे बाहर न खपा दें जिससे जहाँ वह पैदा हुआ वहींके डोरों और लोगोंको उसके अभावमें भूखों मरना पड़े। मुख्य मन्त्रीके पत्रके अनुसार प्रान्तके बाहर भी जहाँ-

कहींसे अनाज और चारा मिल सके, उसे इकट्ठा करके काठियावाड़-सहित सभी दुर्भिक्ष-पीड़ित इलाकोंमें वांटने की तजवीज चल रही है। बम्बई सरकारकी इस कार्रवाईको मैं न केवल आवश्यक समझता हूँ, बल्कि प्रान्तके ब्रिटिश भागकी तरह ही उसके समस्त रियासती भागके लिए भी लाभदायक मानता हूँ। मैं इसे स्वेच्छा-प्रेरित संधीकरण कहता हूँ। पाठकोंको संघ शब्दमें ऐसा अर्थ आरोपित करने का बुरा नहीं मानना चाहिए।

यह छोटी-सी कार्रवाई पाठकोंको उस बड़ी कार्रवाईका कुछ परिचय देती है जो कि स्वेच्छा-प्रेरित संधीकी दिशामें हो सकती है। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा पत्र उद्धृत किया था जिसमें सामान्य हितकी अनेक बातोंके लिए काठियावाड़की रियासतोंका एक सघ बनाने की बात सुझाई गई थी। उस पत्र-लेखकका अन्तिम उद्देश्य राजनीतिक सघ था। मैं जो कह रहा हूँ उसका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तो मेरा तात्कालिक और अन्तिम उद्देश्य विशुद्ध रूपसे मानव-सेवा ही है।

यदि काठियावाड़की रियासतें पानी, जगलात और सडकोके लिए, केवल जीवन-रक्षाकी दृष्टिसे ही, स्वेच्छापूर्वक अपना सघ बना लेती हैं तो आज वहाँकी रियासतोंके समूहके सम्मुख पानीके अकालका जैसा भय है वैसा भय नहीं रहेगा। क्योंकि वहाँ कई रियासतें इतनी समृद्ध हैं जो सारे काठियावाड़को पानी दे सकती हैं। मैं जानता हूँ कि एक दिनमें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बात तो दरअसल यह है कि 'न खायें न खाने दें' की नीतिने काठियावाड़में पानीकी किसी भी बड़ी योजनाको असम्भव बना रखा है। काठियावाड़में काफी अच्छी नदियाँ और पहाड़ियाँ हैं। कुँओकी भी वहाँ इतनी सभावना है जिसकी कोई हद नहीं। यदि काठियावाड़की सारी रियासतें आपसमें मिल जायें और उनमें जो समृद्ध हैं वे सम्मिलित हितके लिए अपने साधनोंका उपयोग करें, तो वे मनुष्यों तथा मवेशियोंके प्यासे मर जाने की भीषण सभावनाको टाल सकती हैं। मुझे इस बातका विश्वास है कि काठियावाड़में सूखे सालोंमें भी काफी पानी मुहैया करने की सामर्थ्य है। लेकिन जबतक पेड़ लगाने की दूरदर्शितापूर्ण योजनापर अमल नहीं किया जाता तबतक कोई भी सयुक्त जल सयोजना इस समस्याको हमेशाके लिए हल नहीं कर सकती। वस्तुतः देखा जाये तो काठियावाड़में कोई जगल नहीं है। अतः राजाओं और जनताको मिल-जुलकर विस्तृत पैमानेपर पौधे लगवाने चाहिए। लेकिन यह तभी हो सकता है जब रियासतें और उनके निवासी लोग समस्त काठियावाड़को अपनी सयुक्त और सम्मिलित भूमि मानें और उनमें इन्द्रदेवके वर्षा न करने पर भी प्यासे मरने के शाश्वत भयसे मुक्त होकर अपनी भूमिमें रहने की इच्छा करने-जितनी पर्याप्त बुद्धि हो।

सेर्गाव, २५ अगस्त, १९३९

[अग्रैजीसे]

हरिजन, २-९-१९३९

१४३. मोटर बनाम बैलगाड़ी

गाँवोंमें प्रचार-कार्य करने के लिए मोटर गाड़ियाँ उपयोगी होगी या बैलगाड़ियाँ, इस विषयपर अगस्तकी 'ग्राम उद्योग पत्रिका' में एक लेख प्रकाशित हुआ है। जो लोग पूरा तर्क समझना चाहते हों उन्हें पत्रिकाकी प्रति भेजवाकर पढ़नी चाहिए। मैं उसमें से सबसे महत्त्वपूर्ण अंश उद्धृत कर रहा हूँ।'

हमसे पूछा गया है कि जिला बोर्ड और इसी प्रकारकी अन्य स्थानीय संस्थाएँ, जो ग्रामोद्धारके लिए कुछ धनराशि अलग रखना चाहती हैं, उस रकमको गाँवोंमें विभिन्न प्रकारके प्रचार-कार्यके लिए मोटर गाड़ी खरीदनेमें लगायें तो कैसा हो। . . . यहाँ सवाल यह उठता है कि मोटर गाड़ियोंका, जो एक रातमें कई गाँवोंका चक्कर लगा सकती हैं, इस कामको जल्दी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है या नहीं।

सब खर्चोंमें, विशेषकर उन खर्चोंमें जो विशुद्ध रूपसे ग्रामीणोंकी भलाईके लिए किये जाते हैं, हमें यह देखना जरूरी है कि व्यय हुई धनराशि लौटकर गाँवोंमें जाती है या नहीं। जिला और स्थानीय बोर्ड जनतासे धन प्राप्त करते हैं, अतः उन्हें ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए, जिनसे यह धन जनतामें वापस पहुँचे।

इस समय गाँववालों को जिस चीजकी सबसे अधिक जरूरत है वह है लाभदायक रोजगार। हम बाहरसे चीजें भेगाकर धीरे-धीरे उन्हें कामसे वंचित करते जा रहे हैं और उसके मुआवजेमें उन्हें भाषण, मैजिक लालटेनके खेल और डिब्बेमें बंद संगीत देते हैं, जिसके लिए वे स्वयं खर्च करते हैं, और हम अपनी पीठ ठोकते हैं कि हम उनके कल्याणके लिए कार्य कर रहे हैं। क्या इससे ज्यादा बेतुकी और कोई बात हो सकती है?

अब तुलना कीजिए कि मोटर गाड़ीकी जगह बहुत उपेक्षासे बैलगाड़ीका उपयोग किया जाये तो क्या होगा। . . . वह दूर-दूरके गाँवोंमें पहुँच सकती है, जहाँ मोटर गाड़ीका जाना कठिन है। बैलगाड़ी खरीदने में मोटर गाड़ीकी अपेक्षा बहुत कम पैसा खर्च होता है और इसलिए यदि जरूरत हो तो उतनी ही रकममें कई बैलगाड़ियाँ खरीदी जा सकती हैं, जो जिलेके कई ग्राम-समूहोंका भला कर सकती हैं। इनपर खर्च किया हुआ पैसा गाँवके बड़ई, लुहार और गाड़ीवानकी जेबमें जाता है। उसका एक भी पैसा जिलेसे बाहर नहीं जाना चाहिए। . . .

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही उद्धृत किये गये हैं।

इसलिए मोटर गाड़ियाँ और ग्राम-कार्यका एक साथ चलना बहुत बेतुका मालूम होता है। हमें जरूरत है स्थिर रचनात्मक प्रयत्नकी, न कि बिजली-जैसी तेज रफ्तार और ऊपरी तड़क-भड़ककी। हम स्थानीय बोर्डों और सार्वजनिक संस्थाओंको, जो गाँववालों की भलाईके कार्यमें वस्तुतः दिलचस्पी रखती हैं, सलाह देंगे कि वे ग्रामोद्धारके कार्यको गाँवकी बनी हुई चीजोंके इस्तेमालसे प्रारम्भ करें और उन हालातका अध्ययन करें जिनसे गाँवोंमें लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है, और उन्हें एक-एक करके हटाने में अपनी सारी शक्ति लगा दें। जब ग्रामीण जीवनके हर पहलूको खूब सोच-विचारकर गहन प्रयत्न करने की जरूरत है, तब ऐसे उपायोंपर, जो एक रातमें ग्रामोद्धारका सन्न बाग दिखाना चाहते हैं, सार्वजनिक धन खर्च करना उस धनका नाश करना ही है।

आशा है जो लोग ग्रामसेवाके कार्यमें दिलचस्पी रखते हैं, वे बैलगाड़ीके पक्षमें दी गई स्पष्ट दलीलो को हृदयगम करेंगे। गाँवकी भलाईके उद्देश्यसे जो सस्थाएँ कायम की गई हैं उन्हींके द्वारा गाँवकी अर्थ-व्यवस्था का नाश हो, यह बड़े दुःखकी बात होगी।

मेगाँव, २५ अगस्त, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ६-९-१९३९

१४४. पत्र : शिवजी देवशंकरको

सेगाँव, वर्षा

२५ अगस्त, १९३९

भाई शिवजी,

तुम्हारा पत्र मिला। चूँकि लोग मेरे शब्दोंको जरूरतसे ज्यादा महत्त्व देते हैं इसलिए लिखे बिना काम नहीं चलता, इसी कारण मैं लिखता हूँ। तथापि किसी समय यदि भूल रह जाये तो लोगोको उसे दरगुजर करना चाहिए न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से।

१४५. पत्र : विजयाबहन एम० पंचोलीको

सेगाँव, वर्षा

२५ अगस्त, १९३९

वि० विजया,

तेरा पत्र मिलने से पहले ही मैं तुझे पत्र लिख चुका था, उम्मीद है वह पत्र तुझे मिल गया होगा। मैं तो फिलहाल यही हूँ। इसलिए यदि तू वहाँसे मुक्त हो सकती हो तो तुरन्त आ जा। आशा है, तेरी तबीयत ठीक रहती होगी। नारणभाईका स्वास्थ्य सुधर रहा होगा।

यहाँ तो [वर्षाके कारण सर्वत्र] आनन्द छाया हुआ है। अकालका भय दूर हो गया है। आशा है, वहाँ भी सब ठीक होगा।

बापूके आशीर्वाद

श्री विजयाबहन

मारफत नारणभाई वल्लभभाई पटेल
वराड

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७११३) से। सी० डब्ल्यू० ४६०५ से भी;
सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली

१४६. मिलका या घानीका तेल

एक समय था जब गाँवकी घानी, चक्की, करघा, चरखा तथा गन्ना पेरने का कोल्हू गाँवके अविभाज्य अंग थे। अब अखिल भारतीय चरखा सघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ उनमें से कुछ को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह तो हम काफी अच्छी तरह समझ गये हैं कि चरखे और करघेको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। खादीको उसके सब अंगो-सहित हस्तगत कर लेना एक शास्त्र बन चुका है। मगनलाल गांधीने इस शास्त्रकी नींव रखी थी। गाँवकी चक्की और गन्नेके कोल्हू चलानेकी क्रियाको शास्त्रीय रूप प्रदान करनेवाले प्रणेता अभी सामने नहीं हैं। किन्तु घानीको ऐसा व्यक्ति मिल गया है। मगनवाडीके झवेरभाई पटेल शास्त्रीय अन्वेषककी सूक्ष्मता और उत्साहके साथ घानीका सर्वांगीण अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने घानीमें कुछ सुधार किये हैं और उनका दावा है कि इन सुधारोंके फलस्वरूप घानी चलानेवाले व्यक्ति और बैल दोनोंकी मेहनतमें कमी और तेलके उत्पादनमें वृद्धि हुई है। उन्होंने तेलके बाजार और तिलहन अपने उत्पादन-स्थलसे

कहाँ-कैसे जाते हैं, इसका भी अध्ययन किया है, जिसके परिणामस्वरूप वे लगभग वाजार-भावपर ही अपना तेल बेच सकते हैं और इस कारण उनके तेलकी तुरन्त खपत हो जाती है। उनका तेल मशीनके तेलसे बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें तो सामान्यतः मिलावट होती है और वह ताजा भी नहीं होता। लेकिन बधकि स्थानीय वाजारमें वह मिलके बने तेलके साथ सफलतापूर्वक होड़ कर पाते हैं, श्री झवेर-भाईको इतने-भरसे सन्तोष नहीं है। उन्होंने तो इस रहस्यको भी दूँढ निकाला है कि मिलका बना तेल घानीके तेलकी अपेक्षा क्यों सस्ता होता है। वे तीन कारण बताते हैं, जिनमेंसे दो अपरिहार्य हैं। एक तो पूँजी है और दूसरा मशीनकी तेलकी अन्तिम बूँदतक निकाल लानेकी क्षमता और वह भी घानीसे कम समयमें। किन्तु तेलके मिल-मालिकको दलालो और आढतियोको जो कमीशन देना पड़ता है उससे इन लाभोका कोई अर्थ नहीं रह जाता। किन्तु तीसरा कारण है मिलावट और इससे श्री झवेरभाई तबतक पार नहीं पा सकते जबतक कि वे भी यही तरीका अख्तियार न कर ले। और यह तो स्वभावतः वे नहीं करेंगे। अतएव उनका सुझाव है कि मिलावटको कानून द्वारा रोका जाना चाहिए। यदि मिलावट के विरुद्ध कोई कानून मौजूद है तो उसको लागू करके अन्यथा कोई नया कानून बनाकर और तेलकी मिलोको लाइसेंस जारी करके ऐसा किया जा सकता है।

श्री झवेरभाईने ग्रामीण घानीके ह्रासके कारणोकी जाँच भी की है। सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि तेली नियमित रूपसे तिलहन नहीं जुटा पाता। मौसम खत्म होने पर गाँवोंमें तिलहनका लगभग नाम-निशान भी नहीं रहता। तेलीके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह तिलहनको सग्रह करके रख सके और शहरोसे तिलहन खरीदने की तो उसमें और भी सामर्थ्य नहीं होती। यही कारण है कि या तो तेली नजर नहीं आते या बड़ी तेजीसे ऐसी स्थिति आ रही है कि वे नजर नहीं आयेगे। आजकल लाखो घानियाँ बेकार पड़ी हैं, जिसके कारण देशकी साधन-सम्पदाकी भारी बरबादी हो रही है। जहाँ तिलहनकी पैदावार होती हो उसी स्थानपर तिलहनका सग्रह करना और गाँवके तेलियोको उचित दरपर तिलहन बेचना और इस प्रकार जो घानियाँ अभी नष्ट नहीं हुई हैं, उनका पुनरुद्धार करना निःसन्देह सरकारका ही काम है। यह सहायता प्रदान करने में सरकारको कोई हानि नहीं होगी। श्री झवेरभाईके विचारानुसार यह सहायता सहकारी समितियो या पंचायतोंके माध्यमसे दी जा सकती है। शोधके आधारपर श्री झवेरभाई इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि ऐसा करने से घानीका तेल मशीनके तेलसे टक्कर ले सकेगा और गाँवोंपर आजकल जो मिलावटी तेल थोपा जाता है उससे उन्हें मुक्ति मिल जायेगी। इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीणोको भोजनमें यदि कुछ चिकनाई मिलती भी है, तो वह केवल तेलसे ही मिलती है। सामान्यतः घी से वे अपरिचित ही रहते हैं।

सेर्गाव, २६ अगस्त, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, २-९-१९३९

१४७. एक महाराजाकी धमकी

कुछ सप्ताह पूर्व पटियालासे मुझे एक महत्वपूर्ण पत्र मिला था। उसमें महाराजा साहब पटियाला द्वारा दिये गये कुछ ऐसे गम्भीर वक्तव्य पेश किये गये कि वे ठीक हैं या नहीं, यह मालूम करने के लिए मैंने महाराजा साहबको लिखा। इस बातको अब तीन हफ्तेसे अधिक हो गये हैं, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला।^१ इसलिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे पत्र भेजनेवाले सज्जनने उनके बारेमें जो-कुछ लिखा है वह ठीक ही है। पत्रका मुख्य भाग यह है :

१९८८^१ की हिदायत के खिलाफ, जो प्रजाके नागरिक अधिकारोंका अपहरण करनेवाला एक गैर-कानूनी कानून है, पटियाला राज्य प्रजामण्डलने सत्याग्रह शुरू किया था। आपकी सलाहपर वह सत्याग्रह बिना किसी शर्तके स्थगित कर दिया गया था। राज्यकी ओरसे पटियालाके प्रचार-अधिकारोंने १५ अप्रैलको एक विज्ञप्ति निकालकर कहा था कि सरकार उस हिदायत को ३-४ हफ्तेके अन्दर या तो रद्द कर देगी या वापस ले लेगी। साथ ही, यह भी बतलाया गया था कि उसपर विचार करके जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकारने एक समिति नियुक्त की है। लेकिन यह घोषणा अभीतक अमलमें नहीं आई है। उसके बजाय, महाराजा साहबने २५ मईके इजलास खासके हुक्म द्वारा उस हिदायतपर अगले छह महीने और कड़ाईसे अमल करने का निर्देश दिया है। वह हिदायत इतनी व्यापक है कि उसके कारण प्रजामण्डलके कार्यकर्त्ता किसी तरहका कोई प्रचार-कार्य नहीं कर सकते। इस आन्दोलनके सिलसिलेमें गिरफ्तार कार्यकर्त्ता अब भी जेलमें हैं और दूसरोंपर मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा, राज्यमें जमींदारों और किसानोंके बीच भी एक आन्दोलन चल रहा है।

प्रजामण्डलके कुछ कार्यकर्त्ताओंने १८ तारीखको महाराजा साहबसे मुलाकात की थी। मुलाकातके समय महाराजा साहबने कार्यकर्त्ताओंको सम्बोधित करते हुए कहा :

“मेरे पूर्वजोंने यह राज्य तलवारसे जीता है और मैं तलवारसे ही इसे कायम रखना चाहता हूँ। मैं किसी भी संस्थाको अपनी प्रजाके प्रतिनिधिके

१. बादमें महाराजाकी ओरसे इसका उत्तर प्राप्त हुआ था; देखिए परिशिष्ट ९। उत्तरके साथ उसपर गांधीजी की टिप्पणी भी प्रकाशित हुई थी; देखिए “टिप्पणी: ‘एक महाराजाकी धमकी’ पर”, १२-९-१९३९।

२. विक्रम सम्बत्का, अर्थात् ईस्वी सन् १९३२ का।

रूपमें स्वीकार करने अथवा उस संस्थाको प्रजाकी ओरसे बोलने देने से इन्कार करता हूँ। उनका तो एकमात्र प्रतिनिधि मैं ही हूँ। राज्यमें प्रजामण्डल-जैसी कोई संस्था नहीं रहने दी जा सकती। तुम अगर कांग्रेसका काम करना चाहते हो, तो मेरे राज्यसे बाहर चले जाओ। कांग्रेस ब्रिटिश सरकारको डरा-धमका सकती है, लेकिन यदि उसने मेरे राज्यमें कभी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो मैं भयंकर रूपसे उसका मुकाबला करूँगा। मैं अपने राज्यकी सीमाओं अपने झण्डेके अलावा और कोई झण्डा लहराता हुआ देखना बरदाश्त नहीं कर सकता। तुम प्रजामण्डलकी अपनी हलचलें बन्द कर दो, नहीं तो मैं ऐसा दमन-चक्र चलाऊँगा कि तुम्हारी आनेवाली पीढ़ियाँ भी उसे नहीं भूलेंगी। अपने प्यारे प्रजाजनोमें से कुछको जब मैं दूसरी तरफ जाते हुए देखता हूँ तो मुझे मार्मिक वेदना होती है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मण्डलको छोड़कर सब तरहका आन्दोलन बन्द कर दो, या फिर याद रखो कि मैं एक फौजी आदमी हूँ; मैं खरी बात कहता हूँ और सीधी मार करता हूँ।”

यह हो सकता है कि मेरा पत्र महाराजा साहबके पासतक पहुँचा ही न हो, और अगर पहुँचा होता तो वे, पत्र भेजनेवालों ने मुझे जो बातें लिखी हैं, उनका अवश्य खण्डन करते। उनका कोई खण्डन मुझे मिला तो मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक प्रकाशित करूँगा। लेकिन मुझे यह जरूर कह देना चाहिए कि मुझे जिन्होंने पत्र भेजा है वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

अगर हम यह मान ले कि उक्त पत्रमें जैसा कहा गया है वैसी बातें महाराजा साहबने कही हैं, तो ऐसी धमकी देना किसी भी राजाके लिए, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, एक बहुत गम्भीर बात है। उनके प्रति पर्याप्त आदर-भाव रखते हुए, मैं कहना चाहूँगा कि सारे हिन्दुस्तानके लोगोंमें आज इतनी जागृति आ गई है कि धमकियाँ या उनके मुताबिक कार्रवाई करने से भी उन्हें दबाया नहीं जा सकता। निरंकुश स्वेच्छाचारके दिन अब हमेशाके लिए लुप्त गये। प्रजाकी उभरती हुई भावनाको भीषण आतंकसे कुछ समयके लिए दबा देना तो शायद सम्भव है, लेकिन उसे हमेशाके लिए नहीं दबाया जा सकता, इस बातका मुझे पूरा यकीन है।

राजाओको खत्म कर देने की मेरे मनमें कोई इच्छा नहीं है। मित्रोंने मुझसे यह शिकायत जरूर की है कि प० जवाहरलाल नेहरूने एक बार ऐसा कहा है, यद्यपि कांग्रेसने ऐसी नीतिका प्रतिपादन नहीं किया है। उनसे इस बारेमें पूछने का मौका तो मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर हम यह मान ले कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, तो उसका यही अर्थ हो सकता है कि कुछ राजा खुद ही अपने सर्वनाशकी तैयारी कर रहे हैं। समाचारपत्रोंके आधारपर जवाहरलालके बारेमें कोई निर्णय करना ठीक नहीं है। उनकी निश्चित राय तो अ० भा० देशी राज्य प्रजामण्डलकी स्थायी समितिकी ओरसे दिये गये उनके वक्तव्यसे जानी जा सकती है। उसमें तो उन्होंने लोगोंको ऐसी चेतावनी तक दी है कि वे जल्दबाजीमें कोई काम न करें। उन-

जैसे निष्ठावान् कांग्रेसी कांग्रेसकी प्रत्यक्ष नीतिसे आगे जाकर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। इसलिए कुछ नरेशोंको कांग्रेससे जो भय और नफरत है वह ठीक नहीं है और उससे उन्हें मदद मिलने के बजाय हानि ही होगी। कांग्रेस रियासतोंके मामलोंमें सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। लेकिन कांग्रेस रियासतोंकी प्रजाका पथ-प्रदर्शन जरूर करती है। वे लोग कांग्रेस संगठनका अंग हैं। कांग्रेससे अपने सम्बन्धके कारण वे शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैं नहीं जानता कि इस जीवन्त और अटूट सम्बन्धको कैसे रोका जा सकता है। इसको खत्म करने की इच्छा करना तो बच्चोंसे अपने माता-पिताको छोड़ देने के लिए कहना है। यह बात अच्छी-दूरी जैसी भी हो, पर इसे मान लेना ही ठीक है कि जिस तरह ब्रिटिश भारतके लोगोंका विराट् समुदाय अपने कष्ट-निवारणके लिए सरकारकी वनिस्वत कांग्रेस पर ही ज्यादा भरोसा करता है, उसी तरह रियासतोंके लोग भी अपने छुटकारेके लिए कांग्रेसका मुँह जोहते हैं। जब वे लोग यह कहते हैं कि वे अपने-अपने राजाओंकी छत्रछायामें ही अपना विकास पूरा करना चाहते हैं तो ऐसा वे कांग्रेसकी सलाह और प्रेरणासे ही कहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पटियालाके महाराजा साहब तथा उन-जैसे विचार रखनेवाले अन्य नरेश अपने विचारोंको बदलेंगे और अपनी प्रजाके उस आन्दोलनका स्वागत करेंगे जो वह अपना पूरा विकास करने की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए चला रही है, तथा अपने राज्योंके सुधारकोको अपना दुश्मन नहीं समझेंगे। अपनी प्रजाकी माँगोंको निबटाने में वे अगर कांग्रेससे मदद ले, तो अच्छा होगा। लेकिन अगर कांग्रेसकी मित्रतामें उनका अविश्वास हो तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यदि वे पर्याप्त सुधारों द्वारा अपनी प्रजाके प्रगतिशील भागको सन्तुष्ट कर ले तो इतना ही काफी होगा।

पत्र-लेखकने अपने पत्रमें वचन-भंग किये जाने की जो बात लिखी है वह मेरे विचारसे महाराजाकी कथित धमकीसे भी दूरी चीज है। जहाँतक मैं देख सकता हूँ, इस बातमें तो कोई सन्देह ही नहीं है कि १९८८ की हिदायतको वापस लेने का वादा किया गया था; इसी तरह यह बात भी निस्सन्देह सच है कि वह वादा तोड़ दिया गया है। एक शक्तिशाली और धनवान राजाके लिए वचनको भंग करना बहुत खतरनाक बात है। वचन-भंग भी अपने कर्जको अदा करने से इन्कार करने की वनिस्वत कुछ कम दिवालियापन नहीं है। मैं महाराजा साहबसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने वादेको पूरा करें और आशा करता हूँ कि उनके सलाहकार उन्हें ऐसा ही करने की सलाह देंगे।

सेगाँव, २६ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १६-९-१९३९

१४८. तार : श्रीप्रकाशको

सेर्गाव

२६ अगस्त, १९३९

[सुनकर] प्रसन्न हुआ। तुम्हारे अनुरूप है। तुम्हारे पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

अंग्रेजीकी नकलसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१४९. पत्र : मुल्कराजको

सेर्गाव, वर्धा

२६ अगस्त, १९३९

प्रिय लाला मुल्कराज,

पजाब नेशनल [बैंक]के बारेमें मुझे श्री मुकर्जीका तार मिला था। चूँकि नागपुर बैंकके बारेमें कागजात मैंने आपको भेज दिये हैं इसलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया है। अब रुपया अन्धत्र जमा कराने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे निर्देशोंके अनुसार सब कर दिया होगा।^१

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१५०. टिप्पणियाँ

बम्बई नगरनिगम और हरिजन

बम्बई नगरनिगमकी १७ तथा १८ अगस्तकी बैठकोंमें क्रमशः निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये

यह कि नगरनिगमके मजदूर कर्मचारियों और विशेषकर स्वास्थ्य-विभागके मेहतर और नाली-विभागके भंगियों आदिके लिए सड़कोंकी सफाई करने के बाद नहाने-धोने की कोई सुविधा नहीं है उसकी ओर निगम आयुक्त का

१. श्रीप्रकाशने काग्रेससे अपना श्यामपत्र वापस ले लिया था; देखिये "तार : जवाहरलाल नेहरू को", पृ० १०७ भी।

२. देखिये पृ० १०७।

ध्यान खींचा जाये और उनसे आग्रह किया जाये कि वे एक रिपोर्ट तैयार करके यह बतायें कि क्या इन लोगोंके कार्यस्थलके निकट ऐसे स्नानगृह बनवाना वांछनीय नहीं है जहाँ वे दिन-भरका काम खत्म करने के बाद नहा-धोकर स्वच्छ तथा ताजा होकर घर लौट सकें।

आयुक्तका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी खींचा जाये कि नगरनिगम मेहतरों तथा इसी तरहके काम करनेवाले अन्य मजदूर कर्मचारियोंके कपड़े, उन्हें जैसा काम करना पड़ता है उसके कारण, बेहद गन्दे हो जाते हैं और काम खत्म होने के बाद भी वही कपड़े पहने रहने से वे बहुत गन्दे दिखाई देते हैं और उनका उन्हीं कपड़ोंको पहने रहना स्वास्थ्यके लिए भी हानिकर है। आयुक्त महोदयसे अनुरोध किया जाये कि इन परिस्थितियोंको देखते हुए क्या यह उचित नहीं होगा कि इन कर्मचारियोंको विशेष पोशाक दी जाये, जिसे वे कामपर लगने से पहले पहन सकें और काम समाप्त होते ही उतार दें; इस सम्बन्धमें वे एक रिपोर्ट तैयार करें।

ये प्रस्ताव तो बहुत समय पहले ही पास किये जाने चाहिए थे। प्रस्तावोंमें जिन दो मुद्दों की चर्चा की गई है, वे नगरनिगमके कर्मचारियों तथा नागरिकों, दोनोंके लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बम्बई-जैसे विशाल नगरकी सफाई अधिकांशतः सफाई कर्मचारियोंकी कुशलतापर निर्भर है। तथापि, यदि देखा जाये तो सारे हिन्दुस्तानमें इन लोगोंका सबसे कम ध्यान रखा जाता है। और ये अत्यन्त आवश्यक प्रस्ताव भी बम्बई नगरनिगममें कांग्रेसका बहुमत होने पर ही पास किये जा सके। हम सब आशा करे कि आयुक्त अविलम्ब अनुकूल रिपोर्ट तैयार करके देंगे। सिद्धान्ततः इन सुधारोंका कोई विरोध हो ही नहीं सकता। एतराज तो, जहाँतक मैं समझता हूँ, आर्थिक दृष्टिसे ही हो सकता है। लेकिन नगरकी सफाई आदि मामलोंके सम्बन्धमें आर्थिक दृष्टिसे विरोध कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखता। इसलिए यदि हम यह मान लेते हैं कि आयुक्त अपनी रिपोर्ट अविलम्ब तैयार करेगे और वह अनुकूल होगी, तथापि इससे पहले कि उसमें सुझाये गये सुधारोंको कार्यरूपमें परिणत किया जाये, उन्हें एक और दौरसे गुजरना होगा और वह यह है कि इसके लिए निगमके सदस्योंकी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रस्तावोंको पेश करनेवाले तथा अनुमोदन करनेवाले लोग तबतक चैनसे नहीं बैठेंगे जबतक कि मेहतरों, भंगियों तथा अन्य मजदूर कर्मचारियोंको स्नानागार और काम करनेकी पोशाक की सुविधाएँ नहीं मिल जाती।

सेर्गाँव, २७ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९-९-१९३९

१५१. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको^१

सेर्गाव,

[२७ अगस्त, १९३९]^१

गत २४ अगस्तको लन्दनसे एक बहनने यह तार दिया :

कृपा करके कुछ कीजिए। दुनिया आपकी रहनुमाईकी राह देख रही है। लन्दनसे एक दूसरी बहनका यह तार आज मुझे मिला है :

मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपको पशुबलके बजाय विवेकमें जो अचल श्रद्धा है उसे शासकों और सब लोगोंके सामने अविलम्ब प्रकट करने की बातपर गौर करें।

मैं उस आसन्न विश्व-संकटके बारेमें कुछ कहने से हिचकिचा रहा था, जिसका कुछ राष्ट्रोंके ही नहीं बल्कि सारी मानव-जातिके हितपर असर पड़ेगा। मेरा यह विचार रहा है कि मेरे शब्दोंका उन लोगोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनपर लड़ाईका छिड़ना या शान्तिका कायम रहना निर्भर करता है। मैं जानता हूँ कि पश्चिमके बहुत-से लोग समझते हैं कि मेरे कहने का लोगोंपर अवश्य प्रभाव होता है। काश, मैं भी ऐसा ही समझता! चूँकि मैं ऐसा नहीं समझता, इसलिए मैं चुपचाप ईश्वरसे प्रार्थना करता रहा हूँ कि वह हमें युद्धके सकटसे बचाये। लेकिन यह धोपणा करने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं मालूम होती कि मेरा विवेकमें विश्वास है, और विवेक अहिंसाका ही दूसरा नाम है। अन्यायको मिटानेके लिए या झगड़ोंके निपटारेके लिए युद्धका तरीका अपनानेके बजाय विवेकपूर्ण साधनोंके उपयोगमें ही मेरा विश्वास है। मैं अपने विश्वासपर सबसे अधिक जोर यही कहकर दे सकता हूँ कि यदि मेरे अपने देशको हिंसाके द्वारा स्वतन्त्रता मिलना सम्भव हो तो भी मैं स्वयं उसे हिंसासे प्राप्त नहीं करूँगा। तलवारसे जो मिलता है वह तलवारसे लिया भी जाता है, इस सुभाषितमें मेरा अचल विश्वास है। क्या ही अच्छा हो यदि हर हिटलर संयुक्तराज्यके राष्ट्रपतिकी अपीलको सुनें और अपने दावेकी जाँच मध्यस्थोंको करने दें जिनके चुनावमें उनकी उतनी ही आवाज होगी जितनी उन लोगोंकी जो उनके दावेको ठीक नहीं समझते।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २-९-१९३९

१. यह "टिप्पणियों" के अन्तर्गत "भावी संकट" उप-शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। यह वक्तव्य २९-८-१९३९ के हिन्दू में भी प्रकाशित हुआ था।

२. देखिए अगला शीर्षक। तथापि साधन-सूत्रमें "२८ अगस्त" है।

१५२. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

सेर्गाव, वर्षा
२७ अगस्त, १९३९

प्रिय चार्ली,

तुम्हारी बीमारीसे मैं चिन्तित हूँ। मैं सोचता हूँ कि बीमारीका यह सबसे ताजा हमला परमात्माकी ओरसे चेतावनी है कि तुम्हें दक्षिण आफ्रिकाकी यात्राका विचार बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस विषयपर चिन्ता करते रहने से तुम्हारा स्वास्थ्य सुघरनेमें देर लगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम भारतमें ही रहो, अलबत्ता जब जरूरी हो तब स्वास्थ्यकी खातिर इंग्लैंड चले जाओ।

औरोथी हाँग और अब एगथाने मुझे तार' भेजे हैं, जिनमें उन्होंने मुझसे विश्वकी स्थितिपर दो शब्द कहने का अनुरोध किया है। उसके सम्बन्धमें मैं समाचारपत्रोंमें जो-कुछ भेज रहा हूँ, उसकी एक प्रति इस पत्रके साथ है। जेसुदासनको उनके पत्रके लिए धन्यवाद दे देना। मैं अलगसे उन्हें कुछ नहीं लिख रहा हूँ।

स्नेह।

मोहन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२९९) से।

१५३. एक पत्र

सेर्गाव, वर्षा
२७ अगस्त, १९३९

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। आपने जल्दबाजीमें निर्णय किया है। हालाँकि 'नागपुर टाइम्स' मन्त्रिमण्डलका ही मुखपत्र है लेकिन उसमें जो प्रकाशित होता है उसका सम्बन्ध आप मन्त्रियोंके साथ कैसे जोड़ सकती है? जो लोग लोकसेवा करते हैं उन्हें उचित-अनुचित दोनों प्रकारकी आलोचनाको सहन करना पड़ता है। आपने मुझे जो लिख भेजा है उसमें से अधिकांश तो महज व्यंग्य है।

१. देखिय पिछला शीर्षक।

२. गांधीजी ने यह पत्र सम्भवतः मध्य प्रान्त विधान-सभाकी उपाध्यक्ष अतस्याबाई काल्केको लिखा था।

मैं नहीं जानता कि श्री भूलाभाई देसाईने क्या अनुचित व्यवहार किया है। मुझे मालूम हुआ था कि धिकायत करनेवाले दलके अगुओंने भूलाभाईकी नियुक्तिका स्वागत किया था। लेकिन आपको मुझसे उन मामलोंमें दिलचस्पी लेने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो कार्य-समितिके कार्यक्षेत्रमें आते हैं।

मुझे डॉ० सोनकके वारेंमें कुछ मालूम नहीं है और आप निश्चय ही मुझसे यह उम्मीद नहीं करेगी कि मैं एक ऐसे मामलेकी तहकीकात करूँ जो आखिरकार एक निजी मामला है। मैं यदि ऐसे कार्यको हाथमें लेने लगूँ तो मैं किसी सार्वजनिक कामका नहीं रह जाऊँगा। मुझमें जो थोड़ी ताकत बची है उसका उपयोग मुझे उन कार्योंमें करना चाहिए जो मेरे जीवनका अंग बन गये हैं। मैं कांग्रेससे जान-बूझकर अलग हुआ हूँ, क्योंकि मैं अन्य बातोंके अलावा प्रशासन-सम्बन्धी बातोंसे बचना चाहता था। आपने जिन तीन बातोंका जिक्र किया है वे सब प्रशासनसे सम्बन्ध रखती हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ६९०२) से।

१५४. पत्र : इन्दु एन० पारेखको

सेगाँव, वर्धा

२७ अगस्त, १९३९

चि० इन्दु,

तेरी मूर्खताकी भी कोई हद है? यदि मेरी माने तो इस जंजालसे बिल्कुल निकल जा और किसी छोटे-से सेवा-कार्यमें लग जा। इसीमें तेरा उद्धार है। भाई अपनी चिन्ता आप कर लेगे। जो कमी है उसके वारेंमें बापासाहबसे कह देना। सरदारको तो अवश्य बताना। मेरी तो यही इच्छा है कि तू इस जंजालसे जल्द मुक्त हो जाये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२५७) से।

१. द इण्डियन एजुकल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० २१५-१६ के अनुसार मध्य प्रान्तके स्थानीय स्वशासन मन्त्री डी० पी० मिश्रके विरुद्ध विधान-सभाके कुछ सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपोंकी जाँच करनेके लिए कार्य-समितिके भूलाभाईकी नियुक्ति की थी। जाँच शुरू हुए अभी दो ही दिन हुए थे कि शिक्षापन करनेवालों के प्रतिनिधियों, टी० जे० केदार तथा अन्य लोगोंने, "इस कारण जाँचसे अलग रहनेकी माँग की कि (१) भूलाभाई देसाई उन्हें जाँचके लिए कुछ ऐसे कागजात नहीं दे रहे हैं जिन्हें वे जस्ट्री समझते हैं और (२) उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेटस ऐक्ट की दुहाई देते हुए उन्हें कुछ सरकारी कागजात सामने नहीं रखने दिये। ... भूलाभाई देसाईने ... उनकी शिकायतोंको निराधार बनाते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे जाँचमें अपना सहयोग जारी रखें। ... तथापि उन लोगोंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। ... जिसपर जाँच स्थगित कर दी गई।"

१५५. पत्र : विजयावहन एम० पंचोलीको

सेगांव, वर्षा
२७ अगस्त, १९३९

चि० विजया,

रागीके नम्बन्धमें तू जैना कहती है वीना कहेगा, हालांकि वह चांदीकी है। गलेपर मिट्टीकी पट्टी रखने पर भी तू राजकुमारीकी तरह मुंहने नाप ले सकती है। गानेमें फ्लोका रम ही लेना। लेकिन यह भव तू अकेली ही नहीं कर सकती। वैद्यमें यदि हिम्मत हो तो यह जैना कहे वीना करना। अन्यथा भास्करके' कहने के मुताबिक करना। गुस्सा करने के कारण वान गिचवाने के लिए तू जितनी जल्दी आ नके उतनी जल्दी आना। लेकिन जबतक यहाँ रहना तेरा कर्तव्य हो तबतक मुझे और कुछ नहीं कहना।

वापूके आगीवादि

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७११४) में। मी० डब्ल्यू० ४६०६ में भी;
सौजन्य : विजयावहन एम० पंचोली

१५६. तमिलनाडुमें खादी

तमिलनाडुमें खादी-कार्यकी ३० जूनतक की अर्धवार्षिक रिपोर्टके कुछ अंग इन अंकमें अन्यत्र प्रकाशित किये जा रहे हैं। आशा है, पाठकगण उन्हें दिलचस्पीके साथ पढ़ेंगे। इन विवरणके बाद ही अखिल भारतीय चरखा संघकी तमिलनाडु-शाखाके अध्यक्षनायी मन्त्री श्री गेयामुत्तुका एक व्यक्तिगत पत्र भी मुझे मिला है। पत्रके कुछ अंग अत्यन्त शिक्षाप्रद होने के कारण नीचे किये जा रहे हैं :

कस्तिनोंके लिए जीवन-यापन योग्य निम्नतम वेतनके निर्णयका जो पहला प्रयास किया गया था, उसे आज तीन साल बीत गये हैं। इस मासकी पहली तारीखसे इस दिशामें दूसरा कदम भी उठाया जा चुका है। कस्तिनोंकी आमदनीमें निश्चित रूपसे वृद्धि हुई है, हालांकि यह उतनी नहीं है जितनी कि हम चाहते हैं। कस्तिनोंकी धुनने और कातने की कुशलता बढ़ाने के लिए

१. डॉ० भास्कर पटेल

बहुत प्रयास किये जा चुके हैं। मशीनकी धुनी हुई रुईका उपयोग छोड़ दिया गया है और सारी कताई कपाससे हो रही है। सुधरे हुए औजार बाँटे गये हैं। धुगों पुराने गाँवके चरखेमें एक नया पुर्जा लगाकर नवजीवन दिया गया है। इस कदमके फलस्वरूप जो परिवर्तन हुए हैं उनपर विचार करने का, उन्हें समझने-परखने का अब समय आ गया है।

आपने हमेशा खादीको ग्रामीणोंकी घरेलू अर्थ-व्यवस्थाके अंग-रूपमें ही देखा है। हमारे पूर्वजोंने हमें यह छोटा-सा चरखा और तकुआ आनेवाली सारी पीढ़ियोंके लिए विरासतमें दिया था। इसके पीछे उनकी भावना यही थी कि प्रत्येक परिवारको अपनी जरूरत-भरका सूत कातना चाहिए। उन्होंने खादी-उत्पादनके लिए केवल सहज उपभोक्ता अर्थात् उत्पादक और उसके परिवारको और बहुत हुआ तो गाँवको ध्यानमें रखा था। शायद गाँवका बूनकर कुछ कपड़ा हाटमें ले जाता रहा होगा। किन्तु दूरके उपभोक्ताओंकी आवश्यकताको पूरा करने के लिए चरखेका पैसा कमाने की दृष्टिसे उपयोग करने का उन्हें खयाल ही नहीं आया होगा।

१९३५ में कत्तिनोंकी मजदूरी बढ़ाने की दिशामें जो पहला प्रयास किया गया उससे पहलेतक संघको कत्तिनोंके हितकी अपेक्षा खरीदारोंका ही अधिक खयाल था। संघका उद्देश्य हमेशा खादीके मूल्यमें कमी करना रहा है जिससे कि अधिकसे-अधिक लोग खादी खरीद सकें। इसने लोगोंको इस क्षेत्रमें प्रवेश करके उपभोक्ताओंसे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करने से रोका। बहुत थोड़े लोग खादीका व्यवसाय करने को उत्सुक थे और जिन थोड़े-से लोगोंने इसमें कदम रखा उन्हें जब इसमें विशेष लाभ नहीं दिखाई दिया तब वे भी पीछे हट गये।

१९३५ तक आम तौरपर कत्तिनों कताईके पारिश्रमिकके रूपमें औसतन केवल चार आने प्रति पौंड ही कमा पाती थीं। और जो कत्तिन साधारण स्तरके सूतसे कुछ बढ़िया सूत कातती थीं उन्हें जरा ज्यादा पैसे मिल जाते थे; ज्यादा-से-ज्यादा एक पौंडके छह आने मिलते थे। उन दिनों यदि किसी कत्तिनपर १ पैसा भी जरमाना लग जाता था तो उसे इतना महसूस होता था कि उसकी आँखें भर आती थीं। इसी प्रकार जब उसे आशासे अधिक पैसे-दो पैसे भी मिल जाते तो उसके चेहरेपर मुस्कान बिखर जाती थी। एक पैसा कम या ज्यादा मिलना भी उसके लिए बहुत महत्त्व रखता था, क्योंकि एक पैसा भी इतना ज्यादा लगता था।

१९३६ में कत्तिनके माँगे बिना ही कातने की मजदूरी इतनी बढ़ा दी गई जिसकी उसे सपनेमें भी आशा नहीं थी। जहाँ १९३५ में कताईकी सामान्य मजदूरी प्रति पौंड चार आने थी, १९३८ में यह बढ़ाकर सवा बारह

आने कर दी गई, अर्थात् उसकी मजदूरीमें दो सौ प्रतिशतकी वृद्धि हुई। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होना चाहिए था कि वह और अच्छा, ज्यादा बढा हुआ और इकसार सूत कातती, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। उसके जीवन-स्तरको सुधारने के हमारे प्रयासकी उसपर इतनी ही प्रतिक्रिया हुई कि उसे अस्पष्ट रूपसे यह प्रतीत होता है कि उसे उसकी मजदूरीकी तुलनामें कहीं अधिक — बहुत अधिक पैसे दिये जाते हैं। यहाँतक कि घटिया सूत कातने पर जब उसपर जुरमाना लगाया जाता है तो उसका भी उसे कोई दुःख नहीं होता। हम केवल उसी सूतकी पूरी मजदूरी देते हैं जो हमारी कड़ी कसौटीपर खरा उतरता है। किन्तु कत्तिनको केवल दस आने प्रति पौंडकी मजदूरी मिलने पर किसी प्रकारका घाटा महसूस नहीं होता, उसको केवल आठ आने पाकर भी दुःख नहीं होता। यदि केवल छह आने मिलें तब भी उसे परवाह नहीं, क्योंकि तब भी उसे अपने श्रमके उसके अन्दाजसे ५० प्रतिशत अधिक मिलता है और उसे उस भावपर खरीदनेवाला कोई-न-कोई ग्राहक भी हमेशा मिल जाता है। वह ग्राहक चरखा संघ की तरह सूतकी कड़ी जाँच नहीं करता और वह उसी भावपर सूत खरीदकर खुश रहता है। ये अप्रमाणित व्यापारी संघकी दरके मुकाबले पचास प्रतिशत मजदूरी देते हैं और इस सूतसे बुने कपड़ेको हमारे निर्धारित सामान्य भावके ७५ या ८० प्रतिशत भावपर बेच देते हैं। १९३६ से हम ग्राहकोंकी अपेक्षा कत्तिनोंमें अधिक दिलचस्पी लेने लगे हैं। हमारा ध्येय ग्राहकोंसे ज्यादासे-ज्यादा दाम लेकर कत्तिनोंको मजदूरीकी तरह देना रहा है। और अप्रमाणित व्यापारी (जिनकी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है) को तो कत्तिनों और ग्राहकों दोनोंका शोषण करने की खुली छूट मिल गई है। फल यह हुआ है कि कताईका पारिश्रमिक बढ़ाने के बावजूद और वह भी कत्तिनोंके बिना माँगे ही — हम उसी अनुपातमें किस्ममें सुधार नहीं दिखा सके हैं।

कताईकी दर बढ़ने के परिणामस्वरूप ज्यादातर स्त्रियोंने कताईके लिए अपने नाम दर्ज कराये हैं। १९३५ तक कताईकी दर इतनी आकर्षक नहीं थी कि स्त्रियाँ पूरे दिन चरखा लेकर बैठी रहें। लेकिन दर बढ़ जाने के कारण कताई उनके पूरे दिनके धन्वेके रूपमें लाभदायक जँच रही है। १९३६ में हमने ६ लाख रुपयेकी खादी तैयार की; १९३८ में यह बढ़कर १६ लाख रुपयेकी हो गई। हमारे पास जितनी पूंजी है उससे सारा कता हुआ सूत खरीद सकना हमारे लिए संभव नहीं है और न खादीकी बिक्री ही उस अनुपातमें बढ़ी है। कितनी ही कत्तिनोंका सूत हमें वापस कर देना पड़ता है, जिसे वे स्वभावतः अप्रमाणित व्यापारियोंके हाथों, वे जो भी दाम तय कर देते हैं, उसीपर बेच देती हैं; फलतः वे हमसे सस्ती खादी बेच सकते हैं।

१९३६ से हमारा हमेशा यही विचार रहा है कि उत्पादकोको ही सबसे बड़ा उपभोक्ता होना चाहिए और उनकी आवश्यकताके दाव जो बचे केवल वही बेचा जाना चाहिए। इस लक्ष्यको ध्यानमें रखते हुए कस्तिनोंसे कहा गया है कि वे अपने कते सूतका एक भाग अपने उपयोगके लिए हमारे पास जमा कर दें और बाकीके सूतको हम खरीद लेते हैं। १९३६ में इस तरह जमा किया हुआ सूत पूरे उत्पादनका १३ प्रतिशत था और १९३८ में बढ़कर यह ३१ प्रतिशत हो गया। यदि अप्रमाणित खादी-व्यापारीकी ओरसे गड़बड़की आशंका न हो तो इसे किसी भी सीमातक बढ़ाया जा सकता है। शायद इस मामलेमें उसकी गतिविधियाँ सबसे ज्यादा खराब हैं। हमारे द्वारा वितरित यह कपड़ा सस्ता खरीदकर दूसरी जगह मुनाफा उठाकर बेचने में भी वह नहीं हिचकिचाता। इस मामलेमें तो वह हमें मिलका कपड़ा बेचनेवालों से भी अधिक नुकसान पहुँचाता है।

इन सबका इलाज शायद यही है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाये कि जिस स्थानमें जितनी खादीकी खपत हो उतनी खादी उसी स्थानपर तैयार की जाये और उसकी विक्री भी वहीं हो। खादीको व्यापारकी वस्तु न बनाया जाये, अर्थात् ऐसा नहीं होना चाहिए कि खादीका उत्पादन गाँवोंमें और विक्री सुदूर नगरोंमें हो। क्योंकि इस समय कस्तिनों यह समझती है कि वे अपनी तथा अपने परिवारकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए नहीं काततीं, बल्कि सूतको किसी अज्ञात स्थानपर ले जाकर बेचने के लिए काततीं हैं। इसी कारण वे समझ नहीं पातीं और न समझना चाहती हैं कि उन्हें किस प्रकारका सूत कातना चाहिए। हमें जिस अंकाके सूतकी जरूरत होती है उस तरहका सूत हम नहीं कतवा सकते। यदि हमें केवल बेचने के लिए खादी तैयार करनी है तो हमें उपभोक्ताओंकी आवश्यकताओंकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। जरूरत क्या है और कितनी, और किस कोटिकी खादी तैयार करनी चाहिए, इन सब बातोंका ध्यान भी हमें रखना होगा। मिल-जैसे संगठित उद्योगमें उत्पादनको ऐसा रूप देना सम्भव है जिससे केवल वही चीज तैयार की जाये जिसकी माँग हो। वहाँ सारी कताई सीमित स्थानपर होती है, मशीनोंके त्कुए निश्चित गतिसे चलनेवाले और जैसा चाहिए वंसा सूत कातनेवाले निर्जीव पुर्जे होते हैं। लेकिन खादीपर यह बात लागू नहीं होती। कस्तिन और उसके त्कुए दोनों अलग-अलग वस्तुएँ हैं। कस्तिनके जीवन और विचारधारापर हमारा वश नहीं। किन्तु यदि उसे केवल उसकी निजी प्रत्यक्ष आवश्यकताओंके अनुरूप सूत कातने को प्रेरित किया जाये तो उसकी जरूरत क्या है, उसे किस प्रकारका और कितना सूत चाहिए, वह इन सब बातोंको अच्छी तरह समझ लेगी। यदि उसकी आवश्यकता पूरी

होने के बाद सूत बच जाता है तो कोई केन्द्रीय संस्था उसे इकट्ठा करके बेच सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राम-पंचायतको यह अधिकार दे दिया जाये कि वह गाँवमें जो फालतू सूत तैयार होता है उसे अपने पास इकट्ठा कर ले और उसे ऐसी कीमतपर बेचे जिससे कस्तिनोंको अपने प्रति धंटेके कामके लिए मानक मजदूरी मिल सके।

२७ जूनको तिरुपुरमें खादी-सेवकोंका सम्मेलन हुआ था। इसमें श्री शंकरलाल वैकरने भाषण दिया था। इस सम्मेलनमें फताईकी दर और बढ़ाये जाने का सवाल भी उठाया गया था। सम्मेलनमें उपस्थित ९३ कार्यकर्ताओंमें से केवल दो कार्यकर्ता ही इसके पक्षमें थे। बाकी सब इसके विरुद्ध थे—इस कारण नहीं कि वे कस्तिनोंको अधिक मेहनताना नहीं देना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता है। मेहनताना बढ़ाने से उत्पादनकी किस्ममें कोई सुधार नहीं होता है; इतना ही नहीं बल्कि इसके कारण अप्रमाणित विक्रेताओंको कर्तियों और ग्राहकों, दोनोंसे नाजायज फायदा उठाने का और भी मौका मिल जाता है। अप्रमाणित व्यापारिके कपट-भरे कार्योंपर अंकुश न रख पाने के कारण हम अपने-आपको असहाय महसूस करते हैं। श्री शंकरलालजी के सामने हम अपनी स्थिति अच्छी तरहसे स्पष्ट नहीं कर सके। और इस पत्रमें भी हम खुलासा कर सके हैं या नहीं, इसका भी हमें पूरा विश्वास नहीं है। हमारा तो आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारे दृष्टिकोणसे इस समस्यापर विचार करें और हमारी कठिनाइयोंको पहचानें।

शायद इसका एकमात्र उपाय यही है कि सरकार हस्तक्षेप करे और कस्तिनोंको जो संरक्षण दिया जाना चाहिए, वह संरक्षण दे। वह चाहे या न चाहे, उनकी रक्षा की ही जानी चाहिए। यह भी किया जा सकता है कि हाथ-फते सूतकी दर कानून बनाकर निश्चित कर दी जाये और उससे कम भावपर सूत खरीदना अपराध माना जाये। ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है कि जिस समय कस्तिनको अपने कपड़ोंके लिए सूतकी जरूरत हो उस समय यदि कोई व्यक्ति उससे सूत खरीदता है तो वह जुर्म करता है। ग्राम-पंचायत या उसकी ओरसे अखिल भारतीय घरखा संघको फालतू सूत जमा करके निश्चित दरोंपर बेचने का अधिकार दिया जा सकता है। आज जबकि अनेक प्रान्तोंमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल है इसलिए वहाँ ऐसा संरक्षक कानून बनाना कुछ असम्भव नहीं। हमारी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप इस विषयपर विचार करें और मन्त्रिमण्डलोंको उचित कानून बनाने की सलाह दें।

ये मन्त्री महोदय बहुत अधीर उत्साही व्यक्ति हैं। किसी भी बड़े उद्यममें उत्साह और अधीरता कुछ सीमातक उचित होती है। मैं आजतक जितने भी उद्यमोंकी

कल्पना कर पाया हूँ, खादी उन सबसे बड़ा उद्यम है, क्योंकि इसमें हैसियत और धर्मके भेदभावके बिना करोड़ों मनुष्योंका हित एक साथ सन्निहित है। यही कारण है कि जितने भी अधीर उत्साही लोग इसमें आते हैं उन सबको खपा लेने की यह क्षमता रखता है, बशर्ते कि वे ईमानदार, निर्दोष, किसी भी तरहके प्रलोभनमें न आनेवाले और निःस्वार्थ लोग हों। और इन अधीर उत्साही लोगोंको याद रखना चाहिए कि अन्ततः शान्ति, वैयं और अनथक शोधकी ही विजय होती है।

और अब मैं श्री ऐयामुत्तुने जिन कठिनाइयोंका जिज्ञ किया है, उनपर आता हूँ।

१ अप्रमाणित व्यापारी एक अभिशाप है, अपनी वहनोंके — कत्तिनें उनकी वहनें ही है — शत्रु है; वे प्रगतिके और अन्ततः स्वयं अपने ही शत्रु है। किन्तु उनकी हानिकारक गतिविधियोंके निराकरणका सबसे बढ़िया एक ही तरीका है और वह यह है कि कत्तिनें जितना सूत कातती हैं वह सारा सूत खरीद लिया जाना चाहिए। यह तो विशुद्ध अकगणितकी बात है। ऊँची दर निर्धारित करने का अधिकार श्री ऐयामुत्तुको ही है। वे चुनिन्दा कत्तिनोको आठ आने प्रतिदिन भी दे सकते हैं। ये उनके प्रयोग-कार्यके लिए उपयोगी हैं। उनकी संख्यापर वे अकुश रखें। यदि अन्य कत्तिनें सूत बेचने को तैयार हों तो उनका सारा सूत वे बढ़ी दरकी अपेक्षा कम दरपर खरीद लें। इस प्रकार जहाँतक सूतका प्रश्न है, वे अप्रमाणित व्यापारी-रूपी कंटकको सहज ही निकाल बाहर करेंगे। मैं जानता हूँ कि यदि प्रयोगकर्ता अपने प्रत्येक कार्यमें कत्तिनोका और प्रत्येक कत्तिनोको वह जो आदर्श मेहनताना प्रदान करने को आतुर है, उसका निरन्तर विचार नहीं करता तो यह एक खतरनाक प्रयोग है। यदि वह इस शर्तका पालन करता है और प्रत्येक कत्तिनोको अपने नियन्त्रणमें रखकर अप्रमाणित व्यापारी-रूपी कंटकको निकाल फेंकता है तो वह कत्तिनोको अपने कामका अच्छा पारिश्रमिक प्राप्त करने की कलामें पारंगत कर देगा। अन्तमें वह भी समझ जायेगी कि उसे किसके साथ व्यवहार रखना चाहिए और तब वह सीखने लायक बातें सहर्ष सीखेगी। फिर तो कत्तिनोके निजी उपयोगकी खादीका चोरी-छुपा व्यापार अपने-आप बन्द हो जायेगा।

२ मैं इस प्रस्तावका पूर्णतया समर्थन करता हूँ कि खादीका इस हदतक विकेन्द्रीकरण किया जाये कि प्रत्येक गाँव अपनी जरूरतकी कपास स्वयं उगाये और कपडा भी तैयार करे। यदि फालतू बचे तो जहाँ उसकी माँग हो वहाँ बेची जाये अर्थात् शहरोंमें या उन स्थानोंपर बेची जाये जहाँ कपास पैदा नहीं की जाती और जहाँ निकटतम खादी-केन्द्रसे सस्ते दामोंपर खादी खरीदी जा सकती हो। इस आदर्शको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब चरखा संघकी प्रत्येक शाखा एक गाँव चुनकर वहाँ यह प्रयोग करे, जिसके लिए अच्छेसे-अच्छे विशेषज्ञकी जरूरत होगी। मैं जिन आदर्शोंको मनमें सँजोये सेगाँवमें आ बसा था, उन आदर्शोंमें यह भी एक था, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं इससे आज भी उतना ही दूर महसूस करता हूँ जितना कि तीन साल पहले यहाँ आने के समय था। प्रगतिकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों है, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। किन्तु यह तथ्य कार्य-

कर्त्ताओंको सचेत करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काफी है। उन्हें यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि उनके गाँवमें जाते ही चमत्कार होने लगेंगे और उन्हें यह सोचकर प्रोत्साहित होना चाहिए कि यदि गाँवमें तीन साल रहने के बाद भी मैं बहुत थोड़ा या नहींके बराबर परिणाम दिखा पाया तो यदि वे उचित प्रयासके बावजूद परिणाम न दिखा सकें तो उन्हें उसके लिए निराश अथवा लज्जित नहीं होना चाहिए।

३. खादी-सेवक यदि कांग्रेसी सरकारसे चमत्कार कर दिखानेकी आशा रखेंगे तो उससे उनमें आलस्य आयेगा।

अप्रामाणिक लोग तो किसी भी कानूनसे नाजायज फायदा उठानेका रास्ता ढूँढ ही निकालेंगे। कांग्रेसी सरकारोकी भी अपनी सीमाएँ हैं। साथ ही कानून बनाने से कुछ मदद अवश्य मिल सकती है। कानून बनाये जाने से जिस दिशामें लाभ हो सकता है वह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यदि अप्रमाणित व्यापारी खादी वेचे तो इसके लिए उन्हें सजा दी जानी चाहिए। टाटा कम्पनीके उत्पादनको सरकारी अनुदान द्वारा जैसा सरक्षण प्रदान किया गया था, वैसा ही खादीको भी दिया जा सकता है और यह धनराशि मिलके कपडेकी विक्रीपर कर लगाकर उगाही जा सकती है। अप्रमाणित व्यापारियोंसे जो जुरमाना वसूल किया जाये उसमें से अनिवार्य खर्च निकालने के बाद शेष धनराशि अखिल भारतीय चरखा संघको दी जा सकती है।

४ विक्रीका सवाल निस्सन्देह एक समस्या है। पिछले एक लेखमें मैं इसपर चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन इसमें तो सन्देह नहीं कि प्रत्येक कांग्रेसीको अपना सारा कपड़ा खादी-भण्डारोसे ही खरीदना चाहिए। इस प्रश्नपर उचित ढंगसे काम करते हुए कांग्रेसी और गैरकांग्रेसी सरकारें खादीकी सहायता कर सकेंगी और कमसे-कम खर्चमें बेरोजगारोको रोजी दे सकेंगी और इस तरह स्वयं अपनी सहायता भी कर सकेंगी।

सेर्गाव, २८ अगस्त, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, २-९-१९३९

१५७. टिप्पणियाँ

क्या इससे सबक लेंगे ?

हृदयनाथ वैजल आगराके मेडिकल कॉलेजका विद्यार्थी था। जब-कभी मैं लम्बे समयके बाद बड़े-बड़े स्टेजनोंसे गुजरता हूँ, तो मुझे हमेशा अनियन्त्रित प्रदर्शनोका सामना करना पड़ता है। अभी हालमें जब मैं सीमा-प्रान्त गया उस समय—पता नहीं क्यों—और ज्यादा अनियन्त्रित प्रदर्शन किये गये और वहाँसे लौटते समय तो और भी ज्यादा अनियन्त्रित ढगसे। इसी तरहका एक प्रदर्शन २७ जुलाईको आगरेमें हुआ। शोरगुल और नारोकी आवाजको, चाहे वे कितने ही प्रेम-भरे क्यों न हो, मेरे कान बरदास्त नहीं कर सकते। कानोंमें रईकी डाटें लगाने से भी कुछ नहीं होता। आवाज न सुनाई दे, इसके लिए मुझे अपनी उँगलियोसे जितने जोरसे हो सकता है कान बन्द करने पड़ते हैं। लोग अपने जोणमें इतने पागल हो जाते हैं कि मेरी और मेरे साथियोकी करुण प्रार्थनाओंकी ओर वे जरा भी ध्यान नहीं देते। इसमें उनका दोष नहीं। वे नहीं जानते कि उनसे क्या कहा जा रहा है। और वे यह नहीं समझ सकते कि जिन व्यक्तियोंके सम्मानमें प्रदर्शन किये जाते हैं वे उनपर नाराज क्यों होते हैं। वे दिन और रातमें कोई फर्क नहीं करते। आगरेका यह प्रदर्शन रातको हुआ था, मेरे खयालमें ९ वजेके बाद। हृदयनाथ इन्ही प्रदर्शनकारियोमें था। वह मुझ तक पहुँचकर मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए ट्रेनपर चढ़ गया। मगर मेरे डिब्बेके पास आने से पहले ही उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। गाड़ी चल पड़ी और वह नीचे आ गया और उसे दोनो टाँगोसे हाथ धोना पड़ा।

एक सज्जन लिखते हैं कि रेलके अधिकारी भीड़को काबूमें रखनेका इन्तजाम कर सकते थे, या उन्हें ऐसा करना चाहिए था, गाड़ीको फौरन रोक देना चाहिए था। साथ ही, जो प्रारम्भिक उपचार किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। चाहे जो हो, हृदयनाथको चोट तो आई ही। इस दुर्घटनाके बाद दयालु पत्र-लेखक मुझे बराबर खबर देते रहे हैं। हृदयनाथके पिताने भी मुझे लिखा। इस तरह मैं उस नवयुवकको एक-दो उत्साहप्रद शब्द लिख सका, और उसके पिता तथा मित्रोको जितना हो सका उतनी तसल्ली भी दे सका। दुर्भाग्यवश, अच्छेसे-अच्छा इलाज होने पर भी, २२ तारीखको उसका शरीरांत हो गया। मैं हृदयनाथके पिता तथा मित्रोके प्रति समवेदना प्रकट करता हूँ। इन पत्रियोको लिखनेके पीछे मेरा उद्देश्य उन प्रदर्शनोंके विरुद्ध चेतावनी देना है जिनमें कोई व्यवस्था नहीं होती। अगर प्रदर्शनोंके बिना काम नहीं चल सकता, और मेरा खयाल है कि नहीं ही चलेगा, तो या तो खुद प्रदर्शनकारी या फिर पुलिसको उनपर नियन्त्रण रखना चाहिए। गत कुछ महीनोंके अन्दर यह

१५९. पत्र : जगलाल चौधरीको

सेगांव, बर्धा
२८ अगस्त, १९३९

प्रिय जगलाल,

कृपलानीको लिखे तुम्हारे पत्रकी प्रतिलिपि मुझे मिली। तीन सालकी मियाद है। यदि मन्त्री एक सालमें नशाबन्दी कर सकते हैं तो उनसे ऐसा करने की आशा की जाती है। इसके विपरीत, यदि बड़े प्रयत्नोंके बावजूद वे नियत समयमें कार्यक्रम पूरा नहीं कर सके, तो उन्हें दोष नहीं दिया जायेगा। तीन सालकी गिनती कांग्रेसके प्रस्तावकी तारीखसे की जानी चाहिए। लेकिन निश्चय ही अध्यक्षका निर्णय तुम्हारा असली पथ-प्रदर्शक होना चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,

माननीय जगलाल चौधरी
मन्त्री
पटना

अंग्रेजीकी तकलसे · प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

१६०. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

२९ अगस्त, १९३९

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

आपके २६ तारीखके पत्रके^१ लिए धन्यवाद। आपकी तरह मेरी भी यही कामना है कि ससार युद्धकी विभीषिकासे बच जाये। लेकिन यदि ऐसा न हुआ और आपको मेरा क्षमला आना जरूरी जान पड़ा तो मैं अवश्य आऊँगा।

मैं हूँ,

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे : लॉर्ड लिनलिथगो पेपर्स; सौजन्य · राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. विहार मन्त्रिमण्डलमें आबकारी मन्त्री

२. जिसमें अन्य बातोंके अलावा यह कहा गया था : “... हालाँकि मुझे ऐसा मानने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता कि युद्ध अवश्यम्भावी है तथापि आप इस बातसे अवश्य सहमत होंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत अमंगलसूचक है और यदि युद्ध आरम्भ हो जाता है तो मेरे मनमें आपसे

१६१. पत्र : ए० गुप्तको

सेर्गाई, बर्वा
२९ अगस्त, १९३९

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं इस बातमें आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि दूसरों पर बदनीयतीका आरोप लगानेका दोष सबमें देखा जाता है। आप मेरा वक्तव्य^१ द्वारा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह सामान्य किस्मका है। मैंने आजके अखबारमें अभी पढ़ा है कि पटनामें सुभाष बाबूके विरोधमें काले झंडोंका प्रदर्शन हुआ। मुझे यह जानकर दुःख हुआ।

हृदयसे आपका,

श्री ए० गुप्त
बंगाली एसोसिएशन
दीनापुर, बिहार

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेन्जाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेन्जाल

१६२. पत्र : प्रेमावहन कंटकको

सेर्गाई, बर्वा
२९ अगस्त, १९३९

बि० प्रेमा,

तेरा पत्र आज ही मिला। राखी तो अमतुस्सलामने बांधी और अब मैं तुझे यह पत्र लिख रहा हूँ।

पहले तो तेरे प्रश्न : १२५ रुपये तू देवको^१ क्यों नहीं दे देती? पुस्तकके^२ लिए यदि कोई कुछ देता है तो उसे लेने में अड़चन नहीं होनी चाहिए। और जो-कुछ मिले वह सब अथवा उसमें से जितना सम्भव हो उतना देवको दे दे।

खुर्न आकर मुझसे मिलनेका अनुरोध करनेका विचार रहा है। . . . यदि तमी पक्ष विक्रेतुदिते काम नहीं छेते और बुद्ध भइक उठना है तो अगर मैं आपको . . . आकर मुझसे मिलनेका . . . तार दूँ तो आशा है कि आप उसे गलन नहीं समझेंगे।”

१. देखिय पृ० १२५-२७।

२. शंकरराव देव

३. प्रेमावहन द्वारा लिखित उपन्यास काम अने कामिनी

देवकी इस बातसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि उसका खर्च महाराष्ट्रको ही उठाना चाहिए और यदि महाराष्ट्र उसका खर्च नहीं उठाता तो समझना चाहिए कि महाराष्ट्रको उसकी सेवाकी जरूरत नहीं है।

पटवर्धन^१ जब चाहे तब मेरे साथ आकर रह सकता है। यहाँ भीड़ तो हमेशा रहती ही है।

तू जब सम्भव हो तब आ जा। तेरे सम्बन्धमें भीड़-भाड़का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ आयेगी तो समझ ले कि अच्छी हां जायेगी। हाँ, इस बातकी सम्भावना जरूर है कि इस बीच मुझे कही जाना पड़े। तो क्या हुआ? और यदि जाना भी पड़ा तो उसके वारेमें तुझे तुरन्त मालूम हो जायेगा।

केलकरको^२ जीतने के मने जितने प्रयत्न किये हैं सो मेरा मन ही जानता है और वे जानते हैं। उन्हें कार्य-समितियों लेनेवाला व्यक्ति भी मैं ही हूँ। उसका उद्देश्य एक ही था कि उन्हें लोकमान्यका वारिस समझा जाता है। मैं जहाँतक अपने-आपको उनके अनुकूल बना सकता था और उन्हें जीत सकता था वहाँतक मैंने वैसा करना अपना धर्म समझा। अब भी समझता हूँ। लोकमान्यके साथ मतभेद होने के बावजूद मैं अपने-आपको उनका भक्त मानता हूँ। उनकी विद्वत्ता, देगभक्ति और वहादुरीके प्रति मेरे मनमें अत्यन्त आदर-भाव था।

स्वामी सत्यदेवने जो कुछ कहा है उसमें सत्यका लेगमात्र नहीं है। मेरे मुँहसे ऐसे शब्द निकल ही नहीं सकते। यदि मेरे मुँहसे ऐसे शब्द निकलें तो मेरे सत्य और अहिंसाको लजायेंगे।

मैं यह अवश्य मानता हूँ कि देगहितके लिए वे असत्य और हिंसाका आश्रय भी ले सकते हैं। उन्होंने स्वयं मेरे आगे इस बातको स्वीकार किया है। इसको लेकर तो हममें कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ है। उन्होंने 'शठ प्रति शाठ्यम्' के मिद्धान्तका प्रतिपादन किया और उसके विपरीत मैंने कहा कि मैं तो 'शठ प्रत्यपि सत्यम्' में विश्वास करता हूँ।^३ क्या तुझे यह मालूम नहीं है?

मुझे लगता है कि मैंने तेरे सारे प्रश्नोंके उत्तर दे दिये हैं।

तेरे पत्रकी मैं वाट जोह रहा था। तूने अपनी प्रवृत्तियोंके वारेमें जो लिखा है उसपर मुझे कोई टीका नहीं करनी है। तू जो भी करे सो मुझसे पूछकर करे, ऐसा मैं नहीं मानता। भूल हो जाये, तो भी क्या हुआ? मुझे इस बातका विश्वास है कि तू आश्रमके ब्रतोंको ध्यानमें रखकर ही जो करना उचित हो सो करती है और करेगी।

हाँ, राजेन बाबूने तेरे वारेमें पूछा था।^४ मैंने कहा कि तू निश्चय ही जिम्मेदारी उठाने लायक है और यदि तू जिम्मेदारी लेगी तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा।

१. पी० एच० पटवर्धन

२. एन० सी० केलकर

३. देखिए खण्ड १५।

४. राजेन्द्र बाबूने, रामगढ़, बिहारमें महिला स्वयंसेवकोंका संगठन करने के लिए प्रेमावहनको भेजने के वारेमें पूछा था; देखिए अगला शीर्षक भी।

मैंने उनसे कहा कि इससे आपका बोझ हलका हो जायेगा, लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए मैं तुझपर दबाव नहीं डालूंगा। उसके लिए तो आपको देवसे माँग करनी चाहिए क्योंकि तू उनके अधीन काम करती है। अब बस न ?

सुशीलाका पत्र इसके साथ है। धोती^१ मिलने पर उसका इस्तेमाल कहेगा, नले ही वह कैसी भी हो।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०४०१) से। सी० डब्ल्यू० ६८४० से भी;
सौजन्य : प्रेमावहन कंटक

१६३. पत्र : प्रभावतीको

सेगांव, वर्षा

२९ अगस्त, १९३९

चि० प्रभा,

तेरा पत्र मिला। मैं कनुसे कहे देता हूँ कि वह तुझे ५० रुपये भेज दे। राजेन वाबूके साथ बात हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रभावती बीमार है, इसलिए उन्होंने आग्रह नहीं किया। अन्य नामोंपर विचार करने के बाद प्रेमाको चुना गया है। यह निश्चय किया गया है कि तुझसे जितनी हो सकेगी उतनी प्रेमाकी मदद करेगी। प्रेमाका आज पत्र मिला है। उसमें उमने लिखा है कि वह अक्तूबरमें वहाँ^१ आयेगी। कान्ति^१ मैसूरमें पढ़ता है। मुझे पत्र नहीं लिखता। सरस्वती^१ भी नहीं लिखती। वह गर्भवती है, उसे पाँच-एक महीने पूरे हो गये हैं। अब तो वह अपने पिताके घर गई होगी। वह मैसूरमें मेडिकल कॉलेजमें पढ़ता है। मेरे विचारसे तो उनका खासा पतन हो गया है। ईश्वर उसका भला करे। सुमीला दिल्लीमें है। १५ सितम्बरतक रहेगी। फिलहाल तो यही व्यवस्था है। उसका पता है :

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। अमतुस्सलाम और राजकुमारी यहीं है। कृष्णदास^१ और मनोज्ञा^१ फिलहाल यहाँ रहने के लिए आये हैं। कृष्णदास बीमार है। मैं ठीक हूँ, वा भी अच्छी है। आश्रम लोगोंसे भर गया है। अमतुस्सलाम एक मुसलमान लड़कीको भी लाई है।

१. प्रेमावहन कंटकने गांधीजीको हर साल और विशेष रूपसे उनके जन्मदिवसपर हाथकपी शो धोनियाँ भेजनेका निश्चय किया था। उन्होंने पहली बार १९३९में धोतियाँ भेजी थीं और अपना यह निश्चय अन्ततक निभाया।

२. देखिय पिछला शीर्षक भी।

३ और ४. हरिलाल गांधीके ज्येष्ठ पुत्र, और उनकी पत्नी

५ और ६. छगनलाल गांधीके छोटे पुत्र, और उनकी पत्नी

अपने स्वास्थ्यका बराबर ध्यान रखना। अपने पाठका नमूना भेजना। अभी जो पढ़ाई चल रही है उसे जारी रखना। तेरे दिमागपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५३१)से।

१६४. पत्र : विजयाबहन एम० पंचोलीको

सेगांव, वर्धा

२९ अगस्त, १९३९

चि० विजया,

तू मुझे नियमपूर्वक पत्र नहीं लिखती, यह बात ठीक नहीं है। अन्तत तूने क्या निश्चय किया है? बल्लभरामको बुलाने का मन नहीं होता क्या? मैंने तो उन्हें लिखा है कि यदि उनमें हिम्मत हो तो वे खुद ही बराड जाकर देख आयें। मुझे पटनाका मोह नहीं है, लेकिन अगर पिताजी को अथवा तुझे हो, तो वहाँ जाना तेरा कर्त्तव्य हो जाता है। उम्मीद है, तू [पिताजीको लेकर] घरवा नहीं उठी होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७११५)से। सी० डब्ल्यू० ४६०७ से भी, सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली

१६५. सन्देश : पोलैडवासियोंको

[३० अगस्त, १९३९ के पूर्व]^१

पोलैडके उन सब लोगोंको मैं अपनी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद भेजता हूँ जो विश्वास करते हैं कि मानवताके सुखद भविष्यका आधार केवल सत्य और प्रेम ही हो सकता है और जो अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर उन आदमियोंकी रक्षाकी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३१-८-१९३९

१. देखिए "पत्र : विजयाबहन एम० पंचोलीको", पृ० १९२ भी।

२. पत्रके लन्दन-स्थित सम्वाददाताने ३० अगस्तको समाचार दिया था कि यह सन्देश "वासिसे प्रकाशित यीओडोमोस्की लिटैराकीके आज रालके अंकमें प्रकाशित होगा। देखिए "नार : देडरे-वस्कीको", पृ० १८१-८२ भी।

१६६. पत्र : ए० वैद्यनाथ अय्यरको

सेगाँव, वर्धा

३० अगस्त, १९३९

प्रिय वैद्यनाथ अय्यर,

एक अलग लिफाफेमें मैं तुम्हें श्री प्रसादरावसे प्राप्त कागजात भेज रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम उनके आरोपोंका जवाब मुझे लिखो। वे एक पुराने और अनुभवी सहयोगी कार्यकर्ता प्रतीत होते हैं। यदि उनके आरोप झूठे हैं तो उन्हें समझा सकना क्यों कठिन है? यदि वे सच्चे हैं तो पूरे मामलेमें कहीं कुछ गलती हुई है। क्या ब्राह्मणों और रुढिवादी अग्राह्मणोंने मन्दिरका बहिष्कार कर दिया है?'

तुम्हारा,

अग्नेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

१६७. पत्र : वी० एम० प्रसादरावको

सेगाँव, वर्धा

३० अगस्त, १९३९

प्रिय मित्र,

आपने जो ढेर सारे कागजात मुझे भेजे हैं, उन सबको मैंने सावधानीसे पढ़ लिया है। जिन लोगोंके खिलाफ आपने गम्भीर आरोप लगाये हैं, उनका क्या कहना है यह जाने बगैर तो आप मुझसे अपनी राय व्यक्त करने की आशा नहीं ही रखेंगे। इसलिए पहले तो मैं ये कागजात श्री वैद्यनाथ अय्यरके पास भेज रहा हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप उन सबके सहयोगी कार्यकर्ता रहे हैं जिनके विरुद्ध आपको शिकायत है। इसलिए मेरा कहना है, यह आपका कर्तव्य है कि आप उनका दृष्टिकोण भी समझें और साथ-साथ सेवा करने का आधार खोज लें। आप अब भी यह रास्ता अपना सकते हैं।

जहाँतक राव बहादुरकी बात है, मैंने उन्हीं लोगोंसे पूछा जिनसे पूछने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था, और उन लोगोंने उनकी बातोंका विलकुल साफ खंडन कर

१. यहाँ संकेत मदुराके मीनाक्षी मन्दिरकी ओर है जो ८ जुलाईको हरिजनोंके लिए खोल दिया गया था।

२. देखिए पिछला शीपंक।

दिया। मैंने तो उन्ही की बात मान ली और फिर इसीलिए उन्होंने जिन लोगोंसे पूछने को कहा था, उनकी बातका विश्वास कर लिया।

हृदयसे आपका,

श्री बी० एम० प्रसादराव
वेस्ट आवणि मूल स्ट्रीट
मदुरा

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य प्यारेलाल

१६८. पत्र : वालजी गो० देसाईको

सेगांव, वर्धा
३० अगस्त, १९३९

चि० वालजी,

यदि खुराक तुम्हें भारी जान पड़े तो उसे अवश्य कम कर देना। ऐसे मामलेमें डॉक्टरका विरोध नहीं करना चाहिए। रोगीको उतना ही खाना खाना चाहिए जितना पच सके। कभी-कभी केवल फल और दूध लेकर देखो। चित्रेकी बातमें वजन है। तबीयत विगड़ने मत देना। जिस व्यक्तिको पथरी हो उसे वह निकलवा लेनी चाहिए, यह सबसे सरल उपाय है। चित्रेके भोजनका खर्च यदि सैनिटोरियम उठाये तो इसमें मैं कोई दोष नहीं देखता। यदि सैनिटोरियम यह खर्च नहीं उठाता और तुम आसानीसे यह खर्च उठा सको तो भले उठाओ, लेकिन कष्ट सहकर नहीं। चित्रेको मैं अलगसे नहीं लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

प्रोफेसर बी० देसाई
सैनिटोरियम
डाकखाना बाणीविलास मोहल्ला
मैसूर

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४८६)से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई

१६९. टिप्पणियाँ

ग्राम-शिक्षा बनाम शहरी शिक्षा

एक शिक्षाशास्त्री लिखते हैं :

अगर आपने ध्यान न दिया, तो आप यह पायेंगे कि शहरोंमें बुनियादी शिक्षा एक ऐसा रूप धारण कर लेगी जो देहाती क्षेत्रोंसे भिन्न होगा। उदाहरणके तौरपर, अंग्रेजी पाठ्यक्रममें दाखिल कर दी जायेगी, जो मातृभाषाके लिए एक घातक बात होगी, और शहरके लोगोंमें गाँववालों के मुकाबले अपनेको ऊँचा मानने की भावना आ जायेगी।

मुझे यह स्वीकार करना ही चाहिए कि मैंने अपनी योजनाकी परिकल्पना ग्रामवासियोंको सामने रखकर की थी, और जब मैं उसे पल्लवित कर रहा था तब मैंने यह जरूर कहा था कि शहरोंमें इस योजनाको लागू करने में कुछ रद्दोबदल करना जरूरी होगा। यहाँ तात्पर्य उन उद्योगोंसे था जिन्हें शिक्षाके माध्यमके रूपमें उपयोग करना होगा। मैंने कभी यह सोचा भी न था कि प्राथमिक शिक्षामें अंग्रेजी स्थान पा सकती है और बुनियादी शिक्षाकी इस योजनाका सम्बन्ध अभी केवल प्राथमिक स्तरसे है। निस्सन्देह प्राथमिक शिक्षा वगैर अंग्रेजीके मैट्रिक्युलेशनके बराबर कर दी गई है। बच्चोपर अंग्रेजी लादने का अर्थ है उनके प्राकृतिक विकासको कुठित कर देना और दायद उनकी मौलिकताको नष्ट कर डालना। किसी भाषाको सीखने का अर्थ मुख्य रूपसे स्मरण-शक्तिका विकास करना है। शुरूसे ही अंग्रेजी सिखाना बच्चोपर अनावश्यक बोझ डालना है। मातृभाषाकी कीमत देकर ही वह उसे सीख सकता है। शहरी तथा देहाती दोनों ही जगहोंके बच्चोके लिए मैं यह जरूरी मानता हूँ कि उनके विकासकी बुनियाद मातृभाषाकी मजबूत चट्टानपर रखी जाये। यह बात अभागे हिन्दुस्तानमें ही देखने में आती है कि ऐसी स्पष्ट बातको भी सिद्ध करना पड़ता है।

सेर्गाव, ३१ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९-९-१९३९

१७०. लीम्बडी

हालांकि लीम्बडीके लोगीमे मेरा लम्बा पत्र-व्यवहार चलता रहा है, तथापि उन्हें जो कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं उनके बारेमें कुछ लिखने की बातको मैं काफी असंभे टालता चला आ रहा हूँ। मैं इस आशासे चुप बैठा हुआ था कि राजा और प्रजाके बीच जो लोग मुलह कराने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन मेरी आशा झूठी सिद्ध हुई। लीम्बडीके सघर्षके बाद इधर बहुत-कुछ हुआ है। लीम्बडीमें निर्ममताकी नीति जिम मुस्तैदी और हठके साथ अमलमें लाई गई है, वैसा शायद ही कहीं हुआ हो। मेरे पास जो खबरें आई हैं अगर उनपर विश्वास किया जाये— और विश्वास न करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है— तो किसानोको उनके घरोंसे खदेड़-खदेड़कर निकाला गया है। सबसे सख्त चोट तो उस अभागे बनियेपर पड़ी है, जो किमी समय राज्यका मित्र, कृपापात्र और प्रधान समर्थक था। पर उसे कुचलना आवश्यक था, क्योंकि उसने उत्तरदायी शासनके बारेमें सोचने और बात करने की धृष्टता की थी, किसानोके बीच जाने और उनसे यह कहने का साहस किया था कि उनके क्या अधिकार हैं और उन्हें वे किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। उन व्यापारियोकी, जो हिजरत कर गये हैं, दुकानो और घरोंको एक तरहसे लूट लिया गया है। मैं इसके लिए किसी और शब्दका प्रयोग नहीं कर सकता। जहाँतक मैं जानता हूँ, इस मामलेमें कानूनी जाचेतक का पालन नहीं किया गया। वहाँ तो अत्याचारकी नीति चलानेवाले शासककी इच्छा ही सर्वोपरि कानून है। इसमें उनका विचार लोगोको आतक दिखाकर काबूमें करने का है। इसमें आश्चर्य नहीं कि कुछ लोगोकी हिम्मत पस्त भी हो गई है। मैं आन्दोलनके सचालकोको यह सलाह दूँगा कि वे उन्हें आत्म-समर्पण करने से रोकने का प्रयत्न न करें। वेशक, उन्हें यह बताना चाहिए कि समर्पणके बाद उन्हें क्या-क्या भोगना पड सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वाभिमानकी अपेक्षा जायदादकी ज्यादा कद्र करते हैं। ऐसे आदमी स्वतन्त्रताके आन्दोलनके लिए भाररूप ही हो सकते हैं। स्वतन्त्रता तो आत्म-बलिदाने करनेवाले ऐसे चन्द बहादुर लोग ही हासिल करते हैं जो आत्म-सम्मानकी खातिर अपना गर्वस्व कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो लोग बलिदानकी कीमत और जरूरत समझते हैं— फिर चाहे वे मूट्ठी-भर हो या बहुत— उन्हें तो इससे खुश ही होना चाहिए कि लीम्बडीमें उनकी जो जायदाद थी वह उनसे छीन ली गई है। उन्हें न तो दुविद्यामें रहना चाहिए, और न यही आशा रखनी चाहिए कि जल्दी कोई समझौता हो जायेगा। उन्हें राज्यके बाहर शुभ प्रवृत्तियोमें लगे रहना चाहिए और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा जरूर आयेगा जब लीम्बडीकी प्रजा अपना प्राप्य अवश्य प्राप्त करेगी। जब वह दिन आयेगा,

और जरूर आयेगा, तब वह उन लोगोंकी कुर्बानी और बहादुरीके कारण आयेगा जिन्होंने कठोरतम दमनके आगे झुकने से इन्कार कर दिया होगा। थोरोके इन अमर शब्दोंको वे याद रखें—अत्याचारी राज्यमें संपत्तिका होना पाप और दक्षिणता पुण्य है।

यह सब तो मेरे पास जो विश्वसनीय प्रमाण आये हैं, उनके आधार पर है। पर क्या लीम्बडीको एक अत्याचारी राज्य बनना चाहिए? मेरे सामने जो बातें कही गई हैं यदि उनमें अतिशयोक्ति है, तो राज्यके अधिकारियोंको मेरे पास उसका प्रतिवाद भेज देना चाहिए। मैं उसे सहर्ष प्रकाशित कर दूंगा। जो आरोप लगाये गये हैं उनकी सचाईमें अगर सन्देह हो, तो यह और भी बेहतर होगा कि उनकी निष्पक्ष अदालती जाँच कराई जाये। मैं लीम्बडीके ठाकुर साहबसे सार्वजनिक अपील करना चाहता हूँ। भुझे उन्हें जानने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुका हूँ। उनके विषयमें यह खयाल है कि वे एक धर्मिष्ठ और ईश्वर-भीरु पुरुष हैं। यह ठीक नहीं है कि उनके और उनकी प्रजाके बीच ऐसा अलगाव पैदा हो। उनकी प्रजामें कुछ तो ऐसे जाने-भाने लोग हैं जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, और जिनका लीम्बडी राज्यमें काफी कुछ दावों पर है। उन सबको यों ही असन्तुष्ट समझना ठीक नहीं। उन्हें कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। राज्यके विरुद्ध खड़े होकर उन्हें कोई सांसारिक लाभ नहीं उठाना है। उन्होंने अपने देशसे निष्कासित होकर काफी आर्थिक हानि उठाई है। ऐसी प्रजाके असन्तोषका सामना करने से पहले बुद्धिमान राजा एक बार नहीं पचास बार सोचेगा। उससे वह यह निष्कर्ष निकालेगा कि राज्य-प्रबन्धमें अवश्य कहीं अव्यवस्था है और अधिकारी लोग अत्यायी हैं। वह असन्तुष्ट प्रजा-जनको बुलायेगा, उनकी शिकायतोंको सुनेगा, और उन्हें आश्वासन करेगा। ठाकुर साहबने यह रास्ता नहीं अपनाया है। अब भी यदि वे ऐसा करें तो बहुत देर हुई नहीं कही जायेगी।

सेगाँव, ३१ अगस्त, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९-९-१९३९

१७१. तार : घनश्यामदास विड़लाको

३१ अगस्त, १९३९

घनश्यामदास
लकी
कलकत्ता

मेरी यह पत्रकी सलाह है कि जबतक परिणामका ठीक पता नहीं चल जाता तबतक व्यापारी वर्गको^१ चुप रहना चाहिए।

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७८३३) से; मौजिन्य : घनश्यामदास विड़ला

१७२. तार : मुल्कराजको^२

३१ अगस्त, १९३९

यदि स्थानान्तरणके लिए न्यासियोकी अनुमति जरूरी है तो नागपुर बैंकके विषयमें मेरी और जमनालालजी की रायवाला स्मरण-पत्र प्रचारित करे।

अंग्रेजीकी नकलमें प्यारेलाल पेपर्स; मौजिन्य : प्यारेलाल

१. महादेव देसाईके नाम लिखे अपने २६ अगस्तके पत्रमें घनश्यामदास विड़लाने लिखा था: “ मैं इसके साथ एक घोषणा-पत्र नत्थी कर रहा हूँ। युद्ध शुरू होने की स्थितिमें यह घोषणा-पत्र विभिन्न व्यापारियोंके हस्ताक्षरोंसे जारी किया जा सकता है। मैं इस मामलेके बारेमें कन्व ही, आवश्यक हो तो तार द्वारा, बापूकी राय जानना चाहूँगा। यह घोषणा-पत्र हमारे अपने स्वतन्त्र विचारोंको अभिव्यक्त करना है और हमारा अपना विचार यह है कि हमारा यह दृष्टिकोण कांग्रेसके दृष्टिकोणके प्रतिकूल नहीं है। तथापि यदि बापूका इस सम्बन्धमें भिन्न मन हो, तो हम इस मामलेको आगे नहीं बढ़ायेंगे। . . . ” घनश्यामदास विड़लाने ३० अगस्तको महादेव देसाईको भेजे अपने तारमें भी उपर्युक्त बात कही थी।

२. यह मुल्कराजको अट्टनफौर द्वारा लिखे गये इसी तारीखके एक पत्र से उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार था: “ गांधीजीके आदेशानुसार मैं आपके २७ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार कर रही हूँ। वे नादते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि आपके द्वारा उठाये गये सारे मुद्दोंपर ठीक तरहसे विचार किया गया था। ” देखिए पृ० १०८ और १३९ भी।

१७३. पत्र : वी० ए० सुन्दरम्को

सेर्गाव, वर्वा
३१ अगस्त, १९३९

प्रिय सुन्दरम्,

यह तो एक बड़ी बात है कि सर राधाकृष्णन् उप-कुलपति बन गये हैं।^१ मुझे आगा है कि तुम सब मालवीयजीसे^२ आराम करने के लिए बाग्रह करोगे। तुम दोनोंको प्यार।

वापू

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१८५) से।

१७४. पत्र : पत्तम ताणु पिल्लैको

सेर्गाव, वर्वा
३१ अगस्त, १९३९

प्रिय ताणु पिल्लै,

कितना अच्छा होता यदि तुम मुझे और समय देते, लेकिन शायद तुम दे नहीं सकते थे।

मुझे दीवानका उत्तर अच्छा नहीं लगा। मेरा खयाल है कि तुम्हें अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए कि रियासत कांग्रेस कोई काम गुप्त रूपसे न करे। इसलिए यद्यपि वह अपने निर्णय आप लेगी और रियासतमें बाहरसे कोई व्यक्ति नहीं लायेगी तथापि जब आवश्यक होगा तब वह त्रावणकोरसे वाहरके व्यक्तियोंका मार्गदर्शन और सलाह लेगी। तुम यह भी स्पष्ट कर देना कि पारस्परिक विचार-विमर्शके बाद जो भी योजना बनाई जायेगी उसपर कांग्रेस ईमानदारीके साथ अमल करेगी तथापि उस योजनाको कार्यान्वित करने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम योजनाके द्वारा भी उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशामें प्रगति करें।

यदि किसी भी रूपमें ये दोनों बातें अनिर्णीत रह जाती हैं तो तुम्हें चाहिए कि वात्ता भंग कर दो और ऐसे रचनात्मक कार्यमें लग जाओ जो संभव हो।

१. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके

२. मदनमोहन मालवीयने स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण २९ अगस्तको उप-कुलपतिके पदसे इस्तीफा दे दिया था।

तुम्हें अपनी बानबीत और लोगोंमें कट्टु तथा आडम्बरपूर्ण भाषाका बिलकुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तुम्हें हमेशा उपर्युक्त दोनों बातोंको दोहराते रहना चाहिए। ये दोनों बातें हमेशा-हमेशाके लिए नहीं मानना।

तुम्हें कौन्सिके बारेमें नीचना बन्द कर देना चाहिए। उनका जेलमें होना ही उनका बेजोड़ योगदान है, बशर्त कि वे यह महसूस करें कि जेलमें आदर्श कैदी होना सघर्षका एक अंग है।

मैं आशा करता हूँ कि आगामी सम्मेलन सफल होगा और जो लोग कथन-कुलममें इकट्ठे होंगे वे इन बातोंको अधिकाधिक महसूस करेंगे कि आत्म-नियन्त्रण तथा आडम्बरको छोड़कर चुपचाप निरन्तर रचनात्मक कार्य करना, फिर चाहे वह कार्य कितना ही तुच्छ क्यों न प्रतीत हो, कितना ज्यादा प्रभावकारी होता है।^१

तुम्हारा,
बापू

अग्नेजीकी फोटो-नकल (मी० डब्ल्यू० १०२०१) से; सौजन्य : केरल सरकार।
पत्तम तानु पिल्लै पेपर्स से भी; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१७५. पत्र : मनुबहन सु० मशरूवालाको

सेर्गवि आश्रम, यर्घा
३१ अगस्त, १९३९

वि० मनुडी,

तेरे प्रसवका समय निकट आता जा रहा है। तू प्रसवके लिए कहाँ जानेवाली है? राजकोटके बारेमें तेरा क्या विचार है? मुझे बराबर लिखती रहना। तेरी तबीयत अच्छी रहती है क्या? तू क्या खाती है?

बा यहाँ बैठी है और तुम सबको आशीर्वाद भेजती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (मी० डब्ल्यू० २६७१) से; सौजन्य मनुबहन सु० मशरूवाला

१७६. पत्र : पुरुषोत्तमदास अ० पाटडियाको

सेर्गाव आश्रम, वर्धा
३१ अगस्त, १९३९

भाई पुरुषोत्तमदास,

आपका पत्र मिला था। मैंने आपको जो तार भेजा था वह मिला होगा। सरदारने भी कुछ बन्दोबस्त किया है। उम्मीद है, आवश्यक घास मिल गई होगी। अब तो कदाचित् ही जल्द पड़ेगी।

मो० क० गांधीके वदेमातरम्

डॉ० पुरुषोत्तमदास अमरकी पाटडिया
बढवाण कैम्प
काठियावाड़

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० २६८७) से; सौजन्य : डॉ० पु० अ० पाटडिया

१७७. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

सेर्गाव आश्रम, वर्धा
३१ अगस्त, १९३९

बापा,

तुम्हारे लिखने से पहले ही मुझे तुम्हारी कारगुजारियोंकी कहानी सुनने को मिल जाती है। दूसरोकी हालत चाहे जो हो हमें तो कांग्रेसके राज्यसे लाभ ही हुआ है। हरिजनोका काम ठीक तरहसे हुआ माना जा सकता है। यदि वे लोग चाहें तो बहुत-अधिक कर सकते हैं। बर्वेका पत्र शान्तिलालने भेजा था। 'हरिजन'में लिखने की वजाय अधिक तेजीके साथ काम हो सके इस विचारसे मैं 'खेरके' साथ काम कर रहा हूँ। बर्वे ७ तारीखको मिलेंगे। क्या तुम थोड़ा आराम नहीं करोगे?

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११८४) से।

१. बम्बईके मुख्य मन्त्री, वी० जी० खेर

१७८. पत्र : जयसुखलाल गांधीको

सेगाँव, वधा

१ सितम्बर, १९३९

चि० जयसुखलाल,

तुम्हारा तार मिला। कमुम्बा तो मुक्त हो गई। यदि वह जीवित रहती तो हमेशा घीमार ही रहती। यह तो डॉक्टरोंके कठोर प्रयत्नका ही फल था कि उसकी जिन्दगीके कुछ दिन बढ़ गये। उसे तुमसे जो लेना था, वह लेकर चलती बनी। कोई भी रुठकी न रोये।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३)से।

१७९. अशोभनीय प्रदर्शन

मुभाप वापूके पटना जाने पर उनके खिलाफ काले झण्डोका जो प्रदर्शन हुआ, उनका हाल भवमे पहले मुझे वाँकीपुरके बगाली सधके मन्त्रीके' एक शिष्टतापूर्ण पत्रमे मिला था। इसके बाद मैंने अखबारोमे भी यह खबर पढ़ी। ठीक-ठीक क्या हुआ था, यह निश्चित रूपमे मालूम करने के लिए मैंने श्री प्रियरजन दासको सही-सही और आद्यापान्त विवरण भेजने के लिए तार दिया। धनवादसे उनका जवाब मिला कि चूँकि वे वहाँ उपस्थित नहीं थे इसलिए इस सम्बन्धमे कुछ नहीं जानते। अखबारोमे यह जरूर निकला है कि वहाँ पत्थर और जूते फेंके गये, जिससे स्वामी महजानन्द और दूसरोको चोटें आईं।

हो मरता है कि इसमे थोड़ी अतिशयोक्ति भी हो, मगर इसमें सन्देह की गुमाइय बहुत कम मालूम पडती है कि वहाँ ऐसा विरोधी प्रदर्शन हुआ जरूर जो अशोभनीय था और जिससे कांग्रेसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी।

इस दुःखद घटनापर राजेन्द्र बाबूने जो जोरदार वक्तव्य दिया, वह मैंने पढ़ा है। वह इतना तथ्यपूर्ण और हृदयको झकझोरनेवाला है कि उसमे कुछ और जोड़ने या मुधारने की कोई जरूरत नहीं। उस सुन्दर वक्तव्यके हरएक शब्दका मैं अनुभोदन करता हूँ। इस लेखके अन्तमे उने उद्धृत किया गया है।^१

प्रदर्शन करनेवालो ने अनुचित असहिष्णुताका परिचय दिया है। कार्य-मभित्तिकी

१. देखिए "पत्र: ५० गुप्त को", पृ० १५४।

२. वक्तव्य वहाँ उद्धृत नहीं किया गया है।

कार्रवाईके विरुद्ध आन्दोलन करने और उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करने का सुभाष बाबूको पूरा हक है। उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है उससे वे उतने सयमको छोड़कर जिसका पालन कांग्रेस-संविधानकी बुनियादी धारासे बँधे प्रत्येक कांग्रेसीका फर्ज है, बाकी किसी भी सयमके उत्तरदायित्व से मुक्त हो गये हैं। उस कार्रवाईके बाद उनके विरुद्ध कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग कार्य-समितिकी कार्रवाईको पसन्द नहीं करते, उन्हें सुभाष बाबूके पक्षमें होनेवाले किसी भी प्रदर्शनमें भाग लेने का अधिकार है। जबतक इस साधारण नियमका पालन नहीं होता, तबतक हम जनतन्त्रका विकास हरगिज नहीं कर सकेंगे। मेरी रायमें तो काले झण्डोंका प्रदर्शन करनेवाले लोगोंने स्वतन्त्रताके ध्येयको हानि पहुँचाई है। अतः आशा है कि पटनाका यह प्रदर्शन कांग्रेसजनों द्वारा की जानेवाली ऐसी कार्रवाईमें अन्तिम सिद्ध होगा। यह पूछा जा सकता है कि 'जो लोग कार्य-समितिकी कार्रवाईका समर्थन करते हैं और सुभाष बाबूके प्रचारको नापसन्द करते हैं, वे अपनी नापसन्दगी कैसे जाहिर करें?' निस्सन्देह सुभाष बाबूके सम्मानमें होनेवाली सभाजोमें गड़बड़ी मचाकर या उन्हें काले झण्डे दिखाकर तो नहीं ही। दूसरी सभाएँ करके वे अपनी नापसन्दगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन वे सभाएँ सुभाष बाबूके समर्थनमें की गई सभाओंके साथ-साथ न होकर उनसे पहले या बादमें होनी चाहिए। पक्ष-विपक्षमें होनेवाली ये सभाएँ लोकमतको शिक्षित करने का साधन समझी जानी चाहिए। ऐसी शिक्षाके लिए शान्त वातावरणकी आवश्यकता है। शिक्षात्मक और बोधप्रद प्रचारमें काले झण्डों, हल्ले-गुल्ले और पत्थर-जूते फेंकने का कोई स्थान नहीं है।

इस अशोभनीय प्रदर्शनके सन्दर्भमें ही मेरे पास जो एक और शिकायत आई है, मुझे उसका भी जिक्र करना चाहिए। उसमें बताया गया है कि जो कांग्रेसजन सुभाष बाबूके स्वागतमें भाग लेंगे उनके खिलाफ कुछ कांग्रेस-समितियोंने कार्रवाई करने की धमकी दी है। मैं आशा करता हूँ कि उक्त शिकायत वस्तुतः निराधार है। ऐसी कार्रवाई तो हमारी असहिष्णुता बल्कि वैर-भावनातक का परिचायक होगी। जो कांग्रेसजन कार्य-समितिकी कार्रवाईको पसन्द नहीं करते वे सुभाष बाबूके स्वागतमें अवश्य भाग लेंगे। अनुशासनात्मक कार्रवाईकी घमकियोंसे उनका मुँह बन्द करना असम्भव है। अगर जरा-जरा-सी बातपर ऐसी कार्रवाई की जाये, तो उसका कोई महत्त्व नहीं रह जाता। अगर यह सच है—और वास्तवमें यह सच है— कि ऐसी सत्ताके बगैर किसी संस्थाका काम नहीं चल सकता, तो यह भी उतना ही सच है कि जो संस्था ऐसी सत्ताका अन्धाधुन्ध उपयोग करे उसे कायम रहने का कोई हक नहीं है। वह कायम रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मतलब तो स्पष्ट ही यह होगा कि उसने जनताका समर्थन खो दिया है।

सेगाँव, २ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९-९-१९३९

१८०. तार : राजेन्द्रप्रसादको

वर्धागज

२ सितम्बर, १९३९

राजेन्द्रप्रसाद

रामगढ़

(हजारीबाग)

तुम्हारा तार मिला। वाइसरायका निमंत्रण पाकर आज रात शिमला खाना हो रहा हूँ। शायद ज्यादा अच्छा यह होगा कि शिमलामें मेरा सन्देश मिलने के बाद बैठक^१ रखो। बैठकका स्थान अपने स्वास्थ्यकी दृष्टिमें तय करो।

वापू

मूल अंग्रेजीमें : राजेन्द्रप्रसाद पेपर्स, सीजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

१८१. तार : लॉर्ड लिनलिथगोको

वर्धागज

२ सितम्बर, १९३९

भयानक ममाचार^१ सुना, सुनकर दुख हुआ। मैं सबसे पहले जो गाड़ी मिलेगी उममें खाना हो रहा हूँ और ४ तारीखकी सुबह शिमला पहुँच रहा हूँ।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्ममें लॉर्ड लिनलिथगो पेपर्स, सीजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. संसद कांग्रेस कार्य-समितिकी अत्यावश्यक बैठकमें है, जो अन्ततः ८ में १५ सितम्बरतक जारी में हुई थी।

२. जर्मनीमें १ सितम्बरको पोलेण्डपर आक्रमण कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप ३ सितम्बरको इंग्लैंड और फ्रांसने जर्मनीके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी थी।

१८२. टिप्पणियाँ

पाठ्य पुस्तकें

आजकल जो बार-बार पाठ्य पुस्तकें बदलने का प्रचलन हो गया है उसे शिक्षाकी दृष्टिसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। यदि पाठ्य पुस्तकोंको निम्नगणका माध्यम माना जायेगा, तब तो शिक्षककी सजीव वाणीका बहुत कम मूल्य रह जायेगा। जो शिक्षक पाठ्य पुस्तकोंसे पढ़ाता है, वह अपने विद्यार्थियोंको स्वतन्त्र और मौलिक रूपसे विचार करने की शक्ति नहीं देता। इससे शिक्षक स्वयं भी पाठ्य पुस्तकोंका गुलाम बन जाता है और उसे अपनी मौलिकताका प्रयोग करने का मौका या प्रसंग ही नहीं मिलता। इससे मालूम होता है कि पाठ्य पुस्तकें जितनी कम होंगी, उतना ही शिक्षकों और विद्यार्थियोंको लाभ होगा। पाठ्य पुस्तकें आज पैसा कमाने का साधन बन गई लगती हैं। जो लेखक और प्रकाशक लेखन और प्रकाशनको कमाईका जरिया बनाते हैं उनका पाठ्य पुस्तकें बार-बार बदलती रहें, इसमें स्वार्थ रहता है। कई बार तो शिक्षक और परीक्षक खुद पाठ्य पुस्तकोंके लेखक होते हैं। अपनी पुस्तकें बेचने में उनका स्वार्थ ही, यह स्वभाविक है। इनके अलावा, पाठ्य पुस्तकोंका चुनाव करनेवाली समितिमें भी स्वभावतः ऐसे ही लोग होते हैं। इस तरह यह दुष्चक्र पूरा हो जाता है। और हर साल नयी-नयी पुस्तकें खरीदने के लिए पैसेकी व्यवस्था करना माता-पिताके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लड़के-लड़कियोंको पाठ्य पुस्तकोंका उठाया न जा सकनेवाला बोझ डोते देखकर बड़ी दया आती है। इस सम्पूर्ण पद्धतिकी पूरी तरह जाँच होनी चाहिए। व्यापारकी वृत्ति जड़-मूलने गट्ट की जानी चाहिए और इस प्रश्नपर केवल विद्यार्थियोंकी दृष्टिसे ही विचार किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर सम्भवतः मालूम होगा कि ७५ प्रतिशत पुस्तकें कचरेकी टोकरीमें फेंकने लायक हैं। यदि मेरा बच्चा चले तो मैं पाठ्य पुस्तकें अधिकतर विद्यार्थियोंके लिए नहीं, परन्तु शिक्षकोंकी मदद करने के लिए ही रखूँ। जिन पाठ्य पुस्तकोंके बिना विद्यार्थियोंका काम चल ही न सके, वे ऐसी होनी चाहिए जो उनके बीच बरसों घूमती रहें, ताकि मध्यम वर्गके परिवार आसानीसे उनका खर्च उठा सके। इस दिगामें पहला कदम नायब यह हो सकता है कि सरकार पाठ्य पुस्तकोंके प्रकाशन और मुद्रणपर अपना अधिकार रखे और खुद उसकी व्यवस्था करे। इस तरहसे पाठ्य पुस्तकोंकी अनावश्यक वृद्धिपर अपने-आप अंकुश लग जायेगा।

अधकचरी मिट्टा

श्री अण्णा पटवर्धन लिखते हैं:

बम्बई सरकार बुनकरोंकी मदद करने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करती है। उसने एक विपणन अधिकारी और एक विक्रेता रखा है। वे

लोग कर्ज भी देते हैं। इतना होने पर भी बुनकर लोग मिलके साथ होड़ नहीं कर सकते, और उनके लिए जो सच उठाया जाता है, उसका मेरे विचारमें, उचित परिणाम नहीं निकलता। इसके अलावा बुनकर विदेशी सूतका भी इस्तेमाल करते हैं। बुनकरोको ऐसी निष्फल सहायता देने के अलावा सरकार खादीको भी थोड़ी सहायता देती है। मैं नहीं जानता कि यह अधिकारी निष्ठा कहाँतक उचित है।

मेरी तो हमेशा यह मान्यता रही है कि जो बुनकर विदेशी अथवा देशी मिलके सूतका प्रयोग करते हैं उनकी सहायता करना पैसे और प्रयत्नका अपव्यय करना है। अनुभवमे मेरे इन दृष्टिकोणमें कोई अन्तर नहीं आया है, और कुछ प्रान्तोमे कांग्रेसका शासन होने मे भी मेरे इस दृष्टिकोणमें फर्क नहीं पडता। मेरी यह मान्यता इसलिए है कि मिलके सूतका इस्तेमाल करनेवाले बुनकरोका विनाश निश्चित है; कुछ समय इनमें भले लगे। आज जो परिस्थितियाँ हैं उनमें इसके अतिरिक्त और कुछ हो भी नहीं सकता। बुनकरोकी एकमात्र आधा हाथ-कताईके सार्वत्रिक पुनरुद्धारमें ही निहित है। हाथ-कताई और हाथ-धुनाई अन्योन्याश्रित हैं, हाथ-धुनाई और मिलकी कताई कभी अन्योन्याश्रित नहीं हो सकती। इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि यदि हाथ-कताईमें बुनकरकी जरूरत तत्काल पूरी नहीं हो सकती और यदि वे स्वयं सूत नहीं कातना चाहते तो उन्हें इस बातके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपने परिवारोमें हाथ-कताई और धुनाई आदिको दाखिल करें। अब चूँकि कुछ प्रान्तोमे कांग्रेसका शासन है इसलिए बुनकरोको वचाना ज्यादा आसान हो गया है। तात्पर्य यह है कि प्रान्तीय सरकारें बडे पैमानेपर कताईको प्रोत्साहन दे सकती हैं और जिम तरह राज्य विदेशी रेल कम्पनीको गारटी देता है उस तरह वे खादीको विक्रीमे नुकसान होने के विरुद्ध गारटी दे सकता है। हर जरूरतमन्द व्यक्तिको अपने मनपसन्द रोजगारमें लगाने की गारटी देना सरकारका प्रथम कर्त्तव्य है। उममें बुनकर भी शामिल हैं। यदि सरकारण कालके दौरान प्रत्येक बुनकरको धुनाईके धन्धेकी गारटी देना अमम्भव हो तो सरकारको चाहिए कि वह उमे ऐंमे धन्धेमे लगाये जो उमके और राज्य, दोनोंके लिए लाभकर हों। यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि आजतक किमी भी सरकारने हाथ-कताईकी सम्भावनाओका पूरा-पूरा पना नहीं लगाया है। मेरी यह राय है कि यदि कताईकी सम्भावनाओका पता लगाने के प्रयत्न किये जायें तो उसके चौकानेवाले और उत्पाह्वर्धक परिणाम दिखाई देंगे। मेरी दलीलमें निष्चय ही मिलोको कोई स्थान नहीं है। विदेशी अथवा देशी किमी भी उद्योगको बेकारी बढ़ाकर समस्त समाजके सच्चे हितको हानि नहीं पहुँचाने दी जा सकती।

दुर्भिक्षमें सहायताके तरीके

चाहे देरमे ही क्यों न हो, वाग्म्य हो जाने मे बहुत भयंकर अकालका भय अब नहीं रहा है, फिर भी कुछ महीनोतक थोड़ी तकलीफ तो रहेगी ही, इसलिए राहत-कार्य करनेवालो का दीला पट जाना ठीक नहीं हांगा। बात यह है

कि वर्षाके अभावसे होनेवाली कठिनाईको रोकने के लिए स्थायी उपाय करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। इस सम्बन्धमें मैं पहले ही कुछ ठोस सुझाव दे चुका हूँ। सीराप्ट्र सेवा समितिने सहायकोको भरती करके सहायताका जो व्यापक कार्य किया, उसका बड़ा तथ्यपूर्ण विवरण उसके मन्त्रीने मेरे पास भेजा है। उस पूरे विवरणको पाठकोके सामने रखने की जरूरत मैं नहीं समझता। उन्होने कुछ निवारणात्मक उपाय भी सुझाये हैं। चूँकि वे अब भी काममें लाये जा सकते हैं, मैं उनका, जो मूलतः गुजरातीमें है, सार यहाँ देता हूँ :

१. राज्यको चाहिए कि वे अपनी जमा की हुई धासको नीलाम न कर एहतियातन सूखेके समयके लिए जमा रखें। जब ताजा चारा मिल सके, तब उसे निकालकर ताजा भर लिया जाये। आजकल जमा किये हुए चारेमें आग लग जाने का भय रहता है। राज्यको उसकी हिफाजत करने में कोई कठिनाई नहीं हानी चाहिए। जो लोग निजी तौरपर इस तरह धास जमा करना चाहें, राज्य उसकी भी उन्हें इजाजत दे सकता है।

२. नदियोंके मौजूदा किनारोंको घेरकर बाढका पानी जमा कर लेना चाहिए।

३. अकालके समय जिन स्थानोंमें मवेशी भेजे जाते हैं, वहाँ उन्हें पर्याप्त रूपमें पानी मिल गके, उनके उपाय किये जाने चाहिए।

४. खानेके उपयोगकी चीजोंकी उपेक्षा करके ऐसी चीजोंकी काश्तपर अकुम लगा देना चाहिए, जिनकी खेती नकदी कमाईके लिए की जाती है। आजकल लोग ज्वार-बाजरा-जैसे कीमती चारे और अन्नके बजाय भूंगफली बोने लग गये हैं।

५. मौजूदा जगलोंको सुरक्षित रखा जाये, पेंडोंकी मनमानी कटाई दण्डनीय करार दी जाये और एक योजना बनाकर उनके अनुसार पेड़ लगाने के दिग्गोंको प्रोत्साहित किया जाये।

६. पिजरापोलोको व्यवस्थामें सुधार किया जाना चाहिए और उन्हें ठोस आधारपर स्थित करना चाहिए। उन्हें अकालके विरुद्ध पशुओंका बीमा बन जाना चाहिए। पिजरापोलोंमें बछड़ेको बधिया करवाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।

७. राज्यको चाहिए कि वे दुर्भिक्षके विरुद्ध बीमेके रूपमें खादीको प्रोत्साहन दे।

ये सब सुझाव ठोस दिखाई देते हैं और काठियावाडकी रियासतों तथा वहाँकी प्रजाकी इनपर सामूहिक रूपसे विचार करना चाहिए। मानव-सेवाके इस काममें राजनीतिक मतभेदों और संघर्षोंके बावजूद सब एक हो सकते हैं और उन्हें एक होना चाहिए।

आन्ध्रमें सूत्र-यज्ञ

श्री शंकरलाल बैकरने चरखा सघकी आन्ध्र-शाखासे प्राप्त एक पत्र मेरे पास भेजा है। उसमें से मैं निम्नलिखित अंश उद्धृत कर रहा हूँ :

२२-७-१९३९ के 'हरिजन' में महात्माजी को टिप्पणी देखकर हम राजकोटकी राष्ट्रीय शालाके श्री नारणदास गांधीकी तरह सूत्र-यज्ञ करने का ग्वयाल आया। उसके अनुसार २९-७-१९३९ को हमने स्थानीय 'कृष्ण पत्रिका' और 'आन्ध्र पत्रिका में' प्रकाशित करने के लिए एक अपील भेजी, जिसमें हमने ऐसे खादी-प्रेमियोंसे आवेदन-पत्र भेजने के लिए कहा है जो आगामी गांधी-जयन्तीके सिलसिलेमें आन्ध्र शाखाकी ओरसे होनेवाले सूत्र-यज्ञमें भाग लेना चाहें। उसमें सभी लोगोंसे यह प्रार्थना की गई है कि इसमें भाग लेने के लिए वे या तो १४,००० (७०×२००) गज अपना कता हुआ सूत भेजें या गांधीजी की मौजूदा उन्नके अनुसार ७० पैसे (६० १-१-६) भेजें। लोगोंने हमारी प्रार्थनापर तत्काल ध्यान दिया। अबतक हमारे पास ५०० आवेदन-पत्र आ चुके हैं। अर्जा भेजनेवालोंमें से अधिकांशने या तो १४,००० गज सूत या ६० १-१-६ भेजने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन कुछ गरीब कस्तिमें सिर्फ ७,००० गज ही सूत देने को तैयार हैं और उनकी गरीबीको देखते हुए हमें वह स्वीकार भी है, यद्यपि अपनी अपीलमें हमने जो न्यूनतम मात्रा रखी है, उससे वह कम है। अब हम आन्ध्र देशकी कस्तिनोंके नाम एक खास अपील निकाल रहे हैं, जिसमें महात्माजी की ७१ वीं वर्षगांठपर भेंट-स्वरूप ७,००० गज, अर्थात् लगभग एक तानेके बराबर सूत देने के लिए उनसे कहा जायेगा। अपनी अपीलमें चरखा संघके सब सदस्योंसे हमने प्रार्थना की थी कि वे केवल सूत ही दें। हमारे केन्द्रीय भण्डार और केन्द्रीय कार्यालयमें पिछले पन्द्रह दिनों, अर्थात् २-८-१९३९ से लगातार सूत्र-यज्ञ चल रहा है। कुछ लोग तकलीपर कात रहे हैं और कुछ अन्य सुधरे हुए चरखे-पर। कार्यकर्ताओंसे कहा गया है कि वे अपने सूतकी किस्म तथा परिमाणमें सुधार करें और उसका विवरण रखें। आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस समितिसे हमने प्रार्थना की है कि वह सूत्र-यज्ञके लिए स्वयंसेवक भरती करने में हमारी मदद करे और इस बातका ध्यान रखे कि कांग्रेस समितियोंके सब सदस्य इसमें भाग लें। हमारी प्रार्थनापर उसने सब कांग्रेस-सदस्योंके नाम इस आदायका गदती पत्र जारी किया है कि वे सूत्र-यज्ञके स्वयंसेवक बनें और खादी-आन्दोलनको भरसक पूरी मदद दें। ऐसी आशा है कि गांधी जयन्तीसे पहले हम कमसे-कम १,००० स्वयंसेवक बना लेंगे।

मुझे अन्य स्थानोंमें भी पत्र मिले हैं, जिनमें जाहिर होना है कि श्री नारणदास गांधीके उदाहरणने लोगोंका ध्यान आकर्षित किया है। मैं आशा करता हूँ कि सूत्र-

१. दैनिक नन्दा ६९, पृ० ४५८-५९।

२. मद्रासमें प्रकाशित दैनिक तेलुगु साप्ताहिक

३. जे० नरेश्वरराव द्वारा संस्थापित और मद्रासमें प्रकाशित दैनिक तेलुगु दैनिक

यज्ञका आयोजन करनेवाले बहुत ज्यादा किफायतके साथ सूत्र-यज्ञका आयोजन कर रहे हैं। उदाहरणके लिए, उन्हें इस तरह काता हुआ सूत एक जगहसे दूसरी जगह लाना-ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे डाक-खर्चका बोझ उसपर पड़ जायेगा। सूत इस कामके लिए नियुक्त एजेंटों द्वारा इकट्ठा किया जाना चाहिए, जिससे वह हाथों-हाथ भेजा जा सके। यदि इसका प्रामाणिक हिसाब रखा और प्रकाशित किया जाये तो उसे यज्ञकी पूर्णाहुति समझा जाना चाहिए। जो लोग अपनी कताईका हिसाब नारणदास गांधीकी भेजना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए अपनी कताईके प्रमाण-पत्र वहाँ भेजने चाहिए। मैं तो यह भी कहता हूँ कि जहाँतक हो सके, सूत वहाँ-का-वही बुना जाना चाहिए। निश्चित स्थानोंमें ही बुनाईको केन्द्रित करना तो खादी-आन्दोलनकी भावनाके विरुद्ध है। हमें जिस तरह घर-घरमें कताईका प्रचार करना है, उसी तरह प्रत्येक गाँवमें बुनाईका भी प्रचार करना है।

शिमला जाते हुए रेलगाड़ीमें, ३ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९-९-१९३९

१८३. मामलेकी जाँच की जाये

मैंने कुछ समय पहले नल्लथुरके हरिजनोंके^१ बारेमें तथ्य प्रकाशित किये थे। श्री के० ताताचारने कुछ समय पहले अपनी डायरीमें से मुझे टिप्पणियाँ लिख भेजी थी; उनमें तेनपटनम चेरीके हरिजनोंके साथ दुर्व्यवहार किये जानेकी जो बात कही गई है वह कोई कम गम्भीर नहीं है। मैं नीचे पूरा विवरण प्रकाशित कर रहा हूँ।^२

लगता है इस मामलेमें बिलकुल न्याय नहीं किया गया है और हालाँकि यह मामला अपेक्षाकृत पुराना है, तथापि इसकी जाँच की जानी चाहिए। हरिजनों अथवा उनके मित्रोंने राहत पाने के प्रयत्नोंमें कोई लापरवाही नहीं की है। लेकिन यदि ताताचारका विवरण बिलकुल ठीक है तो हरिजनोंके साथ इसलिए न्याय नहीं किया गया क्योंकि वे हरिजन थे। निम्नतम दर्जेकी पुलिसको यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि उन्हें अन्य लोगोंके समान हरिजनोंकी भी सेवा करनी है। हरिजनोंको यह महसूस करना चाहिए कि कमसे-कम कांग्रेसके राज्यमें उनके साथ न्याय किया जायेगा।

शिमला जाते हुए रेलगाड़ीमें, ३ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९-९-१९३९

१. देखिए खण्ड ६९, पृ० ४७५-७६।

२. यहाँ नहीं दिया गया है।

१८४. टिप्पणियाँ

धनिक न्यासी हँ

एक मित्र लिखने है :

आपको यह जानकर खुशी होगी कि धनिकोंके न्यासी होने के बारेमें आपके जो विचार हैं उनकी कल्पना १,३०० वर्ष पूर्व भी की गई थी। 'हदीम' में यह पद्य है—

लोगों के पास जो भी धन-दीलत है वह मेरी सम्पत्ति है, गरीब मेरे बच्चे हँ और अमीर, उनके पास जो धन-दीलत है, उसके न्यासी। इसलिए जो धनी मेरे गरीब बच्चोंके लिए खर्च नहीं करेंगे, उन्हें मैं दोजख (नरक)में भेज दूंगा, और उनकी कोई परवाह नहीं करूँगा।

यह पद्य गुजरातीमें है और किसी अखबारसे लिया गया है। अखबारका नाम नहीं दिया गया है। वह मारा पद्य गुजराती लिपिमें उसके गुजराती अनुवादके साथ दिया गया है। देवनागरी लिपिमें उसका अविकल स्वरूप इस प्रकार है :

अल मालु माली बल फकराओ
अयाली बल अग्नियाओ बबलाई
फमन बखलाव माली अला अयाली
उदखलुहन्नार बला उवाली।

पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गुजराती पाठक इसके पच्चीस प्रसिद्ध शब्दोंको आत्मानुसे समझ लेते हैं। दूसरे शब्दोंमें, ये शब्द गुजराती भाषामें खूब प्रचलित हो गये हैं।

३ गितम्बर, १९३९

[अग्नेजीमे]

हरिजन, २३-९-१९३९

१८५. पत्र : मीराबहनको

दिल्ली,
३ सितम्बर, १९३९

चि० मीरा,

तुम सबको प्यार भेजने के लिए बस एक पक्ति ही लिख रहा हूँ।

बापू

श्री मीराबहन
सेगाँव, वर्धा

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४४८) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन०
१००४३ से भी

१८६. उत्तर : ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंको^१

[३ सितम्बर, १९३९ के पश्चात्]^१

कलकत्ताके मेट्रोपॉलिटन विश्वको वर्धा लाना ठीक नहीं है, लेकिन युवक लोग
आकर मिल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मेरे मनमें कोई दयाभाव नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३९

१८७. तार : सी० पी० रामस्वामी अय्यरको

५ सितम्बर, १९३९

मुझे एक चौंका देनेवाला तार मिला है जिसमें कहा गया है कि
आपने युद्धकी दृष्टिसे एहतियातन सभी प्रकारकी सभाओं और

१ और २. यह महादेव देसाई द्वारा लिखित "५ बर्ड्स डू द ऑक्सफोर्ड ग्रुपर्स" (ऑक्सफोर्ड
ग्रुपके सदस्योंसे दो शब्द) शीर्षक लेखसे लिया गया है, जिसमें वे लिखते हैं : "युद्ध आरम्भ होने के
तुरन्त बाद गांधीजी को ऑक्सफोर्ड ग्रुपकी ओरसे एक तार मिला जिसमें कलकत्ताके मेट्रोपॉलिटन विश्वके
नेतृत्वमें कुछ सदस्योंके वर्धा आने और गांधीजी से मुलाकात करनेकी बात कही गई थी।" देखिए
"बातचीत : ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंके साथ", पृ० २१५-१७ भी।

१७६

जलूसोंपर प्रतिबन्ध लगा दिया है।' मालूम हुआ है प्रजा परिषद्का प्रस्तावित आयोजन आपकी जानकारीमें और आपकी अनुमतिसे किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि सम्मेलनपर यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा।'

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल। हिन्दू,
'७-९-१९३९ से भी

१८८. तार : जमनालाल बजाजको'

[५ सितम्बर, १९३९]

यदि आसानीसे हो सके तो तुम आठ तारीखको वर्षामें होनेवाली बैठकमें उपस्थित रहो।'

बापू

[अंग्रेजीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २२२

१. हिन्दूमें छया था : "आधिकारिक रूपसे यह बताया जाना है कि ४ सितम्बरको त्रावणकोर सरकारने जलूसों और प्रदर्शनोंके लिए जो तैयारियों की गईं बनाईं जाती हैं उन्हें देखते हुए कर्णागपल्ली सम्मेलनके संयोजकों और इसी तरहको अन्य संस्थाओंसे कहा है कि वे किसी प्रकारकी सभाएँ अथवा प्रदर्शन न करें अथवा फिलहाल उन्हें स्थगित कर दें।"

२. तारके उत्तरमें त्रावणकोरके दीवानने गांधीजी को जो उत्तर भेजा था, हिन्दूके अनुसार उसका सार यह था : "खेद है आपको एक बार फिर गलत सूचना मिली है। सभाओं, जलूसोंपर कोई रोक नहीं है, प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया गया है। केवल रियासत कायमेसको यह सुझाव दिया गया है कि वह कोई जलूस अथवा प्रदर्शन न करे तथा कोई विवादास्पद प्रस्ताव न पास करे, खास तौरसे इसलिये कि यहाँ ऐसे लोगोंका एक जबरदस्त दल है जो सम्मेलनके स्थानीय संगठनकर्ताओंके बहुत खिलाफ है। उपर्युक्त परिस्थितियोंको देखते हुए तथा विवादास्पद प्रस्ताव पास किये जाने की सम्भावना पूर्व उपद्रव होने की आशंकासे कुछ समयके लिए सम्मेलनको स्थगित करने का सुझाव दिया गया था। ऐसे मामलेमें भी गलत जानकारी और भ्रामक तथ्य देकर आपसे कोई अपील की जाये, यह देखकर आश्चर्य होता है। एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिको देखते हुए ऐसी किसी भी कार्रवाईकी निन्दा की गई है जिससे लोगोंमें उतेजना पैड़े।" और देखिय "तार : पतम ताणु पिल्लैको", पृ० १८१।

३. साधन-सूत्रमें इस तारको दिनांक "जयपुर, ५ सितम्बर, १९३९" के अपने खानगी पत्रमें उद्धृत करते हुए जमनालालने लिखा था कि जयपुर की परिस्थितिमें आशानुसार अनुकूल भेद आनेपर "तो मैं जाने की कोशिश करूँगा", अथवा "मेरी गैरहाजिरीमें सम्भव है बीचके लोग गड़बड़ी डाल दें। इसलिये रह जाना भाग पड़ेगा।"

४. जमनालालजी को उक्त तार इसी दिन रातको ८-४५ बजे मिला था।

५. देखिय पृ० १८०।

१८९. पत्र : डॉ० जीवराज एन० मेहताको

शिमला

५ सितम्बर, १९३९

भाई जीवराज,

तुम वहाँ बैठे हुए भी मेरी तबीयतका ध्यान रखते हो। रामजीभाईने तुम्हारा तार मुझे दिखाया था। मुझे मालूम था कि मुझे चढाई नहीं चढ़नी चाहिए इसलिए मुझे रिक्शापर बैठने का कड़वा घूंट पीना पड़ा। तुम्हारे तारने तो इस बातपर मुहर लगा दी।

बापू

[पुनश्च :]

आज सेगाँव वापस जा रहा हूँ।

डॉ० जीवराज मेहता

खम्भाता हॉल

एलटामाउन्ट रोड

बम्बई

मूल गुजरातीसे : जीवराज मेहता पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१९०. चकतव्य : समाचारपत्रोंको

शिमला

५ सितम्बर, १९३९

जिस समय मैं दिल्लीसे कालकाके लिए गाडीपर सवार हो रहा था उस समय एक भारी भीड़ बड़े मुदित भावसे "महात्मा गांधीकी जय"के जीर्ण-शीर्ण नारेके साथ-साथ यह नारा भी लगा रही थी कि "हम समझौता नहीं चाहते।" उस

१. तथापि साधन-सूत्रमें "रामीभाई" दिया हुआ है।

२. यह "द शिमला बिजिट" (शिमला-यात्रा) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। इस वक्तव्यकी एसोसिएटेड प्रेस द्वारा दी गई रिपोर्ट भी ५-९-१९३९ के हिन्दू और ६-९-१९३९ के हिन्दुस्तान टाइम्समें प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि इसे गांधीजीने शिमलासे "प्रस्थान करने के पूर्व तीसरे पहर" जारी किया था।

१७८

समय-मेरा साप्ताहिक मौन था, इसलिए मैं केवल मुस्करा रहा था। और जो लोग गाड़ीके पायदानपर मेरे पास खड़े हुए थे वे भी उत्तरमें मुस्करा रहे थे, यद्यपि मुझे यह आग्रहपूर्ण सलाह भी देते जा रहे थे कि मैं वाइसराय महोदयसे समझौता न करूँ। मुझे एक कांग्रेस समितिकी ओरसे भी पत्र मिला था, जिसमें ऐसी ही चेतावनी दी गई थी। मेरे ये परामर्शदाता मुझे नहीं जानते। अपनी सीमित शक्तिका ज्ञान कराने के लिए मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं थी। दिल्लीके प्रदर्शन और कांग्रेसकी चेतावनीके अतिरिक्त वाइसराय महोदयसे भेंटके दौरान क्या बातचीत हुई, यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

मैं यह बात भली-भाँति जानता था कि मुझे अपने सिवा किसी और व्यक्तिकी ओरसे बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं जानता था कि इस बारेमें कार्य-समितिके मुझे कोई आदेश नहीं दिया है। मैं तो तारसे प्राप्त एक निमन्त्रणके उत्तरमें जो पहली गाड़ी मिली उसीसे रवाना हो गया। इसके अतिरिक्त, मैं यह बात अच्छी तरहसे जानता था कि अदम्य और पूर्णरूपेण अहिंसाका समर्थक होने के नाते राष्ट्रीय मानसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे अधिकार नहीं है और यदि मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मेरी दुर्गति ही होगी। वाइसराय महोदयसे भी मैंने यही कहा। ऐसी स्थितिमें मुझसे समझौते या समझौतेकी बातचीतका कोई सवाल ही नहीं उठता और मैंने देखा कि उन्होंने भी मुझे समझौता-वार्त्ता करने के विचारसे नहीं बुलाया है। मैं वाइसराय महोदयके स्थानसे खाली हाथ लौटा हूँ। मुझसे स्पष्ट या गुप्त कोई समझौता नहीं हुआ। अगर कोई समझौता होगा, तो वह कांग्रेस और सरकारके बीच होगा।

कांग्रेस-सम्बन्धी अपनी स्थितिको वाइसराय महोदयके सामने स्पष्ट करते हुए मैंने उन्हें बताया कि मानवताके दृष्टिकोणसे मेरी सहानुभूति ब्रिटेन और फ्रांसके साथ है। मैंने कहा कि जिस लन्दनको अबतक अभेद्य समझा गया है उसके विध्वंसकी बात सोचते ही मेरा दिल दहल जाता है। पार्लियामेंट भवन और वेस्टमिन्स्टर ऐबि तथा उनके सम्भावित विध्वंसका चित्र खींचते-खींचते मेरा दिल भर आया और मेरा कण्ठ अवरुद्ध हो गया। मैं सचमुच अवीर हो उठा हूँ। और मन-ही-मन मेरी परमात्मासे इस प्रश्नपर हमेशा लड़ाई होती रहती है कि वह ऐसी बातें क्यों होने देता है। मुझे अपनी अहिंसा बिल्कुल अशक्त मालूम पड़ती है। परन्तु दिन-भरके मयनके बाद यह उत्तर मिलता है कि न तो ईश्वर अशक्त है और न अहिंसा ही अशक्त है। अशक्त तो मनुष्य है। चाहे मुझे अपनी कोशिशमें टूट जाना पड़े, परन्तु पूरी श्रद्धाके साथ मुझे कोशिश तो करते ही रहना चाहिए। और इसलिए—मानो मुझे आये

१. ४ सितम्बर, १९३९ को

२. यह वाक्य हिन्दुस्तान टाइम्ससे लिया गया है।

३. यहाँ संकेत द्वितीय विश्व-युद्धकी ओर है जो ३ सितम्बर, १९३९ को आरम्भ हो गया था।

जिस व्यथाको झेलना था उसका पूर्वाभास पाकर—मैंने गत २३ जुलाईको एवटा-वादासे हर हिटलरके पास निम्न पत्र भेजा था :^१

क्या ही अच्छा हो कि हर हिटलर अब भी विवेकसे काम लें तथा तमाम समझदार आदमियोंकी अपीलको, जिनमें जर्मन भी हैं, सुनें। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मनुष्यके अमानवीय बुद्धि-कौशलसे निर्मित उपकरणों द्वारा किये जानेवाले विध्वंसके डरसे लोगोंको लन्दन-जैसे बड़े शहरोंको खाली कर देना पड़ सकता है, यह बात जर्मन लोग शान्त रहकर सोच सकते होंगे। वे शान्तिके साथ स्वयं अपने विध्वंसकी और अपने स्मारकोंके नष्ट होने की बात नहीं सोच सकते। इसलिए इस समय मैं भारतकी मुक्तिकी बात नहीं सोच रहा हूँ। भारतको अवश्य मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर इंग्लैंड और फ्रांसका पतन हो जाता है, अथवा यदि उन्हें विध्वस्त जर्मनीके ऊपर फतह मिल जाती है तो उसका क्या मूल्य रह जायेगा ?

तथापि ऐसा ही लगता है कि हर हिटलर किसी परमात्माके अस्तित्वमें विश्वास नहीं करते और केवल पशुबलको ही मानते हैं और जैसा कि श्री चेम्बरलेनने कहा है, बल-प्रयोगके सिवा वे [हिटलर] किसी युक्तिकी परवाह नहीं करेंगे। ऐसी बेमिसाल आफतके समय कांग्रेसियों तथा भारतके अन्य समस्त नेताओंको व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपसे निर्णय करना होगा कि इस विनाश-लीलामें भारतकी क्या भूमिका होगी ?^२

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ९-९-१९३९

१९१. पत्र : जमनालाल बजाजको

दिल्ली

६ सितम्बर, १९३९

चि० जमनालाल,

दिवानके बारेमें कठिन बात है। सीमलामें जैसी कुछ बात हुई ही नहीं थी। अगर तुमारी दृष्टिसे तुमारा यही रहना अधिक लाभदायी है तो वही किया जाय। आरामसे आ सकते है तो आ जाना।^३

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३००४) से।

१. देखिए पृ० २३।

२. देखिए पृ० १७८-८९ भी।

३. देखिए पृ० १७७ भी और "जयपुर-सत्याग्रह" पृ० १९६-९८।

१९२. तार : पत्तम ताणु पिल्लंको

सेगांव

८ सितम्बर, १९३९

दीवानका लम्बा तार मिला जिसमें कहा गया है कि कोई निवे-
धात्मक आदेश जारी नहीं किया गया, केवल सलाह दी गई है।
पाठ डाकसे भेज रहा हूँ।

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१९३. तार : पादरेफ्स्कीको

सेगांव

८ सितम्बर, १९३९

पोलैण्डके निवासी अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करने के लिए आज जो
असमान लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें निस्सन्देह पूरे हृदयसे मैं उनके साथ हूँ।
लेकिन यह बात मुझे अच्छी तरहसे मालूम है और इसका मुझे
दुख है कि मेरे शब्दोंका कोई प्रभाव नहीं है। आज यूरोपमें जो
पागलपन-भरी विनाश-लीला मची हुई है, काश कि मेरे पास उसे रोकने की
ताकत होती। मैं उस देशका वासी हूँ जो अपनी स्वाधीनता खो चुका

१. देखिए पृ० १७७, पाद-दृष्यणो २।

२. “डू द ग्रेव पोल्स” (बहादुर पोलैण्डवासियोंसे) शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित यह तार गांधीजी ने
पोलैण्ड गणराज्यके वयोवृद्ध भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध पिप्रागोवादात पादरेफ्स्की द्वारा स्वित्जरलैण्डसे प्रेषित
तारके उत्तरमें भेजा था। पादरेफ्स्कीने अपने तारमें लिखा था: “आज हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र रहने के
अपने पवित्र अधिकारकी रक्षाके लिए एक क्रूर और अकथनीय अत्याचारी शासनके विरुद्ध लड़ रहा है।
आप संसारकी एक महान् नैतिक विभूति हैं और इस नाते आपसे मैं अपने राष्ट्रकी ओरसे अपील
करना हूँ कि आप अपने देशवासियोंके दिलोंमें पोलैण्डके प्रति सहानुभूति और मैत्रीकी भावना उत्पन्न
करें। अपने एक हजार सालके इतिहासमें पोलैण्डने हमेशा मानवताके उच्चतम आदर्शों, श्रद्धा,
न्याय और शान्तिका समर्थन किया है। आप अपने राष्ट्रके एक महान् शिक्षक हैं और संकटकी
इस घड़ीमें जब प्रतिदिन असंख्य निर्दोष स्त्रियों और बच्चोंका संहार हो रहा है, आपके मुखसे निकले
सहानुभूति और प्रोत्साहनके चन्द शब्दोंको सुनकर प्रत्येक पोलैण्डवासीको अति सान्त्वना प्राप्त होगी।”
देखिए “सन्देश : पोलैण्डवासियोंको”, पृ० १५७ भी।

है और आज ससारकी सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्तिके चंगुलसे अपनेको आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए उसने अहिंसाका अनोखा तरीका अपनाया है। हालाँकि अहिंसाका यह तरीका काफी हदतक कारगर सिद्ध हुआ है फिर भी लक्ष्य अभी बहुत दूर जान पड़ता है। इसलिए मैं बहादुर पोलैण्डवासियोंके लिए सच्चे हृदयसे ईश्वरसे यह प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वह उनके इस दारुण कष्टका शीघ्र ही निवारण करे और उन दुःखोको सहनेकी शक्ति प्रदान करे जिनके विचार-मात्रसे हृदय काँप उठता है। वे जिस उद्देश्यको लेकर लड़ रहे हैं वह न्यायोचित है और उनकी विजय निश्चित है क्योंकि ईश्वर सदैव न्यायका पक्ष लेता है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १६-९-१९३९

१९४. पत्र : लीलावती आसरको

सेगाँव

८ सितम्बर, १९३९

चि० लीला,

तेरा पत्र मिला। तुझे तो गई-बीती बातोंपर रोनेकी आदत ही पड़ गई जान पड़ती है। जबसे महादेवने मुझे तेरे बारेमें हकीकत बताई तबसे मैं निश्चित हो गया हूँ। वनिता विश्राममें भी तुझे कोई परेशानी नहीं है। मीड़-भाड़को तो सहन करना ही होगा। वहाँ पढ़नेकी पूरी सुविधा है। तू मेहनत भी कर सकती है। सब अध्यापकगण तेरा ध्यान रखते हैं। इतना होनेपर भी यदि तू दुःखी रहे तो यह तुझे और मुझे भी सहन करना होगा। तू यहाँ नहीं जा सकी तो कोई हर्ज नहीं। जब लम्बी छुट्टियाँ हो, तब आना। अल्पकालिक छुट्टियोंका लाभ भाई-भाभीको देना और अपना समय पढ़नेमें बिताना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

महादेवको राँची भेजा है। उन्हें कल वापस लौटना चाहिए।

श्री लीलावतीबहन आसर

मारफत श्री आचार्य [एम० टी०] व्यास

न्यू ईरा स्कूल, ह्यूजस रोड, बम्बई

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १००९२)से; सौजन्य : लीलावती आसर

१९५. पत्र : बलवन्तसिंहको

सेगाँव, वर्धा
८ सितम्बर, १९३९

चि० बलवन्तसिंह,

मेरा खत तो मिला होगा। दिल्लीकी डेरीमें आक्टोबरमें जा सकोगे। ईश्वर-दासका खत आया है। उसको दस दिन या अधिक देना है तो दिया जाय। लायक पुरुष है। सरदारजी मुझे सीमलामें मिले थे। महादेव राजेन्द्र बाबुके पास राची गये हैं, कल शायद यहाँ आवेंगे। हम सब अच्छे हैं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९२४) से।

१९६. पत्र : रंगराव रा० दिवाकरको

सेगाँव आश्रम^१
९ सितम्बर, १९३९

प्रिय दिवाकर,

वेशक अहिंसाको भी संगठित किया जा सकता है। लेकिन अहिंसाको संगठित करने का तरीका हिंसाको संगठित करने के तरीकेसे सर्वथा भिन्न है। और जो मैं इसमें बुरी तरह असफल रहा हूँ, वह तो मेरी अपनी अयोग्यता ही सिद्ध करता है। मेरी साधना अधूरी है। इससे मुझे निराशा नहीं होती। मुझमें अपार धीरज होना चाहिए और है। धीरजके बिना आस्था एक निस्सार वस्तु है।

अहिंसाके सन्दर्भमें हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, यह तुम 'हरिजन' के पृष्ठोंमें देखोगे।

तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]

महात्मा, खण्ड ५, पृ० २००-२०१ के बीच प्रकाशित प्रतिकृतिसे

१. सरदार दातारसिंह
२. साधन-क्षेत्रमें यह हिन्दीमें है।

१९७. टिप्पणियाँ

अतिरिक्त खादी'

अ० मा० चरखा संघने स्वेच्छापूर्वक कत्तिनोंकी मजदूरीमें जो भारी वृद्धि की, उसके फलस्वरूप बहुत ज्यादा सूत तैयार हुआ है। इस तरह खादीके उत्पादनमें जो वृद्धि हुई है उसको खपाना हर जगह मुश्किल हो रहा है। अकेले तमिलनाडुमें ही खादीका उत्पादन ५½ लाखसे बढ़कर १५ लाखके करीब हो गया है, जबकि विक्री लगभग ९ लाखसे बढ़कर ११ लाख ही हो पाई है। संयुक्त प्रान्तकी कठिनाईपर मैं पहले ही विचार कर चुका हूँ।^१ ये जो उदाहरण दिये गये हैं वे तो नमूने-भर हैं। यह कठिनाई तो सभी जगह मौजूद है। मैंने सुझाया है कि खादी-विशेषज्ञोंको खादीके इस पहलूका वैज्ञानिक रूपमें अध्ययन करके इसका उपाय ढूँढना चाहिए। लेकिन खोजके दूसरे सब कार्योंकी तरह इसमें भी समय लगेगा। इस बीच बचे हुए मालको तो खपाना ही होगा। देशभक्त जनताका यह काम है कि वह इसमें सहायता करे। मुझे अपनी वर्षगाँठ मनाये जाने का कोई शौक नहीं है। मेरे लिए कोई और दिन भी वर्षगाँठ-जैसा ही शुभ-अशुभ है। जहाँतक मुझे याद है, मेरे माता-पिता अपने बच्चोंकी वर्षगाँठ कभी नहीं मनाते थे। मुझे अपने जन्मदिनकी तारीख इसलिए याद है, कि अपनी लन्दनकी परीक्षाके लिए मुझे अपने जन्मका प्रमाण-पत्र लेना पड़ा था। लेकिन इस तारीखका खयाल मुझे खादीके पुनर्जन्मसे पहले कभी नहीं हुआ। खादी-प्रेमियोंने मेरे जन्मदिनको खादीकी विक्री बढ़ाने का अवसर बना लिया है। अपने जन्मदिनका इस तरह उपयोग किये जाने की मैंने परवाह नहीं की, बल्कि जहाँतक गुजराती भाषा-भाषियोंका सम्बन्ध है, उसे मैंने थोड़ी-बहुत सफलताके साथ 'रेटियाजयन्ती' (चरखा जयन्ती) का नाम देने की कोशिश की। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही यह तिथि मनाने का रिवाज शुरू किया। तबसे खादी और ग्रामोद्योगोंको लोकप्रिय बनाने के लिए भारतके अनेक भागोंमें निरन्तर खादी-सप्ताह मनाया जा रहा है। पाञ्चात्य पंचांगके अनुसार आगामी २ अक्तूबर और विक्रम संवत्के अनुसार १० अक्तूबरसे खादी-प्रेमियोंको बड़ी आशाएँ हैं। संयुक्त प्रान्त, तमिलनाडु और अन्य प्रान्तोंमें खादी-हुँडियाँ जारी की गई हैं, जिनकी इस अवसरपर बहुत माँग होने की उन्हें आशा है। इस बातको खास तौरसे

१. "गांधीजी की ७१ वीं वर्षगाँठके अवसरपर" अ० मा० चरखा संघके सहायक मन्त्री द्वारा भेजी गई रिपोर्ट हिन्दुस्तान टाइम्स, २९-९-१९३९ के अंकमें गांधीजीकी "अपील" के रूपमें प्रकाशित हुई थी।

२. देखिए पृ० ११६-१८।

महत्त्व दिया जा रहा है कि इन तारीखोंपर मैं अपनी आयुके सत्तर वर्ष पूरे कर चुकूंगा — अलबत्ता इसी अनुमानपर कि तबतक मैं जिन्दा रहूँगा। लेकिन मैं जिन्दा रहूँ या नहीं, ये तारीखें तो आर्योगी ही। और अगर जनताके लिए यह जानना कोई महत्त्व रखता है तो उसे जान लेना चाहिए कि मेरी आत्माको, चाहे वह इस शरीरमें रहे या इसके बाहर, यह सोचकर निश्चय ही खुशी होगी कि आज हिन्दुस्तानमें पर्याप्त सख्यामें ऐसे भाई-बहन मौजूद हैं जो अधभूखे ग्रामीणों द्वारा तैयार की गई सारी खादीको दरिद्रनारायणकी खातिर खरीद लेने के कार्यमें इकट्ठा होने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। खादी न खरीदने के लिए युद्धका बहाना किसीको नहीं करना चाहिए। युद्ध हो या न हो, जबतक हममें जीवन है तबतक हमें खाने-कपड़ेकी जरूरत तो होगी ही। फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि गाँवोंके हमारे जरूरतमन्द बहन-भाइयोंके परिश्रमसे जो कपड़ा तैयार हो उसीसे हम अपने तन ढके ?

त्यागकी जरूरत

श्री शंकरलाल वैकर लिखते हैं कि युद्धके कारण विदेशी रंगके दाम काफी बढ़ गये हैं। खादीको आकर्षक बनाने के लिए अ० भा० चरखा संघने विदेशी रंगसे खादीको रँगने की इजाजत दे रखी है। अब अगर विदेशी रंगका इस्तेमाल जारी रहा, तो खादीकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मूल्य-वृद्धिको रोकने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि खादी-मण्डार विदेशी रंगका इस्तेमाल करना बन्द कर दें और देशी रंगके इस्तेमाल तक ही अपनेको सीमित रखकर उनसे जैसा रंग हो सकता हो उसीसे सन्तोष करें। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आम लोग अपनी रुचिको सादा बनाकर चरखा सघको इस प्रयोगमें प्रोत्साहन दें। अगर आम लोग ऐसा करे, तो यह बहुत सम्भव है कि आवश्यकता एक बार फिर और अनेक आविष्कारोकी जननी बनेगी और देशी रंगसे सुन्दर रंग तैयार किये जा सकेंगे।

मेरी बात प्रमाण नहीं

अ० भा० चरखा सघके मन्त्रीने मेरा ध्यान २६ अगस्तके 'हरिजन' में प्रकाशित 'कर्त्तव्योकी मजदूरी' शीर्षक मेरे लेखकी ओर आकषित किया है, जिसमें निर्धारित दरसे कम दरपर काते गये सूतसे तैयार की जानेवाली खादी खरीदने के बारेमें चर्चा की गई है। उनके कहने का सार यह है।

बहुत-से लोग आपके शब्दोंको प्रमाण मानते हैं, विशेषकर खादीके सम्बन्धमें, क्योंकि आप चरखा सघके अध्यक्ष हैं। इसलिए क्या आप स्पष्ट रूपसे यह नहीं कहेंगे कि 'हरिजन' में आपने जो राय व्यक्त की है उससे चरखा सघके प्रस्ताव नहीं बदलते या और कोई असर उनपर नहीं पड़ता, और जो आपसे सलाह ले उन्हें उसके अनुसार तभी व्यवहार करना चाहिए जब

सूतकी कीमतके बारेमें चरखा सघ द्वारा स्वीकृत हालके प्रस्तावके अनुसार वे पहले सघके मन्त्रीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें ?

मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि मन्त्रीने जो कुछ लिखा है उसके हर एक शब्दका मैं समर्थन करता हूँ। 'हरिजन' में मैं जो कुछ लिखता हूँ, उसका उतना ही महत्त्व है जो किसी भी सम्पादकीय लेखका होता है, उससे अधिक नहीं। उसे मेरी व्यक्तिगत राय ही मानना चाहिए और उसका महत्त्व सम्बन्धित विषयकी प्रामाणिक संस्था द्वारा पास किये गये प्रस्तावोंके समक्ष गौण है।

यहूदी धर्ममें शराब

जब मैंने देखा कि यहूदियोंने शराब पीने के सम्बन्धमें छूट दिये जाने के लिए दावा किया है और बम्बईके स्वास्थ्य-मन्त्री डॉ० गिल्डरने^१ यहूदियोंके मद्य-सेवनके दावेको स्वीकार कर लिया है, उस समय मुझे बड़ी विकलता हुई। क्योंकि जोहानिस-वर्गमें, जहाँ बहुत-से यहूदी मेरे मित्र थे, यहूदियोंका मेरा अपना जो अनुभव है वह बम्बईके यहूदियों द्वारा किये गये दावेसे बिलकुल भिन्न है। अतः मैंने जोहानिसवर्गके अपने एक मित्र श्री एच० कैलेनवैकको यहूदियोंके जोहानिसवर्ग-स्थित मुख्य धर्मगुरुसे इस सम्बन्धमें प्रामाणिक सम्मति लेकर भेजने को लिखा। डॉ० लेडोकी सम्मति यह है :

मैं नम्रतापूर्वक यह बता देना चाहता हूँ कि सनातनी यहूदी 'सेबथ' (रविवार) को पवित्र करने के लिए, अथवा छुट्टीके दिन सिनेगांग (यहूदी गिरजे) में प्रार्थनाके बाद या घरपर भोजन के पहले, तथा 'पासअवर' उत्सवके पहले दो बार खास तौरपर बनाई गई मदिरा (कशेर) ले सकता है।

परन्तु वह शराब (फल आदिको) सड़ाकर बनाई गई हो, यह जरूरी नहीं है।

मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि यहूदियोंमें शराब पीनेका विधान नहीं किया गया है, बल्कि वह तो एक परम्परा चली आई है, जिसे यहूदी बनाये रखना चाहते हैं; क्योंकि उसका 'तालमुद' तथा यहूदी कानूनमें उल्लेख किया गया है।

अगर बम्बईके यहूदी इस बातको प्रामाणिक मान ले, तो उन्हें अपना दावा वापस ले लेना चाहिए और अगूरोके रसपर ही सन्तोष करना चाहिए, क्योंकि मेरे विचारसे 'बाइत' शब्दका मौलिक अर्थ यही है। यहाँ यह बात भी स्मरणीय है कि इस मद्य-सेवनका भी यहूदी धर्मग्रन्थोंमें विधान नहीं है, बल्कि वह तो केवल एक परम्परा-मात्र है।

सेगाँव, -१० सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १६-९-१९३९

१९८. पत्र : हरिवंशसिंहको

सेगाँव, वर्षा

१० सितम्बर, १९३९

महोदय,

आपका पत्र मिला है। जो पत्रिकायें आपने भेजी है उसमें तो कुछ भयकरता प्रतीत नहीं होती है। किसानोंके तरफसे कुछ भी अत्याचार न होने पाये, इसलिये मैं यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन पूर्ण न्याय होनेकी तैयारी जमींदारोंके तरफसे होनी चाहिये। इस बारेमें मैं 'हरिजन' में लिखनेकी कोशिश करूँगा।

आपका,

मो० क० गांधी

श्री हरिवंशसिंह
तिर्वा

पत्रकी नकलसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य. प्यारेलाल

१९९. मेरी सहानुभूतिका आधार

बाइसरायसे मुलाकातके बाद मैंने जो वक्तव्य दिया,^१ उसपर तरह-तरहके विचार व्यक्त किये गये हैं। एक आलोचकने उसे भावुकतापूर्ण बकवास कहा है तो दूसरेने उसे राजनीतिज्ञतापूर्ण घोषणा बतलाया है। इन दोनोंके बीच ऊँचा-नीचा स्वर निकालनेवाले अन्य लोग भी हैं। मैं समझता हूँ कि अपने-अपने दृष्टिकोणसे सभी आलोचकोंका कहना ठीक है, लेकिन जो परिष्कृत दृष्टिकोण हो सकता है उससे— अर्थात् लेखकके दृष्टिकोणसे— वे सभी गलतीपर हैं। उसने [अर्थात् मैंने] तो सिर्फ अपने सतोषके लिए ही यह लिखा था। उसमें मैंने जो-कुछ कहा है उसके हरएक शब्दपर मैं कायम हूँ। हरएक मानवतापूर्ण सम्मतिका जो राजनीतिक महत्त्व होता है, उसके अलावा उसका और कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं है। विचारोंके पारस्परिक सम्बन्धकी नहीं रोका जा सकता।

एक सज्जनने तो उसके खिलाफ बड़ा तीखा पत्र मुझे भेजा है। उसका उत्तर देना जरूरी है। मैं यहाँ उस पत्रको उद्धृत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके

१. देखिए पृ० १७८-८०।

कुछ अशुद्ध मेरी ही समझमें नहीं आये हैं। लेकिन उसका भाव समझने में मुश्किल नहीं है। उसकी मुख्य दलील यह है :

अगर इंग्लैंडके संसद भवन और वेस्टमिन्स्टर ऐबिके सर्वनाशकी सम्भावना पर आप आँसू बहाते हैं, तो जर्मनीके प्राचीन स्मारकोंके सम्भावित नाशकी कल्पनापर आपके आँसू क्यों नहीं निकलते? और आप इंग्लैंड एवं फ्रांसके ही क्यों सहानुभूति रखते हैं, जर्मनीसे आपको सहानुभूति क्यों नहीं है? पिछले युद्धके बाद मित्र-राष्ट्रोंने जर्मनीमें जो तबाही मचाई थी, क्या हिटलर उसका जवाब नहीं है? अगर आप जर्मन होते और हिटलरकी-नी उपाय-कुशलता आपके पास होगी, तथा सारी दुनियाकी तरह आप भी बदला लेने के सिद्धान्तमें विश्वास करते होते, तो जो हिटलर कर रहा है वही आप भी करते। नाजीवाद बुरा हो सकता है। दरअसल वह क्या है, यह हम नहीं जानते। हमें जो साहित्य मिलता है वह इकतरफा होता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि चेंब्रलेन और हिटलरमें कोई फर्क नहीं है। हिटलरकी जगह यदि चेंब्रलेन होते, तो भी उससे अन्यथा न करते। हिटलरकी चेंब्रलेनने तुलना कर हिटलरको बुरा बताकर आपने उनके साथ अन्याय किया है। इंग्लैंडने हिन्दुस्तानमें जो-कुछ किया, वह क्या किनी तरह भी उससे अच्छा है, जो ऐसी परिस्थितियोंमें दुनियाके दूसरे हिस्सेमें हिटलरने किया है? हिटलर तो पुराने साम्राज्यवादी इंग्लैंड और फ्रांसका एक वालगिण्ड-मात्र है। मैं समझता हूँ कि वाइसराय-भवनमें भावुकताने आपकी दृष्टिको अभिभूत कर लिया था।

इंग्लैंडके कुहृत्योंका, मचाईका खयाल रखते हुए, मैंने जितने जोरोंसे बर्णन किया है उतने जोरोंसे शायद किसी और ने नहीं किया है। उसी तरह जितने प्रभावकारी रूपमें मैंने इंग्लैंडका प्रतिरोध किया है उतने प्रभावकारी रूपमें शायद और किसीने नहीं किया है। और प्रतिरोध करने की इच्छा तथा शक्ति भी मुझमें ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। लेकिन जिन तरह बोलने और कार्य करने का अवसर होता है उसी तरह मौन और निष्क्रिय बनने का भी अवसर होता है।

सत्याग्रहके आशयमें शत्रु शब्द नहीं है। लेकिन चूँकि नत्याग्रहियोंके लिए नया कोश तैयार करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं पुराने शब्दोंका ही नये अर्थमें प्रयोग करता हूँ। सत्याग्रही अपने तथाकथित शत्रुके साथ भी अपने मित्र-जैसा ही प्रेम करता है, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं होता। सत्याग्रही जानी अहिंसाका उपासक होने के नाते, मुझे इंग्लैंडके भलेकी ही इच्छा करनी चाहिए। इस बड़ी जर्मनी-सम्बन्धी मेरी इच्छाओंकी न तो कोई प्रासंगिकता थी और न है। लेकिन अपने वक्तव्यमें कुछ शब्दोंमें मैंने यह बात कही है कि विध्वस्त जर्मनीकी राखपर मैं अपने देगकी आजादीका महल खड़ा नहीं करना चाहता। जर्मनीके पुराने स्मारकोंके सर्वनाशकी सम्भावनाका विचार करके भी शायद मैं उतना ही विचलित हो जाऊँ। लेकिन हर हिटलरको मेरी सहानुभूतिकी कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान गुण-दोषोंको देखने के लिए इंग्लैंडके पिछले कुहृत्यों और जर्मनीके पिछले सुकृत्योंका उत्प्लेख

अप्रासंगिक है। इस बातका कोई खयाल न करते हुए कि इससे पहले ऐसी ही हालतमें अन्य राष्ट्रोंने क्या किया, मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ — चाहे यह सही हो या गलत — कि इस युद्धकी जिम्मेदारी हर हिटलर पर ही है। उनके दावेके बारेमें मैं अपना कोई निर्णय नहीं देता। यह बहुत मुमकिन है कि अगर डानज़िग-निवासी जर्मन अपने स्वतन्त्र दर्जेको छोडना चाहें, तो डानज़िगको जर्मनीमें मिलाने का उनका अधिकार असन्दिग्ध हो। यह भी हो सकता है कि पोलैंडसे होकर जानेवाले रास्तेको अपने कब्जेमें करने का उनका दावा ठीक हो। मेरी शिकायत तो यह है कि वह एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरणके द्वारा इस दावेकी जाँच क्यों नहीं होने देते? अपने दावेका पचासि फ़ैसला कराने की बातको अस्वीकार कर देने का यह कोई जवाब नहीं है कि यह बात ऐसे हलकोसे उठाई गई है जिनका इसमें स्वार्थ है। ठीक रास्तेपर आने की प्रार्थना तो कोई चोर भी अपने साथी चोरसे कर सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं यह कहने में कोई गलती नहीं करता कि हर हिटलर अपनी माँगकी एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा जाँच होने दें, इसके लिए सारा संसार उत्सुक था। उन्होने जो तरीका अपनाया है यदि वे उसमें सफल हो जाते हैं तो वह उनके दावेके न्यायोचित होनेका प्रमाण नहीं होगा। वह तो इसी बातका प्रमाण होगा कि मानव-जातिके व्यवहारमें अब भी जगलका कानून, अर्थात् जिसकी लाठी उसकी भँसका न्याय ही प्रचलित है। वह इस बातका एक और सबूत होगा कि हम मनुष्योंने यद्यपि अपना रूप बदल दिया है पर पाशविक तरीकोंको नहीं बदला है।

मैं आशा करता हूँ कि मेरे आलोचकोको अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि इंग्लैंड और फ्रांसके प्रति मेरी सहानुभूति मेरे क्षणिक आवेश या उन्मादका परिणाम नहीं है। इसका उद्गम तो अहिंसाके उस अजस्र स्रोतसे हुआ है जिसका मैं पिछले पचास वर्षोंसे अपने हृदयमें पोषण करता आया हूँ। मैं यह दावा नहीं करता कि मेरे निर्णयमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैं तो सिर्फ यही दावा करता हूँ कि इंग्लैंड और फ्रांसके प्रति मेरी जो सहानुभूति है, वह युक्तियुक्त है। जिस आधारपर मेरी इंग्लैंड और फ्रांससे सहानुभूति है, उसे जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें मैं अपना साथ देने के लिए आमन्त्रित करता हूँ। यह दूसरी बात है कि उसका रूप क्या होना चाहिए। मैं अकेला तो केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ। और इसलिए मैंने वाइसराय महोदयसे भी यही कहा है कि युद्धमें प्रत्यक्ष रूपसे प्रवृत्त लोगोंको जिस सर्वनाशका मुकाबला करना पड़ रहा है, उसके सामने मेरी सहानुभूतिका कोई ठोस मूल्य नहीं है।

सेर्गाव, ११ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १६-९-१९३९

२००. काठियावाड़की रियासतें

कुछ दिन हुए मैंने 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित एक लेखमालाकी चर्चा की थी। इस लेखमालामें राज्योंका और खास तौरसे काठियावाड़की रियासतोंका परिसर बनाये जाने की योजनाका सुझाव दिया गया है। मैंने आर० एल० एच० के लेखोंकी कतरनोंको इस विचारमें सौभालकर रखा था कि 'हरिजन' के स्तम्भोंमें जगह मिलने पर मैं ५ और ७ जुलाईको 'ट्रिब्यून' में छपे लेखोंके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंशोंको 'हरिजन' में उद्धृत करूँगा। ये उद्धरण इस अकमें अन्यत्र प्रकाशित किये गये हैं और ये राजाओं तथा काठियावाड़की जनता, दोनोंके लिए दिलचस्प होने चाहिए। लेखक स्पष्ट ही रियासतोंका मित्र है। वह उनका नाश नहीं, अपितु उनमें सुधार चाहता है। लेखकनी इस योजनापर उन सब लोगोंको गम्भीरताके साथ विचार करना चाहिए, जो रियासतोंके शासन-प्रबन्धके मामलेमें दिलचस्पी रखते हैं।

सेर्गाव, ११ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीमें]

हरिजन, ३०-९-१९३९

२०१. पत्र : जी० एन० कानिटकरको

सेर्गाव, वध

११ सितम्बर, १९३९

प्रिय बालुकाका,

आपने मुझे जो लम्बा पत्र लिखा है उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूँ, और मैं आपका अनुकरण नहीं कर सकता इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप जनताको कुछ ठोस परिणाम दिखायें तो आप सफल होंगे। एक जमाना था जब आप

१. देखिए पृ० ९८-९९।

२. आर० एल० एच०; देखिए पृ० ९३।

३. देखिए परिशिष्ट ४।

४. ये सेवानन्दके नामसे भी जाने जाते हैं।

१९०

कुछ किया करते थे हालांकि वह था। और आज आप योजनाएँ बनाते हैं और भाषण देते हैं।

कैसी पतनावस्था है !

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री बालुकाका कानिटकर
हिन्द माता मन्दिर
३४१, सदाशिव, पूना-२

अग्नेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६८) से, सौजन्य : जी० एन० कानिटकर

२०२. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगाँव, वर्षा
११ सितम्बर, १९३९

चि० नारणदास,

तुम्हारी वर्षेगाँवके बारेमें मालूम हुआ।

साथके पत्र जिन-जिन व्यक्तियोंको लिखे गये हैं उन-उन व्यक्तियोंको दे देना।

तुम्हारा वनवास^१ तो अब जल्दी ही खत्म होनेवाला है। समय बीतता ही जाता है। तुम्हारे पल-पलका हिसाब रहता है, पल-पलका सदुपयोग होता है। वहाँ समय कैसे बीतता है, इसका प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुम्हें अभी बहुत काम करने हैं। इसके लिए ईश्वर तुम्हें लम्बी उम्र देगा।

‘प्रवेशिका’ के बारेमें तुमने मेरे मुद्देको समझ लिया है, इतना ही पर्याप्त है। मुझे कोई जल्दी नहीं है।

‘कनैयाकी’ तवीयत तो अच्छी ही है। वह किसी-न-किसी काममें जुटा रहता है। प्यारेलाल भी उसे पर्याप्त काम सौंप रहे हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५६१ से भी;
सौजन्य : नारणदास गांधी

१. साधन-सूत्रमें यहाँ एक शब्द पढ़ा नहीं जाता।
२. गांधीजी से अलग रहने तथा निष्ठापूर्वक अपना काम करने के कारण
३. यहाँ संकेत सम्भवतः खादी-शास्त्रसे सम्बन्धित उस पुस्तिकाकी ओर है जिसे गांधीजी ने नारणदाससे लिखने को कहा था; देखिए खण्ड ३६, पृ० ३५-३६।
४. नारणदास गांधी के पुत्र, कल।

२०३. पत्र : विजयावहन एम० पंचोलीको

सेगांव, वर्धा
११ सितम्बर, १९३९

वि० विजया,

तेरा पत्र मिला। अब तो हमारी यही इच्छा होनी चाहिए कि पिता दुःखसे मुक्त हो जायें। मेरी सलाह है कि उन्हें किसी तरहकी खुराक न दी जाये। पानी जितना पी सकें उतना पीयें। मुसम्बीका रस लेना हो तो ले ले, लेकिन दूध नहीं। ऐसा करने से कमसे-कम कष्ट होगा। उन्हें ऐसी जगह सुलाया जाये जहाँ हवा और प्रकाश हो। उन्हें रामनाम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। तू उनके पास बैठकर मंजन गाना। माँको समझाना। यदि तू हिम्मत नहीं हारेगी तो अन्य सब लोगोंमें भी हिम्मत आ जायेगी। तू अन्ततक प्रसन्न-मुख बनी रहना। जिन्हे ईश्वरमें विश्वास है वे लोभ रोते नहीं हैं। मैं और वा ठीक हूँ। मैं तो तेरी राह देख रहा था। फिलहाल तो यह उम्मीद छोड़ रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

श्री विजयावहन सेगांववाली
मारफत नारणभाई वल्लभभाई पटेल
वराड

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७११६) से। सी० डब्ल्यू० ४६०८ से भी;
सौजन्य : विजयावहन एम० पंचोली

२०४. टिप्पणी : 'एक महाराजाकी धमकी' पर^१

चूँकि इस बारेमें शंका व्यक्त की गई थी कि मैंने महाराजाधिराजको जो पत्र लिखा था वह उन्हें मिला अथवा नहीं, अतः सही स्थिति जानने के लिए मैंने एक तार दिया था। जवाबमें मुझे सूचित किया गया कि उन्हें पत्र नहीं मिला। मैंने उपर्युक्त लेखको, जो पहले ही 'हरिजन' के व्यवस्थापकको भेजा जा चुका था, वापस भेगवा लिया। मेरे साथी कार्यकर्त्ताओपर कामका बहुत ज्यादा बोझ होने के कारण 'हरिजनसेवक' (हिन्दुस्तानी)के लिए भेजा गया लेख वापस नहीं भेगवाया जा सका।

१. देखिये पृ० १३६-३८।

२. देखिये परिशिष्ट ९।

इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लेख और पत्रके उत्तरमें महाराजाधिराजने जो पत्र भेजा है, दोनोंको प्रकाशित करने से सचाई ठीकमे सामने आ जायेगी। उत्तर अपने-आपमें स्पष्ट है। मेरे पत्र-लेखकने १९३२ की हिदायतके बारेमें जो-कुछ कहा है, इससे उसकी काफी हदतक पुष्टि हो जाती है। यह आशा की जाती है कि इस हिदायतको जल्द ही रद्द कर दिया जायेगा। यह दावा किया जाता है कि आज जो युद्ध हो रहा है, वह लोकतन्त्रकी प्राप्तिके लिए किया जा रहा है, ऐसे समयमें बिना किसी उचित कारणके जनताकी स्वतन्त्रतापर अक्रुश लगाना किसी राजाको शोभा नहीं देता।

सेगाँव, १२ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १६-९-१९३९

२०५. पत्र : विजयावहन एम० पंचोलीको

सेगाँव, वर्ष

१३ सितम्बर, १९३९

चि० विजया,

तू कौसी पगली है! मेरा पत्र^१ तुझे मिला होगा और तूने अपने आँसुओंको रोक लिया होगा। यदि तू इस तरह कमजोर पड़ेगी तो घरमें सब लोग रोते ही रहेंगे और भारी अशान्ति पैदा हो जायेगी। इसलिए केवल तुझपर ही शान्ति आधारित है। तू तो ईश्वरमें विश्वास करती है। उसके लिए तो मरना, जीना, पैदा होना सब-कुछ एक ही है। ये तीनों चीजें क्षणिक हैं। यदि तू इतना समझ ले तो तू हर समय आनन्द से नाचा करे। अब पिताके लिए तो मैंने तार भेजा है। उम्मीद है, वह मिल गया होगा। पिताजी से कहना कि वे हिम्मत न हारें। उनका जो नाम है उसको सार्थक बनायें। नारायणका — रामका — नाम लेते हुए स्वधाम चले जायें। वे जहाँ जायेंगे वहाँ शान्ति-ही-शान्ति है। अपने पीछे छूट जानेवाले लोगोंकी तनिक भी चिन्ता न करें। पानी ही उनकी खुराक और राम-नाम ही सबसे अच्छी औषध है। आजकल मुझे रोज पत्र लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७११७)से। सी० डब्ल्यू० ४६०९ से.सी.; सौजन्य - विजयावहन एम० पंचोली

१. देखिये पृ० १९२।

२०६. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

सेगाँव,

१५ सितम्बर, १९३९

विश्व-संकट के वारेमें कांग्रेस कार्य-समितिके जो वक्तव्य जारी किया है उसपर लगातार चार दिनोतक^१ विचार किया गया और तब उसकी आखिरी रूपरेखा निर्धारितकी गई। कार्य-समितिकी ओरसे निमन्त्रित किये जाने पर उस वक्तव्यका मसौदा पं० जवाहरलाल नेहरूने तैयार किया और उसपर कार्य-समितिके सभी सदस्योंने खुले तौरसे अपने-अपने विचार व्यक्त किये। मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि वहाँपर केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसका यह विचार था कि ब्रिटेनको जो भी सहायता दी जाये वह बिना शर्तके दी जानी चाहिए। यह केवल शुद्ध अहिंसाके आधारपर ही किया जा सकता था। लेकिन कार्य-समितिको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी। वह विधुद्ध अहिंसात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना सकती थी। कार्य-समितिके यह महसूस किया कि देशने अहिंसाकी भावना उस हदतक ग्रहण नहीं की है जिससे उसमें इतनी शक्ति आ गई हो कि वह विरोधीकी कठिनाइयोसे लाभ उठाने के विचारको हेय समझे। लेकिन कार्य-समितिके अपने निर्णयके कारण बताते समय ब्रिटेनके प्रति अधिकतम सहानुभूति दिखाने की इच्छा व्यक्त की।

वक्तव्य तैयार करनेवाला व्यक्ति एक कलाकार है। हालाँकि साम्राज्यवादका — चाहे उसका कोई भी रूप अथवा आकार क्यों न हो — विरोध करने में उसका कोई सानी नहीं है, फिर भी वह अंग्रेजोंका मित्र है। सचमुच, वह अपने विचारों

१. यह “गांधीजीज कमैन्ट ऑन द मैनिफेस्टो” (घोषणा-पत्रपर गांधीजी के विचार) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। १६-९-१९३९ के हिन्दूमें कहा गया था: “जब हिन्दूका प्रतिनिधि और अन्य पत्र-प्रतिनिधि गांधीजी के पास गये और उनसे कार्य-समितिके घोषणा-पत्रपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा तो गांधीजी ने इस सम्बन्धमें एक वक्तव्य देना स्वीकार कर लिया और इसके लिए उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियोंको सेगाँव आने के लिए आमन्त्रित किया। शामको प्रार्थनाके तुरन्त बाद गांधीजी अपना वक्तव्य तैयार करने के लिए बैठ गये। . . . एक घंटे बाद वक्तव्य तैयार हो गया और जब श्री महादेव देसाई उसे पढ़कर सुनाने लगे, तब कुछ लोग लालटेनके इर्दगिर्द इकट्ठे हो गये। गांधीजी भी आ गये और जैसे-जैसे महादेव देसाई वक्तव्य पढ़ते गये गांधीजी उसे ठीक करते गये, और जहाँ-तहाँ भाषामें सुधार भी करते गये। . . . जब श्री देसाई वक्तव्य पढ़ चुके तब एक पत्र-प्रतिनिधिने पूछा, ‘तब इतना ही है?’ तब गांधीजी मुस्कराये और कहा, ‘वया इतना काफी नहीं है?’ और वे वहाँसे उठकर चले गये।” घोषणा-पत्रके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट २०।

२. २० से २४ सितम्बरतक

और रंग-रङ्गमें भारतीयसे अधिक अग्रेज है। उसे अपने देशवासियोंकी अपेक्षा अंग्रेजोंके साथ होने में अक्सर अधिक आराम महसूस होता है। और वह मानवतावादी है, इस अर्थमें कि उसमें हरएक बुराईको देखकर, चाहे वह कहीं भी क्यों न हो, प्रतिक्रिया होती है। इसलिए यद्यपि वह कट्टर राष्ट्रवादी है, तथापि उसकी राष्ट्रीयताकी भावना अन्तर्राष्ट्रीयताकी भावनासे अनुस्यूत है। इसलिए उसका वक्तव्य एक ऐसा घोषणा-पत्र है जो केवल अपने देशवासियों या ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेनकी जनताको ही सम्बोधित करते हुए नहीं बल्कि दुनियाके सभी देशोंको — भारतकी तरह शोषित देशोंको भी — सम्बोधित करके लिखा गया है। उसने कार्य-समितिके जरिये हिन्दुस्तानको न केवल अपनी आजादीके सवालपर, बल्कि दुनियाके दूसरे शोषित देशोंकी आजादीके सवालपर भी विचार करने के लिए बाध्य किया है।

कार्य-समितिके अपना वक्तव्य देने के साथ ही एक बोर्डकी^१ स्थापना की, जिसके अध्यक्ष प० जवाहरलाल ही हैं, जो अपनी इच्छाके अनुसार उसके सदस्य चुनेंगे और वह बोर्ड समय-समयपर आगे पैदा होनेवाली परिस्थितियोंसे निबटेगा।

मुझे आशा है कि इस वक्तव्यको कांग्रेसके सभी पक्षोंका सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त होगा। कांग्रेस-जनोंमें उग्रतम लोगोंको भी उसमें ओजकी कोई कमी दिखाई नहीं देगी। देशके इतिहासमें ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसरपर कांग्रेसियोंको यह विश्वास करना चाहिए कि अगर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी, तो इस कार्रवाईमें दृढ़ताकी कमी नहीं होगी। अगर कांग्रेस-जन अपनेको छोटी-छोटी बातोंमें उलझाये रखेंगे अथवा दलगत झगड़ोंमें पड़े रहेंगे तो यह एक दुःखद बात होगी। यदि हम कार्य-समितिकी इस कार्रवाईसे कोई महत्त्वपूर्ण अथवा बड़ा परिणाम निकलने की उम्मीद करते हैं तो उसके लिए एकान्त और पूर्ण निष्ठाकी भावनाका होना बहुत जरूरी है। मैं यह भी आशा करता हूँ कि दूसरे राजनीतिक दल तथा अन्य सब समुदायोंके लोग कार्य-समितिकी इस माँगको, जिसके जरिये उसने ब्रिटिश सरकारसे अपनी नीतिकी स्पष्ट कर देने के लिए और वर्तमान युद्धकी परिस्थितियोंमें उसपर जहाँतक अमल किया जा सके वहाँतक अमल करने के लिए कहा है, समर्थन देंगे।

मेरे विचारसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लोकतन्त्रकी दुहाई दिये जाने का स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि हिन्दुस्तानका और ब्रिटेन द्वारा शासित अन्य सभी देशोंका स्वतन्त्रता और स्वाधीनताका दर्जा स्वीकार कर लिया जाये। अगर इस युद्धसे इतना भी नहीं होता, तो शासित देशों द्वारा दिया जानेवाला सहयोग वास्तवमें स्वेच्छाप्रेरित नहीं हो सकता। हाँ, यदि सहयोग विशुद्ध अहिंसाके आधारपर दिया जाये तो बात और है।

इस सम्बन्धमें जिस बातकी जरूरत है वह सिर्फ यही है कि ब्रिटिश राज-नेताओंके दृष्टिकोणमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए, या और भी स्पष्ट शब्दोंमें कहें तो इस समय जो सबसे बड़ी जरूरत है वह यह कि युद्धके मौकेपर लोकतन्त्रके

१. अबुल कलाम आजाद और वल्लभभाई पटेल इस बोर्डके सदस्य नियुक्त किये गये थे।

सम्बन्धमें जो घोषणाकी गई है, और जो अब भी ब्रिटिश मंचोंसे डुहराई जा रही है, उसे ईमानदारीके साथ अमलमें लाया जाये। क्या ब्रिटेन हिन्दुस्तान की अनिच्छाके बावजूद उसे युद्धमें घसीटेगा, या वह सच्ची जनसत्ताकी रक्षाके लिए हिन्दुस्तानसे स्वेच्छासे सहयोगको उत्सुक मित्र-राष्ट्रके रूपमें सहायता प्राप्त करना चाहेगा? कांग्रेसका समर्थन ब्रिटेन और फ्रांसके लिए नैतिक दृष्टिसे सबसे महत्त्वपूर्ण होगा। क्योंकि कांग्रेसके पास सैनिक तो हैं नहीं जिन्हें वह दे सके। कांग्रेस हिंसात्मक तरीकेसे नहीं बल्कि अहिंसात्मक तरीकेसे लड़ती है, भले ही उसकी वह अहिंसा कितनी ही अपूर्ण या अमार्जित क्यों न हो।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-९-१९३९

२०७. पत्र : दूधाभाई दाफडाको

सेगांव, वधां

१६ सितम्बर, १९३९

भाई दूधाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे विवाहित स्त्रीसे विवाह कर लेने की बात सुनकर दुःख हुआ। वहाँ बैठे-बैठे जो प्रयत्न कर सको, सो करना। मैं तो लाचार हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२४६) से।

२०८. जयपुर-सत्याग्रह

जैसा कि सेठ जमनालालजी ने अपने सार्वजनिक वक्तव्यमें घोषित किया है, जयपुरका सत्याग्रह सफलताके साथ समाप्त हो गया। महाराजा साहबसे उनकी कई मुलाकातें हुईं। उसका परिणाम यह हुआ कि समाजों और जलूसोंसे सम्बन्धित विनियम वापस ले लिया गया। इसी प्रकार अखबारोंपर लगा प्रतिबन्ध भी उठा लिया गया है, और कई अन्य मामलोंमें सुधार करने का भी आश्वासन दिया गया है।^१ इस सुखद परिणामके लिए महाराजा साहब और सेठ जमनालालजी, दोनों धन्यवादके पात्र हैं—महाराजा साहब तो अपनी न्यायवृद्धिके लिए और सेठ जमनालालजी

१. द इण्डियन एनुअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० २२९-३० के अनुसार सनशौतेकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं: (१) राजकीयिक बन्दी रिहा कर दिये जायेंगे, (२) सभी सनातनपरत्रोंपर से प्रतिबन्ध हटा लिया जायेगा, और (३) सार्वजनिक संस्था अधिनियममें सन्तोषजनक सुधार क्रिया जायेगा, जिसे किसी संस्थाको अपने-आपको रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत न रह जाये।

जयपुर प्रजामण्डलकी ओरसे बातचीत करने में प्रदर्शित अपनी बुद्धिमत्ता और नरमीके लिए। यह एक ऐसे आन्दोलनका सुखद अन्त है जो बड़े समय और शान्तिके साथ चलाया गया था। यह अहिंसाकी विजय है। इसमें बिल्कुल शुरुसे ही अपनी माँगें इतनी कम रखी गई थी जितनी राजनीतिक शिक्षा और अपने विचारोको प्रकट करने के लिए आवश्यक है। उत्तरदायी शासनका ध्येय तो हमेशा रहा है, लेकिन उसे ऐसे उग्र या आक्रमणात्मक रूपमें कभी नहीं पेश किया गया, मानो फौरन ही पूर्ण उत्तरदायित्व दिये जाने पर आग्रह हो। प्रजामण्डलने अपनी मर्यादा और जनताकी पिछड़ी हुई हालतका बुद्धिमानीके साथ ध्यान रखा है। राजपूतानेकी अनेक रियासतोंमें अभीतक लगभग कोई राजनीतिक शिक्षा नहीं देने दी गई है। अतः यदि जयपुरकी प्रजाको सच्चे अर्थमें नागरिक स्वाधीनता मिल गई हो तो यह एक ठोस लाभ होगा। उक्त लाभ सचमुच प्राप्त हो, यह जितना जयपुरके अधिकारियोंके समयपर निर्भर है उतना ही इस बातपर भी निर्भर है कि प्रजा कितनी बुद्धिमानीके साथ उसका उपयोग करती है।

इस सम्बन्धमें सेठ जमनालालजी ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया है। उनका आग्रह है कि किसी अंग्रेजको दीवान न बनाया जाये। मुझे इस राज्यके एक अंग्रेज दीवानके शासन-प्रबन्धकी आलोचनाका दुःखदायी फर्ज अदा करना पडा है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी भी देशी रियासतमें अंग्रेज दीवान कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता। उसे भारतीय राजाके मातहत काम करना पड़ता है। लेकिन अवकाश-प्राप्त अंग्रेज अधिकारी, जिनमें से दीवान चुने जाते हैं, भारतीय नरेशोंसे हुक्म लेने के आदी नहीं होते। वे भारतीय नरेशोंके मिजाजको नहीं समझ सकते और उनके अनुसार अपनेको नहीं ढाल सकते। स्वयं राजा लोग भी अंग्रेज दीवानोंके साथ कभी हिलमिल नहीं पाते। इसके अलावा, वे कितने ही ईमानदार क्यों न हों, अंग्रेज लोग रियासतोंकी प्रजाको कभी नहीं समझ सकते, न उनके साथ धीरजसे पेश आ सकते हैं। उसी तरह प्रजा भी उनके साथ बैसे खुले दिलसे पेश नहीं आ सकती, जैसे कि अपनेमें से ही किसीको दीवान बनाये जाने पर उसके साथ पेश आ सकती है। इस प्रकार किसी देशी रियासतमें अंग्रेज दीवान दुहरी अड़चन पैदा करते हैं और आन्तरिक उन्नतिकी जो थोड़ी-बहुत गुंजाइश होती है वह भी नहीं रह जाती। साथ ही, शासनकी योग्यता रखनेवाले भारतीयोंके लिए अपनी काबिलीयत दिखलाने का जो बहुत सकीर्ण क्षेत्र बचा है, रियासतोंमें अंग्रेज दीवानोंकी नियुक्ति उसपर भी निर्भर कुठाराघात करती है। फर्ज कीजिए यदि दीवानके पद अवकाश-प्राप्त अंग्रेज अधिकारियोंके लिए ही सुरक्षित रहें, तब तो सर टी० माधवराव या सर सालारजग-जैसे व्यक्तियोंकी सेवासे हम सदा वंचित ही रहेंगे और य दो तो बहुत-से ऐसे ही प्रसिद्ध भारतीय दीवानोंके उदाहरण-मात्र हैं।

इसलिए, आशा की जाती है कि अथर महाराजा साहबको अपना दीवान चुनने की सचमुच छूट हो, तो वे किसी ऐसे भारतीयको ही चुनेंगे जो अपनी ईमानदारी,

योग्यता और प्रजाकी आकांक्षाओंके प्रति सहानुभूतिके लिए प्रसिद्ध हो। साथ ही, यह भी आशाकी जाती है कि अगर ब्रिटिश सरकार ही चुनाव करे, तो वह किसी यूरोपीय दीवानको महाराजा साहबके ऊपर न थोपेगी।

सेर्गाव, १७ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-९-१९३९

२०९. पत्र : पुरुषोत्तम के० जेराजाणीको

सेर्गाव, बर्मा

१७ सितम्बर, १९३९

भाई काकुभाई,

भाई लक्ष्मीदास नये गांधीके साथ तुम्हारा जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसे मैं पढ़ गया हूँ। लगता है, तुमने उन्हें जवाब नहीं दिया है। दे सकते तो दे देना। जिस व्यक्तिके नकल की है उसने एक ही तरफ क्यों की? इसमें कागलका अपव्यय होता है और डाक-खर्च भी ज्यादा होता है।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०८५७) से; साँजन्य : पुरुषोत्तम के० जेराजाणी

२१०. टिप्पणियाँ

सिरोही

सिरोही राजपूतानेकी एक रियासत है, जिसकी आबादी १,८६,६३९ और आमदनी, ९,७०,००० रुपये है। अखबारोंमें इसकी चर्चा लाठियाँ चलाये जानेकी घटनाको लेकर हुई है। कहा जाता है कि बिना किसी उत्तेजनके लाठियाँ चलाई गई थी। श्री गोकुलभाई भट्टसे, जो सिरोहीके ही रहनेवाले हैं, मुझे इस घटनाकी प्रामाणिक जानकारी मिली है। श्री गोकुलभाई भट्ट सुयोग्य अब्यापक तथा बफादार कांग्रेस-कार्यकर्त्तके रूपमें जाने जाते हैं। वे अहिंसाकी भावनासे ओतप्रोत हैं। वे हाल में सिरोहीमें रहकर प्रजाके लिए प्राथमिक अविचार प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लाठियाँ चलाये जाने के वारेमें श्री किशोरलाल मगसवालको उन्होंने लिखा है :

१. बापुजा पत्रो—७ : श्री छगनलाल जोशीने, पृ० ३९९ पर छगनलाल जोशीने यना लेख के साथी लक्ष्मीदास गांधीका परिचय-द्वेषे हुए लिखा है : “दरदके एक सदाशही जो ‘नये-गांधी’ के नामसे जाने जाते हैं।”

सिरोहीमें ८ तारीखको जो घटनाएँ हुई उन्होंने सिरोहीकी प्रजाके लिए इस दिनको स्मरणीय बना दिया है। पुलिस एक सभापर एकाएक चढ़ आई, उसने प्रजामण्डलके झण्डेको गिराना शुरू किया और लाठियाँ भी चलाई। यह राष्ट्रीय झण्डा नहीं था। गत फरवरीमें जब रेजीडेंट श्री लोथियन सिरोही आये थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने कार्यालयमें, अपने जलूसों और अपनी सभाओंमें प्रजामण्डलके झण्डेका उपयोग कर सकते हैं। और हम इसीके अनुसार झण्डेका इस्तेमाल कर रहे थे। ३ तारीखको दीवान साहबने जलूसोंमें उसके इस्तेमाल की मनाही कर दी। हमने उनके आदेशके उल्लंघनसे बचने के लिए जलूसका विचार छोड़ दिया। लेकिन सभाओंमें उसका इस्तेमाल किये जाने के बारेमें कोई मनाही नहीं थी, इसलिए हमने अपनी सभामें उसे रखा। अचानक बड़े रोब-दावके साथ पुलिस वहाँ आ घमकी और बिना किसी चेतावनी या आदेशके उसने झण्डेको नीचे गिराना शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्त्ता उससे लिपट गये। मगर पुलिसकी बड़ी ताकतके सामने वे उसे ज्यादा देरतक थामे नहीं रख सके। उनके हाथसे झण्डा छूट गया। मैं किसी तरह उसे पकड़े रहा। इसलिए उन्होंने मुझे झण्डे समेत घसीटा। मेरी गर्दन पकड़कर उन्होंने मुझे मारा। इसके बाद पुलिसने लोगोपर अन्धाधुन्ध लाठियाँ चलानी शुरू कर दी। कहा जाता है कि कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति पुलिसवालों को इस बातके लिए उकसाते रहे कि ऐसे आदमियोंको मत छोड़ना जो कहे कि 'तुम चाहे जितना मारो, पर हम सभासे नहीं जायेंगे।' स्त्रियाँ भी इस लड़ाईमें वीरतापूर्वक शामिल थी। पुलिसने लगभग सात मिनटतक लाठियाँ चलाई होगी। सभा अन्ततक जारी रही। इस घटनासे लोगोका उत्साह भंग नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है।

गोकुलभाईको मैं जानता हूँ। उन्होंने जो विवरण दिया है, और जो गुजरातीमें है, उसपर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। सिरोहीके अधिकारियोंके लिए यह कोई श्रेयकी बात नहीं है। मेरे पास प्रजाकी शिकायतोंकी एक लम्बी फेहरिस्त मौजूद है। अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए वे पूर्णत वैधानिक ढंगसे प्रयत्न कर रहे हैं। मगर अधिकारी लोग उन्हें दूर करने के बजाय स्पष्टत जनताके हीसलेको कुचलने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगोंने अहिंसात्मक प्रतिरोधकी भावना को मली-भाँति हृदयगम कर लिया है, तो पुलिस द्वारा लाठी चलाये जाने के बावजूद अन्तमें सफलता निश्चित है।

एक पोलिश बहनकी अन्तर्व्यथा

चाहे जो हो, लेकिन मैं पोलैंड पहुँचने का प्रयत्न अवश्य कहूँगी। आज रातको जहाजसे बसरा (ईराक)के लिए रवाना हो रही हूँ— वहाँसे तुर्की होकर रूमानिया और रूमानियासे पोलैंड। अन्तरात्माकी पुकारको मैं दरगुजर नहीं कर

सकती। साधारण मनुष्यकी दृष्टिमें यह निरा पागलपन प्रतीत हो सकता है। अब मैं अपनी माताकी खातिर या अपने प्रियजनोंकी खातिर— जो आज पोलैंडके रणक्षेत्रमें किसी भी क्षण प्राण उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हैं— पोलैंड नहीं जा रही हूँ। मैं तो स्वयं पोलैंडके लिए ही जा रही हूँ। मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्रोंकी भी आत्मा होती है। यह आत्मा काल्पनिक वस्तु नहीं, बल्कि एक सजीव सत्य वस्तु है। और अगर कभी मैं पोलैंडकी भूमिपर सचमुच ही पहुँच सकूँ, तो इतनेसे भी मुझे सन्तोष मिल जायेगा, भले ही वहाँ मुझे मेरे प्रिय बन्धु-बान्धव न मिलें। आज राष्ट्रकी आत्मा (तथा शरीर) खुद ही सर्वोपरि बलिदानकी वेदीपर अपनेको होम रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पोलैंड सिर्फ अपने अधिकारोंके लिए नहीं, बल्कि सत्यके लिए, न्यायके लिए, और भारत-समेत समस्त राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताके लिए अपना रक्त बहा रहा है, और संघर्ष कर रहा है। मैं हृदयसे अपनेको हिन्दू मानती हूँ। मैं जितने अंशमें पोलैंडवासिनी हूँ, उतने ही अंशमें मैं अपनेको भारतीय भी मानती हूँ। दोनों ही मातृभूमियाँ मेरे जीवनकी अन्तिम अवधितक मेरी अन्तरात्मामें विराजमान रहेंगी। आज मातृभूमि पोलैंड लहू-रूहान हालतमें वेदनासे तड़प रही है; उसके चरणों तक पहुँचने के लिए यदि मैं यथाशक्ति प्रयास नहीं करती तो मेरे लिए जीना दूभर हो जायेगा। मैं रास्तेसे आपको पत्र लिखूँगी, लेकिन युद्धग्रस्त क्षेत्रमें पहुँचने के बाद नहीं। मैं आपको अक्सर याद किया करूँगी, और जितना बन सकेगा मानसिक सन्देश भेजती रहूँगी। वापूजी, आप अपने महान् प्रेमसे उमड़ते हुए अन्तःकरणसे पोलैंडके उन हजारों निरपराध लोगोंके लिए, जो कष्ट और पीड़ा भोग रहे हैं, उत्कट प्रार्थना करते रहिएगा। उन लोगोंको सहानुभूति, आशीर्वाद और प्रेमपूर्ण विचारोंकी बड़ी आवश्यकता है।

यह पत्र एक पोलिश बहनने बम्बई बन्दरगाहसे भेजा है। मैं उसे कुछ वर्षोंमें जानता हूँ। वह जितनी पोलिश है उतनी ही भारतीय बन गई है। उसने मगनवाड़ीके मगन संग्रहालयमें काम करने का निश्चय किया था। लेकिन लड़ाईकी खबरोंने उसे व्याकुल कर दिया। पोलैंडमें उसकी बूढ़ी माँ है, जिसे वह पारपत्रकी कठिनाईके कारण वहाँसे ला नहीं सकी। जब लड़ाई सचमुच शुरू हो गई, तब वह अपनी माताकी तरफसे विचार करके शान्त हो गई। पर अपने अति सम्बेदनशील स्वभावके कारण ऐसी स्थितिमें जब उसके प्रियजनोका जीवन बिना किसी अपराधके आज जोखिममें आ पड़ा है, उसके मनको चैन नहीं मिला। यह बहन स्वयं पूर्णतः अहिंसामें विश्वास करती है, लेकिन उसकी इस अहिंसाने ही उसे बैचैन कर डाला। उसकी सम्पूर्ण आत्मा,

१. गांधीजी ने खादी तथा अन्य ग्रामीण दस्तकारियोंसे सम्बन्धित मगन संग्रहालयका उद्घाटन ३० दिसम्बर, १९३८ को किया था। यह संग्रहालय मगनलाल गांधीकी स्मृतिमें खोला गया था। इसमें खादीके अलावा शुद्ध, कागज, सादुन बनाने, तेल निकालने और दूधका नमाने के विभाग भी थे।

जो चीज उसके लेखे उसकी मातृभूमिके प्रति घोर अन्याय है, उसके विरुद्ध विद्रोह कर उठी। इसलिए वह अपनी कल्पनाके पोलैडको, जो केवल अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए ही नहीं, बल्कि उन तमाम राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताके लिए भी लड़ रहा है जिन्होंने अपनी स्वतन्त्रता खो दी है, अन्तिम क्षणतक लड़ते देखने के लिए रवाना हो गई। और स्वभावतः ऐसे देशोंमें उसका दूसरा स्वदेश भारतवर्ष भी शामिल है। भगवान् करे, उसका यह स्वप्न साकार हो। यदि पोलैडमें उच्च कोटिकी वीरता और स्वायत्त-हीनता होगी, तो इतिहास इस बातको भूल जायेगा कि उसने हिंसा-बलसे अपनी रक्षा की थी। उसकी हिंसा लगभग अहिंसा ही मानी जायेगी।

सेर्गाव, १८ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-९-१९३९

२११. मन्दिर-प्रवेश

मदुराके एक सनातनी सज्जनने, वहाँका सुप्रसिद्ध मीनाक्षी मन्दिर जिस तरहसे हरिजनोके लिए खोला गया है उसके बारेमें मुझे शिकायत लिख भेजी है। मैंने वह शिकायत श्री वैद्यनाथ अय्यरके पास भेज दी थी, और एक अन्य मित्रको भी उसके बारेमें लिखा था। इन दूसरे सज्जनने मेरे पास उक्त शिकायतका स्पष्ट प्रतिवाद भेजा और अपने पत्रमें^१ उन्होंने यह भी लिखा कि सनातनियोने श्री वैद्यनाथ अय्यरको इतना ज्यादा परेशान किया है कि वे मानसिक रूपसे उद्वेलित हो गये हैं। इसपर मैंने उन्हें एक लम्बा तार भेजा कि उन्हें सतानेवाले उनके बारेमें चाहे जो कहे या करे, उन्हें उसपर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसमें मैंने यह भी कहा कि एक धार्मिक सुधारकके रूपमें उन्हें पूर्णतः अनासक्त भावसे सब तरहके दुःखोंके बीच शान्त और स्थिरचित्त रहकर काम करना चाहिए। मेरे तारका उन्होंने यह आश्वासनप्रद उत्तर दिया :

भगवती मीनाक्षीकी कृपा और आपके आशीर्वादसे मैंने स्वाभाविक शान्ति प्राप्त कर ली है। काम जारी है। आशा है कि दूसरे बड़े-बड़े मन्दिर भी जल्दी ही खुल जायेंगे। आपका स्नेह और आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सम्बल है।

यह उत्तर इस महान् सुधारकके अनुरूप ही है। श्री वैद्यनाथ अय्यर अस्पृश्यता-निवारण प्रवृत्तिके अत्यन्त विनम्र और मूक कार्यकर्त्ताओंमें से हैं। वे एक ईश्वरभीष्ट मनुष्य हैं। दिल्लीके श्री ब्रजकृष्ण चाँदीवालाने, जो दक्षिणकी तीर्थयात्रा करने गये थे, अपने मदुराके अनुभव बताते हुए लिखा है :

सात दिन मैं पाँडिचेरीमें ठहरा और पाँच दिन रमण-आश्रममें। इसके बाद ठेठ रामेश्वरम् तक गया। दक्षिणके मन्दिरोंको देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी। लेकिन

मैं उन मन्दिरोंमें नहीं जाता था, जिनके द्वार हरिजनोंके लिए बन्द थे। तथापि मैं मयुरा और तंजौरके मन्दिरोंमें गया। अन्य मन्दिरोंको मैंने बाहरसे ही देखा। उनमें से बहुतोंके सामने कुछ समयतक खड़ा-खड़ा सोचता रहा—और मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि उन लाखों हरिजनोंके लिए यह निदनीय प्रतिबन्ध क्या अर्थ रखता होगा, जो देव-दर्शनकी लालसा रखते हुए भी इन बड़े-बड़े मन्दिरोंके अहातेमें पैर भी नहीं रख सकते। हम लोग, जिन्हें मन्दिरोंमें जाने का अधिकार है, उनमें प्रवेश करने का कभी विचार तक नहीं करते। लेकिन इस बार मैं अभिभूत हो उठा। उन्हें देखने के लिए मैं उत्कण्ठित हो उठा, और अपने हृदयकी गहराइयोंसे प्रार्थना करने लगा कि प्रभु इन सनातनियोंका हृदय-परिवर्तन कर दे, और अन्य मन्दिर भी वह हरिजनोंके लिए खोल दे, जिससे मैं भी उनमें देव-दर्शनार्थ जा सकूँ। श्री वैद्यनाथ अय्यरके घरपर मैंने यह भी अनुभव किया कि उन-जैसे सुधारकोंको हरिजनोंको मन्दिर-प्रवेश करने देने के कारण कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। मैंने अगर खुद अपनी आँखों न देखा होता कि श्री वैद्यनाथ अय्यरपर कंती बीत रही है, तो मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता था कि मनुष्य-स्वभाव इतना नीचे उतर सकता है, जैसा कि मैंने मयुरामें देखा। उनके प्रति सनातनियोंका वरताव अत्यन्त अशोभन रहा है। विरोधियोंने जो तरीके अपनाये हैं उनमें से एक तरीका यह भी है कि श्री वैद्यनाथ अय्यरके बारेमें झूठी बातोंका प्रचार किया जाये। किन्तु वे तथा उनकी पत्नी, दोनों इन सब अत्याचारोंको वीरतापूर्वक सहन कर रहे हैं।

अभी चार दिन पहले कुमकोणम्की कुछ महिलाओंका एक पत्र मुझे मिला, जिसमें उन्होंने सुधारकोंकी ओरसे किये जानेवाले व्यवहारको लेकर शिकायत की थी। वे मुझसे मिलना चाहती थी। काफी कामके बावजूद मैंने उन्हें शीघ्र मिलने का समय दे दिया, पर अस्पृश्यताके सम्बन्धमें मेरे जो विचार हैं उनसे भी मैंने उन्हें आगाह कर दिया। उन्होंने अपने तारपर अफसोस जाहिर किया, और लिखा कि चूँकि मैंने उनकी शिकायतपर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अब आने का इरादा छोड़ दिया है। इसके बाद, मैंने 'हिन्दू' में श्रीरंगम्की घटनाओंकी रिपोर्ट पढ़ी है। डॉक्टर राजनने वहाँके तथाकथित सनातनियोंके लज्जाजनक व्यवहारका स्पष्ट विवरण दिया है। डॉ० राजनके इस विवरणपर शका करने का कोई कारण नहीं है। यह धर्मकी बात है कि एक अन्यायका समर्थन कराने के लिए भोली स्त्रियोंका अनुचित उपयोग किया जा रहा है। हरिजन-कार्यके सिलसिलेमें मेरे दौरे के समय क्या-क्या हुआ करता था वह सब मुझे स्पष्ट याद है। मेरे या मेरे प्रवासके बारेमें दुरेसे-दुरा असत्य फैलाया जाता था। जहाँतक मैं देख सकता था, विरोध केवल मुट्ठी-भर लोगोंतक सीमित था। मैंने तबतक कभी कोई मन्दिर नहीं खोला, जबतक मुझे इस बातका सन्तोष नहीं हुआ कि मन्दिरमें जानेवालों की तरफसे कोई उल्लेखनीय विरोध नहीं है। लेकिन विरोध करनेवाले तो मेरे प्रचार-

कार्यपर ही रोष प्रकट करते थे। निस्सन्देह उनका वह विरोध निष्फल सिद्ध हुआ। लेकिन मेरा कहना यह है कि उनका विरोध सिद्धान्तहीन और हिंसात्मक था। उस एक वर्षके दौरान जो मैं बच गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं था; वह तो ईश्वर की कृपा थी। मेरे विरुद्ध चौंसठ आरोप लगाये गये थे। उनमें से एक भी सच नहीं था। इसलिए आज दक्षिण भारतके आन्दोलनके सम्बन्धमें जो आरोप लगाये गये हैं उनपर मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनमें से किसीमें भी मुझे कोई तत्त्वकी बात नहीं दिखाई दी है। अस्पृश्यता स्वतः एक असत्य है। असत्यका समर्थन कभी सत्यसे होते नहीं देखा गया, जैसे कि सत्यका समर्थन असत्यसे नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो तो वह स्वयं असत्य हो जाता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर जगहसे इस बातके प्रमाण मिल रहे हैं कि विरोध थोड़े-से सनातनियों तक ही सीमित है, और ये थोड़े-से लोग किसी भी तरीकेसे काम लेने में नहीं हिचकते, चाहे वह कितना ही सिद्धान्तहीन क्यों न हो।

फिर भी, विरोधियोंकी कमजोरीसे अस्पृश्यता-निवारणकी प्रवृत्तिको समर्थन नहीं मिलना चाहिए। उसका समर्थन तो सुधारकोके शुद्ध चरित्र, अध्यवसाय और कड़ीसे-कड़ी ईमानदारी और बलिदान करने की अपार क्षमतासे होगा। यदि विरोधियों की रोषानिमें बहुत-से सुधारकोंको अपने प्राणोंकी भारी आहुति देनी पड़े तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। कोई भी बलिदान, चाहे वह कितना ही महान् हो, हिन्दू-धर्मको अस्पृश्यताके कलकसे मुक्त करने के ईश्वर-निर्धारित कार्यसे सुधारकोंको रोक नहीं सकता। मैं एक बार नहीं हजार बार कहूँगा कि अगर अस्पृश्यता जीवित रही, तो हिन्दू-धर्मका अन्त हो जायेगा—और हो जाना चाहिए। सुधारकोंको इतना-भर याद रखना चाहिए कि यदि उन्होंने अधीरतासे काम लिया, तो सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। उन्हें ऐसा एक भी मन्दिर नहीं खोलना चाहिए जहाँ मन्दिरमें जानेवालों का स्पष्ट बहुमत उस मन्दिरके खोलने के विरुद्ध हो। अस्पृश्यता कानूनके बलसे भी दूर नहीं होगी। वह तो सिर्फ तभी दूर हो सकती है, जब हिन्दुओंका बहुमत इस बातको अनुभव कर ले कि अस्पृश्यता ईश्वर और मनुष्यके विरुद्ध एक अपराध है और उसके लिए वे लज्जित हो। दूसरे शब्दोंमें, वह हृदय-परिवर्तनकी अर्थात् हिन्दुओंकी हृदय-शुद्धिकी एक प्रक्रिया है। कानूनकी सहायता तो तब लेनी चाहिए जब वह सुधारकी प्रगतिमें बाधा पहुँचाये या दखल दे—जैसे, जब मन्दिरके ट्रस्टियों तथा मन्दिरमें जानेवाली जनताकी इच्छाके बावजूद, कानून अमुक मन्दिरको खोलने में रुकावट डालता हो।

सेर्गाव, १८ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-९-१९३९

२१२. तार : अबुल कलाम आजादको

सेर्गाव, बर्वा
१८ सितम्बर, १९३९

मीलाना अबुल कलाम आजाद
मारफत मत्री हाफिज इब्राहीम
लखनऊ

आशा है ईश्वरकी कृपा और आपके प्रयत्नसे शिया-मुन्नी झगड़ा दोस्ताना
ढंगसे सुलझ जायेगा।^१

अग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

२१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेर्गाव, बर्वा
१८ सितम्बर, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

मैं इसके साथ च्याग कार्ड-शेकको लिखा अपना पत्र भेज रहा हूँ। यह पत्र
जितना मैं चाहता था, उससे कुछ ज्यादा लम्बा हो गया है। शायद मूल पत्रके
साथ एक टाइपकी हुई प्रति भेजना ज्यादा ठीक होगा।

महादेव कल मद्रास चला गया।

स्नेह।

बापू

[अग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृ० ३८०से भी

१. देखिए “पत्र : तंजीम-उल-मोमिनीनके अध्यक्षको”, पृ० ६५-६६।

२१४. पत्र : रामकृष्ण धूतको

सेगांव, बर्धा

१८ सितम्बर, १९३९

प्रिय रामकृष्ण,

विवश्लेषण वैसा नहीं है जैसा कि मैं चाहता था। उसमें तर्क-वितर्क है। मैं चाहता हूँ कि बिना किसी रंग-मुलम्मेके साफ-साफ एक पन्नेमें स्पष्ट रूपसे जो बुराई है वह बताई गई हो। तुमने जो विश्लेषण भेजा है उससे मुझे भारी-भरकम मूल दस्तावेजोंको पढने से छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन क्या इस समय कुछ करने की आवश्यकता है? क्या युद्धके दौरान हर चीज लटकी नहीं रहेगी?

तुम्हारा,

बापू

श्री रामकृष्ण धूत

हैदराबाद राज्य-कांग्रेस

मुलतान बाजार

हैदराबाद दक्षिण

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० १०१५५) से।

२१५. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको

१८ सितम्बर, १९३९

चि० अमृतलाल,

मैंने कल श्रीमन्के^१ साथ विजयाका और उत्तमचन्दके पत्र भेजे थे, वे तुम्हें मिल गये होंगे।

सुशीलाके आने का समय तो हो गया है लेकिन वह कब आयेगी तो नहीं कहा जा सकता। उसकी ओरसे कोई समाचार नहीं है।

बिसेनको^२ कटि-स्नान और सूर्य-स्नान भी लेना चाहिए। इससे अवश्य लाभ होगा। यदि वह कभी यहाँ आये तो मैं उसे अवश्य देखूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७९५) से।

१. श्रीमन्नारायण

२. शिवबालक बिसेन, जो बादमें कुछ समयके लिए गांधीजीके सचिव हो गये थे।

२१६. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

सेर्गाव, वर्षा
१८ सितम्बर, १९३९

चि० ब्रजकिसन,

खत मिला। उमीद तो है कि मैं आजकल यही हूँ। कब कहां जाना होगा कुछ पता नहीं है।

भाईका^१ समजा।

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४७३) से।

२१७. पत्र : डॉ० आई० एम० दाहूको

सेर्गाव
१९ सितम्बर, १९३९

प्रिय दाहू,

तुम्हारा उत्तर पाकर मुझे खुशी हुई। चूँकि यूरोपमें युद्ध शुरू हो गया है इसलिए अनाक्रमक प्रतिरोध आन्दोलन बन्द कर दिया जाये, ऐसा मानने का कोई निर्णायक कारण नहीं है। लेकिन बुद्धिमानीका यह तकाजा हो सकता है। इसका निर्णय तो तुम लोग ही अच्छी तरह कर सकते हो। मैं आपत्तिजनक कानूनके अमलको स्थगित करवाने के लिए भरसक कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि पत्र देर से पहुँचते हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर तार देना।^१

तुम्हारा,
वापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९०३) से। सी० डब्ल्यू० १३१६ से भी;
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी

१. ब्रजकृष्ण चाँदीवालाके भाई, जो बीमार थे

२. देखिए पृ० ४९ भी।

२१८. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगाँव

१९ सितम्बर, १९३९

चि० नारणदास,

तुम्हारे जन्म-दिवसपर मेरा आशीर्वाद। तुम खासी प्रगति कर रहे हो। लड़कियाँ ठीक काम कर रही जान पड़ती हैं। लड़कियोंको साथ ले जाने से यदि लोग पैसे देते हो तो इस बातपर तुम्हें विचार करना होगा कि लड़कियोंको इस तरह बाहर भेजना कहाँतक उचित है? लड़कियोंसे पूछने पर इस बारेमें ज्यादा मालूम हो सकता है। यह तो केवल तुम्हारे लिए है। सतीश बाबू तो आयेंगे लेकिन बा नहीं। मीराबहनके बारेमें विचार कलेंगा। राजकुमारी को कोई उत्साह नहीं है। पैसेका उपयोग किस तरह किया जाये, इसपर मैं विचार कलेंगा।^१

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

शम्भुशंकर क्या अब भी जेलमें हैं? उन्होंने क्या किया था? पालीतानाका क्या हाल है? कदाचित् देबरभाई बता सकेंगे।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५६२ से भी;
सौजन्य : नारणदास गांधी

२१९. पत्र : रामसिंहको

सेगाँव, वर्षा

१९ सितम्बर, १९३९

भाई रामसिंहजी,

आपके २८ अगस्तके पत्रको मैं आज ही पढ पाया हूँ। पत्र सुन्दर है। आपने जिसका विवरण दिया है यदि गरासिया भाई उस कार्यकी ओर प्रवृत्त होते हैं तो उनका और काठियावाड़का सचमुच उद्धार हो जायेगा।

मो० क० गांधीके वंदेमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५२२८) से।

१. देखिये खण्ड ९९, पृ० ४५८-५९।

२२०. पत्र : सुरेन्द्र बा० मेढको

सेवांव,

१९ सितम्बर, १९३९

चि० मेढ,

तुम्हारा पत्र मिला। भाई दादूके पत्रसे' देखोगे कि मैं तुम्हारे कथनको समझ गया हूँ। मुझसे जो-कुछ हो सकता है वह सब मैं कर रहा हूँ। मणिलालको ये पत्र मिलते होंगे इसलिए मैं उसे लिखने में शिथिलता बरतनेवाला हूँ। वाक्सवर्गमें किसीके बारे जाने की यह क्या बात है? 'रेड डेली मेल' में इस आशयकी कोई खबर प्रकाशित हुई जान पड़ती है। वहाँ भी कोई आतंकवादी दल उठ खड़ा हुआ जान पड़ता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९०४) से।

२२१. प्रान्तीय विधान-मण्डलके प्रस्तावका मसौदा'

[२० सितम्बर, १९३९]

यह विधान-सभा इस बातपर खेद व्यक्त करती है कि ब्रिटिश सरकारने भारतीय जनता और इस सभाकी सम्मति लिये बिना ही ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनीके बीच छिड़े महायुद्धमें भारतके शामिल होने की घोषणा कर दी है। ब्रिटिश सरकारने भारतीय जनमतके विरोधकी सर्वथा उपेक्षा करते हुए यह जो युद्ध-घोषणा की है तथा प्रान्तीय सरकारोंके कार्यों और सत्तापर प्रतिबन्ध लगाने के लिए इंग्लैंड और भारत सरकारने जो कदम उठाये और जो कानून बनाये हैं, उन्हें यह सभा प्रान्तीय स्वायत्तताकी भावनाका उल्लंघन समझती है।

१. देखिए पृ० २०५।

२ और ३. साधन-सूत्रमें क० मा० मुशी लिखते हैं: "युद्धकी घोषणाके साथ ही केन्द्रका प्रान्तीय स्वशासनमें हस्तक्षेप करना लाजिमी था। इसलिए सरदार पटेलने सभी कांग्रेसी मुख्य मन्त्रियोंको एक परिपत्र भेजा जिसमें उन्होंने इस बातकी सलाह दी कि ७० भा० का० क० अथवा कार्य-समिति द्वारा इस मामलेमें किसी निर्णयपर पहुँचने तक उन्हें क्या रख अपनाना चाहिए। कार्य-समितिकी ९ सितम्बरको बैठक हुई, जो १५ सितम्बरतक चली। . . . गांधीजी पहले तो अंग्रेजोंको बिना किसी शर्तके सहायता देने के पक्षमें थे लेकिन अन्तमें वे जवाहरलाल नेहरूकी बात मान गये। . . . कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ज्यादा समयतक राज्योंमें बने नहीं रह सकते थे क्योंकि इस बीच उन्हें केन्द्र सरकारसे

ब्रिटिश सरकारने घोषणा की है कि यह युद्ध लोकतन्त्रकी रक्षाके लिए है, लेकिन भारतके प्रति उसकी जो नीति है वह उसकी इस घोषणाका प्रतिवाद करती है। हालाँकि लोकतन्त्र और स्वाधीनताके उद्देश्यको ध्यानमें रखकर लड़े जा रहे युद्धके साथ इस सभाकी पूरी-पूरी हमदर्दी है और यह नाजी सरकार द्वारा पोलेण्ड पर किये गये आक्रमणकी भर्त्सना करती है, तथापि जबतक प्रजातन्त्रके सिद्धान्तोको भारतपर लागू नहीं किया जाता और भारतीय जनताको स्वयं अपनी नीति निर्धारित नहीं करने दी जाती, तबतक यह सभा युद्धमें अपना सहयोग नहीं दे सकती। यह

निर्देश लेकर काम करना पड़ता और केन्द्र सरकारसे उनका कोई विचार-साम्य न था। . . . इस दौरान . . . गवर्नर सर रॉजर लम्बेकी साथ मेरे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हो गये थे। . . . मैंने उन्हें इस बातके लिए राजी करने की कोशिश की कि वे लॉर्ड लिन्थलिथगोसे यह कहें कि कांग्रेसकी माँगोंको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माँगे थे थीं, (१) युद्धके उद्देश्यका स्पष्टीकरण किया जाये, (२) भारतके भविष्यके बारेमें आश्वासन दिया जाये, और (३) केन्द्रमें कांग्रेसका भी सक्रिय भाग हो, इस दिशामें तुरन्त कदम उठाये जायें। . . . लेकिन जब १८ सितम्बरको अन्ध मुख्य मन्त्रियोंके समान खेरको सरदार पटेलका पत्र मिला तो इसको सम्भावना खत्म हो गई। पत्रमें कहा गया था कि कार्य-समितिके वक्तव्यको [देखिए परिशिष्ट १०] फिख्दाल घुड़भूमिके रूपमें लिया जाये, यह कि मन्त्रिमण्डलोंको इसके विपरीत कुछ नहीं करना चाहिए और खास तौरसे प्रान्तीय सरकारोंके रूपमें उन्हें अपनी जिम्मेदारीके निर्वाहमें किसीको बाधे नहीं आने देना चाहिए। . . . पत्रका ज्यादा महत्त्वपूर्ण भाग तो एक निर्देश था— यह कि प्रान्तीय विधानमण्डल, और विधानमण्डलके ऐसा न करने पर प्रान्तीय सरकारें जल्दसे-जल्द एक प्रस्ताव, जिसका मसौदा साथमें संलग्न है, पास करें। . . . सर रोजरने प्रस्तावसे उत्पन्न होनेवाले गम्भीर परिणामोंको महसूस किया और मुझसे कहा कि इस आशयका प्रस्ताव पास करने का यह अर्थ लगाया जायेगा कि कांग्रेसने युद्धमें सरकारको सहयोग देने का विचार छोड़ दिया है। इसलिये उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सरदार पटेलने अपने पत्रमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंको जो सलाह दी है उसके परिणामोंसे मैं उन्हें अवगत कराऊँ। मैंने सरदार पटेलको सर रॉजरका सन्देश दिया। तथापि सरदार पटेलने मुझे बताया कि उन प्रस्ताव कांग्रेसकी युद्ध उप-समितिके तैयार किया था और वे समितिके अन्ध सदस्योंकी, यथा जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजादकी, सहमतिके बिना इसे रद्द नहीं कर सकते। अतएव उन्होंने मुझे गाधीजी और राजेन्द्रप्रसादके पास तुरन्त बर्षा जाने की सलाह दी। मैं उसी शाम बर्षाके लिये रवाना हो गया और २१ सितम्बरको वापस लौटा। गाधीजीने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनीं; बातचीतके दौरान वे सारा समय चरखा चलाते रहे। मुझे याद पड़ता है कि मैंने इस मामलेपर उनके साथ विस्तारसे चर्चा की थी। जब मैंने अपनी बात खत्म कर ली तब उन्होंने मुझसे कहा: 'मुंशी, तुमने अपनी बात मेरे सामने अच्छी तरहसे रखी है, लेकिन तुम जो मार्ग अपना देने के लिये कहते हो उसे देश स्वीकार नहीं करेगा।' तथापि प्रस्तावसे जो आदेशात्मक ध्वनि निकलती थी उसमें परिवर्तन करने के लिये वे तैयार थे। उन्होंने परिस्थितियोंपर अपने विचार प्रकट करते हुए मुझे एक वक्तव्य दिया। . . . गाधीजीने विधानमण्डलों द्वारा पास किये जानेवाले एक प्रस्तावका मसौदा भी दिया। यह प्रस्ताव कार्य-समिति द्वारा सुझाये गये तरीकेसे कोई सन्तोषजनक समाधान ब्रिटिश सरकारको मान्य न होने पर पास किया जानेवाला था। . . . २० सितम्बरको गाधीजीके साथ हुई मेरी बातचीतके फलस्वरूप . . . मन्त्रिमण्डलोंको यह आदेश दिया गया कि वे उन प्रस्तावपर एक सप्ताहके लिये कोई कार्रवाई न करें।"

समा ब्रिटिश सरकारसे अनुरोध करती है कि वह इस बातकी स्पष्ट घोषणा कर दे कि उसने भारतको स्वाधीन राष्ट्रके रूपमें स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है और उसे अपना संबिधान बनाने का अधिकार है, साथ ही यह भी मांग करती है कि जहाँतक सम्भव हो, युद्धके इन हालातमें भी, इस घोषणापर उचित अमल किया जाये। विधान-सभाकी यह भी राय है कि इस प्रान्तमें युद्ध-सम्बन्धी कोई भी उपाय या अन्य कार्रवाई प्रान्तीय सरकारकी सम्मतिसे और उसीके जरिये की जानी चाहिए।

[अग्रेजीसे]

पिलग्रिमेज टु फ्रीडम (१९०२-१९५०), पृ० ५८

२२२. एक वक्तव्य^१

[२० सितम्बर, १९३९ को या उसके पूर्व]^२

१. मैं जानता हूँ कि बिना किसी शर्तके सहयोग-सम्बन्धी भेरे विचारोंमें देश भेरे साथ नहीं है। कार्य-समितिके प्रस्तावसे^३ कांग्रेसके मतका ठीक-ठीक पता चलता है।

२. चूँकि भूतकालके अपने अनुभवके आधारपर कांग्रेस बिना किसी शर्तके सहयोग देने में असमर्थ है अतएव वह तभी सहयोग कर सकती है जब वह देशको यह विश्वास दिला सके कि उसने सार-रूपमें अपने उद्देश्यको प्राप्त कर लिया है और इस कारण उसमें और ब्रिटिश सरकारमें पूर्ण सहमति है।

३. यदि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेसमें सचमुच पूर्ण सहमति है तो युद्धके दौरान भी सरकारका व्यवहार तदनु रूप होना चाहिए। मसलन मन्त्रिमण्डल केन्द्रसे जारी किये गये निर्देशोंका पालन करनेवाली एजेन्सियाँ-भर ही नहीं होने चाहिए। अतएव केन्द्रमें ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे सदनमें कांग्रेस प्रति-निधियोंको पर्याप्त बहुमत मिल सके।

४. मन्त्रिमण्डलके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक ही रास्ता है— वह यह कि वे अपने-अपने विधान-मण्डलोसे इस प्रस्तावको स्वीकार करवाकर इस मामलेमें कार्रवाई करने के लिए आवश्यक सत्ता प्राप्त करें। हाँ, अगर इस बीच वे अपने-अपने विधान-मण्डलोको दूसरे और तीसरे मुद्दोंके सम्बन्धमें यह विश्वास दिला दें कि इनके तहत अपेक्षित स्थिति अब पैदा हो चुकी है और इसलिए इस प्रस्तावकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो बात और है।

५. यदि ब्रिटिश सरकार अपने इस कथनके बारेमें गम्भीर है कि वह लोक-तन्त्रकी रक्षाके लिए लड़ रही है तो वह तबतक विश्व-जनमतको अपने पक्षमें नहीं

१ और २. देखिए पिछले शीर्षककी पाद-टिप्पणी २।

३. देखिए परिशिष्ट ८।

४. देखिए पिछला शीर्षक।

कर सकती जबतक वह यह घोषणा नहीं करती कि युद्धके समाप्त होने पर भारत एक स्वतन्त्र और लोकतान्त्रिक देश होगा तथा इस बीच उसने जो आश्वासन दिये हैं, युद्ध-सम्बन्धी हालातको देखते हुए जहाँतक सम्भव है उन आश्वासनोंको पूरा करने की दिशामें उसने कदम उठाये हैं।

६ यदि किसी कारण ब्रिटिश सरकार इससे भिन्न रुख अपनाती है तो कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलके लिए कार्य करना असम्भव हो जायेगा।

७. यदि युद्ध-उपसमितिके सदस्य इसपर सहमत हो तो प्रस्तावपर एक सप्ताह तक कोई कार्रवाई न की जाये। लेकिन यह अच्छी तरहसे समझ लिया जाना चाहिए कि अ० भा० का० क० की बैठक होने से पहले कार्य-समितिके पास, जिसकी बैठक ४ अक्टूबरको होनेवाली है, इस विषयपर निश्चित सामग्री होनी चाहिए जिससे वह अ० भा० का० क० तथा देशको नेतृत्व दे सके।

[अग्रेजीसे]

पिल्ग्रिमेज टु फ्रीडम (१९०२-१९५०), पृ०, ५७।

२२३. पत्र : सी० पी० रामस्वामी अय्यरको

वर्षा

२० सितम्बर, १९३९

प्रिय मित्र,

एक मित्र, जो राजनीतिसे सम्बन्ध नहीं रखते, लिखते हैं कि समुद्र और समुद्र-सटवर्ती छोटी-छोटी खाडियोंके पास रहनेवाले मजदूरी-पेशा लोगोंको रोजीकी कमीसे बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। पत्र-लेखकका विचार है कि यदि मैं इस मामलेपर आपका ध्यान आकर्षित करूँ तो इन लोगोंको शायद राहत दी जाये।

हृदयसे आपका,

सर सी० पी०

त्रिवेन्द्रम

अग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

२२४. पत्र : अकबर हैदरीको

वर्षा
२० सितम्बर, १९३९

प्रिय सर अकबर,

रियासत कांग्रेसके कृष्ण शर्मापर रोक लगी हुई है। क्या वह रोक अब हटा नहीं लेनी चाहिए? उन्हें उससे कष्ट हो रहा है।

हृदयसे आपका,

सर अकबर हैदरी
हैदराबाद

अग्नेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२२५. पत्र : पत्तम ताणु पिल्लैको

सेर्गांव, वर्षा
२० सितम्बर, १९३९

प्रिय ताणु,

मैं जरा सक्षेपके लिए 'पिल्लै' छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हारे सारे कागज-पत्र देख गया हूँ। मेरा मन प्रशंसासे भर उठा है और मैं आश्चर्यचकित रह गया हूँ। बहुत ज्यादा उत्तेजित किये जाने के बावजूद तुम शान्त हो। यह बहुत अच्छा है। यह ध्येय-प्राप्तिकी दिशामें अत्यधिक ठोस प्रगतिका सूचक है। इसलिए तुम जो कर रहे हो वैसा ही करते रहो। लेकिन देखना, कहीं तुम्हारे सोनेमें खोट न हो। इस कार्यमें यदि थोड़े-से लोग ही हों, तो भी कोई बात नहीं। केवल गुणपर भरोसा रखो। इस तरह तुम तरक्कीकी रफ्तारको तेज करोगे। मुझे जानकारी देते रहना।

तुम्हारा,
बापू

अग्नेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०२०२) से, सौजन्य : केरल सरकार।
पत्तम ताणु पिल्लै पेपर्ससे भी, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२२६. पत्र : विजयावहन एम० पंचोलीको

सेर्गाव, वर्धा

२१ सितम्बर, १९३९

चि० विजया,

तेरे पत्र आते रहते हैं। उम्मीद है, तू दिन-ब-दिन अधिक स्वस्थ होती जा रही होगी। जन्म-मरण एक ही चीज है, इसपर विचारकर इसे अच्छी तरह समझ लेना। प्रमाण यह है, जन्मके बाद मरण, मरणके बाद जन्म। इस तरह जहाँ दोनोका क्रम चलता रहता है वहाँ एकको लेकर हर्ष और दूसरेको लेकर शोक कैसा? रातका आना दिवसका मरण है, लेकिन रातके बाद दिन आनेवाला ही है इसलिए हमें उसमें कोई नयी बात नहीं दिखाई देती। इसलिए हमारा शोक मात्र वियोगका है। लेकिन वियोग तो जोड़ीका एक भाग है। सयोग-वियोग, वियोग-सयोग साथ-साथ चलनेवाली चीजें हैं। यह तो मैंने केवल बुद्धिकी बात ही तुझे लिखी है। लेकिन यह समझने लायक है। इससे तेरी श्रद्धाको बल मिलेगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि तेरे वहाँ उपस्थित होने के परिणामस्वरूप कोई दुःखी न हो और पिता भी हँसते-हँसते अपने प्राण त्याग करे। यदि वे सिर्फ पानी ही ले रहे हैं तो अच्छी बात है। मनुभाईको^१ आने न दे तो अच्छा हो। नानाभाई^२ उसे क्षण-भरके लिए भी नहीं छोड़ सकते। वह आकर करेगा भी क्या?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७११८) से। सी० डब्ल्यू० ४६१० से भी;
सौजन्य : विजयावहन एम० पंचोली

१. विजयावहन पंचोलीके पति, मनुभाई पंचोली जो स्वर्ण बीमार थे

२. नृसिंहमसाद कालिदास भट्ट

२२७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

वर्धा

२२ सितम्बर, १९३९

भाई वल्लभभाई,

राजकोट-सम्बन्धी तार पढ़ जाना। इसे भेज देना। मुझे लगता है कि तुम्हें यही रहना चाहिए, जिससे तुम्हारा बोझ हलका होगा और हम रोज मिल सकेंगे और विचार कर सकेंगे।

बापुके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल

विड़ला भवन

५, अल्बुकर्क रोड, नई दिल्ली

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३५

२२८. पत्र : रामकृष्ण बजाजको

सेर्गाव

२२ सितम्बर, १९३९

चि० रामकृष्ण,

दीर्घायु होना और पिताजीका नाम रखना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०६३) से।

२२९. बातचीत : ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंसे'

सेगाँव, वर्ना

२३/२४ सितम्बर, १९३९

कितना अच्छा होता यदि मुझमें भी आप-जैसा जोश होता। वैशक मुझे अन्तर्यामीकी आवाज सुनने की कोशिश का ही नहीं बल्कि उसे सुनने का भी अनुभव प्राप्त है। जितना मैं उस आवाजको सुनता हूँ उतना ही मुझे आभास होता जाता है कि मैं ईश्वरसे अब भी दूर हूँ। और हालाँकि अन्तर्यामीकी आवाजको सुनने के लिए जिन नियमोंका पालन करना आवश्यक है, वे नियम तो मैं अवश्य बतला सकता हूँ, फिर भी मैं वास्तविकतातक नहीं पहुँच पाता। जब हम यह कहते हैं कि हम अन्तर्यामीकी आवाजको सुन रहे हैं और उत्तर प्राप्त कर रहे हैं, तब भले ही हम ऐसा सच्चे दिलसे कह सकते हो, फिर भी उसमें आत्म-बंचनाकी पूरी सम्भावना रहती है। मैं स्वयं भी आत्म-बंचनासे शायद पूर्णतः मुक्त नहीं हूँ। कभी-कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं गलतीपर नहीं हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि 'हाँ, बहुत सम्भव है कि मैं जो कहता हूँ वह मेरे मनका अहंकार ही हो।'

१. यह खेद "ए वर्ड्स डू द ऑक्सफोर्ड ग्रुपर्स" (ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंसे दो शब्द) से लिया गया है, देखिए पृ० १७६ की पाद-टिप्पणी १ और २। इसमें महादेव देसाई लिखते हैं: ". . . पिछले भदौनेकी २३ तारीखको छह सज्जन वर्धा आये। उनमें एक वैरिस्टर और उनकी पत्नी, एक अमेरिकी पत्रकार, एक यूरोपीय जो रेलवे अधिकारी थे, और एक प्रतिभाशाली महिला थीं, जिनके पिता किसी समय सेनामें अधिकारी रहे थे। . . ."

२. ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंकी भाषामें 'लिरिंग इन' (ईश्वरकी आवाजको सुनना) शब्दका विशेष अर्थ है। महादेव देसाई लिखते हैं: "उनका उद्देश्य सामान्य भाषामें कहें तो बोलकर विचार करना अथवा चिन्तन-मनन करना और ग्रुपकी भाषामें 'आध्यात्मिक आदान-प्रदान' करना है। उनमें से एक सदस्यने कहा, 'समयमें कहीं-न-कहीं कुछ अच्छाई है और उस अच्छाईको हँद निकालने के मित्त-मित्त तरीके हैं। हमारे लिए यह आदान-प्रदान है। . . .' एक अन्य सदस्यने कहा: 'आप सदासे ईश्वरकी आवाज सुनते आये हैं। हम यह महसूस करते हैं कि यदि भारतके करोड़ों लोग ईश्वरकी आवाजको सुनने लों तो आप जिन समस्याओंके लिए कार्य करते रहे हैं उनका समाधान अवश्य मिल जायेगा। हम समझते हैं कि हमारा इस योजनामें एक स्थान है और इसीलिए हम उल्लासके साथ यहाँ आये हैं।' कुछ सदस्योंने इस सुनने के परिणामस्वरूप स्थियों और पुरुषोंके जीवनमें जो परिवर्तन आये उनके अनुभव सुनाये। . . . 'पुराने' लोग 'प्राथना' शब्दका प्रयोग किया करते थे; 'सुनना' आधुनिक शब्द है। . . . इस विषयपर ग्रुपके सदस्यों और गाधीजी में बातचीत हुई और गाधीजी ने अपने विचार व्यक्त किये।"

और फिर देखिए कि किस तरह एक व्यक्ति अमूक कार्य करने में ईश्वरीय प्रेरणासे प्रेरित होने का दावा करता है और दूसरा उससे ठीक विपरीत ढंगसे काम करते हुए वैसी ही ईश्वरीय प्रेरणाका दावा कर सकता है। इसका मैं आपको एक सुन्दर उदाहरण दूंगा। मैं समझता हूँ कि ईश्वर-भक्ति और ईश्वर-परायणतामें राजाजीसे, जिन्हें आप जानते हैं अथवा कमसे-कम जिनका नाम आपने जल्द नुमा होगा, बड़कर और कोई नहीं है। अब सुनिए कि १९३३ में बरबडा जेलमें जब मैंने आत्मबुद्धिके निमित्त २१ दिनका उपवास किया और घोषणा की कि यह ईश्वरके आदेशपर किया गया है, तो मुझे ऐसा करने से रोकनेके लिए वे सात तौरसे मद्राससे नहीं आये। उन्हें इस बातका निश्चय था कि मैं भ्रान्तिमें हूँ और शायद नर जाऊँगा, या अगर मरा नहीं तो विक्रिप्त अवश्य हो जाऊँगा। लेकिन आप देखते हैं कि मैं अब भी जीवित हूँ और मेरा मस्तिष्क अब भी पूर्णतया ठीक है। इसके बावजूद शायद अब भी राजाजी यही सोचते हैं कि मुझे भारी भ्रान्ति हुई थी और यह संयोगकी बात है कि मैं बच गया, जबकि मैं अब भी यही समझता हूँ कि मैंने अपनी अन्तरात्माकी उस क्षीण आवाजपर ही उपवास किया था।

यह मैं आपको इस बातसे सावधान करनेके लिए कहता हूँ कि आप चदा ईश्वरकी ही वाणी सुन रहे हैं ऐसा समझना बहुत नासमझी हो सकती है। मैं इस दिशानें प्रयत्न करनेके कतई विरुद्ध नहीं हूँ लेकिन मैं आपको यह चेतावनी देता हूँ कि आप इसे 'खुल जा सिमसिम' जैसा तरीका हरगिज न समझें कि लाखों व्यक्तियोंको सिर्फ बतलाने-भरसे काम चल जायेगा। मेरी इस बातका कोई खण्डन नहीं कर्नेगा कि हिन्दुस्तानको ईश्वरके रास्तेपर लानेकी मैंने भरसक कोशिश की है। मुझे इसमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन मैं अब भी लक्ष्यसे बहुत दूर हूँ। आपके मुँहसे निकले प्रशंसाके शब्दोंको सुननेके बाद मैं सावधान हो गया हूँ, इतना ही नहीं, मेरा मन संवयसे भर उठा है। दक्षिण आफ्रिकामें एक ऐसा प्रचारक आया था, जो अपने उपदेशके बाद लोगोमें एक पुस्तकमें प्रकाशित ऐसे प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करवाता था जिससे वे शराब न पीनेके लिए वचनबद्ध हो जायें। ऐसे अनेक वादोंको दूटते हुए मैंने देखा है। लेकिन उसमें उन लोगोंका कोई दोष नहीं था। उन्होंने तो उस प्रचारकके जोशीले भाषणके अत्याधी प्रभावमें आकर ही प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर किये थे।

यह मैं जानता हूँ कि जमकनेवाली हरएक चीज सौना नहीं होती। जय ही मुझे यह भी मालूम है कि यदि किसी व्यक्तिके सचमुच ईश्वरकी वाणी सुनी है तो वह उस रास्तेसे पीछे नहीं मुड़ेगा; जिस तरह एक बार तैरना सीख लेनेवाला व्यक्ति तैरना नहीं भूलता, उसी तरह वह भी उसे नहीं भूल सकता। उस अन्तर्दिके श्रवणसे लोगोंका जीवन उत्तरोत्तर अधिकाधिक उज्ज्वल होता जाना चाहिए।

मैं आपके उत्साहको मन्द नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उसका आचार ठोस रखना हो तो यह अच्छा होगा कि अन्तर्दिके श्रवणका आचार भी ठोस रहे।

अन्तर्नादके श्रवणके लिए उस व्यक्तिमें सुनने की पात्रता होनी चाहिए, और ऐसी पात्रता धीरजके साथ ईश्वरकी सतत आराधना करने के बाद ही प्राप्त होती है। शंकराचार्यने इस प्रयत्नकी तुलना तूणकी नोकसे समुद्रको उलीचने के प्रयत्नसे की है। इस प्रकार यह क्रम अनन्त है और जन्म-जन्मान्तर पर्यन्त चलता रहता है।

इतने पर भी यह प्रयत्न साँस लेने अथवा पलक झपकने के समान स्वाभाविक होना चाहिए। ये दोनों प्रक्रियाएँ हमारे अनजाने ही होती रहती हैं। ऐसा प्रयत्न जीवन-क्रमसे मेल खाता है। यही शाश्वत प्रयत्न करने को मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि केवल इसीसे हम ईश्वरका साक्षात्कार कर सकते हैं।^१

इस अवसरपर एक राष्ट्रके रूपमें भारतवर्षको क्या करना है? आप उससे क्या करवाना चाहेंगे? वह किस तरह प्रायश्चित्त करे? भारत यह कह सकता है कि उसने अनेक पाप किये हैं, जिनका फल वह भोग रहा है और वह ईश्वरसे प्रार्थना करेगा कि उसे वह उन्हें मिटा डालने की शक्ति दे। अथवा क्या आपके मनमें कोई और बात है? ^२

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३९

२३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेर्गाव, वर्षा

२४ सितम्बर, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

सलग्न तारके बारेमें जो उचित हो, करना। इस काममें तुम माहिर हो।

मैं फिर शिमला जा रहा हूँ।^३ मैं केवल मध्यस्थके रूपमें ही वहाँ जा रहा हूँ। यदि तुम्हें कुछ हिदायतें देनी हो, तो भेज देना। मुझे पूरी आशा है कि तुम्हें यदि निमन्त्रण मिला तो तुम आने के लिए तैयार रहोगे।

स्नेह।

बापू

[अग्नेजीसे]

गाधी-नेहरू पेपर्स १९३९; साँजन्य. नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. महादेव देसाईके अनुसार ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्य अगले दिन फिर आये और “उन्होंने एक और शब्द भी प्रेष किया जो वैसी ही कठोर परिभाषा और आध्यात्मिक प्रयत्नकी अपेक्षा रखता था वैसी कि ‘लिस्निंग इन’ (ईश्वरकी आवाजको सुनना)। यह शब्द था ‘रिपेन्टेन्स’ (पश्चात्ताप)।”

२. महादेव देसाई आगे लिखते हैं: “इसका उन्होंने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल यही कहा, ‘हमें मिलकर ईश्वरकी आवाजको सुनना शुरू कर देना चाहिए’। . . .”

३. वाइसरायने गाधीजीको बानचीतके दूसरे दौरके लिए निमन्त्रित किया था।

२३१. पत्र : पुरुषोत्तम के० जेराजाणीको

सेर्गाव, वर्षा

२४ सितम्बर, १९३९

भाई काकुभाई,

जितने ज्यादा खादी-भण्डार खुलेगे और खादीकी जितनी ज्यादा खपत होगी उसमें मेरा आशीर्वाद तो अवश्य होगा। और फिर तुम्हारा भण्डार तो सरदार खोलने जा रहे हैं। इसलिए वह अवश्य सफल होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०८४२)से, सौजन्य : पुरुषोत्तम के० जेराजाणी

२३२. अनुप्रस्थ बनाम अनुलम्ब पद्धति

प्रोफेसर जे० सी० कुमारप्पाने 'ग्राम उद्योग पत्रिका'के सितम्बरके अंकमें एक विचारोत्तेजक लेख लिखा है, जिसमें से कुछ उद्धरण^१ साधारण परिवर्तनोंके साथ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जिस अर्थ-व्यवस्थाकी कल्पनाके आधारपर ग्रामोद्योग संघकी स्थापना की गई है, उसके अनुसार ग्रामवासी वह केन्द्रबिन्दु है जिसके चारों ओर संसार-चक्र घूमता है। जिस चीजसे उसका हित-साधन होता है वही प्रमुख है, और शेष सब गौण। किसी भी योजनामें चाहे कोई भी खूबी बयों न हो, लेकिन अगर वह लोगोंको रोजगार सुलभ कराकर उत्पादित सम्पदाका एक थयेष्ट भाग ग्रामवासियोंको दिलाने में सहायक नहीं होती तो वह बेकार मानी जायेगी। आर्थिक प्रवृत्तिका परिणाम अथवा उद्देश्य उत्पादकोंके उपयोगके लिए सम्पदाका उत्पादन है। सम्पदाका उत्पादन आम तौरपर उत्पादनके साधनोंका बुद्धिपूर्वक उपयोग करके और मानव-शक्ति या प्रतिभाके प्रयोग अथवा नियोजन द्वारा किया जाता है। प्रथम तो आयोजनाका मतलब इन तीनों साधनोंके बीच बुद्धिपूर्वक ठीक ताल-मेल बैठाना है। गणितकी भाषामें हम इसे यों व्यक्त कर सकते हैं: सं० = अ० + सा०।

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये जा रहे हैं।

यहाँ 'सं०' का तात्पर्य सम्पदासे है, 'श्र०' का श्रम-शक्तिसे तथा 'सा०' का अर्थ है साधन—जैसे औजार, उपकरण या पूंजी। इस समीकरणमें मान लें कि सं० अपरिवर्तित रहे, तो वंसी स्थितिमें यदि सा० ज्यादा होगा तो श्र० का प्रमाण छोटा होगा और यदि श्र० ज्यादा है तो सा० छोटा होगा, अर्थात् श्र० और सा० में प्रतिलोमतः घट-बढ़ होती रहती है। अतएव योजना बनाते समय हमारा पहला कदम यह होगा कि श्र० और सा० की सुलभताको सुनिश्चित कर लिया जाये। . . .

अपने देशमें हम देखें तो पता चलता है कि श्र० की तो बहुलता है और सा० की कमी। अतः हमारी योजना तभी प्रभावकारी हो सकती है जब हम उसकी आधार-शिला पूंजी नहीं बल्कि श्रमपर रखें। . . .

अधिकतर लोग यही समझते प्रतीत होते हैं कि यदि मानकीकृत सामान भारी मात्रामें तैयार किया जाये तो इतनेसे ही सब-कुछ ठीक-ठीक चलता रहेगा। वे यह नहीं समझ पाते कि बड़े पैमानेकी उत्पादन-पद्धतिका प्रयोग कुटीर और प्रामोद्योगिके अनुचरके रूपमें ही किया जा सकता है, जिसमें वह प्रामोद्योगकी मौलिक आवश्यकताकी पूर्ति सेवा-भावसे करता रहे। . . .

ठीक-ठीक देखा जाये तो राज्य नागरिकका सेवक है। नागरिक अपने लाभके लिए काम कर सकता है, किन्तु राज्य नहीं। इसी प्रकार विकेन्द्रीकृत इकाइयोंका उद्देश्य लाभार्जन हो सकता है। किन्तु केन्द्रीकृत इकाइयोंके लिए यह उचित नहीं। . . .

अनुलम्ब पद्धतिपर योजना बनाने से बात नहीं बनती। उस पद्धतिमें कार्योंपर जोर देते हुए विभिन्न कार्योंको पृथक् उद्योगोंका रूप प्रदान किया जाता है, यथा बैंकिंग, बीमा आदि। यह पूंजीवादी ढंगकी आयोजना हुई। इससे रास्तत यह है कि विभिन्न उद्योगोंको अनुप्रस्थपर रखकर उनकी विभिन्न क्रियाओंका अध्ययन किया जाये और उपयुक्त जगहपर कार्यमूलक सहायता का उपयोग किया जाये। अनुप्रस्थ आयोजना पद्धतिका एक अच्छा उदाहरण है अखिल भारतीय चरखा संघकी कार्य-योजना, और अनुलम्ब आयोजनाका उदाहरण कताईकी मिल है। इन दो पद्धतियोंके बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। . . .

शिमला जाते हुए रेलगाड़ीमें, २४ सितम्बर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, १८-११-१९३९

२३३. एक रोचक निरीक्षण

श्री चंकरलाल वैकरने मुझे निम्नलिखित आँकड़े भेजे हैं:

दैनिक उत्पादन ३८,४०० बर्ग गज, लगनग ११,००० पौंड
मिल लाई

८.५ आने प्रति पौंड (३ $\frac{3}{4}$ बर्ग गज)	₹० ५८३४	३० आने प्रति पौंड (३ $\frac{3}{4}$ बर्ग गज)	₹० २०,६२५ ^१
कपास १६% रद्दी-समेत	४ आने	कपास	४ आने
कताईकी कुल लागत	२ आने	घुनाई और कताईकी मजदूरी	१५ आने
घुनाईकी कुल लागत	२.५ आने	घुनाईकी मजदूरी	८ आने
		घुलाई आदि	१ आना
		कार्यालयपर होनेवाला खर्च	२ आने
कुल	८.५ आने	कुल	३० आने

लागतका व्योरा

कपास	₹० २,७५०	कपास	₹० २,७५०
कपास १६% रद्दी-समेत	₹० २,७५०	घुनाई-कताईकी मजदूरी	₹० १०,३१३
कताईकी कुल लागत	₹० १,३७५	घुनाईकी मजदूरी	₹० ५,५००
घुनाईकी कुल लागत	₹० १,७१८	घुलाईकी मजदूरी आदि	₹० ६८७
		कार्यालयपर होनेवाला खर्च	₹० १,३७५
	₹० ५,८४३		₹० २०,६२५ ^१
मजदूरी २ आने प्रति पौंडकी दरसे	₹० १,३७५	मजदूरी	₹० १६,५००
₹० २३.१ लाख पर		₹० १३.५ लाखपर व्याज	₹० १११

₹० २३.१ लाख पर
३% की दरसे एक
दिनका व्याज ₹० १९०

$$\text{मजदूरीका अनुपात} = \frac{\text{₹० १६,५००}}{\text{₹० १,३७५}} = १२ \text{ खा० : १ मि०}$$

$$\text{व्याजका अनुपात} = \frac{\text{₹० १९०}}{\text{₹० १११}} = १ \text{ खा० : १.७ मि०}$$

१ और २. तथापि तापन-द्वारे "२०,५७५" है।

इस विश्लेषणसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्योका उद्घाटन होता है। १ पींड कपासका कपड़ा मिलमें बनाने की लागत है ८५ आने, जबकि उसी कपाससे खादी बनाने की लागत है ३० आने। एकमें कर्तये और बुनकर, दोनोकी कुल मजदूरी ४५ आने और दूसरे अर्थात् खादीमें २४ आने मिलते हैं। अब आप ही सोच ले कि कौन-सा कपड़ा खरीदना श्रेयस्कर है—खादी, जो महँगी प्रतीत होती है या मिलका कपड़ा, जो देखने में सस्ता लगता है?

- शिमला जाते हुए रेलगाड़ीमें, २४ सितम्बर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, २-१२-१९३९

२३४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

नागपुर

२४ सितम्बर, १९३९

भाई वल्लभभाई,

लीलावती^१ अथवा हंसावहनसे^२ अभी राजकोटके^३ बारेमें कुछ मत कहना। मैंने पेरीनवहनको^४ लिखा तो है कि वह चली जाये। मुझे लगा कि उसे लिखना तो जरूर चाहिए। बाडियाने अभीतक इन्कार तो नहीं किया है। मैंने पेरीनको लिखा है कि यदि बाडिया इन्कार कर दे और वह चली जाये तो ठीक रहेगा। उसका जवाब आने पर लिखूंगा। मैंने तार शिमला भेजने के लिए कहा है।

दापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो—२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३५

१. लीलावती सुशी

२. हंसावहन मेहता

३. 'रेडिया वारस' के दौरान राजकोट राष्ट्रीय शालामें जाने के लिए

४. पेरीनवहन कैटेन

२३५. क्या हिन्दुस्तान सैनिक देश है ?

भारतकी प्रतिरक्षा सेनाओंके प्रधान अव्यसने ५ तारीखको रेडियोसे जो रोचक भाषण प्रसारित किया था, उसमें निम्नलिखित अनुच्छेद भी है :

हिन्दुस्तान सैनिक देश है और मैं एक सिपाही हूँ। इसलिए अगर मैं यह बतलाऊँ कि हिन्दुस्तानके भावी सैनिकोंपर आधुनिकीकरणका क्या प्रभाव होगा, तो शायद अनुचित न होगा। मैं जो-कुछ कह रहा हूँ वह अटकलबाजी-भर नहीं है, बल्कि जो-कुछ हो चुका है उसपर आधारित है। नये वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों और आधुनिक वाहनोंके साथ, लाजिमी तौरपर, नये विचारोंकी सृष्टि होगी और एक नये दृष्टिकोणका विकास होगा। भारतीय सेनामें पहलेसे ही विद्यमान उच्च ढंगकी शिक्षाको आधुनिकीकरणसे और प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है; और सेनासे निवृत्त होकर जब हरएक सैनिक मोटरगाड़ियों एवं मशीनोंकी जानकारीके साथ घर लौटेगा, तो खेती तथा रहन-सहनके सदियों पुराने तरीकोंपर भी उसका स्पष्टतः असर पड़ेगा। इसलिए सेनामें आधुनिकीकरणका भारतके जीवनपर अप्रत्यक्ष रूपसे काफी प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग मेरा भाषण सुन रहे हैं उनमें से बहुतोंको सेनामें छोड़के न रहने पर दुःख होगा। इसके लिए मुझसे अधिक दुःख किसीको नहीं होगा। लेकिन एक ऐसे सिपाहीकी हैसियतसे, जिसे यह मालूम है कि आधुनिक युद्ध-कलामें छोड़ेका भविष्य क्या है, मुझे उसके लिए इस बातकी खुशी है कि मनुष्यका एक सबसे बड़ा और सर्वोत्तम मित्र भविष्यमें युद्धकी विभीषिकाओंसे बच जायेगा।

मैं उनके इस विचारसे सम्मानपूर्वक किन्तु पूरी तरह अपनी असहमति प्रकट करता हूँ कि हिन्दुस्तान सैनिक देश है। और इसके लिए मैं ईश्वरको धन्यवाद देता हूँ कि वह ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सेनाध्यक्ष सैनिक शब्दका कोई खास अर्थ करते हों, जिससे मैं परिचित नहीं हूँ। या कि उनके हिन्दुस्तानमें सिर्फ वे प्रतिरक्षा-सेनाएँ ही आती हैं जो उनके अधीन हैं? मेरे लिए तो राष्ट्रीय सरचनारमें रक्षा-सेनाओका महत्त्व सबसे कम है। मुझे यह याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं कि अगर सेनाएँ हटा ली जायें तो जिन्दगी हमेशा खतरोंमें ही रहेगी। क्योंकि सेनाओंके बावजूद, जिन्दगी खतरोंसे खाली नहीं है। दंगे-फसाद होते हैं, हत्याएँ होती हैं, डाके पड़ते हैं और हमले भी होते हैं। इन खतरोंमें प्रतिरक्षा-सेनाएँ कोई काम नहीं आतीं। आम तौरपर अनिष्ट हो जाने के बाद ही वे काम करती हैं। लेकिन बहादुर सेनापति तो सब बातोंको एक सैनिककी दृष्टिसे ही देखते हैं। मैं और अन्य लाखों व्यक्ति सैनिक-भावनासे विलकुल अछूते हैं। बहुत प्राचीन कालसे

हिन्दुस्तानमें एक सैनिक जाति मौजूद है, जिसकी सख्या सर्वथा नगण्य है। जन-साधारणसे उस जातिकी बहुत कम सरोकार रहा है। तथापि इस बातकी जाँच करने का यह अवसर नहीं है कि उसका भारतके निर्माणमें क्या योगदान है। मैं अपनी पूरी शक्तके साथ केवल यही कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानको सैनिक देश कहना गलत है। दुनियाके सब देशोंमें हिन्दुस्तान सबसे कम सैनिक देश है। आज मनुष्यजातिको सर्वनाशसे बचाने का सर्वोत्तम उपाय अहिंसा ही है। और हालाँकि ऐसी अहिंसाके प्रति अपनी अविचल श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मैं कार्य-समितिको राजी करने में नाकामयाब रहा हूँ, फिर भी मैंने यह आशा नहीं छोड़ी है कि आम लोग 'युद्धासुर' के आगे झुकने से इन्कार कर देंगे और देशके सम्मानकी रक्षाके लिए अपने कण्ट-सहनकी क्षमतापर निर्भर रहेंगे। पोलैंडकी असन्दिग्ध सैनिक वीरता उससे उत्कृष्ट जर्मनी और रूसकी सेनाओंके सामने क्या काम आई? अगर पोलैंडकी जनता इन सयुक्त सेनाओंकी चुनौतीका सामना बिना किसी प्रतिशोधकी भावनाके मृत्युके मुखमें जाने के दृढ़ निश्चयके साथ करती, तो आज उसकी जो हालत है क्या उससे बुरी हालत होती? क्या आक्रमणकारी सेनाएँ उस पोलैंडका, जो तब इसकी अपेक्षा निश्चय ही अधिक शूरवीर होता, अधिक तबाह करती? बहुत सम्भव है कि निर्दोष व्यक्तियोंकी हत्या होते देख आक्रमणकारी सेनाएँ अपनी मूल प्रकृतिके वशीभूत हो जाती और वे उनका कत्लेआम करने से विरत हो जाती।

ससारको सच्चे जीवनका अच्छा, बल्कि एकमात्र, मार्ग दिखलाने के लिए ससारकी सब सस्थाओंमें कांग्रेस ही सबसे उपयुक्त है। आजकी भयभीत मन स्थितिसे जागने के बाद यदि भारत ससारको रक्तपात और हिंसासे मुक्तिका मार्ग नहीं बतलाता, तो कांग्रेसका अहिंसात्मक प्रयोग व्यर्थ होगा। यदि हिन्दुस्तान यह दिखलाकर कि मनुष्यका गौरव सर्वनाशके साधनोंको बढ़ाने की क्षमतामें नहीं बल्कि प्रतिशोध लेने से इन्कार करने में है, अपनी स्वाभाविक भूमिका अदा न करता, तो आज जान-मालका जो अक्षम्य सर्वनाश हो रहा है, वह कभी खत्म नहीं होगा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर हिंसामें, जो पाशविक नियम है, लाखोंको प्रशिक्षित करना सम्भव है तो अहिंसामें, जो नव सस्कार-सम्पन्न मनुष्यका नियम है, उन्हें दख बनाना और भी अधिक सम्भव है। वहरहाल यदि सेनाध्यक्ष प्रतिरक्षा-सेनाओंसे बाहर अपनी दृष्टि डालेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सच्चा हिन्दुस्तान सैनिक नहीं बल्कि शान्तिप्रिय है।

इस विचार-मात्रसे मुझे कोई कम परेशानी नहीं होती कि युद्ध-कलाके आधुनिक तरीकोंकी शिक्षा प्राप्त कर भारतीय सैनिक अपने धरोको मोटरकी भावना लेकर लौटेंगे। गति ही जीवनका अन्तिम ध्येय नहीं है। मनुष्य यदि अपने कामपर पैदल चलकर जाये, तो उसे चीजोंको देखने-समझने का ज्यादा अच्छा अवसर मिलता है, और वह अधिक सच्चा जीवन व्यतीत करता है।

शिमला जाते हुए रेलगाड़ीमें, २५ सितम्बर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ३०-९-१९३९

२३६. पहेलियाँ

एक प्रसिद्ध कांग्रेसी सज्जन पूछते हैं.

१. इस युद्धके बारेमें अहिंसासे मेल खानेवाला आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है?

२. पिछले महायुद्धके समय आपका जो दृष्टिकोण था, वही है या उससे भिन्न है?

३. अपनी अहिंसाके साथ आप कांग्रेससे, जिसकी नीति इस संकटमें हिंसापर आधारित है, कैसे सक्रिय सम्पर्क रख सकेंगे और उसकी कैसे मद्दद कर सकेंगे?

४. इस युद्धका विरोध करने या उसे रोकने के लिए अहिंसापर आधारित आपकी ठोस योजना क्या है?

मुझे मित्रभावसे लिखा जो शिकायती पत्र मिला है, उसके उपसंहारमें मेरी प्रकट विसंगति और मेरे मनकी दुर्बलताको लेकर उपर्युक्त प्रश्न किये गये हैं। ये दोनों पुरानी शिकायतें हैं, जो शिकायत करनेवालों की दृष्टिसे तो उचित हैं, लेकिन मेरी अपनी दृष्टिसे विलकुल अनुचित हैं। इसलिए शिकायत करनेवालों और मुझमें मतभेद तो होगा ही। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जब मैं कुछ लिखता हूँ तो यह कभी नहीं सोचता कि पहले मैंने क्या कहा था। किसी विषयपर मैं पहले जो-कुछ कह चुका हूँ उससे सगत होना मेरा उद्देश्य नहीं होता, बल्कि प्रस्तुत अवसरपर मुझे जो सत्य मालूम पड़े उसके अनुसार आचरण करना मेरा उद्देश्य होता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मुझे एकके-बाद-एक सत्यका दर्शन होता गया है, अपनी याददाश्तको मैंने व्यर्थके बोझसे बचा लिया है, और इससे भी बढ़कर बात यह है कि जब-कभी मुझे अपने नवीनतम लेखोंकी पचास वर्ष पहलेके लेखोंके साथ तुलना करनी पड़ी है, तो उन दोनोंमें मुझे कोई विसंगति नहीं दिखाई दी है। फिर भी जिन मित्रोंको मेरे लेखोंमें विसंगति दिखाई देती है उन्हें चाहिए कि जबतक पुरानेसे ही उन्हें कोई खास प्रेम न हो, वे उसी अर्थको ग्रहण करें जो मेरे सबसे ताजा लेखोंसे निकलता हो। लेकिन चुनाव करने से पहले उन्हें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि अपरसे दिखलाई देनेवाली विसंगतियोंके पीछे क्या स्थायी सगति नहीं है?

जहाँतक मेरी दुर्बलताका सवाल है, मित्रोंको यह विश्वास रखना चाहिए कि विचारोंके प्रासंगिक होने पर मैं उन्हें दबाने का कभी प्रयत्न नहीं करता। दुर्बलता कभी-कभी तो संक्षेपमें कहने की गैरी इच्छाके कारण होती है, और कभी-कभी जिस

विषयपर मुझसे राय देने के लिए कहा जाये उसके सम्बन्धमें मेरे अपने अज्ञानके कारण भी होती है।

नमूनेके तौरपर एक उदाहरण दूँ। मेरे एक मित्र^१ है। उनके और मेरे बीच कभी कोई दुराव नहीं रहा। वे परितापकी वजाय क्षोभसे लिखते हैं^२ :

यदि भारत युद्धक्षेत्र बन जाता है—और ऐसा होना कोई असम्भव बात नहीं है—तो क्या गांधीजी अपने देशवासियोंको यह सलाह देने के लिए तैयार हैं कि शत्रुकी तलवारके सामने वे अपने सीने खोल दें? यदि किसीने मुझसे कुछ समय पहले यह प्रश्न किया होता तो मैं उसका उत्तर 'हाँ' में देता, लेकिन अब मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता।

मैं तो उन्हें यही विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे हालके लेखोके बावजूद, वे भरोसा रख सकते हैं कि अब भी मैं वही सलाह दूँगा जैसी उनके विचारमें मैंने पहले दी होती या जैसी मैंने चेक^३ या एवीसीनियाके^४ लोगोंको दी है। मेरी अहिंसा ठोस धातुकी बनी हुई है। वैज्ञानिकोंको सबसे मजबूत जिस धातुका पता होगा, यह उससे भी ज्यादा मजबूत है। इतनेपर भी मुझे इस बातका दुःखद भान है कि इसे अभी इसकी असली ताकत प्राप्त नहीं हुई है। अगर वह प्राप्त हो गई होती, तो मैं नित्य हिंसाकी जिन अनेक स्थानीय घटनाओंको असहाय होकर देखा करता हूँ, उनसे निपटने का रास्ता भगवान् मुझे सुझा देता। यह मैं घृष्टतापूर्वक नहीं बल्कि पूर्ण अहिंसाकी शक्तिका कुछ ज्ञान होने के कारण कह रहा हूँ। मेरी जो सीमाएँ अथवा कमजोरियाँ हैं उनको छिपाने के लिए मैं किसीको अहिंसाकी शक्तिको हलका आँकने का अवसर नहीं दूँगा।

अब पूर्वोक्त प्रश्नोंके जवाबमें कुछ पंक्तियाँ लिखता हूँ :

(१) व्यक्तिगत रूपसे मुझपर इस युद्धकी जैसी त्रासपूर्ण प्रतिक्रिया हुई है वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। युद्धको लेकर आज मेरा मन जितना परेशान है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस तीव्रतर त्रासके कारण ही आज मैं भरती करनेवाला स्वयंनियुक्त साजेंट नहीं बनूँगा, जैसा पिछले महायुद्धके वक्त मैं बन गया था। तथापि, यह विचित्र भले ही लगे, मेरी सहानुभूति मित्र-राष्ट्रोंके साथ है। जैसे भी हो, यह युद्ध पश्चिममें विकसित प्रजातन्त्र और हर हिटलर जिसके प्रतीक हैं, उस सर्वसत्तावादके बीच होनेवाले युद्धका रूप धारण कर रहा है। हालाँकि रूस इसमें जो भूमिका अदा कर रहा है वह दुःखद है, फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस अस्वाभाविक मेलसे, कोई ऐसा अनपेक्षित किन्तु सुखद समेकन प्रतिफलित होगा जिसके स्वरूपके बारेमें अभी कुछ नहीं कहा जा

१. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री

२. २२ सितम्बरको महादेव देसाईके नाम लिखे एक पत्रमें

३. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४४९-५२।

४. देखिए खण्ड ६१, पृ० ३२५ और ३२६।

सकता। अगर मित्र-राष्ट्रोंका उत्साह भंग न हो— और उनका उत्साह भंग होने का कोई आसार दिखाई नहीं देता— तो इस युद्धसे सब युद्धोका— कमसे-कम ऐसे विभीषिकापूर्ण युद्धोंका— अन्त हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि भारत यद्यपि अपने आन्तरिक भेदभावोंसे आक्रान्त है तथापि वह इस इच्छित उद्देश्यकी पूर्ति तथा अबतक की अपेक्षा शुद्ध प्रजातन्त्रके प्रसारमें प्रभावकारी भूमिका निभायेगा। निःसन्देह, यह इस बातपर निर्भर है कि संसारके रंगमंचपर जो सच्चा दुःखद नाटक खेला जा रहा है उसमें कार्य-समिति अन्ततोगत्वा कैसा भाग अदा करेगी। इस नाटकमें हम अभिनेता और दर्शक दोनों हैं। मेरा मार्ग तो निश्चित है। चाहे मैं कार्य-समितिके विनम्र मार्ग-दर्शकका अथवा यदि मैं बिना किसी आपत्तिके कह सकूँ तो कहूँगा कि सरकारके मार्ग-दर्शकका काम करूँ, मेरा मार्ग-दर्शन उनमें से एक या दोनोंको अहिंसाके मार्गपर ले जाने के लिए होगा, फिर चाहे उस मार्गपर उनकी प्रगति अगोचर ही क्यों न रहे। यह स्पष्ट है कि मैं किसी रास्तेपर रफ्तार बढ़ा नहीं सकता। मैं तो सिर्फ उसी शक्तिका उपयोग कर सकता हूँ, जो इस अवसरके लिए ईश्वर मेरे हृदय एवं मस्तिष्कमें देने की कृपा करे।

(२) मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर पहले प्रश्नके उत्तरमें आ गया है।

(३) अहिंसाकी भाँति ही हिंसाके भी दर्जे होते हैं। कार्य-समिति इच्छापूर्वक अहिंसाकी नीतिसे नहीं हटती है। वह ईमानदारीके साथ अहिंसाके वास्तविक फलितार्थोंको स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि कांग्रेसियोंका विशाल समुदाय इस बातको स्पष्ट रूपसे कदापि नहीं समझ पाया कि बाहरसे आक्रमण होने पर वे अहिंसात्मक साधनोंसे देशकी रक्षा करेंगे। सच्चे अर्थोंमें तो उन्होंने सिर्फ यही समझा है कि ब्रिटिश सरकारके खिलाफ कुल मिलाकर अहिंसाके जरिये वे सफल लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्य क्षेत्रोंमें कांग्रेस-जनको अहिंसाके उपयोगकी ऐसी शिक्षा मिली भी नहीं है। उदाहरणके तौरपर, साम्प्रदायिक दंगों या गुण्डागर्दीका अहिंसात्मक रूपसे सफल मुकाबला करने का निश्चित तरीका भी वे अभी ढूँढ़ नहीं पाये हैं। यह दलील अन्तिम है, क्योंकि यह वास्तविक अनुभवपर आधारित है।

ऐसी स्थितिमें यदि मैं अपने सबसे अच्छे साथियोंको इस कारण छोड़ देता हूँ कि अहिंसाके व्यापकतर प्रयोगमें वे मेरा साथ नहीं दे सकते तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं अहिंसाके पक्षका हित-साधन नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस विश्वास के साथ उनके साथ हूँ कि अहिंसात्मक साधनसे उनका हटना सर्वथा संतुचित क्षेत्र-तक ही सीमित रहेगा और वह अस्थायी ही होगा।

(४) मेरे पास कोई ठोस योजना तैयार नहीं है। मेरे लिए भी यह नया क्षेत्र है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मुझे साधनोंका चुनाव नहीं करना है, चाहे मैं कार्य-समितिके सदस्योंसे मन्त्रणा करूँ या वाइसरायके साथ, मेरा साधन तो सब शुद्ध अहिंसात्मक ही होगा। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ, वह खुद ही ठोस योजनाका एक अंग है। और बातें मुझे दिन-ब-दिन सूझती जायेंगी, जैसे कि मेरी सब योजनाओंके बारेमें हमेशा हुआ है। असहयोगका प्रसिद्ध प्रस्ताव भी मेरे दिमागमें कांग्रेस महा-

समितिकी उस बैठकसे, जो १९२० में कलकत्तामें हुई थी और जिसमें वह प्रस्ताव पास हुआ था, कोई २४ घटेसे भी कम पहले आया था, और यही लगभग प्रथम दाँडी कूचके^१ बारेमें भी हुआ। सत्याग्रह की, जिसे उस वक्त निष्क्रिय प्रतिरोधका नाम दिया गया, नीव भी प्रसंगवश भारतीयोंकी उस सभामें पड़ी जो उन दिनोंके एगियाई-विरोधी कानूनका मुकाबला करने के उपाय खोजने के उद्देश्यसे १९०६ में जोहानिसवर्गमें हुई थी? मै जब सभामें गया था उस समय मेरे मनमें प्रस्तावकी कोई कल्पना नहीं थी। वह प्रस्ताव मुझे उस सभामें ही सूझा। उस समय सजित वस्तुका अब भी विकास हो रहा है। लेकिन कल्पना कीजिए कि ईश्वर मुझे पूरी शक्ति प्रदान कर दे (जो कि वह कभी नहीं करता) तो मैं फौरन अग्रेजोंसे कहूँ कि वे शस्त्र रख दें, अपने सब अधीन देशोंको आजाद कर दें, "छोटे इंग्लैंडवासी" कहलानेमें ही गर्वका अनुभव करे और संसारके सब सर्वसत्तावादियोंको वे जो करना चाहें, करने की चुनौती दें। तब अग्रेज कोई प्रतिरोध किये बिना मरकर भी इतिहासमें अहिंसात्मक वीरोंके रूपमें अमर हो जायेंगे। इसके अलावा, भारतीयोंको भी मैं इस दैवी बलिदानमें सहयोग करने के लिए निमन्त्रित करूँ। यह कभी न टूटनेवाली ऐसी साम्राज्यदारी होगी जो तथाकथित शत्रुओंके खूनसे नहीं बल्कि उनके अपने शरीरके खूनसे लिखे अक्षरोंमें अंकित हो जायेगी। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सामान्य सत्ता नहीं है। अहिंसा तो घीभी गतिसे बढ़नेवाला पौधा है। वह अदृश्य किन्तु निश्चित रूपमें बढ़ता है। और लोग मुझे गलत समझेंगे, इस बातका खतरा उठाकर भी मुझे अन्तरात्माकी क्षीण आवाजके अनुसार ही काम करना चाहिए।

शिमला जाते हुए रेलगाड़ीमें, २५ सितम्बर, १९३९

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ३०-९-१९३९

२३७. पुराने क्रान्तिकारी

'हरिजन' के पाठक जानते हैं कि सरदार पृथ्वीसिंह पच्चीस सालके बाद आजाद हुए हैं। इन पच्चीस सालोंमें कुछ वर्ष तो उन्होंने जेलमें बिताये हैं और सोलह साल फरार रहकर झर-उधर छिपते हुए। उन सोलह सालोंकी जिन्दगीको वह आजादी की जिन्दगी नहीं कह सकते। उनका वह समय खुफिया पुलिसको झॉसा देते, और जब जैसा मौका हो उसके मुताबिक नये-नये नाम रखते और नये-नये वेश धारण करते बीता। पाठकोको याद होगा कि पिछले साल जब मैं जूहूमें स्वास्थ्य-लाभ कर रहा था, तब पृथ्वीसिंहने मुझसे मिलकर अपने पिछले पापोको स्वीकार करने और

१. देखिए खण्ड १८, पृ० २४७-४८।

२. १२ मार्च, १९३० को; देखिए खण्ड ४३।

३. देखिए खण्ड ५, पृ० ४३०-३४।

भविष्यमें मेरे आदेशानुसार अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। मैंने उन्हें सलाह दी कि पुलिसको आत्मसमर्पण कर दीजिए और अपने पिछले पापोसे मुक्त होने के लिए स्वेच्छापूर्वक जेलके नियमोंका पालन करनेवाले कैदी बन जाए। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको रिहा कराने की कोशिश तो करूँगा, लेकिन आपको यह न समझना चाहिए कि मैं उसमें कामयाब ही हो जाऊँगा, बल्कि जरूरत हुई तो आपको अपना शेष जीवन जेलमें काटने में ही सन्तोष मानना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता और हलके मनसे वे आजन्म कारावास भुगतने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने सच्चे दिलसे यह स्वीकार किया कि स्वेच्छापूर्ण कैद भोगने से भी देशकी शायद उतनी ही सेवा होगी, जितनी कि जेलसे बाहर रहकर की जा सकती है।

मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वे अपनी बातके पक्के रहे हैं। पाठक जानते हैं कि महादेव देसाईने रावलपिण्डी जेलमें उनसे मिलने के बाद उस मुलाकातका वर्णन करते हुए उन्हें शत-प्रतिशत एक आदर्श कैदी बताया था। वे अपने जेलरोंके प्रिय बन गये और जेलरोंने उनमें जो विश्वास किया, उसके लिए उन्हें कभी पछताना नहीं पडा। वहाँ उन्होंने ऊन और सूतकी कताई सीखी और ऊन-कताईका काम ऐसी मेहनतसे किया कि उनका हृदय-कट्टा शरीर भी अविश्रान्त श्रमसे थक जाता था और उन्हें विश्रामकी जरूरत पड़ती थी। सरदार पृथ्वीसिंहके आदर्श जेल-जीवनके बारेमें पहले प्यारेलालने और फिर महादेव देसाईने जो-कुछ कहा उससे मैंने अपने कर्तव्यका निश्चय कर लिया। महादेव देसाईको इस बातका पूरा विश्वास हो गया कि उनके मामलेकी वे सफलताके साथ सर सिकन्दर हयात खाँसे पैरवी कर सकते हैं। मैंने उन्हें सर सिकन्दर हयात खाँके पास जाने दिया। सर सिकन्दर भी उदारतासे पेश आये। महादेवने जो-कुछ कहा उसकी सच्चाईसे, जिसकी पुष्टि पृथ्वीसिंह जिन जेलोंमें रहे उनके अधिकारियों द्वारा प्राप्त रिपोर्टसे भी होती थी, वे प्रभावित हुए। महादेवने इसके लिए वाइसराय-भवनके भी द्वार खटखटाये। इसका परिणाम यह हुआ कि २२ सितम्बरको अधिकारियोंने सरदार पृथ्वीसिंहको लाकर मेरे पास छोड़ दिया।

मैंने उनका स्वागत करते हुए कहा कि आपने अपनेको एक जेलसे दूसरी जेलमें बदल लिया है, जो किसी कदर ज्यादा ही सख्त है। उन्होंने हँसकर अपनी हार्दिक स्वीकृति प्रकट की। वे जानते हैं कि उन्हें कसौटीपर कसा जा रहा है। उनका यह दृढ़ विश्वास रहा है कि देशकी आजादीके लिए एकमात्र मार्ग हिंसा ही है। उन्होंने ऐसे-ऐसे साहसपूर्ण काम किये हैं जिनकी बराबरी चाहे कोई कर सके लेकिन जिनसे बढ़कर किसी भी क्रान्तिकारीने नहीं किये हैं। उनका जीवन अद्भुत घटनाओसे भरा हुआ है। लेकिन धीरजके साथ आत्म-निरीक्षण करने से उन्हें मालूम हुआ कि बस्तुतः उनका जीवन असत्यपूर्ण है और असत्यसे सच्ची मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। लुका-छिपीके मोहक जीवन और उनके साहसपूर्ण कार्योंसे चमत्कृत होकर उनके मित्र उनकी जो सराहना किया करते थे, उस सबके बावजूद वे लुका-छिपीके ऐसे असत्यपूर्ण जीवनसे ऊब गये थे। सैकड़ों नौजवानोंको उन्होंने जो व्यायाम सिखलाया, उससे उन्हें कोई सन्तोष नहीं मिला। सौभाग्यवश, उन्हें दक्षिणा-

मूर्तिके नानाभाई-जैसे साथी मिल गये, जिन्होंने उनके कदम मेरी तरफ मोड़े। मैंने सरदार पृथ्वीसिंहसे कहा है कि सक्रिय अहिंसाके जीवन्त दृष्टान्तके रूपमें जबतक वे मुझसे आगे नहीं बढ़ जाते तबतक मुझे सन्तोष नहीं होगा। मुझमें तो कायरकी हिंसाके अलावा पुरजोर सक्रिय हिंसा कभी नहीं रही, जबकि वे तो हिंसाकी साक्षात् प्रतिमूर्ति रहे हैं। अब यदि उन्होंने अहिंसाको हृदयंगम कर लिया है, तो उनकी अहिंसा पहलेकी उनकी हिंसाकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और अद्भुत होनी चाहिए। ईश्वरकी कृपासे उन्हें इस लोकोक्तिको चरितार्थ करके दिखाना चाहिए कि “जो जितना अधिक पापी होता है वह उतना ही बड़ा सन्त बनता है।” उन्होंने मुझे अपनी डायरीके वे प्रामाणिक पृष्ठ दिखलाये हैं जिनमें उन्होंने स्वैच्छिक कैदीके रूपमें वित्ताई अपनी पहली रातका मृत्युके रूपमें वर्णन किया है। उसमें से निम्न महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद मैं यहाँ देता हूँ :

आज मेरे आत्म-समर्पणका दिन है, जबकि बंदी आवेशसे प्रेरित होकर मैं ऐसी हर वस्तुका समर्पण करता हूँ जिसे मैं अपनी कह सकूँ। २५ सालतक मैंने सब खतरोंका सामना करते हुए ऐसा प्रकाश पाने के लिए कठोर परिश्रम किया है जो मुझे सेवाका मार्ग बतला सके। एक अनुभवी क्रान्तिकारी होने के नाते मैं अपनी सफलताओंपर गर्व करता था। १९ मईका दिन मेरे जीवनका एक महत्त्वपूर्ण दिन है—यह वह दिन है जब मैंने यह महसूस किया कि मैं आजतक जिस मार्गपर चलता रहा हूँ उसी मार्गपर चलकर मैं न तो अपने राष्ट्रको समृद्ध कर सकूँगा, और न मानवताके उद्धारमें ही अपना कोई योगदान दे सकूँगा। १९ मईका यह दिन मेरे जीवनमें सबसे बड़े साहसका दिन है। वर्तमान जीवनमें मेरे लिए न कोई आकर्षण है और न उसका कोई अर्थ ही है। मुझे नये जीवनमें प्रवेश करना ही चाहिए। मृत्युका आर्लिंगन किये बिना भला मैं उसे कैसे पा सकता हूँ? लेकिन मृत्युका आर्लिंगन करना कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो नया जीवन ही है। किन्तु मृत्युके सिवा और कैसे मैं उसे पा सकता हूँ? तर्ककी इसमें विशेष गुंजाइश नहीं है। यह तो श्रद्धा थी जिसने मुझे यह रास्ता दिखलाया।

प्रभुसे यही प्रार्थना है कि सरदार आज जिस आजादीका उपभोग कर रहे हैं, वह इस बातको सिद्ध कर दे कि उन्होंने ये टिप्पणियाँ भावावेशमें आकर नहीं लिखी वल्कि ये उनकी व्याकुल आत्माकी अभिव्यक्ति हैं।

शिमला जाते हुए रेलगाड़ीमें, २५ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३०-९-१९३९

२३८. पत्र : एस० सत्यमूर्ति और लक्ष्मीको

दुबारा नहीं पढ़ा

रेलगाडीमें

२५ सितम्बर, १९३९

प्रिय सत्यमूर्ति,

पिछले महीनेकी ३१ तारीखका तुम्हारा पत्र आज ही हाथमें ले सका हूँ।

तुम्हारे अधिकांश तर्कोंका जवाब देनेकी अब शायद जरूरत नहीं रही।

तुम जवाहरलालको लेकर नाहक परेशान हो। वह अपनी सीमाओंके बावजूद सोने-जैसा खरा है। क्या हम सबकी अपनी-अपनी सीमाएँ नहीं हैं? तुम्हें नहीं मालूम कि कार्य-समितिके सदस्योंको उसकी कितनी जरूरत है। मैं अपने विचार किसीपर लाद नहीं सकता। जरूरत पड़ने पर अपनी सेवाएँ वैश्विकक अर्पित कर देता हूँ।

संसदीय कार्यक्रमोंके मामलेमें मैं अधिकतर बातोंमें तुमसे सहमत हूँ। लेकिन बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं। देखें, क्या होता है।

आशा है स्वास्थ्यमें निरन्तर सुधार हो रहा होगा।

लक्ष्मीको^१ प्यार।

तुम्हारा,

मो० क० गांधी

चि० लक्ष्मी,^२

आशा है, तू अच्छी होगी।

बापुके आशीर्वाद

मूल अंग्रेजीसे : एस० सत्यमूर्ति पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. एस० सत्यमूर्तिकी पुत्री

२. यह तथा पत्रका शेष भाग हिन्दीमें है।

२३९. पत्र : पी० कोदण्डरावको

रेलगाड़ीमें
२५ सितम्बर, १९३९

प्रिय कोदण्डराव,

भुझे तुम्हारा और तुम्हारे साथी, दोनोंके शुभकामनाओंके पत्र मिले। मैं तुम्हे इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे स्नेहको कम आँक ही नहीं सकता। मैं तो उसे एक निधि मानता हूँ। अहिंसाके सम्बन्धमें मैं श्रद्धापूर्वक, लेकिन 'गीता' में वर्णित अनासक्त भावसे काम करता हूँ।

तुम दोनोंको मेरा प्यार।

तुम्हारा,
मो० क० गांधी

श्री कोदण्डराव
सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
पूना ४

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२८५) से।

२४०. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको

रेलगाड़ीमें
२५ सितम्बर, १९३९

चि० काका,

मैं इसे पढ गया। हमें मदद मिलनी चाहिए। मैंने मार्गरेटको^१ आश्वासन दिया है। तुम्हें तो विस्तारसे लिखना चाहिए। जब हम मिले तब फिर बात करना। शंकर तुमसे मिला होगा। चन्दनको जाग्रत करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९७०) से।

१. मार्गरेट स्पीगल।

२४१. पत्र : अमनुस्सलामको

रेलगाड़ीमें

२५ सितम्बर, १९३९

बेटी अ० सलाम,

उम्मीद है, तू शान्त चित्त होगी। प्रसन्न रहकर अपनी तबीयत सँभालना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६७८)।

२४२. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

रेलगाड़ीमें

२५ सितम्बर, १९३९

चि० बबुड़ी,

तुझसे विछड़ना अच्छा नहीं लगा। तुरन्त वापस आने की कोशिश करना।
जैसी ईश्वरेच्छा। खुश रहना। सबकी सेवा करना।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००१६) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला

२४३. पत्र : कंचनबहन मु० शाहको

रेलगाड़ीमें

२५ सितम्बर, १९३९

चि० कंचन,

तेरे साथ बात नहीं कर सका, यह बात मुझे कचोटती है। वापस आने पर
जैसे ही मौका मिलेगा [तुझसे मिलने का] समय निकालूंगा। अमनुस्सलामसे घुल-
मिल जाना। आशा है, मुन्नालाल शान्तचित्त होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२९१) से। सी० डब्ल्यू० ७०५५ से भी;
सौजन्य : मुन्नालाल जी० शाह

२४४. पत्र : बलवन्तसिंहको

ट्रेन परसे
२५ सितम्बर, १९३९

वि० बलवतसिंह,

तुमारा खत मिला। अच्छा है। सरदारजी ने भी खत लिखा है। मिलेंगे तब बात करेंगे। मुसलमान भाईयोंकी कथा रोचक है। आसफपुरसे वापस आओगे उतनेमें दिल्लीका पता लग जायगा। सब खतम करके घर आओगे। मैं सीमला जा रहा हूँ। दो-तीन दिन ठहरना होगा। ईश्वरदासका काम अच्छा होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९२५) से।

२४५. पत्र : डॉ० वाई० एम० दादूको

रेलगाड़ीमें [वर्धा जाते हुए]
२७ सितम्बर, १९३९

प्रिय दादू,

हाजी इस्माइल भाभाने शिक्रायत करते हुए लिखा है कि सत्याग्रही लोग हिंसक आचरण कर रहे हैं, वे जून माहमें हुई सभामें अपने साथ घातक हथियार ले गये थे तथा वे मुस्लिम औरतोंका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आदि। मैंने उन्हें लिख दिया है कि तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। मेरा सुझाव है कि तुम उनसे मिल लो। हमारा कर्त्तव्य तो यह है कि हम अपने विरोधीकी बातपर भी गौर करें और जहाँ भी सम्भव हो उसकी बात मान लें।

मुझे आशा है कि वहाँ सभी बातें ठीक और सही ढंगसे चल रही हैं।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९०५) से। सी० डब्ल्यू० १३१८ से भी;
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी

२४६. पत्र : लेडी रजा अलीको

[स्थायी पता :] सेर्गाव
२७ सितम्बर, १९३९

प्रिय पूर्वी,

यह पत्र मैं चलती गाड़ीमें लिख रहा हूँ। मुझे सर रजाने^१ बताया कि तुम बीमार हो। मैंने तुमसे पत्र लिखने का वादा किया था और कही ऐसा न हो कि मैं वादेको भूल जाऊँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी पत्र लिख रहा हूँ। मुझे आशा है कि यह पत्र मिलने तक तुम बिलकुल ठीक हो गई होगी।

तुम सबको प्यार।

बापू

लेडी रजा अली

७८, जोन्स स्ट्रीट

किम्बर्ले, दक्षिण आफ्रिका

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७७४९) से।

२४७. हिन्दू-मुस्लिम एकता

शिमलाकी मेरी पिछली यात्राके दौरान कुछ कांग्रेसी अखबारोंमें मुस्लिम लीग और उसकी कार्रवाइयोंके बारेमें जो कटु आलोचना प्रकाशित होई थी, उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। ऐसी कोई आलोचना मेरे देखने में नहीं आई है। इसका कारण यह है कि मैं अखबार नहीं पढ़ता; रोज सरसरी तौरसे उन्हें चन्द मिनट देख-भर लेता हूँ। लेकिन यदि ऐसी शिकायतके लिए कोई आघार हो, तो उसे जरूर दूर किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग एक महान् सस्था है। उसके अध्यक्ष एक जमानेमें उत्कट कांग्रेसी थे। कांग्रेसको उनसे बहुत आशा थी। लॉर्ड विंलिंगडनके साथ उनकी जो झड़प हुई थी, उसे हम कभी नहीं भुला सकते। बम्बई-कांग्रेसका जिन्ना हॉल कांग्रेसके निमित्त किये गये अध्यक्षके महान् प्रयत्नोंका एक स्थायी स्मारक और कांग्रेसजनों द्वारा की गई उनकी सेवाओंकी कद्रका एक

१. सैयद रजा अली, १९३५-३८ तक दक्षिण आफ्रिकामें भारत सरकारके एजेंट थे और १९३९ से केन्द्रीय विधान-समाके सदस्य।

चिह्न है। लीगमें ऐसे अनेक सदस्य हैं जो अविस्मरणीय खिलाफतके दिनोंमें पूरे दिलसे कांग्रेसके साथ थे। मैं नहीं मानता कि ये कलके दोस्त अपने पुराने साथी कार्य-कर्त्ताओंके प्रति अपने दिलोंमें इतनी कटुता रख सकते हैं जैसा कि उनके आजके भाषणों और लेखोंसे प्रकट होता है। इसलिए कांग्रेसजन और कांग्रेसी समाचारपत्र अगर लीग या उसके सदस्योंके प्रति कटुता व्यक्त करते हैं, तो यह उनके लिए उचित नहीं है। कांग्रेसकी अहिंसा-नीतिके अनुसार कांग्रेसजनोंको लीग और उसके सदस्योंके साथ व्यवहार करते हुए अपनी वाणों, लेखों और कार्योंमें सहज ही समयका पालन करना चाहिए। उन्हें दृढ़तापूर्वक यह विश्वास और आशा करनी चाहिए कि देर-सवेर—और मेरे खयालसे तो जल्दी ही—साम्प्रदायिक एकता स्थापित होगी—मतही एकता नहीं, वल्कि सच्ची और स्थायी एकता।

स्वर्गीय शौकत अलीके पुत्र जाह्नदने, जो धिमलामें मुझसे मिले थे, कहा था कि "हमें हरगिज नहीं लड़ना चाहिए। खूनका रिश्ता सच्चा रिश्ता होता है। हम सब एक ही खूनके हैं। एकताके लिए आप जरूर कोशिश कीजिए।" यात्राके दौरान अन्य मुसलमान दोस्तोंने भी मुझसे कहा: "आपको एकता अवश्य स्थापित करनी चाहिए। इस कामको केवल आप ही कर सकते हैं। अगर आपके जीते-जी एकता न हुई तो फिर भगवान् ही बचाये।" एक महान् मुसलमानने भी मुझे इसी तरहका सन्देश भेजा है।

हो सकता है कि इससे मेरे अहंकी तुष्टि होनी हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह मुझे विनम्र बनाता है। क्या ही अच्छा होता यदि मेरे इतने सारे मुसलमान दोस्तोंने सच्चे मनसे जो आशा व्यक्त की है उसे पूरी करने की ताकत ईश्वरने मुझे दी होती। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा एक भी दिन नहीं जाता, जब मैं इस एकताके लिए चिंतन और प्रार्थना नहीं करता। दोनों कौमोंके बीच आज जो इतनी ज्यादा कटुता और झगड़े-फसाद मुझे लाचार बनकर देखने पड़ रहे हैं, इसका कारण इच्छा या प्रयत्नका अभाव नहीं है। मैंने यह आशा नहीं छोड़ी है कि न सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच वल्कि भारतकी तमाम कौमोंके बीच, एक नच्ची एकताकी स्थापना देखने के लिए मैं जीवित रहूँगा। अगर उमे पाने का रास्ता मुझे मालूम होता—फिर वह कितना ही कठिन और कँटीला रास्ता क्यों न हो—तो मैं यह जानता हूँ कि उसपर चलने की इच्छा और शक्ति मुझमें है। मैं यह भी जानता हूँ कि सबसे कम लम्बा और सबसे निश्चित मार्ग अहिंसाका है। कुछ मुसलमान मित्र मुझसे कहते हैं कि मुसलमान विगुद अहिंसाको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मुसलमानोंके लिए हिंसा उतनी ही जायज और जरूरी है जितनी कि अहिंसा। इन दोनोंका इस्तेमाल परिस्थितियोंपर निर्भर करता है। दोनोंके जायज होने का औचित्य सिद्ध करने के लिए 'कुरान'का प्रमाण देने की जरूरत नहीं। इस सुपरिचित मार्गपर दुनिया युगोंसे चलती आ रही है। संसारमें

विशुद्ध हिंसा-जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन मैंने बहुत-से मुसलमान दोस्तोंसे सुना है कि 'कुरान' अहिंसापर आचरण करने की शिक्षा देता है।

'कुरान' में बदलेकी अपेक्षा क्षमाको श्रेष्ठ माना गया है। इस्लाम शब्दका अर्थ ही शान्ति है और शान्तिका नाम अहिंसा है। बादशाह खानने^१, जो एक पक्के मुसलमान है और नमाज पढ़ने तथा रोजा रखने से कभी नहीं चूकते, अहिंसाको अपने धर्मके रूपमें पूरी तरह अपना लिया है। ऐसा कहना इसका कोई जवाब नहीं कि वे अपने इस धर्मका सम्पूर्ण रूपसे पालन नहीं करते, क्योंकि मुझे तो स्वयं ही इस बातका लज्जास्पद बोध है कि अपने धर्मका जैसा पालन मुझे करना चाहिए वैसा मैं भी नहीं करता। हमारे कार्योंमें अगर अन्तर है तो वह प्रकारका नहीं, मात्राका है। लेकिन अहिंसाके बारेमें 'कुरान' शरीफमें जो बात कही गई है वह क्षेपक है, मेरे दावेकी पुष्टिके लिए वह जरूरी नहीं है।

मेरी यह मान्यता है कि अहिंसा अपनी पूरी सम्भावना प्रकट कर सके, इसके लिए केवल एक पक्षका ही उसमें विश्वास करना जरूरी है। सच तो यह है कि अगर दोनों पक्ष सचमुच उसमें विश्वास करें और उसपर अमल करें, तब तो उसकी परख या उसके प्रदर्शनका प्रसंग ही नहीं उठेगा। एक-दूसरेके साथ हम शान्तिपूर्वक रहें, यह तो अत्यन्त स्वाभाविक चीज है। लेकिन उसमें अहिंसापर आचरण करने का श्रेय किसी पक्षको नहीं मिलता। दुर्भाग्यसे आज वे हिन्दू, जो हिंसाका प्रयोग करना नहीं जानते, यद्यपि वह उनके दिलोंमें है, अपनी इस अयोग्यतापर अफसोस करते हैं और हिंसाके इस फन को सीख लेना चाहते हैं—मैं इसे हिंसाकी कला नहीं कहूंगा—ताकि वे जिसे मुसलमानोंकी हिंसा कहते हैं, उसका सामना कर सकें। और अगर दोनो पक्ष आक्रामक और रक्षात्मक, दोनों तरहकी हिंसाके प्रयोगमें बराबरीसे मुकाबला करने लायक बनकर देशमें शान्ति स्थापित करना चाहते हैं, तो मैं यह जानता हूँ कि ऐसी शान्ति मेरे जीवन-कालमें स्थापित नहीं हो सकती, और अगर हो भी तो उसे देखने के लिए जीवित रहने की मेरे मनमें कोई इच्छा नहीं है। वह तो शस्त्र-सज्जित शान्ति होगी, जो किसी भी क्षण भंग हो सकती है। यूरोपमें इसी तरहकी शान्ति रही है। ऐसी शान्तिसे हमें बेजार कर देने के लिए क्या यूरोपका वर्तमान युद्ध काफी नहीं है?

जो मुसलमान मित्र मुझसे बहुत आशा रखते हैं, वे शायद अब शान्ति स्थापित करने की दिशामें मैंने जो कष्ट सहन किये हैं और अब भी कर रहा हूँ, उन सबके बावजूद मुझे अपने प्रयत्नोंमें सफलता न मिलने के मेरे दुःखको समझ गये होंगे। उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि मेरा मुख्य कार्य कमसे-कम हिन्दुओंको अहिंसाकी कला सिखाना है। हाँ, अगर मैं मुसलमानोंको उस स्थितिपर ला सकूँ जिसे अली-बन्धुओं और उनके साथियोंने खिलाफतके दिनोंमें ग्रहण किया था तो बात और है। वे कहा करते थे: "हमारे हिन्दू भाई हमारे टुकड़े-टुकड़े भी कर दें, तो भी हम उनसे प्रेम करेंगे। वे हमारे सगे भाई-बन्द हैं। स्वर्गीय मौलाना

अब्दुल वारी कहा करते थे: "हमारे इतिहासके इस कठिन समयमें हिन्दुओंने जिस प्रसन्नताके साथ और बिना शर्त हमारी मदद की है उसे हिन्दुस्तानके मुसलमान कभी नहीं भूल सकते।" मुझे विश्वास है कि इन दिनोंके हिन्दू और मुसलमान, दोनों आज भी वही हैं जो वे तब थे। लेकिन आज समय बदल गया है और उसके साथ-साथ हमारे रण-ढंग भी बदल गये हैं। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि एक-न-एक दिन हमारे दिलका मिलन अवश्य होगा। आज हमारे लिए जो नामुमकिन मालूम पड़ता है, उसे कल ईश्वर मुमकिन बना देगा। उसी दिनके लिए मैं काम करता हूँ, जीता हूँ और प्रार्थना करता हूँ।

वर्षा जाते हुए रेलगाड़ीमें, २८ सितम्बर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३९

२४८. टिप्पणियाँ

एक आकर्षक विचार

एक पठान दोस्त जो मुझे प्रवासके दौरान मिले थे, हिंसक कार्योंके बारेमें बातचीत करते हुए बोले: "आप जानते हैं कि हमारी सरकार इतनी शक्तिशाली है कि हमारी किसी भी हिंसक कार्रवाईको, चाहे वह कितनी ही सगठित क्यों न हो, बड़ी आसानीसे दबा सकती है, मगर आपकी अहिंसा तो अद्भुत है। आपने हमारे देशको एक आश्चर्यजनक शस्त्र दिया है। अहिंसाको संसारकी कोई भी ताकत दबा नहीं सकती।" मेरे इन मुलाकातीने अहिंसाके बारेमें जो आकर्षक विचार मेरे सामने रखा, उसके लिए मैंने उनकी प्रशंसा की। एक ही वाक्यमें उन्होंने अहिंसाके अनुपम सौन्दर्यका दर्शन करा दिया। उस पठान मित्रने अहिंसाका अत्यन्त स्वाभाविकता और सहज भावसे जो वर्णन किया, यदि हिन्दुस्तान उसके फलितार्थोंको अच्छी तरह समझ ले तो वह आक्रमणकारियोंके बड़ेसे-बड़े सगठनके मुकाबले भी अजेय हो सकता है। अहिंसाकी ऐसी शिक्षा पाये हुए लोगोंपर बहुत करके तो कोई हमला हो नहीं सकता। सच तो यह है कि कमजोरसे-कमजोर राज्य भी अगर अहिंसाकी कला सीख जाये तो वह अपनेको आक्रमणसे सहज ही सुरक्षित कर सकता है। लेकिन एक छोटा-सा राज्य, चाहे वह शस्त्रोंसे कितना-ही सुसज्जित क्यों न हो, अच्छे अस्त्र-शस्त्रधारी राष्ट्रोंके गुटके बीच अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। उसे अपनेको या तो मिटा देना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे गुटमें से किसी एक राष्ट्रके सरक्षणमें रहना पड़ेगा। जैसा कि प्यारेलालने मेरे सीमा-प्रान्तके प्रवासके दौरान लिखा, बादशाह खानने सच ही कहा है:

अगर हमें अहिंसाकी शिक्षा न मिली होती तो हमारी बड़ी दुर्गति होती। हमने तो उसे सर्वथा अपने स्वार्थवश अपनाया है। हम तो जन्मसे ही

लड़के हैं और आपसमें ही लड़कर इस परम्पराको बनाये हुए हैं। एक बार यदि परिवार अथवा कबीलेमें किसीकी हत्या कर दी जाती है तो उसका बदला लेना सम्मानकी बात समझी जाती है। आम तौरपर हम लोगोंमें क्षमा-जैसी कोई चीज नहीं मिलती। इस तरह यह दुश्चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। निश्चित रूपसे अहिंसा मुक्ति-दूतके रूपमें हमारे पास आई है।

जो बात सीमा-प्रान्तपर लागू होती है वह हम सबपर भी लागू होती है। अनजाने ही हम हिंसाके दुश्चक्रमें धूमते रहते हैं। यदि हम इसपर थोड़ा-सा विचार करें और सोच-समझकर तदनुसार काम करें तो हम इस दुश्चक्रसे निकल सकते हैं।

नरसिंहगढ़

पाठकोको यह मालूम होगा कि नरसिंहगढ़के दीवानके आमन्त्रणपर और मध्य भारत प्रजा परिषद्के मन्त्रीकी सहमतिसे मैंने राजकुमारी अमृतकौरको राज्यके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंकी जाँच करने के लिए वहाँ भेजा था। राजकुमारीको, वे जो-कुछ जाँच-पड़ताल करना चाहे, उसके लिए राज्यकी ओरसे हर प्रकारकी सुविधा दी गई थी। इस जाँचके समय श्री कन्हैयालाल वैद्य भी मौजूद थे। राजकुमारीको हर तरहकी सुविधा देकर राज्यने उनका काम काफी आसान कर दिया था। शिकायतका तात्कालिक कारण बहुत जल्दी दूर कर दिया गया और उससे सम्बन्धित सब लोगोंको सन्तोष हो गया। महाराजा साहबने जरूरी एहतियात बरतते हुए नागरिक स्वतन्त्रताका आश्वासन दिया है। इन राज्योंके लोग अबतक नागरिक स्वाधीनता और उसके साधनोंसे बिल्कुल अपरिचित रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि महाराजा साहब और उनके सलाहकार इस बातको ध्यानमें रखेंगे कि नागरिक स्वतन्त्रताका अर्थ, अहिंसाकी मर्यादाके भीतर, बोलने, लिखने और लोग जो-कुछ करना चाहें वह सब करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है—भले ही प्रजाके इन कार्योंका अर्थ राज्यकी तीखी आलोचना ही क्यों न हो। तथापि उन्होंने श्री वैद्यजी को खादी-कार्य, हरिजन-कार्य या इसी तरहके रचनात्मक कार्य करने की पूर्ण अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजकुमारीसे अनुरोध किया है कि वे श्री शंकरलाल बैंकर या चरखा संघके किसी प्रतिनिधिको रियासतमें भेजें और वे वहाँ, जहाँ कपास प्रचुर मात्रामें पैदा होती है, खादी-कार्यकी सम्भावनाओंकी शोध करें। उन्होंने अन्य श्रामोद्योगों और बुनियादी तालीममें भी विलचस्पी दिखाई है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी अच्छी तरह जिसका प्रारम्भ हुआ है, वह काम अखण्ड रूपसे जारी रहेगा, और नरसिंहगढ़की जनता दिन-दिन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक प्रगति करती जायेगी। दीवानके साथ मेरा जो पत्र-व्यवहार हुआ उसके आधारपर ज्यादासे-ज्यादा अच्छे परिणाम निकलने की उम्मीद की जा सकती है। मगर बहुत-कुछ इस बातपर निर्भर करेगा कि जनताकी समग्र प्रगतिके प्रति महाराजा और उनके परामर्शदाताओंके मनमें कितनी सहानुभूति है और राज्यने कार्यकर्ताओंको जो स्वतन्त्रता प्रदान की है, उसका उपयोग वे किस सयमके साथ करते हैं। महाराजा साहब और

दीवाने अपनी घरेलू समस्याको हल करने में कांग्रेससे मदद लेने में (क्योंकि मेरी मदद असलमें कांग्रेसकी ही मदद है) जिस बुद्धिमत्ता और साहसका परिचय दिया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। यह शायद अपने किस्मका दूसरा उदाहरण है।

वर्षा जाते हुए रेलगाडीमें, २८ सितम्बर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३९

२४९. प्रश्नका उत्तर^१

२८ सितम्बर, १९३९

मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ और मेरी अपनी आस्था आशापर आधारित है। संसार आशाके सहारे चलता है, उसी प्रकार मैं भी।

मुझे यकीन है कि कुछ-न-कुछ सफलता तो जरूर मिलेगी।

[अग्नेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-९-१९३९

२५०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको^२

सेगांव

२८ सितम्बर, १९३९

लॉर्ड-सभामें भारतीय मामलोपर जो बहस हुई है उसकी रायटर द्वारा तैयार की गई संक्षिप्त रिपोर्टकी अग्रिम प्रति मुझे दिखलाई गई है। कदाचित् इस समय मेरे चुप रहने से भारत और इंग्लैंड, दोनोंको बहुत हानि होगी। वहसमें वही पुरानी जानी-पहचानी गंध है, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। उसमें कांग्रेसको हीन दिखलाने-वाली तुलनाएँ की गई हैं। मेरी मान्यता है कि कांग्रेस एक ऐसी सस्था है जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। किसीका दिल दुःखाये बिना यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्था है, जिसने आधी शताब्दीसे अधिक समयसे बिना वर्ग या धर्मका भेद किये भारतीय जनताके विशाल भागका प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेसका एक भी ऐसा हित नहीं है जो मुसलमानो या देशी रियासतोंकी

१. साधन-सूत्रके अनुसार “गांधीजी वर्षा जाते हुए शामको जब नागपुर पहुँचे” तो रेलवे स्टेशनपर एकत्र कुछ लोगोंने “बाइसरायके साथ हुई उनकी मेटके बारेमें” उनसे सवाल पूछे थे।

२. यह “ओपन ए न्यू चैप्टर” (नया अध्याय खोलिए) शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। यह वक्तव्य २९ सितम्बरके हिन्दू और बॉम्बे क्रॉनिकलमें भी प्रकाशित हुआ था।

जनताके हितके विरुद्ध हो। पिछले कुछ वर्षोंके दौरान यह पूरी तरहसे सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस निश्चित रूपसे देशी राज्योंकी जनताके हितोंका प्रतिनिधित्व करती है। यही एक संस्था है जिसने ब्रिटेनसे माँग की है कि वह अपने इरादे स्पष्ट करे। अगर अंग्रेज सभी देशोंकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रहे हैं, तो उनके प्रतिनिधियोंको बिल्कुल स्पष्ट शब्दोंमें कह देना चाहिए कि जिस उद्देश्यके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें भारतकी स्वतन्त्रता भी अनिवार्यतः शामिल है। इस स्वतन्त्रतामें क्या-क्या होगा, इसका निर्णय भारतीय लोग और केवल वे ही कर सकते हैं। निःसन्देह, लॉर्ड जेटलैंडका यह शिकायत करना अनुचित है, हालाँकि उन्होंने बहुत शिष्ट शब्दोंमें यह शिकायत की है, कि कांग्रेसने ब्रिटिश इरादोंकी स्पष्ट घोषणा करने की बात ऐसे समयपर उठाई है जब कि ब्रिटेन जिव्दगी और मौतकी लड़ाईमें लगा हुआ है। मेरा खयाल है कि कांग्रेसने इस तरहकी घोषणा करने की बात कहकर कोई आश्चर्यजनक या अशोभनीय काम नहीं किया है। केवल स्वतन्त्र भारतकी ही सहायता मूल्यवान होगी, और कांग्रेसको यह तसल्ली करने का पूरा हक है कि वह जनताके पास जाकर उससे कह सकती है कि यह निश्चित है कि लड़ाई खत्म होने पर भारत उसी तरह एक स्वतन्त्र देश होगा जैसा इंग्लैण्ड है। इसलिए अंग्रेज लोगोंके मित्रकी हैसियतसे मैं राजनयिकोंसे अपील करता हूँ कि वे पुराने साम्राज्यवादियोंकी भाषा भूल जायें और जो लोग साम्राज्यके बन्धनमें रहते आये हैं, उन सबके लिए एक नया अध्याय आरम्भ करें।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३९

२५१. पत्र : नारणदास गांधीको

सेराँव

२९ सितम्बर, १९३९

वि० नारणदास,

तुम्हें तार देने के बाद तुम्हारा पत्र मिला। फिर भी तारके अनुसार मेरा इरादा राजकुमारीको रवाना करने का है। वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वह श्री गिब्सन और वीरावाला साहबसे मिलेगी और मैंने मानवतावादी दृष्टिकोणसे जो कार्य सुझाया है, उसे तथा वैसे ही अन्य कार्य करेगी। कहीं जाना होगा तो जायेगी। उसके रहने आदिका बन्दोबस्त करना। वह बहुत भाग-दौड़ नहीं करना चाहेगी, इसलिए उससे ऐसा मत करवाना। उसे १० अथवा ११ तारीखको रवाना कर देना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

छगनलालका पत्र मिल गया है। पैसेकी व्यवस्था तो तुम्हारे साथ सलाह-मशविरा करके ही कलेंगा। मैंने जितना सूत काता होगा उतना तो मैं राजकुमारीके हाथ भेज दूँगा। बाकीका उस तरफ जानेवाले व्यक्तिके साथ भेजूँगा।

बापू

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५६३ से भी,
सीजन्य · नारणदास गाधी

२५२. पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको

सेगाँव

२९ सितम्बर, १९३९

चि० कुँवरजी,^१

तुम कैसे हो? धरमपुरके सम्बन्धमें मैंने तहकीकात की थी। उसकी सलाह कोई नहीं देता। धरमपुरकी आवोहवा तो अच्छी है, लेकिन धरमपुरका सैनिटोरियम अच्छा नहीं माना जाता है। अल्मोड़ामें जगह मिलनी मुश्किल है। वह केवल संयुक्त प्रान्तके रोगियोंके लिए है। यदि तुम्हें वहाँ सुविधा न हो तो नागपुरमें बन्दोवस्त हो सकता है। जगतारामको^२ यह पढवाना और मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९७२८) से।

१. इरिलाल गांधीकी पुत्री, रामकी पति

२. जगनराम वैद्य

२५३. पत्र : मनुबहन और सुरेन्द्र मशरूवालाको

सेगाँव, बघाँ

२९ सितम्बर, १९३९

चि० मनुड़ी, सुरेन्द्र,

सुरेन्द्रकी बीमारी का समाचार मुझे वा ने दिया है। वह अब कैसा है? तेरा पत्र मिला तो था, लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। इसके साथ कुँवरजीका पत्र नथी कर रहा हूँ। उसे पहुँचा देगी न? मैं फिर वापस दिल्ली जाऊँगा।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५७५) से; सौजन्य : मनुबहन सु० मशरूवाला

२५४. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको

२९ सितम्बर, १९३९

चि० अमृतलाल,

शिमलासे आज कुछ [समाचार] वा ही नहीं सकता। इसलिए क्या स्थिति है, तो मैं नहीं जानता। विजयाका पत्र नहीं आया। गंकरके आनेकी बात थी, वह क्यों नहीं आया? वह कल यही भोजन करे, ११ बजे मैं उससे बात करूँगा।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७९६) से।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२५५. पत्र : मुन्नालाल गंगादास शाहको

३० सितम्बर, १९३९

चि० मुन्नालाल,

स्पर्शमें पाप नहीं है, और है भी। लेकिन प्रतिज्ञा भंग करना तो महापाप है। इसलिए यदि अब प्रतिज्ञा भंग हो तो तुम दोनोंको चुपचाप आश्रम छोड़ देना चाहिए। इस प्रतिज्ञाका पालन करने के लिए तुम दोनोंको एक-दूसरेसे नहीं बोलना चाहिए, एक साथ काम नहीं करना चाहिए और न एक-दूसरेकी सेवा करनी और करवानी चाहिए। मेरी सलाह यह है कि तुम थोड़े दिन रमण महर्षिके आश्रममें रह आओ। यदि उपर्युक्त समयका पालन करना तुम्हारे वशके बाहर हो तो तुम्हें उसका लोभ छोड़ देना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५६०)से। सी० डब्ल्यू० ७०५४ से भी,
सौजन्य : मुन्नालाल ग० शाह

२५६. तार : गोविन्द वी० गुरजलेको^१

[सितम्बर, १९३९]^१

तार, पत्र मिले। आपके सकल्पमें^१ दखल देने का कोई हक नहीं। ईश्वर आपका पथ-प्रदर्शन करे और आपका हृदय क्रोधसे मुक्त रखे।

अग्नेजीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. मिथु निर्मलानन्दके नामसे भी जाने जाते थे

२. साधन-सूत्रमें यह तार सितम्बर १९३९ के शीर्षकोके साथ रखा गया है, देखिए “पत्र : जी० वी० गुरजलेको”, १८-१०-१९३९ भी।

३. प्यारेलालके अनुसार गुरजलेने संकल्प किया था कि यदि शृपापुरीश्वर मन्दिरके न्यासी जनताकी इच्छानुसार मन्दिरमें हरिजनोंके प्रवेशकी अनुमति नहीं देते तो वे अनिश्चिन कालके लिए उपवास करेंगे।

२५७. टिप्पणियाँ

आभार

सर सर्वपल्ली राधाकृष्णनने मेरे ७१वें जन्मदिनको खास महत्त्व दे डाला है। उन्होने मुझे अपनी पुस्तक^१ भेजी है, जिसमें अनेक परिचित और अपरिचित मित्रों द्वारा की गई मेरी प्रशस्तियाँ हैं। इस पुस्तकके साथ उन्होने जो पत्र भेजा है उसमें भी कुछ और प्रशंसा की है। मैं नहीं जानता कि उस ग्रंथमें संकलित सब प्रशंसात्मक लेखोंको पढ़ने का समय मैं कब निकाल पाऊँगा। मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईश्वर मुझे शक्ति दे कि उन लेखकोंके मनमें मेरी जो तसवीर है, मैं वैसा बन सकूँ। सर सर्वपल्ली और उन सबको, जिनके आशीर्वाद और शुभकामनाएँ मुझे प्राप्त हुई हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येकको अलगसे आभार प्रकट करते हुए पत्र लिख पाना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

लेकिन अपने प्रशंसकोंको मैं एक चेतावनी जरूर देना चाहूँगा। कुछ लोग सार्वजनिक स्थानोंपर मेरी मूर्ति खड़ी करना चाहते हैं, कुछ तसवीरें लटकाना चाहते हैं और कई हैं जो मेरे जन्मदिनको आम छुट्टीका दिन बना देना चाहते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्होने विवेकपूर्वक मेरे जन्मदिनको आम छुट्टीका दिन बनाने के सुझावको रद्द कर दिया है। आजकल मतभेद और कलह-क्लेशके दिन हैं। ऐसे समयमें यदि मेरा नाम मतभेद और कलह-क्लेशको बढ़ाने में किसी भी तरह कारण-रूप बनता है तो यह मेरे लिए शर्मकी बात होगी। ऐसे अवसर न आने देना देशकी और मेरी सच्ची सेवा होगी। मूर्तियों, चित्रों या अन्य ऐसी चीजोंके लिए आज कोई अवकाश नहीं है। मेरी सच्ची प्रशंसा इसी बातमें है और मैं ऐसी प्रशंसाको ही मूल्यवान समझूँगा कि जिन प्रवृत्तियोंके लिए मैंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है उन प्रवृत्तियोंको आगे बढ़ाया जाये। ऐसा प्रत्येक स्त्री-पुरुष, जो साम्प्रदायिक मेल पैदा करने या अस्पृश्यताके कलंकको मिटाने या गाँवका हित-साधन करने में से कोई एक भी काम करता है, मुझे सच्चा सुख और शान्ति पहुँचाता है। विभिन्न खादी-भण्डारोंमें जो खादी इकट्ठी हो गई है, कार्यकर्ता इन दिनों उसे खपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खादीको यदि लोग खादी-सप्ताह अथवा पखवाड़ेमें, जिसे गलतीसे गांधी-जयन्ती सप्ताहके नामसे विभूषित किया गया है, खरीद लें तो उससे बढकर आशीर्वाद और खुशीकी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अपनी प्रवृत्तियोंके बिना या उनसे अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं है।

१. महात्मा गांधी — एसेज़ एंड रिफ्लेक्शन्स।

और अधिक झूठ

दुर्भाग्यवश मुझे कुछ दिन पहले झूठपर आधारित सनातनी प्रचारके विरुद्ध टिप्पणी करनी पड़ी थी।^१ मुझे मदुरै और कुम्भकोणमसे क्रमशः ये तार मिले हैं :

आज श्रीरंगम् मन्दिरमें जबरदस्ती प्रवेश किया जा रहा है। मदुरै मन्दिरके सशस्त्र चपरासी विरोध करनेवाले सनातनी भक्तोंको तितर-बितर कर रहे हैं। यह तो विश्व-युद्धके बीच एक और युद्ध करने-जैसी बात हुई। कृपया ऐसा अत्याचार बन्द करने के लिए तुरन्त निर्देश जारी करें। आखिर तो हमें मिल-जुलकर रहना है। —के० आर० वेंकटराम अय्यर

मन्त्री राजन श्रीरंगम्के मन्दिरमें पुलिसको लेकर हरिजनोंको प्रवेश करवानेकी धमकी दे रहे हैं। खून-खराबीकी रोकने के लिए कृपया हस्तक्षेप करें। राजाजी को सूचित करें। —कुप्पुत्वामी

जब मुझे ये तार मिले उस समय राजाजी वर्धामें ही थे। उन्होंने निम्न-लिखित उत्तर भेजा :

श्रीरंगम्के मन्दिरमें हरिजन-प्रवेशके लिए कोशिश नहीं की जा रही। सरकारकी सम्मतिके बिना ऐसा करना असम्भव है और सरकारने अभी ऐसी कोई सम्मति नहीं दी है।

इस स्पष्ट इन्कारके बाद मैं इन तारोंको कोरी कल्पना ही मान सकता हूँ। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि स्वयं श्रीरंगम्से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। मदुरै और कुम्भकोणम् श्रीरंगम्से इतने दूर हैं कि वहाँकी घटनाओंकी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिल सकती। त्रिची ही एक ऐसा नगर है जो श्रीरंगम्के इतना निकट है कि यदि वहाँके लोग उस तीर्थ-नगरमें होनेवाली घटनाओंमें दिलचस्पी लें तो उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी मिल सकती है। जिस विरोधको अपने पक्षके समर्थनके लिए सफेद झूठका सहारा लेना पड़े वह तो, समझना चाहिए, अपनी आखिरी घड़ियाँ गिन रहा है। मैंने इस सम्बन्धमें पत्र-व्यवहार देखा है, जिससे पता चलता है कि थोड़े-से सनातनी ब्राह्मणोंको छोड़कर मीनाक्षी मन्दिरका किसीने बहिष्कार नहीं किया है। मन्दिर जानेवाले विशाल जन-समुदायको वह आज भी उतना ही प्रिय है जितना कि पहले था।

दिल्ली जाते हुए रेलगाड़ीमें, १ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३९

२५८. विनोद-वृत्तिकी कमी

नीचे लिखे बहुत स्पष्ट और सदुद्देश्यसे प्रेरित पत्रको, जो सम्पादकके नाम लिखा गया है, प्रकाशित करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता :

आपसे मेरी प्रार्थना है कि कृपाकर मेरी कुछ शंकाओंका निवारण करने के लिए आप मुझे अपना थोड़ा-सा समय दें। मैं यह पत्र आलोचकके रूपमें नहीं लिख रहा हूँ। मैं एक उत्कट सत्यशोधक हूँ और बापूजी के अनेक 'एकलव्यों' में से हूँ।

मुझे इस हफ्तेके 'हरिजन' में "सिर्फ मद्य-निषेध ही क्यों?"^१ शीर्षक बापूजी की लिखी टिप्पणीमें निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बहुत दुःख हुआ है: "जो रवैया मैंने शराबखोरीके प्रति अपनाया है यदि वही इन सब बुराइयों के प्रति भी अपनाऊँ और उनके खिलाफ धरनेका आयोजन करूँ, तो मुझे बिरादरीसे अलग कर दिया जायेगा, मेरा महात्मापन मुझसे छिन जायेगा और अपनी जान भी, जिसकी निस्सन्देह मेरे जीवनकी इस अवस्थामें बहुत कम कीमत है, गँवा दूँगा। लेकिन चूँकि मैं यह तिहरी हानि बरदाश्त नहीं करना चाहता, अतः मैं इन पत्र-प्रेषक तथा इन-जैसे दूसरे लोगोंको यह समझने दूँगा कि मैं एक स्पष्ट कर्तव्यसे जी चुरा रहा हूँ।"

उक्त टिप्पणीके लिए, खासकर उपर्युक्त पंक्तियोंके लिए, मैं सचमुच तैयार नहीं था। जब मैं बापूजी के पहलेके लेखोंपर तथा उनके जीवनपर, जैसा मैंने उसे जाना-समझा है, विचार करता हूँ, तो सचमुच मैं इन पंक्तियोंको समझ नहीं पाता। कारण कि मेरी तो राय थी और अब भी है कि बापूजी 'सत्य' के उपासक हैं। और इस सत्य, अर्थात् ईश्वरकी खातिर वे दानकी कितनी ही बड़ी राशि क्यों न हो, उस राशिको, अपने महात्मा-पदको, अपनी बिरादरीको, और जरूरत पड़े तो अपने मस्तकको भी गँवा देने के लिए तैयार हो जायेंगे।

अब जरा उनके कुछ लेखोंपर दृष्टिपात करें। 'आत्मकथा' (भाग ५, अध्याय १०)में वे लिखते हैं कि अन्त्यज दूधामाई और उसके कुटुम्बको जब मैंने अपनाया, तब "पैसेकी मदद बन्द हो गई। . . . पैसेकी मदद बन्द होने

१. देखिए पृ० ११८-१९।

के साथ बहिष्कारकी अफवाहें मेरे कानों तक आने लगीं। इस सबके लिए हम तैयार थे।”^१

यह लेख साफ बताता है कि बापूजी अपने सिद्धान्त, अर्थात् सत्यका बलिदान करके दान स्वीकार करने या अपनी बिरादरी बनाये रखने के लिए तैयार नहीं थे।

(२५-२-१९२६के 'यंग इंडिया' में प्रकाशित) “सत्य वनाम ब्रह्मचर्य” शीर्षक एक लेखमें वे कहते हैं, “मेरा महात्मापन मिथ्या है। वह तो मुझे मेरी बाह्य प्रवृत्तिके — मेरे राजनीतिक कार्योंके — कारण प्राप्त हुआ है। वह क्षणिक है। मेरा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यादिका आग्रह ही मेरा अविभाज्य और सबसे अधिक मूल्यवान अंग है।”^२ एक अन्य लेखमें उन्होंने “महात्मा होने का नुकसान”^३ बतानेकी कोशिश की है ('यंग इंडिया' ८-११-१९२८)।

महात्मा-पदकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं, यह दिखाने के लिए इससे अधिक और क्या चाहिए ?

इसके अतिरिक्त २९ अगस्त, १९३६ के 'हरिजन' में प्रकाशित^४ एक वार्तालापमें उन्होंने कहा था : “यहाँ तो मैं सिवाय अपने और किसीकी सेवा करने नहीं आया हूँ। . . . मैं आत्म-साक्षात्कार करना चाहता हूँ। मनुष्यका अन्तिम उद्देश्य है ईश्वरका साक्षात्कार — उसकी अनुभूति प्राप्त करना। उसके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी कार्य इस अन्तिम उद्देश्य — ईश्वरानुभूति — को ध्यानमें रखकर ही सम्पादित होने चाहिए।”^५ अन्यत्र ('यंग इंडिया', ११-१०-१९३८) वे कहते हैं : “मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मैं अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर बुराईके विरुद्ध संघर्ष नहीं करूँगा तो मैं ईश्वरको कभी भी नहीं जान सकूँगा।”^६

मैं आशा करता हूँ कि उपर्युक्त पंक्तियाँ यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि गांधीजी केवल सत्यके उपासक हैं। सम्भव है कि जुआ, घुड़दौड़, सिनेमा आदि अनिष्टोंको वे अनिष्ट न मानते हों या शराब अथवा अस्पृश्यताकी तरह उन्हें उतना भयंकर न समझते हो कि उनके खिलाफ आन्दोलन छोड़ें, “अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर” उनके “विरुद्ध संघर्ष” करें।

१. देखिए खण्ड ३९, पृ० ३०२। लेकिन उद्धरणमें दिया गया अन्तिम वाक्य आत्मकथाके मूल गुजराती संस्करणमें न होने के कारण हिन्दी अनुवादमें भी नहीं दिया गया है।

२. देखिए खण्ड ३०, पृ० १८।

३. देखिए खण्ड ३८, पृ० ३४-३६।

४. देखिए खण्ड ६३, पृ० २९१।

५. देखिए खण्ड ३७, पृ० ३६५।

चाहे जो हो, मुझे विश्वास है कि मेरे-जैसे 'हरिजन' के अनेक पाठक बापूजी की लेखनीसे निकला हुआ ऐसा लेख पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब आपसे ही यह पूछता हूँ कि वे किसके उपासक हूँ? सत्यकी बलि देकर दानकी रकमों, जात-पात, महात्मा-पद इत्यादिके, अथवा इन सबको लाल मारकर सत्यके? क्या आप कृपाकर यह पत्र बापूजी को दिखाकर उक्त टिप्पणीसे पैदा हुई गलतफहमीको दूर करेंगे?

उक्त पत्र-लेखकने, जो स्पष्टतः मेरे लेखोंका सूक्ष्म अध्ययन करते आये हैं, और जो खुद एक पाठशालाके अध्यापक हैं, यदि जुआ इत्यादिके विषयमें मेरी लिखी हुई टिप्पणीका ऐसा गम्भीर अर्थ लगाया है, तो और भी बहुतसे ऐसे पाठक होंगे जिनके मनमें इसी तरहकी शंकाओंने घर कर लिया होगा। पत्र-लेखकने मेरे लेखोंसे जो इतने तमाम अवतरण उद्धृत किये हैं उनसे वे बड़ा आत्तानीसे इतना समझ सकते थे कि वह टिप्पणी मैंने विनोद-भावसे लिखी थी, पर दुर्भाग्यसे, हम लोगोंमें से बहुतोंमें आज विनोद-वृत्ति नहीं है। इसलिए विनोदकी कद्र कराने की इच्छा रखनेवाले को स्पष्ट रूपसे यह संकेत कर देना पड़ता है कि यह विनोद-लेख है। पाठकोंको यह समझ लेना चाहिए था कि उक्त टिप्पणी लिखकर मैंने तो सिनेमा, घुड़दौड़, सट्टा, जुआ आदिके बारेमें अपनी नापसन्दगी ही जाहिर की थी। मैंने उसमें यह बताने का भी प्रयत्न किया था कि ये दुर्गुण चूँकि फ़ैशनमें आ गये हैं, इसलिए शराबवन्दीकी तरह इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं व्यावहारिक सुधारक होने का दावा करता हूँ। मैं लगभग सहज ही जान लेता हूँ कि कौन-सी सामाजिक बुराइयाँ ऐसी हैं जिनसे सार्वजनिक रूपसे निपटने का समय आ गया है। हाँ, यह हो सकता है कि अन्य बुराइयोंको नष्ट करने का कार्यक्रम हाथमें लेने का साहस मुझमें न हो, और अपनी कायरताको छिपाने के लिए मैंने उपयुक्त अवसर न होने का बहाना खोज लिया हो। कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमासे आगे अपनी मर्यादाओंका उल्लंघन नहीं कर सकता।

पर मेरे पत्र-लेखकने मेरे लेखोंको उद्धृत करके यह बताया है कि उन दिनों मुझमें सब-कुछ त्यागने और लोगोंके विरोधका सामना करने का साहस था। मेरी निर्दोष टिप्पणी पढ़कर जिन्हें ऐसा भ्रम हुआ हो, उन सबको मैं विन्नास दिखता हूँ कि सार्वजनिक कार्यको आगे बढ़ाने के काममें कठिनाइयों और कष्टोंका सामना करने का जोश मुझमें आज भी उतना ही है जितना पहले था। समयने उसे जीण नहीं किया है बल्कि शायद पुष्ट ही किया है। पर अपनी महत्त्वाकांक्षाको मर्यादित रखने की नम्रता मुझमें है और ईश्वरने देश तथा मानवताकी सेवाके लिए जो थोड़ी-बहुत शक्ति मुझे दी है, उसके लिए मैं उसका आभार मानता हूँ।

दिल्ली जाते हुए रेलगाड़ीमें, १ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३९

२५९. पत्र : गोविन्ददास कंसलको

रेलगाड़ीमें

१ अक्तूबर, १९३९

प्रिय मित्र,

मैंने अभी आपकी कृतिको ५ मिनट सरसरी नजरसे देखा। उसके मुखपृष्ठ एवं विषय-वस्तुके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, उस तरीकेसे आपको अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महात्मा गांधी - द ग्रेट रोग ऑफ इंडिया, पृ० ४-५ के बीच प्रकाशित प्रतिकृतितसे

२६०. त्रावणकोरकी अभागी प्रजा

त्रावणकोरकी प्रजाका प्रतिनिधित्व जिस हृदयक राज्य कांग्रेस करती है उस हृदयक, ऐसा मालूम होता है कि दुर्दैव उसके पीछे पड़ गया है। रियासत कांग्रेसमें त्रावणकोरके कुछ सबसे बहादुर और सबसे त्यागी लोग शामिल हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें और वहाँके सुयोग्य दीवानमें कभी मधुर सम्बन्ध नहीं रहे हैं। उत्तरदायी शासनके आन्दोलनके प्रारम्भिक दिनोंमें कांग्रेसने दीवानके विरुद्ध जो आरोप लगाये थे उनके फलस्वरूप ये सम्बन्ध किसी तरह बिगड़ गये। आरोप लगानेवाले लोगोंके साथ बातचीत करने से मुझे यह मालूम हुआ कि दीवानपर लगाये गये आरोपोंकी सत्यतामें वे ईमानदारीके साथ विश्वास करते थे। लेकिन मैंने उन्हें यह दलील दी कि यदि उनका उद्देश्य उत्तरदायी शासनकी स्थापना है, दीवानको हटाना नहीं — जिसमें बाकी हिन्दुस्तानको कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती — तो उन्हें दीवानपर लगाये गये सब आरोप वापस ले लेने चाहिए। उन्हें मेरी सलाह विवेकपूर्ण जान पड़ी और उन्होंने उसपर तुरन्त अमल किया। इससे उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया और कांग्रेसका पक्ष दुर्भेद्य हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि दीवान और कांग्रेसी नेताओंमें आरोपोंके कारण जो मनोमालिन्य हो गया था, वह आज भी कायम है। ऐसा न होता तो बेहतर होता। हालाँकि सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया गया है और दीवान एवं नेताओंमें निजी तौरपर बातचीत भी हो गई है, तो भी उनमें अबतक परस्पर सद्भावनाका अभाव है। इसके विपरीत, उनकी बातचीतमें

अविश्वासका भाव है। दीवान नेताओंसे एक खास दूसरी बनाये रहे है। सामान्यतया संघर्षके बाद समझौता-वार्ता शुरू होने से पहले कैदियोंको रिहा कर दिया जाता है, मुकदमें वापस ले लिये जाते हैं और अन्य प्रतिबन्ध हटा लिये जाते हैं। त्रावणकोरमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। वकीलोंकी सनदें अब भी रद्द है और विधान-सभाके निर्वाचित सदस्य भी अबतक बरखास्त हैं। सच तो यह है कि राज्यने नेताओकी ओर मैत्रीका हाथ बढ़ाया हो, ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। और अब राजनीतिक सुधारोंकी बातचीतको भी स्थगित करके सरकारने एक नया बम गिराया है। ये है त्रावणकोरकी सरकारी विज्ञप्तिके शब्द :

कुछ ऐसे कारणोंसे, जो स्पष्ट हैं और बिनके कारण, उदाहरणार्थ— भारत सरकारको संघ-विधान-सम्बन्धी बातचीत स्थगित करनी पड़ी है,^१ तबतक किसी भी प्रकारके संबैधानिक सुधारोंके सम्बन्धमें बातचीत नहीं की जा सकती जबतक फिरसे आम हालात कायम नहीं हो जाते और स्थितिमें स्थिरता नहीं आ जाती।

इसके बाद नीचे लिखी धमकी भी दी गई है :

त्रावणकोर राज्य कांग्रेसके अध्यक्षने समाचारपत्रोंमें जो वक्तव्य प्रकाशित किया है और दीवानको जो पत्र लिखा है उसके सिलसिलेमें सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि यद्यपि वह राजनीतिक संगठनोंकी सामान्य प्रवृत्तियों पर कोई पाबन्दी लगाना या उन्हें कुचलना नहीं चाहती और हालातमें सुधार होते ही, राजनीतिक संस्थाओंसे सलाह-मशविरा करने का उसका इरादा भी अभी नहीं बदला है, तो भी वह इस नाजुक समयमें किसी राजनीतिक संस्थाको कोई संगठित आन्दोलन करने देने की अनुमति नहीं दे सकती। क्योंकि इस समय परिस्थिति विषम है और खासकर युद्धकी स्थितिके कारण बेकारीके बहुत बढ़ने की सम्भावना है, तथा खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओंकी महंगाईके कारण आम लोगोंमें और भी असन्तोष बढ़ सकता है। ऐसे आन्दोलनके बहुत गम्भीर प्रभाव और परिणाम होंगे और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह रियासतकी कानून-पालक प्रजाकी रक्षा करे इसलिए वह कोई ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकती, और न वह इस समय राज्यमें संविधान-सम्बन्धी माँगोंसे उठनेवाले सवालोंने ही कोई ध्यान दे सकती है। सरकार त्रावणकोर राज्य कांग्रेस और अन्य वैसे ही कार्यक्रमवाली राजनीतिक संस्थाओंको यह चेतावनी दे देना चाहती है कि वह रियासतमें शान्तिपूर्ण वातावरण और साधारण स्थिति कायम

१. २३ सितम्बर, १९३९ की

२. ११ सितम्बरको केन्द्रीय विधान-मण्डलके दोनों सदनोंके संयुक्त अधिवेशनमें भाषण देते हुए वाइसरायने घोषणा की थी कि युद्धको देखते हुए संघकी स्थापनाके सिलसिलेमें जो तैयारियों की जा रही थीं, उन्हें स्थगित कर दिया गया है।

रखने के लिए साधारण कानून और त्रावणकोर रक्षा अधिधोषणाके नियमोंके मातहत कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जायेगी।

जिस सुधारकी चर्चा चल रही थी, उसे स्थगित कर देने का उपर्युक्त कारण विलकुल थोथा है। जहाँतक मैं जानता हूँ, किसी भी दूसरी रियासतमें सुधारोंको इस तरह स्थगित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। मैं तो यह कहूँगा कि रियासतोंने ब्रिटिश सरकारको अपनी जो सेवाएँ अर्पित की हैं, उसमें मित्र-राष्ट्रोंके युद्ध-उद्देश्यका अर्थात् ससारके लिए प्रजातन्त्रकी रक्षाकी भावनाका विलकुल अभाव है। रियासतोंने जो सेवाएँ अर्पित की हैं, वे युगकी भावनासे तभी मेल खा सकती हैं जब वे इसमें जनताकी इच्छा और सहयोगको भी साथ लेकर चल सकें। यह तबतक विलकुल असम्भव है, जबतक कि रियासतोंकी जनता यह अनुभव नहीं करती कि वह रियासतके प्रबन्धमें राजाओंकी भागीदार है। इस दृष्टिसे विचार करे तो रियासती जनताको उस हदतक अधिकसे-अधिक उत्तरदायी शासन देना, जिस हदतक वह स्वयं राजाओंकी सुरक्षासे असगत न बैठता हो, रियासतों की ओर से युद्ध की सफलता की दृष्टिसे उठाया जानेवाला पहला और प्रथम कोटिका कदम है। यह कौन कह सकता है कि त्रावणकोरमें, जहाँ आम लोगोंमें शिक्षाका बहुत अधिक प्रचार है, लोग अपने शासन-प्रबन्धका भार उठाने लायक नहीं हैं? बड़े देशी राज्योंके शासन-प्रबन्धकी जिम्मेदारी प्रान्तोंके निगमके प्रबन्धकी जिम्मेदारीसे ज्यादा बड़ी नहीं होती। युद्धके कारण त्रावणकोरमें राजनीतिक प्रगतिको रोकने की यह बात सुनकर मैं तो स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह गया। राज्योंमें शासन-सुधारका सध-विधानके स्थगित किये जाने से क्या सम्बन्ध है, यह समझना कठिन है। यदि राजा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस सध-विधानका विरोध न करते, तो वह कभी का लागू हो गया होता। और मैं तो यहाँतक कहना चाहता हूँ कि अगर तीनों दल चाहें, तो ब्रिटिश सरकार खुशीसे उसे आज ही लागू कर दे। रियासतोंमें तो शासन-सुधार बहुत पहले ही हो जाने चाहिए थे, और सध-विधान लागू हो या न हो, सुधार तो होने ही चाहिए।

जब मैं यह कहता हूँ कि सामान्यतया देगी राजाओंकी हिटलरके साथ तुलना की जा सकती है तो मेरी मशा उनका दिल दुखाने की नहीं है। दोनोंमें फर्क है तो इतना ही कि उनमें हिटलरकी-सी हिम्मत, फूर्ती, उपाय-कुशलता और योग्यता नहीं है। हर एक राजा निरकुश शासकोंकी-सी सत्ताका उपयोग करता है और उन्होंने अनेक बार अपनी इस सत्ताका उपयोग किया भी है। राजा अपनी रियासतोंमें ऐसे अधिकाधिक उपयोग करते हैं जिनका उपयोग ब्रिटेनके राजाओंने भी सैकड़ों वर्षोंसे नहीं किया है। वर्तमान ब्रिटिश नरेश तो सिर्फ देशका प्रथम और प्रधान नागरिक है। वह अपनी इच्छासे एक भी व्यक्तिको गिरफ्तार नहीं कर सकता और वह किसी भी आदमीको धारीरिक्त दण्ड नहीं दे सकता। और यदि वह ऐसा करता है तो एक सामान्य व्यक्तिकी तरह कानूनकी गिरफ्तमें आये बिना नहीं रह सकता। ब्रिटिश राजतन्त्रपर इस प्रकारका कठोर नियन्त्रण संसारके लिए ईर्ष्याकी वस्तु है और यह

ठीक भी है। लेकिन हरएक देशी राजा अपनी रियासतमें हिटलर है। वह कानूनकी गिरफ्तमें आये बिना अपनी प्रजाको गोलीसे उड़ा सकता है। हिटलरको भी इससे अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो जर्मनीके विधानमें फ्यूरर पर भी कई पाबन्दियाँ लगी हुई हैं। ग्रेट ब्रिटेन प्रजातन्त्रका संरक्षक बनता है लेकिन जबतक ५०० निरंकुश शासक उसके मित्र हैं तबतक उसका प्रजातन्त्रके संरक्षक-वाला रूप दूषित है। राजा लोग तभी ग्रेट ब्रिटेनकी सच्ची सेवा कर सकेंगे जब वे निरंकुश शासकोंके रूपमें नहीं बल्कि जनताके सच्चे प्रतिनिधियोंके रूपमें अपनी सेवाएँ अर्पित करेंगे। इसलिए मैं संविधान-सम्बन्धी मामलोंके प्रसिद्ध वकील सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरसे यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने शासन-सुधार स्थगित करके और राज्य-कांग्रेस यदि इस समय राजनीतिक सुधारोंके लिए कोई आन्दोलन चलाये तो उसे भयंकर परिणाम भोगने को तैयार रहने की घमकी देकर त्रावण-कोरकी प्रजा, राजा और ब्रिटिश सरकारकी कुसेवा ही की है।

नई दिल्ली, २ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३९

२६१. पत्र : अमृतकौरको

विड़ला भवन
अल्लुकार्क रोड, नई दिल्ली
२ अक्टूबर, १९३९

चि० अमृत,

यह पत्र मैं तुम्हें महज प्यार भेजने के लिए लिख रहा हूँ। हमारी यात्रामें बहुत शोर-गुल रहा — सारे रास्ते भीड़-भाड़ रही। ग्वालियरकी भीड़ तो सबसे खराब थी। मैं शान्त रहा। मुझे तो अपने मौनका ध्यान रखना था। तुम्हें अपने सिर कामका ज्यादा बोझ लेकर स्वयंको थकाना नहीं चाहिए। फाइलके अधिकांश पत्र मैंने देख लिये हैं।^१

मजीद आ गया होगा। दूसरी फाइलोंको देखने का काम चल रहा होगा। सोमवारतक की डाक भेजी जा सकती थी अर्थात् दो दिनकी।

वापूके आशीर्वाद

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३७)से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२४६ से भी।

२६२. सन्देश : ब्रिटिश जनताको^१

३ अक्टूबर, १९३९

लोकतंत्रके बारेमें ब्रिटेन जो दावे करता है यदि उनके प्रति अपनी ईमानदारी व्यक्त करने की प्रथम परीक्षामें ही वह विफल हो जाता है तो यह इस महायुद्धका अत्यन्त दुःखद प्रसंग होगा। उन घोषणाओंमें भारतको भारतकी जनताकी इच्छाओंके अनुरूप पूर्ण स्वतन्त्रता देने की बात शामिल है या नहीं? यह एक अत्यन्त सीधा-सादा और प्राथमिक प्रश्न है जो कांग्रेस पूछती है। कांग्रेसको यह प्रश्न पूछने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर कांग्रेस और उन लोगोकी इच्छाके अनुरूप होगा जो ग्रेट ब्रिटेनके हिताकांक्षी है।

[अग्नेजीसे]

हिन्दू, ४-१०-१९३९

२६३. तार : एगथा हैरिसनको

नई दिल्ली

५ अक्टूबर, १९३९

एगथा हैरिसन

२ फ्रैनवॉर्न कोर्ट, एल्वर्ट ब्रिज रोड

लंदन

तार मिला।^१ नियमित रूपसे लिखकर हवाई-डाकसे भेजता रहा हूँ। मुझे कोई आशा नहीं है।

गांधी

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५१२) से।

१. यह सन्देश मैंचेस्टर गार्जियनके भारत-स्थित सम्वाददाताकी माफन भेजा गया था।

२. तात्पर्य एगथा हैरिसनके ३० सितम्बरके तार (जी० एन० १५११) से है जिसमें लिखा था: "आपके जन्म-दिवसपर मेरी यही शुभकामना है कि आप भारत और विश्वके लिए जो शान्ति-कार्य कर रहे हैं, उसके लिए परमात्मा आपको और शक्ति दे। आपसे सीधी सूचना न मिल सकनेके कारण बाधा हो रही है।"

२६४. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

वर्धा जाते हुए रेलगाड़ीमें

६ अक्टूबर, १९३९

चि० मणिलाल और सुशीला,

सुशीलाका पत्र मिला। जो चीज जिस तरहसे हो उसे हमें धैर्यके साथ आनन्द-पूर्वक सहन करना चाहिए और अपने कर्त्तव्यका पालन करना चाहिए। मेढ[का] पत्र इसके साथ है। यह समझकर कि दीपावलीका सन्देश इस पत्रके साथ नहीं पहुँच सकता, मेरा खयाल तार द्वारा दो-चार शब्द लिख भेजने का है। वहाँकी दोनों संस्थाएँ मिल गईं या नहीं? वच्चे और मणिलाल अच्छे हो गये होंगे। हम आज ही वर्धा पहुँच रहे हैं।

साथका पत्र मेढके लिए है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४९०६) से।

२६५. पत्र : वालजी गो० देसाईको

रेलगाड़ीमें

६ अक्टूबर, १९३९

चि० वालजी,

खुराकके बारेमें चित्रे जो लिखते हैं उससे मैं सहमत हूँ। वहाँ तुम्हें विशेष लाभ हुआ नहीं दिखता। तुम वर्धा आ जाओ तो कोई दूसरी तजवीज सोचें। तुम्हें अच्छा होना ही है। मेरी बात यदि तुम्हारे गले उतरे तो तुरन्त रवाना हो जाना। पैसे न हों तो वहाँ किसीसे उधार ले लेना। चित्रेका पैसोसे सम्बन्धित प्रश्न मेरी समझमें नहीं आया।

बापूके आशीर्वाद

प्रोफेसर वी० जी० देसाई

टी० बी० सैनेटोरियम

डाकखाना वाणीविलास मुहल्ला

मैसूर

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४८८) से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई

२५४

२६६. पत्र : सरस्वती गांधीको

ट्रेन पर

६ अक्टूबर, १९३९

चि० सरू,

तेरा खत मिला है। एक ही आया है। मैं कितना भी नाखुश रहूँ तुम लोगोंके खतकी प्रतीक्षा रहती ही है। मेरी नाखुशी भी प्रेमकी ही रहती है ना? कातीका कुछ भी खत नहीं है, उसका स्वभावमें यह चीज है इससे मुझे उसका दुःख नहीं है। तुम दोनों सुखी रहो, तदुस्तरी रहे और शुद्ध रहो तो मुझे संतोष ही है। ईश्वर तुमको पढावे।

वापुके आशीर्वाद

श्री सरस्वती गांधी
मारफत श्री पिल्लै
नेयतिन्कारा
थावणकोर

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१७७) से। सी० डब्ल्यू० ३४५१ से भी;
सौजन्य : कान्तिलाल गांधी

२६७. पत्र : कुन्दर दीवानको

ट्रेन पर

६ अक्टूबर, १९३९

भाई कुंदर,

तुमको मैं लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि कृष्णचन्द्र लिखता है। बालकृष्णको शक्ति भी आवेगी ही। विश्रान्ति और खुराक ही आम इलाज रहा है। नीदकी शिकायत है। उसके लिये सोच रहा हूँ। ठंडीकी मोसम आने पर शायद बालकृष्णको सेगाव बुन्दा लुंगा। दा० से मदिवरा करूंगा।

तकलीके बारेमें तुमको मैं क्या मुचना कर सकता हूँ। आज शामको चर्चा पहांचते हैं।

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २१५) से।

२५५

२६८. आँखें खोल देनेवाला काम

अरनाड ताल्लुकेमें खादीकी प्रगतिका जून, १९३९ तक का जो विवरण नीचे दिया जा रहा है^१ उससे उन लोगोंकी आँखें खुल जानी चाहिए जो खादीकी भारतके लाखों जरूरतमन्द लोगोंको तत्काल आजीविका प्रदान करने की शक्तिमें शका करते हैं।

अ० भा० च० संघ द्वारा जून, १९३७ में अरनाड ताल्लुकेके पुलीकल क्षेत्रमें आजमाइशके तौरपर हाथ-कताई शुरू की गई थी। इस क्षेत्रमें हाथ-कताईकी कोई परम्परा नहीं रही है। इसलिए जिन लोगोंने कातना सीखना शुरू किया उन सब लोगोंको नये सिरसे कातना और पींजना भी सिखाना पड़ा। . . .

पुलीकलके अपने इस सफल प्रयोगसे प्रोत्साहित होकर अ० भा० च० संघ ने १९३८-३९ के लिए खादीके लिए दिये जानेवाले सरकारी अनुदानके अन्तर्गत इस ताल्लुकेके नेडियिरुप्पु, पण्डिक्कड, रणधानी और तिरुंगडी क्षेत्रमें चार और केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई। . . . जून १९३९ के अन्ततक इस ताल्लुकेमें १,२३३ लोग कताईका काम सीख चुके थे। . . .

. . . कुल मिलाकर ५,८३०-८-१० रुपये खर्च हुए हैं। . . . उपकरणों-पर ही ३,४८२-०-६ रुपये खर्च हुए; यह सारी रकम सरकारी अनुदानमें से दी गई है। . . . और ४८८-१५-९ की बाकी रकम अ० भा० च० संघके कोषसे दी गई। यह रकम पुलीकल तथा अन्य केन्द्रोंपर प्रारम्भिक दौरमें खर्च की गई।

कर्तव्योंके उचित प्रशिक्षणपर विशेष ध्यान देने के कारण . . . जो सूत काता गया है वह बहुत ऊँचे किस्मका है। . . .

फरवरी, १९३९ से एक ओर जहाँ हमारा आग्रह अच्छे किस्मके सूतपर रहा है वहाँ दूसरी ओर हमने सूतकी कीमतके अनुपातमें १७.१९ प्रतिशत कताईकी दरें भी बढ़ा दी हैं। . . .

कर्तव्योंको आदतन खादी पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। खादी खरीदने में इन लोगोंको परेशानी न हो, इसके लिए अ० भा० च० संघ में सप्ताह-भरमें काता गया सूत जमा करवाने के समय प्रत्येक

१. यह विवरण अ० भा० च० संघ, अरनाडके मन्त्री सी० के० कार्थने तैयार किया था। यहाँ इसके कुछ अंश ही दिये गये हैं।

कर्तव्यसे सूत ले लिया जाता है, और उसके बदले जितना आवश्यक हो उतने अर्ज और नमूनेकी छादी लगभग लागत मूल्यपर कर्तव्यको दे दी जाती है।

तिरुचंगडीमें एक खादी बुनने का केन्द्र खोला जा रहा है। . . . अब भी विभिन्न स्थानोंसे हाथ-कताईके केन्द्र खोले जाने की माँग आ रही है। १९३९-४० के लिए सरकारी अनुदानका उपयोग करने की योजनाके अंगके रूपमें अरनाड ताल्लुकमें खादी विकास-कार्यके प्रसारके लिए एक अलग योजना पेश की गई है।

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३९

२६९. पत्र : अमृतकौरको

सेर्गाव

७ अक्टूबर, १९३९

प्रिय अमृत,

कल रात मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए गई हो।^१ अपनी सेहतका बराबर ध्यान रखना। मुझे कागजात असाधारण रूपसे अच्छी स्थितिमें मिले। तुम वहाँसे इसी ११ तारीखको रवाना होकर १३ तारीखको सेर्गाव आओगी। बेशक, स्टेशनपर एक कार तुम्हारा इन्तजार करेगी।

अधिक महादेवसे।

स्नेह ।

बापू

मूल अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ३६६०)से ; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ६४६९ से भी

१. तारपत्र अमृतकौरकी मोरवी यात्रासे जान पड़ना है; देखिए "मोरवी में दुर्मिक्ष-निवारण-कार्य", पृ० २९०; "पत्र : नारणदास गांधीको", पृ० २४०-४१ भी।

२७०. पत्र : नारणदास गांधीको

७ अक्टूबर, १९३९

चि० नारणदास,

मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी अमृतकौर बहनकी अभ्यक्षतामें रेंटिया वारसका कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जायेगा। तुमने सूतयज्ञको स्थायी रूप देने का जो निर्णय किया है वह मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं आशा करता हूँ कि इसका बहुत-से भाई-बहन स्वागत करेगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से। सी० डब्ल्यू० ८५६७ से भी;
सौजन्य : नारणदास गांधी

२७१. पत्र : विजयाबहन एम० पंचोलीको

सेर्गाव, वर्मा

७ अक्टूबर, १९३९

चि० विजया,

तेरा पत्र बहुत दिनों बाद आया। इतनी ढिलाई फिर मत करना। बहौदा जाकर तूने ठीक ही किया। जबतक साँस है तबतक आस रखनी चाहिए। दोनों ही पक्ष सच्चे हैं। 'रामनाम' पर निर्भर रहना सबसे श्रेष्ठ है। और अपनी सामर्थ्यानुसार प्रयत्न करना भी अच्छी बात है। मैं तेरा पत्र अमृतलालको भेज रहा हूँ।

मुझे लिखती रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७११९) से। सी० डब्ल्यू० ४६११ से भी;
सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली

२७२. पत्र : जमनादास गांधीको

सेगाँव, वर्षा

७ अक्टूबर, १९३९

चि० जमनादास,

तू क्या कर रहा है? शरीरको कसने लायक पुरुषार्थ क्यों नहीं करता? यदि अभीमे बूढा हो जायेगा तो कैसे काम चलेगा? अब वहाँ रहकर अच्छी तरह आराम लेकर, शरीरको कसने के बाद ही राजकोट छोड़ना।

दापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५६५ से भी;
सौजन्य : नारणदास गांधी

२७३. पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको

सेगाँव, वर्षा

८ अक्टूबर, १९३९

चि० कुँवरजी,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिल गया है। मैंने तो तुम्हारे लिए नागपुरकी तैयारी की थी। लेकिन चूँकि तुम मिरज चले गये इसलिए मैंने तार दिया कि वहाँसे उतावलीमें भाग मत आना। गरीबोको सामान्य असुविधा उठानी ही पडती है। इसीसे मैंने तुम्हें वहाँ रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब यदि अन्य कठिनाइयाँ सामने आयें तो उन्हें धीरजके साथ दूर करना और जो लाभ उठा सको सो उठाना। यदि लाभ न हो तो तुरन्त लिखना। क्या होता है, उसके बारेमें लिखते रहना। बच्चोको वहाँ मत बुलवाना। यही उचित है कि वली उन्हें बम्बई ले जाये।

दापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

और अधिक सुरेन्द्र तुम्हें बम्बईमे लिखेगा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९७२९)से।

१. कुँवरजी पारेखकी मौसिथा सास बन्धीबहन-एम० अशाब्जना

२७४. भारतका दृष्टिकोण

पिछले २७ अगस्तको, अर्थात् यह पागलपन-भरा युद्ध शुरू होने के ठीक पहले श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्यायने मुझे लिखा था :

मैंने आपको 'बॉम्बे क्राॅनिकल' की मारफत एक अपील भेजी है, जिसमें मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप वर्त्तमान स्थितिके बारेमें भारत और पूर्वकी समस्त शोषित जनताके दृष्टिकोणको वाणी दें। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप हमारी इस पुरानी स्थितिको फिरसे बुरा दें कि इस साम्राज्यवादी युद्धसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इससे कुछ अधिक किया जाये। वर्त्तमान संघर्ष मुख्यतः उपनिवेशीकी, अथवा शिष्ट भाषामें जिन्हें अब प्रभाव-क्षेत्र कहा जाता है, उनकी हुमेशासे चली आ रही छीना-झपटीके लिए है। लोग समझते हैं कि इस प्रश्नपर केवल दो ही रायें हैं, क्योंकि उन्हें केवल दो ही मत सुनने को मिलते हैं; एक तो उन लोगोंका मत है जो यथापूर्व स्थिति कायम रखने में विश्वास रखते हैं—और दूसरा उनका जो उसमें परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन उसी आधारपर चाहते हैं—दूसरे शब्दोंमें कहें तो वे लूट और शोषणके अधिकारका फिरसे बँटवारा चाहते हैं, जिसका मतलब निःसन्देह युद्ध ही है। और यह एक स्वभाविक बात है कि ऐसा पुनर्वितरण सशस्त्र संघर्षके वगैर कभी नहीं हो सकता। युद्धके अन्तमें उपभोगके लिए कोई व्यक्ति बच रहेगा या नहीं और उपभोग-न्यायक कोई चीज भी रहेगी या नहीं—यह निःसन्देह एक दूसरा सवाल है। लेकिन संसार मुख्यतः इन्हीं दो विचारधाराओंमें बँटा हुआ है। अगर एककी बातको ठीक माना जाये, तो दूसरेकी बातको भी ठीक मानना चाहिए। क्योंकि अगर इंग्लैंड और फ्रांसको बड़े-बड़े भूभागों और राष्ट्रोंपर शासन करने का अधिकार है, तो जर्मनी और इटलीको भी निश्चय ही वैसा अधिकार है। हिटलर जिसे अपना न्यायोचित्त अधिकार कहता है वह नैतिक दृष्टिसे जितना कम न्यायोचित्त है उतना ही इंग्लैंड और फ्रांसका उससे रकने के लिए कहना।

इस संघर्षमें एक तीसरा मत भी है, जिसके बारेमें संसार कदाचित् ही कुछ सोचता मालूम पड़ता है, क्योंकि वह कभी-कभार ही सुनाई पड़ता है। लेकिन वह इतना आवश्यक है कि उसे अभिव्यक्ति मिलनी ही चाहिए; क्योंकि वह उन लोगोंकी आवाज है जो सारे खेलमें मात्र प्यादोके मानिन्द हैं। असली सवाल न तो डामजिगका है, न पोलिश गलियारेका। सवाल तो दरअसल उस

सिद्धान्तका है जिसपर वर्तमान पश्चिमी सभ्यताका सारा दारोमदार है। और वह है, निर्वलपर शासन करने और उसका शोषण करनेका सबलका अधिकार। इसलिए यह युद्ध सब उपनिवेशोंके प्रबन्धके आसपास केन्द्रित है, और हिटलर तथा मुसोलिनी संसारको इसकी याद दिलाते कभी थकते नहीं जान पड़ते। यही कारण है कि इंग्लैंडने साम्राज्यके खतरेमें होने की आवाज उठाई है। इसलिए इस प्रबन्धसे हम सभोका गहरा सम्बन्ध है।

हम यथापूर्व स्थितिके विरुद्ध हैं। हम उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन युद्ध हमारा विकल्प नहीं है, क्योंकि हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि उससे समस्या वास्तविक रूपमें हल नहीं होगी। हमारे पास दूसरा विकल्प जरूर है और वही इस भयंकर गड़बड़ीका एकमात्र हल और भावी विश्व-शान्तिकी कुंजी है। मैं चाहती हूँ उसी विकल्पको संसारके सामने प्रस्तुत किया जाये। आज वह अरण्य-रोदनके समान मालूम पड़ सकता है, मगर हम जानते हैं कि वही ऐसी आवाज है जो अन्ततः सुनी जायेगी, और जो हाथ आज इन सशस्त्र हाथोंके सामने बहुत कमजोर मालूम पड़ते हैं, वही अन्तमें विध्वस्त मनुष्य-जातिका नव-निर्माण करेंगे।

उस आवाजको व्यक्त करने के लिए आप विशेष रूपसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। संसारके उपनिवेशोंमें, मैं समझती हूँ, भारतका आज एक विशिष्ट स्थान है। इसकी ऐसी नैतिक प्रतिष्ठा है और इसमें ऐसी संगठन-शक्ति भी है, जो शायद ही किसी उपनिवेशोंके पास हो। दूसरे उपनिवेश अनेक मामलोंमें पथ-प्रदर्शनके लिए इसकी ओर देखते हैं। उसने संसारके समक्ष संघर्षकी एक ऐसी उच्च पद्धतिका दृष्टान्त प्रस्तुत किया है जिसके नैतिक मूल्यकी किसी-न-किसी दिन दुनिया जरूर कद्र करेगी। इसलिए छिन्न-भिन्न और उन्मत्त संसारसे भारतवर्षको यह कहना है कि एक और रास्ता भी है और यदि मनुष्य-जातिको समय-समयपर आनेवाली इस तरहकी आपदाओंसे बचाना है तथा रक्तरंजित जगत्में शान्ति और मेलजोल स्थापित करना है तो इस मार्गको अपनाना ही होगा। जिन लोगोंको इस व्यवस्थाके खिलाफ इतना कष्ट उठाना पड़ा है और जो उसे बदलने के लिए वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं, वही लोग पूरे विश्वास और इसके लिए आवश्यक नैतिक आधारके साथ न केवल अपनी ओरसे बल्कि संसारकी समस्त शोषित और पीड़ित जनताकी ओरसे बोल सकते हैं।

मुझे खेद है कि 'क्रॉनिकल' में प्रकाशित श्रीमती कमलादेवीका उक्त पत्र मैंने नहीं देखा था। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करूँ फिर भी मैं अश्वारोको ठीकसे नहीं पढ़ पाता। अतः नमयाभावके कारण पत्र मेरी फाइलमें ही पड़ा रह गया और मैं इसके सम्बन्धमें कार्रवाई नहीं कर पाया। लेकिन मैं ममज्ञता हूँ, बिल्म्बकके कारण पत्रके उद्देश्यमें कोई अन्तर नहीं पड़ा है। बल्कि मेरे लिए शायद यही ऐसा

मनोवैज्ञानिक अवसर है जब मुझे यह बताना चाहिए कि भारतका दृष्टिकोण क्या है अथवा क्या होना चाहिए। युद्ध करनेवाले पक्षोंके उद्देश्योंका कमलादेवीने जो विश्लेषण किया है उससे मैं सहमत हूँ। दोनों अपने अस्तित्व और अपनी गृहीत नीतियोंको आगे बढ़ाने के लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन दोनोंमें एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि मित्र-राष्ट्रोंकी घोषणाएँ कितनी ही अपूर्ण अथवा संदिग्ध क्यों न हो, संसारने उनका अर्थ यह किया है कि वे लोकतन्त्रकी रक्षाके लिए लड़ रहे हैं। हर हिटलर जर्मन-सीमाके विस्तारके लिए लड़ रहे हैं, हालाँकि उनसे कहा गया था कि वे अपने दावेको एक निष्पक्ष अदालतके सामने जाँचके लिए पेश करें। भगर शान्ति या समझौतेके तरीकेको उन्होंने तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया और तलवारका ही रास्ता चुना। इसलिए मित्र-राष्ट्रोंके साथ मेरी सहानुभूति है। लेकिन मेरी सहानुभूतिका मतलब यह हरगिज नहीं समझना चाहिए कि मैं तलवारके सिद्धान्तका किसी भी रूपमें समर्थन करता हूँ, चाहे उसका उपयोग निश्चित रूपसे सिद्ध अधिकारके लिए ही क्यों न किया जा रहा हो। सिद्ध अधिकारकी रक्षा जंगली या खूरिजीके साधनोंके बजाय सम्य साधनोंसे हो सकनी चाहिए। मनुष्य जिसे अपना 'अधिकार' समझता है उसको कायम रखने के लिए वह अपना रक्त बहा सकता है और उसे बहाना चाहिए। जो विरोधी उसके 'अधिकार' पर आपत्ति करे, उसका रक्त उसे नहीं बहाना चाहिए। कांग्रेस जिस भारतका प्रतिनिधित्व करती है वह अपने 'अधिकार'को तलवारसे नहीं बल्कि अहिंसात्मक उपायसे सिद्ध करने के लिए लड़ रहा है। और उसने संसारमें अपना एक अद्वितीय स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, यद्यपि अब भी वह अपने सपनोंकी स्वतन्त्रता से दूर — हमें आशा करनी चाहिए कि वह बहुत दूर नहीं — है। उसके अनोखे उपायकी और स्पष्टतः संसारका ध्यान आकर्षित हुआ है। अतः संसारको भारतसे यह आशा करने का अधिकार है कि वह इस युद्धमें, जिसे संसारके किसी भी देशकी प्रजाने नहीं चाहा, यह आग्रह रखकर निर्णायक भूमिका अदा करे कि इस बार शान्तिका मजाक न होने पाये और उसका यह अर्थ न होने पाये कि विजेता लोग युद्धके मालका आपसमें बँटवारा कर लें और विजितोंका अपमान करें। जवाहरलाल नेहरूने, जिन्हें कि कांग्रेसकी ओरसे बोलने का अधिकार प्राप्त है, गौरवपूर्ण भाषामें कहा भी है कि शान्तिका मतलब उन लोगोंकी स्वतन्त्रता होना चाहिए जिन्हें संसारकी साम्राज्यवादी सत्ताओंने गुलाम बना रखा है। मुझे पूरी आशा है कि कांग्रेस संसारको दिखा सकेगी कि अधिकारकी रक्षा करने की — और सो भी विवेकका बेहतर प्रदर्शन करते हुए उसकी रक्षा करने की — जैसी शक्ति अहिंसासे प्राप्त होती है उसकी तुलनामें शस्त्रास्त्रोंसे प्राप्त होनेवाली शक्ति कुछ भी नहीं है। शस्त्रबल सच्चा विवेक दिखा ही नहीं सकता, विवेकयुक्त होने का दिखावा-भर कर सकता है।

सेर्गाव, ९ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३९

२७५. जैसे साँपनाथ तैसे नागनाथ

पिछले हफ्ते त्रावणकोरकी परिस्थितिके बारेमें लिखते^१ हुए मैंने उस विवादका जिफ्र नहीं किया था जो दीवान साहब और रियासत कांग्रेसके बीच इस बातको लेकर चल रहा है कि मुझे वह जानकारी कहाँसे मिली जिसके आधारपर मैंने दीवानको यह आगा व्यक्त करते हुए तार^१ भेजा कि उनके द्वारा जारी किये गये नोटिसके कारण रियासत कांग्रेसके उस सम्मेलनपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगेगा जो त्रावणकोरमें होने जा रहा है। श्री ताणु पिल्लैने कहा कि उन्होंने अथवा रियासत कांग्रेसके किसी सदस्यने यह नहीं कहा कि सम्मेलनपर कोई प्रतिबन्ध है। इसीलिए वे नहीं कह सकते कि मैंने दीवानको जो तार भेजा, वह उनसे प्राप्त जानकारीके ही आधारपर भेजा गया था। उनका यह कहना बिल्कुल सही था। मगर वस्तुतः यह सच है कि श्री वर्गीजके तारमें^१ जो सूचना दी गई थी, उसीके आधारपर मैंने वह तार भेजा था। लेकिन श्री वर्गीजने किसी तथ्यको नहीं छिपाया था। श्री ताणु पिल्लैने गत महीनेकी २३ तारीखको दीवानके नाम लिखे गये अपने पत्रमें अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहा था :

सरकारके पत्रसे ऐसा लगता है कि सरकार मेरी इस बातपर विश्वास नहीं करती कि रियासत कांग्रेसके किसी भी सदस्यने गांधीजी को यह खबर नहीं भेजी कि सम्मेलनपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आपका अनुमान तो ज्यादासे-ज्यादा गांधीजी द्वारा भेजे गये तारपर आधारित होगा, जबकि जो-कुछ कहता हूँ वह निजी जानकारीके आधारपर कह रहा हूँ। स्वागत-समितिके अध्यक्षने गांधीजी को तार द्वारा सरकारी विज्ञप्तिका जो सार लिखकर भेजा था, वह इस प्रकार है : 'आज दोपहरको एक प्रेस-विज्ञप्ति निकालकर सरकारने चर्कित कर दिया है। सरकारी विज्ञप्तिमें कहा गया है कि मुद्द छिड़ जाने से ऐसी आपात् स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा के निमित्त और सार्वजनिक उत्तेजना फँलाने अथवा लोगोके बड़ी संख्यामें जमा होनेकी सम्भावित घटनाओंको रोकने के लिए कुछ उपाय करना जरूरी हो गया है। सम्मेलनके सिलसिलेमें जलूसों और प्रदर्शनोंकी तैयारियाँ की जा रही हैं और चूँकि सम्मेलनमें भारी भीड़ होनेकी सम्भावना है, इसलिए सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे सरकार सम्मेलनके संयोजकों तथा रियासतकी समस्त

१. देखिए पृ० २४९-२५२।

२. देखिए पृ० १७६-७७।

३. देखिए खण्ड ६९, पृ० १२०-२१।

राजनीतिक या अन्य संस्थाओंसे अनुरोध करती है कि वे फिलहाल और अगली सूचना मिलने तक ऐसे समारोहोंको स्थगित या बन्द कर दें।' इस सरकारी विज्ञप्तिसे शायद गांधीजी ने यह समझ लिया होगा कि सम्मेलन और समस्त राजनीतिक या अन्य संस्थाओंको फिलहाल और अगली सूचना मिलने तक ऐसे समारोहोंको स्थगित या बन्द करने के लिए कहने का मतलब वस्तुतः सब सभाओं और जलूसोंकी मनाही ही है। लेकिन यदि सरकार अब भी इसी बातपर आप्रह करती है कि रियासत कांग्रेसने गांधीजी को गुमराह किया है तो उचित यह होगा कि इसको वह प्रमाणोंसे सिद्ध करे।

श्रावणकोरके कानूनके अनुसार सरकारी विज्ञप्तिकी भाषाका मतलब हो सकता है प्रतिबन्ध न हो। लेकिन मैं उसका और कोई अर्थ नहीं लगा सकता था। तकनीकी दृष्टिसे वह चाहे प्रतिबन्ध हो या नहीं, उसका असर यही हुआ कि कांग्रेसके पदाधिकारियोंको अपने कार्यक्रममें से जलूसों तथा प्रदर्शनकी अन्य बातोंको निकाल देना पड़ा। इसलिए सरकारी विज्ञप्तिमें दीवान द्वारा प्रयुक्त भाषा और 'प्रतिबन्ध'में यदि कोई अन्तर है तो वह वैसा ही है जैसा कि सापनाथ और नागनाथमें होता है। यह भी कहा गया है कि विज्ञप्ति इसलिए निकालनी पड़ी कि सम्मेलन बुलाये जानेपर आपत्ति की गई थी। भला एक बड़ी संस्थाको ठीक तरहसे कार्य-संचालन करने से सिर्फ इसलिए क्यों रोका जाये कि किसीको उसके ऐसा करने में आपत्ति है? मैं तो दीवानसे यह प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वे रियासत कांग्रेसके नेताओंको इतना तंग न करे कि उनकी सहनशक्ति खत्म हो जाये। रचनात्मक संबैधानिक प्रवृत्तियोंके लिए भी उन्हें निकम्मा नहीं बना देना चाहिए। यह उनका विनम्र कार्यक्रम है:

यह सम्मेलन निश्चय करता है कि रियासत कांग्रेसका तात्कालिक कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार होगा :

(१) लोगोंको उत्तरदायी शासनके बारेमें शिक्षित करने के लिए जोरोंके साथ, व्यवस्थित और देशव्यापी प्रचार।

(२) रियासत-भरमें कांग्रेस-संगठनको मजबूत करके आत्म-निर्भर बनाना तथा स्थायी बुनियादपर खड़ा करना।

(३) एक सुनियोजित कार्यक्रमके द्वारा जनताके साथ सच्चा और प्रभावकारी सम्पर्क स्थापित करना; इसमें जन-साक्षरता अभियान और खादी, स्वदेशी और शराबबन्दीपर विशेष रूपसे जोर दिया जाये।

(४) स्थायी स्वयंसेवक और देशसेविका दलकी स्थापना करना।

(५) ऊपर दिये हुए विविध कार्यक्रमोंके लिए कार्यकर्ताओंको प्रशिक्षित करने के निमित्त न्यूनतम समयके लिए केन्द्रीय शिविर खोलना।

इस खयालसे कि कोई सन्देह न रहे, यह सम्मेलन यह बतला देना चाहता है कि उपर्युक्त कार्यक्रम सर्वथा संबैधानिक होगा और रियासत कांग्रेसका

इस कार्यक्रमके सिलसिलेमें सरकारसे संघर्ष करने का कोई इरादा नहीं है। इस कार्यक्रमका उद्देश्य तो जनताकी संबैधानिक माँगको अदम्य बना देना है।

वे तत्काल उत्तरदायी शासनकी माँग नहीं करते। किन्तु उत्तरदायी शासनकी दिशामें प्रजाको तैयार करने का उन्हें निश्चय ही पूरा हक है। श्रावणकोरके महाराजा और उनकी प्रजाके लिए तो वह बड़े गर्वका दिन होना चाहिए जब यह कहा जा सके कि शान्ति और धैर्यके साथ शिक्षा पाते हुए प्रजा अपने राज्यके शासनका उत्तरदायित्व सँभालने के योग्य बन गई है।

सेर्गाव, ९ अक्तूबर, १९३९

[अप्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३९

२७६. एक मन्त्रीका स्वप्न

अगर आप प्रान्तीय सरकारों और लोगोंको इस आशयका सन्देश या निर्देश दे सकें कि तमाम स्कूलोंमें लड़कों और लड़कियोंके लिए कताई और बुनाई अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, तो मेरा विश्वास है कि थोड़े ही समयमें स्कूलोंके वच्चे खुद अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनने लग जायेंगे। यह पहला कदम होगा। आपके आदर्शोंके प्रति मेरे मनमें आज भी वैसी ही श्रद्धा है, और मैं वह दिन देखने की आशा करता हूँ, जब हरएक घर अपनी जरूरतका कपड़ा खुद बना लेगा, और आपकी प्रामोद्योग तथा शिक्षा-सम्बन्धी योजनाओंके अन्तर्गत प्रत्येक गाँव केवल कपड़ेके मामलेमें ही नहीं, बल्कि हरएक जरूरी चीजके सम्बन्धमें स्वावलम्बी बन जायेगा। आपकी तरह मैं भी यह मानता हूँ कि इस देशमें सच्चा स्वराज्य तभी स्थापित हो सकता है, जब प्रान्तीय सरकार अथवा भारत सरकारके बजटके साथ-साथ — जिसे सन्तुलित करने के लिए कृत्रिम उपायों और जोड़-तोड़का सहारा लेना पड़ता है — ग्रामवासी जनताका बजट भी सन्तुलित हो जायेगा।

एक कांग्रेसी मन्त्रीने उपर्युक्त पत्र लिखा है। यदि मेरे पास निरकुण्ठ शासक-जैसी सत्ता होती, तो मैं कमसे-कम प्राथमिक स्कूलोंमें कताईको अवश्य अनिवार्य कर देता। जिस मन्त्रीमें श्रद्धा हो उसे ऐसा करना चाहिए। हमारे स्कूलोंमें फितनी ही वेकार चीजोंको अनिवार्य बना दिया जाता है। तब इस अत्यन्त उपयोगी कलाको अनिवार्य क्यों न बना दिया जाये? लेकिन लोकतन्त्रमें किसी चीजको, यदि वह व्यापक रूपसे लोकप्रिय न हो, अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। इस तरह लोकतन्त्रमें अनिवार्यता नाममात्रकी ही होती है। वह आलस्यको दूर करती है, और लोगोंकी इच्छापर जोर-जबरदस्ती नहीं करती। इस प्रकारकी अनिवार्यता शिक्षणकी

एक क्रिया है। मैं इससे सहज एक प्रारम्भिक रास्ता सुझाता हूँ। सबसे अच्छे कातनेवाले लड़के या लड़कीको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इस प्रतिस्पर्धसि सब नहीं तो अधिकांश इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। किसी भी योजनामें यदि स्वयं शिक्षकोंकी श्रद्धा न हो, तो वह कभी सफल नहीं होगी। प्रान्तीय सरकारे अगर बुनियादी तालीम स्वीकार कर ले, तो कताई इत्यादि पाठ्यक्रमके केवल अग ही नहीं, बल्कि शिक्षाके वाहन बन जायेंगे। बुनियादी तालीम अगर जड़ पकड़ ले, तो हमारी इस पीढ़ित भूमिमें खादी अवश्य सार्वत्रिक और अपेक्षाकृत सस्ती हो जायेगी।

सेगाँव, ९ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३९

२७७. कभी न पटनेवाली खाई

एक मित्रने यह पत्र भेजा है :

३० सितम्बर, १९३९के 'हरिजन' में पृष्ठ १ पर प्रकाशित अपने लेखके अन्तमें आपने लिखा है : "गति ही जीवनका अन्तिम ध्येय नहीं है। मनुष्य यदि अपने कामपर पैदल चलकर जाये, तो उसे चीजोंको देखने-समझने का ज्यादा अच्छा अवसर मिलता है, और वह अधिक सच्चा जीवन व्यतीत करता है।"

और इसके नीचे आपने लिखा है : "शिमला जाते हुए रेलगाड़ीमें"। मुझे आश्चर्य होता है कि आपमें इतनी अधिक विनोद-वृत्ति होते हुए भी आप यह क्यों नहीं देख सके कि 'शिमला जाते हुए रेलगाड़ीमें'—ये शब्द 'मनुष्य यदि अपने कामपर पैदल चलकर जाये, तो उसे चीजोंको देखने-समझने का ज्यादा अच्छा अवसर मिलता है, और वह अधिक सच्चा जीवन व्यतीत करता है', इस वाक्यको उपहासास्पद बना देते हैं।

एक जमाना था, जब मेरे इन मित्रको मेरी कार्य-पद्धतिपर आस्था थी, और इनका बहुमूल्य समर्थन मुझे प्राप्त था। लेकिन न जाने कैसे अब मैं उनकी नजरोंमें गिर गया हूँ। उन्होंने मेरे जिस लेखका मजाक उड़ाया है, उसके पीछे जो सुन्दर विनोद था उसे समझने में उन्हें कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे उनके मजाकमें जो डंक है उसे निकालकर फेंक देना चाहिए; और इसलिए अपने मित्रको मैं यह बतला दूँ कि मैंने जब चर्चित लेख लिखा तब मेरा दिमाग ठिकाने पर था। जिस जगह यह लिखा गया था उस जगहका उल्लेख मैं आसानीसे टाल सकता था।

पर मैं अपनी बातको ज्यादा बजन देना चाहता था, और मेरे तथा मेरे आदर्शके बीच जो गहरी खाई है, उसमें पाठकोको अवगत कराना चाहता था। जिनके पैर उगमगाने हों, वे इस तथ्यको हृदयमें अंकित कर ले कि यद्यपि मेरे आदर्शका स्पष्ट विरोध प्रदर्शित करनेवाली मेरी टिप्पणीने इन मित्रको त्रिनांदका एक कारण दिया है, तो भी मैंने ऐसी साख हासिल कर ली है कि मैं जिन आदर्शोंका दावा करता हूँ उनके अनुसंधान आचरण करने का भरसक प्रयत्न भी करता हूँ। मुझे यदि अपने आदर्शके अधिकाधिक समीप पहुँचने का अनवरत प्रयत्न करना है, तो मुझे चाहिए कि समाजको अपनी निर्वलताएँ और निष्फलताएँ भी देखने दूँ, ताकि मैं दम्भसे बच जाऊँ और धर्मके मारे भी इस आदर्शको प्राप्त करने की यथावगति साधना करूँ। इन मित्रने मेरे लेखमें अन्तर्विरोध होने की जो बात कही है, उसमें यह भी जाहिर होता है कि आदर्श और व्यवहारके बीच हमेशा एक ऐसी खाई रहनी है जो कभी पाटी नहीं जा सकती। आदर्शको प्राप्त करना यदि शक्य हो जाये, तो वह आदर्श ही नहीं रहेगा। आनन्द तो साधनामें है, सिद्धिमें नहीं। क्योंकि ज्यों-ज्यों हम अपने ध्येयकी ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों अधिकाधिक मनोरम दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं।

लेकिन अब मैं अपने पत्र-लेखक मित्रके व्यग्रपर आता हूँ। उनमें तथा अपने पाठकोसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं जो उन पत्रित्तियोंको लिख सका उसका कारण यह है कि मुझे मोटरमें या रेलमें अथवा बैलगाड़ीमें भी बैठकर मुगाफिरी करने में कोई आनन्द नहीं आता। आनन्द तो हमेशा पैदल चलने में ही आता है। रेलकी एक-एक पटरी उखाड़ ली जाये, और मरीजों और अपंगांके सिवा शक्यको अपने-अपने कामपर पैदल चलकर जाना पड़े, तो मुझे इसका जरा भी दुःख नहीं होगा। मैं ऐसी सभ्यताकी कल्पना कर सकता हूँ, जिसमें मोटरका मालिक होना कोई ध्येयकी बात नहीं मानी जायेगी, और जिसमें रेलके लिए कोई स्थान नहीं होगा। इतना ही नहीं, बल्कि उस सभ्यताकी स्थापनाके लिए मैं प्रयत्न भी कर रहा हूँ। ममार किनी समय जितना विद्यालय था, यदि वह फिरमें उतना विद्यालय बन जाये, तो मेरे लिए यह कोई दुःखद घटना नहीं होगी। 'हिन्द-स्वराज्य' १९०९में लिखा गया था। उसके बाद उसके बहुत-से सम्करण प्रकाशित हुए हैं और सनारकी अनेक भाषाओंमें उसके अनुवाद भी हुए हैं। गत वर्ष श्रीमती सोफिया वाटियाका 'हिन्द-स्वराज्य' का जो संस्करण निकाला था उसके लिए उन्होंने मुझमें प्रस्तावना लिखने के लिए कहा। इसलिए मुझे उसे एक बार फिर ध्यानमें पटने का संभाव्य प्राप्त हुआ। पाठक जान ले कि मैं उसमें व्यक्त एक भी विचारमें परिवर्तन नहीं कर सका। उसकी भाषामें भी कोई हेरफेर करने की मेरी इच्छा नहीं हुई। यह मूल गुजरातीका अच्छा अनुवाद है। इतनी सादी (कि गायद मूलतःपूर्ण समझी जा सकती है) इस छोटी-सी पुस्तककी समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह

१. तथापि साधन-सूत्रमें "१९०८" है; देखिए पृष्ठ १०।

२. देखिए पृष्ठ ६७, पृ० १९१-१९२।

तथाकथित अज्ञान और अन्वकारके युगमें पीछे लौटने का प्रयत्न नहीं है, बल्कि वह ऐच्छिक सादगी, गरीबी और धीमेपनमें सौन्दर्यको देखने का प्रयत्न है। इसे मैंने अपना आदर्श चित्रित किया है। मैं खुद इस आदर्शतक कभी पहुँचने का नहीं, इसलिए देखते भी इसतक पहुँचने की मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। लेकिन आज लोगोंमें नित नयी वस्तु प्राप्त करने की जो ललक दिखाई देती है, आकाशमें विचरण करने और अपनी आवश्यकताओंको निरन्तर बढ़ाते जाने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उसके प्रति मेरे मनमें कोई मोह नहीं है। ये सब बातें हमारी अन्तरात्माका हनन करती हैं। मनुष्यकी वृद्धि आज जिन चकरा देनेवाली ऊँचाइयोंको छूने का प्रयास कर रही है, उससे हम अपने चिरजनहारसे दूर होते जा रहे हैं, उस चिरजनहारसे जो हमारे जतना ही करीब है जितना कि नल जंगलीके करीब होता है।

इसलिए, जब मैं घंटेमें चालीस मीलकी रफ्तारसे सफर करता हूँ, तब भी मुझे निरन्तर यह भान रहता है कि यह एक ऐसी बुराई है जो आवश्यक हो गई है, और मेरा सर्वोत्तम काम तो ७०० आदमियोंकी बस्तीवाले छोटे-से गाँवमें और उसके आस-पासके गाँवोंमें है, जहाँ मैं वहाँसे पैदल चलकर जा सकता हूँ। लेकिन अत्यन्त व्यावहारिक व्यक्ति होने के नाते केवल यह बताने के लिए कि मेरे आचरणमें मूर्खताकी हदतक संगति है, मैं रेल या मोटरकी मुसाफिरीसे नहीं बच सकता। पाठक जान लें कि १९३३-३४ में ठक्कर बापा द्वारा आयोजित तुफानी हरिजन-यात्राके दौरान मैंने उनसे धीरेसे कहा था कि मैं तो यह सारी यात्रा पैदल ही करना चाहूँगा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और उस यात्रामें कई जगह हमारे विरोधमें हिंसात्मक प्रदर्शन हुए। दो या कई बार हम गम्भीर रूपसे घायल होते-होते बचे। यहाँतक कि उनमें से किसी अवसरपर हमारी मृत्यु भी हो सकती थी। जब हम लोग पुरी^१ पहुँचे, तो वहाँ हमें खून-खराबी होने की आशंका दिखाई दी। इसपर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया और दाकीकी यात्रा पैदल ही करने का आग्रह रखा। ठक्कर बापा तुरन्त भान गये।^२ प्रदर्शनकारी, जो रेल और मोटरकी मुसाफिरी करके प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे, पैदल चलनेवाले यात्रियोंका पीछा न कर सके। वे पैदल यात्री रोज सुबह-शाम दो पड़ावोंमें तिरुं आठ-दस मीलका रास्ता ही तय कर पाते थे। हमारी यात्राका यह सबसे अधिक प्रभावकारी भाग था। इसके परिणामस्वरूप जो जागृति हुई वह ठोस थी। हमें सुन्दर और विविध अनुभव प्राप्त हुए। और प्रदर्शनकारियोंके लिए उत्तेजनाका कोई कारण नहीं रहा। उनकी इच्छा मुझे योजनापूर्वक भार डालने की नहीं थी। वे तो केवल सनसनी फैलाना चाहते थे। जो अहिंसक स्त्री-पुरुष मनुष्यका कोई भय रखे बिना ईश्वरकी अपना निश्चित मार्गदर्शक और रक्षक मानकर अपना काम करते पैदल

१. ७ नवम्बर, १९३३ से २ अगस्त, १९३४।

२. ७ अक्टू, १९३४ को; देखिए खण्ड ५७।

३. गांधीजीने अपनी पद-यात्रा ९ अक्टू, १९३४ से शुरू की थी।

जा रहे हों, उनका विरोध करनेवालों को सनसनी फैलाने वा, हो-हुल्ला करने का बचसर ही कहाँसे मिलेगा ?

सेर्गाव, १० अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३९

२७८. कसौटीपर

कार्य-समितिके सदस्योंके साथ चर्चा करते हुए मैंने देखा कि उनकी अहिंसा अहिंसा-शास्त्रसे ब्रिटिश सरकारके खिलाफ लड़ने से आगे कभी नहीं गई। अबतक मैं इस विश्वाससे चिपटा हुआ था कि संसारकी सबसे बड़ी साम्राज्यवादी सत्ताके खिलाफ लड़ने में गत बीस वर्षोंसे हमने अहिंसाका जो अमल किया है उसके तर्क-फलित परिणामको कांग्रेसजनोंने पहचान लिया है। लेकिन अहिंसा-जैसे बड़े-बड़े प्रयोगोंमें कल्पित प्रश्नोंके लिए मुश्किलसे ही कोई गुजाइश होती है। ऐसे प्रश्नोंके उत्तरमें मैं खुद कहा करता था कि जब हम वस्तुतः स्वतन्त्रता हासिल कर लेंगे तभी हम यह देख सकेंगे कि हम अपनी रक्षा अहिंसात्मक तरीकेसे कर सकते हैं या नहीं। लेकिन आज यह प्रश्न कल्पित नहीं रह गया है। ब्रिटिश सरकार हमारे हकमें कोई धोपणा करे या न करे, भारतपर आक्रमण होने पर कांग्रेस क्या मार्ग अपनायेगी, यह उसे निश्चय करना है। कारण, भले ही सरकारके साथ कोई समझौता न हो, लेकिन कांग्रेसको अपनी नीति धोपित करनी ही होगी और उसे यह बताना ही होगा कि आक्रमणकारी सेनाका मुकाबला वह हिंसात्मक साधनोंसे करेगी या अहिंसात्मक साधनोंसे।

अर्हातक मैं कार्य-समितिके विचारोंको, काफी लम्बी चर्चाके बाद, समझ सका हूँ, उसके सदस्योंका खयाल है कि अहिंसात्मक साधनोंके जरिये सशस्त्र आक्रमणसे देशकी रक्षा करने के लिए वे तैयार नहीं हैं।

यह दुःखद प्रसंग है। निश्चय ही अपने घरसे शत्रुको निकाल बाहर करने के लिए जो उपाय काममें लाये जाते हैं, वे उन उपायोंसे, जो उसे घरमें न घुसने देने के लिए अपनाये जायें, भिलते-जुलते होने चाहिए। और शत्रुको घरसे निकालने की अपेक्षा उसे घरमें न घुसने देने का काम तो आसान ही होना चाहिए। बहरहाल, हकीकत यह है कि हमारी लड़ाई बलवानकी अहिंसात्मक लड़ाई नहीं रही है। वह दुर्बलका निष्क्रिय प्रतिरोध रही है। यही वजह है कि इस महत्त्वके क्षणमें हमारे दिलोंसे अहिंसाकी शक्तिमें हमारी ज्वलन्त श्रद्धाकी कोई सहज प्रतिध्वनि नहीं नुमाई दी। इसलिए कार्य-समितिके समझदारोंके साथ ही कहा है कि वह यह तर्क-फलित कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। इन स्थितियोंमें दुःखकी बात यह है कि कांग्रेस अगर उन लोगोंके साथ गरीब हो जाती है जो भारतकी सशस्त्र रक्षाकी आवश्यकता में विश्वास करते हैं, तो इसका यह अर्थ होगा कि गत बीस वर्षों में यो ही चर्चे

गये और कांग्रेसियोंने सशस्त्र युद्ध-विज्ञान सीखने के प्राथमिक कर्तव्यके प्रति भारी उपेक्षा दिखाई। और इतिहास मुझे ही, इस लड़ाईके सेनापतिके रूपमें, इत दुरुद्ध बातके लिए जिम्मेवार ठहरायेगा। भविष्य का इतिहासकार कहेगा कि यह तो मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था कि राष्ट्र बलवानकी अहिंसा नहीं, बल्कि केवल निर्बलका निष्क्रिय प्रतिरोध सीख रहा है, और इसलिए कांग्रेसजनोंके लिए मुझे सैनिक शिक्षाकी व्यवस्था करनी चाहिए थी।

भारत किसी-न-किसी तरह सच्ची अहिंसा सीख ही लेगा, इस विचारसे मैं इतना अभिभूत रहा कि मुझे यह सूझा ही नहीं कि सशस्त्र रक्षाके लिए अपने सहकर्मियोंसे ऐसा शिक्षण लेने को कहूँ। इसके विपरीत, मैं तो तलवारवाजी और मजबूत लाठियोंके प्रदर्शनको निरुत्साह ही करता रहा। और विगतके लिए मुझे आज भी पश्चात्ताप नहीं है। मेरी आज भी यही ज्वलन्त श्रद्धा है कि संसारके समस्त देशोंमें भारत ही एक ऐसा देश है जो अहिंसाकी कला सीख सकता है, और अगर अब भी उसे इस कसौटीपर कसा जाये, तो सम्भवतः ऐसे हजारों स्त्री-पुरुष मिल जायेंगे जो अपने उत्पीड़कोंके प्रति बगैर कोई द्वेषभाव रखे खुशीसे मरने के लिए तैयार हो जायेंगे। मैंने हजारोंकी उपस्थितिमें बार-बार जोर दे-देकर कहा है कि बहुत सम्भव है कि उन्हें बड़ीसे-बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ें, यहाँतक कि गोलियोंका भी शिकार होना पड़े। नमक-सत्याग्रहके दौरान क्या हजारों पुरुषों और स्त्रियोंने किसी भी सेनाके सैनिकोंके ही समान बहादुरीसे तरह-तरहकी मुसीबतें नहीं झेली थी? अगर भारतको आक्रमणकारियोंका सामना करना है तो वह जिस योग्यताका परिचय दे चुका है उससे भिन्न योग्यताकी आवश्यकता उस प्रयोजनके लिए नहीं है। अलबत्ता उस योग्यताका प्रयोग एक बृहत्तर पैमानेपर करना जरूरी है।

एक चीज नहीं भूलनी चाहिए। निःशस्त्र भारतके लिए यह जरूरी नहीं कि उसे जहरीली गैसों या बमोंसे घबस्त होना पड़े। मैजिनो-रेखाने^१ सीगफ्रीड-रेखाको^२ जरूरी बना दिया है, और सीगफ्रीड-रेखाने मैजिनोको। मौजूदा तरीकोंमें हिन्दुस्तानकी रक्षा इसलिए जरूरी हो गई है कि वह आज ब्रिटेनका एक उपांग है। स्वतन्त्र भारतका कोई शत्रु नहीं हो सकता। और यदि भारतवासी दृढ़तापूर्वक सिर न झुकाने की कला सीख गये हों और उसपर पूरा अमल करने लगे हों, तो मैं यह कहने की जुर्रत कहेगा कि हिन्दुस्तानपर कोई आक्रमण करना नहीं चाहेगा। हमारी अर्थनीति इस प्रकारकी होगी कि शोषकके लिए वह कोई प्रलोभनकी वस्तु सिद्ध नहीं होगी। लेकिन कुछ कांग्रेसजन कहेंगे: 'ब्रिटेनकी बातको दरकिनार कर दिया जाये, तब भी हिन्दुस्तानके सीमावर्ती क्षेत्रोंमें बहुत-सी सैनिक जातियाँ रहती हैं। वे मुल्ककी रक्षाके लिए, जो उनका भी उतना ही है जितना कि हमारा, युद्ध करना चाहेंगी।' यह बिलकुल सच है। इसलिए इस क्षण मैं केवल कांग्रेसजनोंकी ही बात कह रहा

१. फ्रांस और जर्मनीकी सीमापर फ्रांसीसियोंकी सुरक्षा-पंक्ति

२. फ्रांस और जर्मनीकी सीमापर जर्मनोंकी सुरक्षा-पंक्ति

हूँ। आक्रमणकी हालतमें वे क्या करेंगे? जबतक कि हम अपने सिद्धान्तोंपर भर मिटने के लिए तैयार न हो जायेंगे, हम सारे हिन्दुस्तानको अपने मतका नहीं बना सकेंगे।

इससे विपरीत राहके बारेमें सोचने पर मेरा मन काँप उठता है। उत्तरके मुसलमान, सिख और गोरखे तो पहलेसे ही सेनामें बहुत बड़ी सख्यामें भरे हुए हैं। अब अगर दक्षिण और मध्य भारतके जनसमुदाय भी सैनिक शिक्षा लेना चाहें तो कांग्रेसको, जो उनकी प्रतिनिधि मानी जाती है, उनके साथ होड़में उतरना पड़ेगा। उस हालतमें कांग्रेसको भारी सैनिक खर्चपर सहमति देनी होगी। वैसे तो कांग्रेसकी सहमतिके बिना भी यह सब हो सकता है। लेकिन उसमें कांग्रेसकी सहमति है या नहीं, इन दोनों स्थितियोंमें जमीन-आसमानका अन्तर होगा। ससार भारतसे किसी नयी और वेमिसाल वस्तुकी आशा रखता है। यदि कांग्रेस उसी जर्जर कवचको धारण करती है जो बाकी दुनिया धारण किये हुए है तो वह भीड़में खो जायेगी। आज अगर कांग्रेसका नाम है, तो वह इस कारण कि वह सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक अस्त्रके रूपमें अहिंसाका प्रतिनिधित्व करती है। यदि कांग्रेस मित्र-राष्ट्रोंकी मदद अहिंसाकी प्रतिनिधिके रूपमें करती है तो उससे मित्र-राष्ट्रोंके पक्षको ऐसी प्रतिष्ठा और नैतिक शक्ति मिलेगी जो युद्धके अन्तिम निर्णयमें एक अमूल्य योगदान साबित होगी। लेकिन कार्य-समितिके सदस्योंने बड़ी ईमानदारी और साहसके साथ यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस कोटिके अहिंसावादी होने का दावा नहीं करते।

इसलिए मैंने यहाँ जो विचार व्यक्त किया है वह मुझतक ही सीमित है। अब मुझे देखना है कि इस सूनी राहपर मेरा कोई हमराही है या नहीं। अगर मैं अकेला हूँ तो मुझे दूसरोंको अपना साथी बनाने की कोशिश करनी है। चाहे मैं अकेला होऊँ या मेरे और साथी भी हो, मुझे तो अपनी इस श्रद्धाकी घोषणा करनी ही है कि अपनी सरहदोंकी रक्षाके निमित्त भी हिंसाका त्याग ही भारतके लिए अधिक श्रेयस्कर मार्ग है। भारतका शास्त्रीकरणकी होड़में शामिल होना उसके लिए आत्महत्याके समान होगा। भारतके अहिंसाका दामन छोड़ देने का मतलब यह होगा कि संसारकी आशा का यह एकमात्र सूत्र भी टूट गया। गत पचास वर्षोंसे जिस सिद्धान्तकी मैं दुहाई देता आया हूँ, उसे अपने आचरणमें मुझे उतारना ही है, और मैं तो अपनी आखिरी साँसतक इस आशाको कायम रखूँगा कि एक-न-एक दिन भारत अहिंसाको धर्मके रूपमें स्वीकार करेगा, मनुष्यकी गरिमाकी रक्षा करेगा, और जिस वर्वर अवस्थासे मनुष्य अपनेको ऊपर उठा चुका माना जाता है, उसमें फिर जा गिरने से उसे रोकेगा।

सेर्गाव, १० अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३९

२७९. पत्र : शिवाभाई जी० पटेलको

सेगाँव, वर्षा
१० अक्तूबर, १९३९

चि० शिवाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। लगता है कि तुमने अच्छा काम किया है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुनी आश्रमी केलवणी, पृ० ७०

२८०. बातचीत : एक मित्रके साथ^१

सेगाँव

[१० अक्तूबर, १९३९ या उसके पश्चात्]^१

मित्र : हम लोग कई बरसोंसे पूरे गांधीवादी रहे हैं और हम नहीं जानते कि इस संकट-कालमें हमें क्या करना चाहिए। कार्य-समितिके इस प्रस्तावने हमें परेशानीमें डाल दिया है।

गांधीजी : पर मुझे आप यह तो बतलाइए कि 'पूरे गांधीवादी' से आखिर आपका आशय क्या है ?

आशय उन लोगोंसे है जो किसी भी स्थितिमें आपके सिद्धान्तोंपर चलने के लिए तैयार हैं।

अच्छा, तब तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा गांधीवादी तो मैं खुद भी नहीं हूँ, क्योंकि सत्य और अहिंसाके जिन आदर्शोंकी मैंने कल्पना कर रखी है, उनपर मैंने खुद पूरा-पूरा अमल नहीं किया है।

१ और २. यह बातचीत महादेव देसाई द्वारा लिखित "आउट-फ़ैड-आउट गांधीमाइट" (पूरे गांधीवादी) शीर्षकसे उद्धृत की गई है। इतमें उन्होंने बताया था : "एक मित्र, जो-एक गाँवने कुछ वर्षोंसे ग्रामसेवा केन्द्र चलाते हैं, महात्तमिति की बैठकमें भाग लेने वर्षा आये और वहाँसे गांधीजी से मिलने सेगाँव आये थे।" अ० मा० का० क्र० का अधिवेशन ९ और १० अक्तूबरको वर्षा में हुआ था।

आपके आशयको तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता था कि हम लोग अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार आपके बताये हुए रचनात्मक कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि सविनय अवज्ञा आन्दोलन छिड़ जाता है तो हमें क्या करना होगा? महासमितिके प्रस्तावके पक्षमें हमने इसलिए अपना मत दिया क्योंकि वह राजेन्द्र बाबू, सरदार तथा अन्य सदस्योंका बनाया हुआ अधिकृत प्रस्ताव था। लेकिन जब हम अहिंसाकी बात सोचते हैं, तब हमारी समझमें यह नहीं आता कि उसके पक्षमें हम किस तरह मत दे सके।

उक्त प्रस्तावके पक्षमें मत देना अहिंसाके विरुद्ध नहीं था। आप जो कुछ करेंगे, वह महत्त्वका है। और जैसा कि आप 'हरिजन' के अगले अकसे देखेंगे, मैं आप-जैसे मित्रोंके लिए इस प्रश्नपर लिखना शुरू कर रहा हूँ। हर सप्ताह आप स्थितिको अधिकाधिक स्पष्ट होते देखेंगे। पर मैं आपके लिए उसका थोड़ेमें सार देता हूँ। सविनय अवज्ञाका अभी कोई प्रश्न नहीं उठता। कारण, उसके लिए आज वातावरण नहीं है—खासकर १९३० और १९३२ में जिस प्रकार सविनय अवज्ञा हुई थी, उस अर्थमें सविनय अवज्ञाका प्रश्न तो कतई नहीं उठता। अगर हमारा तमाम रचनात्मक कार्य करना असम्भव बना दिया जाये, यानी सरकार हमें बहुत ज्यादा तंग करने लगे तो सम्भव है कि हमें सविनय अवज्ञा करनी पड़े। मुझे ऐसी किसी चीज का भय नहीं है। कुछ भी हो मैं 'गांधीवादियो' को अंधेरे में नहीं रखूंगा। हर हफ्ते मैं जो कुछ लिखूँ आपको उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

लेकिन मेरी कठिनाई तो यह है। रचनात्मक कार्यके द्वारा, जो सक्रिय अहिंसा है, शक्तिका विकास करने में हमारी दृढ़ श्रद्धा है। पर क्योंकि हम कांग्रेसके अविभाज्य अंग हैं, इस कारण सम्भव है कि सरकार हमारे आशयोंके विरुद्ध कारवाई करे और १९३० की तरह उनपर कब्जा कर ले।

यह तो इसपर निर्भर करता है कि कांग्रेस क्या करेगी। मान लीजिए जिस बातकी सम्भावना हम नहीं देखते वह हो जाती है और कांग्रेस आक्रामक सविनय अवज्ञाका रास्ता अपनानेका निर्णय कर लेती है—जिसके लिए जैसा कि मैंने कहा है, आज अनुकूल वातावरण नहीं है—तो आपको अपना आश्रम कांग्रेससे अलग कर लेना होगा। यानी 'कायर' कहे जाने की जोखिम उठाकर भी आप कांग्रेससे खपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे।

समझा, समझा! एक चीज और है, जिसके बारेमें मैं आपसे पूछना चाहता था। आश्रममें हमारे रोजमरके कामोंके सिलसिलेमें अक्सर झगड़े होते रहते हैं।

इसलिए आप समझ सकते हैं कि आप अभी पूरे गांधीवादी नहीं बन सके हैं।

नहीं, पर बात यह है कि आपके सिद्धान्तोंमें हमारी अदृढ़ श्रद्धा है, और सिर्फ इसी अर्थमें मैंने उस शब्दका प्रयोग किया था।

१. देखिए परिशिष्ट ११।

२. देखिए पृ० २७६-७७।

पर अगर उस श्रद्धाके होते हुए भी, वे लोग झगड़ते हैं, तब यह कहना चाहिए कि उन्होंने अभी 'गांधीवाद' का 'क ख. ग' भी नहीं समझा है। वह श्रद्धा किस कामकी जो कार्यमें परिणत न की जाये ?

सत्य और अहिंसाका राग हम यो ही अलापते फिरें, और अपने दैनिक जीवनमें उससे दूर भागें, यह उचित नहीं है। गुहृत्वाकर्षणके सिद्धान्तको लीजिए। खोजके इसी सिद्धान्तपर आधारित अन्य सिद्धान्तोंकी खोज हुई। इसी तरह जबतक आप अहिंसाके सिद्धान्तके नये-नये अनुप्रयोगोंकी खोज नहीं करेंगे, तबतक आप उससे लाभ नहीं उठा सकेंगे। आपको उसे एक विज्ञानमें परिणत करना है। आपके आश्रममें रोज झगड़े होते रहते हैं, जिनके कारण शान्तिसे काम करना असम्भव या कठिन हो जाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ अहिंसापर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन आप यह खयाल लेकर मत जाइएगा कि सेर्गावमें हमारे यहाँ झगड़े वगैरह नहीं होते। हमारे यहाँ भी होते हैं, और यही कारण है कि मैंने यह कहा, मैं 'पूरा गांधीवादी' नहीं हूँ। लेकिन यदि मुझे सचमुच ऐसा जान पड़े कि इन झगड़ोसे सामुदायिक जीवन असम्भव हो जायेगा तो मैं इस संस्थाको बन्द कर दूँगा। यह कोई असम्भव बात नहीं है। यदि यह विचार मेरे दिलमें घर कर ले तो मैं अपने उस कर्त्तव्यसे मुँह नहीं मोड़ूँगा। तो मेरा मतलब यह है कि कठिनाइयाँ तो सभी जगह बहुत ज्यादा हैं। ईश्वर आपको, मुझे और हम सबको मार्ग दिखाये।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१०-१९३९

२८१. पत्र : हरिभाऊ जी० फाटकको

सेर्गाव,

१२ अक्तूबर, १९३९

प्रिय हरिभाऊ,

तुमने मुझे जो लिखा है सो लिखकर ठीक ही किया है। तात्याजीने^१ तुमसे जो-कुछ कहा वह तो पुरानी शिकायत है। मुझमें घमण्ड नहीं है। इस विषयमें मैं अपनेको दोषी नहीं मानता। मैं तो यह भी नहीं समझ पाया कि उनका इशारा किस ओर है। मुझे दावतें दिये जाने का यह भला क्या किस्सा है ? उनका तथा उनके मित्रोंका मन जीतने की मैंने बहुत कोशिश भी की है। साबरकरके घर मैं पैदल चलकर गया। उनका मन जीतने का मैंने विशेष रूपसे प्रयास किया, किन्तु असफल रहा।

१. सम्भवतः न० चि० केलकर। हिन्दू महासभाके अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकरके लिये भी इस आदरसूचक सम्बोधनका प्रयोग किया जाता था।

अब चूँकि तुमने मेरी बात सुन ली है, अब तुम्हीं मुझे बताओ कि उन लोगोको जीतने का मुझे कौन-सा जतन करना चाहिए।^१

तुम्हारी पुस्तक मिलते ही मैं उसे देख डालूँगा।

तुम्हारा,
बापू

अग्नेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २८०२)से, सौजन्य : हरिभाऊ जी० फाटक

२८२. पत्र : डॉ० विधानचन्द्र रायको

१२ अक्टूबर, १९३९

प्रिय डॉ० विधान,

आपके मनमें मेरे प्रति जो स्नेह है सो मैं जानता हूँ, किन्तु इस भारको वहन करने में अपने-आपको विलकुल असमर्थ अनुभव करता हूँ।^१ जवाहरलाल ही एक ऐसे गतिशील व्यक्ति है जो मेरा स्थान ग्रहण कर सकते हैं। उनके दृष्टिकोणका भेद स्वतः हलका पड़ जायेगा। लेकिन वे अपने नये विचारोके प्रवाहमें आप लोगोको अपने साथ ले जाते हैं तो उस दृष्टिकोण-भेदसे क्या फर्क पड़ता है? जवाहरलालसे ज्यादा साफदिल और ईमानदार व्यक्ति, जिसमें इतनी गतिशीलता हो, हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरा जो-कुछ उपयोग करना चाहें, उन्हीके माध्यमसे करे। अभीतक मैं समितिके माध्यमसे देशको प्रभावित करता रहा हूँ। अब मैं जवाहरलाल पर जितना प्रभाव डाल सकूँगा, उसीके अनुपातमें यह काम कर सकूँगा। है न?

[अग्नेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई

१. वि० दा० सावरकर, चिंमनलाल सीतलवाड़, कावसजी जहाँगीर, वी० पन० चन्दावरकर (उदारदलीय), न० चि० केलकर और डॉ० भीमराव रा० अम्बेडकरने कम्बईमें २ अक्टूबरको एक वक्तव्य निकाला था, जिसमें यह मत प्रकट किया गया था कि काँग्रेस और मुस्लिम लीग भारतकी समस्त या अधिकांश जनताका भी प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, और सरकार तथा काँग्रेस और मुस्लिम लीगके बीच होनेवाले किसी भी संवैधानिक या प्रशासनिक समझौतेको मानने के लिये भारतीय जनता बाध्य नहीं है।

२. डॉ० रायने आग्रह किया था कि गांधीजी काँग्रेसकी बागडोर स्वयं संभाल लें।

२८३. पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको

सेर्गाव, वर्षा

१२ अक्टूबर, १९३९

चि० कुँवरजी,

तुम्हारा पत्र मिला। यदि तुम्हारी तबीयत वहाँ ज्यादा ठीक रहती हो तो तुम्हारा वहाँ रहना अच्छा ही है। रामीको छुट्टी देने से अपने खाने-पीनेका क्या करोगे? यदि इसके लिए कुछ बन्दोबस्त किया जा सके तो रामीको जाने दे सकते हो। नागपुरमें सैनिटोरियम नहीं है, लेकिन क्षयरोगके डॉक्टर कुशल, अनुभवी और परमार्थी हैं। बालकोवा और मैथ्यूका इलाज भी जन्होंने ही किया था। तुम्हारे रहने की व्यवस्था वर्षा अर्थात् सेर्गावमें अथवा जहाँ मैं कहेया वहाँ होगी। इसलिए यदि वहाँ ठीक न लगे तो यहाँ चले आना। वहाँके डॉक्टरको जाँच कर लेने देना। यदि तुम यहाँ आओ तो रामीके आने की कोई जरूरत नहीं रह जाती।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-कल (एस० एन० ९७३०)से।

२८४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको^१

सेर्गाव

१३ अक्टूबर, १९३९

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने मौजूदा स्थितिपर अनी हाल में जो प्रस्ताव^१ पास किया है, वह मेरी समझमेंमें नरम और बुद्धिमत्तापूर्ण है। कांग्रेसने सरकारसे स्पष्ट घोषणा करने की जो माँग की है, उसे डुहराना उसके लिए लाजिमी था। इस प्रस्तावकी विशेषता यह है कि इसमें घोषणाके लिए समयकी कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव तीन-चौथाई बहुमतसे स्वीकृत हुआ था। आशा की जाती है कि इस परिस्थितिमें कांग्रेस जिस मित्र-भावसे काम ले रही है उसकी ब्रिटिश सरकार कद्र करेगी। यह भी आशा की जाती है कि भारतमें रहनेवाले

१. यह "नोट्स" (टिप्पणियाँ) शीर्षके अन्तर्गत "५० भाई० सी० सी० रिजोल्यूशन" (५० भा० कां० कमेटीका प्रस्ताव) उपशीर्षके से प्रकाशित हुआ था। वक्तव्य १४ अक्टूबरके आंग्ले क्रानिकल और हिन्दूमें भी प्रकाशित हुआ था।

२. देखिय परिशिष्ट ११।

यूरोपीय लोग इसमें कांग्रेसका साथ देंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मदद तो स्वयं कांग्रेसी ही कर सकते हैं। यदि वे ईमानदारीसे व्यवहार नहीं करेंगे तो बाहरी सहानुभूति और सहायतासे भी हमें कोई लाभ नहीं होनेवाला है। मैं देखता हूँ कि कुछ कांग्रेसी बहुत अधीर हो उठे हैं और युद्धके खिलाफ कुछ कर दिखाना चाहते हैं; क्योंकि उनका विचार है कि यह युद्ध साम्राज्यवादकी रक्षा करने के उद्देश्यसे लड़ा जा रहा है। मैं उनसे कह देना चाहूँगा कि यदि वे कांग्रेसके निर्णयका, जो किसी लोकतान्त्रिक सगठनके लिए निर्णय लेने के एकमात्र तरीके के अनुसार लिया गया है, विरोध करेंगे तो वे सामान्य उद्देश्यका अहित करेंगे। उन्हें जो कहना था वह वे अ० भा० का० क० के सम्मुख कह चुके। वे तबतक सीधी कार्रवाई नहीं कर सकते जबतक कार्यकारिणी अथवा अ० भा० का० क० कोई और निश्चय नहीं करती। ऐसे किसी भी संगठनपर भरोसा नहीं किया जा सकता जो अपने सदस्योंपर प्रभावकारी नियन्त्रण नहीं रख सकता। एक ऐसी सेनाकी कल्पना कीजिए जिसके सैनिक सदर मुकामके आदेशोंके विरुद्ध इस झूठे विश्वासके साथ कोई और कदम उठाते हैं कि ऐसा करके वे सामान्य उद्देश्यको आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी ऐसी कार्रवाईसे तो पराजय ही मिलेगी। इसलिए मैं कांग्रेसियोंसे विनयपूर्वक निवेदन करता हूँ कि ऐसे सफटके समय कोई भी ऐसी कार्रवाई न करें जिससे अनुशासनहीनता अथवा अवज्ञाकी गन्ध आती हो। उन्हें निश्चय ही यह समझ सकना चाहिए कि उनकी ऐसी कार्रवाईसे कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको आघात पहुँचेगा और उसका प्रभाव भी कम हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१०-१९३९

२८५. खांडके बारेमें एक भ्रम

श्री गजानन नायकका यह लेख, जिसमें यह दिखाया गया है कि खांड बनाने के लिए ईख और चुकन्दरकी अपेक्षा ताड़-खजूर कहीं बढकर हैं, चीनीके विशेषज्ञोंकी आलोचनाके लिए नीचे दिया जाता है:¹

खांड, अपने शुद्ध रूपमें, कार्बन, हाइड्रोजन और आक्सीजनकी बनी हुई होती है (का० १२, हा० २२, आ० ११)। इसलिए वह जमीनमें से किसी चीजको सोखती नहीं। लेकिन खांड बनाने के लिए आज मुख्यतः चुकन्दर और ईख, इन दो चीजोंकी खेती की जाती है, और जिस जमीनमें ये चीजें उगती हैं उसमें से अनेक तत्त्वोंको अपने विकासके लिए खींच लेती है। इसलिए इस

१. अ० भा० ग्रामोद्योग संघके शुद्ध-विभागके अध्यक्ष गजानन नायकके लेखसे केवल कुछ अंश ही यहाँ दिये जा रहे हैं।

काश्तके कारण जमीनका रस चूस लिया जाता है। इससे भी अधिक खराबी तो यह है कि आज यूरोपमें चुकन्दर और गरम देशोंमें ईखकी खेती जो जगह घेरती है, उसका उपयोग अन्न और घास-घारेके लिए हो सकता है, और होना चाहिए। . . .

लेकिन लोगोंकी खाई तो मिलनी ही चाहिए। ज्यादा अच्छी फसलके लायक जमीन इसमें फँसाये बगैर इसे प्राप्त करने का क्या कोई रास्ता है? हाँ, श्री डेवरी नामक एक विशेषज्ञने गिजेनकी कांग्रेसमें जो राय व्यक्त की उसके अनुसार ऐसा करना सम्भव है (बादस डिक्शनरी ऑफ इकनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया', खण्ड १, पृष्ठ ३०१-४)। वे कहते हैं कि ताड़के पेड़ जितनी खाई जरूरी है उतनी दे सकते हैं, क्योंकि ताड़के पेड़ ऐसी जमीनमें उगाये जा सकते हैं जिसपर यदि अनाज पैदा करने का प्रयत्न किया भी जाये तो विफल रहेगा।

गुड़के उद्योगके लिए ताड़-खजूरोंका क्या स्थान है, इसपर यह मत बहुत रोशनी डालता है। शराबबन्दीके कारण बेकार हो जानेवाले ताड़-छेदकोंको परोपकार-वृत्तिसे केवल रोजगार दिलाने के उपाय ढूँढ़ने की दृष्टिसे देखना गलत होगा। . . . राष्ट्रीय कृषिके सन्दर्भमें इसके विकासकी अपार सम्भावनाएँ हैं। . . .

एक ही खेतमें हर साल ईखकी खेती करनेमें कोई लाभ नहीं। उसमें एक साल ईख, तो दूसरे साल कोई अनाज उगाना पड़ता है। . . . ईखकी खेती हर साल करनी पड़ती है, जबकि ताड़-खजूर केवल एक बार उगाने से २० से लेकर ५० बरसतक खाई देता है। ईखके लिए बहुत खाद और नियमित पानीकी जरूरत पड़ती है, जबकि ताड़-खजूरोंके लिए न खाद की जरूरत है, न पानीकी। . . . ताड़-खजूरोंके पेड़ोंपर आँधी, बाढ़ या सूखेका कोई असर नहीं होता। और एक महत्त्वकी बात यह है कि ईखका गुड़ बनाने में मशीनोंके बने हुए औजारों—जैसे कोल्हू—की जरूरत पड़ती है, जबकि ताड़-गुड़ बनाने के सारे साधन गाँवोंमें प्राप्त हो सकते हैं, और ईखका गुड़ बनाने के साधनोंकी तुलनामें इनकी कीमत नगण्य होती है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३९

२८६. पत्र : अबुल कलाम आजादको

सेर्गाव, बर्धा
१४ अक्टूबर, १९३९

प्रिय मौलाना साहब,

हमें इस मामलेमें अपनी नीतिकी घोषणा कर देनी चाहिए या कुछ-न-कुछ करना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे. गांधी-नेहरू पत्रसं, १९३९, सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. यहाँ उल्लेख बिहार विधान-सभामें मुस्लिम स्वतंत्र पार्टीके नेता मुहम्मद यूनूसके ९ अक्टूबरके पत्रसे है, जिसमें उन्होंने लिखा था: “हिन्दू-मुस्लिम देवयके विषयपर आपके साथ हुए पत्र-व्यवहारके सिखसिखेमें मैं आपका ध्यान पुनः उनकी विषय-वस्तुकी ओर खींचता हूँ और यदि आप निम्नलिखित प्रश्नोंका निपटारा कर दें तो मेरे विचारमें अब समय आ गया है कि हम फौरन कुछ समझौता कर लें: (१.) प्रत्येक व्यक्तिको बिना किसी रोक-टोक और हस्तक्षेपके अपने अधिकारोंका उपयोग करने का हक प्राप्त होना चाहिए, बशर्ते कि वह इस ढंगसे हो जिससे कि उसके पड़ोसीकी मानवार्थकी आघात न पहुँचता हो। (इसके अन्तर्गत प्रत्येक जातिको सड़कोंपर जलझरना, ब्रिज या किसी अन्य प्रयोजनसे किसी भी पशुकी हत्या करने तथा मनपसन्द ढंगसे प्रार्थना करने के अधिकार प्राप्त होंगे)। (२.) अब चूँकि मुसलमानोंकी जनसंख्या बढ़कर समस्त भारतकी जनसंख्याकी लगभग एक-तिहाई हो गई है, इसलिये सारे केन्द्रीय विधान-सभकोंमें मुसलमानोंको भी एक-तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियोंमें भी उन्हें एक-तिहाई स्थान दिये जाने चाहिए। मेरे दिये हुए सुझावोंमें से ये कुछ एक हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्नपर गम्भीरतासे विचार करें, ताकि इसका तत्काल ही कोई समाधान ढूँढा जा सके। लगभग पिछले दो सालसे मैं आपको लिख रहा हूँ और अब अगर मैं साप्ताहिक निवेदन करूँ कि इस सिखसिखेमें जल्दी कार्रवाई करवायें—विशेषकर मौजूदा हालतको देखते हुए—तो आशा है आप इसे मेरी अधीरता नहीं मालेंगे।” देखिये अगला शीर्षक भी।

२८७. पत्र : मुहम्मद यूनसको

[१४ अक्तूबर, १९३९]^१

प्रिय मित्र,

आपसे मैं तंग आ जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह जरूर है कि मुझे तानाशाह-जैसे अधिकार प्राप्त नहीं है, लोग भले कुछ भी कहे। यह काम किसी एक व्यक्ति के करने का नहीं है। आपका पत्र मैं मौलाना अ० क० आजादको भेज रहा हूँ।

अंग्रेजीकी नकलसे : गांधी-नेहरू पेरस, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२८८. पत्र : एन० एस० हर्डीकरको

सेगांव, वर्धा (सी० पी०)

१४ अक्तूबर, १९३९

प्रिय डॉ० हर्डीकर,

मैं मैसूरवाले मित्रोंसे मिल चुका हूँ। दीवानके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। यदि कुछ नतीजा निकला तो तुम्हें सूचित करूँगा।^१

दिवाकरसे कहना कि फिलहाल मैसूर न जाये। आशा है, तुम बेहतर होगे।^१

हृदयसे तुम्हारा,

मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजीसे : एन० एस० हर्डीकर पेरस; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. पत्रमें मुहम्मद यूनसका पत्र अ० क० आजादको भेजने की जो बात कही गई है, उसके आधारपर तारीख तय की गई है; देखिए पिछला शीर्षक।

२. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० २७७ के अनुसार राज्य सरकार दीवान सर मिर्जा इस्माइल, बल्लभभाई पटेल तथा जे० बी० शुपलान्की वीच हुए १९३८ के समझौतेमें किये गये वादोंको पूरा करने में असफल रही थी। रियासत कांग्रेस जुग रहने को तैयार नहीं थी। तथापि संवर्षसे बचने के लिये हर सम्भव उपाय ढूँढ़ आजमा लेने के विचारसे रियासत कांग्रेसने दीवानसे सेंट करने का प्रयत्न किया, जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। सरकारके उत्तरकी प्रतीक्षामें ही सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी अन्तिम अवधि अर्थात् १ सितम्बर, १९३९ के बीच जाने पर आन्दोलन जारी कर दिया गया। देखिए पृ० ३१६-१७ भी।

३. देखिए “पत्र : एन० एस० हर्डीकरको”, पृ० ३१६-१७ भी, और “मैसूरके लोगोंको लिखे पत्रका अंश”, २४-११-१९३९।

२८९. पत्र : ए० ईश्वरनको'

सेगाँव, वर्षा
१४ अक्टूबर, १९३९

प्रिय मित्र,

मेरे विचारमें सबसे उत्तम उपयोग बुनियादी शिक्षाके लिए ही हो सकता है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७७८) से।

२९०. पत्र : ताताचारको

सेगाँव, वर्षा
१४ अक्टूबर, १९३९

प्रिय ताताचार,

सी० आर० कहते हैं कि "ताताचार मुझसे क्यों नहीं मिलते?" आप उनसे जरूर मिलें। लेकिन उनका ज्यादा समय न लें। जो काम वे नहीं कर सकते वह कोई और नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि कमसे-कम हरिजनोके मामलेमें मैं तो नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें सहना ही होगा। मैं 'हरिजन' में अगला कदम उठाने की बात तब करूँगा जब अंतरात्मा मुझे प्रेरित करेगी। यह आपके ९ तारीखके पत्रके जवाबमें है।

स्नेह।

अग्नेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

२. चित्तूर-स्थित कोचीन अध्यापक संघके कोषाध्यक्ष
३. देखिए "मामलेकी जाँच की जाये", पृ० १७४।

२९१. पत्र : सैयद फैजुल हसनको

सेगाँव

१४ अक्तूबर, १९३९

प्रिय सैयद साहब,

आपने मुझे लिखा, यह अच्छा ही किया। लेकिन मैं सुझाव दूँगा कि आप उस विभागके मन्त्रीको लिखिए। मैं मामलेको उनके पास भेजे बिना कुछ नहीं कर सकता।^१ और यह मैं संसदीय बोर्डके जरिये ही कर सकता हूँ। इसका वर्ष होगा समयकी वरवादी। क्या आप मेरा सुझाव स्वीकार करेंगे?

हृदयसे आपका,

सैयद फैजुल हसन साहब
अध्यक्ष, जिला मुस्लिम लीग
वालाघाट, म० प्र०

अंग्रेजीकी तकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

२९२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वघाँ

१४ अक्तूबर, १९३९

भाई वल्लभभाई,

यह पत्र पढ़कर^१ और इसके बारेमें जाँच करने के बाद पत्र-लेखकको उत्तर देना। मैंने उसे संक्षेपमें उत्तर दिया है कि वह मन्त्रीको लिखे। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसे मामलोंकी बहुत सूक्ष्मतासे जाँच करनी चाहिए।

कल किशोरलालने मुझे बताया कि तुमने कहा है कि वापूने हमें जवाहरलालको सौंप दिया है, अब वे जो कहेंगे सो हमें करना होगा? इसे तो मैं मजाक समझूँ न? मैंने तुम्हें किसीको नहीं सौंपा है। कल और परसों यहाँ रहनेवाले

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. सैयद फैजुल हसनका।

लोगोंके साथ खूब चर्चा हुई। यदि तुम सब अपनी स्वतन्त्रताका प्रयोग नहीं करोगे और इसकी जिम्मेदारी मुझपर डालोगे तो इससे काम नहीं चलेगा।

राजेन्द्रदावू कल चले गये?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो - २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३६

२९३. पत्र : रहमान जीवाभाईको

सेर्गाव, बर्घा

१४ अक्टूबर, १९३९

भाई रहमानजी,

आपका पत्र मिला। आप जो लिखते हैं उससे मुझे दुःख होता है, आश्चर्य नहीं। आजकल लोगोंके दिलोंमें परस्पर एक-दूसरेके प्रति इतना अविश्वास पैदा हो गया है कि हिन्दू अपरिचित मुसलमानको रखनेमें डरता है। यह भय अवश्य दूर होगा। आप हिम्मत मत हारिए।

मूदुलावहनसे मिलना। यह पत्र उन्हें दिखाता।

मो० क० गांधीकी दुआ

डाइवर रहमान जीवाभाई

खिलौना मार्केट

पानकोर नाका

अहमदाबाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६५४)से, सौजन्य मुलुभाई नौतमलाल

२९४. पत्र : कृष्णचन्द्रको

१४ अक्टूबर, १९३९

चि० कृ० चं०,

तुम्हारा लिखना शायद नहीं समझा हू। तुम्हारी जगह तो है ही। और क्या?

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३२८) से।

२९५. पत्र : इन्दिरा नेहरूको

सेर्गाव

१५ अक्टूबर, १९३९

प्रिय इन्दु,

मैंने तो समझा था तू मुझे बिलकुल ही भूल गई। लेकिन भगवान्‌का शुक है कि मेरा यह भय निराधार निकला। आशा है तू अच्छी होगी। तू वहाँ जो अनुभव प्राप्त कर रही है, उसके लिए मुझे तुझसे ईर्ष्या होती है।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९८०२) से; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२९६. पत्र : इन्दिरा नेहरूको

[१५ अक्टूबर, १९३९ के पश्चात्]^१

चि० इंदु,

शायद अब हिंदीमें लिखने का माहविरा छुट ही गया होगा। लेकिन मैं तो राष्ट्रभाषामें ही लिखूंगा।

तू पढ़ने के लिये गई है कि बीमार होने के लिये। प्लुरसी कैसे हुई? प्लुरसीके दुःखका मुझे अनुभव है। ईश्वर जल्दी अच्छा करे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९८०५) से; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. यूरोपमें

२. विद् नो रिग्रेट्स नामक पुस्तकमें कृष्णा हठीसिंहने लिखा है कि १९३९ की शरद ऋतुमें इन्दिरा नेहरू पैदल पात्रापर निकली थीं, लेकिन भीग जाने के कारण उन्हें ठंड लग गई, लित्के कारण उन्हें प्लुरिसी हो गई। ६ नवम्बर, १९३९ के पत्रमें जवाहरलालने इन्दिराको लिखा कि उन्हें [जवाहरलालको] “पगथा और मण्डारीका संयुक्त तार मिला है कि तुम [इन्दिरा नेहरू] यूरोप जा रही हो।” इन्दिरा नेहरू मिडिलसेक्स अस्पतालमें कुछ समय रहने के बाद लेसैं (लिट्ट्रुलैंड) चली गई थीं। देखिय पिछला शीर्षक और “पत्र : जवाहरलाल नेहरूको”, २५-२०-१९३९ भी।

२९७. टिप्पणियाँ

एक प्रश्न

एक अंग्रेज सज्जनने दीनबन्धु एन्ड्रयूजको एक पत्र लिखकर युद्ध-सम्बन्धी अपने विचार व्यक्त किये हैं। वे एक उत्कट शान्तिवादी हैं। दीनबन्धुने उक्त पत्र मेरे पास भेज दिया है। उसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं:

मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तानके लिए भी यह बहुत नाजुक समय है। जो खतरा मैं देखता हूँ वह यह है कि ब्रिटेन भारतको पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य या इससे मिलती-जुलती चीज देने का वादा कर देगा और उसके परिणामस्वरूप भारत भी एक सेना संगठित करेगा और सामरिक मनोवृत्तिका एक और राष्ट्र बड़ जायेगा। उस हालतमें भारत आज अहिंसा और आत्मशक्तिके मार्गकी स्पृहणीयताकी जो साक्षी वे रहा है उसमें दुनियाका विश्वास कम हो जायेगा।

अहिंसामें विश्वास रखनेवाले गांधीजी युद्धमें ब्रिटेनको भारतका सहयोग देने के लिए युद्धके उद्देश्योंके स्पष्टीकरणकी किस तरह माँग कर सकते हैं? जो एक काम वे कर सकते हैं और जो काम हम सबको करना चाहिए, वह यह है कि हमें स्त्रियों और पुरुषोंकी एक ऐसी सेनाका संगठन करना चाहिए जो प्रेम और क्षमाका व्रत ले लें और यह निश्चय कर लें कि हम सब हिंसा को सह लेंगे, किन्तु स्वयं कभी हिंसाका सहारा नहीं लेंगे। हमें इस व्रत पर अमल करके देखना चाहिए कि इसका हमारे दैनिक जीवनपर क्या प्रभाव पड़ता है और दूसरे समुदायों एवं राष्ट्रोंके प्रति हमारी मनोवृत्ति कैसे बदलती है। इसमें हमें अनुशासनपूर्वक और एक होकर संगठित रूपसे काम करने का गुण भी सीखना पड़ेगा। मैं इसमें बहुत जबरदस्त सम्भावनाएँ देखता हूँ।

भारत युद्धमें ब्रिटेनको मदद करे या न करे, लोकतन्त्र अपने-आपमें एक ऐसा उच्च सिद्धान्त है कि हम ब्रिटेनको इस बातपर राजी करने के लिए बेशक अपना पूरा प्रभाव डाल सकते हैं कि वह इसे स्वीकार करके भारतमें पूर्ण लोकतन्त्र लागू करे।

लेखकको जिस बातका भय है वह वास्तविक है। मैंने पिछले सप्ताह इसकी चर्चा भी की थी।' लेखकने मित्र-राष्ट्रोंके प्रति मेरी सहानुभूतिपर भी एतराज किया है। मैंने अहिंसापर पूर्ण श्रद्धा रखनेवाले व्यक्तिके नाते, बल्कि अपनी इस श्रद्धाके कारण

भी उनके साथ सहानुभूति प्रकट की है। हिंसा तो सभी प्रकारकी बुरी है और उसकी तीव्र निन्दा करनी चाहिए, यह मानते हुए भी अहिंसामें विश्वास रखनेवाले को इसकी इजाजत है उसका यह कर्त्तव्य है कि वह आक्रमणकारी और आत्म-रक्षकके बीचके भेदको समझे। जब वह इस भेदको समझ लेगा, तो वह आत्म-रक्षकके साथ अहिंसात्मक रहते हुए पूर्ण सहयोग करेगा अर्थात् वह आत्म-रक्षककी जान बचाने के लिए अपने प्राणतक दे देगा। उसका हस्तक्षेप आपसके द्वन्द्वको शायद शीघ्र समाप्त कर देगा और बहुत सम्भव है कि इस तरह वह दोनोंमें जल्दी ही सुलह करा देगा। इसी दलीलको हम वर्तमान युद्धपर इस तरह लागू कर सकते हैं। यदि कांग्रेस अहिंसात्मक तरीकोसे मित्र-राष्ट्रोंको पूरा सहयोग देती है, तो निःसन्देह कांग्रेसकी सहायतासे मित्र-राष्ट्रोंके उद्देश्यको ऊँचा नैतिक बल प्राप्त हो जायेगा। उस हालतमें कांग्रेसका प्रभाव शान्तिके लिए बहुत कारगर होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह देखना कांग्रेसका खास फर्ज होगा कि अगर युद्ध अंततक लड़ा जाता है तो कोई पराजित पक्षका किसी तरह मानभंग अथवा अपमान न करे। मैंने कांग्रेसके लिए इसी भूमिकाकी कल्पना की है। स्वतन्त्रताकी घोषणा अब आवश्यक हो गई है। जब यह सवाल उठा ही दिया गया है, तब अगर ब्रिटेन गुप्त रूपसे अपने साम्राज्यवादकी रक्षाके लिए युद्ध कर रहा है और दुनियाको घोखा देने के लिए वह प्रजातन्त्रकी रक्षाके उद्देश्यकी घोषणा कर रहा है, तो कांग्रेस उसकी किसी भी प्रकार सहायता नहीं कर सकती। यदि ब्रिटेन अपनेको सही दिखाना चाहता है, तो उसके लिए कांग्रेसकी क्या नीति है, इसकी परवाह किये बिना, अपने युद्धके उद्देश्यको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है।

सेर्गाव, १६ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१०-१९३९

२९८. बहुसंख्यक वर्गका कृत्रिम होना

यह देखकर सचमुच दुःख होता है कि कांग्रेसने जिस घोषणाकी माँग की है — और मैं कहूँगा कि सबके हितमें की है — उस घोषणाको रोकने के लिए ब्रिटिश अखबार और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अल्पसंख्यकोंके हितोंकी दुहाई दे रहे हैं। कांग्रेसने जो माँग रखी है, उसके वजनको अगर अच्छी तरह महसूस न किया गया तो वह घोषणा नहीं होगी। यदि ऐसी कोई घोषणा नहीं होती, तो कांग्रेसियोंको इससे निराश नहीं होना चाहिए। जब हम स्वतन्त्रताके पात्र बन जायेंगे, वह मिल जायेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार और अन्य मित्र-राष्ट्रोंने जिस ध्येयमें अपनी निष्ठा जाहिर की है, उसकी दृष्टिसे यह अच्छा होगा कि वे सहज विश्वासी दुनियाको अल्पसंख्यकोंके हितोंकी दलील देकर भुलावेमें न डालें। यह ईमानदारीकी बात होगी कि

१. देखिए परिशिष्ट १० और ११।

अंग्रेज कह दें, हम अभी और कुछ समयतक भारतपर अधिकार रखना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा स्वाभाविक ही होगी। भारतको उन्होने जीता है। अपने विजित देशको कोई तबतक नहीं छोड़ता, जबतक कि विजित लोग सफल विद्रोह नहीं करते या विवेक जाग्रत होने पर विजेता अपनी जीतपर स्वयं पछताने नहीं लगता अथवा विजित प्रदेशसे विजेताको किसी किस्मका भी लाभ होना बन्द नहीं हो जाता। मैंने उम्मीद की थी और अब भी कर रहा हूँ कि अंग्रेज — जो लड़ाईसे बहुत थके हुए हैं और वर्तमान युद्धमें होनेवाले उन्मादपूर्ण हत्याकाण्डसे ऊब गये हैं — हर बातमें और इसलिए भारतके सम्बन्धमें भी सम्पूर्ण ईमानदारीका परिचय देकर इस युद्धको जल्दीसे-जल्दी खत्म करना चाहेंगे। लेकिन वे अपनी ईमानदारी तबतक प्रमाणित नहीं कर सकते जबतक वे भारतको अपनी गुलामीमें जकड़े हुए हैं।

मैं जानता हूँ कि कुछ लोग मुझसे इस कारण रुष्ट हैं कि मैंने यह दावा किया है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्था है जो सम्पूर्ण भारतवासियोंका प्रतिनिधित्व कर सकती है। यह कोई दुरभिमानसे प्रेरित झूठा दावा नहीं है। कांग्रेस-विधानकी पहली धारामें ही यह स्पष्ट है। कांग्रेस समस्त भारतकी स्वतन्त्रता चाहती है और उसके लिए काम करती है। वह न अकेले बहुसंख्यकोकी प्रतिनिधि है, और न सिर्फ अल्पसंख्यकोकी। वह तो बिना किसी भेदभावके सबका प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है। इसलिए यदि स्वतन्त्रताका दावा स्वीकार कर लिया जाता है तो जो लोग इसका विरोध करते हैं, उनके विरोध का खयाल करने की जरूरत नहीं। जो लोग इस दावेका समर्थन करते हैं, वे कांग्रेसके इस दावेकी ताकत ही बढ़ाते हैं।

ब्रिटेन अबतक भारतपर गुलामी थोपे रखने के लिए दुनियाके सामने ऐसे हिन्दु-स्तानियोंकी दुहाई देता रहा है जो भारतमें ब्रिटेनको शासक और विभिन्न दावेदारोंके बीच पंच बनाये रखना चाहते हैं। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। सवाल तो यह है कि क्या ब्रिटेनके लिए यह उचित है कि वह भारतपर अपने कब्जेको वाजिब बताने के लिए हमारे आपसी झगड़ोकी दुहाई देता फिरे, अथवा उसके लिए यह उचित है कि वह अपनी भूलको महसूस करे और भारतपर खुद अपना शासन-विधान बनाने की जिम्मेवारी डालकर निर्विचल हो जाये?

और फिर ये अल्पसंख्यक वर्ग कौन हैं? उनमें से कुछ धार्मिक आधारपर, कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक आधारपर अल्पसंख्यक गिने जाते हैं: जैसे मुसलमान (धार्मिक), दलित वर्ग (सामाजिक), उदारवादी (राजनीतिक); देशी राजा (सामाजिक), ब्राह्मण (सामाजिक); अब्राह्मण (सामाजिक); लिगायत (सामाजिक); सिख (सामाजिक ?); ईसाई — प्रोटेस्टेंट और कैथलिक (धार्मिक); जैन (सामाजिक ?); जमींदार (राजनीतिक ?)। अखिल भारतीय शिया सम्मेलनके मन्त्रीका एक पत्र मेरे पास आया है, जिसमें शिया मुसलमानोंको एक अलग ही फिर्का मानने की माँग की गई है। इस अजीब गडबड़में बहुसंख्यक होने का दावा कौन कर सकता है? इस अभागे देशके दुर्भाग्यसे मुसलमान भी कई हिस्सोंमें बँटे हुए हैं और ईसाइयोंका

भी यही हाल है। और ऐसे प्रत्येक समूहको महत्त्व देना ब्रिटिश सरकारकी नीति रही है जो पर्याप्त मुखर और दूसरोंके लिए कुछ तकलीफदेह बन जाये। मैंने अल्पसंख्यकोंकी यह कोई मनगढ़न्त तस्वीर नहीं खींची है। यह विलकुल असली चित्र है। खुद कांग्रेसका इन सब समूहोंसे, जिनका मैंने जिक्र किया है, वास्ता पड़ा है। बल्कि मेरी सूची अभी पूरी नहीं है। यह तो केवल उदाहरण-मात्र है। इसे चाहे जितना लम्बा खींचा जा सकता है।

मैं जानता हूँ कि हिन्दुओंको बहुसंख्यक कहने का फैसला-सा चल पड़ा है। लेकिन हिन्दुत्व एक बहुत लचीला शब्द है, जिसकी निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती, और मुसलमानों या ईसाइयोंकी तरह हिन्दुओंका कोई ऐसा समाज नहीं है जो सर्वथा समजातीय हो। और यदि कोई व्यक्ति प्रान्तीय विधान-मण्डलोंमें बहुसंख्यकोंका विश्लेषण करे, तो वह देख सकता है कि बहुसंख्यक वर्ग तथाकथित अल्पसंख्यकोंका समूह ही है। दूसरे शब्दोंमें, और सचमुच भी, जहाँतक भारतका ताल्लुक है, यहाँ केवल राजनीतिक दल ही हो सकते हैं, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय नहीं। बहुसंख्यकोंके अत्याचारोंका शोर सर्वथा कृत्रिम शोर है।

राजेन्द्र बाबून जनाब जिन्ना साहबको कांग्रेस सरकारके खिलाफ मुस्लिम लीगकी शिकायतोंको एक पंच-अधिकरणके सुपुर्द करने की बात लिखी थी! मुझे सालूम हुआ है कि जिन्ना साहबने इसके जवाबमें लिखा है कि उन्होंने

यह सारा मामला वाइसराय और गवर्नर-जनरलके सामने पेश कर दिया है और उनसे इस मामलेको जल्दी हाथमें लेने की प्रार्थना की है, क्योंकि वाइसराय और प्रान्तोंके गवर्नरोंको विधानके मातहत यह अधिकार और जिम्मेवारी सौंपी गई है कि अल्पसंख्यकोंके अधिकारों एवं हितोंकी रक्षा करें।

अब यह सारा मामला वाइसराय महोदयके विचाराधीन है और वही एक ऐसे अधिकारी हैं जो हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं और उपाय कर सकते हैं, और उन प्रान्तोंके मुसलमानोंको पूर्ण सन्तोष और आश्वासन दे सकते हैं जिन प्रान्तोंका शासन-सूत्र आज कांग्रेसी मन्त्रियोंके हाथोंमें है।

यह दुर्भाग्यकी बात है कि जिन्ना साहबने राजेन्द्र बाबूके इस व्यक्ति-युक्त प्रस्तावको ठुकरा दिया। क्या यह मित्रताके बढ़ाये हुए हाथको ठुकराना नहीं है? कुछ भी हो, कांग्रेसी मन्त्रियोंके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंकी जाँच वाइसराय करें और उन पर अपना निर्णय दें, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वे शीघ्र ही जाँच करेंगे। मुसलमान अल्पसंख्यक माने जाते हैं या बहुसंख्यक, उनके तथा अन्य समुदायोंके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राज-

१. ५ अक्टूबर, १९३९ का

२. ६ अक्टूबर, १९३९ का

नीतिक अधिकारों और विशेषाधिकारोंकी पवित्र धरोहरकी भाँति इज्जत एवं रक्षा करनी चाहिए। और भारतकी स्वतन्त्रतासे इन अधिकारोंकी रक्षामें कोई अन्तर नहीं आयेगा। सच तो यह है कि उस समय इन अधिकारोंकी रक्षा और भी अच्छी तरह होगी, वह इसलिए भी कि जिस समय राष्ट्रके प्रतिनिधि स्वतन्त्रताका घोषणापत्र बनायेंगे उस समय मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों— वे वास्तविक हो या तथाकथित—की आवाज भी अवश्य सुनी जायेगी।

एक क्षणके लिए मान लीजिए अगर अंग्रेज अचानक ही यहाँसे चले जायें और यहाँ शासन करने के लिए कोई भी विदेशी आक्रान्ता न रहे, तो क्या होगा। यह कहा जा सकता है कि उस हालतमें पंजाबी, वे सिख हों, मुसलमान हों या कोई और सारे हिन्दुस्तानपर जबरन कब्जा कर लेंगे। यह भी बहुत सम्भव है कि गोरखे पंजाबियोंसे मिल जायें। यह भी कल्पना कर लीजिए कि गैर-पंजाबी मुसलमान पंजाबियोंके साथ भारतपर अधिकार करने के लिए मिल जाते हैं। तब कांग्रेसियोंकी, जो न्यायादातर हिन्दू हैं, स्थिति क्या होगी? यदि वे तब भी सच्चे अहिंसक रहें, तो उन्हें ये लड़ाके तग नहीं कर सकेंगे। कांग्रेसी इनके साथ मिलकर सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहेंगे, बल्कि इसके विपरीत यह कोशिश करेंगे कि अपने निःशस्त्र देशवासियोंका ये लड़ाके शोषण न करे। इसलिए यदि किसीको किसी अधिक शक्तिशाली वर्गसे अपने बचावके लिए ब्रिटिश संरक्षणकी आवश्यकता हो सकती है तो उन कांग्रेसियों और हिन्दुओं या उन अन्य लोगोंको ही हो सकती है जिनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। इसलिए सवाल यह नहीं रह जाता कि तादाद में कौन ज्यादा है, बल्कि यह हो जाता है कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इसका एक ही जवाब हो सकता है। जो लोग यह आवाज उठाते हैं कि अल्पसंख्यक खतरेमें हैं उन्हें तथाकथित बहुसंख्यकोंसे डरने की कतई जरूरत नहीं है। इनकी बहुसंख्या केवल कागजी बहुसंख्या है; फिर, यह कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकती, क्योंकि वह सैनिक दृष्टिसे बहुत कमजोर है। यद्यपि यह बात ऊपर से असत्य मालूम पड़ सकती है, किन्तु अक्षरशः सच है कि तथाकथित अल्पसंख्यकोंको जो थोड़ा-बहुत डर है भी, उसके लिए सिर्फ तबतक ही कुछ आधार है जबतक कि दुर्बल बहुसंख्याके पास प्रजातन्त्रका खेल खेलने के लिए ब्रिटिश शस्त्र-बलका सहारा है। लेकिन ब्रिटिश सत्ता जबतक चाहेगी, तबतक कभी एक पक्षका, और कभी दूसरे पक्षका— इन पक्षोंका नाम वह जो चाहे रखे—साथ देकर उन्हें कामयाबीके साथ आपसमें लड़ाती रहेगी। और यह जरूरी नहीं है कि इसमें ब्रिटिश बेईमानी ही करे। ईमानदारीके साथ वे यह विश्वास कर सकते हैं कि जबतक भारतमें इस तरह विभिन्न पक्ष एक-दूसरेके खिलाफ अपने दावे पेश करते रहते हैं, तबतक उनके बीच न्यायका सन्तुलन रखनेकी ईश्वरीय प्रेरणाके अनुसार उन्हें भारतमें रहना ही चाहिए। लेकिन यह मार्ग प्रजातन्त्रका नहीं है। यह तो फासिस्टवाद, नाजीवाद, बोल्शेविकवाद या साम्राज्यवाद—जिनमें से सबके-सब 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के सिद्धान्तके भिन्न रूप हैं—का मार्ग है। मैं तो हर हालतमें यह

आशा कर्हेगा कि यह युद्ध मूल्योंको बदल देगा। पर ऐसा तभी हो सकता है जब भारतको स्वतन्त्र मान लिया जाये, और वह स्वतन्त्र भारत राजनीतिक क्षेत्रमें विशुद्ध अहिंसाका परिचय दे।

सेगाँव, १६ अक्टूबर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, २१-१०-१९३९

२९९. मोरवीमें दुर्भिक्ष-निवारण-कार्य

रेटिया जयन्ती समारोहके दौरान राजकुमारी अमृतकौरकी मोरवी-यात्राके विषयमें वहाँके दीवान लिखते हैं :^१

महाराजा साहब पिछले कुछ सालोंसे गांधी-जयन्तीपर हरिजनों तथा खादीकी उन्नतिके लिए १०,००० रु० दिया करते हैं। कभी-कभी यह रकम आपको सीधे भेज दी जाती है, जैसा कि पिछले साल किया गया था, और कई बार यह रकम मोरवीमें ही हरिजनों और खादीकी उन्नतिके लिए खर्च की जाती है। . . .

इस साल दुर्भिक्षने हमें बहुत परेशान किया है। हमने बड़े पैमानेपर सहायता-कार्य शुरू किया है। . . . सारी रियासतमें सस्ते अनाज और चारेके भण्डार खोले गये हैं, जहाँ अनाज और चारा नकब दामपर और उधार दिया जा रहा है। . . . किसानोंको खाद्य-पदार्थ और चारा उधार दिया जा रहा है . . . और चारेकी फसल पैदा करने के लिए बीजोंकी खातिर कर्ज दिया जा रहा है। . . .

जहाँसे भी पानी मिल सकता है, वहाँ छोटे-छोटे पम्पिंग संयंत्र लगाकर सिंचाईकी सब तरहकी सुविधा दी जा रही है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दुर्भिक्ष-कष्ट-निवारणके लिए खहर-उत्पादनके रूपमें भी काम हो रहा है। दुर्भिक्ष-कष्ट-निवारण विभाग रूई खरीदता है और पिंजाई, कत्ताई और बुनाई आदि सब क्रियाओंके लिए लोगोंको उचित दरोंपर मजदूरी देता है। खहरका जितना भी उत्पादन होता है, वह सब रियासत ले लेती है। हमें आशा है कि इससे बहुत-से लोगोंको, जिनमें अधिकांश हरिजन हैं, उनके घरपर ही रोजगार मिल जायेगा।

इस साल मोरवी-नरेशने जरूरतमन्द लोगोंको १,००० रु० मूल्यका खहर बाँटने का निश्चय किया है। आजकलकी संकटापन्न स्थितिमें बहुत-से लोगोंको

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

मुफ्त बस्त्रोंकी सहायताकी जरूरत भी होगी। गांधी-जयन्तीपर मोरवी-नरेशका यह साधारण दान होगा। . . .

भंगी और भेषधार एक ही टंकीसे पानी लेना नहीं चाहते थे। अतः रियासतने तबतक के लिए टंकी बन्द कर दी, जबतक कि इनके आपसी झगड़े खत्म न हो जायें। वर्तमान संकटके इस समयमें उन लोगोंके आपसी झगड़े दूर हो गये हैं और अब वे एक ही टंकीसे पानी भरने को रजामन्द हो गये हैं।

इस साल रियासतने अपने निम्नश्रेणीके कर्मचारियोंके लिए, जिनमें हरिजन भी शामिल हैं, दो काम और किये हैं। पहला काम तो है बिना सूदके कर्ज देना और दूसरा है स्त्री-सेविकाओंको एक मासकी प्रसवकालीन सवेतन छुट्टी देना।

साधारणतः मुझे रियासतकी आलोचना ही करनी पड़ती है। इसलिए मोरवी राज्यमें किये गये दुमिक्ष-सहायता सम्बन्धी अच्छे कार्यका उल्लेख करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस संकटको दूर करने के लिए महाराजा साहब जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। खादीके बारेमें मैं यह सलाह देना चाहता हूँ कि अगर खादीको दुमिक्ष-संकटका स्थायी इलाज बनाना है, तो महाराजा साहब और वहाँकी प्रजाको अपने निजी एव घरेलू कामोंके लिए खदरका इस्तेमाल करना होगा। मोरवीमें उसकी जरूरतके लायक काफी रई पैदा होती है। वहाँके लोग अपनी जरूरतके मुताबिक खादी भी बना सकते हैं। खादीका अर्थ गरीब कर्तियोंको पर्याप्त वेतन देना है और इस कारण जितने मूल्यपर खादी बेची जानी चाहिए, यदि उतने मूल्यपर गरीब जनता खादी नहीं खरीद सकती, तो उसे खुद सूत कातना शुरू कर देना चाहिए। इस बारेमें श्री नारणदास गांधीने जो वार्षिक प्रयोग किये हैं, उनसे इस दिशामें बहुत सम्भावनाएँ प्रकट हुई हैं। लेकिन खादीके ये गुप्त गुण तबतक प्रकाशमें नहीं आ सकते, जबतक कि मोरवीके महाराजा साहब और मोरवीके निवासी खादीको दूर-दूरसे संरक्षण देने के बजाय स्वयं खादीसे प्रेम नहीं करने लगते और स्वयं खादी नहीं पहनने लग जाते। जब लोग अपने घरोंमें बिना अधिक पूंजी लगाये, बिना ज्यादा कोशिश किये खादी पैदा कर सकते हैं, तो मिलका सस्ता कपड़ा खरीदना एक आत्मघातपूर्ण नीति है।

सेर्गाव, १६ अक्तूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१०-१९३९

३००. बापा-जयन्ती

ठक्कर बापा आगामी २९ नवम्बर को ७० वर्षके हो जायेंगे। बापा हरिजनोके पिता हैं—और आदिवासियों और उन सबके भी, जो लगभग हरिजनोंकी ही कोटिके हैं, और जिनकी गणना अर्धसम्य जातियोंमें की जाती है। दिल्लीके हरिजन-निवासके वासियोंकी तजवीज इस प्रकार उनकी ७०वीं जयन्ती मनाने की है जिससे ठक्कर बापाके हृदयको आनन्द प्राप्त हो। ये लोग ठक्कर बापाके जन्म-दिवसपर, हरिजन-कार्यके निमित्त उन्हें ७,००० की एक छोटी-सी थैली भेंट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मेरा आशीर्वाद मांगा है और वे यह भी चाहते हैं कि उनके इस शुभ प्रयासको मैं प्रकाशमें ला दूं। पर मैंने तो उन्हें झिड़का है कि उनमें श्रद्धाकी कमी है। ठक्कर बापा एक विरले लोकसेवक हैं। वे वितत्र स्वभावके हैं। वे प्रशंसाके भूवे नहीं। अपने काममें ही उन्हें परिपूर्ण सन्तोष और विश्राम प्राप्त होता है। बृद्धावस्था उनके उत्साह को मन्द नहीं कर सकी है। वे स्वयं एक संस्था हैं। एक बार जब मैंने उनसे कहा कि वे थोड़ा आराम ले लें, तो तुरन्त उनका जवाब मिला, 'जब इतना अधिक काम करने को पड़ा है, तब मैं आराम कैसे ले सकता हूँ? मेरा काम ही मेरा आराम है। अपने जीवन-कार्यमें वे जिस प्रकार अपनी शक्ति लगा रहे हैं, उसे देखकर तो उनके आसपास रहनेवाले नवयुवक भी लज्जित हो जाते हैं। इतने महान् कार्यके लिए, और उच्च जनसेवकके लिए, वो अपने विद्याल कम्पोंपर इतना भारी भार वहन कर रहा है, ७,००० की थैली एक प्रकार का अपमान है। कार्यकर्त्ताओंका तो यह लक्ष्य होना चाहिए कि सारे हिन्दुस्तानसे ठे ७०,००० रुपये से कम तो किसी हालतमें इकट्ठे नहीं करेंगे। इस महान् उद्देश्य और उच्च उद्देश्यके जनकको देखते हुए यह ७०,००० रुपये की रकम भी कोई चीज नहीं है। लेकिन यह रकम एक महीनेमें इकट्ठी करनी है, इस दृष्टिसे यह ठीक ही है। क्या ही अच्छा हो कि हरिजनों और नीलोंसे भी पैसा-पाई इकट्ठा किया जा सके। अपने बापाको तो ये लोग जानते ही हैं। पर धनिक और नव्यन वर्गके लोग भी बापाको जानते और उनसे प्रेम करते हैं। मुझे इसमें कोई शंका नहीं कि हरिजन-कार्य तथा उसका प्रतिनिधित्व करनेवाले महान् लोकसेवक ठक्कर बापाके प्रीत्यर्थ वे उदारतापूर्वक पैसा देंगे। पैसा (१) हरिजन-निवास, किन्सवे, दिल्ली, (२) हरिजन आश्रम, साबरमती, या (३) सेगाँव बाया बवकि पतेपर भेजा जा सकता है।

सेगाँव, १६ अक्तूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१०-१९३९

३०१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूजको

सेर्गाव, वर्षा
१६ अक्तूबर, १९३९

प्रिय चाली,

आशा है, तुम्हें मेरा तार मिल गया होगा। और गम्भीरतासे सोचने पर यह स्पष्ट हो गया कि मुझे जल्दबाजीसे काम नहीं लेना चाहिए। इसलिए महादेवको नहीं भेज रहा हूँ। ईश्वर हम सबका मार्ग-दर्शन करेगा। तुमने तत्काल कलकत्ता न जाकर ठीक ही किया। इस समय जहाँ तुम बैठे हो, स्पष्ट ही तुम्हारा उचित स्थान वही है। हर तरहकी चिन्तासे [बचना]।^१

स्नेह।

मोहन

[पुनश्च]

अमृत कहती है कि "वहाँ" से तात्पर्य कलकत्तासे है। इसी कारण यह जोड़ दिया है।

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० १०२०३)से, सौजन्य विश्वभारती, शान्तिनिकेतन

३०२. होरेस अलेक्जेंडरको लिखे पत्रका अंश

सेर्गाव, वर्षा
१६ अक्तूबर, १९३९

प्रिय श्री अलेक्जेंडर,

. . . चूँकि बापू काममें बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपको पत्र लिखने का आदेश दिया है और यह भी बताने के लिए कहा है कि उन्हें आपका ३ तारीखका पत्र यथासमय मिल गया था। आपके कॉलेजके कर्मचारियोंने उन्हें जोशुआकामनाएँ भेजी हैं तदर्थ वे उनके कृतज्ञ हैं, और आप सबको अपना प्रेम भेजते हैं। . . .

हृदयसे आपकी,
अमृतकौर

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४३१) से।

१. साधन-द्वयमें मुख्य क्रिया पढ़ने में नहीं आती।

३०३. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगॉव, वर्षा
१६ अक्टूबर, १९३९

त्रि० नारणदास,

तुम्हारा लेख 'हरिजनबन्धु' में भेजा है। 'हरिजन' में मैंने जितना लिखा जा सकता है उतना लिखा है और अधिक सँवारने का समय नहीं मिला। जो पैसे मिले हैं उनका तुम किस तरहसे उपयोग करने की सलाह देते हो? मैं तुम्हारी दिक्कत समझता हूँ। जो अनिवार्य है उसे सहन करना ही होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से; सी० डब्ल्यू० ८५६७ से भी;
सौजन्य : नारणदास गांधी

३०४. मौन-दिवसकी टिप्पणी

[१६ अक्टूबर, १९३९ या उसके पश्चात्]

मेरा खयाल था कि तुम दैनिक हिसाब रख रहे हो। तुम्हें मेरा लेख ध्यानपूर्वक पढ़ जाना चाहिए। उसमें तुम्हें सभी शंकाओंका समाधान मिल जायेगा। बहुसंख्यक दल भी ब्रिटिश संगीनोंकी सहायताके बिना काम नहीं कर सकता। सारा आन्दोलन तथाकथित बहुमतको अधिकसे-अधिक देने पर मजबूर करने के लिए मचाई जा रही चीख-पुकार है।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२६३)से, सौजन्य : जयरामदास दौलतराम

१. नारणदास गांधीका "राजकोटमाँ रेंडिया जयंती" (राजकोटमें चरखा-जयन्ती) शीर्षक लेख २२-२०-१९३९ के हरिजनबन्धुमें प्रकाशित हुआ था।

२. देखिए खण्ड ६९, पृ० ४५८-५९।

३. गांधीजी द्वारा "लेख" के उल्लेख के आधारपर, जो सम्भवतः "बहुसंख्यक वर्गका कृत्रिम हौंवा", पृ० २८६-९० है।

३०५. टिप्पणियाँ

हिन्दू-मुस्लिम दंगे

अगर इस बातके सबूत की कोई जरूरत थी कि कांग्रेसकी अहिंसा वस्तुतः स्थगित या निष्क्रिय हिंसा थी, तो इसका सबूत हिन्दू-मुस्लिम दंगोंमें प्रदर्शित प्रभावकारी, हालाँकि विलकुल अनुशासनहीन हिंसाके रूपमें मिल जाता है। यदि खिलाफत आन्दोलनमें भाग लेनेवाले हजारों हिन्दू और मुसलमान सच्चे दिलसे अहिंसक रहे होते, तो वे आज एक-दूसरेके प्रति इतने हिंसापूर्ण न होते, जितने कि आजकल वे लगातार पाये जाते हैं। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो लोग इन दंगोंमें भाग लेते हैं वे कांग्रेसी नहीं हैं। यदि इन दंगोंमें भाग लेनेवाले लोगोंको गैर-कांग्रेसी करार दे दिया जाये, तो कांग्रेस जनसाधारणकी संस्था नहीं रह जायेगी। कारण, दंगोंमें भाग लेनेवाले लोग जनसाधारणके वीचसे ही आते हैं। इसके अलावा, हम कांग्रेसकी सभाओं में भी देखते हैं कि प्रतिस्पर्धी कांग्रेसी एक-दूसरेके विरुद्ध हिंसापर उतर आते हैं। कांग्रेसके चुनावोंमें प्रकट होनेवाली घोर अनुशासनहीनता और घोखेवाजी कांग्रेसमें विद्यमान हिंसाकी परिचायक है। इसलिए यह कहना कठिन है कि कोई कांग्रेसी अहिंसक है तो वह कौन है। यदि अहिंसक कांग्रेसी कांग्रेसमें बहुसंख्यामें होते और यदि हिन्दू-मुस्लिम दंगोंमें उन्होंने प्रभावकारी रीतिसे भाग लिया होता, तो वे इन दंगोंको बन्द कर सकते थे या कमसे-कम इन्हें बन्द करने की कोशिशमें अपनी जान दे सकते थे। यदि ज्यादातर कांग्रेसी सच्चे अहिंसक होते, तो मुसलमान भी यह मान जाते कि कांग्रेसियोंपर मुस्लिम-विरोधी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेसियोंके लिए इतना ही कहना काफी नहीं है कि उनको यत्न रख अपनाने का दोषी नहीं पाया गया है। हो सकता है, मैं कानूनी तौरपर खरा उतर पाऊँ, लेकिन अगर अहिंसाकी तराजूपर मेरे कामोंको तोला जाये, तो मैं बुरी तरह असफल भी निश्च हो सकता हूँ। लेकिन यह अहिंसा तो भूरवीर और दृढ़ लोगोंकी ही अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसाकी भावना आन्तरिक विश्वाससे अनुस्यूत होनी चाहिए। इसलिए मैंने यह कहने में कभी संकोच नहीं किया कि यदि हमारे हृदयोंमें हिंसा है, तो अपनी नपुंसकताको छिपाने के लिए अहिंसाका जामा पहनने की अपेक्षा हिंसक बने रहना ही अच्छा है। नपुंसकताकी अपेक्षा हिंसा हमेशा अच्छी है। हिंसकसे कभी अहिंसक बन जाने की आशा की जा सकती है, लेकिन किसी नपुंसकसे ऐसी आशा कभी नहीं की जा सकती।

अभी बहुत देर नहीं हुई

राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू, आचार्य कृपलानी, श्री भकरराव देव, डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष और श्री जयरामदास अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकके बाद दो-तीन दिन

यहाँ रहे थे। राजेन्द्र बाबूके सिवा सभीने बड़ी नम्रतासे यह शिकायत की कि उनके कार्योकी अहिंसाकी दृष्टिसे मैंने जो व्याख्या की उस सम्बन्धमें पूरी कार्य-समिति मेरे विरुद्ध थी और ऐसा कहकर मैंने उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि वे अवगत एक टीमकी तरह मिलकर काम करते रहे हैं। वे हुनेवा कार्य-समितिकी बैठकोंमें राजेन्द्र बाबू और सरदारका अनुसरण करते रहे हैं। उनके पक्षमें इतना तो कहना ही चाहिए कि उन्होंने धीरेसे मेरे कान में कहा कि अहिंसा-सम्बन्धी मेरी व्याख्यासे वे मुझसे सहमत थे। मैंने उनकी बातका प्रतिवाद करते हुए कहा कि इतना ही काफी ठही है; इस नायुक मौकेपर उन्हें अपने दिल्ली बात साफ-साफ कहनी चाहिए। लेकिन अपनी विनम्रताके कारण वे ऐसा नहीं कर सके।

लेकिन अगर उन्होंने अपना मत मेरी व्याख्याके पक्षमें दिया होता, तो वह उनके द्वारा प्रतिनिधिकी हैसियतसे नहीं, बल्कि व्यक्तिके नाते दिया गया ही माना होता। जैसा कि मैंने हिन्दू-मुस्लिम दंगोंके सम्बन्धमें अपनी टिप्पणीमें लिखा है- आम कांग्रेसजनोंके बारेमें यह दावा करना सम्भव नहीं है कि वे अहिंसक हैं। जो कांग्रेसजन अहिंसाको धर्म-रूप मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि इसका उपयोग जैसे हिन्दुस्तानकी रक्षा करने में जैसे ही हिन्दू-मुस्लिम समत्याको निबटाने में किया जाना चाहिए, उन्हें अहिंसाके 'कन्ध'से आरम्भ करना पड़ेगा और यह नालूम करना होगा कि कितने कांग्रेसी उनके साथ हैं। बहुत सम्भव है कि उन्हें कांग्रेससे अलग हो जाना पड़े और मेरी तरह बाहरसे कांग्रेसकी सेवा करते हुए उसके मानसको बदलना पड़े। नया रास्ता बहुत सीधा, लेकिन साथ ही कठिन भी है। यह उन इक्के-दुक्के शोधकोंकी अस्तियोसे पटा हुआ है जो इसपर चलते हुए मिट गये। वे रास्ता ढूँढे बिना मृत्युको प्राप्त हुए, किन्तु उनके मनको इस बातका सन्तोष था कि वे अपनी श्रद्धाके निमित्त जीये और उसीके निमित्त मरे। जब मैंने शान्ति-सेनाके गठनके बारेमें लिखा था तब उसके लिए एक कार्यक्रमकी रूप-रेखा तानने रखी थी। इन सेनाबाँकी जन्मते ही मृत्यु हो गई, किन्तु वह कार्यक्रम आज भी जीवित है। वह हिन्दू-मुस्लिम दंगों आदिको रोकते हुए मृत्युका चरण करने का कार्यक्रम है। यह हिंसाको रोकने के लिए मृत्युको गले लगाने का कार्यक्रम है। लेकिन ऐसे आत्म-घातमें यदि हृदय अशुद्धि और द्वेषसे मुक्त न हो तो वह अपराध ही माना जायेगा।

सेर्गाव, १७ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१०-१९३९

३०६. पत्र : नारणदास गांधीको

सेमाँव, वधवा
१७ अक्टूबर, १९३९

चि० नारणदास,

इसके साथ छगनलालका पत्र है। इसे पढ़कर अपना सुझाव लिखना। जो रकम इकट्ठी की गई है उसके बारेमें मुझे छगनलालका सुझाव ठीक लगता है। लेकिन तुम अपनी राय मुझे बताना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से। सी० डब्ल्यू० ८५६८ से भी;
सौजन्य : नारणदास गांधी

३०७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको^१

वाइसरायकी घोषणा^१ बड़ी ही निराशाजनक है। बेहतर होता कि ब्रिटिश सरकारने इस समय कोई घोषणा करने से इन्कार कर दिया होता। वाइसरायके लम्बे वक्तव्यसे केवल यही प्रकट होता है कि पुरानी नीति—‘फूट डालो और राज करो’—जारी रहेगी। जहाँतक मैं देख सकता हूँ कांग्रेस इस नीतिके अमलमें भागीदार नहीं बनेगी। इसी तरह हिटलरके साथ ब्रिटेनका जो युद्ध चल रहा है उसमें भी कांग्रेस की कल्पनाका भारत उसका साथ नहीं दे सकता। भारत-सम्बन्धी घोषणासे^१ यह साफ मालूम होता है कि यदि ब्रिटेनका बस चला तो भारतको लोकतन्त्र नहीं मिलनेवाला है। युद्धका अन्त होने पर एक और गोलमेज सम्मेलन बुलाने का वचन दिया गया है। पहले के गोलमेज सम्मेलनकी तरह उसका भी निष्फल होना निश्चित है। कांग्रेसने माँगी थी रोटी पर मिला जबाबमें पत्थर। मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि भारतके भाग्यमें क्या बदा है। मैं वाइसराय या ब्रिटेनके राजनेताओंको इस दुःखद परिणामके लिए दोष नहीं देता।

१. यह “नोट्स” (टिप्पणियाँ) शीर्षकके अन्तर्गत “डिसपॉइंटिंग” (निराशाजनक) उप-शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। वक्तव्य १८-१०-१९३९ के हिन्दूमें भी प्रकाशित हुआ था।

२. देखिय परिशिष्ट १२।

३. देखिय परिशिष्ट ८, १० और ११।

कांग्रेसको एक बार फिर सत्तासे अलग होकर साधनाका मार्ग अपनाना होगा। ऐसी साधनाके उपरान्त ही उसमें अपने लक्ष्यतक पहुँचने के लिए आवश्यक शक्ति और शुद्धि आयेगी। मुझे इसमें शक नहीं कि कांग्रेसजन कार्य-समितिके फँसलेका इन्तजार करेंगे।^१

सेर्गाव, १८ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१०-१९३९

३०८. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

सेर्गाव, वर्षा

१८ अक्टूबर, १९३९

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

अधिघोषणाकी^१ एक अग्रिम प्रति-सहित आपका कृपापूर्ण पत्र मिला, तदर्थ धन्यवाद। शायद यह लाजिमी था। मैंने अभी-अभी समाचारपत्रोंके लिए एक वक्तव्य^२ जारी किया है, जिसकी एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे : लॉर्ड लिनलिथगो पेपर्स; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. देखिए परिशिष्ट १३।

२. देखिए परिशिष्ट १२।

३. देखिए पिछला शीर्षक।

३०९. पत्र : एम० आर० मसानीको

सेर्गाव, वर्धा
१८ अक्तूबर, १९३९

प्रिय मसानी,

मैं तो सबका सहयोग चाहता हूँ। किन्तु सवाल यह है कि हमारा समझौता केवल सतही है या ठोस। वाइसरायकी घोषणासे^१ शीघ्र ही प्रकट हो जायेगा कि हमारी स्थिति क्या है?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१३१) से। सी० डब्ल्यू० ४८८९ से भी;
सौजन्य : एम० आर० मसानी

३१०. पत्र : गोविन्द वी० गुरजलेको^२

सेर्गाव, वर्धा
१८ अक्तूबर, १९३९

प्रिय मिश्र,

मुझे तुम्हारा तार मिला था और अब पत्र भी मिला है। आशा है, बैसा ही होगा जैसी तुम उम्मीद रखते हो।^३

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३८८) से।

१. देखिय परिशिष्ट १२।

२. देखिय पृ० २४३ भी।

३११. पत्र : हरिश्चन्द्रको

सेर्गाव, बर्धा
१८ अक्तूबर, १९३९

भाई हरिश्चन्द्र,

तुम्हारी शुभकामनाओंका पत्र मिला। आभारी हूँ।

मो० क० गांधी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५६७९) से।

३१२. पत्र : प्रभावतीको

सेर्गाव
१८ अक्तूबर, १९३९

चि० प्रभा,

मैं तो तुझे पत्र लिख चुका हूँ। क्यों नहीं मिला? जयप्रकाश उसके बाद आकर मुझसे मिल गया। यह तय हुआ है कि तुझे मेरे पास आना होगा। मैं तो तेरी राह देख ही रहा हूँ। सरस्वती त्रिवेन्द्रम चली गई है, और कान्ति भी जायेगा। राजकुमारी यहाँ आ गई है। विजया और शारदा यहीं हैं। शारदाको सातवाँ महीना है। राधा भी फिलहाल यहीं है, और कृष्णदास गांधी भी। वा आनन्द-पूर्वक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२९) से।

३१३. पत्र : सुरेन्द्र और मनुबहन मशरूवालाको

सेगाँव, वर्धा
१८ अक्तूबर, १९३९

चि० सुरेन्द्र और मनुडी,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। कुँवरजीके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है। यदि उसे वहाँ लाभ हो तो तबतक रुकने के लिए मैंने लिखा है।^१ नहीं तो यहाँ चला आये। नागपुरमें रहने की सुविधा नहीं है। डॉक्टर कुशल है। यदि वह आया तो उसके रहने का बन्दोबस्त मैं सेगाँव या वर्धामें कहीं-कहीं कलेंगा ही। उम्मीद है, मनुडी आनन्दपूर्वक होगी और अपनी सेहतका ध्यान रखती होगी। क्या वह पठनीय पुस्तकें पढती है?

बापूके आशीर्वाद

श्री सुरेन्द्र मशरूवाला

बालकिरण, साउथ एवेन्यू, सान्ताक्रूज

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २६७२) से, सौजन्य . मनुबहन सु० मशरूवाला

३१४. पत्र : कंचनबहन एम० शाहको

सेगाँव, वर्धा
१८ अक्तूबर, १९३९

चि० कंचन,

तेरा पत्र मिला। कौसी विचित्र लडकी है तू! पत्रमें तूने अपना पता सेगाँव लिखा है, लेकिन वहाँका पूरा पता तो दिया ही नहीं। मुन्नालाल से मैंने तेरा पता लिया। तू बीमार थी, यह भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ईश्वरको धन्यवाद कि तू कुशलपूर्वक वहाँ पहुँच गई। अब शान्तिपूर्वक रहना। मुझे बराबर पत्र लिखती रहना।

बापूके आशीर्वाद

श्री कंचनबहन

मारफत श्री भगनलाल कालिदास शाह

बालोड, बरास्ता मढ़ी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२९०) से। सी० डब्ल्यू० ७०६० से भी; सौजन्य . मुन्नालाल गं० शाह

१. देखिए पृ० २७६।

३१५. पत्र : नाजुकलाल एन० चोकसीको

तेर्गाँव, बर्धा

१८ अक्तूबर, १९३९

चि० नाजुकलाल,

बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। मोतीको^१ ठीक होना चाहिए। ईश्वर तो हिंसा-अहिंसासे ऊपर है। प्रह्लादकी अहिंसा तो अविदित रही। यदि सारा संसार अहिंसक बन जाये तो हिरण्यकशिपु वगैरह न हों। लेकिन अबतक ऐसा होता रहेगा, तबतक उस-जैसे और भी होते रहेंगे। ईश्वर हमेशा वैसीका उपयोग भी करता रहेगा, लेकिन इसीसे वे हिंसक नहीं रह जाते, ऐसा नहीं है। यह हम कैसे जान सकते हैं कि हिटलरका जन्म किसका संहार करने के लिए हुआ होगा? लेकिन हिटलरकी हिंसा कोई अहिंसा थोड़े ही कही जायेगी?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० १२१५३)से।

३१६. पत्र : बी० पी० रस्तोगीको^२

तेर्गाँव, बर्धा

१९ अक्तूबर, १९३९

प्रिय महोदय,

कृपया मुझे दीवानका नाम, उनकी तनख्वाह आदि लिखिए। आपका पेशा क्या है? क्या पहलेवाले तानाशाह जेलमें हैं? यदि हैं तो उनको कितनी सजा मिली है? ऐसे कितने लोग जेलमें हैं?

हृदयसे आपका,

अग्नेजीकी नकलसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

१. नाजुकलाल एन० चोकसीकी पत्नी

२. बी० पी० रस्तोगी पटौड़ी राज्य-प्रजामण्डलके संसुक्त नन्दी थे।

३१७. पत्र : कान्ति एन० पारेखको

सेर्गाव, वर्धा
१९ अक्टूबर, १९३९

चि० कान्ति,

तुने बहुत-सी प्रतिज्ञाएँ ली और कई तोबी। तुने जो अन्तिम प्रतिज्ञा ली है, ईश्वर तुझे उसे पूरा करने का बल दे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२७४)से।

३१८. पत्र : जयसुखलाल गांधीको

सेर्गाव, वर्धा
१९ अक्टूबर, १९३९

चि० जयसुखलाल,

महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मैं पढ़ गया। तुम्हारा किया हुआ काम कोई व्यर्थ थोड़े ही जायेगा? इसके लिए समाचारपत्रोंके द्वारा प्रचारकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा क्या करने का विचार है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से।

३१९. पत्र : कनु गांधीको

सेर्गाव,
१९ अक्टूबर, १९३९

चि० कनैयो,

तेरी बरसगाँठकी टिप्पणी मेरे सामने ही पड़ी है। ईश्वर करे तू दिन-प्रतिदिन तरक्की करे, शरीर और मनसे पुष्ट बने। तुझमें जहाँ जो खुरदरापन हो वह आवश्यकतानुसार घिसकर समान हो जाये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से।

३२०. पत्र : तारा जसाणीको

सेर्गाव, वर्धा
१९ अक्टूबर, १९३९

चि० तारा,

तूने भूल नहीं की है। चूँकि मैं महात्मा कहलाता हूँ इसलिए मेरी दो, बरसगाँठ होती है। इससे भी बड़े लोगोंकी तीन भी होती है। दो कैसे हुईं और तीन अथवा अधिक कैसे हो सकती हैं, इसका कारण तुझे खोज निकालना चाहिए और मुझे लिखना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती ताराबहन जसाणी

आनन्दकुंज

राजकोट, काठियावाड़

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९८३३)से; सौजन्य : ताराबहन प्रताप

३२१. भाषण : स्थानिक संस्थाओंके प्रतिनिधियोंके सम्मेलन, वर्धामें

[१९ अक्टूबर, १९३९]

आपने मुझसे यह सवाल पूछा, इसकी मुझे खुशी है। जवाबमें मेरा यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि प्रारम्भिक शिक्षाकी वर्तमान पद्धति देशकी आर्थिक उन्नतिका कोई खयाल किये बिना तैयार की गई थी। प्राथमिक शिक्षापर जो रकम खर्च की जाती है उसके बदलेमें राज्यको कुछ नहीं मिलता। शुक्लजी^१ जैसे कुछ इने-गिने शासन-संचालक हमें इस तथाकथित उच्च शिक्षाके फलस्वरूप मिल जाते हैं, यह

१. यह महादेव देसाईके लेख “सी० पी० लोकल बॉर्डोज गिव द लीड” (मध्य प्रान्तकी स्थानिक संस्थाओं द्वारा भाग-दर्शन)से लिया गया है। उन्होंने इसका प्रसंग समझाते हुए बिना है: “मध्य प्रान्त और वरारकी स्थानिक संस्थाओंके प्रतिनिधियोंकी एक समाने . . . गाधीजी को भाषण देनेके लिए आमन्त्रित किया। . . . गाधीजीने भाषण तो दिया लेकिन उसे एक सदस्य द्वारा पूछे गये एक सामान्य प्रश्नतक ही सीमित रखा। प्रश्न यह था कि गुनियादी ताछीमकी योजना देशकी आर्थिक और राष्ट्रनीतिक प्रगतिमें किस तरह सहायक होगी?”

२. हिन्दू, २०-१०-१९३९ से

३. मध्य प्रान्तके मुख्य मंत्री, रविशंकर शुक्ल, जिन्होंने प्रतिनिधियोंका स्वागत किया था।

प्राथमिक शिक्षापर होनेवाली बरबादीका कोई औचित्य नहीं है। इससे तो इस दयनीय मिथ्या धारणाका ही दुःखद दर्शन होता है कि हम हिन्दुस्तानका कारोबार अंग्रेजी डिग्रीधारी या अंग्रेजीका ज्ञान रखनेवाले लोगोंके बिना नहीं चला सकते। लोक-शिक्षा विभागके निदेशकोने यह स्वीकार किया है कि प्राथमिक शिक्षाकी वर्तमान पद्धति एक भारी बरबादी है, विद्यार्थियोंका एक बहुत छोटा-सा हिस्सा ही ऊँची कक्षाधीतक पहुँचता है, जो शिक्षा दी जाती है उसमें स्थायित्व-जैसा कुछ नहीं है, और यह शिक्षा जैसी भी है, विस्तृत ग्रामीण इलाकोंके एक छोटे-से हिस्सेतक ही उसकी पहुँच है। उदाहरणके लिए देखिए, मध्य प्रान्तके कितने कम गाँवोंमें ये प्राथमिक शालाएँ हैं? और गाँवोंमें जो थाड़ी-बहुत प्राथमिक शालाएँ हैं भी, उनमें शिक्षा पानेवालों से गाँवोंको किसी भी प्रकारका लाभ नहीं मिलता।

इसलिए आपने मुझसे जो सवाल पूछा, दरअसल वह उठता ही नहीं। लेकिन नयी योजनाके लिए ऐसा दावा किया जाता है कि वह आर्थिक दृष्टिसे मजबूत पायेपर कायम है, क्योंकि जो भी शिक्षा दी जायेगी वह दस्तकारियोंके द्वारा दी जायेगी। यहाँ बात शिक्षाके साथ कोई दस्तकारी सिखलाने की नहीं, बल्कि किसी दस्तकारीके द्वारा ही पूरी शिक्षा देने की है। इसलिए, मान लीजिए, कोई लड़का बुनाई द्वारा शिक्षा पाता है तो वह निश्चय ही उस बुनकरकी अपेक्षा अच्छा होगा जो सिर्फ कारीगर होता है और यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि बुनकर आर्थिक दृष्टिसे उपयोगी नहीं होता। यह बुनकर बुनाईके विविध औजारों और बुनाईकी सभी प्रक्रियाओंका जानकार होगा और पेशेवर बुनकरकी अपेक्षा माल भी अच्छा पैदा करेगा। पिछले कुछ महीनोंमें इस पद्धतिपर जैसा अमल होता रहा है उसके आर्थिक-परिणामोंका अध्ययन श्रीमती आशादेवी^१ द्वारा सगृहीत तथ्यों और आँकड़ोंसे करना बेहतर होगा। ये परिणाम हमारी आशासे बहुत अधिक हैं। स्वावलम्बी शिक्षासे मेरा मतलब यही है। जब मैंने स्वावलम्बी शब्दका प्रयोग किया तो मेरा मशा यह नहीं था कि उसपर लगाई जानेवाली सब रकम उसीसे निकल आयेगी, बल्कि मेरा अभिप्राय तो सिर्फ यह था कि विद्यार्थी जो चीजें तैयार करें, उनसे कमसे-कम अध्यापककी तनखाह तो निकल ही आयेगी। इस तरह, बुनियादी शिक्षा-पद्धतिका आर्थिक पहलू तो अपने-आपमें स्पष्ट है।

इसके बाद इसका दूसरा पहलू भी है, और वह है राष्ट्रीय जागृत्तिका। पता नहीं आपने ग्रामोद्योग-सम्बन्धी कुमारप्पा समितिकी रिपोर्ट^२ पढ़ी है या नहीं। प्रति व्यक्ति औसत आमदनीका परम्परागत अंक ७० रुपये है, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया है कि मध्य प्रान्तके गाँवोंमें प्रति व्यक्ति औसत आमदनी ज्यादासे-ज्यादा १२ से लेकर १४ रुपये प्रति वर्षतक ही है। बुनियादी तालीमके लिए कताई तथा अन्य ग्रामो-

१. आशादेवी आर्थनायकम, हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी मुख्य पत्रिका नई तालीमकी सम्पादिका। उनका लेख "कान्फ्रेंस ऑफ बैसिक एज्युकेशन" (बुनियादी तालीम सम्मेलन) हरिजनके ७-१०-१९३९ के अंकमें प्रकाशित हुआ था।

२. गांधीजी द्वारा लिखित रिपोर्टके सारांशके लिए देखिए पृ० ३८-४५।

घोगोंका इस प्रकार चुनाव किया गया है जिससे वे गाँववालों की आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। इसलिए जो लड़के ग्रामोघोगों द्वारा शिक्षा पायें उन्हें चाहिए कि वे अपनी शिक्षाका अपने घरोंमें जरूर प्रसार करें। अब आप देखेंगे कि गाँववालों की अतिरामदानी ग्रामोघोगोंका पुनरुद्धार करके आसानीसे दूनी की जा सकती है। अगर आप जनताके सेवक बन जायें और नयी पद्धतिमें सक्रिय दिलचस्पी लेने लें, तो जिला-बोर्डोंमें होनेवाले अनेक झगड़े-टंटे भी खत्म हो जायेंगे। जब मैं इस समय आ रहा था तो मुझे एक ऐसी शालाका पत्र मिला जिसमें बच्चोंने तीस दिनतक चार घंटे रोज कताई करके करीब ७५ रुपये कमाये। अगर तीस बच्चोंने एक महीनेमें ७५ रुपये कमाये, तो हिन्दुस्तानके प्राइमरी स्कूलोंके करोड़ों बच्चे कितना कमायेंगे, इसका हिसाब आप आसानीसे लगा सकते हैं।

और यह भी ख्याल कीजिए कि इन बच्चोंमें जो आत्म-विश्वास और उपाय-कुशलता पैदा होगी तथा साथ ही उन्हें इस बातका जो भान होगा कि वे देशकी आयमें वृद्धि करके असमान विभाजनकी समस्याको हल कर रहे हैं, उसका कितना भारी नतीजा होगा। इससे अपने-आप राजनीतिक जागृति आयेंगी। इन बच्चोंने मैं आशा कहेया कि इन्हें स्थानिक मामलोंके बारेमें सब बातें मालूम हों, हमारे बीच फँसे भ्रष्टाचारकी जानकारी हो; और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, यह मालूम हो। मैं चाहूँगा कि इस तरहकी राजनीतिक शिक्षा हमारे हरएक बच्चेको मिले। इससे उनके ऊँचा उठने में निस्सन्देह खूब मदद मिलेगी।

मैं समझता हूँ मैंने इस बातको अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षाकी इस पद्धतिसे देशकी आर्थिक और राजनीतिक उन्नति जरूर होगी।

यह कहने के बाद मैं आपसे एक प्रार्थना कहेगा। अब जब आप यहाँ आये हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस शिक्षा-पद्धतिका अध्ययन करें और शुक्लजी तथा आर्यनायकमजी को बतलायें कि आप यहाँसे इसके प्रति विश्वास लेकर जा रहे हैं या नहीं। मुझे तो निश्चय है कि अगर आप इसकी अच्छी तरह आजमाइश करेंगे, तो तीन महीनेके अन्दर ही आप यह सूचित कर सकेंगे कि आपने स्कूलोंमें नवजीवन पैदा करके बच्चोंमें नयी स्फूर्ति और नया जीवन भर दिया है। दीजको बढ़कर वृक्ष बनने में बरसों लग सकते हैं, लेकिन इस शिक्षाके जित चीजको आप दायेंगे उसका सीमित परिणाम कुछ महीनोंमें ही आप देख लेंगे। भारतीय जनताके सामने मैंने सबसे सादी चीजें रखी हैं—ऐसी सबसे सादी चीजें जो क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकती हैं—जैसे खादी, मद्यनिषेध, दस्तकारियोंका पुनरुद्धार और दस्तकारियों द्वारा शिक्षा। लेकिन जबतक आप मौजूदा शासनके नगसे मुक्त न हो जायें तबतक सादी बातें भी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी।

आप कुछ भी करें, पर अपने-आपको और हमें धोखा न दें। इसलिए अगर इस पद्धतिके प्रति आप उत्साहका अनुभव न करते हों तो मेहरवानी करके साफ-साफ ऐसा कह दीजिए।

दो शब्द पूंजीगत खर्चके बारेमें भी। जो पूंजीगत खर्च आप करेंगे, वह उस तरह बट्टेखाते नहीं जायेगा जैसे इमारतोपर किया खर्च बट्टेखाते जाता है। आपको ऐसे औजारो और सामानपर खर्च करना पड़ेगा जो बरसोंतक उत्पादनके लिए उपयोगी होगा। जिन चरखो, करघो और धुनकियोपर आप पैसा लगायेंगे वे विद्यार्थियोंके एकके-बाद-एक आनेवाले कई समूहोंके लिए उपयोगी होंगे। औद्योगीकरणमें बहुत अधिक पूंजी लगती है और टूट-फूट और घिसाईका खर्च बहुत भारी होता है। लेकिन मौजूदा योजनामें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुनियोजित ग्रामीण अर्थशास्त्रमें निस्सन्देह ऐसे किसी खर्चकी जरूरत भी नहीं पड़ती।

अन्तमें एक बात और। मैं चाहता हूँ कि हमारी राजनीतिक पद्धतिमें जिस रद्दोबदलकी सम्भावना है, उससे आप विचलित न हों। मन्त्रिमण्डल जैसे अस्तित्वमें आये थे वैसे ही जा भी सकते हैं। वे यह जानते-समझते हुए आये थे कि अवसर आया तो उन्हें यथासम्भव कमसे-कम समयकी पूर्व-सूचनापर जाना पड़ेगा। मन्त्री लोग यह जानते हैं कि प्रसंग आने पर उन्हें सचिवालयसे सीधे जेलको कूच करना पड़ेगा, और वे ऐसा बिना किसी पसोपेशके मुस्कराते हुए ही करेंगे। लेकिन आपके काम और कार्यक्रमका दारोमदार मन्त्रिमण्डलपर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आयोजित काम अगर ठोस बुनियादपर आधारित है तो चाहे जितने मन्त्रिमण्डल आये-जायें, वह कायम रहेगा। लेकिन यह अपने काममें आपकी आस्थापर निर्भर है। कांग्रेस जबतक सत्य और अहिंसाके अपने सिद्धान्तके प्रति सच्ची रहेगी, तबतक वह कायम रहेगी, उसका काम कायम रहेगा। मैंने कांग्रेसकी कड़ी आलोचना की है और निर्दयताके साथ उसकी कमियोपर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि इतने पर भी उसका जमा-बाकी काफी अच्छा है।

इस सबके अलावा, मुझे आपको यह भी बताना चाहिए कि हरएक बातका दारोमदार आपकी आस्था और सकल्पपर है। अगर आपमें चाह होगी तो राह आप निकाल लेंगे। अगर आप यह निश्चय कर लें कि इस योजनापर अमल करना ही है तो फिर हरएक कठिनाई दूर हो जायेगी। जरूरत सिर्फ इस बातकी है कि उसमें आपकी जीवन्त आस्था हो। हजारो आदमी कहते हैं कि ईश्वरमें उनका विश्वास है, लेकिन अगर वे जरा-से अँदोसेपर भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं तो उनका विश्वास सजीव नहीं, बल्कि निर्जीव विश्वास है। सजीव विश्वास होने पर आदमी अपनी योजनाको पार लगाने के लिए आवश्यक ज्ञान और साधन पा ही लेता है। मुझे इस बातकी खुशी है कि आपमें से हरएक व्यक्ति ऐसे विश्वासका दावा करता है। अगर बात सचमुच ऐसी ही है, तो आपका प्रान्त अन्य प्रान्तोंके सम्मुख एक सुन्दर उदाहरण पेश करेगा।¹

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१०-१९३९

२. महादेव देसाई आगे लिखते हैं कि "इसके बाद सदस्योंने कई वृत्तक विचार-विमर्श किया" और प्रस्ताव पास किये।

३२२. पत्र : रविशंकर शुक्लको

[१९ अक्तूबर, १९३०^१ या उसके पश्चात्]

भाई शुक्लजी,

हमारे संवादका जो विवरण आपने भेजा है वह सुधारने लायक नहीं है। मैंने थोड़ी सुधारणा की इससे आपको पता चलेगा। बहुत कम शोर्टहेन्ड राइटर हिन्दुस्तानमें हैं जो संवाद अच्छी तरह उतार लेते हैं। मेरे विचारोंका खयाल संक्षेपमें इसके साथ रखता हूँ। उसपर से शायद ज्यादा स्पष्टता हो जायगी। उसे आप छपवाना चाहें तो छपवा सकते हैं। उसका अनुवाद अंग्रेजीमें चाहिये तो वही करवा लीजिये। अगर मेरे तरफसे ही आपको वही चीख अंग्रेजीमें चाहिये तो भेज दूंगा। हिंदी उस हालतमें वापस कीजिये।

प्रधानजी के साथ उनकी और मेरी योजना के बारेमें जो संवाद हुआ था उसका नीचोड़ निम्नलिखित है :

प्रधानजी की योजना^१ मेरी योजनाके^२ साथ जुटाने के साथ कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों साथ-साथ अवश्य चल सकती हैं, लेकिन दोनोंका हेतु भिन्न-भिन्न है। प्रधानजी की योजनामें प्राथमिक शिक्षाके खर्चका बोझ प्रत्येक देहातपर डालने का है। और वह जमीनके दाम द्वारा। यह अगर हो सकता है तो अवश्य स्तुत्य है। लोगोमें अपने बच्चोंकी शिक्षामें एक प्रकारका रस पैदा होगा। इस तरह जमीनका टुकड़ा लेकर उसमें से प्रतिभास पंद्रह रूपयका लाभ उठाने की शक्यताके बारेमें मुझे शक है। तद्यपि कोई जमीनदार अपनी देहातोंमें काफी जमीन दे दे तो प्रयोग करने में कोई हानि नहीं हो सकती। सफलता मिलने से लाभ ही होगा। इस तरह खेतका लाभदायक उपयोग करनेवाले मनुष्य ज्यादा नहीं मिल सकेंगे। कृषि कॉलेजोंमें जो स्नातक होते हैं वे देहाती कामके लिये तैयार ही नहीं किये जाते हैं। इसलिए कृषि कॉलेजोंमें मिला हुआ ज्ञान देहातोंके लिये प्रायः निकम्मा-सा रहता है।

मेरी योजनाका हेतु शिक्षाका ही परिवर्तन करना है और उसका फल मुक्तके लिये और व्यक्तिके लिये आवश्यकताकी पूर्ति और स्वावलम्बन है। स्वावलम्बन शिक्षणकी पूर्णताकी परीक्षा भी है। इसलिए प्राथमिक पाठशाला चलाने के लिये कोई

१. पत्रमें रविशंकर शुक्लके साथ "वातचीत" के उल्लेखके आधारपर तारीख तय की गई है। उक्त वातचीत सम्भवतः स्थानिक संस्थाओंके प्रतिनिधियोंके सम्मेलनके दौरान हुई थी; देखिए पिछला शीर्षक।

२. विद्यामन्दिर योजना जिसका सूत्रपात रविशंकर शुक्लने किया था। योजनासे सम्बद्ध एक विवेक २ नवम्बर, १९३९ को मध्य प्रान्त विधान-सभामें पास किया गया था।

३. बुनियादी शिक्षा योजना।

दान भी दें तब भी मेरी योजनामें कोई फर्क नहीं हो सकता। और संक्षेपमें योजना यह है

प्राथमिक शिक्षा कोई एक उद्योग द्वारा ही होनी चाहिये। इसके बाहर शुद्ध शिक्षण और बच्चीका सर्वांगी विकास असभव है और ऐसा शिक्षण स्वावलम्बी होना ही चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रति वर्ग स्वावलम्बी रहेगा। लेकिन जो लड़का या लड़की उद्योगमय पाठशालामें सात वर्षतक अभ्यास करेंगे वे सात वर्षका खर्च उद्योगकी आमदनीमें से दे पावेंगे।

पत्रकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

३२३. पत्र : जी० ए० सुन्दरम्को

सेगाँव, वर्षा

२० अक्तूबर, १९३९

प्रिय सुन्दरम्,

अन्तरात्माने मुझसे कहा कि 'अभी नहीं'। अत जो पत्र भेजने का विचार था, वह नहीं भेजा गया।

स्नेह।

बापू

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१८३)से।

३२४. पत्र : कृष्णचन्द्रको

२० अक्तूबर, १९३९

चि० कृष्णचंद्र,

दा० लक्ष्मीपतिके पास जाओ। उनको सेवा चाहिये सो दे दो। खबर भेजो वे कैसे हैं।

बापू

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३२९)से।

३२५. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

सेर्गाव, वधा
२० अक्तूबर, १९३९

चि० ब्रजकृष्ण,

सट्टा और धराबमें मैं तो मुकाबला ही नहीं पाता हूँ। काफी धराबके व्यापारीबोसे मैंने दान लिया है। वेश्याबोंने भी दिया है। किसका पैसा छोड़ूँ और किसका लुं? हाँ, गौहर जानके रु० १२००० मैंने छोड़ा क्योंकि शर्त यह थी की मैं उल्का गान सुनने जाऊँ। लेकिन अलीभाई गये और पैसे लाये। कहो अब क्या किया जाय? धर्मकी कहानि अजीब है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

अगर बलवंतसिंह आ गये हैं तो कहो उनके दूसरे खत मिले है वहाँ की डेरीमें जाते होंगे। महादेवने उनको लिखा था।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४७२) से।

३२६. भेंट : 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिको'

सेर्गाव
[२० अक्तूबर. १९३९]

'टाइम्स ऑफ इंडिया' के सम्पादकीयमें गांधीजी से जो अपील की गई थी उसका उत्तर देने के लिए अनुरोध करने पर श्री गांधीने एक विशेष भेंटमें मुसे बताया कि वाइसरायके वक्तव्यका' चाहे जितना स्पष्टीकरण किया जाये अथवा कैफियत दी जाये, वह तबतक मंजूर नहीं होगा जबतक कांग्रेसकी वास्तविक मांगको

१. एक प्रसिद्ध मुस्लिम गायिका और उर्दू की कवयित्री
२. दिल्ली में
३. "एन इम्पॉर्टेंट इन्टरव्यू" (एक महत्त्वपूर्ण मुलाकात) शीर्षकसे प्रकाशित यह सेंट्रलार्क हरिजनने २१-१०-१९३९ के टाइम्स ऑफ इंडिया से वद्वृत की गई थी।
४. गांधी — १९१५-१९४८ : ए डिस्टिन्ड क्रॉनोर्लॉजीसे
५. १७ अक्तूबर का; देखिये पॉरशिष्ट १२।

स्वीकार नहीं किया जायेगा। ग्रेट ब्रिटेन भारतको सत्ता सौंपना चाहता है अथवा उसके लिए तैयार है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' में गांधीजी से की गई अपीलका सम्बन्ध, युद्धके अन्तमें भारतके प्रतिनिधियोंका जो सम्मेलन बुलाया जानेवाला है, उसकी विषय-वस्तु, प्राधिकार और कार्योंसे था।

पत्रमें वाइसरायके वक्तव्यके निम्नलिखित शब्दोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया था :

महामहिमकी सरकार यह स्वीकार करती है कि भारतकी भावी संघीय सरकार-सम्बन्धी योजनापर और भूतपूर्व भारत-मन्त्री' द्वारा सदनमें दिये गये उन आश्वासनोंको, जिनका मने अभी-अभी जिक्र किया है, कार्यान्वित करनेकी योजनापर जब फिर विचार आरम्भ किया जायेगा तब इस बात पर दुबारा गौर करना जरूरी होगा कि १९३५ के अधिनियममें जो योजना थी, बवली हुई परिस्थितियोंमें उसकी कौन-सी चीजें उपयुक्त रह गई हैं।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने इन शब्दोंका यह अर्थ लगाया था कि युद्धके अन्तमें जो सम्मेलन बुलाये जानेकी योजना है उसमें भारतको औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करनेके प्रश्नपर विचार किया जा सकेगा। पत्रने श्री गांधी और कांग्रेससे अनुरोध किया कि वे ऐसे सम्मेलनके महत्त्वको पहचानें और यदि उनके मनमें कोई सन्देह है तो वे उस सम्मेलनकी विषय-वस्तुके बारेमें अधिकृत स्पष्टीकरणकी मांग करें।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने जो शब्द उद्धृत किये थे उनके विषयमें श्री गांधीका विचार था : "वे इतने अस्पष्ट हैं कि उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। इनमें हर चीजको बड़ी खूबसूरतीके साथ अनिश्चित छोड़ दिया गया है।" उन्होंने आगे कहा :

कांग्रेस जो चाहती है वह यह कि हिन्दुस्तानके साथ एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें व्यवहार करना है, इस बातको स्पष्टतम शब्दोंमें स्वीकार किया जाये। कारण, भारत उत्साहके साथ इस युद्धमें भाग ले, इसके लिए जरूरी है कि उसके साथ ऐसे स्पष्ट शब्दोंमें बातकी जाये, जिनका कोई और अर्थ न निकलता हो।

कांग्रेस जो चाहती है उसे देना निश्चय ही बहुत आसान है; बशर्ते कि देनेकी इच्छा हो। वाइसरायकी घोषणामें मुझे उस इच्छाका अभाव दिखाई देता है।

और सम्मेलनमें कौन-कौन लोग भाग लेंगे? क्या वे लोग जिन्हें वाइसराय अथवा भारत-मन्त्री बुलायेंगे? उन्हें सच्चे अर्थोंमें प्रतिनिधि कैसे कहा जा सकता है?

सन्देहकी गुजाइश न रहने देनेके खयालसे कांग्रेसने यथासम्भव व्यापकतम मताधिकारके आधारपर चुने गये स्त्री-पुरुषोंकी प्रातिनिधिक सभाका सुझाव दिया था। इस सभाको कांग्रेसने स्वीकृत शब्दावलीमें सविधान-सभाकी सजा दी। भारतकी

स्वतन्त्रताकी इच्छा रखनेवाला कोई भी पक्ष इसका विरोध कैसे कर सकता है? क्या लोगोंको बुलाकर उनसे यह पूछना उचित है कि वे लोग स्वाधीनता चाहते हैं अथवा नहीं? क्या किसी गुलामसे उसकी आजादीकी वाछनीयताके सम्बन्धमें राय ली जानी चाहिए? हाँ, उसे किस तरह स्वतन्त्र किया जाना चाहिए, इस बारेमें उससे पूछा जा सकता है और यह काम संविधान-सभा कर सकती है। इस बातका निर्णय संविधान-सभा ही करेगी कि औपनिवेशिक दर्जा दिया जाय अथवा कुछ और। यह कम अथवा ज्यादा भी हो सकता है। जनताके प्रतिनिधियोंको स्वतन्त्रताके स्वरूप और विषय-वस्तुका निर्णय करने का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए।

यह देखकर आश्चर्य होता है कि अल्पसंख्यकोंको कांग्रेसके विरुद्ध कैसे पेश किया जा रहा है। निश्चय ही कांग्रेसका उनमें से-किसीसे कोई झगड़ा नहीं है। कांग्रेस हर अल्पसंख्यक समुदायके अधिकारोंकी तबतक रक्षा करेगी जबतक कि वह ऐसी माँग न करेगा जो भारतकी स्वाधीनतासे मेल न खाती हो। मुसलमानों, अनुसूचित जातियों और प्रत्येक वर्गके पूरे प्रतिनिधि विधान-सभामें रहेंगे और उन्हें अपने विशेष अधिकारोंके बारेमें स्वयं निर्णय करना होगा। देशी नरेशो और जमीदारोको भी डरने की जरूरत नहीं होगी, यदि वे लोग जनताके प्रतिनिधि बनकर संविधान-सभामें आयें। स्वाधीन भारत जनताके सच्चे हितोंके विरुद्ध पड़नेवाले किसी भी हितको सहन नहीं करेगा, चाहे वह हित मुसलमानों, अनुसूचित जातियो, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों, सिखों, ब्राह्मणों, ब्राह्मणेश्वर लोगों या किन्हीं और से सम्बद्ध हो।

लेकिन मैं न तो वाइसरायको दोष देता हूँ और न ब्रिटिश युद्ध-मन्त्रिमण्डल को। स्वतन्त्रता अंग्रेजों अथवा किसी और की दयापर निर्भर नहीं करेगी। वह तो तभी मिलेगी जब लोग उसके लिए तैयार हो जायेंगे। स्पष्टतः ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि भारतके लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस अथवा किसी भी संगठनको, जो लाखों लोगोंका प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करता है, इसके लिए शक्ति और साधनका सचय करना होगा।

श्री गांधीने कहा कि मुझे आशा थी कि यूरोपीय संघर्षके अपने कटु अनुभव से ब्रिटिश राजनीतिज्ञ बदल गये होंगे; लेकिन फिलहाल मेरी यह आशा चकनाचूर हो गई है।

श्री गांधीने आगे कहा कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को अपनी अपील सीधे अंग्रेजोंसे करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि ब्रिटेनने जिन युद्ध-उद्देश्योंकी घोषणा की है उनके अनुरूप वे भारतके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करें। श्री गांधीने इस बातपर दुःख व्यक्त किया कि जो सभाचारपत्र अबतक अधिकारियोंसे यह कहता आया है कि वे ज़वारतासे काम लें, उसका आज एकाएक रवैया ही बदल गया है। पत्र भूतकालमें जो माँग करता रहा है, उनको ध्यानमें रखकर अगर देखा जाये तो वाइसरायके वक्तव्यमें कुछ भी भंजूर नहीं किया गया है। तथापि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने उसकी प्रशंसा ही की।

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के सम्पादकीयमें श्री गांधीजी जो व्यक्तिगत रूपसे चर्चा की गई है, उसका उत्तर देते हुए उन्होंने वक्तव्यको समाप्त किया। उन्होंने इस बातसे इन्कार किया कि उनके आचरणमें कोई असंगति रही है अथवा वे अपने पहलेके उन वक्तव्योंसे अलग हट गये हैं जिनमें उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांसके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि अब भी मेरे वही विचार हैं। लेकिन अब चूंकि यह प्रश्न उठा दिया गया है, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि इंग्लैंड उसपर विचार करेगा और सन्तोषजनक उत्तर देगा।

मैंने कांग्रेसको जो सलाह दी है उसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपनी स्वाधीनताकी अवहेलना करके मित्र-राष्ट्रोंका समर्थन करे। भारतको ब्रिटेनके रथ-चक्रमें बांधे जाने की कार्रवाईमें मैं शरीक नहीं होऊंगा। मेरी भगवान्से अब भी यही प्रार्थना है कि इस युद्धमें न केवल ब्रिटेन और फ्रान्स ही विजयी हों, बल्कि जर्मनीका भी नाश न हो।

जिस तरह मैं यह नहीं चाहता कि यूरोपीय राष्ट्र अपनी आजादीका महल भारतकी आजादीके भग्नावशेषोंपर खड़ा करें उसी तरह मेरे मनमें ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भारतकी आजादीकी इमारतका निर्माण इन युद्धरत राष्ट्रोंमें से किसी की भी राखपर किया जाये।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१०-१९३९

३२७. क्या मैं ईश्वरका दूत हूँ ?

एक मुसलमान मित्रने मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। वह कुछ काट-छाँटकर नीचे दिया जा रहा है

आपके सही ढंगसे सोचने के रास्तेकी मुख्य कठिनाई यह है कि आपने अपने जो सिद्धान्त खुद गढ़ लिये हैं, उन्हींके प्रकाशमें आप सदा हरएक चीजको देखते हैं और उन्हींके अनुसार उनकी व्याख्या करते हैं और इस तरह आपका हृदय इतना कठोर हो गया है कि आप किसी चीजको खुले दिमागसे देख ही नहीं सकते, चाहे वह कितनी ही महत्त्वकी क्यों न हो।

अगर ईश्वरने आपको अपना दूत नियुक्त नहीं किया है, तो यह दावा नहीं किया जा सकता कि आप जो-कुछ कहते हैं या जो शिक्षा देते हैं, वह ईश्वरका वचन है। पैगम्बरोंकी सीख और ऊँचे आध्यात्मिक महत्त्वके सिद्धान्तोंके रूपमें सत्य और अहिंसाकी सच्चाईका कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता। लेकिन

उनकी सच्ची समझ और सही अमल तो सिर्फ उसीके बसकी बात है जिसका परमात्मासे सीधा सम्बन्ध हो। महंज अपने शरीरकी कामनाओं और भूखका दमन करके अपनी आत्माको थोड़ा निखार लेनेवाला कोई व्यक्ति पैगम्बर नहीं हो जाया करता।

आप अपनेको जगत्का गुरु मानते हैं; आप यह दावा करते हैं कि आपने उस बीमारीको जान लिया है, जिससे संसार पीड़ित है; आप यह भी एलान करते हैं कि आपका पसन्द किया हुआ और आपके द्वारा आचरित सत्य, तथा आपके द्वारा प्रतीत और प्रयुक्त अहिंसा ही पीड़ित संसारके सच्चे उपचार हैं। आपकी इन बातोंसे सत्यके प्रति आपकी उपेक्षा और भ्रम प्रकट होता है। आप यह स्वीकार करते हैं कि आप गलतियाँ करते हैं। आपकी अहिंसा दरअसल छिपी हुई हिंसा है, क्योंकि उसका आधार सच्चा आध्यात्मिक जीवन नहीं है और न वह सच्ची ईश्वरीय प्रेरणाका नमूना है।

एक सच्चे मोमिनके नाते और इस्लामकी इस शिक्षाके अनुसार कि हरएक मुसलमानको प्रत्येक मनुष्यतक सत्यका सन्देश पहुँचाना चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप अपने मनको सब तरहकी प्रीतियोंसे मुक्त कर लीजिए, अपनेको एक ऐसे साधारण मनुष्यकी स्थितिमें समझिए जो सिखाना नहीं, सीखना चाहता है, और इस तरह आप सत्यके असली शोधक बन जाइए।

आप अगर सचमुच सत्यकी तलाश करना चाहते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप 'कुरान' पढ़ें और शिबली नोमानी और मौलाना सुलेमान नदवीकी लिखी हजरत मुहम्मद (स्वल्लहा हो अल्लैही वस्सलम) की जीवनी बिलकुल खुले हृदयसे पढ़ें।

हिन्दुस्तानमें रहनेवाले विभिन्न सम्प्रदायोंकी एकताके सवालपर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रके रूपमें ये सब सम्प्रदाय कभी संगठित नहीं हो सकते। एक-दूसरेके धर्म और आचार-विचारके प्रति उदारतापूर्ण सहिष्णुता और ऐसे समझौतेसे ही हिन्दुस्तानमें शान्ति-सुलह कायम हो सकती है जिसमें मुसलमानोंको एक राष्ट्रके रूपमें स्वीकार किया जाये, उनका मार्गदर्शन करनेवाली उनकी अपनी सम्पूर्ण जीवन संहिता और उनकी संस्कृतिको अक्षुण्ण स्थिति प्रदान की जाये और राजनीतिक जीवनमें उन्हें समान दर्जा दिया जाये। पत्र-लेखककी एक भी दलील मैंने नहीं छोड़ी है।

मैंने अपने दिलको कठोर नहीं बनाया है। मैंने सिवा उस अर्थमें, जिसमें सभी मानवप्राणी ईश्वरके दूत हैं, कभी यह दावा नहीं किया कि मैं वैसा हूँ। मैं एक मर्त्य मनुष्य हूँ और किसी भी दूसरे आदमीकी तरह गलती कर सकता हूँ। मैंने कभी गुरु होने का दावा भी नहीं किया है। लेकिन मैं प्रशंसकोंको ठीक उसी तरह मुझे गुरु या महात्मा कहने से नहीं रोक सकता, जिस तरह मैं अपने निन्दकोंको

सब तरहकी गालियाँ देने और मुझे ऐसी-ऐसी बुराइयोंका दोषी बताने से नहीं रोक सकता जो मुझमें कतई नहीं हैं। मैं तो स्तुति और निन्दा, दोनोंको सर्वशक्तिमान् परमात्माके चरणोंमें अर्पित कर अपने मार्गपर बढा चला जाता हूँ।

मैं अपने पत्र-लेखकको, जो एक हाई स्कूलमें मास्टर है, बता दूँ कि मैंने उनके द्वारा उल्लिखित तथा इस्लाम-सम्बन्धी अन्य कई पुस्तकें श्रद्धापूर्वक पढ़ी हैं। मैंने 'कुरान'को कई बार पढा है। मेरा धर्म मुझे इस योग्य बनाता है, बल्कि मेरा यह कर्तव्य बना देता है कि संसारके सभी महान् धर्मोंमें जो भी अच्छाई है, उसे मैं ग्रहण करूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस्लामके पैगम्बर या अन्य किसी पैगम्बरके सन्देशका उक्त पत्र-लेखक जो अर्थ लगायें, उसीको मैं स्वीकार कर लूँ। जो सीमित बुद्धि परमात्माने मुझे दी है, उसका प्रयोग मुझे संसारके पैगम्बरों द्वारा मानव-जातिको दी गई शिक्षाका अर्थ समझने के लिए अवश्य करना चाहिए। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि पत्र-लेखक इस बातसे सहमत है कि पाक 'कुरान' भी सत्य और अहिंसाकी शिक्षा देता है। इसमें कोई शक नहीं कि परमात्माने जो बुद्धि हमें दी है, उसके अनुसार इन सिद्धान्तोंको अमलमें लाना उक्त पत्र-लेखकका और हममें से प्रत्येकका काम है।

पत्रके आखिरी अनुच्छेदमें एक बहुत खतरनाक सिद्धान्त पेश किया गया है। हिन्दुस्तान एक राष्ट्र क्यों नहीं है ? क्या यह — उदाहरणके लिए — मुगल-कालमें एक राष्ट्र नहीं था ? क्या भारत दो राष्ट्रोंको मिलाकर बना है ? यदि ऐसा ही है, तो केवल दो से ही मिलकर क्यों ? क्या ईसाई तीसरा, पारसी चौथा, और इसी तरह हर सम्प्रदायके लोगोंका अलग राष्ट्र नहीं है ? क्या चीनके मुसलमान अन्य चीनियोंसे पृथक् राष्ट्रीयता रखते हैं ? क्या इंग्लैंडके मुसलमान दूसरे अंग्रेजोंसे पृथक् हैं ? पजाबके मुसलमान हिन्दुओं और सिखोंसे किस प्रकार भिन्न हैं ? क्या वे सब एक ही पानी पीनेवाले, एक हवामें साँस लेनेवाले और एक ही जमीनसे पोषण पानेवाले पजाबी नहीं हैं ? वहाँ उन्हें अपने-अपने धार्मिक आचरणसे रोकनेवाली कौन-सी बात है ? क्या संसार-भरके मुसलमान एक पृथक् राष्ट्र हैं ? या अन्यो से भिन्न सिर्फ हिन्दुस्तानके ही मुसलमान एक पृथक् राष्ट्र हैं ? क्या भारत को दो टुकड़ोंमें — मुसलमानों और गैर-मुस्लिमोंमें — बाँटना है ? यदि ऐसा ही हो तो हिन्दू-प्रधान गाँवोंमें रहनेवाले मुट्ठी-भर मुसलमानों या इसके विपरीत सीमा-प्रान्त और सिन्ध-जैसे क्षेत्रोंके मुस्लिम-प्रधान गाँवोंमें रहनेवाले मुट्ठी-भर हिन्दुओंका क्या होगा ? पत्र-लेखकने जो मार्ग सुझाया है, वह लडाईका मार्ग है। जीयो और जीने दो या पारस्परिक क्षमा और सहिष्णुता जीवनका नियम है। यही शिक्षा है जो मैंने 'कुरान' से पाई है, 'बाइबल' से पाई है, 'जेन्द अवेस्ता' और 'गीता' से पाई है।

सेगाँव, २१ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१०-१९३९

३२८. तार : पत्तम ताणु पिल्लैको'

२१ अक्टूबर, १९३९

दीवानसे पूछे बिना प्रकाशित नही करना चाहिए। तुम उनसे पूछो अन्यथा मैं [उन्हें] लिख सकता हूँ।

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३२९. पत्र : एन० एस० हर्डीकरको

सेर्गाव

२१ अक्टूबर, १९३९

प्रिय डॉ० हर्डीकर,

मैसूरसे कई सज्जन यहाँ आ चुके हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि आप लोगोंमें से जिन्होंने अबतक मैसूरके कार्यकर्ताओंका मार्ग-दर्शन किया है, उनकी सहमति लिये बिना मैं कुछ नहीं करूँगा।

रामदुर्गमें जो हो रहा है वह बहुत खेदजनक है। मैं तो कष्टको चुपचाप सहन करने की ही राय दे सकता हूँ।^१ यदि किसी भी प्रकारकी बदलेकी कार्रवाई नहीं की जाती है—यहाँ तक कि अखबारोंके जरिये भी कोई जवाब नहीं दिया जाता, तो वह फर्जी आन्दोलन अपने-आप समाप्त हो जायेगा। इसमें यह बात तो आ ही जाती है कि जो हिंसा हो, हमेशा झूठी बुराई करनेवालो की ओरसे ही हो। आपको अपने अनुयायियोंको अहिंसाकी कला सिखानी है। इसके निमित्त सबसे पहले

१. यह तार पत्तम ताणु पिल्लैके २१ अक्टूबरके उस तारके उत्तरमें था, जिसमें उन्होंने दीवानके साथ हुई गांधीजीकी बातचीतसे सम्बन्धित पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करनेके कार्य-समितिके निर्णयके बारेमें गांधीजीको सूचित किया था और उसके प्रकाशनकी अनुमति माँगी थी।

२. अपने १८ अक्टूबरके पत्रमें हर्डीकरने लिखा था: "जिन लोगोंने न्यायभूति डाबरके खिलाफ गवाही दी थी, उनके खिलाफ लोगोंमें विधाक्त प्रचार किया गया है। उसका लक्ष्य श्री शंकरराव देव, गंगाधरराव देसायण्डे, रं० रा० दिवाकर, पच० एस० कौजल्यीको और मुझे बनाया गया है।... यदि इस स्थितिपर काबू नहीं किया गया, तो हिंसा अवश्य बढ़क उठेगी।"

आपके दिलमें सभी परिस्थितियोंमें अहिंसाकी कार्य-साधक शक्तिमें जीवन्त आस्था होना आवश्यक है।^१

हृदयसे आपका,
मौ० क० गांधी

मूल अंग्रेजीसे : एन० एस० हर्डीकर पेपर्स, सौजन्य . नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

३३०. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

सेगाँव, बर्धा
२१ अक्टूबर, १९३९

वि० ब्रजकृष्ण,

हरिजनके बारे में बापा, हरिजी^१ वि० के साथमें बैठकर जो किया जा सकता है, करो।

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४७१)से।

३३१. मौनके लाभ

डॉ० राजनने^१ महादेव देसाईको निम्न पत्र भेजा है .

उस दिन जब मैं महात्माजी से मिलने सेगाँव गया, तब वे मौन लिये हुए थे। आपको मालूम है कि कागजकी एक पर्चीपर अपने मौनके बारेमें उन्होंने इस आशयका कुछ लिखा था : “मेरे लिए स्वास्थ्यकी दृष्टिसे यह

१. इसके उत्तरमें लिखे अपने २६ अक्टूबरके पत्रमें हर्डीकरने कहा था : “. . . आपकी सलाहके अनुसार हम चुपचाप सब कष्ट सहेंगे। . . . अब जहाँतक वर्तमान आन्दोलनका सवाल है, यह मैंसूके कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी ही पहलपर शुरू किया गया था। . . . तथापि हम लोग राज्यमें हो रही घटनाओंके बारेमें लोगोंको बताते रहे हैं . . . और इस सम्बन्धमें आवश्यक सुझाव भी देते रहे हैं। . . . इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं करते। . . . हमें श्री मीमप्पा नाथकसे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप इस मामलेमें हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं, वशतें कि रियासत ऐसा करने की स्वीकृति दे। हमें इस बातका पूरा यकीन है कि मैंसू रियासत कार्य-समिति बथवा मैंसूके जिम्मेदार कार्यकर्ता आपके हस्तक्षेप का स्वागत करेंगे . . .।” देखिए पृ० २८० भी और “मैंसूके लोगोंको लिखे पत्रका अंश”, २४-११-१९३९।

२. नई दिल्ली स्थित हरिजन-निवासके विद्योगी हरि

३. मद्रासके स्वास्थ्य-मन्त्री, डॉक्टर टी० एस० राजन

आवश्यक हो गया है।” इन थोड़े-से शब्दों ने मुझे इस विचारमें डाल दिया है कि क्या शारीरिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे मौनका विचार उपयोगी है। वैज्ञानिक जानकारिके लिहाजसे, इस सम्बन्धमें उनके निजी अनुभव लिपिबद्ध किया जाना उपयोगी होगा।

उनके मौनके फलस्वरूप में यह जानना चाहूँगा कि :

- (१) क्या रक्तचापके घटाव-उतारमें कोई स्पष्ट कमी होती है ?
- (२) क्या कुछ समयके मौनके बाद उन्हें अपना शरीर पहलेसे स्वस्थ मालूम पड़ता है और वे ज्यादा शक्ति और लगनसे अपने काममें लग पाते हैं, और
- (३) क्या मौनके दौरान वे शारीरिकके साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्यमें भी सुधारका अनुभव करते हैं ?

इसमें शक नहीं कि मौन रखना स्वेच्छासे लगाया गया एक कठिन प्रतिबन्ध है। लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यकी खातिर इसे लगाना उपयोगी है। . . . ! आप जानते हैं कि गांधीजी-जैसे व्यस्त व्यक्तिको में कमी पत्र नहीं लिखता, न उनके साथ ऐसी किसी सैद्धान्तिक चर्चामें ही पड़ता हूँ। इसलिए आप इस बातको समझेंगे कि मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ। मैं जो जानकारी चाहता हूँ वह अगर आपके विचारमें उपयोगी हो, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, यदि आप उसे 'हरिजन' में प्रकाशित कर दें।

इन प्रश्नोके जबाब देने से पहले मुझे यह बतला देना चाहिए कि मेरे लिए मौन भार-रूप नहीं है और न मुझे उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। दलीलो और बातचीतसे मैं सचमुच इतना थक गया हूँ कि जब मुझे आवश्यक प्रतीत होता है, तभी मैं बोलता हूँ। इसलिए आम तौरसे आजकल मैं मौन ही रहता हूँ। जो पहलेसे समय लेकर, जिन प्रवृत्तियोसे मेरा सम्बन्ध है, उनपर चर्चा करने आते हैं उन्हीं से मैं बातचीत करता हूँ। सेर्गाव आश्रममें भी बीमारो तथा ऐसे ही अन्य व्यक्तियोंको छोड़कर औरोंसे मैं बातचीत नहीं करता। मैं यह भी देखता हूँ कि आश्रमवासी अगर मेरी अपेक्षाके विरुद्ध कोई काम करें, तो मैं आसानीसे खीज उठता हूँ। मैं देखता हूँ मौनसे मैं ऐसी खीजसे बच सकता हूँ।

अब प्रश्नोको लीजिए।

- (१) जब मैं मौन रहता हूँ, तो रक्तके दबावमें स्पष्टतया कमी होती है। इसलिए मेरे चिकित्सक मित्रोंने मुझे सलाह दी है कि मैं जितना भी मौन रख सकूँ, रखूँ।
- (२) इसमें कोई सन्देह नहीं कि हर बार मौनके बाद मैं अधिक स्वस्थता महसूस करता हूँ और काम करने के लिए अपनेमें पहलेसे अधिक शक्ति पाता हूँ।

मौन न रखने की हालतमें मैं जितना काम करता हूँ उससे कहीं अधिक काम मौनके दौरान करता हूँ।

(३) मौनके दौरान मनको जो शान्ति मिलती है वह अन्यथा नहीं मिलती। मतलब यह कि मौन रखने के निश्चयसे ही मुझपर बड़ा शान्तिप्रद असर होता है। इससे मेरे मनपरसे एक बोझ उतर जाता है। मेरा अनुभव मुझे बताता है कि मौनसे स्नायुबोको ऐसी शान्ति मिलती है जैसी किसी दवासे नहीं मिल सकती। मुझे तो इससे नींद आने में भी मदद मिलती है।

चेतावनी - जेलोंमें मैंने देखा कि अगर कैदियोंको अकेला रख दिया गया है और इस कारण उन्हें मजबूरीमें मौन रखना पड़ता है तो उन्हें खोये-खोये-से रहने की आदत पड़ जाती है। मौनका मैंने जो असर बतलाया है वह तभी हो सकता है जब मौन रखनेवाले व्यक्तिको मौन पसन्द हो। इसलिए, अनुकरणके कारण या सिर्फ इस विचारसे कि मुझपर उसके उपर्युक्त सुप्रभाव पड़ते हैं, किसीको मौन रखने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा तो यह होगा कि चिकित्सककी सलाहसे मौन लिया जाये। कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ मैं मौनकी आध्यात्मिक आवश्यकता और प्रभावोका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ।

सेर्गाव, २२ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१०-१९३९

३३२. ब्रह्मचर्यके बारेमें

यह कहा जा सकता है कि मैंने बहुत समयसे 'हरिजनबन्धु' के लिए लिखना बन्द कर दिया है। लिखने की इच्छा तो कम नहीं है, समयके अभावने मझे विवश कर दिया है। यह लेख लिखने की इच्छा तो बहुत समयसे थी। आज कुछ लिख रहा हूँ।

एक साथीने मुझे बताया कि मैंने किसी पुराने लेखमें ब्रह्मचर्यपर अपने विचार प्रकट करने का वादा किया था। मुझे ठीक-ठीक वह वाक्य तो याद नहीं है लेकिन उनसे मैंने कहा था कि मैं इस विषयपर कुछ लिखने का प्रयत्न करूँगा।

ब्रह्मचर्यकी मैंने जो व्याख्या की है, वह अब भी कायम है। उसके अनुसार जो मनुष्य मनसे भी विकारप्रस्त हो जाये, समझना चाहिए कि उसका ब्रह्मचर्य स्थलित हो गया है। जो मनुष्य विचारमें [भी] निर्विकार नहीं, वह पूर्ण ब्रह्मचारी कभी नहीं माना जा सकता। चूँकि अपनी उक्त व्याख्यातक मैं नहीं पहुँच सका हूँ इसलिए मैं अपनेको आदर्श ब्रह्मचारी नहीं मानता। लेकिन अपने इस आदर्शसे बहुत दूर होने पर भी मैं यह मानता हूँ कि जब मैंने यह व्रत लिया था उससे मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ। विचारकी निर्विकारता तबतक नहीं आती, जबतक कि 'पर' का दर्शन नहीं होता। जब विचारपर पूरा अधिकार हो जाता है तब

पुरुष स्त्रीको और स्त्री पुरुषको अपनेमें समाहित कर लेती है। इस प्रकारके ब्रह्म-चारीके अस्तित्वको मैं स्वीकार करता हूँ, हालाँकि ऐसा कोई ब्रह्मचारी मेरे देखने में नहीं आया। ऐसा ब्रह्मचारी बनने के लिए मैं महा प्रयत्न कर रहा हूँ। जबतक ब्रह्मचर्यकी उक्त स्थिति प्राप्त नहीं होती, तबतक मनुष्य अहिंसाकी उस स्थितितक नहीं पहुँच सकता जहाँतक पहुँचना उसके लिए सम्भव है।

ब्रह्मचर्यके लिए आवश्यक माने जानेवाले प्रतिबन्धोंको मैंने हमेशाके लिए आवश्यक नहीं माना है। जिसे किसी बाह्य रक्षाकी जरूरत है वह पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है। इसके विपरीत, जो प्रतिबन्धोंको तोड़ने के लिए अवसरकी तलाशमें रहता है, वह ब्रह्मचारी नहीं, किन्तु मिथ्याचारी है।

ऐसे निर्भय ब्रह्मचर्यका पालन कैसे हो? मेरे पास इसका कोई अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि मैं पूर्णताकी स्थितितक नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन मैंने अपने लिए जिस वस्तुको आवश्यक माना है वह यह है:

मनको खाली न रहने देने की खातिर उसे निरन्तर शुभ चिन्तनमें लगाये रहना चाहिए। रामनामका इकतारा तो चौबीसों घंटे, सोते हुए भी, श्वासकी तरह स्वाभाविक रीतिसे चलता रहना चाहिए। वाचन हो तो सदा शुभ, और विचार किया जाये तो अपने कार्यका ही। कार्य पारमार्थिक होना चाहिए। विवाहितोंको एक-दूसरेके साथ एकान्त सेवन नहीं करना चाहिए, एक कोठरीमें एक चारपाईपर नहीं सोना चाहिए। यदि एक-दूसरेको देखने से विकार पैदा होता हो, तो अलग-अलग रहना चाहिए। यदि साथ-साथ बातें करने से विकार पैदा हो, तो बातें नहीं करनी चाहिए। स्त्री-मात्रको देखकर जिसके मनमें विकार पैदा होता हो, उसे ब्रह्मचर्य-पालनका विचार छोड़कर अपनी स्त्रीके साथ मर्यादापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, और जो विवाहित न हो, उसे विवाहका विचार करना चाहिए। किसीको सामर्थ्यके बाहर जाने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। सामर्थ्यसे बाहर प्रयत्न करने गिरनेवालों के अनेक उदाहरण मेरी नजरके सामने तैरते रहते हैं।

जो मनुष्य कानसे बीभत्स या अश्लील बातें सुनने में रस लेते हैं, आँखसे स्त्रीकी तरफ देखने में रस लेते हैं, जो अश्लील चीजें पढ़ते हैं, अश्लील बातें करने में रस लेते हैं, वे सब ब्रह्मचर्यका उल्लंघन करते हैं। अनेक विद्यार्थी और शिक्षक ब्रह्मचर्य-पालनमें हताश हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे श्रवण, दर्शन, वाचन, भाषण आदिकी मर्यादा नहीं जानते, और मुझसे पूछते हैं, 'हम किस तरह ब्रह्मचर्यका पालन करें?' प्रयत्न वे जरा भी नहीं करते। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो पुरुष स्त्रीके चाहे जिस अंगका सविकार स्पर्श करता है वह ब्रह्मचर्यका उल्लंघन करता है, जो उपर्युक्त मर्यादाका ठीक-ठीक पालन करता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुलभ हो जाता है।

आलसी मनुष्य कभी ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता। वीर्य-सग्रह करने-वालेमें अमोघ शक्ति पैदा हो जाती है। उसे अपने शरीर और मनको निरन्तर कार्यरत रखना ही चाहिए। अतः हरएक साधकको कोई ऐसा सेवा-कार्य खोज लेना चाहिए कि जिससे उसे विषय-सेवन करने के लिए समय ही न मिले।

साधकको अपने आहारपर पूरा नियंत्रण रखना पडता है। वह जो-कुछ खाये सो केवल ओषधि-रूपमें, शरीर-रक्षाके लिए ही खाये, स्वादके लिए कदापि नहीं। इसलिए उसे मादक पदार्थ, मसाले आदि कदापि नहीं खाने चाहिए। ब्रह्मचारीको मिताहारी नहीं, किन्तु अल्पाहारी होना चाहिए। सबको अपनी मर्यादा बाँध लेनी चाहिए।

उपवासादिके लिए ब्रह्मचर्य-पालनमें अवश्य स्थान है। लेकिन जो उपवास करके उसे आवश्यकतासे अधिक महत्त्व देकर स्वयंको कृतकृत्य हुआ मानता है वह भारी गलती करता है। उपवासके दौरान निराहारीके विषय क्षीण भले ही हो जायें, लेकिन उनका रस तो विलुप्त होता ही नहीं। शरीरको नीरोगी रखने में उपवास बहुत सहायक है। अल्पाहारी भी भूल कर सकता है, इसलिए प्रसंगोपात्त उपवास करने में लाभ ही है।

'क्षणिक सुखके लिए मैं अपना तेज क्यों खोऊँ? जिस वीर्यमें प्रजोत्पत्तिकी शक्ति भरी हुई है, उसका पतन क्यों होने दूँ, और ईश्वरकी दी हुई देनका दुरुपयोग करके मैं ईश्वरको छलूँ क्यों? जिस वीर्यका सग्रह कर मैं वीर्यवान बन सकता हूँ, उसका पतन करके वीर्यहीन क्यों बनूँ?' इस विचारका मनन यदि साधक नित्य करे, और रोज ईश्वर-कृपाकी याचना करे, तो सम्भवतः वह इस जन्ममें ही वीर्यपर नियन्त्रण प्राप्त कर ब्रह्मचारी बन सकता है। मैं इसी आशाको लेकर जी रहा हूँ।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २२-१०-१९३९

३३३. पुर्जा : पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा डिप्टी कमिश्नरको*

२२ अक्टूबर, १९३९

मैं आपके सुझावपर खूब सोच-विचार करता रहा हूँ। जहाँतक मेरा सवाल है, मेरा तो यही विचार है कि मेरी सुरक्षा-व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैं इममें कोई सहयोग देता हूँ तो यह, मुझपर आक्रमण होने के समय मेरे मनमें जो प्रतिक्रिया होगी, उसके विपरीत बैठेगा। इसलिए यदि अधिकारी लोग कुछ सावधानी बरतना ही चाहते हैं तो आश्रमकी हदके बाहर ही कुछ प्रबन्ध किया जाना चाहिए। लेकिन यदि अधिकारी लोग इस सम्बन्धमें मेरी रायका खयाल रखना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें मेरी सुरक्षाके लिए कोई कदम नहीं

१. भगवद्गीता, २/५९

२. इन अधिकारियोंने गांधीजीसे मेंट करके उनकी सुरक्षाका प्रबन्ध करनेका प्रस्ताव रखा था, क्योंकि इन लोगोंको सूचना मिली थी कि गांधीजी पर आक्रमण होनेवाला है।

उठाना चाहिए। मेरे इस पुर्जेका उपयोग वे मेरे प्रति हर प्रकारकी जिम्मेदारीसे मुक्त होने के लिए कर सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य : नारायण देसाई

३३४. पत्र : मुन्नालाल गं० शाहको

सेर्गाव

२२ अक्टूबर, १९३९

चि० मुन्नालाल,

तुम्हारा मन कैसा अव्यवस्थित है ? अपनी टिप्पणी फिर पढ जाना। एक पलमें लिखते हो चूँकि मैं कहता हूँ इसलिए तुम रमण महर्षिके पास जाओगे, और दूसरे पल लिखते हो कि कहाँ जाना चाहिए सो मालूम नहीं। मेरी माँग तो सिर्फ एक ही है। यहाँसे तुम सीधे रमण महर्षिके आश्रम चले जाओ। वहाँ सात दिन रहो और उतने से यदि तुम्हें तनिक भी सतोष न मिले तो पाण्डिचेरी जाओ अथवा सीधे यहाँ चले आओ।

कल मैंने शंकरनके बारेमें जो कहा था वह तुम्हारी समझमें आया या नहीं ? यदि समझमें न आया हो तो गहराईमें उतरकर समझनेकी कोशिश करना। यह भूल कोई साधारण भूल नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५५७)से। सी० डब्ल्यू० ७०५९ से भी;
सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

३३५. तार : विश्वके समाचारपत्रोंको'

२३ अक्टूबर, १९३९

(आपके) प्रश्नके उत्तरमें (मैं कह सकता हूँ कि) कांग्रेसने युद्ध-कालमें शासन-विधानमें परिवर्तन करने की माँग नहीं की है। कांग्रेसकी माँग केवल इतनी है कि ब्रिटेन यह घोषित कर दे कि उसके युद्धके उद्देश्योंमें लड़ाईके बाद भारतके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किये गये अधिकार-पत्रके अनुसार भारतकी स्वतन्त्रता भी अनिवार्यतः निहित है। लड़ाईके दौरान इस घोषणापर यथासम्भव अधिकसे-अधिक अमल होना चाहिए। अल्पसंख्यकोंका प्रश्न तो एक हीआ है। यह बात नहीं कि इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसका उचित हल प्रस्तावित सविधान-सभा द्वारा ही हो सकता है। इस गुत्थीको सुलझाने का भार ब्रिटेनपर नहीं, बल्कि सविधान-सभा पर है। भारतीयोंकी रायमें हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न ब्रिटिश शासनकी प्रत्यक्ष उपज है। कांग्रेस कमसे-कम जो-कुछ इस समय कर सकती थी, वह यह कि वह प्रान्तीय हुकूमतोंसे कांग्रेसी मन्त्रियोंको हटा ले। ब्रिटेन इस सफ्टका किस तरह मुकाबला करता है, कांग्रेसकी अगली कार्रवाई सर्वथा इसीपर निर्भर है। कांग्रेसने दरवाजा खुला रख छोड़ा है कि ब्रिटेन अपनी भूल सुधार ले।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१०-१९३९

१. यूरोपके प्रमुख समाचारपत्रोंके एक प्रतिनिधिके विशेष अनुरोधपर गांधीजी ने उक्त सन्देश २२ अक्टूबर को दिया, जो "डोर स्टिल ओपन" (दरवाजा अब भी खुला हुआ है) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। २४-१०-१९३९ के हिन्दूमें प्रकाशित एक रिपोर्टके अनुसार जिन समाचारपत्रों और समाचार-पत्रसिधियों ने यह अनुरोध किया था वे थीं: न्यूयॉर्क टाइम्स (अमेरिका), डेली हेरल्ड (ब्रिटेन), पारी स्यार (फ्रान्स), पोपोलो इ इतालिया (रोम), नेशनल टाइम्स (कोपेनहेग), मास्टेन पोस्टेन वेंड टेलिग्राफ (एम्स्टर्डम), तास समाचार-पत्रों (मास्को), अर्थिजी (मैडिड), दागेन सिंधर (स्टाकहोम), रिवस समाचार पत्रों (जिनेवा), ला नास्यों (ब्यूनस आयर्स), योरमियूरी शिम्बुन (टोकियो), डनिस सुयोमि (हेलसिंगफोर्स) और नास्यों वेल्वा (देन्वर्ष)।

३३६. एक पत्र^१

सेवाव

२३ अक्टूबर, १९३९

मुझे इस बारेमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जो-कुछ हुआ है,^२ वह हमारे लक्ष्यको ध्यानमें रखते हुए, ठीक ही हुआ है। यह एक कड़वा घूँट है, सो मैं जानता हूँ, लेकिन यह जरूरी था। इससे कांग्रेस सस्थामें जो स्वार्थी लोग आ गये हैं वे निकल जायेंगे। अब हम उन गलत कामोंसे बच जायेंगे जो हमें मजबूरन करने पड़ते। अब हम और भी शक्ति-सम्पन्न होकर सत्तामें लौटेंगे। यदि मेरे शरीरमें ताकत रही तो मैं अब भी शान्तिके लिए प्रयत्न करता रहूँगा।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७७)से।

३३७. किन कारणोंसे ?

किसी उद्देश्यमें असफल होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने विरोधी को खूब गालियाँ दी जायें, और उसकी कमजोरियोंसे फायदा उठाने की कोशिश की जाये। लड़ाईके दूसरे प्रकारोंके बारेमें सत्य चाहे जो हो, पर सत्याग्रहमें तो यह माना गया है कि असफलताके कारणोंको खुद अपने ही अन्दर ढूँढना चाहिए। ब्रिटिश सरकारने कांग्रेसकी इस आशा पर पानी फेर दिया कि सरकार अपेक्षित घोषणा करेगी। किन्तु उसका एकमात्र कारण वे कमजोरियाँ ही हैं जो कांग्रेस-संगठन और कांग्रेसजनोंमें आ गई हैं।

सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अहिंसा और उसके अनेक फलितार्थोंको हमने पूरी तरह नहीं समझा है। यही एक गम्भीर दोष हमारी अन्य सब कमजोरियोंका मूल है। हमने कायिक अहिंसाका तो खासा अच्छा पालन किया है, पर अपने दिलोंमें हमने हिंसाको प्रश्रय दे रखा है। इसलिए सरकारके मुकाबलेमें हमारी अहिंसा हिंसासे प्रभावकारी ढंगसे काम लेने की हमारी असमर्थताका परिणाम है। यही कारण है कि हमें अपने आपसके बरतावमें हिंसाकी तरफ बहक गये हैं। कमेटियोंमें हम एक-दूसरेके साथ लड़ते-झगड़ते रहे हैं और कभी-कभी तो हाथापाईतक पर उतर आये हैं।

१. यह पत्र च० राजगोपालाचारिके नाम लिखे पत्रके संग्रहमें पाया गया है। तारीख अष्टम-कौरके द्वापकी लिखी हुई है।

२. तात्पर्य कांग्रेस कार्य-समितिके २२ अक्टूबरके प्रस्तावसे है; देखिय परिशिष्ट १३।

हमने कांग्रेसकी कार्य-समितिके आदेशोंको अमलमें लाने से इन्कार कर दिया है। हमने अलग-अलग प्रतिस्पर्धी दल बना लिये हैं, जो सत्ताको हथियानेकी कोशिशमें हैं। हिन्दू और मुसलमान जरा-जरा-सी बातपर लड़ते रहे हैं। साम्प्रदायिक मतभेद जो दूर नहीं हो सके हैं, उसके लिए कांग्रेसजन आशिक रूपसे जरूर जिम्मेवार हैं। अपनी फूट के लिए ब्रिटिश सरकारको बोधी ठहराना आसान है। पर इस तरह हम अपनी बेदना की अवधिको बढ़ाते ही हैं। यह हमें मालूम था कि फूट डालकर राज करने की नीति १९२० में भी थी, और तब भी हमने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यको अपने रचनात्मक कार्यक्रममें रखा था। हमने ऐसा इस आशासे किया था कि हमारे रास्तेमें सरकार द्वारा रोडे अटकये जाने के बावजूद हम कौमी एकता हासिल कर लेंगे। और खासियत यह कि उस वक्त प्रतीत भी ऐसा होता था कि उस एकता को हमने हासिल कर लिया है।

हमारी कमजोरियोंके ये उदाहरण भयकर हैं। इनके कारण कांग्रेसका पूर्ण विकास रुक हुआ है और हमारे अहिंसाके सारे दावे उपहासकी वस्तु बनकर रह गये हैं। हमारी असफलताओंके कारणोंका यदि मेरा यह विश्लेषण सही है, तो यह एक तसल्लीदेह बात है कि इसका इलाज किसी बाहरी परिस्थितिपर नहीं, किन्तु खुद हमपर निर्भर करता है। हमें अपने सगठनको सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए और उसे इतना शुद्ध तथा शक्तिशाली बना देना चाहिए कि लोग उसे सम्मानकी दृष्टिसे देखने लगे। किन्तु उसे सम्मानका पात्र हमारे मार्गमें बाधा डालनेवालों के मनमें मय पैदा करके नहीं, बल्कि उन्हें अपनी अहिंसात्मक वाणी और क्रियाका असन्दिग्ध प्रमाण देकर बनाना है।

कार्य-समितिका प्रस्ताव जिस तरह इस बातका सबूत है कि कांग्रेस हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए सचाईके साथ प्रयत्न करने को तत्पर है, वहाँ वह कांग्रेसजनोंके अनुशासन और उनकी अहिंसाकी भी कसौटी है। हालाँकि प्रस्तावमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, मगर समितिकी इच्छानुसार सचिनय अवज्ञाके नियन्त्रण तथा आयोजनका काम मुझपर छोड़ दिया गया है। कहने की जरूरत नहीं कि रजिस्टरमें दर्ज और गैरदर्ज कांग्रेसजनोंके विशाल समूह द्वारा कार्य-समितिके माध्यमसे या जब ‘यग इडिया’ और ‘नवजीवन’ निकलते थे तब उनके और अब ‘हरिजन’ के माध्यमसे जारी की हुई हिदायतोंका समझ-बूझकर और स्वेच्छापूर्वक किये गये पालनके अलावा मेरे पास और कोई बल न कभी था और न आज है। इसीलिए जब मैं देखूंगा कि मेरी हिदायतोंपर कोई अमल नहीं होता, तो कांग्रेसजन पायेंगे कि मैं चुपचाप मँदानसे हट गया हूँ। लेकिन अगर लड़ाईका आम नियन्त्रण मेरे हाथ में रहनेवाला हो, तो मैं चाहूँगा कि अनुशासनका पूरी कड़ाईसे पालन हो। जहाँतक मैं देख सकता हूँ, जबतक कांग्रेसजन पूर्ण अनुशासन और अहिंसा तथा सत्यके प्रति पहलेकी अपेक्षा अधिक अच्छे बोधका परिचय नहीं देंगे, तबतक किसी बड़े पैमानेपर सत्याग्रहकी कोई सम्भावना नहीं है, और जबतक अधिकारियों द्वारा हम इसके लिए बाध्य न किये जायें, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है।

हम जीवन-भरणके संघर्षमें लगे हुए हैं। हिंसाका वातावरण हमारे आसपास छाया हुआ है। देशके लिए यह भारी कसौटीकी घड़ी है। पाखण्डका परदा डालने से काम नहीं चलेगा। अगर कांग्रेसजनोंको ऐसा लगे कि उनमें अहिंसा नहीं है, अगर वे अंग्रेज अधिकारियोंके प्रति या कांग्रेसका विरोध करनेवाले अपने देशवासियोंके प्रति अपनी कटुताको दूर न कर सकें तो उन्हें खुले आम यह कह देना चाहिए, और अहिंसाका परित्याग कर मौजूदा कार्य-समितिको बदल देना चाहिए। इससे कोई नुकसान न होगा। लेकिन समितिको उसमें और उसकी हिदायतोंमें पूरा विश्वास न रखते हुए कायम रखने से बहुत हानि होगी। जहाँतक मैं देख सकता हूँ, सत्य और अहिंसा का कड़ाईके साथ पालन किये बिना हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। अगर मेरी सेना ऐसी हो कि जिन शस्त्रोंसे मैं उसे सुसज्जित करूँ, उनकी क्षमतामें उसे सन्देह हो, तो मेरे सेनापतित्वसे कोई लाभ न होगा। अपने देशके शोषणका मैं उतना ही पक्का दुश्मन हूँ जितना कोई हो सकता है। विदेशी जुसे अपने देशको पूर्णतः मुक्त करने के लिए मैं भी उतना ही अधीर हूँ जितना कि कोई उग्रतम कांग्रेसी हो सकता है। लेकिन एक भी अंग्रेज, बल्कि भूमण्डलके किसी भी मानव-प्राणीसे मुझे कोई घृणा नहीं है। मित्र-राष्ट्रोंकी अगर मैं मदद नहीं कर सकता, तो उनका विनाश भी मैं नहीं चाहता। हालाँकि ब्रिटिश सरकारने कांग्रेसकी आशा पर, मेरी आस्थापर बुरी तरह पानी फेर दिया है फिर भी मैं उसकी परेशानीसे कोई फायदा नहीं उठाना चाहता।

मेरा प्रयत्न और मेरी प्रार्थना तो यही है और होगी कि यथासाध्य कमसे-कम समयके अन्दर आपसमें लड़नेवाले राष्ट्रोंके बीच सम्मानपूर्ण सुलह हो जाये। मैंने यह आशा बाँध रखी थी कि ब्रिटेन और हिन्दुस्तानके बीच सम्मानपूर्ण सुलह और साझेदारी हो जायेगी, और जो संहार-लीला मानवताको कलंकित कर खुद जीवनको ही भार-रूप बना रही है, उससे बचने का रास्ता निकालने में शायद मैं अपनी विनम्र भूमिका अदा कर सकूँगा। लेकिन ईश्वरकी इच्छा कुछ और ही है।

सेगाँव, २४ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१०-१९३९

३३८. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

सेगाँव, वर्धा

२४ अक्तूबर, १९३९

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

श्री टॉमसन^१ यहाँ आये थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी अधिधोपणा^१ पर मैंने जो वक्तव्य^१ जारी किया था उसे आपने मेरी अभद्रता समझा है। श्री टॉमसनकी बात मेरी समझमें नहीं आई, लेकिन मैंने उनसे कहा कि यदि सचमुच ऐसा है तो मैं आपको पत्र लिखकर आपसे क्षमा माँग लूँगा। क्या आप क्रुपा करके इस मामलेपर कुछ प्रकाश डालेंगे? मुझे इस बारेमें तनिक भी सन्देह नहीं कि हमारे बीच जो मित्रता कायम हो गई है वह हमारे आपसी मतभेदोंके कारण पड़नेवाले बोझको झेल लेगी।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे लॉर्ड लिनलिथगो पेपर्स; सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार

३३९. पत्र : अमतुस्सलामको

२४ अक्तूबर, १९३९

बेटी,

मैं क्या करूँ। मैंने तो बड़ी मेहनत की। इसमें कुछ भी शक नहीं कि वा के दिलमें तेरे पर काफी नाराजी है। दूसरोका मुझे पता नहीं है। तेरा धर्म तो इस घरको छोड़ने का है। यहा का वायु अच्छा हो जाय तो आ सकती है। वा की नाराजी का मुझे कुछ पता नहीं था। आज देखकर मैं हेरान हो गया। ऐसी हालतमें हुनीफको^१ यहा कैसे बुलाउ ?

बापुकी दुआ

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३२)से।

१. ब्रिटिश कवि और लेखक, एडवर्ड टॉमसन; देखिए "मेरा जीवन", पृ० ३४८-५२ भी।

२. देखिए परिशिष्ट १२।

३. देखिए पृ० २९७-९८।

४. पंजाबके एक खादी-कार्यकर्ता

३४०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्षा
२५ अक्तूबर, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

वह अमरीकी चीज मैं पढ गया हूँ। बहुत महँगी है। अन्य दृष्टियोसे भी मुझे आकर्षक नहीं लगी।

आशा है इन्दुके बारेमें तुम्हारे पास अच्छी खबर आई होगी।^१
स्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

३४१. पत्र : बलवन्तसिंहको

सेगाँव, वर्षा
२५ अक्तूबर, १९३९

चि० बलवन्तसिंह,

हां, हरिद्वार जाना। दयालबाग भी देख लगे। कसोटीकी बात आने पर।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९२६) से।

१. देखिय पृ० २८४, पाद-टिप्पणी २।

३४२. चर्चा : गांधी सेवा संघकी कार्यकारिणीके सदस्योंके साथ-१

वर्धा,

२५ अक्तूबर, १९३९

यह समस्या मेरे मनमें घूमती रहती है। यह मुझे चैन नहीं लेने देती। कार्य-समितिके कनिष्ठ सदस्योंकी स्थितिके बारेमें मैंने 'हरिजन' में लिखा है। उनकी स्थिति बड़ी कठिन थी। उनके लिए एक ओर तो सिद्धान्तका प्रश्न था और दूसरी ओर अपने सहयोगियों के प्रति निष्ठाका। लेकिन अपनी स्थिति मेरे सामने स्पष्ट करने की उनकी इच्छा परम स्वागत योग्य थी। इससे पता चलता है कि हम सब सत्यके अनुयायी हैं और हमारे मानसिक संघर्ष और द्वन्द्व भी हमारी इस चिन्तासे ही उत्पन्न होते हैं कि सत्यके प्रति हम किस प्रकार सच्चे रहें। कल कार्य-समितिके हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई और हमने व्यक्तियोंके रूपमें और कांग्रेस तथा जनताके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे सदस्योंकी स्थितिपर खूब बारीकीसे चर्चा की। आपके साथ बात दूसरी है। क्योंकि आप यहाँ अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे आये हैं और कांग्रेस या कांग्रेसजन कुछ भी सोचें, आपको अपना आचरण स्वयं निश्चित करना है। इसलिए आपकी समस्या अपेक्षाकृत बहुत सरल है। क्या आप उस व्यक्तिके प्रति भाईचारेका रुख अपनायेंगे जिसने आपके प्रियजनोको गम्भीर चोट पहुँचाई हो? मान लीजिए, राजेन्द्र बाबूपर आक्रमण किया गया। क्या आप उसका जवाब आक्रमणसे ही देंगे या राजेन्द्र बाबू और आक्रमणकारीके बीच खड़े होकर राजेन्द्र बाबूपर होनेवाले प्रहार अपने ऊपर झेल लेंगे? यदि आपने मृत्युके समस्त भयको छोड़ दिया हो, और शरीरको चोट पहुँचने का डर भी आपको न रहा हो, और न उन पारिवारिक बन्धनोका ही कोई विचार रहा हो जो लोगोको बाँधे रहते हैं, तो आप दूसरा रास्ता चुनेंगे। लेकिन जबतक उन लोगोके प्रति, जो आपके साथ विद्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं, आप भाईचारेका ही व्यवहार न करेंगे, तबतक आपके इस संकल्पका कोई अर्थ नहीं होगा कि कठिनसे-कठिन घड़ीमें भी आप अहिंसाके सिद्धान्तपर दृढ़ रहेंगे। कोरे प्रस्ताव रखने की अपेक्षा तो यह कहीं अच्छा होगा कि संघको बन्द कर दिया जाये।

१. यह चर्चा महादेव देसाईके लिखे "द बाबर ऑफ ट्रायल" (परीक्षाकी घड़ी) शीर्षक लेखसे ली गई है। देसाईने चर्चाकी प्रारम्भिक बलाते हुए लिखा है : "गांधीजी २५ तारीखको रातके एक बजे उठ बैठे और सोचने लगे कि जब तीसरे पहर सेवा संघकी कार्यकारिणीके सदस्योंसे मुलाकात होगी तो उस समय उन्हें क्या कहना चाहिये।" दिनमें चर्चा आरम्भ होने पर गांधीजी ने ये उद्गार व्यक्त किये।

२.-द्वितीय पृष्ठ २९५-९६।

अहिंसा ऐसा सद्गुण नहीं है जो ऋषियों अथवा गुफाओंमें रहनेवालों के ही लिए हो। अहिंसा तो ऐसी वस्तु है जिसपर लाखों लोग आचरण कर सकते हैं — इसलिए नहीं कि उसके फलितार्थोंका उन्हें पूर्ण ज्ञान है, बल्कि इसलिए कि वह हमारी मनुष्य-जातिके जीवनका नियम है। यह आदमीको पशुसे अलग करनेवाली चीज है। लेकिन मानवने अपने भीतरकी पशुताको छोड़ा नहीं है। वैसा करने की उसे कोशिश करनी है। यह कोशिश अहिंसाको व्यवहारमें लाने की होनी चाहिए, उसमें महज विश्वास रखने की नहीं। किसी सिद्धान्तपर विश्वास लाने के लिए मैं कोशिश नहीं कर सकता। मैं या तो उसमें विश्वास करूँगा या नहीं करूँगा। अगर उसमें विश्वास करता हूँ तो उसपर आचरण करने के लिए मुझे बहादुरीके साथ प्रयत्न करना चाहिए। अहिंसा तो वीरोका गुण है। दुर्बलता और अहिंसा उसी प्रकार एक साथ नहीं चल सकती जैसे पानी और आग। यही अहिंसा है, जिसे अपने भीतर विकसित करने के लिए गांधी सेवा संघके प्रत्येक सदस्यको प्रयत्न करना चाहिए।

हमने प्रायः इस प्रश्नपर विचार किया है, लेकिन परीक्षाकी घड़ी तो आज आई है। और यह परीक्षा जितनी महत्प्रयुक्तके सन्दर्भमें होनी है उतनी ही स्वराज्यके लिए संघर्षके सन्दर्भमें और उसी तरह हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्धमें भी। यह भी याद रखिए कि अहिंसा तबतक कारगर ढंगसे काम नहीं कर सकेगी जबतक आप चरखेमें श्रद्धा न रखेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरी दृष्टिसे आप 'हिन्द-स्वराज्य' पढ़ें और उसमें उस अध्यायको देखें जिसमें बताया गया है कि भारतको अहिंसक कैसे बनाया जा सकता है। कल-कारखानेकी सम्यताके आधारपर आप अहिंसाका निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन स्वावलम्बी गाँवोंके आधारपर उसका निर्माण किया जा सकता है। हिटलर चाहकर भी सात लाख अहिंसक गाँवोंको खत्म नहीं कर सकता। खत्म करने की प्रक्रियामें वह स्वयं अहिंसक हो जायेगा। मेरी कल्पनाकी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थामें शोषणके लिए कतई गुंजाइश नहीं है, जबकि हिंसाका शोषण मूल है। इसलिए अहिंसक हो सकनेके पहले आपको अपना मानस ग्रामीण बनाना होगा और ग्रामीण मानस पाने के लिए आपको चरखेमें श्रद्धा रखनी होगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-११-१९३९

१. देखिए खण्ड १०।

२. महादेव दैसाईके अनुसार अगले दिन भी इन सदस्योंके साथ गांधीजीकी वापसीत हुई थी; देखिए पृ० ३३३-३५।

३४३. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्ष

२६ अक्टूबर, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

मैंने महसूस किया कि यद्यपि मेरे प्रति तुम्हारे मनमें अब भी उतना ही आदर और स्नेहभाव है, तथापि हमारे दृष्टिकोणका भेद अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है। सम्भवत यह हमारे इतिहासका सबसे नाजुक समय है। आज जिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर हमारा ध्यान लगा हुआ है उनके बारेमें मेरे बहुत दृढ़ विचार हैं और मैं जानता हूँ कि उनके बारेमें तुम्हारे विचार भी उतने ही दृढ़ हैं लेकिन मेरे विचारोंसे भिन्न हैं। तुम्हारी अभिव्यक्तिका ढंग भी मुझसे भिन्न है। जिन विचारोंपर मेरा दृढ़ आग्रह है उनसे अन्य लोग भी सहमत हैं या नहीं, सो भी मुझे मालूम नहीं। मैं धूम-फिर नहीं सकता। जनताके साथ मेरा सीधा सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता, यहाँतक कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओंसे भी नहीं। मैं यह महसूस करता हूँ कि यदि मैं तुम सब लोगोंकी सहमति एवं समर्थन प्राप्त नहीं कर सकता तो मुझे नेतृत्व भी नहीं करना चाहिए। कार्य-समितिके सदस्योंमें मतभेद नहीं होने चाहिए। मैं सोचता हूँ कि तुम पूरी तरह वागडोर अपने हाथमें ले लो और देशका नेतृत्व करो और मुझे अपना मत प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दो। किन्तु यदि तुम सबके विचारमें मुझे पूर्णतया मौन रहना चाहिए तो आशा है, ऐसा करने में भी मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि इसमें कुछ फायदा समझो तो तुम्हें यहाँ आकर इस सम्बन्धमें मुझसे बातचीत करनी चाहिए।

स्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य . नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृ० ३९४ से भी

३४४. पत्र : बी० जी० खेरको

सेगाँव, वर्षा
२६ अक्तूबर, १९३९

भाई बालासाहब,

चूँकि आप अपना पद छोड़नेवाले हैं, इसलिए आप वर्तमान कार्यमें हूनारस लेना, और इस विस्वासके साथ काम करना कि आपने जिसका बीजारोपण किया है वह व्यर्थ नहीं जानेवाला है। आपका यह महान् त्याग कांग्रेसको दस गुना फल देगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६)से।

३४५. पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको

सेगाँव, वर्षा
२६ अक्तूबर, १९३९

चि० कुँवरजी,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें जब आना हो तब आ जाना। तुम्हारे रहने का प्रबन्ध तो मैं वर्षा या सेगाँवमें, जहाँ बालकृष्णको रखा था, करूँगा। मेरे साथ तो इतनी भीड़ है कि तुम्हारा दम घुटने लगेगा। लेकिन इसका निर्णय तो तुम्हारे आने पर ही जायेगा। विशेषज्ञको दिखलाने के लिए तुम्हें नागपुर भेजना पड़ेगा। इस तरह दो लोग तो अच्छे हो गये। तीसरे तुम होगे। रामीको आने की जरूरत नहीं, लेकिन आये तो हर्ज भी नहीं है। तुम दोनों जैसा ठीक समझो वैसा करना। यदि वह जगह तुम्हारे अनुकूल न हो तो यहाँ आनेमें विलम्ब मत करना।

बापूके आशीर्वाद

श्री कुँवरजी खेतसी पारेख
हिन्दू धर्मशाला, मीरज

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९७३१) से।

१. बाल्कोबा और मैथ्यू; देखिय पृ० २७६।

३४६. पत्र : दिग्विजयसिंहको

सेर्गाव, वर्धा

२६ अक्तूबर, १९३९

मेहरवान महाराजा,^१

आपने मुझे अपना उत्तर तुरन्त भेज दिया, तदर्थ मैं आपका आभार मानता हूँ। पानीके [अभावके] बारेमें आपने जो लिखा सो समझा। तथापि मैं यह अनुरोध तो करता ही हूँ कि आप अभी इस मामलेमें और गहरे जाकर यह निश्चय अवश्य करे कि काठियावाड़को पानीकी इस तंगीसे अवश्य मुक्त करेगे। मेरी विनम्र रायमें पेढ-पौधोंकी वृद्धिके लिए कोई सघन प्रयत्न लगभग नहीं हुआ है।

आपकी शकाओंके बारेमें तो जब आपसे मिलनेका सुयोग होगा तब मैं अपने विचार आपके समक्ष जरूर रखूंगा। मेरा दृढ विश्वास है कि आपने जो रास्ता अपनाया है वह सही नहीं है। यह मैं मित्रकी तरह कह रहा हूँ।

आपका,

गुजरातीकी नकलसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

३४७. चर्चा : गांधी सेवा संघकी कार्यकारिणीके सदस्योंके साथ - २

वर्धा

२६ अक्तूबर, १९३९

प्रश्न : आपकी कल्पनाकी^१ अहिंसामें विश्वास रखनेवाला कोई व्यक्ति भला मन्त्री कैसे हो सकता है ?

गांधीजी वर्तमान स्थितिमें तो शायद नहीं हो सकता। हम देख चुके हैं कि स्वायत्त शासनसे पहले जिस प्रकार ब्रिटिश सरकारको हिंसाका सहारा लेना पड़ता था, उसी प्रकार हमारे मन्त्रियोंको भी हिंसाका सहारा लेना पडा है। शायद वह अनिवार्य था। यदि कांग्रेसजन सच्चे रूपमें अहिंसक होते, तो बल-प्रयोगका सहारा न लिया जाता। लेकिन कांग्रेसके बहुमतका आधार विशुद्ध अहिंसा नहीं थी। एक मन्त्रीने उस दिन कहा कि हालाँकि उन्होंने अहिंसाको रस्ती-भर भी

१. नवानगर के

२. देखिए पृ० ३३०।

नहीं छोड़ा, फिर भी गोलीबारीका थोड़ा-सा सहारा लिये बिना वे काम नहीं चला सकते थे। उन्होंने उसका सहारा वहीतक लिया जहाँतक उसे टालना सम्भव नहीं था। उन्होंने उस बार ऐसा कहा तो कहा, लेकिन मेरा बस चले तो फिर वे ऐसा न कह पायें। यदि वे पुन मन्त्री बनते हैं तो उन्हें अपनी स्थितिको स्पष्ट करना होगा और वे एक ऐसे सदनका प्रतिनिधित्व करेगे जो मुख्यतः अहिंसक होगा। दूसरे शब्दोंमें, वे पद तभी स्वीकार करेगे जब उन्हें यह निश्चय होगा कि लोग उन्हें अहिंसात्मक आधारपर सरकार चलाने देंगे।

लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अहिंसामें विश्वास रखनेवाले मन्त्री तो कमसे-कम हिंसाका सहारा लेंगे, लेकिन अहिंसामें विश्वास न रखनेवाले मन्त्री ऐसा कोई संयम नहीं बरतेंगे ?

ऐसा मानना तो भ्रम है। जो आज हिंसाका प्रयोग कर रहे हैं, वे सब ऐसा ही दावा करते हैं। हिटलर भी ऐसी ही बात कहेगा। ब्रिटेनकी लॉर्ड सभाने जनरल डायरको उस समयका महान् वीर बताकर उसकी प्रशंसा की थी, क्योंकि सभा के कथनानुसार उसका उद्देश्य भीड़की हिंसाको फँलने से रोकना था। सोवियत रूसका विश्वास है कि हिंसाविहीन व्यवस्था स्थापित करने के लिए वहाँ की जानेवाली हिंसा मात्र एक सङ्क्रमणकालीन अवस्था है। हमारे विश्वास और व्यवहारकी जैसी अवस्था आज है उसमें शायद यह अधिक अच्छा होगा कि संघको विघटित कर दिया जाये और प्रत्येक व्यक्तिको निर्बाध विकासके लिए मुक्त कर दिया जाये।

किशोरलाल भशरूवाला : लेकिन यह सलाह दी जा रही है कि हम सदस्यता को उन्हीं लोगोंतक सीमित कर दें जो रचनात्मक काममें लगे हुए हैं।

यह सलाह अच्छी है, और हम संघको ऐसी संस्थाके रूपमें परिणत कर दें ऐसी कल्पना की जा सकती है। तब हममें से प्रत्येक अपनी वैयक्तिक हैसियतसे अपनेको शुद्ध करने की जितनी कोशिश कर सकता है, करे। कारण, अहिंसाके बिना आत्मशुद्धि सम्भव नहीं है। इसलिए हम एक आत्मशुद्धि संघके सदस्य बन जायें, लेकिन इस उद्देश्यके लिए किसी संघकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हममें से हरएक अपने ही तरीकेसे अपने सामने आनेवाली कठिनाइयों और समस्याओंका मुकाबला करे और देखे कि हम कितना कर सकते हैं। दो वरस पहले हुबलीमें मैंने^१ आपसे चुनावो और विधान-सभाओंमें अच्छेसे-अच्छे लोगोंको भेजने में मदद देने को कहा था। तब मैंने उस समयके वातावरणके अनुसार आपको सलाह दी थी। आज वह सलाह मैं आपको नहीं दे सकता। वास्तवमें शायद समय आ गया है जब यह आवश्यक हो जाये कि आपमें से वे लोग जो वीरोंकी अहिंसामें विश्वास करते हैं, कांग्रेससे हट जायें, जैसा कि १९३४ में मैंने किया।^१

१. अप्रैल, १९३७ में; देखिए खण्ड ३५।

२. देखिए खण्ड ५९, पृ० २८०।

आप कैसे सोचते हैं कि आम लोग अहिंसापर आचरण करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि वे क्रोध, घृणा और दुर्भावनाके बन्दीभूत हो जाते हैं? उन्हें तो छोटी-छोटी चीजोंके लिए लड़ते-झगड़ते देखा जाता है।

ऐसा देखा तो जाता है, फिर भी मेरा विचार है कि वे सामान्य हितके लिए अहिंसाका आचरण कर सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जिन हजारों स्त्रियोने निपिद्ध नमक इकट्ठा किया, उनके मनमें किसीके प्रति दुर्भावना थी? वे जानती थी कि कांग्रेस या गांधीने उनसे कुछ चीजें करने के लिए कहा है और श्रद्धा एवं आशाके साथ उन्होंने वही चीजें की। मेरे विचारसे, अहिंसाका सबसे पूर्ण प्रदर्शन चम्पारनमें हुआ था। भूमि-सम्बन्धी बुराईयोंके विरुद्ध विद्रोह करनेवाली हजारों रैयत क्या सरकार या निलहे साहबोंके प्रति दुर्भावना रखती थी? जिस प्रकार बहुत-से लोगोंका यह विश्वास बुद्धिसंगत गही है कि पृथ्वी गोल है उसी प्रकार अहिंसामें उनकी श्रद्धाके पीछे बुद्धि की प्रेरणा नहीं थी। लेकिन अपने नेताओंमें उनकी श्रद्धा सच्ची थी, और इतना काफी था। जो नेतृत्व करते हैं उनकी धात दूसरी है। उनकी श्रद्धा सजग और बुद्धिसंगत होनी चाहिए और उन्हें उस श्रद्धाके सब फलितार्थोंपर आचरण करना चाहिए।

लेकिन क्या दुनिया-भरके आम लोग इसी प्रकारके नहीं हैं?

नहीं है, क्योंकि अन्य लोगोंके पीछे अहिंसाकी वह पृष्ठभूमि नहीं है।

लेकिन अगर हमारे आम लोगोंमें अहिंसा समाई हुई थी तो वे गुलामीकी बशामें कैसे पहुँचे?

यही तो वह बात है जिसके सम्बन्धमें मैं इस खुशफहमीमें हूँ कि मेरा योगदान होगा। मैं चाहता हूँ कि दुर्बलकी अहिंसा सबलकी अहिंसा बन जाये। हो सकता है कि वह एक स्वप्न हो, लेकिन उसको साकार करने के लिए मुझे प्रयत्न करना है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-११-१९३९

३४८. पत्र : वालजी गो० देसाईको

सेगाँव, वघ्राँ

२७ अक्तूबर, १९३९

चि० वालजी,

तुमने यहाँ आनेका विचार करके ठीक ही किया है। हम देख लेंगे कि क्या करना चाहिए। चित्रेके लिए जो २५ रुपये भेजे हैं सो तो मिले होंगे, और ३० रुपये आज भेजने के लिए कनुसे कह दिया है। चित्रे तुम्हारे साथ रहे तो यह मुझे अच्छा लगेगा। इससे मुझे तुम्हारी कम चिन्ता करनी पड़ेगी। यदि उसकी वहाँ जरूरत थी तो यहाँ क्यों नहीं है? फिर भी तुम्हें और चित्रेके मनको जो अच्छा लगे सो करना।

बापुके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४८९)से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई

३४९. पत्र : पृथ्वीसिंहको

२७ अक्तूबर, १९३९

भाई पृथ्वीसिंह,

तुम्हारा खत मिला। हाँ, मुंबईमें रहना चाहीये इतने दिन रहो। शरीर-परीक्षा करवा लेना।

बापुके आशीर्वाद

सरदार पृथ्वीसिंह
मारफत 'जन्मभूमि'
मेडोज स्ट्रीट
वम्बई

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ५६३६)से। सी० डब्ल्यू० २९४७ से सी०
सौजन्य : पृथ्वीसिंह

३५०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको^१

सेगवि

२७ अक्टूबर, १९३९

सर सैम्युअल होरके भाषणको^२ मैंने ध्यानसे पढा है जैसा योग्य था। उसमें जो समझौतेका स्वर है, उसकी मैं कद्र करता हूँ। इसलिए जिसे बेसुरा कहा जा सकता है, वैसा स्वर निकालते हुए मुझे अटपटा लग रहा है। लेकिन जिस प्रकार वे कर्तव्य-भावनासे बोले हैं, मैं आशा करता हूँ, मुझे भी यह श्रेय दिया जायेगा कि मैं भी उसी तरह कर्तव्य-भावनासे अपनी बात कह रहा हूँ। यदि औपनिवेशिक स्वराज्य स्वतन्त्रताका पर्याय नहीं है तो क्या भारतके लिए उसका कोई अर्थ है? क्या सर सैम्युअलकी कल्पनाके भारतको राष्ट्रकुलसे अलग होने का अधिकार है? मुझे यह घोषणा बहुत अच्छी लगी कि ब्रिटेनवालों ने साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाका परित्याग कर दिया है। क्या वे भारतके लोगोंको अपनी समझके अनुसार यह तय करने का अधिकार देंगे कि उस महत्त्वाकांक्षाका सचमुच त्याग कर दिया गया है या नहीं? अगर हाँ, तो फिर भारतके संबैधानिक रूपसे स्वतन्त्र घोषित किये जाने के पूर्व ही उसका प्रमाण सामने आना चाहिए।

कांग्रेस जो घोषणा चाहती है उसके खिलाफ जब अल्पसंख्यकोंके सरक्षणकी दुहाई दी जाने लगती है तब सर सैम्युअल होर द्वारा की गई महान् अधिघोषणा अवास्तविक लगने लगती है। कांग्रेसने माँग यह नहीं की है कि ब्रिटेन भारतकी राय ले; उसने तो यह माँग की है कि वह अपना डरादा घोषित करे। मैंने यह बताने की कोशिश की है कि भारतमें अल्पसंख्यक वर्ग-जैसी कोई चीज नहीं है जिसके अधिकार भारतके स्वतन्त्र होने से खतरेमें पड़ सकते हैं। दलित वर्गोंको छोड़ दें तो ऐसा कोई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है जो अपनी हिफाजत आप न कर सकता हो। देखता हूँ, सर सैम्युअल होरने यूरोपीयोंका उल्लेख भी अल्पसंख्यक समुदायके रूपमें किया है। मेरी रायमें तो यूरोपीयोंका उल्लेख ही अल्पसंख्यकोंके हितोंकी रक्षा की चीख-पुकारका शोषण साबित कर देता है। बहरहाल, जैसे भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, उनकी हिफाजतकी तो ब्रिटिश सरकारकी तरह कांग्रेसको भी चिन्ता है। मैं ब्रिटिश सरकारसे यह याद रखने को कहना चाहूँगा कि जिसे सर सैम्युअलने कांग्रेसी भारत कहा है,

१. यह "फाउंड वार्टिंग" (खरा नहीं उतरा) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। वक्तव्य २८ अक्टूबरके भाँगे क्रॉनिकल और हिन्दूमें भी प्रकाशित हुआ था।

२. २६ अक्टूबरको कामन्स समामे भारतपर हो रही बहसका उतर देते हुए; देखिय परिशिष्ट १४।

३. देखिय पृ० २८६-९०।

उसके सर्वथा नगण्य अल्पसंख्यामें पहुँच जाने की पूरी सम्भावना है। सर सैम्युअल द्वारा भारतका कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी इन दो हिस्सोंमें बाँटा जाना मुझे अच्छा लगा है। और अगर गैर-कांग्रेसी भारतमें केवल देशी नरेश ही नहीं, बल्कि उनकी तमाम प्रजा, सभी मुसलमान, हिन्दू महासभाके प्रतिनिधित्वको स्वीकार करनेवाले लोग और कांग्रेसी भारतका अंग बनने से इन्कार करनेवाले अन्य सभी लोग शामिल हों तो वास्तवमें खतरा बहुसंख्य गैर-कांग्रेसी भारतसे कांग्रेसी भारतको होगा। और एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्गकी प्रतिनिधि होते हुए भी, जो कुछ हदतक तो बाहरी कारणोंसे लेकिन अधिकांशमें स्वेच्छासे पूर्णतः निःशस्त्र है, कांग्रेसको अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी है।

मुझे इस बातकी खुशी है कि सर सैम्युअल होरने घोषणा की है कि वर्तमान ब्रिटिश नीति मेरी सुझाई नैतिक तुलामें तोली जानी है। मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर सर सैम्युअलका भाषण ब्रिटिश सरकारकी ओर से कहा गया अन्तिम वचन है तो ब्रिटेनकी राजनीतिक नैतिकता उस तुलापर हलकी उतरेंगी। सर सैम्युअलने असहयोगको निष्फल सिद्धान्त बताकर उसकी खिल्ली उड़वाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह वैयासिक निष्फल नहीं है जैसा वे सोचते हैं। इसने भारतके करोड़ों लोगोंकी नजरोंमें अपनी सामर्थ्य सिद्ध की है और अगर कांग्रेस पूर्णतः अहिंसक रहती है—और मुझे तो आशा है कि रहेगी—तो वह अपनी सामर्थ्य फिर सिद्ध करेगा। कांग्रेसका निर्णय^१ कर्त्तव्यके मार्गपर आरुढ़ होने का ऐसा आह्वान है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। इसने कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार दोनोंको निकप पर चढ़ा दिया है। यदि दोनों खरा खेल खेलेंगे तो उससे केवल लाभ ही होगा।^१

सेर्गाव, २७ अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-११-१९३९

१. यह कि मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे दें; देखिए परिशिष्ट २३।

२. देखिए "अच्छा भी और बुरा भी", पृ० ३५४-५५ भी।

३५१. तार : 'न्यूज क्रॉनिकल' को

[२८ अक्टूबर, १९३९ के पूर्व]

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कांग्रेसके आमन्त्रणके उत्तरमें वाइसराय महोदयने ब्रिटिश सरकारकी ओरसे जो वक्तव्य^१ दिया है वह जितना क्षोभकारी सिद्ध हुआ है उससे अधिक क्षोभकारी उसे नहीं बनाया जा सकता था। कांग्रेसने यह नहीं कहा था कि भारतकी स्वतन्त्रताकी माँगका उत्तर दिया जाये। उसमें तो ब्रिटेनको सिर्फ इस बातकी याद दिलाई गई थी कि लोकतन्त्रको बचाने के लिए हिटलरके खिलाफ छेड़ी गई उसकी लड़ाईमें भारतका कहीं कोई स्थान है या नहीं, इसकी घोषणा उसने आजतक नहीं की है। भारत स्वतन्त्रताको पचाने के लिए तैयार है या नहीं, इसका उस माँगसे कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु स्पष्ट है कि कांग्रेसकी माँगका गलत अर्थ लगाया गया और वाइसरायने एक प्रकारका गोलमेज सम्मेलन आरम्भ कर दिया, जिसमें किसी सदस्यको पता नहीं कि दूसरे सदस्यने वाइसरायसे क्या कहा, और इन्हीं वार्ताओंके परिणामस्वरूप उनसे एक ऐसा वक्तव्य तैयार करने के लिए कहा गया जिसका, हमारे सम्मुख आज जो अभूतपूर्व उथल-पुथल मची हुई है, उससे कतई कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक सगठनोंकी शक्तिका जायजा लेना चाहती थी तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि कांग्रेस सरकारके मापदण्डपर खरी नहीं उतर सकती थी। किन्तु कांग्रेसने तो अपने सम्मुख एक उच्चतर ध्येय रखा था। कांग्रेस वह नैतिक समर्थन प्रदान कर ब्रिटेनकी सहायता करना चाहती थी जो उसकी अपनी विशेषता है और जो उसके पास देने को एकमात्र चीज है। लेकिन ऐसा वह तबतक करने को तैयार नहीं थी जबतक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि ब्रिटेनकी राजनीतिक नैतिकता पूर्णतः अक्षुण्ण है। ब्रिटिश सरकार इस बातको समझ ले कि भारत आजादीकी भीख नहीं माँग रहा है, यही मेरी कामना है। कांग्रेसने ब्रिटेनसे अनुरोध किया था कि वह यह कह दे कि वह भारतकी आजादीका विरोध नहीं

१. यह तार "कांग्रेस डिमांड मिसत्रंटरस्टुट" (कांग्रेसकी माँगका गलत अर्थ लगाया गया) शीर्षकसे इस टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुआ था कि इसे "न्यूज क्रॉनिकल (लन्दन)के अनुरोधपर" भेजा गया था।

२. देखिय परिशिष्ट १२।

करेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या तथा अन्य कठिनाइयाँ तो हैं ही। प्रश्न यह है कि क्या महायुद्धके समाप्त होने पर ब्रिटेन अलग रहकर भारतको अपने ढंगसे अपनी कठिनाइयाँ सुलझाने देगा। इसीलिए कांग्रेसने संविधान-सभाका सुझाव रखा है, जिसमें सभी समुदायोंका पूर्ण प्रतिनिधित्व होगा और वे लोग मिलकर भारतका संविधान तैयार करेंगे। वक्तव्यसे जो नुकसान हुआ है वह वास्तविक है। कार्य-समितिये एक नरम-सा प्रस्ताव^१ पास किया है। वह अब भी भूल-सुधारके लिए अवसर देता है। क्या ब्रिटिश जनता अब भी महसूस करेगी कि यह एक गम्भीर भूल है अथवा क्या वह अब भी इस सम्मोहक धारणासे चिपकी रहेगी कि भारत-कार्यालय कभी गलती नहीं कर सकता और भारतको हमेशा उनकी दुष्गुरु गाय बने रहना चाहिए? मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जबतक कांग्रेस अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेती, तबतक न तो वह चैनसे बैठेगी और न किसी को चैनसे बैठने देगी। अपने लक्ष्यको प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहने पर ही उसका अस्तित्व निर्भर है और वह लक्ष्य है भारतके लिए पूर्ण स्वतन्त्रता।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१०-१९३९

३५२. टिप्पणियाँ

ठक्कर बापा और भारत सेवक मण्डल

भारत सेवक मण्डलको अपने प्राणोंकी तरह प्रिय समझनेवाले एक मित्र ठक्कर बापा कोषके लिए दस रुपये का चन्दा भेजते हुए लिखते हैं^१ :

ठक्कर बापाकी प्रशंसामें लिखे गये आपके एक-एक शब्दका^१ मैं समर्थन करता हूँ। इस सम्बन्धमें मेरा एक ही सुझाव है, और वह यह कि बापा भारत सेवक मण्डलके एक सदस्य हैं, इस बातका जिक्र भी होना चाहिए था। बापाने जो सेवा-कार्य किया, मण्डल भले ही उसका श्रेय न ले; लेकिन यह भी सही है कि उसने बिना किसी उज्रके उनको हरिजन सेवक संघमें रहकर काम करने दिया है, और बापा द्वारा मानव-जातिकी जो महान् सेवा हुई है, उसपर उसने हमेशा ही अभिमान किया है।

१. देखिए परिशिष्ट १३।

२. देखिए पृ० २९२।

यह गिकायत विलकुल ठीक है। बापाकी कई विशेषताओका उल्लेख करते हुए मैं उनकी एक खास विशेषताका उल्लेख करना भूल गया हूँ, इसका मुझे वास्तवमें खयाल भी न था। बात यह है कि भारत सेवक मण्डलका सदस्य बनने के लिए बापाने बम्बई नगरनिगमके रोड इंजीनियरका पद छोड़ा था। हरिजन सेवक संघको उनकी सेवाएँ भारत सेवक मण्डलकी ओरसे वतौर कर्जके मिली। मैं मानता हूँ कि मेरी ओरसे भारत सेवक मण्डलको किसी प्रकारके विज्ञापनकी जरूरत नहीं है। और चूँकि मैं अपने-आपको इसका एक स्वतः नियुक्त और अनधिकृत सदस्य समझता हूँ, इसलिए इसकी प्रशंसामें कुछ लिखना मैं अपनी ही प्रशंसा करने के समान समझता हूँ। लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं ऐसे नाजुक काम भी अच्छी तरह कर सकता हूँ। भारत सेवक मण्डलके नामका उल्लेख तो संयोगसे ही छूट गया था। मुझपर कामका काफी बड़ा बोझ रहता है। मेरा इरादा तो था कि मैं बापाकी चर्चके सिलसिलेमें भारत सेवक मण्डलका भी उल्लेख करूँगा, लेकिन जैसा कि जाहिर है, मैं उस इरादेको अंजाम न दे सका। मुझे आशा है कि किंचित् विलम्बसे किये गये इस उल्लेखके फलस्वरूप बापा कोषके लिए, यानी हरिजन-कोषके लिए और भी ज्यादा धन प्राप्त होगा। मैं चाहता हूँ कि सभी भारत-सेवक भी — चाहे वे मण्डलके अधिकृत सदस्य हों या अनधिकृत — इस कोषके लिए धन-संग्रह करने के निमित्त रोज अपना थोड़ा समय दें। वे लोगोसे एक-एक पैसा उगाहें, इसमें भी मैं कोई हर्ज नहीं मानता। बल्कि स्वयं हरिजनो और उनके असंख्य गरीब प्रेमियोसे एक-एक पैसा इकट्ठा करना बापाकी सच्ची प्रशस्ति होगी। यहाँ समयकी कमीका सवाल किसीको नहीं उठाना चाहिए। चन्दा एकत्र करने के काममें जो नौसिखिये हैं, उनसे एक अनुभवी चन्दा उगाहनेवाले के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि छोटे या बड़े जो भी कोष इकट्ठे किये जाते हैं, उनमें महीनों कमी नहीं लगते। अगर हेतु अच्छा हो और उगाहीका प्रबन्ध सुव्यवस्थित हो, तो कुछ ही दिनोंमें ये कोष जमा हो जाते हैं। वे यह भी जान लें कि तिलक-स्वराज्य कोषमें एक करोड़ रुपया सिर्फ एक महीनेमें जमा हुआ था।

सेर्गाव, २८ अक्तूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-११-१९३९

३५३. सन्देश : बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन, पूनाको

सेगाँव

२८ अक्तूबर, १९३९

मुझे आशा है, पूनामें जो शिक्षा-सम्मेलन होने जा रहा है उसमें जो-कुछ भी किया जायेगा वह नयी तालीम, जिसे अंग्रेजीमें बेसिक एज्युकेशन कहा जाता है, की नवीनताको ध्यानमें रखकर किया जायेगा। जिस तरह किसी रासायनिक प्रयोगमें द्रव्योंको घटा-बढ़ा नहीं सकते, ठीक उसी तरह वर्धा-योजनाकी मूल बातोंमें से न तो किसीको हटाया जा सकता है और न उनमें किसीको शामिल ही किया जा सकता है। इस योजनाकी नवीनता यह है कि सारा शिक्षण किसी ग्रामीण दस्तकारीके माध्यमसे ही होगा। और हमारा यह उद्देश्य चालू पाठ्यक्रममें किसी ग्रामीण दस्तकारीका समावेश कर देने-भरसे ही पूरा नहीं हो जायेगा।

मो० क० गां०

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-११-१९३९

३५४. पत्र : पुरातन जे० बुचको

सेगाँव, वर्धा

२८ अक्तूबर, १९३९

वि० पुरातन,

तेरा पत्र मिला। जब तू आनेकी इच्छाको न दवा सके तब आ जाना। तेरे-जैसे लोगोंके लिए हमेशा जगह रहती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१७४) से।

१. यह सन्देश “टिप्पणियों” के अन्तर्गत “बुनियादी शिक्षा” उप-शीर्षकसे “हिन्दी सन्देशका अनुवाद” के रूपमें प्रकाशित हुआ था।

३५५. पत्र : मुन्नालाल गं० शाहको

सेगाँव

२८ अक्तूबर, १९३९

त्रि० मुन्नालाल,

तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। सर्वथा शान्त-चित्त होकर लीटना। पाण्डिचेरी जरूर जाना। मैं तुम्हारी राह तो देखता ही रहूँगा। तुम्हारे बिना मुझे सूना-सूना तो लगता ही है। लेकिन तुम्हारा भला तुम्हें वहाँ भेजनेमें ही था। कंचनको बुलाकर तुमने ठीक किया। यदि वह आये तो ठीक है, न आये तो भी कोई बात नहीं।

बापूके आशीर्वाद

श्री मुन्नालालजी सेगाँववाले

रमण आश्रम

तिरुवण्णामलई

दक्षिण भारत

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५५६)से। सी० डब्ल्यू० ७०६२ से भी;
सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

३५६. पत्र : कृष्णचन्द्रको

सेगाँव

२८ अक्तूबर, १९३९

त्रि० कृष्णचन्द्र,

१ मतलब यह है कि पुरुष जब निर्विकार हो जाता है तब वह स्त्रीरूप हो जाता है, अर्थात् वह स्त्रीको अपनेमें समाहित कर लेता है। और यही बात निर्विकार स्त्रीके सम्बन्धमें कही जा सकती है।' निर्विकारताकी कल्पना मनमें करने से भेरा अर्थ स्पष्ट हो जायगा। ऐसे स्त्री-पुरुष देखनेमें नहीं आते हैं यह दूसरी बात है।

२ अनेक संगीतके साथ एकतारा मिल जाता है उसकी जगह कोई दूसरा वाजिन् [वाद्ययन्त्र] नहीं लेता। एकतारा सूर-पूति करता है ऐसे रामनाम। अगर

१. "जब निर्विकार हो जाना है" से लेकर "कही जा सकती है" तक का अंश गुजरातीमें है। शेष पत्र हिन्दीमें है।

हमारे हृदयमें रामनाम अंकित हो जाता है तो नीदमें जैसे श्वास चलता रहता है ऐसे ही रामनाम चलता है।

३. हम सब मिताहारके नामसे भी अल्पाहार कर लेते हैं इसलिये 'गीता' में 'लघ्वाहार' शब्द-प्रयोग है।^१ अल्पका मतलब भूख खीचना कभी नहीं है। कोईक मनुष्य ही सचमुच भूखों रहता है। अशक्ति कभी नहीं लगनी चाहिये। सबके अल्पाहारकी मात्रा भिन्न रहेगी।

पंचगनीके खतकी बात स्मरणमें रखुंगा।

जापानी भाईकी हिंदी छुटनी नहीं चाहिये और कुछ छोड़ सकते हो।^१

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३३०)से।

३५७. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

सेगाँव, वर्षा

२८ अक्तूबर, १९३९

चि० हरिभाऊ,

तुमारा पत्र मिला। मैं कोई निर्णय जल्दी नहीं करूंगा। अब तुमको तकलीफ नहीं दूंगा। तुमारा सर्वोपरि धर्म शांत स्थानमें बैठकर शरीर अच्छा करना है। यदि वहाँ उपाधि रहे तो दिल्ली क्यों नहीं? वहाँकी आबोहवा आजकल तो बहुत अच्छी रहती है।

बापुके आशीर्वाद

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०८७)से; सौजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय

१. भगवद्गीता, १८/५२। 'गीता' में वास्तवमें 'लघ्वाशी' शब्दका प्रयोग हुआ है।

२. पत्रके अन्तमें कृष्णचन्द्रने यह टिप्पणी लिखी है कि मैंने जापानीका अभ्यास छोड़ा है, जापानी भाईको हिन्दी पढ़ानी नहीं छोकी है। बापुको समझने में फेर; भा है।

३५८. पत्र : अमृतकौरको

मेगांव

२९ अक्तूबर, १९३९

बुबारा नहीं पढ़ा

प्रिय पगली,

कोई भी चीज कभी भी सीखी जा सकती है। सीखने की उम्र वीत गई, यह कभी नहीं कहा जा सकता। यह तो केवल तुम्हारा आलस्य है जो तुमसे यह कहलवाता है कि तुम शायद सीखने की उम्र पार कर चुकी हो। और गलती बताने पर जिस चीजको ठेस पहुँचती है वह तुम्हारा अह है। तुम्हें सेगाँवसे कोई नहीं खदेड़ेगा। यह काम तो केवल तुम्हीं कर सकती हो। तुम्हीं सेगाँवसे अपने-आपको खदेड़ सकती हो। और सेगाँवमें रहनेवाले पगले नहीं हो सकते, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मेरा खयाल था कि तुममें यह देख सकने लायक अन्तर्दृष्टि है कि सेगाँव तो पागल, कमजोर तथा विचित्र और ऐसे ही अन्य लोगोंकी शरण-स्थली है।

अब तो मनको ठिकाने ले आओ।

स्नेह।

बापू

[पुनश्च :]

हवाई डाकसे आया एक पत्र पता बदलकर भेज दिया गया था। यदि महादेव अभी वही है तो उन्हें बता देना कि मुझे उनका पत्र मिल गया था।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६६१)से; सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० ६४७० से भी

३५९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेर्गाव, वर्षा
२९ अक्तूबर, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

मैंने तुम्हें कल एक पत्र लिखा था। यह तो मेरठसे प्राप्त एक शिकायत^१ तुम्हें भेजने के लिए लिख रहा हूँ। जाँच-पड़ताल करके सीधे पत्र-लेखकको उत्तर भेज देना। मैंने उन्हें बता दिया है कि उनका पत्र तुम्हें भेज दिया है।
स्नेहो।

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू^१ पेपर्स, १९३९; सीजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

३६०. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

सेर्गाव, वर्षा
[३० अक्तूबर, १९३९ के पूर्व]^१

वि० प्रेमा,

तू क्यों निराश होती है ?^१ तेरी श्रद्धा कितनी छिछली है ? सारा जगत् विरोध करे तो भी जो टिके वही श्रद्धा है, उसीका मूल्य है। इसके बिना अहिंसा कैसे टिक सकती है ? यदि तू यह कहे कि तुझमें अहिंसा है ही नहीं, तो यह एक अलग बात हुई। ऐसा हो तो उसमें तू क्या कर सकती है ? और यदि ऐसा हो

१. मेरठमें ४ अक्तूबरको साम्प्रदायिक दंगे हो गये थे। उनके दमनके लिए सेना जुलाई गई थी और अनेक गिरफ्तारियाँ भी हुई थीं। सम्भवतः यहाँ तात्पर्य उसीसे है।

२. प्रेमाबहन कंटकके अनुसार पत्र अक्तूबर १९३९ में किसी समय लिखा गया था। प्रेमाबहन कंटक, जो महिला स्वयंसेवक दल तैयार करनेके लिए विद्यार गई थीं, ३० अक्तूबर, १९३९ को वर्षा पहुँची थीं; देखिए “पत्र : कंचनबहन मु० शाह को” और “पत्र : शारदाबहन गो० चोखवालको”, पृ० ३५८-५९।

३. बापूला पत्रो-५ : प्रेमाबहन कंटकने, मे पृ० २७० पर प्रेमाबहन कंटक लिखती हैं : “विश्वयुद्धको ध्यानमें रखते हुए कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्ताव पास किया कि पार्टीके कार्यक्रममें अहिंसका स्थान सर्वप्रमुख नहीं हो सकता।”

भी तो इसमें निराशा होने की क्या बात है ? वैसे स्थितिमें तो जो हो उसे तुझे देखते रहना चाहिए। यदि मुझमें सच्ची अहिंसा हुई तो तुम लोगोमें मे किसी-न-किसीमें ऐन वक्तपर वह अवश्य दिप उठेगी। लेकिन अगर मुझमें ही सच्ची अहिंसा न हो तो तुम सबमें कहाँसे आयेगी ? इसलिए परीक्षा तो मेरी हो रही है, इसमें तुझे तो आनन्दसे झूम उठना चाहिए।

विहारमें तूने अच्छी शुरुआत की है। लेकिन अब क्या होगा ? किया हुआ काम तो कदापि व्यर्थ नहीं जायेगा। लौटते समय तो तू यहाँ स्केगी ही ?

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०४०२) से। सी० डब्ल्यू० ६८४१ मे भी;
सौजन्य प्रभावहन कटक

३६१. बिना शर्त सहायता ?

कुछ अग्रेज दोस्त हैरान होकर पूछते हैं, “खबर है, आपने कहा है कि आप इंग्लैंडकी बिना शर्त सहायता करेगे। क्या आपने सचमुच ऐसा कहा है ?” इस खबरका मूल तो मेरा वह पहला वक्तव्य^१ है, जो मैंने वाइसरायके साथ अपनी मुलाकातके बाद जारी किया था। उसमें “बिना शर्त सहायता” शब्द नहीं आये हैं। लेकिन उस वक्तव्यमें मैंने जो स्थिति अपनाई थी, अगर कांग्रेसने उसे समझा होता तो कांग्रेसकी सहायता इस अर्थमें बिना शर्त होती कि वह इंग्लैंडसे युद्धके उद्देश्योंका स्पष्टीकरण करने की माँग न करती। मगर कार्य-समिति ईमानदारीके साथ वह स्थिति ग्रहण नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपना वह प्रस्ताव^२ पारा किया। उसे उक्त प्रस्ताव पास करने का पूरा अधिकार था और उसे पास करनेके कारण मौजूद थे। बादकी घटनाओने यह सिद्ध कर दिया है कि कार्य-समितिका यह काम बुद्धिमानीका था। लेकिन अगर वह युद्धके उद्देश्योंकी घोषणा करने की माँग न करती, तो उसका सहयोग बिना शर्त होता। याद रखिए, अपने सविधानके अनुसार कांग्रेस एक अहिंसावादी सस्था है। इस कारण उसकी सहायता केवल नैतिक ही हो सकती थी। उसके पाम देनेके लिए न सिपाही हैं और न धन ही। लेकिन वह अपनी शुभेच्छाएँ अवश्य दे सकती थी, और मेरी रायमें उसकी शुभेच्छाएँ कई वटालियनोंके मुकाबले कहीं भारी सिद्ध होती। कांग्रेसकी सहायता इंग्लैंडके पक्षको ऐसी नैतिक नीवपर स्थित कर देती, जिसे कोई किसी तरहकी चोट नहीं पहुँचा सकता था। उससे ब्रिटेनके पक्षका औचित्य इस तरह सिद्ध होता जिसका अन्दाजा

१. देखिए पृ० १७८-८०।

२. ४ सितम्बरको शिमलामें

३. देखिए परिशिष्ट ८।

नहीं लगाया जा सकता। ससार-भरकी गुलाम जातियाँ स्वतन्त्रताकी एक अवर्णनीय दीप्तिका अनुभव करती। अंग्रेजोंकी नैतिक साख एक ही बारमें बहुत ऊँची हो जाती। यह होता कांग्रेसकी बिना शर्त सहायताका मतलब।

पर ईश्वरकी इच्छा कुछ और थी। अंग्रेज राजनीतिज्ञको कांग्रेसके अहिंसाके दावेमें पर्याप्त विश्वास नहीं था। मुझे यह बात मान लेनी चाहिए कि परीक्षा लेने पर कांग्रेस किसी सख्त मगर न्यायशील परीक्षकको सन्तोष देने लायक ढंगसे उत्तीर्ण भी नहीं हो पाती। बहरहाल, मेरे अंग्रेज मित्रोंको मेरी स्थिति समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बेशक वे यह कह सकते हैं, कि युद्ध-विरोधी होने के नाते मैं नैतिक सहायता भी नहीं दे सकता था। मैं यह बात इन पृष्ठोंमें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ऐसा कोई विचार नहीं रखता। युद्ध-विरोधीको यह अधिकार है कि वह लड़नेवाले दो पक्षोंके बारेमें विचार करे और जो न्यायपर हो उसके लिए सफलताकी कामना करे। मूक दर्शक बने रहने के बजाय इस तरह निर्णय करके वह उभय पक्षोंके बीच शान्ति स्थापित करने में सम्भवतः कहीं अधिक योग दे सकता है।

सेर्गाव, ३० अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरजिन, ४-११-१९३९

३६२. मेरा जीवन

‘बॉम्बे क्रॉनिकल’ में उसके इलाहाबाद-स्थित संवाददाता द्वारा प्रेषित निम्न-लिखित समाचार प्रकाशित हुआ है :

गांधीजी के बारेमें इंग्लैंडकी कामन्स सभामें जो चर्चाएँ होती रही हैं उनके सम्बन्धमें बड़ी चोंका देनेवाली खबरें प्रकाशमें आई हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड टॉमसनने, जो हालमें ही इलाहाबाद आये थे, इंग्लैंडमें फैली हुई विचित्र मनोवृत्तिपर कुछ रोशनी डाली है। श्री टॉमसन यहाँ कुछ राजनीतिक नेताओंसे भी मिले थे, जिनसे उन्होंने गांधीजी के सम्बन्धमें कामन्स सभामें फैली हुई तीन अफवाहोंके सम्बन्धमें कहा बताते हैं :

१. गांधीजी ब्रिटिश सरकारके साथ बिना शर्त सहयोग करना चाहते हैं।
२. गांधीजी अब भी कांग्रेसपर प्रभाव डाल सकते हैं।
३. गांधीजी के वासनामय जीवनके सम्बन्धमें कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनके आधारपर यह खयाल बनता है कि गांधीजी अब वह सन्त पुष्य नहीं रह गये हैं।

श्री टॉमसनका खयाल है कि गांधीजी के 'वासनामय जीवन' के सम्बन्धमें जो धारणाएँ बनी हैं वे कुछ भराठी पत्रोंके आधारपर बनी हैं। मुझे मालूम हुआ है, उन्होंने इसकी खर्चा सर तेजबहादुर सप्रसे की, जिन्होंने इसका खण्डन किया। बादमें उन्होंने पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री पी० एन० सप्रसे भी इस बारेमें बातचीत की, और उन्होंने भी जोरोंसे इसका खण्डन किया।

ऐसा जान पड़ता है कि इंग्लैंडसे रवाना होने के पहले श्री टॉमसन कामन्स सभाके कई सदस्योंसे मिले थे। इलाहाबादसे रवाना होने से पहले श्री टॉमसनने पंडित नेहरूकी सलाहसे एक पत्र कामन्स सभाके सदस्य श्री धीनबुडके पास भेज दिया था, जिसमें उन्होंने गांधीजी के बारेमें फँली हुई कहानियोंको बिल्कुल निराधार बताया था।

श्री टॉमसनने सेर्गाव आने की भी कृपा की थी। उन्होने इस रिपोर्टको तत्त्वतः ठीक बताया।

'विना शर्त सहायता' की बातके सम्बन्धमें मैंने इसी अकमें अन्यत्र लिखा है। कांग्रेसपर मेरा जो-कुछ प्रभाव है उसके सम्बन्धमें देशको जल्दी ही पता लग जायेगा।

तीसरे आरोपके बारेमें कुछ स्पष्टीकरण जरूरी है। दो दिन पहले चार-पाँच गुजराती भाइयोंने मेरे नाम एक चिट्ठी भेजी; उसके साथ एक समाचारपत्र था, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही जान पड़ता है कि किसीके चरित्रको जितना काला चित्रित किया जा सकता है उतना काला मेरे चरित्रको चित्रित करे। इस समाचार-पत्रके शीर्षकके अनुसार इसका उद्देश्य 'हिन्दुओका संगठन' करना है। मेरे खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं वे अधिकतर मेरी आत्म-स्वीकृतियोंपर आधारित हैं, जिन्हे सन्दर्भसे अलग करके पेश किया गया है। दूसरे कई आरोपोंके साथ वासनामय जीवनका आरोप सबसे प्रमुख है। कहा गया है कि मेरा ब्रह्मचर्य अपनी वासनाको छिपाने का एक साधन है। बेचारी डॉक्टर सुशीला नैयरको मेरी मालिश करने एव मुझे उपचार-सम्बन्धी स्नान कराने के अपराधमें जनताकी नजरके सामने घसीटकर लाया गया है। ये दो बातें ऐसी हैं जिनके लिए मेरे आसपासके व्यक्तियोंमें वे सबसे अधिक योग्य हैं। उत्सुक व्यक्तियोंकी जानकारीके लिए मैं यह बतला दूँ कि ये काम एकान्तमें कभी नहीं किये जाते। ये काम डेढ़ घंटेसे भी अधिक समयतक चलते रहते हैं और इनके दौरान मैं प्रायः सो जाता हूँ, लेकिन साथ ही मैं इस दौरान कभी-कभी महादेव, प्यारेलाल या दूसरे साथियोंके साथ काम भी करता रहता हूँ।

जहाँतक मुझे पता है, इन आरोपोंका आरम्भ अस्पृश्यताके विरुद्ध छेड़े गये मेरे सक्रिय आन्दोलनके साथ हुआ। यह उस समयकी बात है, जब अस्पृश्यता-निवारणको कांग्रेसके कार्यक्रममें शामिल किया गया और मैंने इस विषयपर सभाओंमें बोलना आरम्भ किया, और हरिजनोंके सभाओं तथा आश्रमोंमें आने पर मैं जोर देने लगा।

उसी समय कुछ सनातनी, जो पहले मेरी सहायता करते और मुझसे मित्रता रखते थे, मुझसे अलग हो गये, और उन्होंने मुझे बदनाम करने का एक आन्दोलन आरम्भ कर दिया। बादमें एक बहुत प्रभावशाली अंग्रेज इस आन्दोलनमें शामिल हो गया। उसने स्त्रियोंके साथ मेरे मुक्त व्यवहारको आधार बनाकर मेरे 'सन्तपन' को पापपूर्ण जीवन बताया। इस आन्दोलनमें एक-दो प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी भी शामिल थे। गोलमेज सम्मेलनके अवसरपर कुछ अमेरिकी अखबारोंने मेरे बड़े-निष्ठुरतापूर्ण व्यंग्य चित्र प्रकाशित किये। मीराबहन, जो उस समय मेरी देखरेख करती थी, इन हमलोका लक्ष्य बनीं। श्री टॉमसन उन सज्जनोंसे परिचित हैं जो इन आरोपोंके पीछे हैं, और जहाँतक मैं उनकी बात समझ सका, साबरमती आश्रमकी सदस्या प्रेमाबहन कंटकके नाम लिखी गई मेरी चिट्ठियाँ भी मेरी नीचताको सिद्ध करने के लिए काममें लाई गई हैं। प्रेमाबहन एक ग्रेजुएट महिला और योग्य कार्यकर्त्री हैं। वे ब्रह्मचर्य और इसी प्रकारके अन्य विषयोंपर प्रबल पृष्ठा करती थी। मैं उन्हें पूरे जवाब भेजता था। उन्होंने यह सोचकर कि ये जवाब सर्वसाधारणके लिए भी उपयोगी होंगे, मेरी अनुमतिसे उन्हें प्रकाशित कर दिया। मैं उन्हें बिल्कुल निर्दोष और पवित्र मानता हूँ।

अभीतक मैंने इन आरोपोंको नजरअन्दाज किया है। लेकिन श्री टॉमसनकी बातें और गुजराती पत्र-लेखकोंका आग्रह, जो कहते हैं कि उन्होंने जो आलोचना भेजी है वह तो मेरे बारेमें कही जा रही बातोका नमूना-भर है, मुझे इन आरोपोंका खण्डन करने के लिए बाध्य करते हैं। मेरे इस जीवनमें कोई गोपनीयता नहीं है। मैंने अपनी कमजोरियाँ स्वीकार की हैं। अगर वासनाकी ओर मेरा ख्यान होता, तो मुझमें इतना साहस है कि मैं उसे कबूल कर लेता। जब मेरे अन्दर अपनी पत्नीतक के साथ विषय-सम्बन्ध रखने के प्रति अरुचि हो गई और इस सम्बन्धमें मैंने अपनेको काफी आजमा लिया तभी, और अधिक लगनके साथ देखा-सेवा करने के लिए, मैंने १९०६ में ब्रह्मचर्यका व्रत लिया। उसी दिनसे मेरा खुला जीवन शुरू हो गया। सिर्फ उन अवसरोंको छोड़कर, जिनका मैंने 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' के अपने लेखोंमें उल्लेख किया है, और कभी मैं अपनी पत्नी या अन्य स्त्रियोंके साथ दरवाजा बन्द करके सोया होऊँ या रहा होऊँ, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। और वे रातें मेरे लिए सचमुच काली रातें थी। लेकिन जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, मेरी कमजोरियोंके बावजूद ईश्वरने मुझे बचाया है। मुझमें अगर कोई गुण हो तो मैं उसका कोई श्रेय स्वयंको नहीं देता। मेरे लिए तो सब गुणोंका दाता वही है और उसीने अपनी सेवाके लिए सदा मेरी रक्षा की है।

जिस दिनसे मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया उसी दिनसे हमारी स्वतन्त्रताका आरम्भ हुआ। मेरी पत्नी मेरे स्वाभित्वके अधिकारसे मुक्त हो गई, और मैं अपनी उस वासनाकी दासतासे मुक्त हो गया जिसकी पूर्ति उसे करनी पड़ती थी। जिस

अर्थमें मैं अपनी पत्नीके प्रति अनुरक्त था उस अर्थमें अन्य किसी स्त्रीके प्रति मेरा आकर्षण कभी नहीं रहा। पतिके रूपमें अपनी पत्नीके प्रति और अपनी माताके सामने की गई अपनी प्रतिज्ञाके प्रति मैं इतना बफादार था कि किसी अन्य स्त्रीका दास बन ही नहीं सकता था, लेकिन जिस तरह मेरे अन्दर ब्रह्मचर्यका उदय हुआ उसके कारण मैं माताके रूपमें स्त्रियोंके प्रति दुर्निवार रूपसे आकृष्ट हुआ। स्त्रियाँ मेरे लिए इतनी पवित्र हो गईं कि मैं उनके प्रति वामनाभय प्रेमका खयाल ही नहीं कर सकता। इसलिए तत्काल हरएक स्त्री मेरे लिए बहन या बेटेकी तरह हो गईं। फीनिक्समें मेरे आसपास काफी स्त्रियाँ रहती थीं। उनमें से कई तो मेरी रिश्तेदार ही थीं, जो मेरे कहने से दक्षिण आफ्रिका आई थीं। अन्य मेरे साथी कार्यकर्ताओंकी पत्नियाँ या रिश्तेदार थीं। इन्हीं में वेस्ट-परिवार तथा अन्य अग्रेज थे। वेस्ट-परिवारमें वेस्ट, उनकी बहन, पत्नी और सास, इतने व्यक्ति थे। उनकी सास उस छोटी-सी बस्तीकी दादी माँ बन गई थी।

जैसी कि मेरी आदत है, इस नयी और अच्छी बातको मैं अपने तक ही सीमित नहीं रख सका। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्यको सभी आश्रमवासियोंके सामने उनके स्वीकारार्थ रखा। सभीने उसे पसन्द किया और कुछ लोग यह व्रत लेकर इस आदर्शके प्रति सच्चे भी रहे। लेकिन ब्रह्मचर्यके पालनके लिए जो पुराने दकियानूसी नियम बने हुए थे, उनसे मेरे ब्रह्मचर्यका कोई सम्बन्ध नहीं था। मैंने तो जब जैसी जल्दतर देवी, उसके अनुसार अपने ही नियम बनाये। लेकिन मेरा यह विश्वास कभी नहीं रहा कि ब्रह्मचर्यके सही पालनके लिए स्त्री-सम्पर्क-मात्र त्याज्य है। जो समय स्त्री और पुष्पके सम्पर्क-भात्रपर — चाहे वह कितना ही निर्दोष क्यों न हो — अकुश लगाता है वह बलात् धारण किया गया समय है, जिसका कोई महत्त्व नहीं है। इसलिए सेवा या काम-काजके लिए स्वाभाविक सम्पर्कपर कभी कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा। और दक्षिण आफ्रिकामें मैं अनेक यूरोपीय एवं हिन्दुस्तानी बहनोके लिए ऐसा व्यवित्त बन गया जिसे वे अपनी सारी बातें पूरे विश्वासके साथ बताती थीं। और जब दक्षिण आफ्रिकामें मैंने भारतीय बहनोको सत्याग्रह-आन्दोलनमें भाग लेने के लिए निमन्त्रित किया, तो मुझे लगा कि मैं भी उन्हींमें से एक हूँ। मुझे इस बातका पता चल गया कि स्त्री-जातिकी सेवाके लिए मैं खास तौरसे उपयुक्त हूँ। इस कहानीको (जो मेरे लिए बड़ी रोमांचकारी है) संक्षेपमें खत्म करने के लिए मैं कहूँगा कि भारत लौटने पर यहाँ भी जल्दी ही मैं भारतीय स्त्रियोंसे हिलमिल गया। मेरे लिए यह एक सुखद रहस्योद्घाटन था कि मैं उनके हृदयोत्क कितनी आसानीसे पहुँच जाता हूँ। दक्षिण आफ्रिकाकी तरह यहाँ भी मुसलमान स्त्रियोने मुझसे कभी पर्दा नहीं किया। आश्रममें मैं स्त्रियोंसे घिरा हुआ सोता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वे अपनेको हर तरहसे सुरक्षित महसूस करती हैं। मुझे यह भी याद दिला देना चाहिए कि सेगाँव आश्रममें कोई एकान्त नहीं है।

अगर स्त्रियोंके प्रति मेरा झुकाव वासनापूर्ण होता, तो अपने जीवनके इस कालमें भी मुझमें इतना साहस है कि मैंने कई धारियाँ कर ली होती। गुप्त या

खुले स्वच्छन्द प्रेममें मेरा विश्वास नहीं है। खुले स्वच्छन्द प्रेमको मैं तो कुत्तोंका प्रेम समझता हूँ। और गुप्त प्रेममें तो, इसके अलावा, कायरता भी है।

सनातनी हिन्दू मेरी अहिंसासे घृणा कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि उनमें से बहुतोंका यह खयाल है कि हिन्दू मेरे प्रभावमें रहे तो कायर बन जायेंगे। लेकिन मैं ऐसे किसी आदमीको नहीं जानता, जो मेरे प्रभावमें रहकर कायर बन गया हो। अतः मेरी अहिंसाका वे चाहे जितना विरोध कर सकते हैं। लेकिन सफेद झूठ का सहारा लेकर तो वे अपनी या हिन्दू-धर्मकी कुसेवा ही करते हैं।

सेर्गाव, ३० अक्तूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-११-१९३९

३६३. अगला कदम

ब्रिटिश सरकारके साथ उत्पन्न हुए वर्तमान गतिरोधके प्रसंगमें जिम्मेदारीका जितना बोझ मैं आज महसूस कर रहा हूँ उतना पहले कभी नहीं किया। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंका पद-त्याग आवश्यक था। लेकिन अगला कदम क्या हो, यह मुझे स्पष्ट नहीं है। कांग्रेसजन किसी बड़े पगकी आशा करते दिखाई देते हैं। कुछ पत्र-लेखकोंने मुझे लिखा है कि अगर मैं एक बार आह्वान कर दूँ तो ऐसा भारतव्यापी उत्तर मिलेगा जैसा पहले कभी नहीं मिला है और वे मुझे यह भरोसा भी दिलाते हैं कि लोग अहिंसक बने रहेंगे। उनके इस कथनके समर्थनमें उनके आवासनके अतिरिक्त मुझे कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता। मेरे पास तो इसके विपरीत निष्कर्ष देनेवाला प्रमाण है। उसमें से कुछकी चर्चा इन स्तम्भोंमें भी हो चुकी है। जबतक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि कांग्रेसजन अहिंसाके समस्त फलितार्थके साथ उसमें श्रद्धा रखते हैं और वे समय-समयपर दिये जानेवाले निर्देशोंका वैश्विक पालन करेगे तबतक मैं किसी सविनय अवज्ञामें हाथ नहीं डाल सकता।

आम कांग्रेसजनों द्वारा अहिंसाके पालनमें अनिश्चितताके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मुस्लिम लीग कांग्रेसको मुसलमानोंका शत्रु मान रही है। इसके फलस्वरूप सविनय अवज्ञाके माध्यमसे सफल अहिंसक क्रान्तिका संयोजन कांग्रेसके लिए प्रायः असम्भव हो गया है। आजकी स्थितिमें वैसी किसी क्रान्तिका परिणाम निश्चित रूपसे हिन्दू-मुस्लिम दंगा होगा। इसलिए अहिंसक कार्य-शैलीका तकाजा है कि सविनय अवज्ञाको राष्ट्रीय स्वाभिमानकी रक्षाका ध्यान रखते हुए जितना अधिक मर्यादित किया जा सकता हो उतना मर्यादित कर दिया जाये। पहला बार ब्रिटिश सरकारकी ओरसे ही होना है। ऐसी नाजुक और असाधारण परिस्थितिमें व्यक्तिके रूपमें किसी भी कांग्रेसी या पृथक् रूपसे किसी कांग्रेस कमेटीको भी कानूनको अपने हाथोंमें नहीं लेने दिया जा सकता। सविनय अवज्ञाकी घोषणा और नियमनका अधिकार केवल कार्य-समितिको ही होना चाहिए।

मैंने कार्य-समितिका मार्गदर्शन करने का दायित्व लिया है, लेकिन मेरी सीमाएँ मुझे विचलित कर देती हैं। मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि मैं पहलेकी तरह यहाँ-वहाँ आ-जा नहीं सकता। इसलिए जन-साधारणमे मेरा बाहरी सम्पर्क टूट गया है। वर्तमान कांग्रेसी कार्यकर्ताओंको भी मैं व्यक्तिगत रूपमे नहीं जानता। मैं उनमे कभी मिलता नहीं। मेरा पत्र-व्यवहार भी यथासम्भव नीमित ही रहता है। इसलिए मैं आज प्रारम्भिक निष्क्रियताकी जो आवश्यकता और कर्तव्य चुजा रहा हूँ उसे यदि कांग्रेसजन गहज ही नहीं नमज लेते तो मेरा मार्गदर्शन निरर्थक ही नहीं, हानिप्रद भी सिद्ध हो सकता है। उससे उल्लसन पैदा होगी।

मेरा यह दृढ़ मत है कि यद्यपि अपनी ही कार्रवाईमे ब्रिटिश सरकारने कांग्रेसके लिए उमके युद्ध-प्रयत्नोंमें सहयोग करना असम्भव बना दिया है, तथापि कांग्रेसको उमके सामने कोई परेशानी खड़ी करके इन प्रयत्नोंमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। मैं देशमें अराजकता नहीं चाहता। अराजकतासे स्वराज्य नहीं मिल सकता। मैं ब्रिटेनकी, वल्कि मच पूछिए तो जर्मनीकी भी, पराजयकी कामना नहीं करता। यूरोपकी जनता मजबूर होकर युद्धमें पड़ गई है। लेकिन वे लोग धीघ्र ही अपनी तन्त्रामे जायेंगे। यदि सम्पूर्ण आधुनिक सभ्यताको नष्ट नहीं हो जाना है तो इन युद्धमें अन्तिम रूपमे वारा-न्यारा नहीं हो सकता। जो भी हो, अभी मेरे जो विचार हैं उनकी दृष्टिसे मुझे सविनय अवज्ञा छेड़नेकी कोई जल्दी नहीं है। फिलहाल कांग्रेसजनोको मेरा मुझाव यह है कि वे अपने सगठनके अन्दरसे सभी दोषोको निकालकर उमे सुदृढ़ बनायें। साम्प्रदायिक एकता, अस्पृश्यता-निवारण और चरखेके पुराने रचनात्मक कार्यक्रममें अब भी मेरा दृढ़ विश्वास है। यह तो स्पष्ट ही है कि साम्प्रदायिक एकता और अस्पृश्यता-निवारणके बिना अहिंसा असम्भव है। और अगर भारतके गाँवोकी जीवित रहना और सुखी-समृद्ध होना है तो चरखेको घर-घरमें गूँजना चाहिए। चरखे और उसके समस्त फलितार्थों अर्थात् गाँवोकी दस्तकारियोंके पुनरुद्धारके बिना ग्रामीण सभ्यता असम्भव है। इस प्रकार चरखा सर्वोपरि तो अहिंसाका प्रतीक है और यह सभी कांग्रेसजनोका सारा ममय भी खपा सकता है। यदि यह उन्हें जँचता नहीं है तो या तो उनमें अहिंसाकी कोई वृत्ति नहीं है या फिर मैं अहिंसाका 'क ख ग' भी नहीं जानता। यदि मेरा चरखा-प्रेम मेरी कमजोरी है तो वह कमजोरी इतनी मौलिक है कि मैं [स्वराज्य-मेनाका] सेनापति बनने योग्य नहीं रह जात। मेरी स्वराज्य-योजनासे, वल्कि मेरे जीवनमे तो चरखेका अटूट सम्बन्ध है। ये हैं मेरी नियाकते, जिन्हें लड़ाई शुरू होनेसे पहले पूरे हिन्दुस्तानको जान लेना चाहिए जो शायद स्वराज्यकी अंतिम और निर्णायक लड़ाई साबित हो।

सेगाँव, ३० अक्तूबर, १९३९

[अंग्रेजीमे]

हरिजन, ४-११-१९३९

३६४. अच्छा भी और बुरा भी

सर सैम्युअल होरके कामन्स सभामें दिये गये हालके भाषणपर^१ मैं जितना ज्यादा गौर करता हूँ, उतना ही ज्यादा परेशान होता हूँ। वह अच्छा भी है और बुरा भी। लेकिन उसका बुरा भाग इतना बुरा है कि उसके कारण अच्छा भाग भी दूषित हो जाता है। उनका यह कथन कि ब्रिटिश सरकारने साम्राज्यवादको छोड़ दिया है, अल्पसंख्यकोंसे किये गये वादोंके बचावमें कही गई उनकी बातसे मेल नहीं खाता। जब वे भारतके यूरोपीयों और देशी नरेशोंको भी अन्य अल्पसंख्यकोंकी श्रेणीमें रखते हैं, तब तो वे अपना पूरा पक्ष ही गँवा बैठते हैं। अगर यूरोपीय लोग, जिन्होंने भारतमें अपना घर नहीं बनाया और जिनकी जड़ें यूरोपमें ही हैं, अल्पसंख्यक हैं और उन्हें संरक्षणकी आवश्यकता है तब तो ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकोंको भी, जो दयनीय रूपसे अल्पसंख्यक हैं, संरक्षणकी जरूरत है। दूसरे शब्दोंमें, विजय द्वारा प्राप्त अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। यूरोपीयोंके हित जवरदस्ती लादे गये हैं, जिनकी रक्षा ब्रिटिश सगिनो द्वारा होती है। स्वतन्त्र भारत हरएक यूरोपीय हितकी उसके गुण-दोषके अनुसार जाँच करने की माँग करेगा और ऐसा जो हित राष्ट्रीय हितके विरुद्ध दिखाई देगा, वह समाप्त कर दिया जायेगा। मैंने अंग्रेजीकी 'कनसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी' (संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोष) देखी और उसमें साम्राज्यवादकी मुझे नीचे दी हुई परिभाषा मिली है "जहाँ-जहाँ व्यापारको ब्रिटिश झण्डेके संरक्षणकी आवश्यकता हो वहाँ ब्रिटिश साम्राज्यका विस्तार।" अगर यही साम्राज्यवाद है, तो क्या सर सैम्युअल होरका भाषण उसकी पूरी रक्षा नहीं करता? भारतकी आकांक्षा उसी साम्राज्यवादको नष्ट करने की है।

क्या देशी नरेशोंकी भी हालत भी बहुत-कुछ वैसी ही नहीं है जैसी कि यूरोपीयोंकी है? उनमें से यदि अधिकांश नहीं तो बहुत-से नरेश तो ब्रिटिश साम्राज्यकी उपज हैं और ब्रिटिश हितोंके लिए ही उन्हें जीवित रखा गया है। देशी नरेश किसी प्रकार भी अपनी प्रजाका प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगर मैं रियासतोंके लोगोंसे हर सप्ताह प्राप्त शिकायतोंको प्रकाशित करूँ, तो मुझे 'हरिजन' के पृष्ठोंको दूना करने की जरूरत होगी। वे बड़ी दुःख-भरी कहानियाँ हैं। वे न तो देशी नरेशोंके लिए श्रेयस्कर हैं और न उनकी रक्षक ब्रिटिश सत्ताके लिए। क्या इस ब्रिटिश संरक्षणका अर्थ नग्न साम्राज्यवाद नहीं है? कांग्रेससे कहा गया है कि वह देशी नरेशोंको अल्पसंख्यक माने। ब्रिटिश सत्ता मालिक है, जिसके बिना देशी नरेश साँस भी नहीं ले सकते। कांग्रेसजनोंसे मिलने की भी उन्हें आजादी नहीं है; उनके साथ समझौता करने की बात तो दूर रही। इस संकट-कालमें देशी नरेश जो-कुछ कर रहे हैं,

१. देखिय परिशिष्ट १४।

उनकी मैं शिकायत नहीं करता। वे इतने लाचार हैं कि उनमें भिन्न कुछ कर ही नहीं सकते।

सर सैम्युअल मारप्रदायिक पंच-निर्णयको^१ ब्रिटिश सरकारका घोभनीय कृत्य कहते हैं। मुझे दुःख है कि उन्होंने इसका जिक्र किया। इस पंच-निर्णयकी योजना तो गोलमेज सम्मेलनके समय तैयार की जा रही थी, और मेरी उसके बारेमें बड़ी कटु स्मृतियाँ हैं। मैं उसे ब्रिटिश सरकारकी ऐसी उपलब्धि नहीं मान सकता जिम पर गर्व किया जा सके। मैं जानता हूँ कि स्वयं सम्बन्धित पक्ष कितनी बुरी तरहसे असफल रहे। मैं सभी सम्बन्धित पक्षोंके लिए इस निर्णयको अशोभनीय मानता हूँ। वैसे इस निर्णयके गुण-दोषोंका वारीकीमें विचार किया जाये तो भी यह खरा नहीं उतरता, लेकिन गुण-दोषोंकी बात छोड़ देने पर भी मैं इसे सभी पक्षोंके लिए अशोभनीय ही कहूँगा। लेकिन कांग्रेसने उसे निष्ठापूर्वक स्वीकार कर लिया है, क्योंकि स्वर्गीय श्री मकडॉनल्डने मध्यस्थता करने की प्रार्थना करनेवालों में मैं भी शामिल था। अब भारतको कांग्रेसी भारत और गैर-कांग्रेसी भारतमें विभाजित करने की उनकी बातको लीजिए। अच्छा होता, इसके बजाय सर सैम्युअल मध्यात्र भारत और निःशस्त्र भारतकी चर्चा करते। कांग्रेस उस जन-समुदायका प्रतिनिधित्व करती है जो निःशस्त्र है, चाहे उस समुदायमें किसी भी जाति या धर्मके लोग हों। मगस्र भारतको उनके निःशस्त्र भागके विरुद्ध खड़ा करना क्या उचित है? ऐसा उदाहरण इतिहासमें मिलना मुश्किल होगा जिसमें निःशस्त्र लोगोंने स्वतन्त्रताकी उद्दाम इच्छाका प्रतिनिधित्व किया हो और अपनी निःशस्त्रताको ही मुक्तिका प्रधान साधन बना लिया हो। सर सैम्युअलने ससारको बताया है कि भारतकी आजादीकी लड़ाई तबतक नहीं जीती जा सकती, जबतक कि निःशस्त्र भारत मगस्र भारतसे, जिसमें ब्रिटिश सरकार भी शामिल है, समझौता नहीं करता। इसपर मैं कोई शिकायत नहीं करता। सर सैम्युअल ब्रिटिश परम्परा और स्वभावको अकस्मात् ही नहीं बदल सकते थे। बात सिर्फ इतनी ही है कि एक निष्पक्ष भारतीयने उनके भाषणको किस रूपमें समझा है, यह बताने का दुःखद कर्तव्य मुझे निभाना पड़ रहा है। इसमें मुझे मन्देह नहीं कि सर सैम्युअलने जो-कुछ कहा है, वैसे वे मानते भी हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कांग्रेसजनोंके, जो स्वतन्त्रताके प्यासे हैं, सूखे गलोंको गीला कर सके। कांग्रेसको पहलेमें भी अधिक अपने धर्मके अनुसार चलना होगा और उस अहिंसक शक्तिका विकास करना होगा जो मगस्र भारतको और माय ही मगस्र ब्रिटेनको निरस्त कर देगी। अगर कांग्रेस ऐसा कर सकी, तो विद्व-शान्तिमें यह उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। कारण, शान्ति युद्धमें नहीं, बल्कि निःशस्त्र राष्ट्रों द्वारा कठिनतम स्थितिमें भी न्यायके मार्गपर चलने और न्याय करनेसे आयेगी।^१

सेर्गाव, ३० अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-११-१९३९

१. देखिए एज ५०, पृ० ३९३, पाद-टिप्पणी २।

२. देखिए पृ० ३३७-३८ भी।

३६५. टिप्पणियाँ

हिन्दू-मुस्लिम एकता

हिन्दू-मुस्लिम एकताका मतलब है साम्प्रदायिक एकता। इस समय इस सम्बन्धमें किसी समझौतेके आसार दिखाई नहीं देते। जनाब जिन्ना साहब मुसलमानोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिए अंग्रेजोंकी ताकतपर भरोसा करते हैं। कांग्रेसका कुछ करना-धरना उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि वे बराबर, और अपने दृष्टिकोणसे स्वाभाविक समझते हुए उससे अधिककी माँग करते जा सकते हैं जितना अंग्रेज उन्हें दे या देने का विश्वास दिला सकते हैं। इसलिए मुस्लिम लीगकी माँगोंकी कोई सीमा नहीं हो सकती। जहाँतक कांग्रेसका सम्बन्ध है, वह सारे हिन्दुओं या किसी भी एक सम्पूर्ण जातिकी प्रतिनिधि नहीं है। वह प्रतिनिधि है तो इसी अर्थमें कि वह सब लोगोंका प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देशको आजाद कराने की इच्छा सबमें है। और इस लक्ष्यकी खातिर लड़ने के लिए कांग्रेसका कोई दूसरा प्रतियोगी नहीं है। वास्तवमें, कांग्रेस ही देशकी एकमात्र राष्ट्रीय सेना है, और वह अहिंसक है, इस कारण इसका सेनावाला रूप कुछ कम नहीं हो जाता, बल्कि और भी बढ़ जाता है। केवल राष्ट्रीय हितोंका ही प्रतिनिधित्व करना कांग्रेसकी अटूट परम्परा रही है। निश्चय ही उसने हिन्दुओंके रूपमें हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व तो कभी नहीं किया है। वह काम करने का दावा तो जिस तरह मुसलमानोंके सन्दर्भमें मुस्लिम लीग करती है, उसी तरह हिन्दुओंके सम्बन्धमें हिन्दू महासभा करती है।

इसलिए कांग्रेसके सामने केवल यही रास्ता रह जाता है कि वह कांग्रेसजनोंके— चाहे वे किसी भी जातिके हों—मार्ग-दर्शनके लिए अपनी साम्प्रदायिक नीति स्पष्ट कर दे। ब्रिटिश सत्तासे लीग जो-कुछ भी प्राप्त कर सकती है उसे वह प्राप्त करे, इसपर कांग्रेसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो संस्था उस सत्ताके खिलाफ लड़ रही है वह मुसलमानोंसे लड़कर अपनेको कभी गलत स्थितिमें नहीं डालेगी।

सेर्गाच, ३० अक्टूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-११-१९३९

३६६. पत्र : अमृतकौरको

सेर्गाव, वर्धा

३० अक्तूबर, १९३९

प्रिय पगली,

आश्चर्य है! न कोई पत्र, न कोई तार! राजेन बाबू और मैं वाइसरायसे मेंट करने के लिए कल दिल्ली जा रहे हैं। आशा है, बृहस्पतिवारको लीट आयेंगे। स्नेह।

बापू

श्री राजकुमारी अमृतकौर
पूना होटल
पूना

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६६२) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ६४७१ से भी

३६७. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सेर्गाव, वर्धा

३० अक्तूबर, १९३९

प्रिय सी० आर०,

महादेवके नाम तुम्हारा २८ तारीखका पत्र मने समयपर पढा। तुम्हारे कथनमे मैं अक्षरग. सहमत हूँ। जैसा कि तुम 'हरिजन' में देखोगे, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं इसके बारेमें लिख चुका था। स्वास्थ्य ठीक रखो। हम, अर्थात् राजेन्द्रप्रसाद और मैं, दिल्ली जा रहे हैं, और आशा है, हम केवल कुछ ही घण्टे वहाँ रहेंगे। स्नेह।

बापू

श्री च० राजगोपालाचारी
४८, बजलुल्लाह रोड
त्यागरायनगर
मद्रास

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७६) से।

१. यहाँ तात्पर्य सम्भवतः "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको" से है; देखिए पृ० ३३७-३८।

३५७

३६८. पत्र : कनु गांधीको

३० अक्तूबर, १९३९

चि० कनैयो,

तुझे ले जाने की हिम्मत नहीं होती। सुशीलाबहनको यही छोड़े जाता हूँ। तू झट चंगा हो जा। बादमें तुझे राजकोट तन्दुस्त बनने के लिए जाना हो तो चला जाना। टॉन्सिल निकलवाने के लिए तो तुझे बम्बई जाना ही पड़ेगा। मैं तो बृहस्पतिवारको लौटने का विचार कर रहा हूँ। ठीक है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से।

३६९. पत्र : कंचनबहन मु० शाहको

सेर्गाव, बर्धा

३० अक्तूबर, १९३९

चि० कंचन,

तेरा पत्र मिला। तुझे हर पत्रमें अपना पता लिखना चाहिए। मुन्नालाल रमण आश्रम गये हैं, वहाँसे उनका जो पत्र आया है, वह सुन्दर है। तुझे भेजने के लिए लिखा है। जाने की इच्छा हो तो चली जाना। महीने-त्रिस दिनमें लौट आना। शारदा चली गई। प्रेमाबहन आ गई है, लीलावती यही है। वसुमती दो-चार दिनमें आ जायेगी; इस तरह घर तो भरा रहता है। तू ठीक तरहसे ध्यान देकर अपना स्वास्थ्य सुधार लेना। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उम्मीद है, बृहस्पतिवारको लौट आऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२८९) से; सी० डब्ल्यू० ७०६३ से भी;
सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

३७०. पत्र : शारदावहन गो० चोखावालाको

सेर्गान, वर्धा

३० अक्टूबर, १९३९

चि० बबुड़ी,

तेरा पत्र मिला। तुझे नियमित रूपसे घूमने को महत्त्व देना चाहिए। तुझे कोई सहेली नहीं मिलती क्या? यहाँ सब-कुछ ठीक चल रहा है। प्रेमावहन आज आ गई है। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा। बृहस्पतिवारको बापस पहुँचने की आशा रखता हूँ।

वापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००१७) से, सौजन्य . शारदावहन गो० चोखावाला

३७१. कांग्रेसजन

कांग्रेसी ल खास जातिके जीव बन गये मालूम पडते हैं। कांग्रेस सस्यामें जो विभिन्न गुट हैं, उन सबमें एक बात समान रूपसे पाई जाती है। वे तहेदिलसे राष्ट्रवादी हैं। वे भारतकी स्वतन्त्रताके लिए जी रहे हैं और उसके लिए जान भी दे देंगे। वे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या अन्य किसी जातिके क्यो न हों, उन्होने राष्ट्रीयताको अपने धर्मका अंग बना लिया है।

कांग्रेसमें अब ऐसे लोगोंके अलावा, जिन्हें कांग्रेसजन कहलाने के सिवा और किसी लेबलकी जरूरत नहीं है, समाजवादी, साम्यवादी, किसान-सभावादी, श्रमिक सघवादी, कांग्रेस-राष्ट्रवादी, रायवादी, भूतपूर्व श्रान्तिकारी, तथाकथित गांधीवादी आदि भी शामिल हैं। मैंने जान-बूझकर किसी भी गुटको नहीं छोडा है। इनमें कुछ-एकके उप-विभाग भी हैं। फारवर्ड ब्लाक एक मिश्रित दल है। इसका दूसरा नाम वामपथी है। कांग्रेस-आन्दोलनके फँलावके साथ-साथ उसमें और भी गुट बन सकते हैं। लेकिन इन सबमें एक बात समान है : स्वतन्त्रताकी तड़प और उसके लिए मर मिटने की तैयारी।

यह सच है कि कांग्रेसियोंमें बहुत बडी संख्या हिन्दुओंकी है। लेकिन जैसा कि दक्षिण भारतके मन्दिर-प्रवेग आन्दोलनके समय हमने पाया, दूसरे हिन्दुओंसे वे भिन्न हैं। सनातनी लोग, जो मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि मुट्ठी-भर ही हैं, सुधारकोसे, जो अधिकतर कांग्रेसजन हैं, लडे हैं और उन्हें धर्मद्रोही कहकर उन्होंने उनकी निन्दा की है। हिन्दू महासभा तो कांग्रेस-विरोधी सस्या ही बनती जा रही

है। उसके कुछ सदस्य कांग्रेसके बारेमें ऐसी भाषाका प्रयोग करते हैं जो उसके प्रति तिरस्कार-भाव पैदा करनेवाली है। कांग्रेससे सम्बन्ध रखनेवाले हिन्दुओंको वे हिन्दू-धर्मका दुश्मन समझते हैं। उसी तरह जो मुसलमान कांग्रेससे सम्बन्ध रखते हैं, वे लगभग जातिबहिष्कृत ही हैं।

कांग्रेसी पूर्ण स्वाधीनता, साहसपूर्ण समाज-सुधार और व्यापक सहिष्णुताके हमी हैं, तथा कष्ट-सहन और त्यागका उनका रिकार्ड बड़ा उज्ज्वल है — यह सब तो सच-मुच सन्तोषका विषय है। कांग्रेस-जैसे जनव्यापी संगठनमें विविध गुटोका होना अनिवार्य है और वह प्रगति तथा जीवनका एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी बात है, तो फिर साम्प्रदायिक दगे क्यों होते हैं, हिन्दू महासभावादी कांग्रेसी हिन्दुओंमें अविश्वास क्यों करते हैं, सभी धर्मोंके स्त्री-पुरुष कांग्रेसके झण्डेके नीचे क्यों नहीं आ जाते, और अन्तमें इतनी ही महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिन कांग्रेसी गुटोंका मैंने उल्लेख किया है, क्या खुद उन्हींमें अच्छे सम्बन्ध हैं?

आइए, जरा उनकी स्थितिकी जाँच करे। वे केन्द्राभिमुख हैं या केन्द्र-विमुख? वे कांग्रेस-संगठनको मजबूत करते हैं या कमजोर? क्या वे सत्ताके लिए होड़ नहीं कर रहे हैं? क्या वे एक-दूसरेपर अविश्वास नहीं करते? क्या वे अनुशासनका पालन करते हैं?

इन सब प्रश्नोंका मैं उत्साहवर्द्धक जवाब नहीं दे सकता। मुझे भय है कि इन गुटोंमें ही कांग्रेसके क्षयके बीज निहित हैं। कांग्रेसजनोंकी आन्तरिक कमजोरीका जो कारण है उसी कारणसे वह सब सम्प्रदायोंको अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ हो रही है।

वह कारण है अहिंसाके मन-वचन-कर्मसे जीवन्त आस्थाका अभाव।

इसलिए हममें से हरएकके लिए अहिंसाकी शक्ति-अशक्तिकी परीक्षा कर लेने की यही घड़ी है। कांग्रेस आज अपने जीवन-पथकी ऐसी मंजिलपर है कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो उससे लक्ष्य-प्राप्तिकी ओर देशकी प्रगतिमें बाधा पड़ेगी। कांग्रेसजनोंको यह बात अजीब तो मालूम होगी, फिर भी मैं उनसे यह कहने का साहस करता हूँ कि साम्प्रदायिक सन्देशको दूर करने का एकमात्र रास्ता यह है कि इस समय स्वराज्यकी खातिर सविनय अवज्ञा न की जाये। देशके सामने आज ऐसी स्थिति आने के आसार हैं जब ब्रिटिश सरकार तथाकथित अल्पसंख्यकोंके साथ मिलकर अकेली कांग्रेसके विरुद्ध खड़ी हो जाये। ब्रिटिश सरकार और तथाकथित अल्पसंख्यकोंके गठ-बन्धनके विरुद्ध सविनय अवज्ञा करना सविनय अवज्ञा नहीं है। यह तो गृह-युद्ध भी नहीं, बल्कि अपराधपूर्ण युद्ध होगा।

जिस अहिंसाका मैं इन पृष्ठोंमें विश्लेषण-पल्लवन करता आ रहा हूँ, यदि कांग्रेसजनोंको — वे चाहे कांग्रेसका लेबल रखनेवाले हों, या बगैर लेबलके — उसमें विश्वास न हो और राजेन्द्र बाबू द्वारा दिये गये निर्देशों तथा 'हरिजन' के इन पृष्ठोंमें मेरे द्वारा दी गई सलाह उन्हें नापसन्द हो, तो उन्हें राजेन्द्र बाबूको लिखकर अपना

असन्तोष प्रकट कर देना चाहिए तथा यह बतला देना चाहिए कि उनके खयालमें राजेन्द्र बाबूको क्या करना चाहिए, और अगर उन्होंने [राजेन्द्र बाबूने] उनको बात न मानी तो वे खुद क्या करना चाहेंगे। यह बात हरएक कांग्रेसजनको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यह समय मतभेद, अनिर्णय या निर्देशोका बेमनमें किये गये पालनका नहीं है। निर्णायक कदम उठाने के लिए सारी कांग्रेसको विदवासके साथ और एक मनसे आगे बढ़ना होगा।

दिल्ली जाते हुए रेलगाडीमें, ३१ अक्टूबर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ११-११-१९३९

३७२. पत्र : अमृतकौरको

३१ अक्टूबर, १९३९

प्रिय पगली,

यह अभी-अभी आया है। इसके सम्बन्धमें जो उचित लगे, करना।
स्नेह।

बापू

मूल अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३८) से; सौजन्य अमृतकौर। जी० एन०
७२७४ से भी

३७३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

मैगाँव, बर्धा

३१ अक्टूबर, १९३९

भाई वल्लभभाई,

तुम इस तरह क्यों बीमार पड़ा करते हो? तुम्हें अपनी तबीयतका ध्यान रखना ही चाहिए। मुझे दिल्ली तार देना।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल

११, चौपाटी सीफेस

बम्बई

[गुजरातीमें]

बापुना पत्रो-२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३७

१. तात्पर्य अमृतकौरको भेजे गये एक तारसे है जिसके पीछे गांधीजीने यह पत्र लिखा था।
“देहरादून, ३० अक्टूबर, १९३९” को आर्थसमाजक एक नेता रामदेवक भेजे इस तारमें लिखा था:
“यदि हो नकं ती एक दिन पढ़े आ जाए।”

३७४. तार : सम्पूर्णानन्दको

[अक्तूबर] १९३९

आपकी क्षतिमें मेरी सहानुभूति आपके साथ है।

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३७५. पत्र : सिकन्दर हयात खाँको

सर्गाँव, बर्मा

दिल्ली जाते हुए चल्ती रेलगाड़ीमें

१ नवम्बर. १९३९

प्रिय सर सिकन्दर,

सुच्चासिंहके मामलेकी फिरसे चर्चा करने के लिए आप मुझे अमा करने की कृपा करेंगे। मेरी पूछताछका जो उत्तर उन्होंने दिया है, उसकी एक नकल साथमें है। उनकी बातपर सन्देह करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। उन्होंने अपनी गवाहीमें चाहे जो कहा हो, जेलके सुपरिटेण्डेंटका बयान निर्णायक होना चाहिए। मेरा मुद्दाव है कि उन्हें पैरोलपर अनिश्चित कालके लिए रिहा कर दिया जाये। हजारोंबाप जेलमें उसका रिकार्ड साफ मालूम पड़ता है। उनकी रिहाईमें कोई अनिष्ट होने की सम्भावना नहीं है। मैं मानवताके नाते दयाका अनुरोध करता हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. साधनसूत्रमें "सिन्दर" है। लेकिन अपनी मेमरील एंड रिस्लेक्शनस, पृ० १०४ पर सम्पूर्णानन्दने लिखा है: "अक्तूबर १९३९ में मेरे सबसे छोटे लड़का देहान्त हो गया और लड़की सुलोक कोई पखवारे-भर बाद मेरी पत्नी चले बर्मा। अगले बारह महीनेमें मैंने अपने एक और लड़के और बड़ी लड़की नीलाक्षीको भी खो दिया।"

२. स्थायी पता

३७६. एच० एच० कुंगको' लिखे पत्रका अंश

[१ नवम्बर १९३९]

हमारे देशोके पारस्परिक सम्बन्धोके विषयमें आपने जो कहा है उसका मैं हृदयसे समर्थन करता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १३-११-१९३९

३७७. चीनी बच्चोंको लिखे पत्रका अंश

[१ नवम्बर, १९३९]

मेरा सचमुच बहुत मन है कि मैं तुमसे मिल सकता और तुम्हारे सुन्दर देशको देख पाता।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १३-११-१९३९

३७८. तान युन-शानको' लिखे पत्रका अंश

[१ नवम्बर, १९३९]

मैं जानता हूँ कि चीनी लोगोके दिलोमें मेरे लिए स्थान है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १३-११-१९३९

१. चीनकी कार्यकारिणी युआनके उपप्रधानके।
२. साधन-सूत्रके अनुसार यह नया अण्ड दो पत्र गाधीजीने "दिल्ली जाने हुए नेलगाड़ीमें" लिखे थे। यह रेलयात्रा उन्होंने १ नवम्बरको की थी। साधन-सूत्रमें यह भी बताया गया है कि "ये पत्र . . . सम्बन्धित व्यक्तिनयोको प्रेषित कर देने के लिए प्रोफेसर यान युन-शानको भेज दिये गये हैं। अपने एक उत्तरमें श्री गाधीने विनोदपूर्वक बताया है कि 'दिल्लीकोलोंके कारण' लिखना कठिन हो गया था।"

३. प्रा० तान युन-शान; शान्तिनिकेतन में चीनी भाषा के प्राध्यापक।

३७९. तार : अमृतकौरको

नयी दिल्ली

१ नवम्बर, १९३९

राजकुमारी अमृतकौर
पूना होटल
पूना

तुम्हारा तार मिला। आशा है अब तुम बेहतर होगी। कल खाना हो रहा हूँ। स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९३९) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२४८ से भी

३८०. भाषण : हरिजन-निवास, नयी दिल्लीमें

२ नवम्बर, १९३९

श्रीमती जानकीदेवीके^१ स्मरणार्थ जो मन्दिर दिल्लीके चौदीवाला-भाइयोंके बनवाया है, वह असलमें प्रार्थनाके निमित्त तो कई दिनोंसे खुला हुआ है। पर इसमें, मेरे हाथसे यह खोला जाये तो अच्छा हो, यह धार्मिक भावना रही है। मुझे पता नहीं कि मेरे हाथसे खोलने से यह धार्मिक भावना बढ़ेगी या नहीं। यहाँ जो हरिजन बालक हैं उनके दिलोमें सचमुच प्रार्थनाका भाव होगा, तो इस छोटे-से मन्दिरका महत्त्व बढ़ जायेगा। यहाँ प्रार्थना करने के लिए जो हरिजन बालक आते हैं उनके और उनके संचालक वियोगी हरिजी के लिए दो शब्द कह देना चाहता हूँ।

भोजन न मिले तो मनुष्यकी इतनी हानि नहीं होती बल्कि भोजन-रथागसे कुछ लाभ ही होता है, क्योंकि भोजनमें हम अतिशयता कर देते हैं। लेकिन प्रार्थना तो आत्माकी खुराक है, उसके बिना आत्माका हनन होता है। जितनी प्रार्थना की जाये उतना ही अच्छा है। प्रार्थनामें अतिशयता-जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने तो ऐसा एक भी आदमी नहीं देखा है जिसे प्रार्थनाकी अतिशयतासे हानि पहुँची हो। प्रार्थनाके लिए हम जितना समय दे सकें उतना ही अच्छा है, यहाँतक कि अन्तमें हम प्रार्थनामय बन जायें। इस प्रकार यह मन्दिर अगर धार्मिक भावनाको बढ़ायेगा,

१. चौदीवाला-बन्धुओं की माँ

तो जिन भाइयोंने इसके बनाने में मदद दी है उनकी भक्ति सफल होगी और श्री जानकीदेवीकी आत्माको शान्ति मिलेगी।

देगमें ऐसे दो-चार हरिजन-आश्रम हैं, जिनके द्वारा हरिजनेतर हिन्दू जनता प्रायश्चित्त कर रही है। इस प्रायश्चित्तसे अस्पृश्यताका नाश हो तो हिन्दू-धर्मकी रक्षा हो जायेगी।

हरिजन बालक यहाँ बिना भेद-भावके रहते हैं, संचालक भी मच्चे दिलमें उनके साथ मिल-जुलकर रहते हैं। सब मिलकर स्वर और तालबद्ध प्रार्थना करे, तो अच्छा ही है। लेकिन अगर ताल और स्वर न हो तो भी मच्चे दिलमें हुई प्रार्थनाका महत्त्व कम नहीं होता है। प्रार्थनामें हृदयका सम्पूर्ण मिलन होना चाहिए। यह प्रयास बराबर चलता रहे, तो अवश्य ही सफल होगा। मन्दिर खोलने का तो उद्देश्य धार्मिक भावनाको बढाना है। अगर वह सफल हो जाये, तो बनानेवालो को मन्तोप मिलेगा। हम सबकी यह सद्भावना सफल हो।

हरिजनसेवक, ४-११-१९३९

३८१. भेंट : 'मंचेस्टर गाजियन' के सम्वाददाताको

नयी दिल्ली

४ नवम्बर, १९३९

महात्मा गांधीने लॉर्ड सभामें भारतपर हुई बहसके^१ सम्बन्धमें 'मंचेस्टर गाजियन' के भारत-स्थित सम्वाददाताको दी गई एक भेंटमें कहा कि लॉर्ड जेटलण्डके इस कथनसे मैं स्तम्भित रह गया कि कांग्रेस एक हिन्दू संस्था है; और मुझे आश्चर्य तो इस बातका है कि मन्त्री-जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण पदपर आसीन व्यक्तिके मुखसे ऐसी बात निकली है।

महात्मा गांधीने आगे कहा, हालाँकि कांग्रेसियोंमें अधिकतर हिन्दू हैं, फिर भी सभी वर्गों और धर्मोंके बहुत सारे भारतीय उसमें शामिल हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जबसे कांग्रेसकी स्थापना हुई है तभीसे उसका यह दावा रहा है कि वह पूर्णतया राजनीतिक संस्था है। वास्तवमें वह ऐसी ही संस्था रही भी है, और कभी भी साम्प्रदायिक संस्था नहीं रही है। कांग्रेसने बार-बार और उचित प्रसंग उपस्थित होने पर अपने इस दावेको सत्य सिद्ध कर दिखाया है। हिन्दू महासभा एक साम्प्रदायिक संस्था है और इसकी स्थापना इसलिए की गई कि गण्यमान्य हिन्दुओंकी भी यह धारणा थी कि कांग्रेस हिन्दुओंके विशेषाधिकारोंकी रक्षा नहीं करती और न कर सकती है। भूतपूर्व

१. २ नवम्बरको; देखिए "वक्तव्य: मनाचरणोंको", पृ० ३७०-७१ और "वया द्वाग्निम दिन्दुओंकी-संस्था है?", पृ० ३८१-८३।

गवर्नर और एक लेखक होने के नाते लॉर्ड जेटलैण्ड इन सब तथ्योंसे भली-भाँति अवगत हैं। लॉर्ड जेटलैण्डने कांग्रेसका यह जो गलत वर्णन किया है वह बड़ा असामयिक और चिन्ताजनक है और उससे क्षोभ और कटुताको प्रशय मिलेगा। महात्मा गांधीने आशा प्रकट की कि वे जिस बातको लॉर्ड जेटलैण्डकी एक गम्भीर भूल मानते हैं उसे सुधारने में लॉर्ड जेटलैण्ड देर नहीं करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ५-११-१९३९

३८२. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

रेलवे स्टेशन, दिल्ली

४ नवम्बर, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे चले जाने के तुरन्त बाद कुपलानीने मुझे बताया कि संयुक्त प्रान्तमें वातावरण बड़ा विक्षुब्ध है और सविनय अवज्ञाके लिए तैयारी चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गुमनाम इश्तहार बाँटे गये हैं और उनमें लोगोंसे तार काटने और रेलकी पटरियाँ उखाडने के लिए कहा गया है। मेरी अपनी राय यह है कि अभी सविनय अवज्ञाके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है। यदि लोग कानून अपने हाथोंमें ले लेते हैं तो मुझे सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी कमान छोड़ देनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सप्ताहका 'हरिजन' पढ़ो। उसमें इस सम्बन्धमें मेरी स्थितिके बारेमें बताया गया है। और मेरा इरादा तुमसे इसी सम्बन्धमें बातचीत करने का था। परन्तु ऐसा हो नहीं सका। हमारे इतिहासके इस नाजुक दौरमें हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और सम्भव हो तो हमें एकमत होना चाहिए।

स्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृ० ३९४-९५ से भी

३८३. भेंट : समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंके'

नागपुर

५ नवम्बर, १९३९

जवतक देश सविनय अवज्ञाके लिए तैयार नहीं हो जाता, तबतक मैं हमका विरोध ही कहूँगा।

जहाँतक असहयोगका सवाल है, उन्होंने कहा, इसकी तो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलके पद-त्यागसे शुरुआत हो ही चुकी है।

[अग्नेजीसे]

हिन्दू, ६-११-१९३९

३८४. फिर त्रावणकोर

रियासत-कांग्रेसने सविनय अवज्ञा स्थगित करने की मेरी सलाह^१ मान ली, जिनके बाद त्रावणकोरमें जबरदस्ती थोपी गई अस्थायी शान्ति कायम हो गई थी। लेकिन हालत बद-से-बदतर हो गई मालूम पड़ती है। रियासत-कांग्रेसकी निष्क्रियताको गन्तीसे धायद श्रान्ति या उससे भी बदतर कोई चीज समझ लिया गया। मैं जानता था कि रियासत-कांग्रेसके नेताओंको मैं दबाकर रख रहा था। वे बड़ी बफादारीके साथ मेरी बात मानते आ रहे थे। लेकिन उस दिन जब एक मिष्टमण्डलने आकर मुझसे पूछा कि सविनय अवज्ञासे बचने के लिए क्या वे ऐसी साधारण प्रवृत्ति भी बन्द कर दें जिसे आम तौरसे राजनीतिक कहा जाता है, तो मैंने उनसे कहा^१ कि वैसा कठोर संयम भी जनताके शिक्षणका अंग हो सकता है। लेकिन साथ ही मैंने उनसे यह भी कहा कि ऐसे मामलोंमें मैं उनके लिए निर्णय नहीं कर सकता। क्योंकि जो तथ्य उन्हें उपलब्ध हैं, वे मुझे उपलब्ध नहीं हो सकते। त्रावणकोरके वातावरणको समझने में वे मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। यह निर्णय करने के लिए मेरा वहाँ व्यक्तिगतः उपस्थित होना जरूरी है। दूसरोंमें सुनी-सुनाई बातोंमें, बम-बम-कम मुझे तो, कोई मदद नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरी रायका विचार न करते हुए वे खुद ही निर्णय करें। कारण काल्पनिक परिणामोंके भयमें निर्दोष राजनीतिक प्रवृत्तिक पर अक्रुण लगानेका खतरा उठाने के लिए मैं तैयार

१. गांधीजी वर्षा लौटने हुए नागपुरसे गुजरे थे।

२ और ३. देखिए खण्ड ६९।

नहीं था। इसलिए इन नेताओंको मेरे किसी भी प्रकारके संकुचसे स्वयंको मुक्त समझना चाहिए।

बहुत सोच-विचारके बाद काफी संयत भावामें तैयार किये गये प्रस्तावोंके रूपमें उन्होंने दो कदम उठाये हैं। प्रस्ताव और उनके जवाबमें प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति नीचे दिये जा रहे हैं।^१

मेरी रायमें रियासत-कांग्रेसको दीवानके शासनके यशोगानसे अलग रहने का पूर्ण अधिकार था। यों तो वर्षगांठपर किसी विरोधीके लिए भी छातायु होने की चुन-कामनाएँ की जा सकती हैं। लेकिन वर्षगांठ-जैसे निर्दोष अवसरसे जब राजनीतिक उद्देश्यकी सिद्धिका प्रयत्न किया जाये, जैसा कि इस मामलेमें किया गया दतलाते हैं, तो वह दूसरी बात हो जाती है। पहला प्रस्ताव दीवानकी वर्षगांठके ऐसे राजनीतिक उपयोगका ही विरोध है।

दूसरे प्रस्तावमें कोई विवादास्पद बात नहीं है। उसमें तो मात्र सार्वजनिक समाएँ आदि करने के अधिकारपर जोर दिया गया है।

अब खबर मिली है कि श्री त्वाणु पिल्लै, श्री फिलिपोज तथा तीन अन्य व्यक्तियोंको इसी २ तारीखको गिरफ्तार कर लिया गया है और रियासत-कांग्रेसके कार्यालयपर त्रावणकोर की सरकारने कब्जा कर लिया है। कहते हैं, कार्यालयके उपस्कर बाहर फेंक दिये गये।

त्रावणकोर सरकारकी नीति समझमें नहीं आती। दमन नुस्ते तो बिल्कुल अनुचित मालूम पड़ता है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे समझदार नागरिकोंको जेलमें डाल देना गलत है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं वे सच्चे, लगनवाले और योग्य कार्यकर्ता हैं।

त्रावणकोर रियासत-कांग्रेसके कार्यकर्ताओंको मैं इससे अच्छी सान्त्वना और क्या दे सकता हूँ कि जो लोग जेल जायें उन्हें प्रसन्नतापूर्वक और इस निश्चयके साथे वहाँ जाना चाहिए कि वे अपनी कैदकी मियाद पूरी करके ही वहाँ से लौटेंगे। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जेल जानेवालों के हृदय शुद्ध हों तो स्वराज पाने का यही सबसे निश्चित रास्ता है।

सेर्गांव, ६ नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ११-११-१९३९

३८५. पत्र : कुँवरजी खेतसी पारेखको

६ नवम्बर, १९३९

चि० कुँवरजी,

मैं तीन दिन देग्ने लौटा और उत्तनेमें तुमने बुगारको न्योता दे जाला। आज तो मेरा 'हरिजन'-दिवस है। जगल्लिए मैं नहीं भाऊंगा बाँर फिर मौन-दिवस भी है। एक विभावन है। तुम पूरा आराम नहीं करते। पूरा आराम जरूर करना चाहिए। जो मुशीलाबहन कहे सो सब करना। उन्होंने कल रात मुझे सब-कुछ बताया। बिल्कुल आराम करने में बुगार चला जायेगा। बादमें तुम्हें नागपुर ले जाया जायेगा। इनमें कोई अमुबिया तो नहीं है न? यदि हो तो मुशीलाबहनगे कहना। मुझे लिखना। कल तो मैं मिलूँगा ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरानीवी फोटो-नकल (एन० एन० ९७३२)से।

३८६. पत्र : गुलाम रसूल कुरैशीको

६ नवम्बर, १९३९

चि० कुरैशी,

मुझे लगता है कि जो काम तुम्हें सौंपा जाये उसके अतिरिक्त यदि तुम खादी-कार्यमें जुट सको तो मुझे हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए यही एक स्थायी चीज दिखाई देती है। इसमें नाहित्यमें ज्यादा मदद नहीं मिल सकती। अक्षरज्ञान तो खादीके साथ आ सकता है। मेबाके क्षेत्रकी सोजके लिए मारे हिन्दुस्तानका विचार नहीं करना चाहिए, अपितु तुम अकेले ही जितने क्षेत्रकी सेवा कर सको उतने का विचार करना चाहिए। ऐसा करते हुए यदि हममें शुद्धता होगी तो वह अपना असर जरूर दिखायेगी।

अकबरकी चिट्ठी मिली है। उनको मेरी दुआ। उम्मीद है, वह अब ठीक होगा। क्या अभीनाको बुगार आता है?

बापूकी दुआ

[गुजरानीमें]

महादेव देमाईकी हस्तलिखित जयरी, मौजब्य : नागपण देमाई। सी० उ० १०३६८ में भी, मौजब्य : गुलाम रसूल कुरैशी

१ और २. गुलाम रसूल कुरैशीके पुत्र एवं पत्नी

३६९

३८७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको'

सेर्गाव

६ नवम्बर, १९३९

लन्दन 'टाइम्स' का सम्पादकीय मुझे अनुचित मालूम होता है। जब-जब हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताका सवाल सामने आया है, तब-तब अल्पसंख्यकोंका यह प्रश्न हमेशा आगे खड़ा कर दिया गया है। कांग्रेसको और उसकी माँगको सर्वसत्तावादी बताना तथ्योंको गलत ढंगसे पेश करना है। ऐसा गलत चित्रण यदि अनजानमें हो गया हो तो इससे उसकी गम्भीरता कुछ कम नहीं हो जाती। कांग्रेसने विचारपूर्वक बलप्रयोगका परित्याग किया है। उसे न तो कोई सैनिक समर्थन प्राप्त है और न उसकी कोई सैनिक परम्परा है। आरम्भसे ही वह साम्प्रदायिक एकतामें विश्वास करती आई है। वह हिन्दुओं तथा गैर-हिन्दुओं, दोनोंका प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करती है। उसका नेतृत्व करनेवालों में पारसी, मुसलमान तथा ईसाई सब रहे हैं। तमाम सम्प्रदायोंको सन्तुष्ट करने के लिए उसने अपनी सीमासे बाहर जाकर प्रयत्न किये हैं। वह अन्यथा कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका एकमात्र बल वैध आन्दोलन था। बादमें उसने हिंसाके प्रभावकारी विकल्पके रूपमें असहयोग और सविनय अवज्ञाको उसमें जोड़ दिया। ब्रिटिश सरकारने भारतकी आकांक्षाओंको विफल करने के लिए साम्प्रदायिक मतभेदोंका हमेशा उपयोग किया है। सम्भव है, यह अनजानमें ही हुआ हो; तब भी इससे होनेवाला अनिष्ट कुछ कम नहीं हो जाता। कांग्रेसको पद और सत्ताका कोई लोभ नहीं है, यह तो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलके एकसाथ पदत्यागसे स्पष्टिकके समान स्पष्ट हो जाना चाहिए। कांग्रेस साम्प्रदायिक झगड़ोंमें कभी शरीक नहीं होगी। ऐसा करने से तो वह एक ओर हटकर निर्वासनकी अवस्थामें चुपचाप किसी अच्छे दिनकी प्रतीक्षा करना ज्यादा पसन्द करेगी। इस समय भी ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगको कांग्रेसके विषय भड़काकर एक कुत्सित कुचक्र चलाया जा रहा है। मुझे तो यह आशा थी कि यूरोपके इस भारी संकटसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंमें बेहतर बोध-शक्ति आयेगी।

इस सम्बन्धमें देशी राजाओंकी चर्चा करना विशेष रूपसे अनुचित है। अधीश्वरी सत्ताके कारण ही उनका अस्तित्व है और उससे अलग उनकी कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं है। मेरा यह कथन विचित्र तो मालूम हो सकता है, फिर भी मैं कहूँगा कि राजा लोग अधीश्वरी सत्ताकी मौन या अन्तर्निहित सम्मतिके बिना अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। वे अपने सिवा अन्य किसीके प्रतिनिधि नहीं हैं।

१. यह "अनफेयर" (अनुचित) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। वक्तव्य ७-११-१९३९ के हिन्दू में भी प्रकाशित हुआ था।

कांग्रेसमें ऐसे राजाओंके साथ सम्मेलन करने के लिए नहने का अर्थ है अधीनचरी मताके ही साथ सम्मेलन करने के लिए नहना।

‘टाइम्स’ ने कांग्रेसमें वृद्धा है कि उसने पिछले दो वर्षोंके दौरान मुसलमानों तथा इस्लामियोंके साथ ऐसा व्यवहार किया है। उन सम्बन्धमें मैं तो उतना ही कहूंगा कि प्रायःकिसी गवर्नरके द्वारा जवाब मांगा जाये। मुस्लिम लीग और इस्लामिक जातियोंके कुछ नेता जो निर्यात करने हैं उनमें कोई अनौगोपन नहीं है। लोक-तन्त्रमें कुछ-न-कुछ अगन्तोंप तो अनिवार्य रूपमें रहता ही है। कांग्रेसने एक मुन्दर और उदारतापूर्ण प्रस्ताव रखा है—यह कि निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी मविधान-सभाको भारतके भावी मामलोंके लिए मविधान बनाने दिया जाये, जिनमें अल्प-संख्यकोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिए ऐसी व्यवस्था करने का खयाल रखा जाये जो स्वयं उन लोगोंके लिए गन्तोपजनक हो। क्या ब्रिटिश राजनयिक यह खरा खेल खेलेंगे ?

[अंग्रेजीमें]

हरिजन, ११-११-१९३९

३८८. मतभेद होते ही हैं

अलीगढ़में एक एम० ए० लिखते हैं :

आपने बहुत-से अवसरोंपर कहा है कि ‘क्रुरान’ शरीफके आपके अध्ययनने आपको यह स्पष्ट कर दिया है कि इस्लाम अपने अनुयायियोंको अहिंसाका आदेश देता है। आप यह भी कहते हैं कि आपने पंगम्बरके जीवनका जो अध्ययन किया है वह आपके इस विश्वासकी पुष्टि करता है। मुझे आप यह कहने की इजाजत देंगे कि अपने अध्ययनसे आप इस निष्कर्षपर इसलिये पहुँचे कि आपके अध्ययनका उद्देश्य इसी निष्कर्षपर पहुँचना था। सीधी-सादी बात तो यह है कि अहिंसाके आपके दर्शनमें बल-प्रयोगका कोई स्थान ही नहीं है। इसके विपरीत, इस्लाम कुछ अवसरोंपर बल-प्रयोगकी अनुमति देता है। क्या वह मैं पंगम्बरने बल-प्रयोगका उत्तर बल-प्रयोगमें नहीं दिया था ? मैं प्रमाणके रूपमें किसी अधिकारी व्यक्तिकी व्याख्या पेश करने की हिम्मत नहीं करता; क्योंकि आप तो अपनी व्याख्याको छोड़कर अन्य किसी व्याख्याको स्वीकार ही नहीं करते। फिर भी मुझे आशा है, बहुत पहले प्रथम असहयोग आन्दोलनके समय ही आपके मोहपाशमें बंधे स्वयं आपके मौलाना साहबने जो-कुछ कहा था, उसके प्रति कुछ आदर दिगायेंगे। अदालतके सामने अपने दबतव्यमें उन्होंने कहा था : “मैं महात्मा गांधीकी इस बातमें गहमत नहीं हूँ कि किसी भी दशामें बलका

प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुसलमान होने के नाते मैं यकीन करता हूँ कि इस्लाममें बताये गये कुछ खास मौकोंपर बलका प्रयोग करने की इजाजत है।" अपने मुकदमेके दौरान उन्होंने अदालतके सामने अपने उसी वक्तव्यमें फिर यह भी कहा कि "गैर-मुस्लिम सरकारके विरुद्ध इस्लाम केवल तलवार चलाना, लम्बे समयतक युद्ध करना और गला काटना ही सिखाता है।" मुझे यकीन है कि मौलाना साहब आज भी इससे इन्कार नहीं कर सकते।

यह तो रहा इस्लाममें अहिंसाके बारेमें। जहाँतक इस प्रश्नका ताल्लुक है कि मुसलमान एक पृथक् राष्ट्र हैं या नहीं, मैं कहूँगा कि इस्लामके प्रारम्भसे ही मुसलमान एक पृथक् राष्ट्र रहे हैं। वे उस समय भी पृथक् राष्ट्र थे जब मुहम्मद बिन कासिमने भारत-भूमिपर अपने पैर रखे थे, मुगल साम्राज्य-कालमें भी वे वैसे ही थे, आज भी वही है और अगर वे अपने धर्मके प्रति सच्चे हैं, तो सदा वैसे ही रहेंगे। अकबरने न केवल एक समान धर्म, बल्कि एक समान सामाजिक व्यवस्था भी चलाने का प्रयत्न किया; लेकिन क्या उसके ये प्रयत्न निष्फल नहीं गये? मुसलमान इस अर्थमें पृथक् राष्ट्र हैं कि वे अपनी पहचानको अन्य किसी समुदायमें विलीन नहीं कर सकते। लेकिन इससे एकताके समर्थकोंको भयातुर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी क्षेत्र विशेषमें और किसी विशेष उद्देश्यके लिए सहयोग सर्वदा सम्भव है। कुछ लोगोंके एक ही वायु-मण्डलमें साँस लेने या एक ही भूमिपर रहने से वे एक राष्ट्र नहीं बन जाते। विचारोंके ऐक्यसे राष्ट्र बनता है। मानसको किसी खास सचिमें धर्म ढालता है। एक मुसलमान सिखका पड़ोसी हो सकता है। लेकिन उनके दृष्टिकोण, उनके सोचने का ढंग और उनकी जिन्द्गीके तौर-तरीके सदा एक-दूसरेसे भिन्न होंगे। भूमण्डलमें हवा तो सब जगह एक ही है। क्या इंग्लैंडकी हवा किसी प्रकार भारतकी हवासे भिन्न है? प्राकृतिक अवस्थाएँ तो केवल शारीरिक रूपपर प्रभाव डालती हैं। मानस उससे प्रभावित नहीं होता। बेशक ईसाई भी एक पृथक् राष्ट्र हैं, और पारसी भी। भारत तो विभिन्न राष्ट्रीयताओंका देश है। जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 'भारतीय राष्ट्रोंका संघ' बन जायेगी, वह दिन भारतके इतिहासमें परम सौभाग्यका दिन होगा।

बेशक, चीनमें भी मुसलमान एक पृथक् राष्ट्र है। अगर संकेत इस ओर है कि उन्होंने अपनेको अन्य चीनियोंमें विलीन कर दिया है, तो मैं केवल यही कह सकता हूँ कि समस्त इस्लामी दुनियाके लिए वे एक पदार्थ पाठ हैं। यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो मुसलमानोंका भाईचारा एक तमाशा-भर रह जायेगा। इस्लाममें निश्चित रूपसे इस बातका भी विधान है कि मुसलमान अपनी पोशाकतक में दूसरोंसे कुछ अन्तर रखें। क्या मौलाना साहब कांग्रेसकी कार्य-समितिके सदस्योंमें साफ अलग नहीं दिखते?

मुझे कोई सन्देह नहीं कि इस पत्रमें जो मनोभाव है, वही आज बहुत-से शिक्षित मुसलमानोंका भी है। 'कुरान' की व्याख्याके बारेमें किसी लम्बी दलीलमें पढ़नेका मेरा विचार नहीं है। गैर-मुस्लिम होनेके कारण मेरी स्थिति कुछ घाटेकी है। अगर मैं दलील देना शुरू करूँ तो उसका स्वभावतः यही जवाब मिलेगा कि 'आप तो गैर-मुस्लिम हैं। आप मुसलमानोंके धर्म-ग्रन्थोंकी व्याख्या क्या जानें?' उसका यदि मैं यह उत्तर दूँ कि इस्लाम और अन्य धर्मोंके प्रति मुझे उतनी ही श्रद्धा है जितनी कि अपने धर्मके प्रति है तो उससे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

तथापि अपने पत्र-लेखकको मैं यह बता दूँ कि बदरके युद्ध और पैगम्बरके जीवनकी वैसी ही अन्य घटनाओंका भी मुझे ध्यान था। मैं यह भी जानता था कि खुद 'कुरान' में कई ऐसी आयतें हैं जो मेरी व्याख्यासे मेल नहीं खातीं। फिर भी मेरी रायमें यह सम्भव है कि किसी सम्पूर्ण पुस्तकसे या किसी व्यक्तिके सम्पूर्ण जीवनसे मिलनेवाली शिक्षा उस पुस्तककी छिटपुट आयतों या उस व्यक्तिके जीवनकी छिटपुट घटनाओंसे, उनकी संख्या चाहे जितनी हो, भिन्न हो सकती है। 'महाभारत' रक्त-रजित युद्धकी कथा है। लेकिन कट्टर हिन्दुओंके विरोधके बीच भी मैं यही मानता आया हूँ कि वह पुस्तक युद्ध और हिंसाकी निष्फलता सिद्ध करनेके लिए लिखी गई है।

मौलाना साहबके बचावमें कुछ कहनेका मुझे अधिकार नहीं है। वे तो स्वयं ही अपना बचाव करनेमें समर्थ हैं। ऊपर मौलाना साहबके वयानके जो उद्धरण दिये गये हैं, उनका निश्चय ही मुझे स्मरण नहीं है। अपने पत्र-लेखककी सचाईपर मैं कोई शक नहीं करता। हाँ, 'कुरान' शरीफकी मूल शिक्षाके सम्बन्धमें बरसोंसे मेरी जो चारणा रही है, उक्त वयानसे उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतभेद तो अनन्त कालतक रहेंगे। मैं तो पारस्परिक सहनशीलताका प्रतिपादन करता हूँ।

राष्ट्रोंके बारेमें पत्र-लेखकने जो बात कही है, वह चौंकानेवाली है। भारतमें मुसलमान पृथक् राष्ट्र हैं, इस मतके पक्षमें देनेको दलीलें हो सकती हैं। लेकिन मैंने कदापि यह कहा जाता नहीं सुना कि ससारमें जितने धर्म हैं, उतने ही राष्ट्र हैं। अगर है, तो उससे नतीजा यह निकलेगा कि आदमी जब अपना धर्म बदलेगा तो उसके साथ उसकी राष्ट्रियता भी बदल जायेगी। मेरे पत्र-लेखकके मतानुसार अग्नेज और मिस्री, अमेरिकी, जापानी आदि राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन मुसलमान, पारसी, सिख, हिन्दू, ईसाई, यहूदी, बौद्ध आदि, वे चाहे जहाँ पैदा हुए हों, विभिन्न राष्ट्र हैं। मुझे भय है कि मेरे मित्रकी इस मान्यताका आधार बड़ा कमजोर है कि राष्ट्रोंका भेद धर्मके मुताबिक होता है या होना चाहिए। जिस सिद्धान्तको प्रतिपादित ही नहीं किया जा सकता उसे प्रतिपादित करनेके उत्साहमें पत्र-लेखक अपने पक्षके समर्थनमें सीमाका अतिक्रमण कर गये हैं।

मैं इस बातके माननेसे इन्कार करता हूँ कि मुस्लिम राजवंशोंने भारतको दो राष्ट्रोंमें बाँट दिया था। अकबरका उदाहरण अप्रासंगिक है। उसका उद्देश्य तो धर्मोंका मिश्रण था। वह एक ऐसा सपना था जो पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन अन्य

मुस्लिम सम्राटों और राजाओंने समूचे भारतको अवश्य ही एक अविभाज्य इकाई माना था। बचपनमें मैंने तो इसी रूपमें इतिहास सीखा है।

अगर हम हिन्दू-मुसलमानों तथा दूसरोंको लोकतन्त्रका विकास करना है, तो ऐसा हम तभी कर सकेंगे जब समस्त राष्ट्र यथासम्भव व्यापकतम मताधिकारके आधारपर चुने गये अपने प्रतिनिधियोंके माध्यमसे अपनी बात कहेगा, चाहे यह व्यवस्था ब्रिटेनकी सद्भावनासे की जाये या उसके विरोधका मुकाबला करके। ब्रिटिश सरकारकी ओरसे जो घोषणाएँ की गई हैं, उनसे ब्रिटेनकी सद्भावना प्राप्त होनेकी आशा दिखाई नहीं देती। ब्रिटिश साम्राज्यवाद अब भी सशक्त है और सर सैम्युअल होरने जो उसके विपरीत घोषणा की है^१ उसके वावजूद उसका खाल्ता मुश्किलसे हीगा। भारतके टुकड़े करने का प्रस्ताव साम्राज्यवादके विकासमें एक योगदान है। क्योंकि भारतके टुकड़े ब्रिटिश संगीनोंकी मदद या घातक गृहयुद्धसे ही हो सकते हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस इनमें से किसी भी खेलमें गरीक नहीं होगी। ब्रिटेनने भारतके सन्दर्भमें अपने युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्योंकी अपेक्षित घोषणा करने से इन्कार कर दिया, यह एक प्रकारसे भारतके लिए शायद शुभ ही हुआ है। इससे कांग्रेस मार्गसे हट गई है और मुस्लिम लीगको आठ प्रान्तोंकी^२ कांग्रेसी शासनके दबावसे मुक्त होकर इस बातका निर्णय करने का अवसर मिल गया है कि क्या वह भारतके टुकड़े करके ब्रिटिश शासनको कायम रखेगी या अविभाज्य भारतकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ेगी। मुझे आशा है कि लीग भारतके टुकड़े नहीं करना चाहती। मैं यह भी आशा करता हूँ कि मेरे पत्र-लेखक भारतके किसी बड़े मुस्लिम जन-समुदायके मतका प्रतिनिधित्व नहीं करते। शीघ्र जिन्ना साहब और पण्डित जवाहरलाल नेहरूमें फिर बातचीत^३ शुरू होगी। हम आशा करे कि इस बातचीतके फलस्वरूप साम्प्रदायिक समस्याके स्थायी हलका आधार निकल आयेगा।

सेगाँव, ७ नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ११-११-१९३९

१. देखिए परिशिष्ट १४।

२. असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रान्त, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त और उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त

३. बातचीतका पहला दौर २ नवम्बरको दिल्लीमें शुरू हुआ था।

३८९. पत्र : शम्भुशंकर त्रिवेदीकी^१

७ नवम्बर, १९३९

तुम्हारे पत्रमें उत्तर देने लायक कोई बात नहीं थी। तुम अपने वचनका पालन करो। प्रतिज्ञा-पालनके लिए बाढ़ अवश्य लगानी चाहिए। लेकिन मनुष्यको उससे कबतक चिपके रहना चाहिए, क्या तबतक जबतक कि वह टूट न जाये, यह बात तो प्रत्येक व्यक्तिको खुद ही सोचनी चाहिए। अन्य लोगोंके पालन न करने पर व्यक्तिको क्या करना चाहिए, यह तो प्रत्येक मामलेको देखकर ही कहा जा सकता है। क्या तुम्हारे यहाँ की राजनीति सुघर रही है?

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई

३९०. तार : पालितानाके शासकको

[७ नवम्बर, १९३९ के पश्चात्]^१

ठाकुर साहब
पालिताना

मुझे मालूम हुआ है कि आपके कथित वचन-भंगके विरोधमें शम्भु-भाई भूख-हड़ताल कर रहे हैं। आशा है आप उनका समाधान करेंगे और इस तरह एक अमूल्य जीवनको नष्ट होने से बचायेंगे।

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. अपने उपवासके लिए प्रसिद्ध पालिताना (सौराष्ट्र) के एक रचनात्मक कार्यकर्ता
२. देखिए पिछला शीर्षक।

३९१. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

सेर्गाँव

८ नवम्बर, १९३९

वाइसराय महोदयने रेडियोपर जो भाषण^१ दिया है और अपने, श्री राजेन्द्र-प्रसाद और जिन्ना साहबके बीच हुए पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करते हुए प्रस्तावनाके रूपमें उन्होंने जो उद्गार^२ व्यक्त किये हैं उन्हें मैंने आदरके साथ ध्यानपूर्वक पढ़ा है। जो समस्या समाधानसे परे दिखाई देने लगी है उससे हार मानने से उनके इन्कार और उसका कोई-न-कोई समाधान ढूँढ़ निकालने के उनके संकल्पका मैं स्वागत करता हूँ। समस्याका हल ढूँढ़ निकालने की उनकी चिन्तामें मैं हृदयसे उनके साथ हूँ। इसलिए इन दो घोषणाओंकी कांग्रेसपर क्या प्रतिक्रिया होगी यह जानने की प्रतीक्षा किये बिना, जिस लक्ष्यको प्राप्त करने की आज सबको फिक्क है उसमें केवल सहायता देने की खातिर मैं यह कहना चाहूँगा कि जबतक ब्रिटिश सरकार भारतके सम्बन्धमें युद्ध-उद्देश्योंकी कोई स्वीकार्य घोषणा नहीं करती तबतक समस्याका समाधान मिलना असम्भव है। आजतक जो घोषणाएँ ब्रिटेन अथवा भारतमें की गई हैं वे सब पुराने ढर्रेकी हैं और उन्हें स्वतन्त्रता-प्रेमी भारतीय सन्देश और अविश्वासी दृष्टिसे देखते हैं। यदि साम्राज्यवादका सचमुच अन्त हो गया है तो अतीतसे स्पष्ट सम्बन्ध-विच्छेद होना चाहिए और नये युगके उपयुक्त भाषाका उपयोग किया जाना चाहिए। और यदि इस मूलभूत सत्यको स्वीकार करने का अभी समय नहीं आया है, तो मैं यह अनुरोध करूँगा कि समाधान ढूँढ़ निकालने के अग्रे प्रयत्न करना स्थगित कर दिया जाये। इस सम्बन्धमें मैं ब्रिटिश राजनयिकोंको याद दिलाना चाहूँगा कि आज जिस बातकी माँग की जा रही है वह यह है कि ब्रिटेन भारतीयोंकी इच्छाओंका विचार किये बिना भारत-सम्बन्धी अपने इरादोंकी घोषणा करे। गुलामोंका मालिक जब गुलामीका अन्त करने का निश्चय करता है, तब वह अपने गुलामोंसे यह नहीं पूछता कि वे स्वतन्त्र होना चाहते हैं या नहीं।

यदि भारतको दासताकी जंजीरोसे—धीरे-धीरे नहीं बल्कि एकदारागी—मुक्त करनेकी घोषणा कर दी जाती है, तो समस्याका अन्तरिम समाधान ढूँढ़ निकालना आसान हो जायेगा और अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी रक्षा करना भी

१. यह "एड द नेम ऑफ सी-नों" (दुविधाकी स्थितिको समाप्त किया जाये) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। वक्तव्य ९-११-१९३९ के हिन्दूमें भी प्रकाशित हुआ था।

२. देखिये परिशिष्ट १६।

३. देखिये परिशिष्ट १७।

सरल हो जायेगा। इस तरह दुविधाकी स्थितिका भी अन्त हो जायेगा। अल्प-संख्यकोंको सरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, और वह सरक्षण उन्हें कदम-कदम नहीं, बल्कि एकदम मिल जाना चाहिए। जिस स्वतन्त्रताके अधिकार-पत्रमें अल्पसंख्यकोंको बहुसंख्यकोंके समान ही स्वतन्त्रता देने की व्यवस्था न की गई हो उस अधिकार-पत्रका कोई मूल्य नहीं है। संविधानकी संरचनामें अल्पसंख्यक पूरे साक्षीदार होंगे। इसे किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, यह बात उन प्रतिनिधियोंकी सूझ-बूझपर निर्भर करेगी जिन्हें संविधान बनाने का पवित्र कार्य सौंपा जायेगा। ब्रिटेन अल्पसंख्यकोंको तथाकथित बहुसंख्यकोंके विरुद्ध लडाकर आजतक अपनी सत्ता बनाये हुए है, और साम्राज्यवादमें ऐसा होना लाजिमी भी है। उसकी इस नीतिके फलस्वरूप राष्ट्रके विभिन्न घटकोंके बीच कोई सर्वसम्मत समाधान प्रायः असम्भव हो गया है। अल्पसंख्यकोंके सरक्षणके लिए कोई सूत्र ढूँढ निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं पक्षोंपर डाल दी जानी चाहिए। जबतक ब्रिटेन यह समझता रहेगा कि इस बोझको उठाने का जिम्मा उसका है, तबतक उसे भारतको अपने अधीन बनाये रखने की जरूरत महसूस होती रहेगी। और भुक्तिके लिए अधीर हो रहे देशभक्त इसके लिए लड़ेंगे। यदि मैं उनका मार्ग-दर्शन कर सका तो उनकी यह लड़ाई अहिंसक होगी और यदि मैं अपने प्रयत्नमें असफल रहता हूँ और उसीमें मेरा अन्त हो जाता है तो वे हिंसक ढंगसे लड़ेंगे। मुझे उम्मीद थी और अब भी है कि ब्रिटेन यदि इस बातको समझ लेता है कि महायुद्धके औचित्य को सिद्ध करने और उसे शीघ्र समाप्त करने के लिए जो एक बात आवश्यक है वह यह कि उसे भारत-जैसे महान् और प्राचीन देशको दासताकी जजीरोसे मुक्त कर देना चाहिए तो ईश्वरका भेजा यह युद्ध-रूपी अभिशाप वरदानमें बदल जायेगा।

चूँकि मुझे वाइसरायकी ईमानदारीपर भरोसा है, इसलिए मैं अपने साथी कार्यकर्त्ताओंसे अनुरोध करूँगा कि वे अधीर न हों। इसके अतिरिक्त जबतक वाइसराय समाधानकी सम्भावनाओंकी तलाशमें लगे हुए हैं, मुस्लिम लीग रास्ता रोककर खड़ी है और कांग्रेसके अन्दर अनुशासनहीनता और फूट है, तबतक सत्याग्रह नहीं किया जा सकता।

दूसरी शर्तके उल्लेखका मुसलमान मित्रोंको बुरा नहीं मानना चाहिए। जबतक मुस्लिम लीगके साथ कामचलाऊ समझौता भी नहीं हो जाता, तबतक सत्याग्रहका अर्थ मुस्लिम लीगके भी विरुद्ध सत्याग्रह होगा। कोई भी कांग्रेसी इसमें शामिल नहीं हो सकता। मैं देखता हूँ कि 'हरिजन' में प्रकाशित मेरी टिप्पणीसे जिल्ना साहबको आघात पहुँचा है। इसका मुझे दुःख है। लेकिन इस समय मैं अपने बचावमें कुछ नहीं कहूँगा। मैं किसी भी तरह पण्डित नेहरू और जिल्ना साहबके बीच होने-वाली वात्सर्ग्य व्यवधान नहीं डालना चाहता। मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही

फिर आरम्भ हो जायेगी और प्रभुसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बातचीतके परिणाम-स्वरूप साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित हो।

यह वक्तव्य देने के बाद मैंने कल लॉर्ड सभामें मन्त्री महोदयने जो वक्तव्य^१ दिया, उसका विवरण पढ़ा है। इससे मुख्य स्थितिमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ११-११-१९३९

३९२. तार : एस० सत्यमूर्तिको

[९ नवम्बर, १९३९ या उसके पूर्व]^२

तुम्हारे चुनावपर^३ मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ९-११-१९३९

३९३. पत्र : अमृतकौरको

सेर्गाव

११ नवम्बर, १९३९

प्रिय पगली,

तुम्हारे तारसे चिन्ता होती है। भगवान् तुम्हारी रक्षा करे। आशा है, वहाँ तुम्हारा कार्यक्रम ज्यादा थकानेवाला नहीं होगा। कल रविवार होने के बावजूद तुम्हारे तारकी प्रतीक्षा करूँगा।

स्नेह।

तानाशाह

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४०) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२४९ से भी

१. देखिय परिशिष्ट १८।

२. यह तार दिनांक "मद्रास, ९ नवम्बर" के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

३. मद्रासके महापौरके रूपमें

३९४. पत्र : प्रभावतीको

सेर्गाव, वर्षा
११ नवम्बर, १९३९

चि० प्रभा,

तेरा पत्र मिला। जेल जाने की बात मेरे मनमें नहीं है। तेरे मनमें भी नहीं है। भविष्यकी तो ईश्वर जाने। जयप्रकाशकी यह इच्छा है कि तू मेरे साथ आकर रहे जिससे घर-खर्च बचेगा और तेरी पढाई भी जारी रहेगी। ऐसा सेर्गाव अथवा वर्षामें हो सकता है। मैं आम तौरपर तो सेर्गावमें ही रहूँगा। कभी-कभी यदि मैं दो-चार दिनोंके लिए जाऊँगा तो तुझे नहीं ले जाऊँगा। तेरी पढाई जारी रहनी चाहिए। इसलिए मेरे विचारसे तो आजकल तू वहाँ व्यर्थ ही अपना समय गँवा रही है। बा कहती है कि “क्या प्रभा मेरे पास अथवा मेरे लिए नहीं आयेगी? तुम न रहो तो भी क्या?” उसे लिखो कि ‘बा बुलाती है’।” यह बा का सन्देश है। वह समय-समयपर पूछती रहती है: “प्रभा कब आ रही है?” मुझे १९ तारीखको इलाहाबाद पहुँचना है। यदि तू आ सके तो चली आना और वहाँसे मेरे साथ रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५३६)से।

३९५. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको

सेर्गाव
११ नवम्बर, १९३९

चि० अमृतलाल,

नटवरलाल भले ही आ जाये।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

विजयाका पत्र इसके साथ है। फाड़ देना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७९७)से।

१. कार्यसमितिकी बैठकमें शामिल होनेके लिए

३९६. पत्र : अमृतकौरको

सेर्गाव, वर्धा
१२ नवम्बर, १९३९

प्रिय अमृत,

तुमने अपने वचनका पालन किया है। तुम्हारे तारमें दिये समाचार अच्छे तो नहीं थे, फिर भी तारोसे मुझे सान्त्वना मिली, क्योंकि वे विस्तृत और यथातथ्य थे। आशा करता हूँ कि इतनी झंझटके बावजूद तुम बीमारीसे ठीक हो जाओगी और शिमला काफी अच्छी हालतमें ही पहुँचोगी। जबतक तुम बीमार हो, तबतक मुझे तार अवश्य भेजती रहना।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४१) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन०
७२५० से भी

३९७. पत्र : ईश्वरशरणको

सेर्गाव, वर्धा
१२ नवम्बर, १९३९

प्रिय मुंशीजी,

मैं आपकी रचनाको देखना तो चाहूँगा। किन्तु मुझे भय है कि इसके लिए समय नहीं निकलेगा। मुझसे केवल वही विशेष कार्य कराना चाहिए जो मेरे स्वास्थ्यको देखते हुए मैं अब भी कर सकता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मुंशी ईश्वरशरण
६, एडमंस्टन रोड
इलाहाबाद

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० १०२०४) से; सौजन्य : म्यूनिसिपल म्यूजियम,
इलाहाबाद

३८०

३९८. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

सेर्गाव, बर्चा

१२ नवम्बर, १९३९

जो लोग समितियोंमें हैं उन्हें फिलहाल निकलने की कोई जरूरत नहीं है।^१ यदि इन समितियोंमें सरकारी अधिकारी अध्यक्ष बनते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। इससे हमें उन्हें पूरी तरहसे परखने का अवसर मिलता है। उसका यदि प्रतिरोध करना पड़े तो वह भी किया जा सकता है। कदाचित् ये समितियाँ अपने-आप ही खत्म हो जायेंगी।

एक नगरपालिकाको सबसे सम्बन्ध रखने चाहिए। इस बारका असहयोग १९२० के असहयोग-जैसा नहीं है। ये मेरे अपने विचार हैं, इन पर तू सरकारके साथ विचार करना।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृ० १७४

३९९. क्या कांग्रेस हिन्दुओंकी संस्था है ?^२

राष्ट्रीय कांग्रेस हिन्दुओंका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था है और इसलिए वह सिर्फ नामके लिए राष्ट्रीय है लेकिन वस्तुतः वह साम्प्रदायिक है—स्पष्ट ही लॉर्ड जेटलैण्डके इस आरोपका सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेसपर इससे बढ़ा और कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता। प्रारम्भसे ही कांग्रेस राष्ट्रीय रही है। उसके जन्मदाता एक अंग्रेज थे। स्वर्गीय ए० ओ० ह्यूम बहुत समयतक उसके मन्त्री रहे। उसके मन्त्रियोंमें एक-दो मुसलमान सदा रहे हैं। मुसलमान, अंग्रेज, ईसाई और पारसी उसके अध्यक्ष रहे हैं। दादाभाई शरीर और मनसे सर्वथा असमर्थ हो जाने के पूर्वतक कांग्रेसके प्राण बने रहे। हरएक बातमें उसे वही रास्ता दिखलाते थे और हर बातके पीछे उन्हींका दिमाग काम करता था। सर फीरोजशाह मेहता बम्बई प्रान्तके नेताके बादशाह थे। वही जिसको चाहते उसको कांग्रेस और बम्बई निगमका अध्यक्ष बनाते थे। कांग्रेसमें जो चर्चाएँ होती थी उनमें बहुत वर्षोंतक

१. २२ अक्टूबर, १९३९ के कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार सभी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलेनि त्यागपत्र दे दिये थे; देखिए परिशिष्ट १३। मथुरादास त्रिकमजी यह जानना चाहते थे कि इन हालातमें उन कांग्रेसियों को क्या करना चाहिए जो सरकारी समितियों और नगरपालिकाओंके सदस्य हैं।

२. देखिए "मैट: मैकिल्व गार्निपन" के सम्वाददाताको", पृ० ३६५-६६ भी।

बदरहीन तैयबजीका सतानत निर्णायक हुआ करता था। कौन नहीं जानता कि जबतक हकीम साहब अजनबल्लौं जीवित रहे, तबतक कांग्रेस उनकी सन्मूर्धके विना कुछ नहीं कर सकती थी? डॉ० अन्तारी वरसांतक संयुक्त नहानन्वी रहे। विचारोंके दिनोंमें लली-अन्धुओंका कांग्रेसपर जो प्रभाव था, उससे पाठक परिचित ही हैं। बाब भी कार्य-सन्मिति सौलगा अबुल कलान आजादके सहयोग और बुद्धिमत्ताके पथ-प्रदर्शनके बगैर कुछ नहीं करती। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नोंपर उनकी आज्ञा ही निर्णायक होती है। कांग्रेस अब अपनी सतान्मूर्धके उत्तराईनें है और अपने इस पूरे इतिहासमें वह इस प्रकार सन्मत्त भारतके प्रतिनिधित्वका प्रयत्न करती रही है जिस प्रकार और किसी संस्थाने नहीं किया है। कांग्रेसने जो जो विजय पाई है, उससे सभी जातियोंको लाभ पहुँचा है।

कुछ क्रुद्ध पत्र-लेखकोंने मुझसे पूछा है, "अगर सचमुच ऐसी बात है, तो कांग्रेसने उस कार्यको अपने हाथमें क्यों ले लिया है, जो बहिष्कार-राष्ट्रीय हिन्दू नहान-सनाका है?" 'द्विष्णू' ने भी, उसके सन्मार्धको कांग्रेसके आचरणमें जो अन्तर्गत दिखाई दी है, उसकी ओर ध्यान खींचा है। इस अन्तर्गतको इच्छा करता देखे। लेकिन संगतिके बाधारपर न जीवित चलता है, न संस्थाएँ। स्पष्टतः देशको राजनीतिक प्रगतिके लिए कांग्रेसको सान्प्रदायिक समाधानकी आवश्यकता प्रतीत हुई और उसके फलस्वरूप १९१६ में कांग्रेस-लीग समझौता हुआ। तभीसे कांग्रेसने सान्प्रदायिक एकताको कांग्रेस-कार्यक्रमका एक मुख्य आधार बना रखा है। तर्कबुद्धिसे देखें तो यह काम सान्प्रदायिक संस्थाओंका होना चाहिए, तथापि विविध जातियों अगरे आपसमें लड़ती-झगड़ती हैं और अगरे राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे झगड़का हूँ आवश्यक हो जाता है तो कांग्रेस-जैसी जन-संस्था चुपचाप सब-कुछ देखती-भर नहीं रह सकती। इस प्रकार स्पष्ट कर्तव्यके रूपमें जो चीज कांग्रेसके जानने अर्थात् समझने वह भी नहीं चुरा सकती थी। कांग्रेस ऐसी संस्था है और होनी चाहिए जो सान्प्रदायिक मामलोंमें शुद्ध राष्ट्रीय और निष्पक्ष दृष्टि रखे। मैं मानता हूँ कि कांग्रेसने सन्मत्त भारतकी आज्ञाएँ और आज्ञाओंके निहित हैं, इसके विपरीत नले ही कुछ भी क्यों न कहा जाये। जहाँतक भारतकी राजनीतिक आज्ञाओंका सम्बन्ध है, यदि कांग्रेस सारे भारतका प्रतिनिधित्व न करती हो तो वह किसीके साथ कोई समझौता या करार नहीं कर सकती। इसकी परम्परा ही ऐसी है कि वह मुसलमानोंके खिलाफ हिन्दुओंका या हिन्दुओंके खिलाफ मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। वह तो भारतकी सभी सन्मार्धोंके सर्वनामान्य हितका प्रतिनिधित्व करने के ही योग्य है। सामान्य हितके पोषणकी दृष्टिसे यदि कांग्रेस व्यक्तिओं अथवा उनकी संस्थाओंके साथ समझौते करने की कोशिश करती है तो उसने मुझे कोई अनुचित बात दिखाई नहीं देती। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे सब समझौते परस्पर सहकर होने चाहिए, परस्पर-विरोधी कदापि नहीं होने चाहिए। इसमें शक नहीं कि यह काम बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि लोग और संस्थाएँ कांग्रेसके प्रति सन्मार्धवाचसे काम लें, तो यह काम उनके क्षेत्र या उसकी योग्यतासे बाहरका नहीं है। जब

उसे इस तरह सबका विश्वास प्राप्त नहीं है। इसलिए उसे उस दिनकी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अगर कोई और सत्या यह काम करे तो कांग्रेसजन उसका स्वागत करेंगे।

सेर्गाव, १३ नवम्बर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, १८-११-१९३९

४००. अनावश्यक भय

वाइसराय महोदय, श्री राजेन्द्रप्रसाद तथा जिन्ना साहबके पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करते हुए वाइसराय महोदयने जो प्रस्तावना^१ लिखी थी, उसपर मेरे वक्तव्यके^२ सम्बन्धमें लिखते हुए एक माननीय साथी कार्यकर्त्ता कहते हैं :

आजके समाचारपत्रोंमें आपका वक्तव्य पढ़कर मुझे कुछ विस्मय और क्षोभ हुआ, क्योंकि उसके कारण हमारी अगली कार्रवाई इस बातपर निर्भर हो जाती है कि मुस्लिम लीगके साथ हमारा समझौता हो जाये और वाइसराय सुलह-वात्तिके लिए अपने प्रयत्न जारी रखें। मुझे लगता है कि इस रखके कारण ब्रिटिश सरकार या मुस्लिम लीग, किसीके भी साथ समझौता करना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

शायद और भी बहुत-से कांग्रेसजनोंकी यही भावना है। इसलिए मुझे इस भयका निराकरण करना चाहिए। मेरी रायमें दोनो ही मामलोंमें सविनय अवज्ञाको स्थगित करना अनिवार्य है। जब वाइसराय विभिन्न पक्षोंको सन्तुष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस समय हमें सविनय अवज्ञा शुरू करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सविनय अवज्ञाको अनिश्चित या बहुत लम्बे समयतक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमें गलतीपर माना जाये। वाइसरायका खयाल करके इसे स्थगित रखने का मतलब समाधानमें सहायता देना है।

जहाँतक मुस्लिम लीगका सवाल है, यह बात मुझे स्वयंसिद्ध मालूम पड़ती है कि आपसमें लड़ते हुए हम बड़े पैमानेपर सविनय अवज्ञा शुरू नहीं कर सकते। यह बिल्कुल साफ है। इसके अलावा, अपने-आपसे या दूसरोसे सचाईको छिपाकर हम सच्चा समझौता नहीं कर सकते। मैं इस बातको मानने से इन्कार करता हूँ कि मुसलमान लोग उस देशकी प्रगतिको, जो जितना दूसरोका है उतना ही उनका भी है, किसी लम्बे असेतक रोक सकते हैं। और यह बात स्वीकार करनेमें भी मुझे

१. देखिए परिशिष्ट १७।

२. देखिए पृ० ३७६-७८।

कोई नुकसान दिखाई नहीं देता कि करोड़ों मुसलमान आजादी न चाहें तो जबतक दूसरे उनसे लड़ने को तैयार न हों, तबतक वे दूसरोंके लिए उसे कुछ समयके लिए जरूर रोक सकते हैं। जहाँतक कांग्रेसका ताल्लुक है, मैंने ऐसी आपसी लड़ाईकी सम्भावनाको समाप्त कर दिया है। इस स्पष्ट बातकी स्वीकृति मुस्लिम लीगके प्रति सद्भावनाका सकेत है। साथ ही, इससे देशकी प्रगतिको अवरुद्ध करनेकी जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीगपर आ जाती है। अतः स्थितिकी इस स्वीकृतिसे समझौतेकी सम्भावनामें वृद्धि होनी चाहिए।

मैंने जो कथन उद्धृत किया है, उसमें 'कार्रवाई' शब्दका प्रयोग ध्यान देने योग्य है। जिन दो परिस्थितियोंका मैंने उल्लेख किया है, उनमें मैंने सिर्फ सविनय अवज्ञा ही स्थगित रखने का विचार पेश किया है, हर तरहकी कार्रवाई बन्द रखने का नहीं। कांग्रेस कोई जड़ सस्था नहीं है, वह तो सदा गतिशील है। आगेकी घटनाओं की कल्पना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं कि समस्या के मुकाबलेके लिए कांग्रेस अपने ऊपर स्वयं ही लगाई हुई सीमाओंके अन्दर भी सविनय अवज्ञाके अलावा और कोई उपाय ढूँढ लेगी। इस बातको मैं फिर ब्रह्मराज्जैण कि अधीर होकर हम अपने ध्येयको ही नुकसान पहुँचायेंगे। मुझे नित्य ही ऐसे स्त्री-पुरुषोंके पत्र मिल रहे हैं, जो लिखते हैं कि 'उन्हें तो सिर्फ मेरा आदेश मिलने-भरकी देर है, फिर तो वे दिखा देंगे कि वे क्या हैं।' वे यह भी लिखते हैं कि मुझे हिंसा फूट पड़ने का भय करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सबसे मैं यही कहूँगा कि वे जो कहते हैं वह सब अगर सच है तो सन्नके साथ प्रतीक्षा करने से उनके बलमें वृद्धि ही होगी और सफलता सुनिश्चित हो जायेगी।

सेर्गाव, १३ नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १८-११-१९३९

४०१. तार : अमृतकौरको

वर्धागज

१३ नवम्बर, १९३९

राजकुमारी अमृतकौर

२, मेटकाँफ हाउस रोड, दिल्ली

आशा है तकलीफ कम होती जा रहा होगी। स्वस्थ रहो। प्यार।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४२) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२५१ से भी

४०२. राजनीति बनाम नैतिकता

कांग्रेसजन-सम्बन्धी अपने लेखमें 'मैने जो सुझाव पेश किया था उसके जवाबमें श्री मानवेन्द्रनाथ रायने डॉ० राजेन्द्रप्रसादको नहीं, बल्कि मुझे एक लम्बा पत्र भेजा है। उन्होंने जो प्रश्न उठाये हैं, वे चाहते हैं, उनपर सार्वजनिक रूपसे चर्चा की जाये। उसके आरम्भिक अंशोंको छोड़कर, जिनमें पाठकोंकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, पत्रकी इस अंशमें अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है।'

सबसे पहले मैं मन्त्रिमण्डलके त्यागपत्रको^१ लेता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि इससे यकीनन कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बढ़ी ही है। इसमें सन्देह नहीं कि अगर कांग्रेस कार्य-समितिके मेरी योजना मान ली होती, तो ज्यादा अच्छा किया होता, पर सिर्फ तभी, जब मेरे बताये तमाम फलितार्थों-सहित, अहिंसाको वह आत्मसात् कर सकी होती। लेकिन कार्य-समितिके सदस्य अपने कर्तव्यके प्रति इतने ज्यादा सचेत थे कि वे मेरी योजनाको यान्त्रिक रीतिसे और बिना हार्दिक विश्वासके मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कार्य-समितिका प्रस्ताव ही एकमात्र सही रास्ता था, जिसे वह अपना सकती थी। और उसके ऐसा करने का तर्कसंगत परिणाम त्यागपत्र ही था।

नागरिक स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए सन्दिग्ध लाभकी खातिर पदोपर 'बने रहना' अशोभनीय होता। अगर वे लोग स्वायत्तशासी राज्योंके मन्त्री होते, तो युद्धके मामलेमें उनकी जैसी उपेक्षा की गई वैसी कभी न की जाती। इस उपेक्षा के बाद जब कार्य-समितिके इस भारी चूककी और ब्रिटिश सरकारका ध्यान खींचा और उससे कहा कि किस प्रकार इसकी क्षतिपूर्ति करके वह युद्ध-प्रयत्नमें भारतका सहयोग कायम रख सकती है, उस समय भी कांग्रेसको सन्तोष दिया जा सकता था। इसलिए मन्त्रिमण्डल कमसे-कम जो कर सकते थे वह यह कि वे त्यागपत्र दे दें—और किसी प्रयोजनसे नहीं तो प्रान्तीय स्वायत्तताका खोखलापन दिखाने के लिए ही। अपनी बेबसीका पता लगने के बाद पदोपर बैठे रहना तो बदनामीको ही न्योता देना होता। नागरिक स्वतन्त्रताकी रक्षाकी खातिर मन्त्रिमण्डल पदोपर बने रहना सारके बदले छायाके पीछे भागने-जैसा होता। और श्री राय यह विश्वास रखें कि बेचारे कमजोर कर दिये गये मन्त्री नागरिक स्वतन्त्रताके अच्छे रक्षक भी नहीं हो सकते थे। गवर्नर उनके निर्णयोंका कोई लिहाज न करते और जिन्हें वे जेलखानोंमें भेजना चाहते, भेज देते। पदग्रहण मुख्यतया इसलिए किया गया था कि स्वतन्त्रताकी ओर हम तेजीसे बढ़ सकें। मन्त्री जब इसमें असफल हो गये तब अन्य लाभ चाहे जितने

१. इंडियन एज ३५९-६१।

२. अपने पत्र में मानवेन्द्रनाथ रायने कहा था कि "इस अवस्थामें कांग्रेसी मन्त्रियोंसे त्यागपत्र दिलाना बल्की नहीं था।"

बड़े हों, उन्हें छोड़ देने के लिए वे बाध्य थे। और जबतक कांग्रेसकी माँग पूरी नहीं हो जाती, तबतक वे कभी पदोंको पुनः स्वीकार नहीं कर सकते।

सविनय अवज्ञा किसी भी तरह अनिवार्य अगला कदम नहीं है। वह तो अनेक बातोंपर, जिनमें से कुछका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, निर्भर करती है। युद्ध-संचालनकी कलामें—और खासकर जब वह युद्ध अहिंसात्मक हो तब—निष्क्रियता अक्सर सबसे अधिक प्रभावकारी क्रियाशीलता होती है।

और अब हम सबसे अहम सवालपर आते हैं। 'सविनय अवज्ञा शास्त्रमें अहिंसाका स्थान केन्द्रीय है। १९२० में कांग्रेसने अपनी राजनीतिको जान-बूझकर मूलभूत नैतिकता और आवश्यक समाज-सुधारसे जोड़ दिया था। कांग्रेस इस निर्णयपर पहुँची थी कि अहिंसा और अमुक निश्चित सामाजिक सुधारोंके बिना, जैसे मद्य-निषेध और अस्पृश्यता-निवारणके बिना, स्वराज्य हासिल नहीं किया जा सकता। अपने आर्थिक कार्यक्रमके केन्द्रमें उसने चरखेको भी रखा। सच तो यह है कि उसने तब के जाने-माने राजनीतिक कार्यक्रम, अर्थात् संसदीय कार्यक्रमको त्याग दिया। अतः कांग्रेसकी राजनीतिमें नैतिकताको दाखिल किया जाना कांग्रेसकी आजादीकी लड़ाईमें न तो अप्रासंगिक था और न है। यह तो उसके मर्म-स्थलके समान है। उस वक्त भी थोड़े-से लोग जरूर इसपर कुंठमुड़ाये थे। लेकिन भारी बहुमतने इस कार्यक्रमका ऐसा स्वागत किया जैसा कांग्रेसके पूरे दीप्तिमान इतिहासमें पहले कभी नहीं हुआ था। इस कार्यक्रमने जनतामें अत्यन्त व्यापक जागृति पैदा कर अपना औचित्य सिद्ध किया। इसके कारण कांग्रेसने वह महत्त्व पाया, जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। श्री राय मुझसे यहाँ यह आशा नहीं करेंगे कि मैं उस दलीलको दुहराऊँ जिसके फल-स्वरूप उक्त कार्यक्रम उत्साहपूर्वक स्वीकार किया गया था। अगर वे इस विषयके पक्ष-विपक्षको जानना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए 'यंग इंडिया'के पृष्ठ उलटने चाहिए। इस कार्यक्रमको कांग्रेसने जबसे स्वीकार किया, तभीसे वह एक व्यापक लोकतान्त्रिक संस्था बन गई और, उसने अपना एक ऐसा लोकतान्त्रिक विधान बनाया जो अबतक कायम है, और जिसमें आजतक कोई ठोस और मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया है।

कांग्रेसका काम दुहरा है। शान्तिके वक्त वह लोकतान्त्रिक संस्था है और युद्धके वक्त वह एक अहिंसात्मक सेना बन जाती है। अपने इस दूसरे रूपमें उसमें मताधिकार नहीं रहता। उस समय तो जो भी उस सेनाका अध्यक्ष हो उसीके माध्यमसे उसकी इच्छा अभिव्यक्त होती है। और उस हालतमें उसकी प्रत्येक इकाईको मन, वचन और कर्मसे स्वेच्छापूर्वक उसकी आज्ञाका पालन करना पड़ता है। हाँ, मनसे भी, क्योंकि उसकी लड़ाई अहिंसात्मक है।

१. मानवेन्द्रनाथ रायने कांग्रेसके अहिंसाके सिद्धान्तकी यह कहते हुए आलोचना की थी कि "उसका कांग्रेसके राजनीतिक कार्यक्रमसे कोई सम्बन्ध नहीं है।"

२. देखिए खण्ड १९, पृ० १९४-२०२, और खण्ड ५९, पृ० २६१-७३।

श्री राय तथा अन्य कांग्रेसजनोंको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि अपने साथी कार्यकर्ताओंको खो देने की मुझे आदत नहीं है। उनका प्रेम प्राप्त करने और उसे कायम रखने के लिए मैं उनके साथ बहुत दूरतक चलने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन आखिर एक ऐसी सीमा भी आती है, जिसके आगे मैं समझौता नहीं करता, नहीं कर सकता और न मुझे करना ही चाहिए। भला ऐसे समझौतेका क्या मूल्य जिससे सफलताकी सम्भावना ही खतरेमें पड़ जाये ?

सेर्गाव, १४ नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १८-११-१९३९

४०३. टिप्पणियाँ

पंच-निर्णय या सरकारी निर्णय ?

‘अच्छा भी और बुरा भी’^१ शीर्षक मेरे लेख (‘हरिजन’, ४-११-१९३९)में एक निर्दोष वाक्य आया है, जिसके विरोधमें सब ओरसे मेरे ऊपर प्रतिवादोंकी बौछार हो रही है। इन पत्र-लेखकोंने मेरे लेखोंमें जल्दबाजीके कारण हुई भूल दिखने पर उसके लिए मेरी कड़ी आलोचना करके अनचाहे ही मेरी तथ्यपरकताकी प्रशंसा ही की है। मैं मानता हूँ कि जिसे मैंने ‘पंच-निर्णय’ कहा है वह वास्तवमें पंच-निर्णय नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकारका निर्णय था। और यदि वह पंच-निर्णय नहीं था तो उसमें मेरे शामिल होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। किन्तु इसके बावजूद मेरे ‘शामिल होने’ का स्पष्टीकरण देना जरूरी है। मैंने दिवंगत श्री रैम्जे मैकडॉनल्डके नाम किसी भी आवेदनपर हस्ताक्षर नहीं किये थे। किन्तु मेरे सामने जो आवेदन-पत्र पेश किया गया था, उसपर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने के बाद मैंने दिवंगत प्रधान मन्त्रीको इस आशयका एक पत्र^२ लिखा था कि साम्प्रदायिक समझौतेके सिल-सिलेमें सब पक्षोंको जो-कुछ मान्य होगा, उसे कांग्रेस भी स्वीकार कर लेगी। किन्तु वह योजना बीचमें ही खत्म हो गई और किसी सर्वसम्मत आवेदनके अभावमें ब्रिटिश सरकारने पंच-निर्णय नहीं, बल्कि एक सरकारी निर्णय दे दिया। मेरे इस बात को भूल जाने से यथार्थ तो नहीं बदल सकता। किन्तु मुझे खेद है कि मेरी भूल

१. मानवेन्द्रनाथ रायने अपने पत्रके अन्तमें लिखा था कि ऐसी स्थिति नहीं पैदा की जानी चाहिए कि उन्हें और उनके दलको “कांग्रेससे अलग होना पड़े . . . और वह भी महज इस गुनाहके कारण कि हममें अपने विश्वासके प्रति आस्था प्रकट करनेका साहस है और हम भारतीय स्वतन्त्रताके लिए समर्पित हैं।”

२. देखिये पृ० ३५४-५५ तथा “टिप्पणियाँ”, २७-११-१९३९ का उपशीर्षक “फिर साम्प्रदायिक निर्णय” भी।

३. देखिये खण्ड ४८, पृ० ३३४-३५।

से इतने लोगोंको पत्र लिखने का कष्ट उठाना पड़ा। किन्तु मुझे लगता है, खेद प्रकट करने के बाद मैं अपनी आदतोंको सुधार नहीं सकूंगा। दूने कामका भार वहन करते हुए मेरा उस तरहकी भूल फिरसे कर बैठना असम्भव नहीं जिसपर इतने सारे पत्र-लेखकोंको रोष हुआ है। किन्तु भावी पत्र-लेखक देखेंगे कि मैं जब-जब भूल करूँगा तब-तब उसे सुधारने के लिए तत्पर रहूँगा। और मेरे आलोचक यह भी याद रखें कि कांग्रेसके तटस्थताके जिस सूत्रके प्रति उनमें अचानक ऐसा प्रेम जाग गया है, उसका जनक भी मैं ही था। वे यह भी विश्वास रखें कि यदि मेरे जीवन-कालमें अनेक दोषोंसे युक्त इस निर्णयको सर्वसम्मतिसे सुधारने का समय आया तो न्यायसंगत समझौता कराने में सहायता देनेवाले कार्यकर्त्ताओंमें मैं भी होऊँगा। किन्तु मैं यह नहीं कर सकता कि जिन पक्षोंसे इसका सम्बन्ध है उनकी परवाह किये बिना ब्रिटिश सरकारसे इसे सुधारने की प्रार्थना करूँ। जबतक कि सम्बद्ध पक्ष इसकी विचित्र असंगतियोंके निराकरणके लिए एकमत न हो जायें, तबतक यह कामय रहेगा।

सेगाँव, १४ नवम्बर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, १८-११-१९३९

४०४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्षा

१४ नवम्बर, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे पत्र मुझे नियमित रूपसे मिलते रहे हैं। राजेन बाबूको लिखा तुम्हारा पत्र भी मैं पढ़ गया हूँ। पत्र पढ़ने से पहले मैं उसपर 'हरिजन' के लिए टिप्पणी लिख चुका था; तुम्हें उसकी अग्रिम प्रति भेजने का प्रयास करूँगा।

यदि तुम्हें इलाहाबादमें मुझे और रोकने की जरूरत होगी तो रोक लेना। लन्दनमें यहाँके हमारे वक्तव्योंका जो पक्षपातपूर्ण सम्पादन किया जाता है, उसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं। यदि समय मिला तो मैं 'न्यूज क्रॉनिकल' के लिए

१. देखिए खण्ड ४७, पृ० १५७-५८।

२. तात्पर्य सम्भवतः पिछले शीर्षकसे है।

३. जवाहरलाल नेहरूने अपने ८ नवम्बरके पत्रमें गांधीजीको लिखा था: "यदि सम्भव हो तो सं० प्रा० का० कमेटीके सब सदस्य इलाहाबादके आपके प्रवासके समय आपसे मिलना चाहेंगे। . . . कार्य-समिति की बैठक तो शायद २१ या २२ तक चलेगी। आपके साथ संयुक्त प्रान्तके कोई तीसके कार्य-कर्त्ताओंकी अनौपचारिक बैठके लिए क्या मैं ३० तारीख सुझा सकता हूँ?"

एक छोटा-सा सन्देश' लिख डालूंगा। इसके लिए उस पत्रने मुझे सशुल्क अधिकार दे रखा है।

शेष मिलने पर।

स्नेह।

बापू

[पुनश्च :]

महादेवने मुझे अभी-अभी बताया है कि आज तुम पूरे पचास वर्षके हो गये हो। मुझे आशा है कि तुम अगले पचास वर्ष भी ऐसी ही स्फूर्ति, निष्कपटता और खरी ईमानदारीके साथ पूरे करोगे।

बा०

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य. नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृ० ३९६ से भी

४०५. तार : 'न्यूज क्रॉनिकल' को^२

१४ नवम्बर, १९३९

मैं देखता हूँ कि भारत और ब्रिटेनके बीच जो मुख्य मुद्दा है उसके बारेमें ब्रिटिश समाचारपत्र उलझनमें पड़े हुए हैं। क्या ब्रिटेनका इरादा भारतको एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें स्वीकार करनेका है अथवा क्या भारतको ब्रिटेनके अधीन ही रहना होगा? इस प्रश्न को कांग्रेसने ब्रिटेनकी स्थितिसे लाभ उठाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए उठाया है कि भारतके लोग इस बातका निश्चय कर सकें कि उन्हें वर्तमान विद्व-संकटके समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह मुद्दा विशुद्ध नैतिक बन जाता है, क्योंकि ब्रिटेन भारतपर अपने पूर्ण आर्थिक और सैनिक नियन्त्रणके जोरसे भारतीय और ब्रिटिश सेनाका चाहे जिस तरह संचालन कर सकता है तथा अपनी इच्छानुसार भारतका आर्थिक दोहन करता रह सकता है। ग्यारह प्रान्तोंमें से आठ प्रान्तोंने जोरदार ढंगसे यह कह दिया है कि यदि युद्धका मतलब अन्य बातोंके अलावा भारतको पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है तो वे उसमें शरीक नहीं होंगे। इसके आगे अन्य सब मसले

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. यह "द मेल इन्" (सुख सुखा) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

गौण है। अल्पसंख्यकोंका मामला विशुद्ध घरेलू मामला है जिसे अल्प-संख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों मिलकर तय कर लेंगे। प्रस्तावित संविधान-सभा ही ऐसी सभा है जो इस समस्याका स्थायी और उचित समाधान ढूँढ सकती है। अन्य कोई समाधान तो जन-समर्थनसे रहित कामचलाऊ समझौता ही हो सकता है। भारतके मुँहपर अल्पसंख्यकोंका सवाल मारना मामलोंको उलझाना है। और राजाओंके प्रश्नको उठाना तो और भी अनुपयुक्त है। वे तो अधीश्वरी सत्ताके ही अंश हैं। यह सोचकर दुःख होता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ रियासतोंमें रहनेवाले करोड़ों लोगोंकी चर्चा तक नहीं करते। क्या उन्हें अपने शासनमें राय व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है? जैसे दास वे हैं, क्या उन्हें जैसे दास ही बने रहना है, हालाँकि उन्हें युद्धमें घसीटा जा रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि हिटलरने ब्रिटेनको चुनौती दी है कि वह भारतको स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें स्वीकार करके अपनी सदाशयताका प्रमाण दे। इस चुनौतीके पीछे उनकी मंशा चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह बहुत मौजू है। कुछ भी हो, ब्रिटेनकी जनताको जान लेना चाहिए कि कांग्रेसकी माँग बिलकुल स्पष्ट है और यदि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी इरादोंको छोड़ने के लिए तैयार हो तो इस माँगको पूरा भी किया जा सकता है। कार्य-समितिकी बैठक १९ नारीखको इलाहाबादमें होनेवाली है, जिसमें आगेकी कार्रवाईपर विचार किया जायेगा। इसलिए असली मुद्देके बारेमें कोई गलत-फहमी नहीं होनी चाहिए। यदि ब्रिटेन और कांग्रेसके बीच संघर्ष होना ही है तो दुनियाको मालूम हो जाना चाहिए कि यह संघर्ष किस चीजके लिए है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-११-१९३९

४०६. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव, वर्षा
१४ नवम्बर, १९३९

प्रिय पगली,

तुम बहुत नियमपूर्वक मुझे तार भेजती रही हो। कल तुम्हारा तार मिलने से पहले ही मैं तार भेज चुका था। भगवान्‌का शुक्र है कि तुम्हारा देहरादूनका कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब तुम्हें पूरा आराम करना चाहिए। आशा है, तुम्हें शिमलामें कोई चिन्ता नहीं होगी। मैं ठीक हूँ। वैसे कामका बनाव तो है ही। रक्तचाप १८०/१०६ और १६०/१०० है। राधा और लीलावती आज चली गईं और होमी भी। आजकी रात और नहीं लिखूँगा।
स्नेह।

तानाशाह

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४३) से, सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२५२ से भी

४०७. पत्र : गोविन्द वी० गुरजलेको

सेगाँव, वर्षा
१५ नवम्बर, १९३९

प्रिय निर्मलानन्द,

जो सेवा-कार्य तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३८९) से।

४०८. पत्र : जानकीदेवी बजाजको

सेगाँव, वर्धा
१५ नवम्बर, १९३९

चि० जानकीबहन,

यदि दिनशा दाँत निकलवाने के लिए कहें तो डरना नहीं। पीप निकलनेवाले दाँतको उखड़वाने में ही लाभ है। लेकिन यदि दाँतकी जड़ बहुत गहरी हो तो बात कुछ विचार करने योग्य जरूर होती है। दिनशा जैसा कहें वैसा होने देना। मुझे विस्तारपूर्वक लिखना। मदालसा कैसी है? ओमका पत्र मिल गया है। मेहरवानी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३००५) से।

४०९. तार : अमृतकौरको

वर्धा
१६ नवम्बर, १९३९

राजकुमारी अमृतकौर
शिमला वेस्ट

तुम्हारा तार चिन्ताजनक है। मेरी दुआएँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पूरा आराम लेना चाहिए। पूर्णतः स्वस्थ हो जाओ। स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४५) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२५४ से भी

४१०. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव, वर्षा

१६ नवम्बर, १९३९

प्रिय पगली,

शिमलासे आये हुए तुम्हारे तारसे मन परेशान हो उठा है। अपनेको मनमें दोषी पाता हूँ। भला तुम्हें देहरादून भेजने का मैंने वादा किया ही क्यों? किन्तु मैं तो हूँ ही ऐसा। सहयोगियोसे यथासम्भव अधिकसे-अधिक फायदा उठाना तो मेरा स्वभाव ही है। किन्तु मुझे तुम्हारे दुर्बल शरीरका खयाल तो करना चाहिए था। शम्मीसे^१ सहूलदश क्षमा-याचनाएँ। लेकिन तुमसे एक भी नहीं; क्योंकि तुम्हें तो मेरा यह विचार भी बुरा लगेगा कि मैं तुम्हें बख्शा दूँ। किन्तु हम जिस उद्देश्यको लेकर चल रहे हैं उसकी खातिर ही मुझे तुमको बख्शना होगा। मैं तुम्हें एक तार भेज रहा हूँ। तुम्हें अब स्वस्थ-सबल बन जाना है। बन भी सकती हो, यदि तुम इसका सकल्प कर लो। तुम्हें अपने मनकी उद्विग्नता और छुई-मुईपनसे छुटकारा पाना है। तुम्हारा यह कहना बेकार है कि तुम अपने स्वभावको नहीं बदल सकती। हमारा जन्म तो इस धरतीपर उस उच्चतर शक्तिकी इच्छानुसार अपने स्वभावको बदलने के लिए ही हुआ है।

आशा है, शम्मी अच्छे होंगे। तोफाने^२ तो खूब उत्साहसे तुम्हारा स्वागत किया होगा। सब मरीज अच्छे हो रहे हैं। तुम सबको स्नेह।

तानाशाह

[पुनश्च :]

मैं समझता हूँ कि मैंने धनश्यामदासको पत्र दिया था कि गोद लगवाकर डाकमें डलवा दें।

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४६) से; सौजन्य . अमृतकौर। जी० एन० ७२५५ से भी

१. अमृतकौरके भाई, एवं अक्काश-प्राप्त सज्जन शमशेरसिंह

२. अमृतकौरका पाठशू कुर्वा

४११. पत्र : अमृतलाल ठा० नानावटीको

सेर्गाव

१६ नवम्बर, १९३९

चि० अमृतलाल,

कामथके लिए वहाँ रुककर तुमने ठीक किया। रेचक दवाके बारेमें मैं सुशीलासे सलाह-मशविरा कर लूँगा। आशालताबहनके बारेमें तुमने ठीक ही लिखा है। उसकी समस्या कठिन है। देखूँगा। यदि सयाने लड़के-लड़कियाँ खुद अपनी रक्षा न कर सकें तो कैसे निभेगी ?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७९८) से।

४१२. पत्र : विजयाबहन एम० पंचोलीको

सेर्गाव, वर्धा

१६ नवम्बर, १९३९

चि० विजया,

तेरा पत्र मिल गया है। मैंने तो पत्र लिखा ही है। नानाभाईकी तबीयत कैसी रहती है? तेरा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है या नहीं? काकासाहबके न होनेके कारण आजकल अमृतलाल यही सोता है। प्रार्थना करता है। वह आज नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ कामथकी खटिया पड़ी हुई है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैं तीन-एक दिनके लिए प्रयाग जा रहा हूँ।

श्री विजयाबहन

मारफत श्री नानाभाई

आंबला, बरास्ता सोनगढ़

काठियावाड़

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६१२) से; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली

४१३. पत्र : दिलखुश बी० दीवानजीको

सेगाँव, वर्षा
१६ नवम्बर, १९३९

भाई दिलखुश,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा काम तो हमेशा ठोस होता है। तुम्हारी परेशानी दूर हुई अथवा नहीं? तुम्हारी बुनाई वहाँ भी चलती है न? क्या तुम महीन बुन सकते हो? इस कलापर पूरी तरह अधिकार प्राप्त कर लेना।

बापूके आशीर्वाद

दिलखुश दीवानजी

गाधी कुटीर

कराडी, बरास्ता नवसारी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २६४३) से।

४१४. पत्र : कंचनबहन मु० शाहको

सेगाँव, वर्षा
१६ नवम्बर, १९३९

चि० कंचन,

तेरे दो पत्र मिले हैं। उनमें जवाब देने लायक कोई बात नहीं थी। तेरी इच्छा ही तभी रमण आश्रम जाना। हालमें मुन्नालालका कोई समाचार नहीं मिला है। लेकिन चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नहीं। तू अपनी सेहत सुधार लेना। मैं तीन-एक दिनके लिए इलाहाबाद जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२८८)से। सी० डब्ल्यू० ७०६४ से भी;
सौजन्य : मुन्नालाल गं० शाह

४१५. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव

रात्रि ८ बजेके लगभग, १६ नवम्बर, १९३९

प्रिय अमृत,

तुम्हें यह पत्र^१ पहले ही भेजा जाना चाहिए था। किन्तु बहाना यह है कि समय नहीं था, या कहूँ कि ठीक व्यवस्था नहीं थी, अथवा दोनों ही नहीं थे? स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४४) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२५३ से भी

४१६. भेंट : एक साथी कार्यकर्त्ताको^२

[१७ नवम्बर, १९३९ या उसके पूर्व]^३

साथी कार्यकर्त्ता : चूँकि मुझे आपके नेतृत्वमें विश्वास है, इसलिए आपकी बात सुनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।

गांधीजी : मेरा नेतृत्व तो नीरस है; और दिखलाने को इसके^४ सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है।

सविनय अवज्ञा-सम्बन्धी आपका वक्तव्य^५ चक्करमें डालनेवाला है। उसमें कही गई बातें अपने-आपमें स्पष्ट नहीं हैं। उदाहरणके लिए, जब आप यह कहते हैं कि मुस्लिम लोग रुकावट डाले तो हमें सविनय अवज्ञा शुरू नहीं करनी चाहिए, तो

१. तात्पर्य १०-११-१९३९ को बम्बईसे शंकरलाल बैंकर द्वारा अमृतकौरके नाम लिखे पत्रसे है, जिसके पृष्ठ भागपर गांधीजीने यह पत्र लिखा था।

२ और ३. यह मॅट-वार्ता महादेव देसाईके लेख “पञ्चल एंड परप्लेक्सिड” (हरान और परेशान) शीर्षकसे, जो दिनांक “सेगाँव, १७ नवम्बर” के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था, ली गई है।

४. महादेव देसाई लिखते हैं : “गांधीजी हँस रहे थे और उच्च चरखेकी ओर इशारा कर रहे थे जिसे वे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे।”

५. देखिए पृ० ३७५-७८ और ३८३-८४।

मुझे बड़ी हैरानी होती है। क्या इसमें साम्प्रदायिक दंगेका भय है? दंगा भला क्यों होना चाहिए?

तो अभी पिछले दिनों नेल्सूरमें क्यों हुआ ?

वह तो बिवालीके सिलसिलेमें हुआ था, राजनीतिसे उसका क्या सरोकार ? साम्प्रदायिक एकताके अभावसे तो पूरा सरोकार है।

आपका खयाल है कि वे हमारे मार्गमें रुकावट डालेंगे, ताकि कहीं हम अपनी मार्गें पूरी न करा लें ?

नहीं, वे कहेंगे, सरकारसे लड़ते हुए हम उनसे लड़ रहे हैं और सहयोगके जरिये वे जो हासिल करना चाहते हैं उसमें हम रुकावट डाल रहे हैं। क्या आप मुसलमानोंसे लड़ना चाहते हैं ?

नहीं। जिन्ना साहबसे आपकी जो बातचीत^१ हुई, उससे क्या आपके मनपर ऐसी कोई छाप पड़ी ?

नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात तो नहीं कही। लेकिन मैंने जो-कुछ कहा वह इतना प्रत्यक्ष है कि उसे देखनेके लिए साधारण बुद्धिके सिवा और किसी बातकी जरूरत ही नहीं। दरअसल मुझे तो इस बातपर आश्चर्य है कि जो बात इतनी स्पष्ट है वह भी आपको दिखाई नहीं देती। आपके दलके अन्य लोग इस बातको साफ-साफ समझते हैं कि टटा होगा, लेकिन उनका कहना सिर्फ यह है कि हमें उसकी परवाह न करके उनका सामना कर सकना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऐसी आशा करके कि हम दंगेका सामना कर सकते हैं, दंगेकी सम्भावना प्रस्तुत होने देना गलत होगा। एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग यदि सविनय अवज्ञा शुरू करनेके खिलाफ है, तो मैं कहूँगा कि हम प्रतीक्षा करें।

लेकिन आपने अन्य बाधाओंका भी तो उल्लेख किया है।

मुख्य बाधा तो वही है। लेकिन क्या मुझे यह नहीं कहना चाहिए था कि हमारे अन्दर अनुशासन होना चाहिए ?

लेकिन अनुशासन तो है। जब आप कहते हैं कि हमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू नहीं करना चाहिए, तो हम उसे शुरू नहीं करते। हमारे वामपंथियोंने भी आपकी बातपर जिस तरह अमल किया है उससे मुझे आश्चर्य है। निःसन्देह, हममें से एक-दो ने उग्र भाषाका प्रयोग किया है, लेकिन वैसे अनुशासन मौजूब है।^२

आप तो, महात्माजी, प्रतीक्षा ही करते रहेंगे और दूसरोंसे भी यही चाहेंगे ?

इसीलिए मैंने कहा है कि दो मालिक मत रखो। या तो मुझे अपने विचारोंका कायल करी या मुझे त्याग दो।

१. दिल्ली में १ और २ नवम्बर को

२. महादेव देसाई लिखते हैं : “गंधीजीने इन मित्रको अनुशासकनीतिके उदाहरण दिये।”

तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कांग्रेससे अलग होकर सविनय अवज्ञा शुरू करें तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ?

गैर-कांग्रेसियोंपर मेरी आपत्तिका कोई असर नहीं होगा।

लेकिन हम रहेंगे अहिंसक। जिस मुख्य बाधाका, अर्थात् साम्प्रदायिक विभेदका, आपने जिक्र किया है वह दूर होनी चाहिए। यह तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके दूर हो जाने पर आप हमें नहीं रोकेंगे।

इसके विपरीत, अगर आप मन-वचन-कर्मसे अहिंसक रहे तो आप मुझे ही अपना अनुयायी बना लेंगे। जैसा कि मैं पृथ्वीसिंहसे कहता रहा हूँ, यदि वे मन-वचन-कर्मसे पूर्ण अहिंसक बन जायें तो मुझे ही उनका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि तब वे मेरी बनिस्बत कहीं श्रेष्ठ होंगे। अतः जब आप सब अहिंसक हो जायेंगे तो मैं खुशीके मारे नाच उठूंगा।

आपने सरकार द्वारा किये जानेवाले शत्रुतापूर्ण कार्योंका भी उल्लेख किया है। इससे आपका क्या अभिप्राय है ?

मसलन, जब वह नागरिक स्वतन्त्रताको नामुमकिन बना देती है।

लेकिन वह तो नामुमकिन ही है। हमारे बोलने पर ही हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर हम सरकारकी आलोचना करें तो क्या यह आपके खयालमें हमारी स्वेच्छासे ली गई प्रतिज्ञाका भंग होगा ?

नहीं, अगर आपकी भाषा हिंसात्मक न हो।

तो हम लॉर्ड जेटलैंडके भाषणकी आलोचना कर सकते हैं। हम उन्हें अन्तराष्ट्रीय डाकू बताकर यह कह सकते हैं कि उनके साम्राज्यवाद और फासिज्ममें कोई फर्क नहीं ?

जरूर।

इससे हम मुसीबतमें तो नहीं पड़ेंगे ?

मेरी हृदयक तो निश्चय ही नहीं।

तब मैं दूसरी बातपर आता हूँ। अब चूंकि कार्यपालिका अनुत्तरदायी है, हम उसे कर आदि क्यों दें ? किसान-सभाके हमारे कुछ मित्रोंको यह स्थिति असंगत मालूम पड़ती है। क्या हम कर देने से इनकार नहीं कर सकते ?

वह तो सविनय अवज्ञा होगी। भला बड़े पैमानेपर करबन्दी आप कैसे कर सकते हैं ?

नहीं, मेरा मतलब बड़े पैमाने पर ऐसा करने से नहीं है।

तब तो वह करबन्दी ही नहीं होगी। क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसा न किया जाये तो उसका कोई मतलब ही नहीं है।

किसी गाँवके एक-दो आदमी भी विरोधके रूपमें कर देने से इन्कार क्यों न करें ? वह एक आजमाइशी मामला होगा।

आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वह मात्र पागलपन होगा। और आप निश्चय मानिए कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। नहीं, आप अपनी भावनाओंके प्रवाहमें हुरगिज न बहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लोगोसे यह भी कह सकता हूँ कि जो लोग अधिकसे-अधिक कष्ट सहने को तैयार हैं, वे कर देने से इन्कार कर सकते हैं। लेकिन वह आज नहीं होगा। फिर कभी — और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भेरे जीते-जी ही — ऐसा समय आ सकता है।

लेकिन जिस बातका निषेध कांग्रेस नहीं करती उसे करने में क्या कोई हानि है ?

जो करने को कांग्रेस नहीं कहती वैसी हर बात निषिद्ध ही है।

लेकिन अगर कोई बहुत तीव्रतासे किसी बातको महसूस करे और कोई रास्ता निकालना चाहे तो वह क्या करे ?

कांग्रेससे अलग होकर — यही एकमात्र उचित रास्ता है।

आपने हमसे रचनात्मक कार्यक्रमसे ही सन्तुष्ट रहने को कहा है। पर हमारे अन्दर कुछ बहुत जोशीले लोग भी हैं। वे कुछ करना चाहते हैं — ऐसा-कुछ जो सविनय अवज्ञा चाहे न हो पर दुनिवार रूपसे उसी ओर ले जानेवाला हो।

नि सन्देह, रचनात्मक कार्यक्रम ऐसा ही है। यह तो निश्चय ही सेनापतिको तय करना है कि वह कार्य क्या हो। मान लीजिए, वह प्रत्येक आदमीको हर रोज पाँच मील चलने का हुक्म देता है, या हरएक से एक टैंकको खाली करने में मदद देकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। अगर आप अनुशासन-पालनमें विश्वास करते हैं, तो क्या आप यह नहीं सोचते कि हरएकको ऐसा ही करना चाहिए ?

लेकिन अन्तमें क्या होगा, वह हम नहीं जानते।

इसलिए आप यह कह सकते हैं कि मेरी भाषा यथार्थ और सुनिश्चित नहीं है। अगर आप मुझसे यह कहलवाना चाहें कि 'इतने घटे चरखा चलाओ और अगर इतने आदमी इतने घटेतक ऐसा करें तो सविनय अवज्ञाकी स्थिति आ जायेगी, तो ऐसा कहने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ।

हम यह नहीं कहते कि समझौता-वार्ता जारी न रहे और शान्तिके प्रयत्न ढीले कर दिये जायें, लेकिन हमें अपनेको तैयार तो रखना ही चाहिए।

मैं भी ऐसी हिदायतें जारी करने के लिए तैयार हूँ कि ये मेरी न्यूनतम अपेक्षाएँ हैं और जो इन्हें पूरा करे वे ही अहिंसक सेनामें शामिल हो सकते हैं।

आप ऐसा करेंगे, इस बातकी मुझे खुशी है। जब आपने यह घोषित किया कि कार्य-समितिके कमसे-कम सविनय अवज्ञा-सम्बन्धी सारा भार तो आपपर ही छोड़ दिया है, तो हम सब बड़े खुश हुए। आपने हमारा उत्साह बढ़ाया और हमारे अन्दर आत्मविश्वासकी भावना पैदा हुई। अब अगर आप यह समझें कि ऐसा करने में कोई खतरा नहीं है, तो कार्य-समिति लड़ाईके लिए तैयारी-समितिके ढंगकी एक कमेटी

क्यों न बनाये या सभी स्थितियोंका सामना करने की तैयारी करने का सारा अधिकार आपको ही क्यों न सौंप दे ?

मैं देखूंगा कि इलाहाबादमें क्या होता है।

अन्तमें मैं एक बात और पूछता हूँ। यदि एकताकी इतनी अधिक आवश्यकता है, तो फिर वामपंथियोंपर इतना अत्याचार क्यों ?

अत्याचार गलत शब्द है। अत्याचार कोई नहीं किया जा रहा है, और प्रतिबन्ध हटाया जा सकता है, बशर्ते कि हृदयसे अनुशासनका पालन करने का आस्वासन मिल जाये।

आप ऐसा मानकर क्यों नहीं चलते कि वे वैसा ही करेंगे ?

हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टीके सदस्योंमें खुल्लमखुल्ला आशामंग करनेवाले लोग भी हैं। ज्यादासे-ज्यादा यही तो हो सकता है कि हम सदस्योंको पार्टीसे निकालते चले जायें, यहाँ तक कि अन्तमें अकेला मैं ही बच रहूँ। तब मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं हार गया। लेकिन मजाक छोड़ दें, तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि जो व्यक्ति चाहता हो कि प्रतिबन्ध हटा लिया जाये उसे कहना चाहिए, और दिलसे मानता हो तभी कहना चाहिए कि 'मुझे अलग नहीं रहना है, मैं माफी माँग लूँगा ?' फिर तो उसे फौरन ले लिया जायेगा।

जब उन्होंने देखा कि कार्य-समितिके निर्णयका आप भी अनुमोदन करते हैं तो वे स्तम्भित रह गये। उनके मनमें आपके लिए गहरा आदर-भाव है, जिसका आधार बुद्धि नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्नेह है। आपकी खातिर वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप प्रतिबन्ध हटवा सकें, तो वे सब बहुत खुश होंगे।

तब मेरी सलाह है कि आप सारी बात समझाते हुए राजेन्द्र बाबूको एक पत्र लिखकर यह सुझाव दें।

मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। मैं तो आपसे सिर्फ इस बातको समझने का अनुरोध करूँगा कि कार्य-समितिको इस मामलेको प्रतिष्ठाका प्रश्न नहीं बनाना चाहिए।

यहाँ प्रतिष्ठाका कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो अनुशासनका है।

मैं समझता हूँ कि दुनियाकी किसी भी सेनाके मुकाबले कांग्रेसके सदस्योंने ज्यादा अनुशासनका परिचय दिया है। सोचिए कि आपको कितने कम लोगोंके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी है ?

काश कि मैं आपसे सहमत हो सकता ! मैंने यहाँ और दक्षिण अफ्रिकामें कितने ही संगठनोंको खड़ा किया है और मैं यह कह सकने में असमर्थ हूँ कि कांग्रेस

उनकी तुलनामें बेहतर ठहरती है। जहाँ-जहाँ इन संगठनोंने अच्छा काम किया है, उसका कारण यह रहा है कि उनके सदस्योंने खुशीसे आज्ञाका पालन किया है। इसके विपरीत, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सदस्योंने उग्र अवज्ञाका परिचय दिया है।^१

आप अपने मनमें इस बातपर विचार कीजिएगा कि कितने कांग्रेसियोंने खादी-सम्बन्धी धाराका पालन किया है।^१

कामका प्रमाण तो कामका परिणाम है। सभी जगह बहुत-सी अनबिकी खादी जमा है। आपका प्रान्त अपने यहाँकी सारी अनबिकी खादी खत्म क्यों नहीं कर देता ?

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-११-१९३९

४१७. एक पत्र

१७ नवम्बर, १९३९

“किसी बातकी चिन्ता मत करो।” यह ठीक वैसी ही बात है जैसी कि ‘गीता’ में वर्णित अनासक्ति। इस मुख्य विचारको ध्यानमें रखकर इस ग्रन्थका अध्ययन करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई

४१८. पत्र : मनुबहन सु० मशरूवालाको

सेर्गाव, वर्धा

१७ नवम्बर, १९३९

वि० मनुड़ी,

मैं तुझे जितने पत्र लिखना चाहता हूँ उतने नहीं लिख पाता। अब तो तेरा [प्रसवसे] तुरन्त छुटकारा हो जाना चाहिए। आशा है, तू हिम्मतसे काम ले रही

१. यहाँ महादेव देसाई लिखते हैं : “उन साथी कार्यकर्ता गांधीजी की बातसे सहमत नहीं थे, और वे आगे बावचीत जारी रखना चाहते थे। लेकिन समय नहीं रह गया था।”

२. महादेव देसाई लिखते हैं कि गांधीजी के उपर्युक्त कथनसे “साथी कार्यकर्ता विचलित नहीं हुए और उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि उनके प्रान्तमें इष्ट धाराका पालन न करनेवाले कांग्रेसी बहुत कम ही हैं।”

३. फिलिपिन्स, ४/६

होगी। सुरेन्द्रको तार भेजना चाहिए। कहा जा सकता है कि तूने ये महीने तो बिना किसी कष्टके बिताये हैं। कृष्णदास प्रगति कर रहा है और कुँवरजी भी। जितना सोचा था उससे कहीं तेजीके साथ उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। रामी मजेमें है। तूने बच्चीका यह कितना लम्बा नाम^१ रखा है? तुझे यह नाम किसने सुझाया? या फिर तू अपने सादे-से नामका बदला ले रही है।

तुम दोनोंको,

बापूके आशीर्वाद

श्री मनुबहन मशरूवाला
बालकिरण
सान्ताक्रूज

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २६७३) से; सौजन्य : मनुबहन सु० मशरूवाला

४१९. पत्र : जयसुखलाल गांधीको

सेगांव, वर्षा
१७ नवम्बर, १९३९

चि० जयसुखलाल,

मैं कल प्रयाग जा रहा हूँ। बहुत करके २५ तारीखसे पहले लौट आऊंगा। समाचारपत्रोंमें मेरा कार्यक्रम पढ़कर ही आना। माणिकलाल^१ अथवा लड़कियोंको मैं अलगसे नहीं लिख रहा हूँ। सबको,

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से।

१. नवमल्लिका

२. जयसुखलाल गांधीके भाई

४२०. पत्र : माणकलाल और राधा कोठारीको

सेर्गाव, वर्षा

१७ नवम्बर, १९३९

चि० माणकलाल और चि० राधा,

तुम दोनोंके पत्र मिले। ईश्वर करे तुम्हारा नया वर्ष सुखपूर्ण हो।

बापू और बा के आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से।

४२१. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

सेर्गाव, वर्षा

१७ नवम्बर, १९३९

चि० बबुडी,

तेरा यह कैसा पत्र है! तुझे यह क्यों लगता है कि तू मुझसे दूर होती जा रही है? मुझे विस्तारपूर्वक लिख। तूने मुझे चिन्तामें डाल दिया है। तुझसे तो मैंने बड़ी आशाएँ लगा रखी हैं। मुझे निराश मत करना। हम कल प्रयाग जा रहे हैं। प्यारेलालको यही छोड़ रहा हूँ। आश्रममें मैंने एक कुष्ठ-रोगी रखा है। उनका नाम परचुरे शास्त्री है। उम्मीद है कि हम २३ तारीखको वापस लौट आयेंगे। आशा है, तेरा काम ठीक चल रहा होगा। मुझे तुरन्त उत्तर देना।

तुम दोनोंको,

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००१८) से, सौजन्य शारदाबहन गो० चोखावाला

१. गांधीजी के सबसे बड़े भाई लक्ष्मीदास गांधीके दामाद माणकलाल कोठारी

२. माणकलाल कोठारीकी पत्नी

३. विक्रम सम्बन्धके अनुसार दिवालीके बादका दिन (कार्तिक सुदी १) जब वर्ष के रूपमें मनाया जाता है। १९३९ में नव वर्ष १२ नवम्बरको पड़ा था।

४. अपनी पुस्तक बापूकी छायामें (पृ० १६८) पर बल्लन्तसिंह लिखते हैं: परचुरे शास्त्री “आकर खड़े हो गये और बापूजी से कहने लगे, मुझे तो आपके सान्निध्यमें रहना है और यहाँ मरना है। . . . बापूजी गम्भीर विचारमें पड़ गये। . . . वस, बापूजी ने उन्हें आश्रममें रखने का निश्चय कर लिया। . . . जब उनका रोग भयानक स्थितिमें पहुँचा तो बापूजी ने स्वयं ही उनकी मालिखत करना भी शुरू कर दिया।” ५ सितम्बर, १९४५ को परचुरे शास्त्रीकी मृत्यु हो गई।

४२२. मुहम्मद यूनसको लिखे पत्रका अंश

१८ नवम्बर, १९३९

यदि तुम मेरी बातका विश्वास न करो तो मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ कि सब प्रश्नोंसे महत्त्वपूर्ण इस प्रश्नकी ओर मेरा ध्यान निरन्तर लगा हुआ है। किन्तु मनुष्य तो केवल मंसूवे ही बाँध सकता है, उनको पार लगाना तो भगवान्‌के ही हाथोंमें है। जिनका भगवान्‌ने योग जुटाया है उन्हें कोई भी स्थायी रूपसे अलग नहीं कर सकता।^१

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई

४२३. पत्र : पी० कोदण्डरावको

रेलगाड़ीमें

[१८]^१ नवम्बर, १९३९

प्रिय कोदण्डराव,

तुम्हारा तर्क तो काफी अच्छा है, किन्तु मुझे बताओ कि आज राष्ट्र-संघ^१ है कौन? स्थिति चक्करमें डालनेवाली है, लेकिन साथ ही अत्यन्त दिलचस्प भी। मुझे उम्मीद है कि इस मर्मस्पर्शी नाटकमें हमारा देश महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

तुम्हारा,

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२८३) से।

१. देखिए पृ० २८० मी।

२. तथापि साधन-दृष्टिमें “१० नवम्बर” की तारीख दी गई है। इस दिन गांधीजी इलाहाबाद जा रहे थे।

३. सितम्बर १९३९ में कुछ अक्षक उठने पर यद्यपि राष्ट्र-संघ (लीग ऑफ नेशन्स) की सभी गतिविधियाँ बन्द हो गई थीं, तथापि अप्रैल १९४६ तक उसका अस्तित्व कायम रहा।

४२४. पत्र : अमृतकौरको

इटारसी
१८ नवम्बर, १९३९

प्रिय पगली,

हमें यहाँ पाँच घंटे गाड़ीकी प्रतीक्षा करनी है। राजाजी और जयरामदास हमारे साथ हैं। शिमलासे भेजा तुम्हारा तार मिल गया था। तुम्हारा व्यवहार असाधारण रूपसे अच्छा रहा है। आशा है, तुम्हारे स्वास्थ्यमें निरन्तर सुधार होता जायेगा। तुम्हें किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए और अपना सारा ध्यान स्वस्थ और सशक्त बनने पर लगाना चाहिए।

इलाहाबादसे सेगाँवके लिए मंगलवारको रवाना होने की आशा रखता हूँ, किन्तु शायद ऐसा न बन पड़े। तब मैं बुधवारको निकलूँगा। मेरा मन सेगाँवमें है— विशेष रूपसे जबसे परचुरे शास्त्री आये हैं। वे तो मेरे लिए भगवान्की देन हैं। लेकिन यह मेरे लिए एक कसौटी भी है।^१

स्नेह।

तानाशाह

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४७) से, सौजन्य अमृतकौर। जी० एन०
७२५६ से भी

४२५. पत्र : जयकृष्ण प्र० भणसालीको

इटारसी
१८ नवम्बर, १९३९

चि० भणसाली,

नयन तुम्हारे पत्रकी आस लगाये हुए है। उसे सन्तुष्ट करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि यह अहिंसा है। सम्बन्धियोंके साथ हम निजी सम्बन्ध भले ही न रखें, लेकिन उनके मनको दुःखाना भी तो नहीं चाहिए। जब सम्बन्धियोंका दायरा अधिक विस्तृत हो जाये, तब हमें सबके प्रति तटस्थ दृष्टिकोण अपना लेना चाहिए और

१. रेखिए पृ० ४०३, पाद-टिप्पणी ४।

उनसे सेवा करने-भरका सम्बन्ध रखना चाहिए। तुम जो मेहनत कर रहे हो वह अपने स्वास्थ्यको बनाये रखकर करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३३) से।

४२६. पत्र : कृष्णचन्द्रको

इटारसी

१८ नवम्बर, १९३९

चि० कृष्णचन्द्र,

तुमारी प्रगति देखकर मुझे सतोष होता है। बढ़ते रहो।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३३१) से।

४२७. पत्र : डाह्याभाई म० पटेलको

चलती रेलगाड़ीमें

१८ नवम्बर, १९३९

भाई डाह्याभाई,

तुम्हारा पत्र मिला था। उम्मीद है, तुम्हारी गाड़ी ठीक चल रही होगी।

बापूके आशीर्वाद

श्री डाह्याभाई मनोरदास पटेल

धोलका

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० २७११) से, सौजन्य डाह्याभाई म० पटेल

४२८. एक ही रास्ता

पण्डित जवाहरलाल नेहरूने मुझे यह दायित्व सौंपा है कि अन्य चीजोंके साथ-साथ मैं संविधान-सभाके फलितार्थोंका भी अध्ययन करूँ। जब उन्होंने कांग्रेस-प्रस्तावोंमें इसे पहले-पहल दाखिल किया तो उसके सम्बन्धमें मैंने यह सूचकर अपने मनको मना लिया था कि लोकतन्त्रकी आरीकियोंका उन्हें बेहतर ज्ञान है। लेकिन मेरा मन संशय-मुक्त नहीं था। मगर घटना-चक्रने मुझे पूरी तरहसे उसका कायल कर दिया है और उसी वजहसे शायद मैं इसके प्रति खुद जवाहरलालसे भी ज्यादा उत्साहशील हो गया हूँ। कारण, जनसाधारणके राजनीतिक तथा अन्य प्रकारके शिक्षणका वाहन होने के अतिरिक्त उसमें मुझे साम्प्रदायिकता तथा हमारे अन्य रोगोंका उपचार भी दिखाई देता है, जो हो सकता है, जवाहरलालको शायद न दिखाई देता हो।

उस योजनाकी जितनी अधिक आलोचना मैं देखता हूँ, मैं उसपर उतना ही अधिक मुग्ध होता जाता हूँ। वह जन-भावनाकी सबसे अच्छे सूचक होगी। उससे हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ खुलकर सामने आ जायेंगी। शिक्षाकी मुझे चिन्ता नहीं है। मैं तो पुरुषों और स्त्रियों, दोनोंके लिए अखि मूँदकर विशुद्ध वयस्क मताधिकारकी व्यवस्था कर दूँगा, अर्थात् उन सबके नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज कर दूँगा। उन्हें आजादी होगी कि यदि वे अपने उस अधिकारका उपयोग न करना चाहें, तो न करें। मुसलमानोंको मैं पृथक् निर्वाचक-मण्डल दूँगा, लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो पृथक् निर्वाचक-मण्डल दिये बिना हरएक वास्तविक अल्पसंख्यक समुदायको उसकी संख्याके अनुसार सुरक्षित स्थान दूँगा, हालाँकि ऐसा मैं अनिच्छासे ही करूँगा।

इस प्रकार संविधान-सभा साम्प्रदायिक समस्याका न्यायसम्मत समाधान ढूँढने का सबसे आसान तरीका प्रस्तुत करती है। आज हम ठीक-ठीक यह नहीं कह सकते कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस निर्वादा रूपसे व्यापकतम पैमानेपर देशकी सबसे पुरानी प्रातिनिधिक संस्था है, तथापि अन्य राजनीतिक और अर्ध-राजनीतिक संस्थाएँ आज उसके प्रबल प्रातिनिधिक स्वरूपपर प्रश्न-चिह्न लगा सकती हैं और लगाती भी हैं। मुस्लिम लीग, निस्सन्देह, मुसलमानोंकी सबसे बड़ी प्रातिनिधिक संस्था है, मगर कई मुस्लिम संस्थाएँ, जो किसी तरह नगण्य नहीं हैं, उसके इस दावेसे इन्कार करती हैं कि वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन संविधान-सभा तो सभी समुदायोंका उनके ठीक अनुपातमें प्रतिनिधित्व करेगी। उसके अतिरिक्त परस्पर विरोधी दावोंके साथ पूर्ण न्याय करने का और कोई उपाय नहीं है। उसके बिना साम्प्रदायिक तथा अन्य दावोंका अन्तिम निबटारा नहीं हो सकता।

१ १४ सितम्बर, १९३९ को कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकमें; देखिए परिशिष्ट १०।

और सिर्फ संविधान-सभा ही ऐसा संविधान बना सकती है जो देशी हो और जो ठीक-ठीक और पूरी तरहसे जनच्छाका प्रतिनिधित्व कर सके। पित्सन्वेह, वह संविधान कोई आदर्श संविधान नहीं होगा। सिद्धान्तवादियों या कानूनके विद्वानोंके हिसाबसे वह चाहे कितना ही अपूर्ण हो, लेकिन वह वास्तविक होगा। स्वराज्य स्वराज्य हो, इसके लिए केवल इतना ही जरूरी है कि वह उस जनताके मतको प्रतिबिम्बित करे जिसे अपने ऊपर आप शासन करना है। अगर जनता ऐसे स्व-संचालित तन्त्रके लिए तैयार न हो तो वह स्वराज्यको छिन्न-भिन्न कर डालेगी। मैं इस सम्भावनाकी कल्पना कर सकता हूँ कि जनता आरम्भमें बहुत-से गलत प्रयोग करे, और ये गलतियाँ करते हुए अन्तमें अपनेको उचित सरकारके योग्य बना ले; लेकिन जिस प्रकार कौआ मोरके चमकदार पंख लगाकर भी मोर-जैसी सुन्दर चाल नहीं चल सका उसी प्रकार मैं इस सम्भावनाकी भी कल्पना नहीं कर सकता कि जनता बाहरसे थोपी गई सरकारके द्वारा अपने ऊपर ठीक शासन कर सकेगी। रुग्ण व्यक्ति अपने निजी प्रयत्नसे स्वस्थ हो सकता है, लेकिन वह दूसरोंसे स्वास्थ्य उधार नहीं ले सकता।

इस प्रयोगमें खतर है, यह निर्विवाद है। जाली मतदाताओं द्वारा मतदान किये जाने की सम्भावना है। गलत ढंगके व्यक्ति अनपढ़ जनताको, गलत पुरुषों और स्त्रियोंको मत देने के लिए गलत रास्तेपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें किसी असली और बड़ी चीजका निर्माण करना है तो इन खतरोंको तो उठाना ही पड़ेगा। अगर हमारे और ब्रिटिश जनताके बीच हुए सम्मानपूर्ण समझौतेके फल-स्वरूप संविधान-सभा जन्म लेती है—और मुझे उम्मीद है कि वह जन्म लेगी—तो दो राष्ट्रोंके सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति मिलकर अपनी बुद्धिसे एक ऐसी संविधान-सभाका सृजन करेंगे जो भारतके श्रेष्ठ मानसको काफी सचाईके साथ प्रतिबिम्बित करेगी। इसलिए भारतके इतिहासकी वर्तमान अवस्थामें इस प्रयोगकी सफलता ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी इस इच्छापर निर्भर है कि भारतको भयंकर अव्यवस्थित विद्रोहके मार्गपर प्रवृत्त किये बिना वे हमें सत्ता दे दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारत अब अधीर हो उठा है। मुझे इस बातका दुःखद भान है कि भारत अभी बड़े पैमानेपर अहिंसात्मक मविनय अवज्ञाके लिए तैयार नहीं है। इसलिए अगर मैं कांग्रेसको उस समयतक प्रतीक्षा करते रहने के लिए राजी नहीं कर सकता जब कि अहिंसात्मक युद्ध किया जाना सम्भव हो सके, तो दो जातियोंमें विनाशकारी गृहयुद्ध देखने के लिए जीवित रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं निश्चित रूपसे जानता हूँ कि अगर मैं कांग्रेसके सन्तोष लायक अहिंसात्मक क्रियाशीलता या निष्क्रियताका कोई तरीका न निकाल सका और साम्प्रदायिक समझौता न हुआ, तो संसारकी कोई भी शक्ति हिंसाके विस्फोटको नहीं रोक सकती, जिसका परिणाम कुछ समयके लिए अराजकता और महाविनाश होगा। मेरी राय है कि सभी कौमों और अंग्रेजोंका यह फर्ज है कि वे उस महा विपत्तिको रोकें।

कठिनाईसे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता संविधान-सभा ही है। अपनी राय मैंने उसपर दे दी है; लेकिन उसकी तफसीलसे मैं बँधा हुआ नहीं हूँ। इस लेखको

मैं लगभग समाप्त कर चुका था कि तभी सैयद अब्दुल्ला ब्रेलवीका^१ नीचे लिखा तार मिला :

संविधान-सभाके बारेमें अल्पसंख्यकोंमें काफी भ्रम फैला हुआ है। मेरा उत्कट आग्रह है कि आप उसकी तफसील, मताधिकार, रचना, निर्णय करने के तरीके स्पष्ट कर दें।

मेरा विचार है कि सैयद साहबके सवालका जवाब देने के लिए ऊपर मैंने काफी लिख दिया है। अल्पसंख्यकोसे उनका आशय मुख्यतः उन मुसलमानोंसे है जिनका प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करती है। अगर एक बार यह बात स्वीकार कर ली जाये कि सब जातिर्या किसी संविधान-सभा द्वारा बनाया गया स्वतन्त्रताका अधिकार-पत्र चाहती है और उसके सिवा दूसरी किसी भी चीजसे उन्हें सन्तोष न होगा, तो तफसीले तय करना तो निश्चय ही बहुत आसान हो जायेगा। किसी भी अन्य तरीकेका परिणाम तो थोपा हुआ संविधान निकलेगा, जो मुख्यतः अलोकतान्त्रिक होगा। उसका अर्थ होगा उस साम्राज्यवादी शासनको अनिश्चित कालतक के लिए बड़ा देना जो उन लोगोकी मददसे चलेगा जिन्हे संविधान-सभाका पूर्ण लोकतान्त्रिक तरीका मान्य नहीं होगा।

मुख्य रुकावट तो निस्सन्देह ब्रिटिश सरकार है। अगर वह एक गोलमेज सम्मेलन बुला सकती है, जिसे लडाईके बाद बुलाने का उसका इरादा है, तो वह निश्चय ही इस शर्तके साथ संविधान-सभा भी बुला सकती है कि अल्पसंख्यकोंको ऐसा सरक्षण दिया जायेगा जो उनके लिए सन्तोषजनक हो। 'अल्पसंख्यकों के लिए सन्तोषजनक', इन शब्दोंको शायद अस्पष्ट समझा जाये। लेकिन पारस्परिक सहमतिसे उसकी व्याख्या पहले ही की जा सकती है। इसलिए प्रश्न यह रह जाता है कि क्या ब्रिटिश सरकार सत्ताका त्याग करना और अपने इतिहासमें एक नया अध्याय प्रारम्भ करना चाहती है। मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि देशी नरेशोका सवाल रास्तेमें नाहक ला खड़ा किया गया है। यूरोपीयोंके हित तबतक सर्वथा सुरक्षित हैं, जबतक कि 'भारतीय हितों'से उनका विरोध नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये शब्द अविन-गांधी समझौतेमें^२ भी हैं।

इस प्रश्नको आप जिस दृष्टिसे भी देखें, पता यह चलेगा कि लोकतान्त्रिक स्वराज्यका मार्ग केवल वाकायदा सगठित प्रतिनिधि-सभासे होकर ही गुजरता है, चाहे उस सभाको आप कोई भी सजा दे लें। इसलिए सीधी कार्रवाई करने का विचार करने से पहले संविधान-सभाके लिए सारा प्रयत्न कर लिया जाना चाहिए।

१. डॉम्बे क्रॉनिकलके सम्पादक।

२. हेल्पिप पृ० ३००-७१।

३. ५ मार्च, १९३१ का; हेल्पिप खण्ड ६५, परिशिष्ट ६।

वह स्थिति भी आ सकती है जब सीधी कार्रवाई संविधान-सभाकी एक आवश्यक प्रस्तावना हो जाये। वह स्थिति अभी नहीं आई है।

इलाहाबाद, १९ नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-११-१९३९

४२९. भाषण : कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबादमें^१

१९ नवम्बर, १९३९

आफ्रिकासे लौटने के बाद मैं जिन लोगोंके सम्पर्कमें आया उनमें से एक कमला नेहरू भी थी। वे असाधारण व्यक्ति थी। अधिकतर भारतीय महिलाओंके समान उनके मनमें अपने पतिके प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा तो थी ही; साथ ही, उन्हें देशसे भी बहुत प्रेम था और उनका वह प्रेम महान् था। उनके आदर्श बहुत ऊँचे थे और सिद्धान्तके प्रश्नपर मतभेद होता तो उसे प्रकट करनेकी उनमें पर्याप्त निर्भीकता थी। उनकी आत्मा महान् थी और वे जो-कुछ भी करती थी, वह आडम्बर या लाम था पक्षपातसे प्रेरित होकर नहीं करती थीं।

कांग्रेसजनोंके बारेमें लोगोंके मनमें यह धारणा घर कर गई है कि वे केवल आन्दोलन करते हैं और कोई रचनात्मक कार्य करने के योग्य नहीं हैं। किन्तु अब इन लोगोंकी धारणा बदलती जा रही है। सविनय अवज्ञा आन्दोलनके समय कमला दुःखियोंके कष्टसे बहुत दुःखी हुई थी। तभी उन्होंने कांग्रेस अस्पतालमें सक्रिय दिलचस्पी लेनी शुरू की, जो तब खोला ही गया था। कमलासे मेरी अन्तिम मुलाकात^२ बम्बईमें उस समय हुई जब वे इलाजके लिए यूरोप रवाना हो रही थी। तब उन्होने मुझसे कहा कि शायद वे अब वापस न लौटें और मैं इस बातका ध्यान रखूँ कि अस्पतालका काम चालू रहे। मैंने वचन दिया कि मैं इसका ध्यान रखूँगा। यह मेरा पवित्र कर्तव्य है और मैं इलाहाबाद विशेष रूपसे इसीके लिए आया हूँ। इस कार्यको सम्पन्न करने के बाद मैं कल वापस चला जाता, किन्तु पण्डित जवाहरलाल नेहरूका आग्रह है कि मैं यहाँ कुछ समय और रहूँ।

इस अस्पतालके लिए चन्देकी अपीलपर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। अपील पाँच लाखके लिए है। इस राशिका अभी केवल आधा ही इकट्ठा हुआ है। मैं आशा करता हूँ, आप सभी इस कोषके लिए धन देंगे। यह अस्पताल केवल संयुक्त प्रान्तके

१. अस्पतालके भवनका शिलान्यास करने के बाद गांधीजी हिन्दीमें बोले, किन्तु भाषणका पूर्णतः विवरण अंग्रेजीमें उपलब्ध होने के कारण इसीसे अनुवाद किया गया है। गांधीजी ने अस्पतालके एक न्यासी मदनमोहन माधवीयका सन्देश भी पढ़कर सुनाया।

२. २२ मई, १९३५ को; २८ फरवरी, १९३६ को जिनेवामें कमला नेहरूकी मृत्यु हो गई।

लिए नहीं, बल्कि सारे भारतके लिए है। अब हमें सारे भारतको दृष्टिमें रखकर सोचना चाहिए। संयुक्त प्रान्तमें कितने ही विश्वविद्यालय और कितने ही विद्यार्थी हैं। मैं आशा करता हूँ कि कोष एकत्र करने में वे सब सहायता देंगे। और फिर कानपुरमें इतने सारे उद्योगपति हैं। आप लोगोंको इतना धन इकट्ठा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अन्तमें मैं भगवान्से प्रार्थना करता हूँ कि वह कमलाकी आत्माको शान्ति प्रदान करे।'

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २०-११-१९३९

४३०. राजकोट सुधार

राजकोटके ठाकुर साहब और दरबार श्री वीरावालाको अनजाने ही सही, एकबार दुःखी कर देने के बादसे मैंने राजकोट रियासतमें दरबारकी कार्यवाहियोंकी आलोचनाके रूपमें कुछ भी कहने से अपनेको रोक रखा है।^१ लेकिन राजकोटकी जनताके प्रति, जिसने अनुकरणीय अनुशासनका परिचय दिया है, मेरा कर्तव्य है कि अभी हालमें जिन सुधारोंकी घोषणा की गई है उनपर कुछ कहूँ। वे लोग मुझसे आशा करते हैं कि मैं उनके बारेमें अपनी राय दूँ। यह कहते हुए-मुझे दुःख होता है कि स्वर्गीय ठाकुर साहबने जो-कुछ किया था, उस सबपर इन्होंने पानी फेर दिया है। स्वर्गीय ठाकुर साहबका आशीर्वाद-रूप वयस्क-मताधिकार, जो १५ वरसतक कायम रहा, समाप्त कर दिया है, और उसके लिए जायदाद और अधिवासकी कड़ी शर्तें लगा दी गई हैं। निर्वाचित समापतिका स्थान दीवानको स्थायी समापतिके रूपमें दे दिया गया है। पहले की सभामें जहाँ सभी निर्वाचित प्रतिनिधि ही हुमा करते थे, वहाँ अब उसमें ४० निर्वाचित सदस्योंके मुकाबले २० नामजद सदस्य होंगे। फिर, निर्वाचित सदस्य विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायोंके प्रतिनिधियोंके रूपमें बँटे हुए होंगे। इस तरह तथाकथित बहुसंख्या वास्तवमें अल्पसंख्यामें बदल जायेगी। सुधारोंका स्वाभाविक परिणाम होता है लोक-नियन्त्रणकी उत्तरोत्तर वृद्धि। पर यहाँ रंचमात्र औचित्यके बिना लोकनियन्त्रणको बहुत कम कर दिया गया है। मूल सभाको कानून बनाने के व्यापक अधिकार थे। उनको सीमित कर दिया गया है।

पहले एक निश्चित घोषणा की गई थी कि राजा के निजी खर्चकी राशि तय कर दी जायेगी। सुधारोंमें उस घोषणाकी उपेक्षा की गई है। गत २६ दिसम्बरकी अधिसूचना जनताके हाथोंमें 'ग्रयासम्भव अधिकसे-अधिक अधिकार' देने की थी। इन सुधारोंके अध्ययनसे मैं तो इसी निष्कर्षपर पहुँचता हूँ कि जो अधिकार जनताको पहले

१. देखिए पृ० ४१३ भी।

२. यहाँ गांधीजी का अभिप्राय ३ मईसे किये गये चार दिनोंके अपने उपवास से है, जिसे उन्होंने चाइलरपके हस्तक्षेपपर तोड़ दिया था; देखिए खण्ड ६९।

मिले हुए थे, वे छीने ही नहीं गये हैं, बल्कि उन्हें यथासम्भव अधिकसे-अधिक सीमित भी कर दिया गया है। संक्षेपमें कहें तो ठाकुर साहब, यानी दीवानकी इच्छा ही राजकोटमें सबसे बड़ा कानून होगी।

मुझे दुःख है कि ये पक्तियाँ मुझे लिखनी पड़ रही हैं। मैं नहीं जानता कि क्या ये सुधार उस दुःखान्त नाटकके अन्तिम दृश्य होंगे जिसके लिए मेरी हिंसा जिम्मेदार है। उपवास तो एक ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ ही कर सकता है। वह किसी आन्दोलनकी सहज गतिमें बाधा डालता है तो भलाईके लिए। हिंसाका लेश भी उसे क्षति पहुँचाता है। मैंने स्वीकार कर लिया है कि जब उपवास चल रहा था उस समय ठाकुर साहबके कामोंके विरुद्ध वाइसरायसे की गई मेरी अपील हिंसा थी और उसने अनशनको दूषित कर दिया। मैंने सोचा था कि मैंने पश्चात्ताप करके उसका मूल्य चुका दिया है और ठाकुर साहब, दरबार श्री वीरावाला और मेरे बीच जो शुभ सम्बन्ध कायम हुए हैं, वे राजकोटकी जनताके लिए एक नवीन और उज्ज्वल अब्धायका आरम्भ करेंगे। मेरे सार्वजनिक पश्चात्तापके बाद मेरे सम्मानमें जो दरबार आयोजित किया गया था, उससे उस पश्चात्तापके शुभ परिणामपर अन्तिम मुहर लग गई प्रतीत हुई थी। मैं देखता हूँ कि वह मेरी भूल थी। मनुष्यका स्वभाव क्षण-भरमें नहीं बदल जाता। राजकोटकी जनतासे मैं क्षमा माँगता हूँ।

लेकिन अपने पश्चात्तापपर मुझे दुःख नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि जो नैतिक रूपसे ठीक था, वह राजनीतिक रूपसे भी ठीक था। मेरे पश्चात्तापने राजकोट की जनताको और भी बड़े दुर्भाग्यसे बचा लिया है। उसने साम्प्रदायिक संघर्षको टाल दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि अन्ततः राजकोटकी प्रजाको अपना प्राप्य मिलकर रहेगा। इस बीच इन सुधारोको, जो मेरी रायमें अनिष्ट-रूप हैं, अपना क्षय स्वयं करने के लिए छोड़ देना चाहिए। राजकोटके जिन नागरिकोंमें आत्म-सम्मानकी कोई भावना है, उन्हें इन सुधारोके अमलमें सहयोग देने से दूर रहना चाहिए। मेरी राय यदि वे मानते हैं तो वे धीरजके साथ प्रतीक्षा करें और देखें, प्रार्थना करें और सचमुच सूत कातें। यदि वे ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि वे अहिंसाके एकमात्र सच्चे तरीकेसे राजकोटके स्वतन्त्रता-रूपी सूतको भी कातनेवाले साबित हुए हैं।

इलाहाबाद, २० नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-११-१९३९

४३१. टिप्पणियाँ

कमला नेहरू स्मारक

गत १९ तारीखको इलाहाबादमें मुझे एक विशाल जन-समुदायके सामने कमला नेहरू स्मारक अस्पतालकी आधार-शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।¹ यह अस्पताल एक सच्ची देशसेविका और महान् आध्यात्मिक सौन्दर्यसे युक्त महिलाका न केवल उपयुक्त स्मारक होगा, बल्कि उससे उन्हे दिये हुए मेरे इस वचनकी पूर्ति भी होगी कि उनकी मृत्युके बाद भी मैं यथाशक्ति इस बातका प्रयत्न करता रहूँगा कि जिस कामकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी वह ठीक तरहसे चलता रहे। वे अपने स्वास्थ्यकी खोजमें यूरोप जा रही थीं। पर वह यात्रा मृत्युकी खोज साबित हुई। जाते वक्त उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं या तो बम्बईके रास्तेमें उनसे मिलकर थोड़ी देर बातचीत कर लूँ या उनसे मिलने सीधे बम्बई पहुँच जाऊँ। मैं बम्बई गया। उन्हें जो थोडा-सा वक्त मैं दे सका, उस वीच उन्होंने मुझसे कहा, अगर मेरा शरीर यूरोपमें छूट जाये, तो जवाहरलालने स्वराज्य-भवनमें जो अस्पताल खोला है और जिसे कायम रखने के लिए उन्होंने [कमला नेहरूने] इतना परिश्रम किया है, उसे पक्की नीवपर खड़ा करने का मैं प्रयत्न करूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझसे जो-कुछ हो सकेगा, वह जरूर करूँगा। इस स्मारक-कोषके लिए जो अपील निकाली गई थी और जिसमें मैं सम्मिलित था उसका आधार अशत. मेरा यह वचन भी था। परिस्थितियोंसे विवक्ष होकर धन-संग्रहके काममें मैं अधिक सक्रिय भाग नहीं ले सका। अपील पाँच लाखके लिए की गई थी, पर आधी रकम ही आई है। स्मारकका शिलान्यास करते समय मैंने उपस्थित विराट् जन-समूहसे, जिसमें अमीर और गरीब, दोनों शामिल थे, अपील की कि जो कमी रह गई है उसे पूरा करने में वे योग दें। इतने अच्छे कार्य और एक ऐसे व्यक्तिकी पुण्य-स्मृतिकी खातिर इतना धन सुचारु संगठनके जरिये एकत्र हो जाना सरल होना चाहिए। न्यासियोंमें जीवराज मेहता और विधानचन्द्र राय-जीसे भारत-विख्यात सुयोग्य डाक्टर हैं। अस्पतालको ठीक तरहसे बनवाने और उसके संगठन और प्रबन्धकी जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। मुझे आशा है कि न केवल यह आर्थिक कमी ही जल्द पूरी हो जायेगी, बल्कि अस्पतालके उचित इन्तजामके लिए उपयुक्त कर्मचारी जुटानेमें भी डाक्टरको कोई कठिनाई नहीं होगी।

फिर याद दिला दूँ

नारणदास गांधीने मुझसे कहा है कि मैं पाठकोको फिरसे याद दिला दूँ कि 'मेंटिया जयन्ती'के अवसरपर कताई-यज्ञमें जो लोग भाग लेना चाहते हैं वे अपने

नाम तुरन्त भेज दें। यह यज्ञ गत ११ अक्तूबरसे आरम्भ हो गया है। जिन्होंने अपने नाम अभी तक नहीं भेजे हैं वे पहले ही पिछड़ गये हैं। लेकिन देर आयद दुस्त आयद। जो लोग पिछड़ गये हैं वे नित्यके लिए निर्धारित मात्रासे ज्यादा सूत कातकर पिछली कमीको पूरा कर सकते हैं। नारणदास गांधीने खादी-कार्यके इस क्षेत्रमें विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। उन्हें आँकड़ोंका काम बड़ा प्रिय है और इसमें उनकी बड़ी अच्छी गति है। यज्ञ-भावसे कटाई करनेवालों के नाम और पतोंका ठीक ब्योरा और उनके द्वारा काते गये सूतकी मात्राका लेखा-जोखा रखनेके काममें उन्हें किसी तरहकी ऊब या थकान नहीं होती। इसके विपरीत, उन्हें इस कार्यमें आनन्द आता है। वे तर्तरीबसे काम करने में विश्वास रखते हैं। उनका विचार है कि ऐसे रजिस्टर रखने से वह काम सुव्यवस्थित हो जाता है जिसके बारेमें रजिस्टर रखा जाता है, साथ ही उससे काम करनेवालों को प्रोत्साहन मिलता है। यदि काफी बड़ी संख्यामें लोग यज्ञकी भावनासे कटाई करें, तो वे खादीकी कीमतको कम करने में काफी मदद कर सकते हैं। यह योजना बड़ी सम्भावनाओंसे युक्त है। अतः मैं आशा करता हूँ कि लोग इसका उचित उत्तर देंगे।

एक अच्छा सुझाव

एक खादी-प्रेमी लिखते हैं:

अब चूँकि तय्यकथित कांग्रेसी प्रान्तोंमें मन्त्रियोंने इस्तीफा दे दिया है, अतः यदि वे फेरी लगाकर या अन्य प्रकारसे खादी बेचने का काम करें तो क्या यह अत्यन्त उपयोगी नहीं होगा? खादी कांग्रेस-कार्यक्रमकी जान है। खादी-कार्यमें हजारों कांग्रेसजन जिस तरह उपयोगी ढंगसे अपनी शक्ति लगा सकते हैं उस तरह किसी और काममें नहीं। क्या आप मेरा यह विनम्र सुझाव विशेष रूपसे भूतपूर्व मन्त्रियों और सामान्य रूपसे सभी कांग्रेस-जनोंके सामने रखने की कृपा नहीं करेंगे? प्रत्येक प्रान्तमें खादीका फालतू स्टॉक जमा है। नतीजा यह है कि कटाईमें कटौती की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं इस खादी-प्रेमीकी हर बातका अनुमोदन करता हूँ। कांग्रेसजनोंको इस बातका प्रयत्न करना अपना कर्तव्य बना लेना चाहिए कि सारी बची हुई खादी अविलम्ब विक जाये।

इलाहाबाद, २० नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-११-१९३९

४३२. पत्र : शमशेरसिंहको

२० नवम्बर, १९३९

प्रिय शम्मी,

बेचारी अमृतपर तरस खाओ। उसको मेरे पास आत्म-सन्तोष प्राप्त होता है। उसको वह मिला है जिसकी उसे बरसोंसे लालसा थी। उसके मामलेमें यह सवाल नहीं है कि मुझे उससे किस तरहकी सेवाकी अपेक्षा है, बल्कि यह कि वह मेरी यानी मेरे उद्देश्यकी किस प्रकारसे सेवा कर सकती है। वह मेरे निकट रहना चाहती है। उसे इसीमें उल्लास और सान्त्वना मिलती है कि मेरे सान्निध्यमें रहे, मेरे लिए कुछ कर सके। उसका विरोध करना तो निष्ठुरता है। अपनेको बेहतर और मानव-जातिकी सेवाके लिए योग्य बनाने की उसकी इच्छापर तुम्हें उससे नाराज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो चाहिए कि उसे प्रोत्साहन दो और उसका मार्ग सुगम बनाओ। तुम्हारे प्रति उसका प्रेम विरल श्रद्धासे पूरित है। यदि तुम उसपर नाराज होते हो तो वह मानो जड़ हो जाती है और तुम्हें खुश देखकर वह आनन्दित हो उठती है। तुम उससे नाराज हो, इस कारण वह व्याकुल हो गई है। अपना क्रोध शान्त करके अपनी दिली रजामन्दीसे उसे सेर्गाव आने दो। सेर्गावमें वह सचमुच स्वस्थ रहती है। वह खाना भी क्विपूर्वक खाती है। स्वस्थसे-स्वस्थ लोग भी कभी-कभी बीमार पड़ ही सकते हैं। बहुत ज्यादा काम और चिन्तासे उसका शरीर दुर्बल हो गया है। थोड़ा-सा भी जोर पड़ते ही उस पर बुरा असर पड़ता है। वह अकारण ही असुविधाएँ उठाती रहती है। मैं उसके स्वास्थ्यका और भी ध्यान रखूंगा। देहसे तो आत्माका अधिक महत्त्व है न? और सेर्गावमें हमेशा उसकी आत्मा पनप उठती है। जबतक तुम्हारी जेब इजाजत दे, उसे यात्राएँ करने दो। उसको अनुभवका लाभ होता है। किन्तु यदि तुम नहीं चाहते तो वह यात्राएँ नहीं करेगी। मुझे तो अब तुम तारसे ही सूचित करो कि तुम्हारा मेल हो गया है और तुम अब उससे अप्रसन्न नहीं हो। इलाहाबादमें मेरे बुधवारतक रहने की सम्भावना है। मैं तुम्हारे तारकी प्रतीक्षा करूँगा, बशर्ते कि उसे भेजने के पीछे तुम्हारा यह विश्वास हो कि मेरा कहा सही और उचित है।

तुम सबको स्नेह।

बापू

[अग्नेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई

४१५

४३३. कांग्रेस कार्य-समितिका प्रस्ताव^१

[२२ नवम्बर, १९३९]^१

यूरोपमें छिड़े युद्ध और भारतपर हुए उसके प्रभावके बारेमें कार्य-समिति द्वारा घोषित नीतिका^१ देशने जैसा स्वागत किया है उससे समितिको बहुत प्रसन्नता हुई है। कांग्रेसकी अनेक घोषणाओंपर आधारित इस नीतिका प्रतिपादन समिति द्वारा १४ सितम्बरको जारी किये गये एक वक्तव्यमें^२ किया गया था, और परवर्ती घटनाओंने उसमें निहित बुद्धिमानी और व्यवहार-नीतिको पर्याप्त रूपसे सिद्ध कर दिया है। जिस रीतिसे युद्ध चल रहा है और बर्तानवी तथा फ्रान्सीसी सरकारें जिस नीतिका अनुसरण कर रही हैं उससे — विशेष रूपसे भारतके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारकी ओरसे की गई घोषणाओंसे — ऐसा प्रकट होता जान पड़ता है कि १९१४-१८ के विश्व-युद्धकी तरह यह लड़ाई भी साम्राज्यवादी उद्देश्योंसे चलाई जा रही है, और ब्रिटिश साम्राज्यवादके पँर भारतमें जमे ही रहनेवाले हैं। ऐसे युद्ध और ऐसी नीतियोंमें कांग्रेस शरीक नहीं हो सकती और इस प्रयोजनसे भारतकी साधन-सामग्रीके घोषणका वह समर्थन नहीं कर सकती।

कार्य-समितिकी स्पष्ट माँग थी कि ब्रिटिश सरकार लोकतन्त्र और साम्राज्यवाद के सम्बन्धमें अपने युद्ध-विषयक उद्देश्योंकी घोषणा करे और विशेष रूपसे यह बताये कि भारतके सन्दर्भमें इन उद्देश्योंको किस प्रकार लागू किया जाना है। ये उद्देश्य तो तभी योग्य माने जा सकते थे जब इनमें साम्राज्यवादकी समाप्ति और भारतके साथ एक ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्रकी तरह व्यवहार करने की बातका समावेश होता जिसकी नीति उसकी जनताकी इच्छाके अनुसार चलने दी जाये। इस माँगका जो उत्तर दिया गया वह सर्वथा असन्तोषजनक रहा है, और ब्रिटिश सरकारकी ओरसे गलत-फहमियाँ पैदा करने और मुख्यतः नैतिक मुद्देको धूमिल बनाने की कोशिश की गई है। कार्य-समितिके प्रस्तावके अनुरूप घोषणा करने से इन्कारका औचित्य बताते हुए साम्प्रदायिक मतभेदकी दुहाई दी गई है और भारतकी स्वतन्त्रताके मार्गमें अल्प-संख्यकों तथा देशी नरेशोंके अधिकारोंके प्रश्नको बाधाकी तरह पेश किया गया है।

समिति पूरा जोर देकर यह घोषणा करना चाहती है कि कांग्रेसकी माँगकी स्वीकृतिके सन्दर्भमें साम्प्रदायिक प्रश्न उठता ही नहीं है, और अल्पसंख्यकोंका चाहे

१ और २. हिन्दुस्तान टाइम्समें दिनांक "इलाहाबाद २२ नवम्बर" के अन्तर्गत प्रकाशित रिपोर्टमें लिखा है: "कार्य-समितिके भारतके वर्तमान राजनीतिक संकटपर महात्मा गांधी द्वारा वैचारिक किये गये मसौदेपर आज सात घंटेक चर्चा की।"

३. देखिये परिशिष्ट ८।

४. देखिये परिशिष्ट १०।

और जिस बातपर मतभेद हो वे भारतकी स्वतन्त्रता और स्वाधीनताके अधिकारका विरोध नहीं करते। देशी नरेशोंका प्रतिनिधित्व भारतमें अधीश्वरी सत्ता करती है और वे उसी सत्ताके प्रतीक हैं। अन्तमें इस बातका फैसला उन राज्योंके प्रजाजन करेंगे कि स्वतन्त्र भारतमें उनकी क्या भूमिका होगी, यद्यपि ब्रिटिश सरकार ऐसे मामलेमें निरन्तर उनकी इच्छाओंकी उपेक्षा करती रही है जिससे उनके हितोंका गहरा सम्बन्ध है। जो भी हो, जो लोग भारतकी स्वाधीनताका विरोध कर सकते हैं, उनकी इच्छाएँ ब्रिटिश सरकारके इरादोंकी घोषणाके सन्दर्भमें अप्रासंगिक हैं और होनी चाहिए। अप्रासंगिक प्रश्नोंकी आड़ लेकर युद्धके उद्देश्यों और भारतकी स्वतन्त्रता-सम्बन्धी घोषणाको टालने के प्रयत्नका अर्थ समिति केवल यही लगा सकती है कि देशके प्रतिक्रियावादी तत्त्वोंसे साँठ-गाँठ करके ब्रिटिश सरकार इस देशपर अपना साम्राज्यवादी प्रभुत्व कायम रखना चाहती है।

कांग्रेसने युद्धके विषय प्रसंग और उससे उत्पन्न होनेवाली समस्याओंको तत्त्वतः एक नैतिक प्रश्न माना है, और सौदेबाजीकी किसी भावनासे उससे कोई लाभ उठाने की कोशिश नहीं की है। किसी भी दूसरे गौण प्रश्नपर विचार किया जाये, इससे पहले यह आवश्यक है कि युद्धके उद्देश्यो तथा भारतकी स्वतन्त्रता-सम्बन्धी नैतिक और सर्वोपरि मुद्देका निबटारा हो जाये।

जबतक लोक-प्रतिनिधियोंको वास्तविक अधिकार नहीं दिये जाते तबतक कांग्रेस किसी भी हालतमें—यहाँतक कि सन्क्रमण-कालमें भी—सरकारका दायित्व अपने सिरपर नहीं ले सकती। इसलिए कार्य-समिति ३ नवम्बरको कांग्रेस-अध्यक्ष द्वारा वाइसरायको भेजे गये उत्तरको सही मानती है और उसकी पुष्टि करती है।

समिति फिर घोषणा करती है कि ब्रिटेनकी नीतिमें से साम्राज्यवादका कलक मिटाने और कांग्रेसको आगे सहयोग करने के प्रश्नपर विचार करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारतकी स्वाधीनता और एक संविधान-सभाके माध्यमसे अपना संविधान आप तैयार करने के जनताके अधिकारकी स्वीकृति आवश्यक है। वह मानती है कि किसी स्वतन्त्र देशके संविधानकी रचना करने का एकमात्र लोकतान्त्रिक तरीका संविधान-सभा ही है, और लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रतामें विश्वास रखनेवाला कोई भी व्यक्ति उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। कार्य-समिति यह भी मानती है कि साम्प्रदायिक तथा अन्य समस्याओंका समाधान करनेवाला कार्यक्रम साधन भी केवल संविधान-सभा ही है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि कार्य-समिति अन्य प्रकारमें साम्प्रदायिक समस्याका समाधान ढूँढने के अपने प्रयत्नमें शिथिलता आने देगी। यह सभा ऐसा संविधान तैयार कर सकती है जिसमें स्वीकृत अल्पसंख्यक समुदायोंके अधिकारोंको उनके लिए सन्तोषजनक रीतिसे सुरक्षित कर दिया जाये, और यदि अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंसे सम्बन्धित कुछ मामलोंपर पारस्परिक सहमति न हो पाये तो उन्हें पच-फैसलेके लिए सौंपा जा सकता है। संविधान-सभाका निर्वाचन वयस्क मताधिकारके आधारपर होना चाहिए, और जो अल्पसंख्यक समुदाय चाहें उनके लिए पथक

१. साधन-सूत्रमें "४ नवम्बर" है; देखिये परिशिष्ट १९।

निर्वाचक-मण्डली वर्तमान व्यवस्था कायम रखी जाये। इस संविधान-सभामें इन सदस्योंकी संख्या सम्बन्धित अल्पसंख्यक समुदायोंके लोगोंके अनुपातमें होनी चाहिए।

ब्रिटिश सरकारकी ओरसे की गई घोषणाएँ चूँकि अपर्याप्त थी, इसलिए कांग्रेसको ब्रिटेनकी नीति तथा युद्ध-प्रयत्नसे अपने-आपको अलग कर लेने पर विवश होना पड़ा, और असहयोगके प्रथम कदमके रूपमें उसे प्रान्तोंमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोसे त्यागपत्र दिलवाने पड़े। जबतक ब्रिटिश सरकार अपनी नीतिमें परिवर्तन नहीं करती और कांग्रेसके दावोंको स्वीकार नहीं करती तबतक असहयोगकी वह नीति कायम रहेगी, कायम रहनी चाहिए।

कार्य-समिति कांग्रेसजनोंको याद दिलाना चाहेगी कि विरोधीके साथ सम्मानपूर्ण समझौता करने के लिए कुछ भी उठा न रखा जाये, यह बात हर प्रकारके सत्याग्रह के मूलमें सहज समाहित रहती है। अगर प्रसंग आ ही जाये तो अहिंसक लड़ाईके लिए सत्याग्रही सदा तैयार रहता है, किन्तु शान्तिके लिए अपने प्रयत्नमें वह कभी शिथिलता नहीं आने देता और हमेशा उसकी प्राप्तिके लिए काम करता है। इसलिए कार्य-समिति सम्मानजनक समझौतेकी प्राप्तिके उपाय ढूँढती रहेगी, हालाँकि ब्रिटिश सरकारने तो उसके लिए अपना दरवाजा बन्द कर लिया है। किन्तु जिस राहको भारतकी जनताने नहीं चुना है उसपर उसे बलात् चलाने के सभी प्रयत्नोंका और भारतकी गरिमा और स्वतन्त्रताके विरुद्ध पड़नेवाली हर चीजका कार्य-समिति कांग्रेस के अहिंसक तरीकोंसे विरोध करेगी।

सविनय अवज्ञा आवश्यक हो जाने पर उसे आरम्भ करने के लिए कांग्रेसजनों द्वारा दिखाई गई तत्परताकी कार्य-समिति कद्र करती है और उसपर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है। किन्तु जैसे कठोर अनुशासनकी आवश्यकता सशस्त्र संघर्षके लिए सगठित सेनाको होती है वैसे ही अनुशासन सविनय अवज्ञाके लिए भी अपेक्षित है। विनाशकर हथियारोंसे विहीन और उनके प्रयोगसे अनभिज्ञ सेना असहाय होती है; उसी प्रकार अहिंसक सिपाहियोंकी सेना यदि अहिंसाके आवश्यक तत्त्वोंको नहीं समझती और उनसे युक्त नहीं होती तो वह भी लाचार हो जाती है।

कार्य-समिति स्पष्ट कर देना चाहती है कि सविनय अवज्ञाकी तैयारीकी सच्ची कसौटी यह है कि कांग्रेसजन स्वयं कातें और मिलके कपड़ोंका इस्तेमाल छोड़कर खादी-कार्यको आगे बढ़ायें, अन्य सम्प्रदायोंके लोगोंकी व्यक्तिगत रूपसे सेवा करके विभिन्न सम्प्रदायोंके बीच मेल-जोल स्थापित करना अपना कर्तव्य मानें, और हिन्दू कांग्रेस-जन व्यक्तिगत हर्जनोंके साथ भ्रातृत्व-सम्बन्ध कायम करने के हर अवसरका लाभ उठाने को प्रयत्नशील रहें। इसलिए कांग्रेसके सभी संगठन और सभी सदस्य इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर भावी कार्रवाईकी तैयारी करें। वे लोगोंको संविधान-सभाके, जो कांग्रेसके भावी कार्यक्रमका केन्द्र-बिन्दु है, सन्देश, नीति और फलिदाय समझायें।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २-१२-१९३९

१. देखिए परिशिष्ट १२, १४, १६, १७ और १८।

४३४. प्रमाणपत्र : मुन्नीलालको

आनन्द भवन, इलाहाबाद
[२३ नवम्बर, १९३९]

भाई मुन्नीलालने बड़े भावसे अच्छी तरह मेरी हजामत की है। इनका अस्त्रा देहाती है और वगैर साबनके हजामत करता है।

मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७४८४)से।

४३५. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

आनन्द भवन, इलाहाबाद
२३ नवम्बर, १९३९

प्रिय सुभाष,

मुझे आज ही क्षण-भरका अवकाश मिला है कि मैं पत्र लिखकर तुम्हें यह बता सकूँ कि मुझे तुम्हारा पत्र तथा तार मिल गये थे। जैसाकि तुम जानते हो, मैं कार्य-समितिकी बैठकमें तभी भाग लेता हूँ जब मेरी आवश्यकता होती है तथा केवल उन्ही विषयोंके सम्बन्धमें अपनी राय व्यक्त करता हूँ जिनपर मुझसे सलाह ली जाती है। लेकिन पत्र पाने के बाद मैंने वह कार्य-समितिके सदस्योंको, पढकर सुनाया और उनसे कहा कि यदि उन्हें बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीपर विश्वास नहीं रहा और उसके लिए उनके पास पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो मैं तुम्हारी इस बातसे सहमत हूँ कि वे उसे भंग कर दें। इस दिशामें उठाया गया कोई अघूरा कदम असफल रहेगा और इससे लोग केवल चिढ़ेंगे ही।

लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा पत्र मुझे चुनौती-जैसा लगा है। प्रकट है कि तुम्हें कार्य-समितिमें विश्वास नहीं है। कार्य-समितिने तुमपर जो प्रतिबन्ध लगाया है, वह तुम्हें प्रतिशोधकी कार्रवाई प्रतीत होता है। तुम्हें पता ही है कि सर्वसम्मतिसे लगाये गये उस प्रतिबन्धमें मैं भी शरीक था। कार्य-समिति और तुम्हारे बीच फँसला कौन करे? तुमने प्रतिबन्धको कभी स्वीकार ही नहीं किया। जहाँतक कार्य-समिति द्वारा कार्रवाई किये जाने का सवाल है, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। फिलहाल तो तुम भटक गये हो और

१. गांधी — १९१५-१९४८: ए डिटेल्ड क्रॉनोलाजीसे

मैंने तुम्हें खो दिया है। यदि मैं सही हूँ और मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं तुम्हें किसी दिन अपने समूहमें वापस लौटा हुआ पाऊँगा।

सदा तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य : नारायण देसाई

४३६. बातचीत : संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारिणीके सदस्योंके साथ^१

इलाहाबाद

[२३ नवम्बर, १९३९]^२

प्रश्न : आज आप अहिंसापर जरूरतसे ज्यादा जोर देते मालूम होते हैं। आपका मंशा यह तो हरगिज न होगा कि १९२०-२१ में या १९३० में अहिंसाके लिए हमारी तैयारी आजसे ज्यादा थी ? या, आप यह कहेंगे कि तबसे आपका मापदण्ड ऊँचा हो गया है ?

उत्तर . दोनों बातें हैं। आज प्रकटतः जितनी हिंसा दिखाई देती है उतनी उन दिनों नहीं थी। और, मेरा मापदण्ड भी ऊँचा हो गया है। अपनी शर्तोंके प्रति मेरा जितना आग्रह इस वक्त है उतना उस समय न था। अगर आप लोगोंको मेरा सेना-पतित्व मजूर है तो आपको न सिर्फ मेरी शर्तें माननी होंगी, बल्कि हम तैयार हैं या नहीं, इस बारेमें भी मेरा निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा। यह बिल्कुल सम्भव है कि आजकी और उन दिनोंकी परिस्थितियोंमें कोई असली अन्तर न हो। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उस वक्त मैं यह नहीं जानता था कि मेरे पैरों-तले बारूद बिछी हुई है। आज तो यह खयाल भूतकी तरह मेरा पीछा कर रहा है और इसे मैं दिलसे किसी तरह निकाल नहीं सकता।

क्या यह डर नहीं है कि अगर गर्म लोहेपर हमने चोट न की तो फिर कभी मौका ही हाथ न लगे ? इस वक्त तो लोगोंके दिलोंमें तैयारीकी भावना है। अगर हम अवसर चूक गये, तो मुमकिन है, उनका उत्साह ठंडा पड़ जाये और सारी तैयारी काफूर हो जाये। इस कारण आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप कोई

१. यह बातचीत महादेव देसाई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट "द टास्क बिफोर अस" (स्नारा काव्य) शीर्षकसे प्रकाशित हुई थी।

२. देखिये पृ० ३८८, पाद-टिप्पणी ३।

ऐसा कार्यक्रम हमें सुझायें जिससे हम जमीन भी तैयार कर सकें और साथ ही लोगोंका जोश भी कायम रख सकें।

इस तरहकी भापासे ही मुझे सदा चिढ़ रही है। मेरी समझमें नहीं आता कि वह तैयारी किस कामकी जो तुरन्त काममें न लाये जाने पर काफूर हो जाये। यह कोई तैयारी नहीं। तैयार तो वह है जो हर घडी और हर जगह, जहाँ और जब उसका आह्वान किया जाये, तैयार मिले। तैयारीका एक यही अर्थ है कि सेनापतिका हुक्म मानने की तैयारी हो। फौजी भापा काममें ले तो यों कहा जायेगा कि इतनी तैयारी होनी चाहिए कि लडने की जरूरत ही न पडे। असल बात स्वाधीनता हासिल करना है, न कि सविनय अवज्ञा का समय और साधन तथा उपाय। आपसे मुझे इतनी श्रद्धा और अनुशासनकी अपेक्षा है जिससे आप सहज ही अपने सेनापति के हुक्मका इन्तजार और पालन कर सकें। इससे अधिक कुछ भी कहने की मुझसे उम्मीद मत रखिए। आप मुझसे यह बताने की भी आशा मत रखिए कि अगर कभी मैंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन छोडा तो मैं किस तरह छेड़ूंगा। मैं कुछ भी छिपाकर नहीं रख रहा हूँ। और बात यह है कि आखिरी वक्तसे पहले खुद मुझे भी कुछ मालूम नहीं होनेवाला है। मेरा वह तरीका ही नहीं है। नमक-कानून भंगके कूचके वारेमें जबतक उसका निर्णय नहीं हो गया, लगभग उस क्षणसे पहलेतक मुझे कुछ भी पता न था। हाँ, इतना मुझे मालूम है कि ईश्वरने मेरे द्वारा इतिहासकी पुनरावृत्ति शायद ही कभी करवाई हो और सम्भव है, इस बार भी न करवाये। लेकिन एक बात-है। हो सकता है, कुछ ऐसे कारणोंसे जो आप मुझे शायद न बतायें, मुझे सेनापति होने के लायक न समझा जाता हो। उस सूरतमें आपको मुझे त्याग देना चाहिए। इसका मुझे कुछ भी अफसोस न होगा।

अब आपके सवालका आखिरी मुद्दा ले। आप ऐसा कार्यक्रम चाहते हैं जिसका सविनय अवज्ञाके साथ सीधा सम्बन्ध हो। आप मेरी हँसी न उढायें तो मैं नि सकोच कहूँगा कि सब लोग कातें, यही वह कार्यक्रम है। मैंने डाक्टरोकी चेतावनियों और सलाह मानकर कुछ समयतक कातना छोड दिया था। नारणदास गांधीकी पुकारपर मैंने कातना फिर शुरू कर दिया और मैं नहीं समझता कि जबतक मेरे हाथ बिलकुल जवाब ही न दे दें, तबतक मैं कभी कातना छोड़ूँगा। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना ज्यादा कातेंगे उतने ही अच्छे सैनिक बनेंगे। अगर मेरा यह पक्का विश्वास है, तो इसकी घोषणा करने में मुझे क्यों शर्म होनी चाहिए? मेरी सलाहको काटकर आप ऐसे दो भाग नहीं कर सकते कि एक को तो आप कबूल कर लें और दूसरे को रद्द कर दें। मेरी शर्त अनिवार्य है। सम्भव है कि उसके पीछे अपेक्षित बुद्धि-प्रेरित विश्वास न हो, किन्तु श्रद्धासे वह विश्वास अपने-आप आ जायेगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस भावनासे काम किया

है। अलू-विद्रोहके दौरान अफसरकी आज्ञा मानकर मैं शाङ्-संखाड़ोंसे भरे अनजान रास्तोंपर मीलों पैदल चला हूँ।^१

लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूँ, आपको यह सब हवाई किले बाँधना या हास्यास्पद दुःसाहस मालूम हो सकता है। इस सूरतमें आपको बस, मेरा नेतृत्व छोड़ देना चाहिए। मैंने बीस साल नेतृत्व कर लिया। अब मेरे लिए आराम लेना ही शायद अच्छा हो। सम्भव है, आप लोग सत्याग्रहकी कोई नयी शैली निकाल सकें। अगर वैसा हुआ तो ज्यों ही मुझे उसपर विश्वास हो जायेगा, त्यों ही मैं आपके पीछे चलने को तैयार हो जाऊँगा। आप कुछ भी करें, मगर मनमें कोई दुराव रखकर मेरा नेतृत्व स्वीकार न करे; अन्यथा आप मुझे छोड़ा देंगे और देश को भी। अगर मुझे आपका सहयोग मिलता है तो वह पूरा और दिलसे मिलना चाहिए। मैं बीस सालसे यही कहता आया हूँ; अब मैं कोई नयी दलील नहीं दे सकता।

हम तो बिलकुल जुदा विचारधारापर चल पड़े हैं।

हाँ, कठिनाई तो यही है। इसीलिए मैं बार-बार नेता बदल लेने की बात सुझा रहा हूँ।

पर हममें से कुछके लिए चरखा आपके नेतृत्वकी निशानीके सिवा और कुछ न हो, तो ?

नहीं, उसे अहिंसाका प्रतीक और अहिंसात्मक युद्धकी तैयारीकी एक खास शर्त होना चाहिए। मैं इससे भी अच्छा रास्ता बताऊँ। यही रास्ता मैंने १९३४ में सुझाया था।^१ कत्ताई और खादीको कांग्रेसके कार्यक्रममें से निकाल दीजिए, फिर तो मैं अपने-आप अलग हो जाऊँगा। आप ऐसा करे तो यह गलती आपकी नहीं, मेरी होगी; क्योंकि यह बात आपके दिलमें बिठाना मेरा फर्ज है कि चरखे और अहिंसामें गहरा सम्बन्ध है।^१

जब कहीं बंया हो रहा हो तो कांग्रेसियोंका क्या धर्म है ?

उसे शान्त करनेमें प्राण दे देना। हमारे बीच १९३१ में एक गणेशचंकर विद्यार्थी हो गये थे।^१ तबसे और किसीने उनका अनुकरण नहीं किया। दंगोंमें इतने

१. नेटालमें; गांधीजी ने एक डोली-वाहक भारतीय दस्तेका नेतृत्व किया था; देखिए, खण्ड ५।

२. देखिए खण्ड ५९, पृ० ४-१३।

३. यहाँ महादेव देसाई लिखते हैं: "इस बातपर सब सहमत हो गये कि जब देशक लोगोंका एक बड़ा भाग सत्याग्रह कार्यक्रमके विरुद्ध है तो उसके नाबजूद आन्दोलन कैसे छेका जा सकता है। इसपर यह निर्णय किया गया कि रचनात्मक कार्यका एक हिस्सा ऐक्य स्थापित करना होगा। मतभेदको हटाने की बातें थीं, जिनपर कार्य-समितिकी अगली बैठकमें विस्तारसे विचार किया जायेगा। इनके अलावा साम्प्रदायिक दंगोंके शाश्वत प्रदमनपर भी विचार करने की बात थी, भले ही वे दंगे किसी भी समय या किसी भी कारणसे क्यों न हों।"

४. जिनकी मार्च १९३१ में कानपुरमें हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगोंमें हत्या कर दी गई थी; देखिए खण्ड ४५।

वातचीत संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारिणीके सदस्योंके साथ ४२३ लोग मरते हैं, पर वे स्वेच्छापूर्वक अपना बलिदान नहीं करते। जिन्हें यह कार्यक्रम मजूर न हो वे मुझे छोड़ दें।

लेकिन मान लिया जाये कि हिन्दू-मुस्लिम दंगे होंगे ही, तो क्या उनके कारण हमारा आन्दोलन रुका रहे?

वे अनिश्चित कालतक तो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मुसलमानोपर इतना विश्वास अवश्य है कि ऐसी आशा रखूँ कि एक दिन वे स्वाधीनताके रास्तेमें रुकावट बनने से बाज आ जायेंगे। उनमें आजादी और लोकतन्त्रका इतना प्रेम जरूर है कि उन्हें उस हालतपर किसी दिन धर्म आये।

हमारे पास समय थोड़ा है, इस दृष्टिसे क्या आप बता सकते हैं कि कताईके खयालसे आप कमसे-कम कितनी तैयारी जरूरी समझेंगे?

थोड़ा समय क्यों? क्या यह आवश्यक है कि हम तीन या छह महीनेमें ही आन्दोलन शुरू कर दें? छह साल लग जायें तो लगने दीजिए। जरूरी चीज तो यह है कि तैयारी पूरी हो। मैं कहता हूँ कि आप लोग यह अधीरता छोड़ दीजिए। मेरी कसौटी यह नहीं है कि आप सब मुझे सन्तुष्ट करने या मेरा नेतृत्व हासिल करने के लिए रोज आधा या एक घंटा भी कातें, बल्कि यह है कि कताई इतनी आम हो जाये कि आपके प्रान्तमें देशी या विदेशी किसी भी तरहका मिलका कपड़ा देखने में न आये। अगर मुझे ऐसा लगेगा- कि इस दिशामें हम तेजीसे आगे बढ़ रहे हैं तो मैं सन्तोष मानूँगा। आप लोगोको इस बातका गर्व है कि आपके यहाँ कांग्रेसके सदस्योंकी सख्या लाखों में है। यदि ये सब इस कार्यक्रमको अंगीकार करके चरखा सघके स्वयंसेवक बन जायें, तो इस प्रान्तमें मिलका कपड़ा नहीं रहेगा। यह काम आपके दैनिक जीवनका हिस्सा होना चाहिए। जैसे एक अफरीदीका बन्दूकके बगैर काम नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह आप अहिंसक सिपाहियोंमें से किसीका काते बिना काम नहीं चलना चाहिए। और यह सब इसलिए न हो कि यह बूँडा ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए हो कि आप स्वाधीनता चाहते हैं। जब आपकी समझमें यह बात अच्छी तरह आ जायेगी, तब मेरे पास इस तरहके सवाल लेकर आप नहीं आयेंगे।'

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २-१२-१९३९

४३७. पत्र : बारीन घोषको

२४ नवम्बर, १९३९

बारीन घोष,

चरखेके विषयमें हमारा मतभेद मामूली चीज नहीं है। मेरा तो सारा जीवन ही इससे बँधा हुआ है। यदि तुम चरखेका समर्थन नहीं करते हो तो तुम पूरे हृदयसे अहिंसाका भी समर्थन नहीं कर सकोगे, और अहिंसाके बिना भला मैं किस कामका ?

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित 'डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई

४३८. मैसूरके लोगोंको लिखे पत्रका अंश

२४ नवम्बर, १९३९

आपको वही करना चाहिए जो परिस्थितियोंको देखते हुए आपको ठीक लगे। स्वयं परिस्थितियोंको देखे बिना मुझे आपको कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। इस मामलेमें मैं अपनी संबुद्धिसे कोई राय नहीं दे सकता। आप कसौटीपर खरे उतरे हैं। आपने कष्ट सहन किया है तथा और कष्ट सहनेको तैयार हैं। प्रकट है कि मैसूरके लोग कष्ट-सहन करनेकी कलामें दक्ष हैं। इसलिए मुझे मैसूरके मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।^१ जंगल-सत्याग्रहका^२ विचार मुझे निश्चय ही पसन्द नहीं आया था, क्योंकि उस तरह हम अपनी ही सम्पदाको हानि पहुँचाते हैं। मैंने ताड़के पेड़ काटने के आन्दोलनका नेतृत्व किया था और हजारों ताड़-वृक्ष काट गिराने में तामसी सुलका अनुभव किया। तामसी इसलिए क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि यह सब मेरी जल्दबाजी थी। अब मैं एक भी पेड़ नहीं कटवाऊँगा। इससे गुड़, नीरा प्राप्त होता है। यहाँतक कि तना भी बाड बनानेके काम आता है, पत्तियोंसे चटाइयाँ बनती हैं, इस पेड़की देखभाल नहीं करनी पड़ती, और यह स्वयं ही बढ़ता जाता है। अतएव अब ताड़पर मेरी पूरी आस्था है।

१. देखिये "पत्र : एम० एल० हर्बेकरको", पृ० २८० और ३१६-१७ भी।

२. मध्य प्रान्तमें

और यदि जगल-सत्याग्रह रोकने से जेल जानेवालों की सख्या कम हो जाये तो भी आपको उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए।

[अग्रजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई

४३९. पत्र : सरस्वती गांधीको

२५ नवम्बर, १९३९

चि० सरू,

तेरा खत मिला था। तू अच्छी होगी। कांती आ गया सो अच्छा ही हुआ। मुझे लिखा करो। यह खत ट्रेनपर से लिख रहा हू। आज वर्षा पड़नेगे।

आपुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१७६)से। सी० डब्ल्यू० ३४५०से भी, सौजन्य . कान्तिीलाल गांधी

४४०. पत्र : मदनमोहन मालवीयको

रेलगाडीमें

२५ नवम्बर, १९३९

भाई साहब,

महादेवसे आपका प्रेमसे छलकता हुआ सदेश सुनाया। 'भागवत' के एकादश स्कंधका श्लोक भी बताया। श्लोक मैंने द० अफरीकामें देखा था। एकादश स्कंधका मेरे पर बड़ा प्रभाव पडा। लेकिन मैंने हमारे शास्त्रोंके सर्व वचनोंको वेद-वाक्यसे नहीं माने हैं। जो जड पुतलीके स्पर्शसे विकारी हो सकता है वह ब्रह्मचारी नहीं है। मैंने माना है कि सकारण स्पर्श करते हुए जो निर्विकार रह सके वही ब्रह्मचारी है और मेरा ब्रह्मचारी जीवन ऐसे ही व्यतीत हुआ है। सच्च है कि मैं सर्वथा निर्विकार नहीं बना हू। आप आशीर्वाद दें कि मैं इसी जीवनमें ऐसा बनू। मेरा

१. तात्पर्यं शायद उक्त सर्गके आठवें अध्यायके तेरहवें श्लोकसे है, जो इस प्रकार है :

पदापि युक्तीं भिक्षुर्वं सृजेत् दारवीमपि ।

सृशन् करीषि बभ्येत करिण्या अन्नसङ्गतः ॥

अर्थात् भिक्षुको अपने पैरसे भी स्त्रीकी काष्ठ-प्रतिमा तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हथिनोकी संगतिसे ही हाथी बन्धनमें बँध जाता है ।

प्रथम प्रतिक्षण चलता है। इस प्रयोगकी परीक्षा तो मेरे मृत्युके बाद ही होगी। आपके सदेशका भेदको मैं समझ गया हूँ। मैं सावधान हूँ, और भी अधिक होने की चेष्टा करूँगा।

आपने रजस्वलाके बारेमें कहलाया है उसमें मैं क्या कहूँ? मैंने उनका पालन कभी नहीं किया था करवाया है। इस स्पर्शमें मैंने पाप नहीं माना है। हमारे ऐसे विशेष आचारोंके बारेमें परिवर्तनको अवकाश है, ऐसी मेरी अल्प मति है।

मौनके बारेमें मैं आपके साथ हूँ। मात्रा बढ़ाता रहूँगा।

आपका ऋणी भाई,
मोहनदास

मूल पत्रसे: पद्मकान्त भालवीय क्लेक्शन; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार

४४१. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव, वर्षा
२६ नवम्बर, १९३९

प्रिय पगली,

तुम्हारे तीन पत्र मिले। मैंने सब पत्र महादेव देसाईके हवाले कर दिये। कम टिकट क्यों लगे और पत्र ठीकसे चिपकाये क्यों नहीं गये, इसका कारण मैं नहीं बता सकता। इसके लिए मैं शर्मिन्दा हूँ। पूछताछ करूँगा। तुम्हारे पत्रोंकी और सब बातें मैं समझ गया। कुछ बातें तो हमें भगवान्पर ही छोड़ देनी चाहिए। इलाहाबादमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जवाहरलाल काफी अच्छी तरह पेश आया। उससे मेरी कोई विशेष बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वह बहुत व्यस्त था। शम्मीका एक भला-सा उत्तर आया था।^१

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४८) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७२५७ से भी

४४२. पत्र : त्र्यम्बकलाल पोपटलालको

सेगाँव, वर्धा
२६ नवम्बर, १९३९

भाई त्र्यम्बकलाल,

मुझे ४,४०१-६-९ रुपयेकी हुंडी मिली थी। अब १३-६-० रुपयेकी मिली है। तुम्हें पक्की रसीद दिल्लीसे मिलनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

श्री त्र्यम्बकलाल पोपटलाल

१२१, मुगल स्ट्रीट

रंगून^१

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९८३०)से; सौजन्य त्र्यम्बकलाल पोपटलाल

४४३. स्त्रियोंके हाथों स्वराज

अब चूँकि कार्य-समित्तने कताईको सविनय अवज्ञाकी एक अनिवार्य शर्तके रूपमें मान लिया है,^१ भारतकी स्त्रियोंको देश-सेवाका दुर्लभ अवसर मिला है। नमक-सत्याग्रहके कारण वे हजारोकी संख्यामें चहारदीवारीसे बाहर निकल आई थी, और तभी स्पष्ट हो गया था कि वे भी पुरुषोंके बराबर ही देशकी सेवा कर सकती हैं। उससे ग्रामीण स्त्रियोंको वह गौरव मिला जो उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। साम्राज्यवादके जुएसे आजाद होनेके लिए हिन्दुस्तानके अहिंसक आन्दोलनमें कताईको फिरसे अपना केन्द्रीय स्थान मिल जानेसे यहाँकी स्त्रियोंको एक खास दर्जा हासिल हो गया है। कताईके क्षेत्रमें पुरुषोंकी अपेक्षा उनकी स्थिति स्वभावतः विशेष अनुकूल है।

अनादि कालसे स्त्री और पुरुषके बीच श्रम-विभाजन रहा है। आदम बुनते थे और हीवा कातती थी। यह भेद आजतक मौजूद है। कातनेवाले पुरुष अपवाद-स्वरूप हैं। १९२०-२१में जब मैं पंजाबके पुरुषोंसे कातनेको कहता था, तो वे जवाब

१. मूलमें पवा अंग्रेजीमें है।

२. देखिए पृ० ४१८।

दिया करते थे कि यह उनकी शानके खिलाफ है और औरतोंका काम है। आजकल पुरुष गौरवकी दुहाई देकर आपत्ति नहीं करते। हजारों पुरुष ऐसे हैं जो यज्ञार्थ कातते हैं। जब पुरुष देश-सेवाकी भावनासे कातने लगे तभीसे कताई एक विज्ञान बनी, और उसमें भी दूसरे क्षेत्रोंकी तरह बहुत-से आविष्कार हुए। फिर भी अनुभव यही बताता है कि कताई स्त्रीकी ही विशेषता रहेगी। मैं मानता हूँ कि इस अनुभवका एक सबल कारण है। कताई एक धीमी और अपेक्षाकृत शान्त क्रिया है। स्त्री त्यागकी और इसीलिए अहिंसाकी मूर्ति होती है। इस कारण उसके काम युद्धकी अपेक्षा शान्तिको बढ़ावा देनेवाले होते हैं और होने चाहिए। आज अगर उसे हिंसात्मक युद्धके कामोंमें धसीटा जा रहा है तो यह मौजूदा सम्यताके लिए कोई शोभाकी बात नहीं है। मुझे इस बातमें जरा भी शक नहीं है कि हिंसा स्त्रीके लिए इतनी असोभनीय चीज है कि वह अपनी मूल प्रकृतिपर इस तरह प्रहार किये जाने के विरुद्ध शीघ्र ही उठ खड़ी होगी। मुझे लगता है कि पुरुष भी अपनी इस भूलपर पछतायेगा। स्त्री-पुरुषकी समानताका यह अर्थ नहीं है कि उनके काम भी एक-से ही हों। स्त्रीके शिकार खेलने या भाला चलाने पर कोई कानूनी रुकावट भले ही न हो, परन्तु ऐसे कामोंसे स्त्री सहज ही अपना मुँह फेर लेती है जो सिर्फ मर्दके करने के ही हैं। प्रकृतिने स्त्री और पुरुषको अलग-अलग इसलिए बनाया है कि वे एक-दूसरेके पूरक हों। उनकी आकृतियोंकी तरह उनके कार्य भी निश्चित कर दिये गये हैं।

लेकिन मेरे प्रयोजनके लिए यह सिद्ध करना जरूरी नहीं कि स्त्री-पुरुषके काम अलग-अलग है। और कही नहीं तो भारतमें तो यह निर्विवाद तथ्य है कि लाखों स्त्रियाँ कताईको अपना स्वाभाविक काम समझती हैं। कार्य-समितिके प्रस्तावसे पुरुषोंका भार स्वतः स्त्रियोंके कंधोंपर आ गया है और उन्हें अपना जौहर दिखाने का मौका मिला है। मुझे यह देखकर खुशी होगी कि मेरी भावी सेनामें पुरुषोंसे स्त्रियाँ कही अधिक हैं। उस दशामें अगर लड़ाई हुई तो मैं उसकी ओर अधिक आत्मविश्वासके साथ कदम बढ़ा सकूँगा। पुरुषोंकी प्रमुखतापर उतने आत्मविश्वासके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मुझे उनकी हिंसाका डर रहेगा। किन्तु स्त्रियोंको मैं हिंसाके विस्फोटके विरुद्ध अपनी गारंटी मानूँगा।

.सेगाँव, २७ नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २-१२-१९३९

४४४. टिप्पणियाँ

हिन्दू महासभा क्यों नहीं ?

एक सज्जन लिखते हैं .

लॉर्ड सभामें भारतपर जो बहस हुई थी उसके दौरान लॉर्ड जेटलेडने अपने भाषणमें कांग्रेसको हिन्दू संस्था बताया था। उसपर आपने जो टिप्पणी की वह मैंने पढ़ी है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि लॉर्ड जेटलेडने जो भूल की उसके लिए कुछ हदतक स्वयं कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था है—और वह बेशक है—तो उसका सिर्फ मुस्लिम लीग-जैसी निरी साम्प्रदायिक संस्थाके साथ आम तौरसे साम्प्रदायिक समस्या और खास तौरपर हिन्दू-मुस्लिम समस्याके समाधानके लिए वार्ता चलाना कर्तव्य उचित था? कांग्रेसको तटस्थ रहना और जिन्ना साहबको हिन्दू महासभाके अध्यक्ष श्री सावरकरसे समझौतेकी बातचीत करने देना चाहिए था। अगर यह अब्यावहारिक था तो कांग्रेस देशकी विभिन्न साम्प्रदायिक संस्थाओंके प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाकर उसमें पंचका काम करती। कांग्रेसी नेताओंकी ओरसे किसी एक कौमके अगुओंसे सीधी और ऐकान्तिक चर्चा द्वारा हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल करने की कोशिशका तो यही परिणाम निकल सकता था कि कांग्रेसके विरोधियोंको एक हथियार हाथ लग जाता और इन लोगोंसे यह आशा भी नहीं की जा सकती थी कि वे इस अस्त्रका पूरा उपयोग करने में तनिक भी ढील करेंगे। मेरी रायमें एक राष्ट्रीय संस्थाके रूपमें कांग्रेसकी जो प्रतिष्ठा है, वह इससे कम हुई है।

पत्र-लेखककी दलीलमें जो बजन है, उसे मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ। मैं यह भी बता चुका हूँ कि किस तरह अपने ऊपर आये हुए कर्तव्यसे कांग्रेस आँखें नहीं चुरा सकती थी। लेकिन उनके इस विचारसे मुझे असहमति प्रकट करनी पड़ेगी कि एक कठिन राष्ट्रीय समस्याको सुलझाने का प्रयत्न करने से कांग्रेसकी प्रतिष्ठा कम हुई है। मैं सभी हितैषियोंसे अनुरोध करता हूँ कि जिन्ना साहब और पण्डित जवाहरलाल नेहरूके बीच कुछ ही दिनोंमें जो बातचीत होनेवाली है उसकी प्रगतिमें बाधा डालनेवाली कोई बात वे न करें।

फिर साम्प्रदायिक निर्णय

श्री राधाकान्त मालवीयके पत्रसे निम्न अंश मैं सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ :

१. देखिये पृ० ३६५-६६ और ३८१-८३ ।

अपने लेख "अच्छा भी और बुरा भी" में आपने कहा है: "... इस पंच-निर्णयकी योजना तो गोलमेज सम्मेलनके समय तैयार की जा रही थी, और मेरी उसके बारेमें बड़ी कटु स्मृतियाँ हैं। ... मैं सभी सम्बन्धित पक्षोंके लिए इस निर्णयको अशोभनीय मानता हूँ। ... लेकिन कांग्रेसने उसे निष्ठापूर्वक स्वीकार कर लिया है; क्योंकि स्वर्गीय श्री मैकडॉनल्डसे मध्यस्थता करने की प्रार्थना करनेवालों में मैं भी शामिल था।"

क्या बात यह है कि चूँकि गोलमेज सम्मेलनसे लौटते ही आपको कैद कर लिया गया, इसलिए उसके बाद साम्प्रदायिक समस्याके समाधानके लिए होनेवाली वार्ताओंसे सम्बन्धित बातोंकी आपको कोई खबर नहीं है? श्री जे० रैम्जे मैकडॉनल्डके साम्प्रदायिक निर्णयकी तारीख १७ अगस्त, १९३२ है। वाइसराय महोदय ने २४ फरवरी, १९३२ को ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई पंच-फैसला नहीं होगा, बल्कि श्री रैम्जे मैकडॉनल्ड अपना निर्णय देंगे। इस सम्बन्धमें ठीक जानकारीके लिए गोलमेज सम्मेलनकी सलाहकार समितिकी उस बैठककी कार्रवाईको देखना चाहिए जो २२ और २४ फरवरी, १९३२ को वाइसराय हाउसमें हुई थी।

उस कार्रवाईमें आप देखेंगे कि २२ फरवरी, १९३२ की बैठकमें जनाब (अब सर) जफरुल्ला खाने कहा था: "... कठिनाई स्वयं ब्रिटिश सरकार द्वारा विये गये किसी निर्णयसे ही हल हो सकती है। ... वाइसराय महोदय ब्रिटिश सरकारको इन प्रश्नोंके सम्बन्धमें शीघ्र ही कोई निर्णय घोषित करने की आवश्यकता समझायें तो कोई हर्ज नहीं है। ... " डॉ० शफात अहमद खाने कहा: "... मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप प्रधान मन्त्रीसे हमें अपना कोई निर्णय देने का आग्रह करें।" फिर, २४ फरवरीकी बैठकमें डॉ० शफात अहमद खाने कहा: "मुस्लिम शिष्टमण्डलने 'पंच-फैसला' शब्दका उल्लेख कभी नहीं किया। हमने बराबर यही कहा है कि निर्णय देना सत्राट की सरकारका काम है। बेशक, हमने कभी पंच-फैसलेकी माँग नहीं की है।" सर तेजबहादुर सप्रू [ने कहा]: "जो बात कही गई थी वह यह थी कि प्रधान मन्त्री अपना कोई निर्णय देंगे।" डॉ० शफात अहमद खाने फिर कहा: "... वे (प्रधान मन्त्री) निर्णय देंगे। ... हम उनसे पंच-फैसलेकी माँग नहीं कर रहे हैं। हम सत्राटकी सरकारके निर्णयके लिए अनुरोध करते हैं।" सरदार उज्ज्वलसिंहने कहा: "... अल्पसंख्यकोंसे सम्बन्धित उपसमितियों में प्रधान मन्त्रीने इस प्रश्नका निर्णय करने का वायित्व अपने ऊपर लिया, बशर्ते कि सभी कौमोंके लोग इस प्रश्नको उनके पंच-फैसलेके लिए सौंप

१. देखिये पृ० ३५४-५५। किन्तु साधन-सूत्रमें इसका शीर्षक "हिन्दू-मुस्लिम एकता" दिया गया है।

हैं। यह बिलकुल अलग बात थी। कुछ सदस्योंने अपनी-अपनी कौमोकी ओरसे उन्हें पत्र अवश्य भेजे, लेकिन सबने प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया। . . . अब पंच-फंसलेका कोई सवाल ही नहीं है।” अन्तमें अध्यक्ष-पदसे वाइसराय महोदयने कहा: “भुझे बताया गया है कि समितिके अध्यक्षकी हैसियतसे उस समय प्रधान मन्त्रीने एक प्रस्ताव किया था, किन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया।”

अगर आप उचित समझें तो इसे 'हरिजन' के किसी अंकमें जल्दी ही प्रकाशित कर सकते हैं, ताकि आपके उपर्युक्त कथनसे जो गलतफहमी पैदा हुई है वह खत्म हो जाये।

अपनी याददाश्तकी चूक मैं स्वीकार कर चुका हूँ। जो तथ्य श्री राधाकान्तने बताये हैं उन्हें, लिपिबद्ध कर देना अच्छा है। मेरे कोई गलती करने से ये तथ्य बदल नहीं सकते। सौभाग्यकी बात है कि मेरी भूलसे सर सैम्युअल होरके खिलाफ की गई मेरी शिकायत कोई कमजोर नहीं पड जाती।

घरना शान्तिपूर्ण कब होता है ?

एक पत्र-लेखक लिखते हैं

मैं देखता हूँ कि यहाँ बम्बईमें 'शान्तिपूर्ण घरने' के शस्त्रका दुरुपयोग किया जा रहा है। दलील यह दी जाती है कि घरना शान्त हो तो, भले ही उसका उद्देश्य उचित ही या अनुचित, वह कोई अपराध नहीं है। ऐसी स्थितिमें जिस-किसीके यहाँ ऐसा घरना दिया जाता है, उसे कानून अथवा पुलिससे कोई संरक्षण नहीं मिलता। उदाहरणके लिए, 'क' एक दुकानदार है। 'ख' उसका नौकर है। 'क' से उसकी कोई माँग है। कानूनी दृष्टिसे उसका दावा चल नहीं सकता। लेकिन अपनी माँग पूरी न होने की हालतमें 'ख', 'क' की दुकानपर घरना देने की धमकी देता है। और वह तथ्याकथित नेताओं 'ग' और 'घ' की मददसे 'क' की दुकानपर घरना शुरू कर देता है और 'क' के प्राहकोंको उलटी-सीपी बातें कहकर उसकी दुकानसे खरीदारी न करने के लिए उकसाता है। ऐसा घरना, भले ही उसमें बल-प्रयोग न किया जाये, क्या 'शान्त' कहा जायेगा ?

मैं नहीं कह सकता कि कानून की दृष्टिसे ऐसा करना जायज है या नहीं। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि इस तरहके घरनेको शान्त अर्थात् अहिंसक नहीं कहा जा सकता। शरीर-बलका प्रयोग न किये जाने पर भी जिस घरनेके

लिए निश्चित रूपसे उचित कारण न हो वह हिंसात्मक है। ऐसे कारणके बिना दिया गया धरना एक बला है और निजी अधिकारके इस्तेमालमें हस्तक्षेप है। साधारणतः जबतक कोई जिम्मेदार संस्था न कहे तबतक व्यक्तियोंको धरनेका आश्रय नहीं लेना चाहिए। सविनय अवज्ञाकी तरह ही धरनेकी भी कुछ निश्चित मर्यादाएँ हैं, जिनका पूरी तरह पालन किये बिना वह अनुचित और निन्द्य हो जाता है।

सेर्गाँव, २७ नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २-१२-१९३९

४४५. सन्देश : ठक्कर बापा जयन्ती समारोहके अवसरपर^१

[२७ नवम्बर, १९३९]^२

बापाकी सत्तरवीं जयन्ती मनाने में मुझे हाजिर होना चाहिए था। लेकिन मेरा शरीर ऐसे समारोहोंमें शरीक होने लायक नहीं रहा है। मेरी तो हार्दिक कामना है कि बापा सौ वर्ष पूरे करे। बापाका जन्म ही दलितोंकी सेवाके लिए हुआ था, चाहे वे अस्पृश्य हो या भील, संथाल या खासी। उनकी सेवाकी कद्र करने में भी हम दलितोंकी कुछ-न-कुछ सेवा करते हैं। बापाकी सेवा हिन्दुस्तानको अपने लक्ष्यकी ओर काफी आगे ले गई है।^३

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २-१२-१९३९

४४६. दुःखकी बात

एक सयाने और विद्वान् अंग्रेजने एक अंग्रेज मित्रको पत्र लिखा, जो उन्होंने मेरे पास भेज दिया। नीचे पत्रका एक अंश दे रहा हूँ :

मुझे लगता है कि गांधीजी अपनी इस भूल स्थितिसे बिल्कुल हट गये हैं कि वे ब्रिटिश सरकारके साथ किसी प्रकारकी सौदेबाजी सहन नहीं करेंगे और इस युद्धमें वे उसे समर्थन देने को तैयार हैं। मुझे लगता है, अब वे पूरी

१. यह सन्देश महादेव देसाईके लेख " बापा जयन्ती इन डॉम्बे " (बम्बईमें बापा-जयन्ती) से उद्धृत किया गया है ।

२. भील सेवा मण्डल सेवा स्मृति ग्रन्थ, १९६६, पृ० १६ से ।

३. देखिए पृ० २९२ भी ।

तरह कांग्रेसकी अतिवादी स्थितिके हामी हो गये हैं, जो यह है कि यदि इसी समय भारतको पूर्ण और बिना शर्त स्वाधीनता देने का वचन नहीं दिया जाता तो वे सरकारसे किसी प्रकारका सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ वे सत्तामें हैं वहाँ उसका त्याग करके, उस सरकारसे जिसने यह घोषित किया है कि भारत जर्मनीसे युद्ध-रत है, अपनेको पूरी तरह अलग कर लेंगे। मुझे तो यह रवैया न केवल औपनिवेशिक स्वराज्य, जिसे देने का वादा स्पष्ट शब्दोंमें किया जा चुका है, बल्कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के निमित्त की जा रही सौबेबाजी प्रतीत होता है, और ब्रिटेनकी विपत्तिसे नाजायज फायदा उठाना जान पड़ता है। फिर, कांग्रेस एक ओर यह कहती है कि जो वास्तविक अल्पसंख्यक समुदायोंको उनके सन्तोषके लायक संरक्षण प्रदान न करे, ऐसे किसी संविधानकी रचना करने का उसका कोई विचार नहीं है, और दूसरी ओर वह मुस्लिम लीगसे कोई समझौता करने में सर्वथा विफल रही है। यह विफलता मुसलमानोंको कांग्रेसका, जिसे भारतीय स्वतन्त्रताके फलस्वरूप सर्वोपरि सत्ता प्राप्त हो जायेगी, विश्वास करने की प्रेरणा देनेवाली बात तो नहीं ही है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मैं अपनी पूर्वस्थितिसे जरा भी नहीं हटा हूँ। मैंने उसी समय वक्ता दिया था कि मैंने यह स्थिति इसलिए अपनाई है कि मुझे अहिंसामें अटूट विश्वास है। अपनी सहानुभूति (मैंने 'समर्थन' शब्दका इस्तेमाल नहीं किया था) प्रकट करते समय मेरी नजरमें भी वही उद्देश्य था जो कांग्रेसका है। मैंने अपनी स्थिति कार्य-समितिके सामने रख दी। वह ईमानदारीके साथ उस स्थितिको स्वीकार नहीं कर सकती थी। चूँकि उसे स्वाधीनता चाहिए, इसलिए वह और कोई रख अख्तियार भी नहीं कर सकती थी। अपनी मान्यताओंके अनुसार कांग्रेसकी स्थिति उतनी ही ठीक थी जितनी अपनी मान्यताओंके अनुसार मेरी थी। अगर ब्रिटिश सरकार युद्धके संचालनमें कांग्रेससे मदद लेना चाहती थी तो कांग्रेसको अंग्रेजोंकी नीयत जानने का पूरा हक था। भारत एक पराधीन राष्ट्र है, और यदि वह अपनी आजादी प्राप्त करने को कृतसकल्प है तो उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि उनकी स्थिति क्या है, यह जाने बिना वह शासक राष्ट्रको खुशीसे सहायता देगा। हिन्दुस्तानका झुकाव हिंसाकी तरफ होता और उसके पास वैसी शक्ति भी होती, तो उसका फर्ज हो जाता कि ब्रिटेनकी कठिनाईका लाभ उठाकर आजादीकी घोषणा कर दे और विरोध होने पर हथियारोंसे उसकी रक्षा करे। और इस तरह अवसरका लाभ उठाने पर ससार-भर में— यहाँतक कि ब्रिटेनमें भी— उसकी प्रशंसा होती। परन्तु कांग्रेसने तो उससे अच्छा अर्थात् अहिंसाका मार्ग ग्रहण किया है, चाहे उसकी अहिंसा जितनी फीकी हो। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि भारत सगस्त्र विद्रोहके

लिए तैयार नहीं है। परन्तु यह न तो ब्रिटेनके लिए शोभाकी बात है और न भारतके लिए। भारतमें सशस्त्र विद्रोहकी गन्ति नहीं है। ब्रिटेनके साथ सम्बन्ध होनेसे वह और भी कमजोर हो गया है। उसका निःशस्त्रीकरण ब्रिटिश इतिहासका एक काला प्रकरण है।

ईश्वरने मुझे राष्ट्रके स्वीकारार्थ उसके आगे अहिंसा-मन्त्रको रखने का कार्य सौंपा है। चाहे यह अच्छा हुआ हो या बुरा, किन्तु तथ्य यही है कि कांग्रेसने अहिंसाको अपना लिया है और पिछले उन्नीस सालसे वह, जो निर्विवाद रूपसे देशकी सबसे लोकप्रिय और सशक्त संस्था है, अहिंसाका पालन करने की भरसक कोशिश बराबर करती रही है। यही कारण है कि जबरदस्ती धोपे गये निःशस्त्रीकरणका दंश भारतको उतना महसूस नहीं होता है जितना अन्यथा होता। यह अनुमान लगाना व्यर्थ होगा कि अगर कांग्रेस स्वराज्य-प्राप्तिके मुख्य साधनके तौरपर अहिंसाको स्वीकार न करती तो वह क्या करती। कांग्रेसने अपनेको अहिंसाकी कसौटीपर कसने दिया है। सिर्फ इसी नजरसे यह सवाल उठाया जा सकता है कि कांग्रेसका रुख उचित है या नहीं। साधारण माप-दण्डके अनुसार तो कांग्रेसने जो रुख अख्तियार किया है, वह पूर्णतया उचित ठहरता है।

मैं आशा करता हूँ कि विद्वान् समालोचकका यह मंशा नहीं है कि कांग्रेसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे उससे बिल्कुल नाता तोड़ लेना चाहिए था और उसका मार्ग-दर्शन करने से इन्कार कर देना चाहिए था। मेरे साथ सम्बन्ध होनेसे कांग्रेसको सामूहिक रूपसे अहिंसक पद्धतिका अनुसरण करने में मदद मिलती है।

लेखक महोदय औपनिवेशिक दर्जेने भिन्न स्वाधीनताकी माँगपर गलत आपत्ति करते जान पड़ते हैं। यदि भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्रका दर्जा प्राप्त करना चाहता है तो बेशक वह पूर्ण स्वतन्त्रतासे कम किसी भी चीजसे सन्तुष्ट नहीं हो सकता। मैंने तो सोचा था कि वेस्टमिन्स्टर अधिनियमके अनुसार औपनिवेशिक दर्जा स्वाधीनताके बराबर ही होगा। औपनिवेशिक दर्जा (डोमिनियन स्टेटस) शब्दों में एक विशेष अर्थ निहित है। इसका अभिप्राय उन गोरी जातियोंके एक संघसे है, जो स्वयं साम्राज्यवादकी स्तम्भ हैं और गैर-यूरोपीय जातियोंको असभ्य मानती हैं तथा उनका शोषण करने में लगी हुई है। स्वतन्त्र भारत ऐसे शोषणमें कदापि सामीप्य न होगा। हाँ, काले, भूरे या गोरे सभी लोगोंकी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए ब्रिटेनके साथ सन्धि करने में भारतको कोई अड़चन न होगी। इसलिए अगर औपनिवेशिक दर्जा स्वाधीनतासे कम है तो भारत उससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता। अगर उसका अर्थ वही है जो स्वाधीनताका है, तो यह फ़ैसला भारतको करना होगा कि वह अपने दर्जेको किन शब्दोंमें व्यक्त करे।

समालोचक महोदय आगे चलकर मुस्लिम लीगके साथ समझौता न करने के कारण कांग्रेसकी निन्दा करते हैं। कितने अफसोसकी बात है कि जिम्मेदार अंग्रेज भी ऐसे सवालकोंका अध्ययन करने का कष्ट नहीं उठाते जिनपर वे बराबर फतवा देते रहते हैं। कांग्रेसने साम्प्रदायिक प्रश्नको हल करने का प्रयत्न कभी छोड़ा नहीं है।

वह आज भी इस कठिन कार्यमें लगी हुई है। मगर कांग्रेस कोई हल नहीं निकाल सकी, इसको बहाना बनाकर भारतको अपने निश्चित लक्ष्यपर पहुँचने से रोक रखना अन्याय है। अंग्रेज अधिकारियोने, जिनमें वाइसराय भी शामिल हैं, स्वीकार किया है कि उन्होंने 'फूट डालो और हुकूमत करो' की नीतिका आश्रय लेकर शासन किया है। अंग्रेजोंने हमारे भीतरी झगड़ोका फायदा उठाकर यहाँ अपने पैर जमाये और उन झगड़ोको ताजा रखकर वे अबतक यहाँ जमे हुए हैं। मेरी इस दलीलके लिए यह सावित करना अनावश्यक है कि यह नीति जान-बूझकर बरती जा रही है।

अंग्रेजोंने अपने दिलमें यह विश्वास पैदा कर लिया है कि हम लोगोके परस्पर लडते रहनेके कारण वे राज कर रहे हैं और जब हम लडना छोड देंगे तो वे खुशी से वापस चले जायेंगे। इस तरह वे दुश्चक्रमें फँसे हुए हैं। अगर हिन्दुस्तानके कौमी झगड़ोका निवटारा भारतके आजाद होनेकी शर्त है तो यहाँ ब्रिटिश हुकूमत कयामत तक बनी रहेगी। यह तो एक विशुद्ध घरेलू समस्या है और यदि हमें आपसमें शान्तिपूर्वक रहना है तो इसे हल करना ही होगा। समालोचक महोदय और उनकी-जैसी दलीलें देनेवालोको क्या मैं याद दिला दूँ कि थोडे ही दिन पहलेतक यह कहा जाता था कि अंग्रेज चले जायेंगे तो हिन्दुओको उत्तरकी ताकतवर जातियोकी दया पर निर्भर रहना पडेगा और एक भी कुमारीका सतीत्व सुरक्षित न रहेगा तथा किसी भी धनवान व्यक्तिकी दौलत न बचेगी? और अब देखी नरेशो और मुसलमानो की उन करोडो निहत्थे लोगोसे ब्रिटिश सगोनोके जोरपर रक्षा करनेकी बात कही जा रही है जिनका खास प्रतिनिधित्व करनेका कांग्रेस दावा करती है और जिनसे अपनी रक्षा करने में ये नरेश और मुसलमान स्वय ही पूरी तरह समर्थ हैं। जो भी हो, कांग्रेसको तो अपनी सीधी राह ही चलना है। अपने मार्गमें उपस्थित तमाम कठिनाइयोसे जूझते हुए भी उसे साम्प्रदायिक एकताके लिए काम करना है। यह उसके कार्यक्रमका एक अंग है, उसकी अहिंसक कार्य-पद्धतिका एक हिस्सा है।

एक अन्य अंग्रेज समालोचकने इस समस्याको अधिक सही परिप्रेक्ष्यमें प्रस्तुत किया है। और बहुत सारी बातोंके साथ वे कहते हैं "अंग्रेज लोग ऐसा महसूस करते हैं कि इम भीषण सग्रामके समय ग्रेट ब्रिटेनको मुस्लिम-संसारको अपने साथ रखनेकी जरूरत है।" इस स्थितिके साथ सहानुभूति रखनेमें मुझे कोई अडचन नहीं। अलबत्ता हमें मुद्दा साफ-साफ समझ लेना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन न्यायकी खातिर हारनेकी जोखिम नहीं उठा सकता। अधिकांश भारतवासी यही महसूस करते हैं। ब्रिटेनको खुले दिलसे सहायता देनेके पहले कांग्रेस यह यकीन कर लेना चाहती है कि ब्रिटेनका पक्ष पूरी तरह न्यायसम्मत है। हालकी घटनाओने इस वारेमें गम्भीर सन्देह पैदा कर दिया है। अल्पसंख्यकोके अधिकारोकी पूरी रक्षा करनेकी चिन्ता कांग्रेसको ग्रेट ब्रिटेनसे कही अधिक है। अगर कांग्रेस खुद न्याय करनेको तैयार नहीं होगी तो वह किस मुँहसे दूसरोमे न्याय माँगीगी, और उसे देगा भी कौन? अहिंसक

संस्थाओंके लिए यही एक मार्ग है कि उनकी नीयतपर किसीको शक न हो। परन्तु हो सकता है, ब्रिटिश नीति इस समय न्यायसम्मत समाधानको असम्भव बना दे।

सेगांव, २८ नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २-१२-१९३९

४४७. चक्करमें डालनेवाली स्थिति

जवाहरलाल जन्मजात लोकवादी ठहरे, सो उन्होंने मेरे और संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कार्यकारिणीके बीच देबाक चर्चाकी व्यवस्था की थी।' हमने तीन बार इस तरहकी चर्चा की। मैंने समझ रखा था कि इससे हमारे रास्ते अलग हो जायेंगे। मेरे सामने जो कांग्रेसी आये उनमें कुछ ऐसे भी थे जो चरखे और अहिंसाकी हँसी उड़ा चुके थे। परन्तु मैंने आश्चर्यके साथ देखा कि वे दोनों चीजोंपर राजी हो गये हैं। यह स्थिति कांग्रेसजनों और मेरे, दोनोंके लिए चक्करमें डालनेवाली है।

कह नहीं सकता कि जो कांग्रेसी कलतक मुझमें आस्था नहीं रखते थे, उनके नेतृत्वका भार उठाने में मैंने कोई अक्लमन्दी की है। वे लड़ाईमें मुझे अपना सेनापति बनाने की खातिर बहुत बड़ी कीमत तो नहीं चुका रहे हैं? अगर वे आस्थाके बिना ही आज्ञा-पालन करते हैं, तो यह उनके या मेरे लिए क्या अच्छी बात है? उस हालतमें क्या मैं उन्हें सफलताकी मंजिलतक ले जा सकूँगा? अगर मैं शान्ति-कालमें उनके काम का नहीं था तो लड़ाईके वक्त कैसे हो जाऊँगा? शान्ति-काल तो खैर था भी नहीं। जबतक स्वाधीनता हा मिल नहीं हो जाती, तबतक ग्रेट ब्रिटेनसे कांग्रेसकी लड़ाई ही है। वह कभी बन्द नहीं हुई थी, सिर्फ सविनय अवज्ञाको पहलेसे ज्यादा और बेहतर तैयारीके लिए स्थगित कर दिया गया था। इस तैयारीके समयमें जिन कांग्रेसियोंने हिदायतोंपर अमल नहीं किया वे निश्चय ही लड़ाईके मैदानमें सिपाही होने के योग्य न थे। फिर भी इलाहाबादमें मेरे सामने जो जिम्मेदार लोग आये उनपर मैं अविश्वास नहीं कर सकता था। जो बात इन लोगोंपर लागू होती है वही दूसरे प्रान्तोंके कांग्रेसजनोंपर भी लागू होती है। और इसलिए मैं यह बोझ अपने कंधोंपर ले रहा हूँ।

तब मैं अपने मनकी बात साफ-साफ क्यों न कह दूँ? मुझे आशा है कि कांग्रेसजान 'हरिजन'को यह मानकर पढ़ने का ध्यान रखेंगे, मानों यह उनको निर्देश देनेवाला एक साप्ताहिक बुलेटिन है।

अधीर कांग्रेसजनोंसे मेरा कहना यह है : निकट भविष्यमें सविनय अवज्ञाका ऐलान करने का मुझे कोई आसार नहीं दीखता। ग्रेट ब्रिटेनको परेशान करने के लिए सविनय अवज्ञा नहीं की जा सकती। वह उसी समय होगी जब निश्चित रूपसे अनिवार्य हो जायेगी। शायद सरकारी हलको द्वारा कोच-कोचकर मजबूर कर दिये जानेपर ही ऐसा करना पड़े। मुझे वाइसराय महोदय या भारत-मन्त्री महोदयकी ईमानदारीमें सन्देह नहीं है। साथ ही मुझे इसमें भी कोई शक नहीं कि वे गलतीपर हैं। इसका कारण यह है कि वे जिस पुरानी लीकपर चलने के आदी हैं वह उनसे छोड़ी नहीं जाती। हमें उन्हें संभलने के लिए समय देना चाहिए। हमें अपने देश और विदेशोकी जनताको सच्ची बातें बताकर वास्तविक प्रचार-कार्य करना चाहिए। हमारे चारो तरफ जो गलतफहमी फैली हुई है—और वह न सिर्फ अंग्रेज लोगोंमें है, बल्कि अपने देशवासियोंमें भी है—उसे आनन-फानन दूर नहीं किया जा सकता। इसमें जरा भी शक नहीं है कि बहुतेरे गैर-कांग्रेसी मुसलमान ईमानदारीसे मानते हैं कि कांग्रेसी मन्त्रियोंने मुसलमानोकी शिकायतोपर काफी ध्यान नहीं दिया। गैर-कांग्रेसी मुसलमानो की शिकायतोपर तो अहिंसावादी कांग्रेसियोंको खास तौरपर ध्यान देना चाहिए। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि ये शिकायतें खामखाह की जाती हैं। मैं खुद जानता हूँ कि बहुत-सी शिकायतें यो ही की गई हैं। लेकिन हममें इतना धीरज और शिष्टता होनी चाहिए कि हम इन शिकायतोंको गम्भीर समझकर हाथमें लें और साफ तौरपर साबित कर दें कि ये निराधार हैं। मेरा मतलब यह नहीं कि उन शिकायतोसे निपटने की कोशिश ही नहीं की गई। अभी तो मेरा सम्बन्ध महज इस बातसे है कि लोगो की शिकायतें हैं। इसलिए हमें यह प्रमाणित करनेमें समय लगाना चाहिए कि शिकायतोमें कभी कोई तथ्य था ही नहीं। अगर आगे जाँच करनेसे पता लगे कि हमसे भूले हुई हैं, तो उनको ठीक करना चाहिए। हमें अपने मुसलमान भाइयों और दुनियाके सामने साबित कर देना है कि मुसलमानों या और किसीके एक भी उचित हितका बलिदान करके कांग्रेस स्वाधीनता नहीं लेना चाहती। हमें अल्पसंख्यक सम्प्रदायोको अपने साथ करने के लिए कोई भी कोशिश उठा नहीं रखनी चाहिए। हममें जो छोटेसे-छोटे और कमजोरसे-कमजोर लोग हैं, उनके अधिकारोका इतनी सावधानीसे ध्यान रखना हमारी अहिंसाकी अनिवार्य शर्त है।

अगर यह सच है—और वास्तवमें सच है—कि कौमी एकताके अभावको आजादीके लिए रूकावट बताना अंग्रेजोंके लिए गलत दलील है, तो यह भी उतना ही सच है कि यह फूट स्वराज्यतक पहुँचने के हमारे रास्तेमें एक बड़ी बाधा है। अगर मुस्लिम लीग और दूसरोंको हम अपने साथ ले सकें तो हमारी माँगको कौन अस्वीकार कर सकता है ?

यह तो हुई बाहरी कठिनाइयोंकी बात। जबतक हम इन्हें हल करनेमें काफी समय नहीं लगाते तबतक सविनय अवज्ञा की बात हम नहीं सोच सकते।

हमारी भीतरी कमजोरियाँ भी कुछ कम नहीं हैं। मैं चरखे और अहिंसामें महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध देखता हूँ। जैसे हथियारबन्द सिपाहीमें कमसे-कम अमुक गुणोंका

होना जरूरी है वैसे ही अहिंसक सैनिक अर्थात् सत्याग्रहीमें कुछ दूसरे और हथियार-बन्द सिपाहीसे शायद उलटे गुणोंका होना अनिवार्य है। इनमें से एक है कताई और उसके पहलेकी क्रियाओंमें पर्याप्त निपुणताका गुण। सत्याग्रही किसी-न-किसी उत्पादक कार्यमें लगा रहता है। और करोड़ों लोगोंके लिए कताईसे ज्यादा सरल और अच्छा कोई उत्पादक काम नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह तो शुरूसे ही हमारे अहिंसात्मक कार्यक्रमका एक अभिन्न अंग रहा है। जिस सम्प्रदायका आधार अहिंसा है वह हिंसाके लिए सगठित सभ्यतासे भिन्न ही होनी चाहिए। इस मौलिक सत्यके साथ कोई कांग्रेसी खिलवाड़ न करे। जो बात मैं हजारों बार कह चुका हूँ उसीको फिर दुहराता हूँ कि अगर करोड़ों लोग स्वराज्यकी खातिर और अहिंसाकी भावनासे कातने लगे, तो शायद सविनय अवज्ञाकी जरूरत ही न पड़े। ससारमें यह एक अभूतपूर्व रचनात्मक प्रयत्न होगा। 'दुश्मन'को दोस्त बनाने का यह अच्छा उपाय है।

जो वातावरण आवश्यक हो उन्हें चलाने के लिए और उनके विफल हो जानेपर सविनय अवज्ञाका संचालन करने के लिए कार्य-समिति मुझे अपना एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहती थी। यह ऐसा भार था जिसे मैं उठा नहीं सकता। मैं सेर्गावमें पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा जनताके साथ सीधा सम्पर्क नहीं रहता। किसी विषयमें निर्णयपर पहुँचने के लिए मुझे बहुत-से तथ्योंकी यथार्थ और प्रत्यक्ष जानकारी की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्तमान परिस्थितिमें अपनी अकेलेकी निर्णय-बुद्धि पर मेरा भरोसा नहीं है। मैं तो हर घड़ी कार्य-समितिकी राय और हिदायत मिलनेपर ही काम कर सकता हूँ। समझौतेकी बातचीत भी मैं अन्तिम रूपमें नहीं करूँगा। सच तो यह है कि यदि मुझे इस भारसे मुक्त कर दिया जाये तो मुझे खुशी होगी। लेकिन जबतक कार्य-समिति और साधारण कांग्रेसजनोंका विश्वास और स्नेह मुझे प्राप्त है, और जबतक मैं महसूस करता हूँ कि मुझमें आवश्यक योग्यताएँ हैं, तबतक मैं किसी जिम्मेदारीसे बचने की कोशिश नहीं करूँगा।

सेर्गाव, २८ नवम्बर, १९३९

[अग्नेजीसे]

हरिजन, २-१२-१९३९

४४८. सिन्धमें दंगे

सिन्धके दंगोंके समाचार मैं दुःखपूर्ण जिज्ञासाके साथ पढता रहा हूँ। बहुत-से लोग इस भ्रममें पड़े हुए हैं कि मेरे पास तो सारे रोगोंका उपचार है। काश! ऐसा होता, हालाँकि कह नहीं सकता कि यदि ऐसा होता तो वह विशुद्ध वरदान ही साबित होता। अगर मैं ऐसी शक्तिका बिना सोचे-विचारे सर्वत्र प्रयोग करने लगता तो लोगोंको असहाय बना देता। और यदि मैं उसका मनचाहा उपयोग न कर सकूँ तो वह किसी कामका नहीं होता। बहरहाल, स्थिति यह है कि आज मुझमें जो शक्ति है उसका मैं पूरा-पूरा उपयोग करता हूँ। और प्रभुकी बड़ी कृपा है कि वह शक्ति इतनी सीमित है कि हानिकर हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा मुख्य कार्य लोगोंको यह सिखाना है कि वे अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं। नीचे शिकारपुरसे प्राप्त एक कठणाजनक तार दे रहा हूँ।

बंगा-फसाद, लूटपाट और आगजनीका बाजार गरम। सखर जिल्लेके गाँवोंमें हिन्दुओंका कत्लेआम और स्त्रियों तथा लड़कियोंपर बलात्कार और उनका अपहरण। हिन्दुओंकी जान-माल असुरक्षित। स्थिति अत्यन्त संकटापन्न। सरकारी नीतियों कोई दृढ़ता नहीं। कृपया कोई जाँच-समिति शीघ्र भेजें, जो स्थितिका स्वयं जायजा ले।

इस ढंगका यह तीसरा सन्देश है। पहले दो सन्देशोंपर मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि मैं इलाहाबादमें बहुत व्यस्त था और मेरे पास उन लोगोंको देने के लिए कोई ठोस सान्त्वना नहीं थी। शिकारपुर पचायतने एक गलत व्यक्तिसे सहायताकी माँग की है। क्योंकि मैं तो खुद ही लाचार हूँ। कांग्रेस अब भी अहिंसाके क्षेत्रमें इतनी प्रगति नहीं कर पाई है कि दंगों आदिसे निबट सके। यदि उसे अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनी है तो उसे ऐसी परिस्थितियोंसे निबटने के लिए अपने अन्दर पर्याप्त अहिंसाका विकास करना ही होगा। मैंने शान्ति-सेना संगठित करने का सुझाव दिया था। लेकिन वह सुझाव यदि अव्यावहारिक नहीं तो समयसे पहले दिया गया तो साबित हुआ ही। इसमें सन्देह नहीं कि सिन्ध सरकारको अपने क्षेत्रके लोगोंकी जान-मालकी रक्षा करने में समर्थ होना चाहिए। स्पष्ट है कि स्थिति उसके नियन्त्रणसे बाहर है। सिन्ध नाममात्रको स्वशासित प्रान्त है और इस हदतक वह पिछली सरकारकी अपेक्षा जान-मालकी हिफाजत करने में कम समर्थ है। कारण, उसको

१. दंगे १ अक्टूबर, १९३९ को उस समय अटक उठे थे जब सखरकं मुसलमानोंने मंजलाहका कब्जा पाने के लिए सत्याग्रह आरम्भ किया। २० नवम्बरको सिन्ध सरकारको दंगाश्योंकी हिंसाका मुकाबला करने के लिए गोलीबारीका सहारा लेना पड़ा।

पुलिस-व्यवस्था या सेनाके ठीक उपयोगकी कलाका प्रशिक्षण पहले कमी नहीं मिला है। अपने पहलेके लेखोंमें मैं दिखा चुका हूँ कि केन्द्रीय सरकार दंगोंके सिलसिलेमें होनेवाली जान-मालकी क्षति और उससे भी ज्यादा बुरी दूसरी चीजोंको रोकने में सर्वथा असमर्थ है। जब वह चाहती है तो दंगोंके प्रसारको रोकने और अपराधियोंको दण्ड देने की सामर्थ्यका परिचय जरूर देती है। उसका संगठन केवल साम्राज्यके व्यापारको संरक्षण देने और इसलिए जिस हदतक व्यापारिक सुरक्षाके लिए शान्तिकी रक्षा करना आवश्यक है, उस हदतक उसकी रक्षा करने के लिए किया गया है। इसलिए लोगोंको सच्ची सुरक्षा प्रदान करनेकी सामर्थ्य और साधन उसके पास नहीं हैं। ऐसी सुरक्षाके लिए यह आवश्यक है कि लोगोंको आत्मरक्षाकी कला सिखाई जाये और दंगे आदिको दवाने के लिए उनका सहयोग प्राप्त किया जाये। लेकिन इससे तो साम्राज्यवादी शासन ही खतरेमें पड़ जायेगा।

अब, मेरे पास तो सिन्धियोंकी सहायता देने का एक ही कारगर तरीका है कि मैं उन्हें अहिंसाकी राह दिखला दूँ। लेकिन अहिंसाकी कला एक दिनमें नहीं सीखी जा सकती। दूसरा रास्ता वह है जिसपर दुनिया आजतक चलती रही है। तात्पर्य जान-मालकी सशस्त्र रक्षासे है। ईश्वर उसीकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करता है। सिन्धी लोग इसके अपवाद नहीं हैं। उन्हें डाकू-लुटेरों आदिसे अपनी रक्षा करना सीखना है। यदि वे निरापद नहीं महसूस करते और इतने कमजोर हैं कि अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते तो उन्हें वह जगह, जो उनके रहने के लिए बहुत प्रतिकूल साबित हुई है, छोड़ देनी चाहिए।

सेगाँव, २८ नवम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २-१२-१९३९

४४९. पत्र : अमृतकौरको

२८ नवम्बर, १९३९

प्रिय अमृत,

बस एक-दो पंक्तियाँ लिखने का ही समय है। महादेव बापाकी^१ खातिर बम्बई गये हुए हैं। मैं गलेतक काममें डूबा हुआ हूँ। मौसम तो अत्युत्तम है।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९४९)से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२५८ से भी

१. अमृतलाल वि० ठक्करकी सतरवीं जयन्तीके उत्सवमें सम्मिलित होने के लिए

४५०. पत्र : अमृतकौरको

सेर्गाव, वर्धा (म० प्रा०)

२९ नवम्बर, १९३९

प्रिय पगली,

आश्चर्यकी बात है कि लगातार तीन दिनसे तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया है। किन्तु मैं इसका यथासम्भव शुभ अर्थ ही लगा रहा हूँ कि डाक गलत पतेपर भेजी गई है या बहुत देरसे भेजी गई है और सब कुशल-मंगल है। यहाँ सब कुशल है। मरीजोंका हाल काफी अच्छा है। आज मुझे कुछ समय मिला है कि अटकी हुई डाकको निबटा लूँ।

स्नेह।

बापू

[पुनश्च.]

अभी-अभी तुम्हारे दो पत्र एकसाथ मिले हैं। २५ तारीखका लिखा तुम्हारा पत्र उदास मनसे लिखा गया है—यह उदासी अनावश्यक है। तुम्हें अलमारी तो मिल जायेगी, किन्तु उसे तुम्हारे आने पर बनवाना या खरीदना पड़ेगा। तानाशाही-जैसी तो कोई बात नहीं, किन्तु जो-कुछ है वह उतना ही गम्भीर है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि जवाहरलाल इसमें खुशीसे शामिल रहा है। समय अपनी कहानी आप बतायेगा। 'हरिजन' वस्तुस्थितिका सच्चा दर्पण है। इसलिए तुम्हें कुछ और बताने की सचमुच कोई आवश्यकता नहीं है।

स्नेह।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९५०) से; सौजन्य. अमृतकौर। जी० एन० ७२५९ से भी

४५१. पत्र : भारतन् कुमारप्पाको

२९ नवम्बर, १९३९

प्रिय भारतन्,

यदि केवलपन अभी वही हों तो साथका पत्र उन्हें दे देना।

स्नेह।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५८८) से।

४४१

४५२. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव, वर्षा
३० नवम्बर, १९३९

प्रिय अमृत,

आज फिर तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। यह चिट्ठी (जो पीछे है) और एक अपील, जिसकी एक प्रति 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में से तुमने भी मुझे भेजी थी, आज ही तुम्हारे नाम बुक-पोस्टसे आई है। तुम्हारी टिप्पणी मैंने रख ली है। प्रकाशित करने योग्य है या नहीं, सो देखूँगा। शिक्षापर लिखी तुम्हारी टिप्पणी रख ली है। मैंने अभी पढ़ी नहीं है। अगर सन्तोषजनक लगी तो किसी दिन प्रकाशित हो जायेगी। तुम्हें मेरे साथ धैर्यसे काम लेना होगा। रही बात नायकम् और आशा की, सो हम सबको एक-दूसरेके प्रति सहिष्णु रहना चाहिए।

महादेव अभीतक नहीं लौटे हैं। कल लौट आना चाहिए। उसने बम्बईमें कमाल कर दिखाया। १५,००० से अधिक रुपये इकट्ठे कर लिये। थैली एक लाख सत्रह हजार रुपयेकी बन पड़ी।

स्नेह।

बापू

[पुनश्च :]

आशा है, तुम्हारा फोडा ठीक हो गया होगा।

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९५१) से, सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७२६० से भी

१. यह खीष्टीय गृह समितिके मन्त्री जे० एन० विस्सनके हस्ताक्षरसे जारी की गई मुद्रित गन्ती चिट्ठी थी, जिसमें संसदसे "महायुद्धके मूलभूत कारणोंके विरुद्ध धर्मयुद्धमें शामिल होने" और "इस विकट समयमें सब प्रकारके दमन और शोषणका विरोध करने" का अनुरोध किया गया था। इसके साथ वाइसरॉयके नाम एक घोषणापत्र भी भेजा गया था।

२. यह "क्रिश्चियन डब्यूटी" (क्रिश्चियन लोगोंका कर्तव्य) शीर्षकसे ९-१२-१९३९ के हरिजनमें प्रकाशित हुआ था।

३. यह "ए ले डुमन्स इम्प्रेसिन्स" (एक सामान्य महिलाके विचार) शीर्षकसे ३०-१२-१९३९ के हरिजनमें प्रकाशित हुआ था।

४ और ५. ई० डब्ल्यू० आर्षनायकम् तथा उनकी पत्नी आशादेवी

६. ठक्कर बापाको मेंट करने के निमित्त

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

सिकन्दर हयात खाँका पत्र^१

शिमला

२० जुलाई, १९३९

प्रिय महात्माजी,

आपका १७ जुलाईका पत्र मुझे आज सुबह मिला। उसके लिए अनेक धन्यवाद। यह पत्र मिलने से पहले १८ जुलाईको आपको लिख चुका हूँ।

खेद है, प्रस्तावित लाहौर नियममें हरिजनोके प्रतिनिधित्वके बारेमें आपके सवालका जवाब देने का ध्यान मुझे नहीं रहा। मैंने सम्बन्धित मन्त्रीसे पूछताछ की तो मालूम हुआ कि विधेयकमें हरिजनोंको पृथक् निर्वाचक-मण्डल देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी चुनाव और प्रतिनिधित्वका तरीका नियमोंमें ही शामिल है और विचार है कि नये कानूनमें भी इस मामलेको नियमोंमें ही रहने दिया जाये। मुझे लगभग पूरा यकीन है कि जब विधानसभामें विधेयकपर विचार आरम्भ होगा उस समय हरिजनोके लिए पृथक् निर्वाचक-मण्डलका सवाल उठाया जायेगा, क्योंकि हरिजन-संस्थाओंकी ओरसे कई आवेदनपत्र मिले हैं। जहाँतक सरकारका सम्बन्ध है, जबतक विधानसभाके हरिजन सदस्य मौजूदा रीतिमें सगोबन करने का आग्रह नहीं करेंगे तबतक उसका विचार उसमें कोई परिवर्तन करने का नहीं है; और अगर वे ऐसा आग्रह करेंगे तो निर्णय मुख्यतः इस बातपर निर्भर करेगा कि इस मामलेमें सदनका दृष्टिकोण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, खुद मुझे सयुक्त निर्वाचक-मण्डलपर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षोंसे घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि दोनो बड़े समुदायोके बीच सच्चे सौहार्दके अभावमें उसे कायम करना और भी कठिन हो गया है।

सध-व्यवस्थाकी मेरी वैकल्पिक योजनापर आपने ध्यानपूर्वक विचार किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपके एक-दो भ्रमोंका निवारण कर देना चाहता हूँ। आपके मनमें ये भ्रम इसलिए पैदा हुए कि आप मेरी योजनाका भारत सरकार अधिनियममें निहित योजनाके साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का समय नहीं निकाल पाये। मेरे सुझावोंमें भारत सरकार अधिनियममें प्रस्तुत योजनाको पूर्ण

१. देखिए पृ० ४ और २९।

रूपसे रह कर देने की कोई तजवीज नहीं है। ज्यादासे-ज्यादा अधिनियमके लगभग आधा दर्जन खण्डोंमें कुछ फेर-बदल करना होगा और शायद दो-तीन खण्ड और जोड़ने पड़ेंगे। वेशक मेरी योजनाके अनुसार सघीय, प्रान्तीय और सहवर्ती सूचियोंमें परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने अपने १८ जुलाईके पत्रके साथ जो सशोधित सूची भेजी थी उसमें आपने यह चीज देखी भी होगी। मेरी योजनामें जिन 'क्षेत्रीय' विधानमण्डलोंकी तजवीज है, उनके सम्बन्धमें भी आपको कुछ गलतफहमी हुई जान पड़ती है। आपने देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्रोंको कोई कार्यपालक सत्ता देने का मेरा विचार नहीं है, और क्षेत्रीय विधानमण्डलोंको सौंपे जानेवाले विधि-निर्माणके अधिकारोंका प्रयोजन केवल 'क्षेत्र' विशेषकी विभिन्न इकाइयोंको एक-दूसरेके निकट लाना है, ताकि उनके बीच पारस्परिक विश्वास कायम हो सके। उसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय विधानमण्डलके सदस्य सघीय विधानमण्डलके भी सदस्य होंगे, और सभी क्षेत्रीय विधानमण्डलके सदस्य मिलकर संघीय विधानमण्डलकी रचना करेंगे। उनके लिए अलग इमारत या संगठनकी आवश्यकता नहीं होगी। जब-कभी जरूरी होगा, वे ऐसे विधानकी पुष्टि करने या उसे पारित करने के लिए अपनी संयुक्त बैठक करेंगे जिसपर 'क्षेत्र'-विशेषकी इकाइयोंकी सहमति होगी। सच तो यह है कि मेरी योजना अपेक्षाकृत कम व्ययसाध्य होगी, क्योंकि मैंने द्विसदनीय सघीय विधानमण्डलके बजाय एक-सदनीय विधानमण्डलका सुझाव रखा है।

जहाँतक सेनाके गठनका सवाल है, सेनाकी शान्तिकालीन संख्याकी हदतक मैंने पूर्व स्थितिको कायम रखने के अतिरिक्त और कोई सुझाव नहीं दिया है। जैसा कि मैंने हम दोनोंकी बातचीतमें आपको बताया था, इस व्यवस्थापर मेरा आग्रह इसलिए है कि मैं पारस्परिक विश्वास कायम करना चाहता हूँ और राष्ट्रीय मेल-जोल तथा एकताको सुदृढ़ आधार प्रदान करना चाहता हूँ।

औपनिवेशिक स्वराज्यकी स्वीकृतिके बारेमें मैं आपकी बातोंको समझता हूँ। मैं इस बातसे वाखबर हूँ कि देशके सभी राजनीतिक संगठनोंने अब 'पूर्ण स्वराज्य' को अपना अन्तिम लक्ष्य बना लिया है। लेकिन मुझे शकीन है, आप मेरी इस बातसे सहमत होयें कि मौजूदा परिस्थितिमें अगर सार-तत्त्व हमारी पहुँचके अन्दर है तो उसे छोड़कर छायाको पकड़े रहना समझदारीकी बात नहीं होगी। आखिर हम यही तो चाहते हैं कि हमारे देशके प्रशासन और राज-काजपर हमारा पूर्ण नियन्त्रण हो, और औपनिवेशिक स्वराज्य पा लेने से यह चीज हमें मिल जायेगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हमारे कुछ देशभाई अपनी पूर्ण स्वराज्यकी माँगको छोड़ने के बजाय मूंग-भरीचक्राके पीछे भागना ज्यादा पसन्द करते हैं; लेकिन उन्हें छाया छोड़कर सार ग्रहण करने के लिए मनाना तो आप-जैसे प्रमुख देशभक्त और नेताका ही काम होगा।

अपने पत्रमें आप कहते हैं: "लीगकी ओरसे पेश किये गये प्रस्तावोंमें केवल आपका प्रस्ताव ही रचनात्मक है।" मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मेरी योजनाका लीगसे कोई सरोकार नहीं है। इसे अकेले मैंने तैयार किया है और इसे

तैयार करने में मैंने लीगके किमी भी सदस्यसे, बल्कि मंच पूछिए तो देशके अन्य किसी भी दलके किसी सदस्यसे कोई परामर्श नहीं किया है। उमे हमारी साम्प्रदायिक और राजनीतिक समस्याओका समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्यको ध्यानमें रखकर तैयार किया गया है, और मुझे भरोसा है कि जिस भावनासे इमे तैयार किया गया है उसी भावनासे सभी सम्बन्धित लोग इसकी जाँच और अध्ययन करेगे।

जहाँतक आपके साम्प्रदायिक समस्याके समाधानके मसौदे और उसपर मेरी टिप्पणियोका सम्बन्ध है, अगर आप चाहते हो कि इस मामलेमें मैं आगे और कुछ करूँ तो आप अपने विचारोंके कुछ और अधिक स्पष्ट सकेत देने की कृपा करे। मैं यह समझता हूँ कि यह मसौदा केवल 'आपके' ही विचारोंको प्रतिबिम्बित करता है, लेकिन मेरे प्रयोजनके लिए तो वह इम रूपमें भी पर्याप्त है, बशर्ते कि मसौदेकी विभिन्न मदोंके बारेमें मेरे सुझाव आपको ठीक लगते हो। फिर मैं महत्त्वपूर्ण मुसलमान नेताओं और लीगकी कार्य-समितिसे बातचीत करके आपको उनकी प्रतिश्रियाओ से अवगत करा सकता हूँ। मैंने बम्बईमें आपको अपना जो नोट दिया था उसमें उल्लिखित मुद्दोंके बारेमें आपकी हार्दिक सहमति और समर्थनका आगवासन जबतक मुझे नहीं मिल जाता तबतक उन लोगोंसे अपने दृष्टिकोणको स्वीकार करवाने की मेरी कोशिशका कोई मतलब नहीं होगा। आपको यह भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं कि हमारे बीच हो रहे पत्र-व्यवहारको विलकूल गोपनीय रखा जायेगा। शायद आप लीगकी कार्य-समिति और अन्य प्रमुख मुसलमानोंसे मगविरा करना चाहेंगे। अगर इन बातोंके सम्बन्धमें सहमति हो जाये तो हम उनपर अनौपचारिक सहमति देने और उनकी पुष्टि करने के लिए दोनों कार्य-समितियोंके प्रतिनिधियोंकी सम्मिलित बैठक बुला सकते हैं।

जहाँतक सरकारी सेवाओका सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि 'अल्पसंख्यको' की कोटिमें आनेवाले समुदायोंकी सख्याके बारेमें हमें चिन्ता करने की कोई जरूरत है। इसका स्पष्ट उपाय यह होगा कि हर प्रान्तमें बहुसंख्यक समुदायका हिस्सा निर्धारित कर दिया जायेगा और शेषको अल्पसंख्यक समुदायके बीच बाँट दिया जायेगा। पंजाबमें हमने यही किया है। हमने ५० प्रतिशत मुसलमानोंको और ५० प्रतिशत गैर-मुसलमानोंको दे दिया है। जिस अनुपात (७ प्रतिशत)को बहुसंख्यक समुदायने स्वेच्छासे त्याग दिया वह लघुतर अल्पसंख्यक समुदायोंको अधि-प्रतिनिधित्व (बेटेज)के रूपमें दे दिया गया। गरज यह कि समस्या पहली नजरमें जितनी लगती है उतनी जटिल नहीं है। हमें जरूरत सच्चे हृदय-परिवर्तनकी है, और अगर ऐसा हो जाये तो मतभेदोंके निपटारेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरा पत्र कुछ लम्बा हो गया है, लेकिन सम्बन्धित मामले इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि मुझे आपके पत्रमें उठाये गये मुद्दोंका किंचित् विस्तृत उत्तर देकर आपका कुछ अधिक समय लेनेपर विवश होना ही पड़ा।

स्नेह और शुभकामनाओं-सहित,

अंग्रेजीकी नकलसे : गांधी-नेहरू पत्रसं, १९३९; सौजन्य - नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

परिशिष्ट २

हरिजन-सेवक सम्मेलनके प्रस्ताव^१

४/७ जून, १९३९

१. हरिजन सेवकोका यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि हरिजन सेवकोंको उन मन्दिरोंमें नहीं जाना चाहिए जिनके द्वार हरिजनोंके लिए खुले हुए नहीं हैं। यह बात साफ-साफ समझ लेनी चाहिए कि हरिजन सेवकोको ऐसे मन्दिरोंमें न केवल पूजाके लिए, बल्कि दर्शनीय स्थानोंके रूपमें उन्हें देखने के लिए भी उनके अन्दर नहीं जाना है। लेकिन इस बातका खयाल रखा जाये कि यह नियम हरिजन-सेवाके आड़े नहीं आना चाहिए। इसी तरह हरिजन सेवकोंको उन सार्वजनिक सभाओंमें भी नहीं जाना है जिनमें हरिजनोका शामिल होना वर्जित है।

२. पश्चिमी और मध्य भारतके हरिजन सेवकोका पूनामें आयोजित यह सम्मेलन होलकर राज्यमें किये गये हरिजन कल्याण-कार्यकी, जिसका वर्णन प्रो० आर० के० यरदेईने किया है, बहुत कद्र करता है, लेकिन वह मानता है कि ७,००० रुपयेका अनुदान इस प्रयोजनके लिए बहुत कम है, और इसलिए महाराजा साहब होलकर और उनकी सरकारसे निवेदन करता है कि अनुदानको काफी बढ़ा दें, ताकि कामको कुशल ढंगसे संगठित किया जा सके। इस सम्मेलनका यह विचार भी है कि बम्बई, मैसूर, त्रावणकोर और कोचिनकी तरह हरिजनोंके हितोंकी देख-भालके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने से राज्यका हरिजन-उद्धार-कार्य अधिक अच्छी तरह सम्पन्न हो सकेगा।

३. सम्मेलनके मन्त्री द्वारा पेश किये गये ग्वालियर रियासतके हरिजन सेवक संघके कार्य-विवरणसे प्रकट होता है कि ग्वालियर सरकारके व्यावहारिक समर्थनके नितान्त अभावके कारण वहाँ हरिजन कार्यका नुकसान हो रहा है। महाराजा साहब ग्वालियरने अपने सार्वजनिक भाषणोंमें जैसे विचार बार-बार व्यक्त किये हैं उनको देखते हुए यह बड़े खेदकी बात है कि इस सम्बन्धमें ऐसी उदासीनता बरती जा रही है। सम्मेलन ग्वालियर रियासतके प्रशासन और शासकका ध्यान हरिजनोकी अवस्थाको सुधारने और अस्पृश्यता निवारणकी आवश्यकताकी ओर आकृष्ट करता है। इस प्रयोजनके लिए सम्मेलन एक विशेष अधिकारीकी या एक समितिकी नियुक्ति और वार्षिक बजटमें एक अच्छी-खासी रकमका प्रावधान करने की प्रार्थना करता है। इस सम्मेलनकी यह भी राय है कि हरिजनोंको सार्वजनिक कुओं, तालाबों, मन्दिरों, यातायातके साधनों और स्कूलोंके उपयोगके

१. देखिये पृ० ५३ ।

नागरिक अधिकार देने के बारेमें रियासतकी नीतिकी मार्वजनिक घोषणा अविलम्ब की जाये।

४ शारीरिक कार्य—विशेष रूपसे जिनको करने में गन्दी चीजोंका स्पर्श करना पड़ता है ऐसे शारीरिक कार्य—करने की लोगोंमें जो सर्वत्र अनिच्छा पाई जाती है, वह अस्पृश्यताकी प्रथाके चलनका एक कारण है। उदाहरणके लिए, भगीका काम, भरे दोरोकी खाल उतारने का काम, चमड़ा कमाने और चमड़ेकी चीजें बनाने का काम, नाईका काम और इसी तरहके दूसरे कार्य व्यक्तिको अपवित्र करने वाले माने जाते हैं। इसी प्रकार किसी तथाकथित निम्नतर जातिके आदमीकी व्यक्तिगत शुश्रूपा और आतिथ्य भी वर्जित है।

अस्पृश्यताको पूर्ण रूपसे मिटाने के लिए सामाजिक दृष्टिसे इन परम उपयोगी कार्योंके प्रति घृणाकी गलत भावनाको यथासम्भव जल्दसे-जल्द दूर करना आवश्यक है। इसलिए यह सम्मेलन सभी हरिजन सेवकों और हरिजन-उत्थानमें रचि रखनेवाले अन्य लोगोंसे अनुरोध करता है कि उन्हें अपने हाथोंसे उपर्युक्त कार्य करके ससारको यह बतलाने में सकोच नहीं करना चाहिए कि इन कार्योंमें कोई अप्रतिष्ठा नहीं है और न उनको करने से कोई अपवित्र हो जाता है।

यह सम्मेलन हिन्दू भाइयों और बहनोंसे यह अनुरोध भी करता है कि वे विश्वास रखें, किसी भी प्रकारसे किसी की भी व्यक्तिगत सेवा करने से कोई अपनी विरादरी नहीं खो बैठता। इस धार्मिक सिद्धान्तको अपने ध्यानमें रखकर उन्हें अपने घर आनेवाले किसी भी जातिके अतिथिका वैसा ही सत्कार करना चाहिए जैसा वे अपनी जातिके अतिथिका करेंगे। ऐसे अतिथियोंकी सेवा करते हुए किसीके मनमें अपराध-भावना नहीं होनी चाहिए।

स्वामिमानी हरिजनोंमें अपने पुस्तनी धन्वेको छोड़ने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जिसका कारण यह है कि इन धन्वोंको समाजमें तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा जाता है। यद्यपि यह सम्मेलन ईमानदारीके किसी भी धन्वेको नीचा नहीं मानता, यह हरिजनोकी भावनाके औचित्यको पूरी तरह समझता है और घोषित करता है कि अगर वे चाहें तो उन्हें अपने धन्वे छोड़ने का पूरा अधिकार है, और सवर्ण हिन्दुओंका उन्हें वे काम करने पर विवश करना अन्यायपूर्ण होगा।

५. अस्पृश्यताको मिटाने और शीघ्रतासे हरिजनोके उन्नयन के लिए सम्मेलन हरिजन सेवक संघके सभी सम्बन्धित प्रान्तीय बोर्डोंसे ऐसे आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता है जिससे, जिन स्थानोंमें जिला स्कूल बोर्ड या नगरपालिका स्कूल बोर्डके स्कूल पहलेसे मौजूद हैं, उन स्थानोंमें कमसे-कम हरिजनोके निमित्त प्राथमिक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य हो जाये।

६. इस अवसरपर सम्मेलन हरिजन सेवक मण्डलके हरिजन छात्रावासोंके प्रबन्धकोंको यह बताना चाहता है कि हरिजन छात्रावास चलाने का उद्देश्य हरिजनो का पृथक्करण नहीं है, और इसलिए तमाम हरिजन उपजातियोंके बालकों और बालिकाओं और कुछ सवर्ण हिन्दू बालक-बालिकाओंको भी हरिजन छात्रावासोंमें

दाखिल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, बशर्ते कि सवर्ण हिन्दू छात्र-छात्राओंके खर्चका कोई बोझ संघपर न पड़े।

७. सम्मेलनकी राय है कि हरिजनोंको, जिन्हें सामान्य नागरिक अधिकारका उपभोग करने पर सामाजिक बहिष्कारका शिकार बनना पड़ता है, कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए, और सम्मेलन बम्बई सरकारसे सिफारिश करता है कि सरकार जो अन्य विधान बनाने का विचार कर रही है उसके साथ-साथ, आर्थिक संरक्षणकी कार्रवाईके रूपमें, उपयुक्त विधान बनाकर यह व्यवस्था कर दे कि यदि कोई दुकानदार या जीवनके लिए आवश्यक वस्तुओंका नियमित विक्रेता किसी हरिजन या उसके नौकरों या उसके परिवारके आश्रितोंको ऐसी चीजें बेचने से इस कारण—बतौर सामाजिक बहिष्कारके—इनकार करे कि सम्बन्धित हरिजनोने मामान्य नागरिक अधिकारोका उपभोग करने का प्रयत्न किया या उनका उपभोग किया तो यह दण्डनीय अपराध होगा।

८. सम्मेलन यह प्रस्ताव करता है कि विभिन्न प्रान्तीय बोर्ड अपने-अपने क्षेत्रोंकी नगरपालिकाओंसे अपने हरिजन कर्मचारियोंके लिए बम्बई नगरनिगमके ढंगका कल्याण कार्य आरम्भ करने का अनुरोध करें, और नगरपालिकाओंसे कमसे-कम जुर्मानेसे होनेवाली आयका उपयोग इस प्रयोजनके निमित्त करने का निवेदन किया जाये।

निम्नलिखित वृत्तियादी बातोंको ध्यानमें रखकर काम करने का सुझाव दिया जा सकता है : मनोरंजनात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और कल्याण-कार्यमें श्रमिक कल्याण-अधिकारीका कार्य—अर्थात् कर्मचारियोंकी कार्य-परिस्थितियोंसे सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने का काम—भी शामिल होगा।

९. सम्मेलन हरिजन सेवक संघके प्रान्तीय बोर्डों और स्थानीय समितियोंसे आग्रह करता है कि कुओं, होटलों आदिके सम्बन्धमें हरिजनोको नागरिक अधिकार दिलाने के लिए संगठित और विशेष प्रयत्न करें।

१०. सम्मेलनकी राय है कि बम्बई प्रान्त के सरकारी अनुदान पानेवाले सभी माध्यमिक विद्यालयोंमें योग्य हरिजन विद्यार्थियोंकी यथासम्भव जल्दीसे-जल्दी निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने के लिए बम्बई सरकार आवश्यक कदम उठाये।

११. चूँकि विविध हरिजन क्षेत्रोंमें पंसादीकी दुकानें नहीं हैं और हरिजनोको अन्य लोगोकी दुकानोंसे बहुत ऊँची कीमतोंपर अनाज आदि खरीदना पड़ता है, इसलिए यह सम्मेलन हरिजन सेवक संघोंसे अनुरोध करता है कि वे पर्याप्त हरिजन आबादीवाले गाँवोंमें सहकारिताके आधारपर ऐसी दुकानें खुलवाने की कोशिश करें।

१२. यह सम्मेलन सभी हरिजन सेवकोसे अनुरोध करता है कि उन्हें हरिजन-सेवाके कार्यमें कार्यकर्ताओंका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

१३. चूँकि अनुभवसे यह देखा गया है कि विधानमण्डलों तथा स्थानीय संस्थाओंके ऐसे बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों, जिनमें हरिजनोंके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, सवर्ण हिन्दू मतदाता और हरिजन मतदाता आमतौर पर पारस्परिक आदान-प्रदानके भावसे मत नहीं देते, और चूँकि भ्रातृत्वकी भावना पैदा करना और पूना-समझौतेके^१ इस वास्तविक प्रयोजनको पूरा करना आवश्यक है कि मत पारस्परिक आदान-प्रदानके भावसे दिये जायें, इसलिए यह सम्मेलन सभी सवर्ण हिन्दू मतदाताओंसे कमसे-कम अपने एक मतका उपयोग हरिजन उम्मीदवारोंके लिए और हरिजन मतदाताओंसे कमसे-कम अपने एक मतका उपयोग सवर्ण हिन्दू उम्मीदवारोंके पक्षमें करने का अनुरोध करता है। इस सम्मेलनकी यह राय भी है कि हमारे सामने जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्तिकी दृष्टिसे मतदानकी एकत्रित (क्यूमुलैटिव) प्रणालीकी अपेक्षा विभाजित (डिस्ट्रिब्यूटिव) प्रणाली अधिक उपयुक्त है।

सेगाँव, ३० जुलाई, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-८-१९३९

परिशिष्ट ३

लॉर्ड लिनलिथगोका पत्र^२

वाइसरायका शिविर, भारत (पुरी)

२ अगस्त, १९३९

प्रिय श्री गांधी,

आपके तारके लिए, जो मुझे अभी-अभी मिला है, अनेक धन्यवाद। इस समय वहाँसे निकलने में आपकी कठिनाईको मैं महसूस करता हूँ। मुझे इस बातकी आशंका थी कि शायद ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं होगा, और वैसे ही हुआ भी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहूँगा जिससे आपके शरीरपर थोड़ा भी जोर पड़े और मैं आशा करता हूँ कि मेरी ऐसी किसी सूचनासे कि आप मुझसे मिल जायें यदि आपको ऐसा लगे कि उससे वैसे परिणाम आना सम्भव है तो आप मुझे यह बताने में कदापि कोई संकोच नहीं करेंगे। ऐसी स्थितिमें मैं आपको गलत नहीं समझूँगा।

२. इसी माह बादमें किसी समय मिलने के आपके इस सुझावको मैं आपकी मेहरबानी मानता हूँ। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मेरे पास चर्चके लिए कोई खास विषय नहीं है और मेरा यह निमन्त्रण कि आप मुझसे दिल्लीमें मिल लें, महज

१. सितम्बर १९३२ का; देखिए खण्ड ५१, परिशिष्ट २।

२. देखिए पृ० ५८-५९।

मेरी इस इच्छाका निष्पादन है कि आपके साथ मेरा सम्पर्क बना रहे और मैं समय-समयपर मिलता भी रहूँ। मैं आपको शिमलाकी थका देनेवाली यात्राका कष्ट भी नहीं देना चाहता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम फिलहाल स्थितिको ऐसी ही बनी रहने दें। अब मैं पहाड़से वापस आने के बाद, किसी समय इस सालके अन्तिम महीनोंमें आपसे मिलने की आशा करूँगा।

सद्भावनापूर्वक,

हृदयसे आपका,

श्री मो० क० गांधी,
सेगाँव

अंग्रेजीकी तकल (सी० डब्ल्यू० ७८३१) से; सौजन्य : ध० दा० विड़ला

परिशिष्ट ४

काठियावाड़की रियासतें^१

संख्याकी दृष्टिसे देखा जाये तो पश्चिमी भारतकी रियासतोंसे सम्बन्धित एजेंसी राजनीतिक विभागके प्रशासनिक नियन्त्रणमें काम करनेवाली सबसे बड़ी एजेंसी है। काठियावाड़की सभी २८४ रियासतें इसी एजेंसीमें आती हैं। भारतकी कुल ५६२ रियासतोंमें से आधी काठियावाड़में ही हैं। क्षेत्रफल तथा शासन-पद्धतिकी दृष्टिसे इन रियासतोंमें यथासम्भव अधिकसे-अधिक विविधता देखने को मिलती है। एक ओर तो ८,२५० वर्गमील क्षेत्रवाली कच्छ और डेढ़ करोड़की आमदनीवाली भावनगरकी रियासतें हैं; तो दूसरी ओर.... रियासत है, जिसका क्षेत्रफल मात्र ०.२९ वर्ग-मील, आबादी सिर्फ २०६ और सालाना आमदनी केवल ५०० रुपये है। ... अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द इंडियन स्टेट्स ऐंड प्रिंसेस' लिखते समय निश्चय ही सर जॉर्ज मैकमनके मनमें इन छोटी-छोटी रियासतोंका खयाल रहा होगा। पुस्तकके प्रथम अध्यायमें ही वे कहते हैं :

भारतके देशी नरेशोंकी संख्या पाँच से छह सौके बीच है, और उनकी रियासतोंमें जहाँ फ्रान्सके एक-तिहाई हिस्सेके बराबर पड़नेवाली निजामकी रियासत-जैसी बड़ी रियासतें शामिल हैं, वही इतने छोटे-छोटे इलाके भी शामिल हैं जिनका क्षेत्रफल वैटरसी पार्कसे बड़ा नहीं है।

यह समझ लिया जाना चाहिए कि रियासतोंकी प्रजाकी असली माँग केवल सुशासनकी नहीं, बल्कि स्वशासन या उत्तरदायी शासनकी है। प्रशासनिक तन्त्रके व्यापक लोकतन्त्रीकरणसे कम कोई चीज उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकती। चूँकि लोकतन्त्रीकरणमें अनिवार्यतः आर्थिक दायित्व भी कुछ बढ़ेंगे, इसलिए जिन रिया-

१. देखिए पृ० ९३, ९९ और १९०। यहाँ केवल कुछ वंश ही उद्धृत किये गये हैं।

सतोंकी सालाना आय—मान लीजिए—५० लाख रुपयेसे कम हो उनमें उत्तर-दायी शासनकी माँग करना न तो लाभदायक है और न विवेकयुक्त। इसलिए ऐसी रियासतोंकी हृदयक मौजूदा व्यवस्थाका एकमात्र विकल्प संयुक्त प्रशासन है।

छोटी-छोटी रियासतोंके लिए संयुक्त प्रशासनकी व्यवस्थाका यह विचार न तो नया है और न मात्र कल्पना-प्रसूत। देशी नरेशोंके कल्याणकी वाइसराय महोदयसे ज्यादा चिन्ता और किमे हो सकती है, लेकिन उन्होंने ही इस विचारको विज्ञापित किया है। लेकिन इस सिद्धान्तका बीज १९२८-२९ की बटलर कमेटीकी रिपोर्टमें देखा जा सकता है। रियासतोंके वर्गीकरणके सन्दर्भमें रिपोर्टमें कहा गया है :

तीसरी श्रेणीकी कुल ३२७ रियासतोंमें से काठियावाड़ और गुजरातमें पड़नेवाली २८६ छोटी रियासतें, अधीश्वरी सत्ताके स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त अधिकारियोंके मातहत, थाना सन्नासे अभिहित समूहोंमें संगठित हैं। ये अधिकारी विभिन्न प्रकारके और अलग-अलग प्रमाणमें दण्डात्मक, राजस्विक और नागरिक प्रशासनके अधिकारोंका उपभोग करते हैं। ज्यों-ज्यों प्रशासनका खर्च बढ़ता है, इन रियासतोंको यह आवश्यक प्रतीत होता जाता है कि कई रियासतोंके लिए एकसाथ काम करनेवाले अधिकारियोंको नियुक्त करके इस खर्चके बोझको अधिक बड़े क्षेत्रोंमें वितरित कर दिया जाये। सच तो यह है कि काठियावाड़की कुछ बड़ी रियासतोंमें एक ऐसा उच्च न्यायालय स्थापित करने की बात चल रही है जिसे कई राज्योंके समूहपर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

इस प्रश्नपर वाइसराय महोदयके विचारोंका अन्दाजा उनके उस अभिभाषण से लगाया जा सकता है जो उन्होंने गत मार्च महीनेमें देशी नरेश मण्डलके अधिवेशनका उद्घाटन करते हुए दिया था :

सहयोग और सामूहीकरणकी आवश्यकता जैसी स्पष्ट, प्रत्यक्ष और आकृल छोटी रियासतोंके मामलेमें दिखाई देती है वैसी और किसी मामलेमें नहीं। जिन रियासतोंके साधन इतने सीमित हैं कि उनके लिए आधुनिक मापदण्डके अनुसार अपनी प्रजाकी आवश्यकताओंकी पूर्तिकी कोई सम्भावना ही नहीं रह जाती है, उनके सामने वास्तवमें और कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। इस अवसरपर मैं ऐसी रियासतोंके शासकोंको पूरे आग्रहके साथ समझाना चाहूँगा कि समझदारीका तकाजा यही है कि वे प्रशासनिक सेवाओंके मामलेमें जहाँतक व्यावहारिक हो वहाँतक अपने पड़ोसियोंसे मिलकर अपनी संयुक्त व्यवस्था कायम करनेके लिए यथामम्भव शीघ्रातिशीघ्र कदम उठायें।

यद्यपि वाइसराय द्वारा प्रतिपादित संयुक्त संगठनका सिद्धान्त भारतकी सभी छोटी रियासतोंपर लागू हो सकता है किन्तु काठियावाड़की रियासतोंके लिए वह विशेष रूपमें उपयुक्त है। इन रियासतोंकी अपनी एक अलग विशेषता यह है कि अपने पड़ोसियों, अर्थात् गुजरातकी या मध्य भारतकी रियासतोंके विपरीत ये एक

सुबद्ध भौगोलिक इकाई हैं।... इस भौगोलिक अविच्छिन्नताके कारण इनके संयुक्त या समूहबद्ध होने, या कुछ ज्यादा सख्त शब्दका इस्तेमाल करने की इजाजत हो तो, महासंघबद्ध होने की प्रक्रियाका रास्ता बहुत सुगम है। इन सभी रियासतोंका कुल क्षेत्रफल बस ४०,००० बर्गमीलसे कुछ ज्यादा और आबादी ४२,२९,४९४ है। कुल वार्षिक आयका अन्दाजा लगभग छह करोड़ रुपयेका है।

पिछले तीन महीनोंके दौरान काठियावाड़के नरेशोंने कई बार अपनी बैठके की है, और... खबर है कि उन्होंने संयुक्त पुलिस दल, सभी रियासतोंके लिए एक आबकारी विभाग, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागकी सम्मिलित व्यवस्था तथा संयुक्त वन-विभाग और सबके लिए एक उच्च न्यायालय रखने की सम्भाव्यतापर विचार किया।... संयुक्त विधानमण्डलकी व्यवस्था किये बिना इन महत्त्वपूर्ण विभागोंके लिए संयुक्त प्रशासनकी व्यवस्था करना कितना निरर्थक है, यह सहज ही देखा जा सकता है। कारण, तब प्रश्न यह उठता है कि ये संयुक्त विभाग जिम्मेदार किसके प्रति होंगे? इन बीसों नरेशों और उनकी सरकारोंके प्रति तो नहीं ही होंगे। कोई भी एक ही समयमें बीस प्राधिकारियोंके प्रति ईमानदारीके साथ जिम्मेदार नहीं रह सकता, वद्यत् कि उन प्राधिकारियोंका उद्देश्य उल्लंघन मोल लेना और उसका लक्ष्य गड़बड़ी पैदा करना ही न हो।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३०-९-१९३९

परिशिष्ट ५

कांग्रेस-अध्यक्षके नाम सुभाषचन्द्र बोसका पत्र

७ अगस्त, १९३९

रांचीसे लिखे आपके १८ जुलाईके पत्रका उत्तर देने में विलम्ब हो गया, इसके लिए मुझे अत्यन्त खेद है। आपने मुझसे इस बातकी कौफियत माँगी है कि मैंने बम्बईमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित कुछ प्रस्तावोंके प्रति विरोध प्रकट किया है।

पहली बात तो यह कि किसी प्रस्तावका विरोध करने और सबमुच उसकी अवज्ञा या उल्लंघन करने में भेद किया जाना चाहिए। अबतक जो-कुछ हुआ है वह सिर्फ यही कि मैंने महासमितिके दो प्रस्तावोंके प्रति विरोध प्रकट किया है।

महासमिति द्वारा पारित किसी भी प्रस्तावपर अपनी राय व्यक्त करना मेरा संविधान-सम्मत अधिकार है। आप शायद यह तो स्वीकार करेंगे कि महासमितिका कोई अधिवेशन जब समाप्त होने को होता है तो उसके द्वारा पारित प्रस्तावोंपर बहुत-से कांग्रेसजन दस्तूरन अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर

आप कांग्रेसजनोंको महासमिति द्वारा पारित प्रस्तावोंपर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार देते हैं तो आप ऐसी कोई लक्ष्मण-रेखा नहीं खींच सकते कि केवल अनुकूल रायें ही जाहिर की जायें और प्रतिकूल रायें व्यक्त न की जायें। अगर हमें अपने विचार व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है तो वे विचार अनुकूल हैं अथवा प्रतिकूल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पत्रका आशय तो यह प्रतीत होता है कि प्रतिकूल विचार व्यक्त किये ही नहीं जा सकते।

हम लोग इतने दिनोंसे जिन चीजोंके लिए ब्रिटिश हुकूमतसे लड़ते आये हैं उनमें से एक हमारी नागरिक स्वतन्त्रता भी है। मैं मानता हूँ कि नागरिक स्वतन्त्रतामें बोलने की आजादी भी शामिल है। आपके दृष्टिकोणसे तो जब हम महासमिति या कांग्रेसके बहुमतसे सहमत न हों तब बोलने की आजादीका अग्रह हमें करना ही नहीं चाहिए। यह तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी कि ब्रिटिश सरकारके खिलाफ तो हमें बोलने की आजादी हो लेकिन कांग्रेस या उसकी किसी मातहत मस्याके विरुद्ध बोलने की स्वतन्त्रता न हो। महासमितिके जिन प्रस्तावोंको हम देशके हितके लिए हानिकर समझे, उनकी प्रतिकूल आलोचना करने का अधिकार यदि हमसे छीन लिया जाता है तो यह एक लोकतान्त्रिक अधिकारके अपहरणके समान होगा। क्या मैं सम्पूर्ण गम्भीरताके साथ आपसे पूछ सकता हूँ कि लोकतान्त्रिक अधिकारोंका प्रयोग क्या केवल कांग्रेसके बाहर ही किया जाता है, इसके अन्दर नहीं?

आशा है, आप मेरी इस बातसे सहमत होंगे कि महासमिति द्वारा कोई प्रस्ताव पारित कर दिये जाने के बाद हमें यह अधिकार होता है कि उसीकी किसी अगली बैठकमें हम उस प्रस्तावपर पुनर्विचार करवायें, उसे सगोधित या परिवर्तित करवायें या उसे वापस ही करवा लें। आशा है, आप यह भी स्वीकार करेंगे कि हमें महासमितिके विरुद्ध उगमे ऊपरके सगठन, अर्थात् कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें अपील करने का अधिकार है। इसी तरह, उम्मीद है, आप यह भी मजूर करेंगे कि अल्पसंख्यक पक्षको बहुमतपक्ष पक्षके लोगोंको अपने दृष्टिकोणका कायल करने के लिए प्रचार-अभियान चलाने का भी हक है। लेकिन यह काम हम सां-जनिक सभाओं और समाचारपत्रोंमें प्रकाशित लेखोंमें कांग्रेसजनोंसे अपील करने के अलावा और किस तरह कर सकते हैं? आज कांग्रेस कोई मुट्ठी-भर लोगोंकी संख्या नहीं है। मैं समझता हूँ, उसके सदस्योंकी संख्या लगभग ४५ लाखतक पहुँच गई है। हम आम कांग्रेसजनोंसे अपील करके उन्हें अपना दृष्टिकोण समझा पाने की आशा तभी कर सकते हैं जब हमें समाचारपत्रोंमें लिखने और सभाएँ बुलाने की छूट हो। अगर आप यह मानते हो कि एक बार महासमिति द्वारा पारित कर दिये जाने के बाद हर प्रस्ताव अलघ्य हो जाता है और वह सदाके लिए उचित और संगत होता है तो प्रस्तावकी आलोचनाके निषेधका आपके पास कुछ औचित्य हो सकता है। लेकिन यदि आप हमें महाममितिके प्रस्ताव-विशेषपर, उसी सत्या या कांग्रेसके खुले अधिवेशनके माध्यमसे, पुनर्विचार करने या उसमें सशोधन अथवा

परिवर्तन करने या उसे मंसूख करने का हक देते हैं तो समझमें नहीं आता कि आप आलोचनापर पाबन्दी कैसे लगा सकते हैं, जबकि इस प्रसंगमें आप यही करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुझे लगता है कि 'अनुशासन' शब्दकी आप ऐसी व्याख्या कर रहे हैं जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपनेको बहुत कठोर अनुशासनवादी मानता हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अनुशासनके नामपर आप झुम्र आलोचनापर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। अनुशासनका अर्थ किसीको अपने संवैधानिक और लोकतान्त्रिक अधिकारसे वंचित कर देना तो नहीं होता।

जिन प्रस्तावोंको हम देशके हितके लिए हानिकर समझते हैं उनका विरोध करने का हमें संवैधानिक और लोकतान्त्रिक अधिकार है, इस बातको अलग रखकर अगर हम सिर्फ इन दोनों प्रस्तावोंके गुण-दोषोंका विचार करे तो भी यह प्रकट हो जायेगा कि वास्तवमें ऐसे विरोध-प्रदर्शनकी आवश्यकता थी। अगर इन दो प्रस्तावोंपर अमल किया गया तो मेरे विचारसे सविधानवादकी ओर हमारी गतिको ये और तेज कर देंगे, कांग्रेस संगठनोंको नुकसान पहुँचाकर प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलके प्रभाव, अधिकार और सत्ताको बढ़ायेंगे और कांग्रेसको कृत्रिम रूपसे आम जनतासे तथा महासमितिको भी आम कांग्रेसजनोंसे अलग कर देंगे। इसके अतिरिक्त उनसे कांग्रेसकी क्रांतिकारी प्रवृत्तिकी जड़ें खोखली होगी। फलतः देशके हितों का ध्यान रखते हुए इन प्रस्तावोंको तत्काल अमल-बाहर स्थितिमें डाल दिया जाना चाहिए और अन्ततः या तो इनमें उपयुक्त परिवर्तन कर देना चाहिए या इन्हें वापस ले लेना चाहिए।

इस सम्बन्धमें मैं १९२२ की गया कांग्रेसके समय और उसके बादकी कुछ घटनाओंकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने को विवश हूँ। यह न भूलिए कि उन दिनों स्वराज पार्टीने क्या-कुछ किया। यह भी याद रखिए कि जब महासमितिके गया कांग्रेसके प्रस्तावको संशोधित किया तब गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने उसकी अवज्ञा करने का निश्चय किया था।

और अन्तमें, कृपया यह भी न भूलिए कि महात्मा गांधीने—अगर मुझे ठीक याद है तो—'यंग इंडिया'में लिखा था कि अल्पसंख्यक पक्षको विद्रोह करने का अधिकार है। हम तो अभी बहुसंख्यक पक्षके निर्णयके विरुद्ध सचमुच विद्रोह करने की सीमातक गये भी नहीं हैं। हमने जो-कुछ किया है वह यही कि हमारे विरोधके बावजूद बहुसंख्यक पक्ष द्वारा पास किये गये कतिपय प्रस्तावोंकी आलोचना करने की स्वतन्त्रता ली है।

मुझे यह देखकर सचमुच बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस चीजको हम अपना सहज अधिकार मानते हैं उसे आपने इतना तूल दे दिया है। आशा है, आप मेरी कौफियतको सन्तोषजनक मानेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानते और मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का ही फैसला करते हैं तो जिस ध्येयको मैं

न्यायसम्मत मानता हूँ उसकी खातिर मैं उस कारंवाईको सहर्ष देखूंगा। अन्तमें, मेरा निवेदन है कि यदि किसी भी कांग्रेसीको ९ जुलाईकी घटनाओंके सिलमिलेमें दण्डित किया जाता है तो आप मेरे खिलाफ भी कारंवाई करें। अगर ९ तारीखको अखिल भारतीय दिवसके रूपमें मनाना अपराध है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं मुख्य अपराधी हूँ।

समादरपूर्वक,

[अंग्रेजीसे]

इण्डियन एन्थुअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० २१९-२०

परिशिष्ट ६

कांग्रेस-अध्यक्षकी घोषणा^१

६ जुलाई, १९३९

समाचारपत्रोंमें श्री सुभाषचन्द्र बोसका यह वक्तव्य पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने बम्बईमें जो प्रस्ताव पास किये हैं उनका विरोध करने के लिए ९ जुलाईका दिन निश्चित किया गया है। यह बात सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वह प्रस्ताव एक लम्बी बहसके बाद श्री सुभाषचन्द्र बोसके विरोधके बावजूद बहुत बड़े बहुमतमें पास हुआ था। यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी अवीनस्थ समितियाँ और उन समितियोंके पदाधिकारी या कांग्रेसका अल्पमत इस तरहके प्रस्तावोंकी अवज्ञा करने लगेँ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस द्वारा अच्छी तरहसे सोच-विचार करने के बाद लिये गये निर्णयोंके विरुद्ध प्रदर्शनोका आयोजन करने लगेँ तो कांग्रेसमें अनुशासनका नाम भी नहीं रहेगा और यह सस्था पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो जायेगी। इसलिए मैं सभी कांग्रेस-समितियों और उनके पदाधिकारियोंको यह समझाना चाहूँगा कि कांग्रेसकी नीति और व्यवहारका और कांग्रेस सस्थाके प्रति उनकी वफादारीका यह तकजा है कि वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किये गये प्रस्तावोका पालन करें और उनपर अमल करें। इस तरहके प्रस्तावोंकी निन्दा करना अथवा उनके विरुद्ध विरोध-प्रदर्शनोका आयोजन करना अनुशासनको भंग करना होगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस समितियाँ और उनके पदाधिकारी इन तरहकी विरोधी सभावों और प्रदर्शनोका न तो आयोजन करेंगे और न उनमें भाग ही लेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इण्डियन एन्थुअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० २१९

परिशिष्ट ७

कांग्रेस-अध्यक्षका सुभाषचन्द्र बोसको पत्र^१

१८ जुलाई, १९३९

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बम्बईमें पास किये गये कुछ प्रस्तावोंके विरुद्ध विरोध-सभाएँ आयोजित करने की आपकी कार्रवाईसे एक नाजुक और कठिन परिस्थिति पैदा हो गई है। जैसा कि मैंने ९ जुलाईकी सभाओंके होने से पहले दिये गये अपने वक्तव्योंमें साफ कर दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि यदि कांग्रेसकी मातहत समितियाँ और उनके पदाधिकारी जिनका कर्तव्य अ० भा० का० क० के प्रस्तावोंका पालन करना और उन्हें अमलमें लाना है, वैसा करने के बजाय उन प्रस्तावोंके विरुद्ध विरोध-सभाएँ और प्रदर्शन आयोजित करने लगे, तो कांग्रेस संगठनके लिए काम करना असम्भव हो जायेगा। उनकी इस तरहकी किसी भी कार्रवाईको मैं, व्यक्तिगत रूपसे, न केवल हर तरहके अनुशासनके लिए घातक बल्कि कांग्रेस संगठनके भविष्यके लिए भी खतरनाक मानता हूँ। इसलिए मैं इस सारे मामलेको कार्य-समितिके सम्मुख विचारार्थ रखूँगा ताकि वह इसपर अनुशासनात्मक या जो भी उचित समझे वह कार्रवाई कर सके। लेकिन कार्य-समितिके सामने आपकी कार्रवाईके बारेमें आपका स्पष्टीकरण और दृष्टिकोण भी होना चाहिए। इसलिए यदि आप शीघ्र ही मुझे वह भेज दें तो मैं आपका आभारी होऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

इण्डियन एन्युअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० २१९

परिशिष्ट ८

कांग्रेस कार्य-समितिका प्रस्ताव^२

कार्य-समितिके विश्वकी नाजुक स्थितिपर और विश्वपर युद्धके जो बादल मँडरा रहे हैं उसपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। विश्वकी इस संकटकी घड़ीमें कार्य-समितिकी सहानुभूति पूर्णतया उन लोगोंके साथ है जो लोकतंत्र और स्वतंत्रताके पक्षमें हैं। कांग्रेसने यूरोप, आफ्रिका और सुदूरपूर्व एशियामें हुए फासिस्ट आक्रमण तथा चेकोस्लोवाकिया और स्पेनमें लोकतन्त्रके साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद

१. देखिए पृ० ९४।

२. देखिए पृ० १२५, २१०, २४०, २९७, ३४७ और ४१६।

द्वारा विश्वासघात किये जाने की वार-वार निन्दा की है। कांग्रेसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि युद्ध छिड़ा तो उसकी नीति क्या होगी और यह घोषणा कर दी है कि भारतपर युद्ध थोपने की सभी कोशिशोंका वह डटकर विरोध करेगी। कार्य-समिति कांग्रेसकी इस नीतिसे बँधी हुई है और वह इसे अमलमें लायेगी, ताकि साम्राज्यवादी उद्देश्योंके लिए भारतीय साधनोंका शोषण न होने पाये। ब्रिटिश सरकारकी पिछली नीति और हालकी घटनाओंसे यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार स्वतन्त्र लोकतन्त्रकी पक्षधर नहीं है और इन आदर्शोंके साथ किसी भी समय विश्वासघात कर सकती है। भारत इस तरहकी सरकारके साथ सहयोग नहीं कर सकता और जिस लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रतासे उसे वंचित रखा जा रहा है तथा जिसके साथ विश्वासघात किये जाने की सम्भावना है उसके लिए उससे अपने साधन सुलभ कराने के लिए भी नहीं कहा जा सकता।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने १ मई, १९३९ को कलकत्तामें हुई अपनी बैठकमें कांग्रेसकी यह नीति दोहराई थी और भारतीय सैनिकोंके विदेशोंमें भेजे जाने का विरोध किया था। वावजूद इसके कि यह राय साफ-साफ जाहिर कर दी गई थी ब्रिटिश सरकारने, भारतीय जनताकी घोषित इच्छाके विरुद्ध, मिस्र और सिंगापुरमें भारतीय सैनिक भेजे हैं या वह भेज रही है। युद्धकी परिस्थितिके अलावा केन्द्रीय विधानसभा पहले यह घोषणा कर चुकी है कि विधानसभाकी सहमतिके बिना कोई भी भारतीय सैनिक विदेश नहीं भेजे जाने चाहिए। ब्रिटिश सरकारने इस तरह कांग्रेस और विधानसभाकी घोषणाकी अवहेलना की है और ऐसे कदम उठाये हैं जो भारतको अनिवार्य रूपसे युद्धमें उलझा सकते हैं। उसने केन्द्रीय विधानसभाकी अवधि एक सालके लिए और बढ़ा दी है। कार्य-समिति ब्रिटिश सरकारके इन निर्णयोंको स्वीकार नहीं कर सकती और न केवल अपने-आपको उनसे अलग करती है बल्कि वह ऐसे कदम भी उठायेगी जो कांग्रेसकी नीतिको अमलमें लाने के लिए जरूरी हो सकते हैं। इस दिशामें पहले कदमके तौरपर, कार्य-समिति केन्द्रीय विधानसभाके सभी कांग्रेसी सदस्योंसे अनुरोध करती है कि वे विधानसभाके अगले अधिवेशनमें भाग न लें।

कार्य-समिति प्रान्तीय सरकारोंको एक बार फिर यह याद दिलाती है कि वे ब्रिटिश सरकारकी युद्धकी तैयारियोंमें किसी भी तरहकी सहायता न करें और कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीतिको ध्यानमें रखें, जिसका उन्हें पालन करना चाहिए। यदि इस नीतिको अमलमें लाने से कांग्रेसी मंत्रियोंको इस्तीफा देना पड़े या हटना पड़े तो उन्हें इस स्थितिके लिए तैयार रहना चाहिए।

युद्धका संकट आने पर यदि भारतके किसी हिस्सेको हवाई या अन्य हमलेका खतरा पैदा होता है तो सुरक्षाके उपाय आवश्यक हो सकते हैं। यदि इन तरहके उपाय प्रान्तोंमें लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलोंके नियन्त्रणमें रहें तो कार्य-समिति उन्हें प्रोत्साहन देने को तैयार रहेगी। परन्तु कार्य-समिति इस बातसे सहमत नहीं है कि

ऐसे सुरक्षात्मक उपायोका उपयोग साम्राज्यवादी सरकारके नियन्त्रणमें चल रही युद्धकी तैयारियोंपर परदा डालने के लिए किया जाये।

[अंग्रेजीसे]

इण्डियन एन्युअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० २१४-१५

परिशिष्ट ९

यादवेन्द्रसिंहका पत्र ?

रणवीर विला, चैल

९ सितम्बर, १९३९

प्रिय श्री गांधी,

पिछली ३० तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। जिसमें उस पत्रकी एक प्रति भी संलग्न थी जो मुझे ३ अगस्तको भेजा गया बताया जाता है और जो, जैसा कि मैंने पिछली २८ तारीखके अपने तारमें आपको बताया था, मुझे मिला ही नहीं। मुझे यह जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि पत्रलेखकने जो पत्र आपको लिखा था वह उसपर आपकी टिप्पणी सहित, देशी भाषाओंके समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हो गया है। इसपर मैंने एक बार तो यह सोचा कि जब आपने उस पत्रको समाचारपत्रोंको देने से पहले मेरे जवाबका इन्तजार करना उचित नहीं समझा, तो मेरे लिए आपके पत्रका जवाब देना भी जरूरी नहीं रह जाता। परन्तु उसके बाद गिमलके अपने वकीलके द्वारा मुझे आपका यह संदेश मिला कि अंग्रेजी समाचारपत्रोंको तो समय रहते यह सूचना दे दी गई थी कि वे उसका प्रकाशन रोक दें, पर कामके बोझके कारण देशी भाषाओं के समाचारपत्रोंको इस तरहकी हिदायतें नहीं भेजी जा सकीं। आपने मुझे यह सूचना भिजवाई है कि मेरा जवाब मिलने पर यदि आवश्यक लगा तो देगी भाषाओंके समाचारपत्रोंमें प्रकाशित टिप्पणीमें संशोधन कर दिया जायेगा या वह वापस ले ली जायेगी। इसके लिए निस्सन्देह, मैं आपका आभारी हूँ।

पत्रलेखकने अपने पत्रमें ये दो मुद्दे लिये हैं, यथा (क) १९८८ की 'हिदायत' और (ख) यह आरोप कि १८ जुलाईको जो प्रतिनिधि-मण्डल मुझसे मिलने आया था उससे भेंटके दौरान मैंने धमकी-भरे शब्दोंका प्रयोग किया था। . . .

'हिदायत' के खिलाफ मुख्य बात यह कही गई है कि इसका प्रयोजन क्योंकि एक विशेष परिस्थितिका सामना करना था, इसलिए इसे रियासतके एक स्थायी कानूनके रूपमें कायम रखना उचित नहीं है। आप यह स्वीकार करेंगे कि साम्प्रदायिक उपद्रव ठीक उसी तरहकी विशेष परिस्थिति है जिसका सामना करने के लिए सरकारको अपनेको इस तरहके विशेष कानूनसे सज्जित करना पड़ता है। इसलिए यह चीज

साफ हो जायेगी कि जो लोग साम्प्रदायिक शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार हैं उनके द्वारा स्वतन्त्रताका दुस्प्रयोग ही वह हेतु था जिसके कारण बादमें 'हिदायत' की व्यवस्थाओंको लागू करने का आदेश जारी करना पड़ा। इस दुर्भाग्यपूर्ण काण्डके कारण ही मुझे 'हिदायत' की व्यवस्थाएँ लागू करनी पड़ी—यह तथ्य उन लोगोकी भी समझ में आ गया जिन्होंने पहले इस कानूनके खिलाफ आन्दोलनका गठन किया था। यह बात उनको स्वयं अपनी इच्छासे किये गये इस निर्णयसे स्पष्ट हो जाती है कि वे २५ मईको जारी किये गये मेरे आदेशका पालन करेगे। 'हिदायत' जिस अवधिके लिए लागू की गई है वह अभी समाप्त नहीं हुई है। परन्तु साम्प्रदायिक स्थिति क्योंकि सबसे शांत हो गई है और मैंने नरमी बरती है तथा साम्प्रदायिक झगड़ोंमें फँसे लोगोपर चल रहे मुकदमे वापस ले लिये हैं, इसलिए मैं 'हिदायत' की व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करने के आँचिच्यपर भी विचार करता। लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध छिड़ गया है और उसके सफल संचालनके लिए ऐसे आपत्कालीन उपाय अमलमें लाये जा रहे हैं जिनसे नागरिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएँ कम हो जाती हैं, इसलिए इस आपत्कालीन कानूनको जल्दतक कारण ही विधि-पुस्तिकामें कायम रखा गया है। सुनामके जिला नाजिमने जो आश्वासन दिया था उससे पीछे हटने का मेरा जरा भी इरादा नहीं है। पर ऐसा करने के लिए और भी अनुकूल परिस्थितियोंकी प्रतीक्षा करने को मैं बाध्य हूँ।

जहाँतक १८ जुलाईको प्रतिनिधि-मण्डलसे हुई मेरी भेंटमें जो-कुछ हुआ उसके विवरणका सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि मैंने प्रतिनिधि-मण्डलसे जो-कुछ कहा आपके पत्र-लेखकने उसे तोड़ा-भरोड़ा है और उनका पत्र कई अर्थ सत्य और गलतबयानियों से भरा पड़ा है। मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि अपनी प्रजाकी वास्तविक शिकायतें दूर करने की तो मुझे बहुत चिंता है, पर मैं इस बातका समर्थन नहीं कर सकता कि वह ऐसे लोगो द्वारा गुमराह हो जो सर्वथा अव्यक्तिक उद्देश्योंमें प्रेरित नहीं हैं। मैंने जो शब्द प्रयुक्त किये थे विलकुल सही तो मुझे याद नहीं हैं, पर मेरा खयाल है कि मैंने उनसे कहा था कि अपनी प्रजाकी सभी न्यायोचित इच्छाओंको मैं जरूर पूरा करूँगा, पर मैं किसी भी ऐसे आन्दोलनसे नहीं डरूँगा जो ऐसे लोगो द्वारा खड़ा किया गया होगा जिनका विवादके मुद्दोंमें कोई भीधा सम्बन्ध नहीं है और न ही मैं किसी बाहरी सस्थाके आदेशको स्वीकार करूँगा।

जो-कुछ मैंने ऊपर कहा है उसे देखते हुए, मैं समझता हूँ कि देशी भाषाओंके समाचारपत्रोंमें आपकी जो टिप्पणी छपी है वह वांछनीय नहीं लगती और मुझे विश्वास है कि आप उसे वापस लेने की कृपा करेंगे। पत्र-लेखकके पत्रपर मेरी टिप्पणी आमंत्रित कर आपने जो साँजन्य दिखाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

हृदयमें आपका,
यादवेन्द्रसिंह

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १६-९-१९३९

परिशिष्ट १०

कार्य-समितिका घोषणा-पत्र^१

१. यूरोपमें युद्धकी घोषणासे जो गम्भीर संकट पैदा हो गया है, कार्य-समितिके उसपर अत्यन्त गम्भीरतासे विचार किया है। युद्ध छिड़ने पर राष्ट्रको जिन सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिए कांग्रेस उन्हें बार-बार सामने रख चुकी है और अभी एक महीने पहले इस समितिके उन्हें दोहराया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोकमतकी अवहेलना किये जाने पर रोष व्यक्त किया था। ब्रिटिश सरकारकी इस नीतिसे अपने-आपको अलग करने की दृष्टिसे पहले कदमके रूपमें इस समितिके केन्द्रीय विधानसभाके कांग्रेसी सदस्योंको यह आह्वान दिया कि वे उसके अगले अधिवेशनमें भाग न ले। तबसे ब्रिटिश सरकार भारतको एक युद्धरत देश घोषित कर चुकी है, कई अध्यादेश जारी कर चुकी है, भारत अधिनियम संशोधन विधेयक पास कर चुकी है और अन्य ऐसे दूरगामी कदम उठा चुकी है जिनका भारतीय जनतापर भारी असर पड़ता है और जिनसे प्रान्तीय सरकारोंके अधिकारों और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगता है और वे सीमित हो जाते हैं। यह सब भारतीय जनताकी स्वीकृति लिये बिना किया गया है और इस तरहके मामलोंमें उसकी घोषित इच्छाओंकी ब्रिटिश सरकारने जान-बूझकर अवज्ञा की है। कार्य-समिति इन सब घटनाओंको बहुत ही गंभीर मानती है।

२. कांग्रेसने फासिस्टवाद और नाजीवादकी विचारधारा और उसके व्यावहारिक रूपकी तथा युद्ध एवं हिंसाको गौरव देने तथा मानवीय भावनाको दवाने की उनकी नीतिकी बार-बार निन्दा की है। उसने उनके द्वारा बार-बार आक्रमण करने की और सभ्य-व्यवहारके सुपरिचित मानदण्डों तथा सर्वमान्य सिद्धान्तोंका हनन किये जानेकी बातकी भी भर्त्सना की है। फासिस्टवाद और नाजीवादमें इसे साम्राज्यवादके ही सिद्धान्तका उग्र रूप नजर आया है, जिसके विरुद्ध भारतकी जनता बहुत सालोंसे संघर्ष करती आई है। कार्य-समिति इसलिए अभी-अभी पोलैंडपर किये गये जर्मनीकी नाजी सरकारके आक्रमणकी निःसंकोच निन्दा करती है और जो लोग उसका प्रतिरोध कर रहे हैं उनके साथ सहानुभूति रखती है।

३. कांग्रेसने यह भी कहा है कि भारतके लिए युद्ध और शान्तिके प्रश्नका निर्णय भारतीय जनताको ही करना है और कोई भी बाहरी शक्ति उसपर यह निर्णय नहीं थोप सकती और न ही भारतीय जनता अपने साधनोंका साम्राज्यवादी उद्देश्योंके लिए शोषण होने दे सकती है। यदि कोई निर्णय उसपर थोपा गया

१. देखिये पृ० १९४, २०९, २४०, २९७, ४०७ और ४१६।

या यदि भारतीय साधनोका उपयोग ऐसे उद्देश्योंके लिए करने की कोशिश की गई जो उसे स्वीकार नहीं है, तो उसे उसका विरोध करना ही होगा। यदि किसी उचित ध्येयके लिए सहयोग चाहिए, तो वह मजबूर करके या कोई चीज थोपकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और समिति यह कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि भारतीय जनता किसी बाहरी शक्ति द्वारा जारी किये गये आदेशोका पालन करे। सहयोग बराबरके पक्षोंमें आपसी सहमतिसे किसी ऐसे ध्येयके लिए होता है जिसे दोनों ही उचित समझने हैं। भारतीय जनताने निकट अतीतमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने और भारतमें एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करने के लिए भारी खतरे मोल लिये हैं और स्वेच्छासे बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और उसकी सहानुभूति पूर्णतया लोकतंत्र और स्वतंत्रताके पक्षमें है। परन्तु भारत अपनेको किसी ऐसे युद्धसे नहीं जोड़ सकता जो कहने को तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रताके लिए हो पर उमें उसी स्वतंत्रतासे बंचित रखा जाये और जो थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता उसे प्राप्त है वह भी उससे छीन ली जाये।

४. समितिको यह ज्ञात है कि ब्रिटेन और फ्रांसकी सरकारोंने यह घोषणा की है कि वे लोकतंत्र और स्वतंत्रताके लिए तथा आक्रमणको समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। परन्तु निकट अतीतका इतिहास ऐसे उदाहरणोंसे भरा पड़ा है जो उनके शब्दों, घोषित आदर्शों और वास्तविक उद्देश्यों एवं लक्ष्योंकी परस्पर भिन्नता ही प्रकट करते हैं। १९१४-१८के युद्धके दौरान युद्धके उद्देश्य लोकतंत्रकी रक्षा, आत्मनिर्णय और छोटे राष्ट्रोंकी स्वतंत्रता घोषित किये गये थे। परन्तु जिन सरकारोंने इन उद्देश्योंकी बड़ी गम्भीरतासे घोषणा की थी वही ऐसी गुप्त संघियार्य कर बैठी जिनमें उस्मानिया साम्राज्यको आपसमें बाँट लेने की साम्राज्यवादी योजनाएँ थी। कहा तो यह गया था कि वे किसी इलाकेपर कब्जा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन विजयी देगाने अपने-अपने औपनिवेशिक क्षेत्रका बहुत विस्तार कर लिया। यूरोपका वर्तमान युद्ध स्वयं इस बातका द्योतक है कि वर्साई संधि और उसके जनक, जिन्होंने अपना पवित्र वचन तोड़ा था और पराजित राष्ट्रोंपर एक साम्राज्यवादी शांति थोपी थी, बुरी तरह असफल रहे। उस संधिकी एक आशापूर्ण उपलब्धि लीग ऑफ नेशन्सका उसके जनक राज्योंने शुरूमें ही गला घोट दिया और बादमें जिमकी हत्या कर दी।

५. बादके इतिहासने एक बार फिर यह दिखा दिया कि विद्वान और आस्थाकी बड़े जोदासे घोषणा करके भी निर्लज्जतापूर्वक उनका परित्याग किया जा सकता है। मंचूरियामें ब्रिटिश सरकारने आक्रमणकी तरफमें आँखें मूंद ली; अविज्ञानियामें आक्रमणको अपनी मौन स्वीकृति दे दी। नेकोस्लोवाकिया और स्पेनमें जब लोकतंत्र खतरेमें था तो उसके साथ जान-बूझकर विद्वानघात क्रिया गया और जिन शक्तियोंने पहले सामूहिक सुरक्षामें अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त की थी उन्होंने ही उनकी पूरी व्यवस्थाको भीतरसे ध्वस्त कर दिया।

६. अब एक बार फिर यह दृढ़तापूर्वक कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरेमें है और उसकी अवश्य रक्षा होनी चाहिए और समिति इस बातमें पूरी तरह सहमत

है। समिति यह विश्वास करती है कि पश्चिमके लोग इस अदर्श और उद्देश्यके परिचालित हैं और वे इनके लिए दलिदान करने को तैयार हैं। किन्तु लोगोंके अदर्शों और उनकी भावनाओंकी तथा जिन्होंने इस संघर्षमें अपनी बलि दी है उनकी शर-वार उपेक्षा हुई है और उनके साथ विश्वासघात किया गया है।

७. यदि यह युद्ध यथास्थिति — साम्राज्यवादी आधिपत्य, उपनिवेशों, पिहित स्वार्थों और विगोषाधिकारों—की रक्षाके लिए है, तो भारतका इच्छे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यदि तवाल लोकतंत्र और लोकतन्त्रपर आधारित एक विश्व-व्यवस्थाका है तो भारतकी इच्छे गहरी रचि है। जनितिका यह विश्वास है कि भारतीय लोकतन्त्रके हितोंका इतिहास या विश्व-लोकतन्त्रके हितोंके साथ कोई टकराव नहीं है। लेकिन भारत या किसी भी देशके लोकतन्त्रका साम्राज्यवाद और धर्मि-वादके साथ एक सहज और ऐसा विरोध है जो किसी भी तरह दूर नहीं किया जा सकता। यदि ग्रेट ब्रिटेन लोकतन्त्रकी रखा एवं उसके विस्तारके लिए रुझा है तो उसे अनिवार्यतः अपने कब्जेमें जो इलाके हैं उनमें साम्राज्यवादका अन्त करना चाहिए, भारतमें पूरी तरहसे लोकतन्त्रकी स्थापना करनी चाहिए और भारतीयोंको आत्मनिर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिए। अर्थात् उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेपके संविधान बना द्वारा अपने संविधानका निर्माण करे और अपनी नीति स्वयं निर्धारित करे। स्वतन्त्र लोकतांत्रिक भारत आक्रमणके विरुद्ध एक-दूसरे की रक्षा और आर्थिक सहयोगके लिए अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रोंके साथ खुशीसे मिलकर काम करेगा। वह स्वतंत्रता और लोकतंत्रपर आधारित एक सच्ची विश्व-व्यवस्थाकी स्थापनाके लिए काम करेगा, जिसमें विश्वके ज्ञान और साधनोंका उपयोग मानव-जातिकी प्रगति और उन्नतिके लिए होगा।

८. यूरोपपर आज जो संकट छाया है वह अकेले यूरोपका नहीं है, बल्कि सारी मानव-जातिका है और वह अन्य संकटों या युद्धोंकी तरह अचकी दुनियाके मूल ढाँचिको अत-विभ्रत क्रिये बिना कभी नहीं छेड़ेगा। सन्भवतः यह युद्ध दुनियाका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नक्शा बदल देगा, चाहे उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा। यह संकट उन सामाजिक और आर्थिक अंतर्विरोधोंका अनिवार्य परिणाम है जो पिछले महायुद्धके बाद खतरनाक हदतक बढ़ गये हैं, और जबतक ये टकराव और अंतर्विरोध दूर नहीं होंगे और एक तथा संतुलन जामन नहीं होगा, तबतक यह संकट बिलकुल खत्म नहीं होगा। वह सन्तुलन एक देश द्वारा दूसरे देश पर कायम क्रिये गये प्रभुत्व और शोषण को समाप्त कर तथा सबकी सहाईकी ध्यानमें रखते हुए आर्थिक सन्दर्भोंका अधिक न्यायोचित पुनर्गठन करके ही स्थापित किया जा सकता है। भारत इस जनताका केन्द्रबिन्दु है, क्योंकि भारत आधुनिक साम्राज्यवादका अन्ततम उदाहरण रहा है, और विश्व-व्यवस्थाकी कोई भी नई योजना इस मुख्य समस्याकी उपेक्षा करके सफल नहीं हो सकती। भारतको अपने विशाल साधनोंके साथ विश्व-पुनर्गठनकी किसी योजनामें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। परन्तु वह ऐसा केवल एक स्वतंत्र राष्ट्रकी हैसियतमें ही कर सकता है।

जिनकी शक्तियाँ इस महान् उद्देश्यके लिए कार्य करने को मूलतः हो चुकी हैं। स्वतन्त्रता आज एक ऐसी ममय वस्तु है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता और दुनियाके किसी भी हिस्सेमें साम्राज्यवादी आधिपत्यको कायम रखने की जो भी कोशिश की जायेगी उसका अनिवार्य परिणाम नया संकट होगा।

९. कार्य-समितिकी नजर इस बातपर गई है कि भारतीय रियासतोंके बहुत-से शासकोंने यूरोपमें लोकतन्त्रके ध्येयका समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की है और उसके लिए अपनी सेवाएँ और साधन अर्पित किये हैं। यदि उन्हें देशसे बाहर लोकतन्त्रके पक्षमें अपनी आस्थाकी घोषणाएँ करनी ही हैं तो समिति यह मुजाब देना चाहेगी कि उन्हें सबसे पहले अपनी रियासतोंमें लोकतन्त्रकी स्थापना करनी चाहिए जहाँ आज विगुद तानाशाहीका बोलबाला है। जैसा कि पिछले मालकी दुःखद घटनाओं से सिद्ध हो गया है, इस तानाशाहीके लिए भारतकी ब्रिटिश सरकार रियासतोंके शासकोंसे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। ग्रेट ब्रिटेन यूरोपमें जिस लोकतन्त्र और नई विध्व-व्यवस्थाके लिए लड़ने का दावा करता है, यह नीति उसको पूरी तरह नकारती है।

१०. कार्य-समिति जब यूरोप, आफ्रिका और एशियामें हुई पिछली घटनाओं पर दृष्टि डालती है, खासकर जब वह भारतमें हुई पिछली और मौजूदा घटनाओं पर दृष्टि डालती है, तो उसे लोकतन्त्र या आत्मनिर्णयके ध्येयको आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नजर नहीं आती और न उसे इस बातका ही कोई प्रमाण मिलता है कि ब्रिटिश सरकारकी युद्धकी वर्तमान घोषणाओंपर अमल हो रहा है या होनेवाला है। लोकतन्त्रका सही मापदण्ड यह है कि साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद दोनोंको समान रूपसे और उनके चलते पहले जो युद्ध हुए हैं और आज भी हो रहे हैं उन्हें खत्म किया जाये। केवल इसी आधारपर एक नई व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। उस नई विश्व-व्यवस्थाके लिए होनेवाले संघर्षमें समिति हर तरहमें सहायता देनेके लिए उत्सुक और इच्छुक है। किन्तु समिति किसी ऐसी युद्धसे नाता नहीं जोड़ सकती और न उसमें कोई सहयोग ही दे सकती है जो साम्राज्यवादी नीतियोंपर चलाया जा रहा हो तथा जिनका उद्देश्य भारतमें और अन्यत्र साम्राज्यवादको मजबूत करना हो।

११. फिर भी, अवसरकी गम्भीरताको देखते हुए और इस तथ्यको ध्यानमें रखते हुए कि पिछले कुछ दिनोंमें हालात इतनी तेजीसे बदले हैं कि आदमी मोच भी नहीं सकता, समिति अभी कोई अंतिम निर्णय लेना नहीं चाहती है, ताकि जो मुद्दे दाँवपर लगे हैं, वस्तुतः जो उद्देश्य हैं, और भारतकी वर्तमान एव भावी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाये। लेकिन इस स्थितिसे ज्यादा दिनोत्तक रोकना नहीं जा सकता, क्योंकि भारतको दिन-प्रति-दिन एक ऐसी नीतिसे घाँघा जा रहा है जिनमें वह धरीक नहीं है और जो उसे नापसन्द है।

१२. इसका कार्य-समिति ब्रिटिश सरकारसे यह अनुरोध करती है कि वह नाफ-नाफ शब्दोंमें यह घोषित करे कि लोकतन्त्र और साम्राज्यवादके बारेमें और

जिस नई व्यवस्थाकी परिकल्पना की जा रही है उसके बारेमें युद्धके उसके उद्देश्य क्या हैं और खासकर यह कि ये उद्देश्य भारतपर किस तरह लागू होने हैं और इस समय इन्हें किस प्रकार अमलमें लाया जायेगा। क्या उनमें साम्राज्यवादकी समाप्ति और भारतके साथ एक स्वतंत्र राष्ट्रकी तरह व्यवहार करने की बात भी शामिल है, जिसकी नीति उसकी जनताकी इच्छाओंके अनुरूप होगी? भविष्यके बारेमें एक ऐसी स्पष्ट घोषणाका कि सरकार साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद, दोनोंको खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, सभी देशोंके लोग स्वागत करेंगे। परन्तु इससे कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि उसे, जहाँतक भी सम्भव हो, तुरन्त अमलमें लाया जाये, क्योंकि सिर्फ इसीसे लोगोंको यह विश्वास होगा कि इस घोषणामें जो बातें कही गई हैं सरकारका इरादा उन सब बातोंपर अमल करने का है। किसी भी घोषणाकी सच्ची कसौटी यह है कि वर्तमानमें उसपर कार्य होता है या नहीं, क्योंकि वर्तमान ही आजकी प्रवृत्तियोंका नियमन करता है और भविष्यको उसका रूप देता है।

१३. यूरोपमें युद्ध छिड़ गया है और भविष्य भयानक दिखाई देता है। परन्तु युद्धने पिछले साल भी अबिसीनिया, स्पेन और चीनमें मनुष्योंकी भारी बलि ली है। हालके कुछ भयानक सालोंमें शहरोंमें असंख्य निर्दोष नर-नारी और बच्चे आकाशसे की गई बमबारीके परिणामस्वरूप काल-कवलित हो गये और निर्भय नरसंहार, यंत्रणाओं और घोर दमनका लगातार दौर चलता रहा है। युद्धका यह त्रास निरन्तर बढ़ता जाता है और हिंसा तथा हिंसाकी आशंकासे विश्व संतस्त है और यदि इसे रोका और दूर नहीं किया गया तो युगों-युगोंकी अमूल्य विरासत नष्ट हो जायेगी। यूरोप और चीनमें इस आतंकको रोकना होगा। पर वह तबतक समाप्त नहीं होगा जबतक कि उसके मूल कारण फासिस्टवाद और साम्राज्यवादको नष्ट नहीं कर दिया जाता। इसके लिए कार्य-समिति अपना सहयोग देने को तैयार है। परन्तु यदि यह भीषण युद्ध भी साम्राज्यवादकी भावनासे और उस ढाँचेको बरकरार रखने के लिए चलाया जाता है जो खुद युद्ध और मानव-जातिके अक्षय-पतनका कारण है, तो यह एक भयंकर त्रासदी होगी।

१४. कार्य-समिति यह घोषणा करना चाहती है कि भारतीय जनताकी जर्मन जनता, जापानी जनता या किसी अन्य देशकी जनतासे कोई लड़ाई नहीं है। परन्तु उसकी उन व्यवस्थाओंसे गहरी लड़ाई है, जो स्वतन्त्रताको नकारती हैं और जो हिंसा तथा आक्रमणपर आधारित हैं। वह एक राष्ट्रपर दूसरे राष्ट्र की विजय या जबरदस्ती लादी गई शांतिकी अभिलाषी नहीं है बल्कि उसकी इच्छा तो विश्वके सभी देशोंके लोगोंके लिए सच्चे लोकतन्त्रकी विजय और हिंसा एवं साम्राज्यवादी उत्पीड़नके भयानक दुःस्वप्नसे मुक्त एक सुखी विश्व देखने की है।

१५. यह समिति भारतके लोगोंसे हार्दिक अनुरोध करती है कि वे सभी आन्तरिक झगड़ों और विवादोंको खत्म कर दें और संकटकी इस नाजुक घड़ीमें एकजुट राष्ट्रकी जनताके रूपमें कटिबद्ध रहें, एकताको बनाये रखें, अपने उद्देश्यपर

शांतिमे डटे रहे तथा विश्वकी वृहत् स्वतन्त्रताके अंतर्गत भारतकी स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए दृढ़ संकल्प रहें।

वर्षा, १४ सितम्बर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-९-१९३९

परिशिष्ट ११

अ० भा० कां० कमेटी का प्रस्ताव^१

यूरोपमें युद्धकी घोषणासे एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पैदा हो गई है जो विश्व और भारतके लिए बहुत ही गम्भीर और महत्त्वपूर्ण है। विश्व-संकटकी इस घड़ीमें भारतीय जनताके पथ-प्रदर्शनकी जिम्मेदारी क्योंकि अ० भा० कां० क० पर आती है, इसलिए उसने इस गम्भीर परिस्थितिपर विचार करते हुए कांग्रेसके सिद्धान्तों और उसकी घोषणाओंसे मार्गदर्शन ग्रहण किया है। कांग्रेसके सामने सदा यह लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनताके लिए स्वाधीनता प्राप्त की जाये और भारतमें एक स्वतन्त्र लोकतांत्रिक राज्य स्थापित किया जाये जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितोंकी सुरक्षा हो। अपने संघर्ष और अपनी प्रवृत्तियोंके लिए इसने शांतिपूर्ण और न्यायोचित साधनोंको अपनाया है और युद्ध एवं हिंसाको इसने भयानक तथा प्रगति और सम्यताका विरोधी माना है। विशेष रूपसे सभी साम्राज्यवादी युद्धोंका और एक देशपर दूसरे देशके आधिपत्यका कांग्रेसने सदा विरोध किया है।

युद्धके सम्बन्धमें कांग्रेस अपनी नीतिकी यद्यपि बार-बार घोषणा कर चुकी है, फिर भी ब्रिटिश सरकारने, भारतीय जनताकी स्वीकृति लिये बिना ही, भारतको एक युद्धरत देश घोषित कर दिया है और विधानसभाओंके जरिये तथा अन्त्यादेशोंके रूपमें जल्दी-जल्दी तरह-तरहके दूरगामी कदम उठाये हैं जिनका भारतीय जनतापर जबरदस्त असर पड़ता है और जिनसे प्रान्तीय सरकारोंके अधिकारोंपर अंकुश लगता है और वे मर्यादित हो जाते हैं।

तथापि अ० भा० कां० क० ब्रिटिश सरकारको इस बातका पूरा भौका दिये बिना कि वह युद्ध और शांतिके अपने उद्देश्योंको, विशेष रूपसे भारतके सन्दर्भमें, स्पष्ट करे, अन्धाधुन्ध कोई अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस कार्य-समितिये १४ सितम्बर, १९३९ को युद्ध-संकटपर जो वक्तव्य जारी किया है वह समिति उसका अनुमोदन और समर्थन करती है और उसमें ब्रिटिश सरकारसे युद्ध और शांतिके अपने उद्देश्योंकी घोषणा करने की जो माँग की गई है, उसे दोहराती है।

जबकि यह समिति जहाँ फासिस्टवाद और नाजी आक्रमणकी निन्दा करती है, उसे इस बातका पूरा यकीन है कि सभी औपनिवेशिक देशोंमें लोकतन्त्रके

विस्तारसे और उन्हें आत्मनिर्णय करने का अधिकार देकर जिससे कि साम्राज्यवादी नियन्त्रण खत्म हो सके, स्वाधीनता एवं शान्तिकी स्थापना की जा सकती है और उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। विशेष रूपसे, भारतको एक स्वाधीन राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए और उसकी इस हैसियतको फिलहाल जहाँतक सम्भव हो अधिक-से-अधिक अमलमें लाया जाना चाहिए। अ० भा० का० क० हृदयसे यह विश्वास करती है कि युद्ध और शान्तिके उद्देश्योंको लेकर की गई किसी भी घोषणाके साथ ब्रिटिश सरकार इस तरहकी घोषणा भी करेगी।

यह समिति नये सिरेसे इस बातकी घोषणा करना चाहती है कि भारतकी स्वतन्त्रता लोकतन्त्र और एकतापर आधारित होनी चाहिए तथा उसमें सभी अल्प-संख्यक समुदायोंके अधिकारोंको पूर्ण मान्यता और सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए जिसके लिए कि कांग्रेस हमेशासे प्रतिबद्ध रही है।

कार्य-समितिके इस प्रस्तावको तथा युद्ध संकटपर अपने वक्तव्यको अमलमें लाने की गरजसे आवश्यक कदम उठाने के लिए युद्ध आपत्कालीन उप-समितिकी जो स्थापना की है, यह समिति उसे अपनी मंजूरी देती है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३९

परिशिष्ट १२

वाइसरायकी घोषणा^१

१७ अक्टूबर, १९३९

युद्ध शुरू होने के बादसे और विशेष रूपसे पिछले चार हफ्तोंके दौरान में ब्रिटिश भारतके राजनीतिक नेताओं और देशी रियासतोंके प्रतिनिधियोंके अत्यन्त निकट सम्पर्कमें रहा हूँ। . . . मुझे कमसे-कम ५२ व्यक्तियोंके साथ पूरी तरहसे और सफ़-सफ़ बातचीत करने का अवसर मिला है, जिनमें श्री गांधी, कांग्रेस-अध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्य, श्री जिन्ना और मुस्लिम लीगके प्रतिनिधि सदस्य, देशी नरेश मण्डलके प्रधान तथा ब्रिटिश भारतके राजनीतिक जीवनके अनेक प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं।

जैसा स्वाभाविक था, इतने सारे अलग-अलग दृष्टिकोणोंका प्रतिनिधित्व करने-वालों से हुई बातचीतसे मालूम हुआ कि उनके नजरियोंमें बहुत ज्यादा फर्क है, उनकी माँगें एक-दूसरेसे बहुत भिन्न हैं और हमारे सामने उपस्थित समस्याओंके उनके बताये समाधानोंमें भी परस्पर स्पष्ट अन्तर है। . . .

१. देखिए पृ० २९७, २९८, ३१०, ३२७, ३३९ और ४१७-१८। यहाँ घोषणाके कुछ अंश ही दिये गये हैं।

जिन महत्त्वपूर्ण मामलोंके सम्बन्धमें स्थितिके निर्विवाद स्पष्टीकरणकी अपेक्षा की जाती है, वे निम्नलिखित हैं :

एक तो यह कि युद्धमें सम्राट्की सरकारके क्या उद्देश्य हैं? उनका स्वल्प किस हदतक ऐसा है कि लम्बे इतिहास और महान् परम्पराओंवाला देश भारत, बिना किसी अपराध-भावके, उनमें सहयोग कर सके?

दूसरे, सवैधानिक क्षेत्रमें भारतीय महाद्वीपके लिए कैसे भविष्यकी तजवीज की जा रही है? सम्राट्की सरकारके क्या इरादे हैं? क्या उन इरादोंको ज्यादा स्पष्ट शब्दोंमें और ऐसे ढंगसे परिभाषित करना सम्भव है जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रकुलमें भारतको अन्ततः जो दर्जा देने का विचार किया जा रहा है, उसके बारेमें विद्वकोंको कोई सन्देह न रह जाये?

तीसरे, भारत और भारत लोकमतकी इस इच्छाको पूरा करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है कि युद्धके संचालनमें वह अधिक घनिष्ठ और प्रभावकारी रूपसे शामिल हो सके? . . . सम्राट्की सरकार युद्धके संचालनसे सम्बन्धित अपने तफसीलवार उद्देश्यको अन्तिम और स्पष्ट रूपसे अवतक परिभाषित नहीं कर पाई है। यह स्पष्ट है कि ऐसी परिभाषा तो लड़ाईकी वादवाली किसी अवस्थामें ही पेश की जा सकती है और जब की जायेगी तब वह किसी एक मित्र-राष्ट्रके युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्यको घोषणा नहीं होगी। युद्ध समाप्त होने से पहले विद्वकोंकी स्थिति में और हमें आज जिन परिस्थितियोंका सामना करना पड़ रहा है उनमें बहुत-से परिवर्तन हो सकते हैं, और बहुत-कुछ तो इस बातपर निर्भर करेगा कि युद्धके दौरान स्थिति क्या रहती है और किन हालातमें युद्ध समाप्त होता है। . . .

हम यह लडाईं आश्रमणका प्रतिरोध करने के लिए, चाहे वह हमपर किया गया हो अथवा किसी और पर, लड़ रहे हैं। हमारे प्रधान मन्त्रीने पिछले कुछ दिनोंमें युद्ध-सम्बन्धी हमारे सामान्य उद्देश्यको घोषणा इन शब्दोंमें की है :

हम यह युद्ध किसी भौतिक लाभकी प्राप्तिके लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल युद्धमें विजय प्राप्त करना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य तो इससे भी आगे एक ऐसी बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाकी नींव रखना है जिसका अर्थ यह होगा कि हर आनेवाली पीढ़ीके लिए युद्ध अनिवार्य चीज नहीं है। यूरोपके अन्य सभी राष्ट्रोंकी तरह हम भी शान्तिके लिए लाञ्छित हैं। लेकिन वह अस्थायी शान्ति नहीं होनी चाहिए, जिनमें हमें युद्धका खतरा बना रहे। यह शान्ति सच्ची और मुनिदिष्ट होनी चाहिए।

मेरे ज्यारालसे प्रधान मन्त्रीके डम वक्तव्यमें यह अच्छी तरहमें स्पष्ट हो जाता है कि हम जिस उद्देश्यको लेकर लड़ रहे हैं वह क्या है और अगर उग बातका औचित्य सिद्ध करनेकी कोई आवश्यकता थी कि उग उद्देश्यको मफल बनाने के लिए भारतको अपनी सद्भावना एवं नैतिक ममर्थन प्रदान करना चाहिए, तो हमें उमका औचित्य भी सिद्ध हो जाता है।

मुझमें जो हमरा प्रश्न पूछा गया है, अब मैं उमपर आता हूँ—भारतके भविष्य और उसके सवैधानिक विकासकी दिशामें नम्बन्धित प्रश्नपर। . . . आज

भारतकी संवैधानिक स्थिति और सम्राट्की सरकारकी नीतिका निर्धारण १९३५ के भारत सरकार अधिनियमकी व्यवस्थाओंके अनुसार होता है। इस अधिनियमका भाग ३, जिसमें ब्रिटिश भारतके प्रान्तोंको प्रान्तीय स्वायत्तता देने की व्यवस्था है, लागू कर दिया गया है। पिछले ढाई सालसे विभिन्न प्रान्त इस अधिनियमके अन्तर्गत अपनी-अपनी शासन-व्यवस्था स्वयं चलाते आ रहे हैं। और इस बातसे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यद्यपि बीच-बीचमें कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं, तथापि कुल मिलाकर उन्होंने बहुत सफल ढंगसे शासन चलाया है। उन प्रान्तोंमें चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्तामें रहा हो, जनहितकी दृष्टिसे उसकी पिछले ढाई वर्षोंकी विशिष्ट उपलब्धियोंपर सबको गर्व हो सकता है। उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है उससे निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो गया है कि इस अधिनियमकी योजनाके लागू किये जाने में चाहे जो भी छोटी-मोटी समस्याएँ उपस्थित हुई हों, प्रान्तोंमें इस अधिनियमपर अमल करने में हमारे सामने चाहे जो भी कठिनाइयाँ आई हों, अधिनियमकी योजना निस्सन्देह निर्दोष है और उसकी बढ़ौलत विधानमण्डलोंमें अपने बहुमतके समर्थनपर निर्भर लोक-निर्वाचित सरकारोंको व्यापक अधिकार और अवसर प्राप्त हुए हैं।

अधिनियममें जिस दूसरी अवस्थाकी तजवीज थी वह यह थी कि केन्द्रीय सरकारका पुनर्गठन ऐसे आधारपर किया जाये जिससे भारतकी एकताका आवश्यक लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसके लिए सोचा गया तरीका यह था कि पूरे भारतको ऐसे संघमें गठित कर दिया जाये जिसमें ब्रिटिश भारतके सभी राजनीतिक दलोंके प्रतिनिधि, भारतीय रियासतोंके नरेशोंके साथ मिलकर, सम्पूर्ण भारतके लिए एक एकीकृत सरकारकी रचना करें। ... मैं हमेशा यह मानता रहा हूँ कि संघ-योजना अपने अमली रूपमें उतनी ही सन्तोषजनक सिद्ध होती जितनी कि—अगर मोटे तौरपर कहें तो—हम सब प्रान्तीय स्वायत्तताकी योजनाको सन्तोषजनक सिद्ध हुआ मान सकते हैं। मैं आज इस विषयपर ज्यादा देरतक चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि संघीय योजनाके सम्बन्धमें किये जानेवाले हमारे कार्यको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन १९३५ के अधिनियमकी संघ-विषयक व्यवस्थाओंके तात्त्विक रूपसे सही होने में अपना विश्वास मैं इस कारण और भी जोर देकर व्यक्त करता हूँ कि उनमें इस बातका सबूत मिलता है कि सम्राट्की सरकार यथासम्भव शीघ्र-शीघ्र और विभिन्न पक्षों तथा सम्बन्धित हितोंके बीच परस्पर अधिकसे-अधिक सहमतिके आधारपर भारतकी एकता स्थापित करने और इस तरह भारतकी लक्ष्य-सिद्धिके मार्गपर एक और भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मीलके पत्थरसे आगे बढ़ने को उत्सुक है।

इसी पृष्ठभूमिमें आज हम काम कर रहे हैं, अब प्रश्न यह है कि भारतके सम्बन्धमें सम्राट्की सरकारके क्या इरादे और उद्देश्य हैं? इस प्रश्नके उत्तरका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि मैं भूतपूर्व भारत-मन्त्रीके उस वक्तव्यकी ओर इंगित करूँ जो उन्होंने सम्राट्की सरकारकी ओरसे तथा उसकी अनुमतिसे ६ फर-

वरी, १९३५ को दिया था। उनके उस वक्तव्यमे स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। . . . वक्तव्यके शब्दोंको यहाँ विस्तारसे उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। वे सुस्पष्ट और सुनिश्चित हैं। वे संसदके अभिलेखोंमें भली प्रकार नुरक्षित हैं। इस दिशामें, भारतके भावी संबैधानिक विकास और स्थितिके मामलेमें वे शब्द सम्राट्की वर्तमान सरकारकी नीति और उनके इरादोंकी निश्चित और स्पष्ट व्याख्या करते हैं। मैं इतना ही और कहना चाहूँगा कि गवर्नर-जनरलके रूपमें मुझे मई १९३७ में सम्राट्ने जो निर्देश-पत्र दिया उसके अर्धीन गवर्नर-जनरलकी हैसियतसे मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि सम्राट्ने मुझमें जो विश्वास व्यक्त किया उसके अनुसार मुझे इस ढंगसे काम करना है कि "हमारे साम्राज्यके अन्तर्गत भारत और यूनाइटेड किंगडमकी साझेदारीका इस तरहसे आगे विकास हो जिससे भारतको हमारे उपनिवेशोंके बीच अपना उचित स्थान प्राप्त हो जाये।"

यह हमारी नीति है और यह हमारी स्थिति है। सम्राट्की सरकारके ये इरादे हैं। मैं १९३५ के अधिनियमके बारेमें चन्द शब्द और कहना चाहूँगा। इस अधिनियमका आधार वह अधिकतम आम सहमति थी जिसे प्राप्त करना अधिनियम-रचनानेके समय सम्भव हो सका। जैसाकि हम सब लोगोंको विदित है, यह ब्रिटिश और भारतीय राजनीतियों तथा ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतोंके प्रति-निधियोंके दीर्घकालके सामूहिक प्रयत्नोंसे तैयार किया गया था। इसकी रचना करने के लिए किये जानेवाले विचार-विमर्शसे सभी पक्ष किसी-न-किसी अवस्थामें धनियत रूपसे सम्बद्ध रहे। . . .

चाहे जो हो, सम्राट्की सरकार इस बातको स्वीकार करती है कि जब भारतकी भावी संघीय सरकारकी योजनापर पुनर्विचार करने तथा पालियामेन्टमें भूतपूर्व भारत-मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासनोंको—जिनकी कि मैंने अभी-अभी चर्चा की है—लागू करने की योजनापर विचार करने का समय आयेगा उस समय जो परिस्थितियाँ होंगी उन्हें देखते हुए इस बातपर विचार करना जरूरी होगा कि १९३५ के अधिनियममें समाविष्ट योजनाकी तफसीले कर्हातक उपयुक्त रह गई हैं।

और अब मुझे सम्राट्की सरकार द्वारा यह कहने का अधिकार दिया गया है कि युद्धका अन्त होनेपर वह भारतकी विभिन्न कौमों, दलों और हितों तथा भारतीय नरेशोंसे, अधिनियममें वाञ्छनीय परिवर्तनोंकी रूपरेखा तैयार करने में उनकी सहायता और सहयोग प्राप्त करने की दृष्टिसे परामर्श करने को सहर्ष प्रस्तुत रहेगी। मुझे विश्वास है, अभी मन जो-कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि—गवर्नर-जनरलको दिये गये निर्देश-पत्रकी भाषामें कहे तो—भारतका महान् उपनिवेशोंके बीच अपना उचित स्थान उपलब्ध करवाने की दृष्टिसे साम्राज्यके अन्तर्गत भारत और यूनाइटेड किंगडमकी साझेदारीको आगे बढ़ाना ही सम्राट्की सरकारका इरादा है और इसी चीजकी उसे फिफ्र है।

१९३५ के अधिनियममें जिस शासन-योजनाका ममावेद्य है उसे उस प्रक्रियाकी एक अनिवार्य अवस्थाके रूपमें ही तैयार किया गया था।

लेकिन अभी मैंने जो बात कही है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बृद्धका अन्त होने पर सम्राट्की सरकार अधिनियमकी योजनाको भारतीयोंकी राय के मूलाधिक परिवर्तनाधीन मानने को तैयार रहेगी।

और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सम्राट्की सरकारका उद्देश्य यह होगा—जैसा कि अतीतमें हमेशा रहा है—कि उस लक्ष्यकी ओर भारत की व्यवस्थित और तालमेलयुक्त प्रगतिमें योग देने की आशासे सभी शक्य उपायोंसे विभिन्न पक्षोंकी सहमतिको और आगे बढ़ाने के निमित्त कोई भी प्रयत्न वह उठा नहीं रखे।

इस सम्बन्धमें मैं यह भी कह दूँ कि मेरी जो बातें हुईं उनके दौरान अल्पसंख्यकोंके प्रतिनिधियोंने मुझे अत्यन्त आग्रहपूर्वक इस आग्रहका आश्वासन देने की आवश्यकता समझाई कि अधिनियममें जो भी परिवर्तन सोचे जायें उनमें उनके विचारों और हितोंका पूरा-पूरा खयाल रखा जायेगा। इसपर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दगाव्दी-भरसे अधिक कालतक, तीन गोलमेज परिषदों और संयुक्त प्रवर समितिकी बैठकके दौरान, सम्राट्की सरकारने इस देशके सभी दलों और सभी हितोंके प्रतिनिधियोंसे परामर्श किया और उनकी सलाहका लाभ उठाया। यह बात कल्पनातीत है कि निकट अतीतमें जो लोग सम्राट्की सरकार और पार्लियामेंटसे ऐसे ही कार्यमें इतने धनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध रहे हैं, अब उनसे सलाह-मशविरा किये बिना हम भारतके भावी संविधानके किसी भी महत्त्वपूर्ण हिस्सेकी योजना नये सिरेसे बनाने लग जायें या उनमें कोई परिवर्तन करें।

पिछले कुछ हफ्तोंके दौरान मैंने जो बातें चलाईं उनसे मुझे भली-भाँति पता लग गया है कि इस देशके कुछ हल्कोंकी ऐसी इच्छा है कि मैंने विज्ञान उल्लेख किया है उससे भी कोई अधिक विस्तृत योजनाके, सम्राट्की सरकारके इरादोंके और भी ज्यादा तपसीलवार संकेत पेश किये जायें।

मैं यह वेसिद्धक और पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि इस इच्छाके पीछे पूरी ईमानदारी है और जिनकी ऐसी इच्छा है उन्हें पूरा यकीन है कि भारतकी भावी प्रगति और विकास सम्पन्न करने और सम्राट्की सरकारके स्पष्ट इरादोंको अंजाम देने का यही सबसे अच्छा तरीका है। चेतावनी-स्वरूपमें इतना ही कहना चाहूँगा कि . . . इस देशके करोड़ों लोगोंके भविष्यको, बड़ी-बड़ी कानोंके आपसी सम्बन्धोंको, भारतके नरेशोंको, और जबरदस्त व्यापारिक तथा औद्योगिक हितोंको—चाहे वे हित यूरोपीयोंसे सम्बद्ध हों या भारतीयोंसे—प्रभावित करने-वाले इस तरहके मामलेंमें जहाँतक व्यावहारिक हो, अधिकसे-अधिक सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। चाहे प्रगतिकी जितनी प्रबल इच्छा हो, व्यावहारिक बातोंका खयाल रखते हुए ही उसे सम्पादित करना होता है। . . .

मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि चेतावनीके इन शब्दोंका अर्थ यह न लगाया जाये कि सम्राट्की सरकारमें भारतकी आकांक्षाओंके प्रति सहानुभूतिकी कोई कमी है या उनकी प्रगतिकी रफ्तारके बारेमें वह उदासीन है; और मैं इस बातको दोह-

राना चाहेंगा कि अतीत की ही तरह आज भी सम्राट्की सरकार सचमुच इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि वह इस देशके सभी दलों और हितोंके बीच वह सह-मति और समझौता कायम करने के लिए भरसक प्रयत्न करे जो अपने लक्ष्यकी ओर भारतकी प्रगतिके लिए इतना आवश्यक है।

अब मैं युद्ध-संचालनमें भारतके लोकमतको शरीक करनेके लिए की जानेवाली व्यवस्थाकी चर्चा करूँगा। भारतका अबतक का योगदान ही इतना महान् रहा है जिससे सारी दुनिया प्रभावित है। जो-कुछ उसने दिया है उसकी सूचीमें सर्वोच्च स्थानमें उसके भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक योगदानको—यहाँके लोग जिसे शुभ और न्यायसम्मत उद्देश्य मान सकते हैं उसको उनके द्वारा दिये गये समर्थनको—देता हूँ। भौतिक क्षेत्रमें भी उसका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है और भविष्यमें इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो सकता है। इन परिस्थितियोंमें भारतीय जनमानसकी युद्ध-संचालनमें शरीक किये जानेकी इच्छा और आतुरता स्वभावतः ऐसी चीज है जिसके प्रति मैंने सदासे अधिकसे-अधिक सहानुभूतिका अनुभव किया है। जिन परिस्थितियोंका मैंने वर्णन किया है उनमें ऐसे कदम उठाना अत्यधिक वाछनीय है जिससे लोकमतका नेतृत्व करनेवाले लोगोंको घटनाक्रमकी ठीक-ठीक खबर रहे।

संवैधानिक स्थितिके सम्बन्धमें मुझे मिलने आने का सौजन्य दिखानेवाले विभिन्न दलोंके नेताओंसे मैंने अत्यधिक स्पष्ट रीतिसे इस विषयकी चर्चा की है कि इस इच्छाको हम किस विधिसे सबसे अच्छे ढंगसे कार्यान्वित कर सकते हैं। . . .

मैं इतना ही कहूँगा कि इन चर्चाओं और महान् दलोंके प्रतिनिधियों तथा देशी नरेशोंके विचारों (जो हमेशा परस्पर समान ही नहीं होते थे)को ध्यानमें रखते हुए, मेरी राय यह है कि सही समाधान एक सलाहकार समिति होगी। इस समितिमें ब्रिटिश भारतके सभी बड़े राजनीतिक दलों और देशी नरेशोंके प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता स्वयं गवर्नर-जनरल करेंगे। इसकी बैठकें अध्यक्षके आमन्त्रण पर होंगी। इसका उद्देश्य युद्ध-संचालनमें और युद्ध-विषयक कार्रवाइयोंसे सम्बद्ध प्रश्नोंके बारेमें भारतके लोकमतको शरीक करना होगा।

व्यावहारिक कारणोंसे इस समितिका आकार अनिवार्यतः बहुत सीमित होगा। लेकिन सम्राट्की सरकारका विचार है कि इसे पूर्णतः प्रातिनिधिक होना चाहिए, और खासकर यह कि इसके सदस्य विभिन्न बड़े राजनीतिक दलों द्वारा तैयार की गई सूचियोंमें से गवर्नर-जनरल द्वारा चुने जायें . . .

मैं निकट भविष्यमें राजनीतिक नेताओं और देशी नरेशोंसे इस प्रश्नपर बात-चीत करनेकी आशा रखता हूँ। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसी व्यवस्थासे, युद्ध-संचालनके लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं और उसके सम्बन्धमें जो इन्तजाम किये जा रहे हैं, उनमें भारतकी रियासतों और ब्रिटिश भारतके शरीक किये जाने से बहुत अधिक सहायता मिलेगी। और मुझे इस बातका भी पूरा यकीन है कि सभी दलों और हितोंके प्रतिनिधियोंके इस तरह युद्ध-प्रयत्नोंमें शामिल होने में इस देशके सभी दृष्टिकोणोंके लोगोंके उस पूर्णतर और व्यापकतर सहचर्यके बीच विद्यमान हैं जो सम्पूर्ण भारतके भविष्यके लिए ऐसे काम की सम्भावनाओंसे आपूरित हैं।

महीने-भर पहले केन्द्रीय विधानमण्डलमें बोलते हुए मैंने एकताके लिए अनुरोध किया था। आज उसी अनुरोधको दोहराना चाहूँगा। . . . आज हम बड़ी कठिन और आशंकापूर्ण परिस्थितियोंमें रह रहे हैं। बड़े-बड़े आदर्श दौंवर चढ़े हुए हैं। वास्तविक और आसन्न खतरे हमारी सम्यताके समक्ष उपस्थित हैं। भारतके सन्दर्भमें भी वे खतरे उतने ही वास्तविक और आसन्न हैं जितने कि ब्रिटिश राष्ट्रकुलके अन्य राष्ट्रोंके सन्दर्भमें। वे आदर्श भारतके लिए भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने साम्राज्य या विश्वके किसी अन्य देशके लिए। राष्ट्रोंकी नियतिके इस गम्भीर क्षणमें सभी पक्षोंसे मेरी यही प्रार्थना होगी कि वे सबके हितके लिए किये जानेवाले इस प्रयत्नसे अपने-को अलग न रखें, बल्कि युद्ध-संचालनमें अपना सहयोग और सहायता प्रदान करें। इस युद्धने भारतको एकजुट होकर प्रयत्न करने का जो अवसर दिया है उसका वह पूरा-पूरा उपयोग करे—अपनी परम्पराओंके प्रति उसकी निष्ठाका इससे अधिक निर्णायक प्रभाव और कुछ नहीं हो सकता। हमने अपने सामने जो आदर्श रखे हैं, जिन लक्ष्योंकी प्राप्तिके लिए हम वर्तमान संघर्षमें लगे हुए हैं, वे भारतमें व्यापक सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने योग्य हैं। वे उसके विगत इतिहास और उच्चतम परम्पराओंसे मेल खाते हैं। मुझे आशा है कि हमारे सामने उपस्थित इस नाजुक क्षणमें भारत सबके हितोंसे सम्बद्ध उद्देश्यके समर्थनमें ऐक्यवद्ध देशके रूपमें आगे बढ़ेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १८-१०-१९३९

परिशिष्ट १३

कांग्रेस कार्य-समितिका प्रस्ताव^१

२२ अक्तूबर, १९३९

कार्य-समितिकी राय है कि समितिने ब्रिटेनको अपने युद्ध-लक्ष्योंको—खासकर जहाँतक वे भारतपर लागू होते हैं—घोषित करने का जो आमन्त्रण दिया था उसके उत्तरमें वाइसराय महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य सर्वथा असन्तोषजनक और भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्त करने को उत्प्रेक तथा तदर्थ कटिबद्ध लोगोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला है। यह आमन्त्रण न केवल भारतकी जनताकी ओरसे, बल्कि संसार-भरके शान्ति और स्वतन्त्रताकी नयी व्यवस्थाके लिए आकुल उन करोड़ों लोगोंकी ओरसे दिया गया था जो युद्ध तथा हिंसासे उन फासिस्टवादी और साम्राज्यवादी प्रणालियोंसे श्रान्त-क्लान्त हो चुके हैं जो राष्ट्रों और जनताका शोषण करती हैं और जिनके कारण अन्ततः युद्ध छिड़ा। वाइसराय महोदयके वक्तव्यमें फिर उसी पुरानी साम्राज्यीय नीतिको स्पष्ट रूपसे दोहराया गया है। विभिन्न पक्षोंके मत-

१. देखिये पृ० २९८, ३२४, ३३८, ३४० और ३८१।

भेदोंके उल्लेखको समिति ग्रेट ब्रिटेनके वास्तविक इरादोंपर परदा डालने की कोशिश मानती है। समितिने माँग यह की थी कि अपनी प्रामाणिकताके सबूतके रूपमें ब्रिटेन भारतके सम्बन्धमें अपने युद्ध-लक्ष्योंको घोषित करे, चाहे परस्पर-विरोधी पक्षों और गुटोका रुख कुछ भी हो। कांग्रेस सदासे अल्पसंख्यक समुदायोंके अधिकारोंकी पूर्ण सुरक्षाकी पक्षधर रही है। कांग्रेसने जिस स्वतन्त्रताकी माँग की वह कांग्रेस या किसी विशेष गुट या समुदायके लिए नहीं थी, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र और उस राष्ट्रका निर्माण करनेवाले भारतके सभी समुदायोंकी स्वतन्त्रता थी। इस स्वतन्त्रताको स्थापित करने और सम्पूर्ण राष्ट्रकी इच्छाका पता लगाने का एकमात्र उपाय सभी समुदायोंको पूर्ण अवसर देनेवाली लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है। इसलिए समिति वाइसरायके वक्तव्यको हर तरहसे दुर्भाग्यपूर्ण मानने को विवश है। इस परिस्थितिमें समिति ग्रेट ब्रिटेनको कोई समर्थन नहीं दे सकती, क्योंकि समर्थन देने का मतलब उस साम्राज्यवादी नीतिकी ताईद करना होगा जिसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस सदासे प्रयत्नशील रही है। इस दिशामें पहले कदमके रूपमें समिति कांग्रेस मन्त्रिमण्डलसे त्यागपत्र देने को कहती है।

समिति राष्ट्रसे हादिक अनुरोध करती है कि महान् संकटकी इस घड़ीमें वह सभी आन्तरिक विवादोंको समाप्त कर, भारतकी स्वतन्त्रताके लिए एकजुट होकर काम करे। समिति कांग्रेस कमेटियों और आम कांग्रेसजनोंसे आग्रह करती है कि वे परिस्थितिमें आनेवाले सभी मोड़ों और सभी सम्भाव्य घटनाओंका सामना करने के लिए तैयार रहें और अपने वचन तथा कर्ममें ऐसे संयमका परिचय दें जिससे कोई ऐसी बात कही या की न जा सके जो भारतकी प्रतिष्ठा और जिन सिद्धान्तोंका कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है उनके विरुद्ध हो। समिति कांग्रेसजनोंको सविनय अवज्ञा, राजनीतिक हड़तालो आदिके रूपमें जल्दबाजीमें कोई कदम न उठाने का आग्रह करती है। समिति परिस्थिति और भारतमें ग्रेट ब्रिटेनकी प्रवृत्तियोंपर नजर रखेगी, जब जरूरत होगी तब देशको आगे कदम उठाने का निर्देश देने में संकोच नहीं करेगी। समिति कांग्रेसजनोंको समझाना चाहती है कि देशके सामने जो महान् प्रश्न उपस्थित है उसको देखते हुए प्रतिरोधके किसी भी कार्यक्रमका तकाजा है कि कांग्रेसजनोंमें पूर्ण अनुशासन हो और कांग्रेस-संगठनको सुदृढ़ बनाया जाये।

कार्य-समिति यह महसूस करती है कि अतीतमें कांग्रेसने जो अहिंसक प्रतिरोध किया उसमें हिंसा भी समाविष्ट थी। समिति कांग्रेसजनोंको समझा देना चाहती है कि जो भी प्रतिरोध किया जाये वह हिंसासे सर्वथा मुक्त हो। समिति उन्हें १९२१ में ही, कांग्रेसके अहमदाबाद-अधिवेशनके दौरान ली गई और बादमें अनेक अवसरोंपर दोहराई गई इस आशयकी प्रतिज्ञाओंका स्मरण कराना चाहती है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१०-१९३९

परिशिष्ट १४

सर सैम्युअल होरका भाषण^१

२६ अक्तूबर, १९३९

भारतपर होनेवाली बहसोंमें श्री वेजवुड बेन और मैं अक्सर एक-दूसरेसे उलझते आये हैं। कभी-कभी हममें असहमति और बहुत ही जबरदस्त असहमति रही है। पर कभी-कभी सहमति भी हुई है। आज शामकी बहसमें . . . वाइए हम कुछ क्षण उन अवसरोपर दृष्टि डाले जब हम परस्पर सहमत रहे हैं। मुझे अच्छी तरह ऐसे एक अवसरकी याद है जब कोई आठ-नौ साल पहले इस सदनमें हमने लॉर्ड अर्विनकी उन आलोचकोके प्रहारोंसे रक्षा की थी जो यह कहते थे कि उन्हें महात्मा गांधीसे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। . . . मुझे विश्वास है कि वे और मैं इस बातपर सहमत हैं कि आज यह देखकर सन्तोष होता है कि वाइसराय प्रमुख सम्बन्धित दलोंके नेताओंसे मिल रहे हैं जिनमें चरमपंथी नेता भी, यहाँतक कि हैरोके मेरे पुराने सहपाठी पंडित नेहरू भी, शामिल हैं।

भारत-सम्बन्धी इन बहसोंमें श्री वेजवुड बेनके और मेरे पिछली बार भाग लेने के बाद विश्वमें बहुत-सी ऐसी घटनाएँ घटी हैं, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। . . . एक ऐसे समयमें जब यूरोपमें लोकतन्त्र नष्ट किये जा रहे थे, हमने भारतमें ग्यारह बड़ी लोकतान्त्रिक सरकारोंकी स्थापना होते देखी, जिन्होंने विश्वके लोकतान्त्रिक राष्ट्रोंकी शक्तिमें अभिवृद्धि की। इनसे निश्चय ही इस सदनके प्रत्येक सदस्यको बहुत सन्तोषका अनुभव होना चाहिए।

भारतीय उपलब्धिकी इसी पृष्ठभूमिमें इस साल ३ सितम्बरको भारत और ब्रिटिश राष्ट्रकुलके समक्ष युद्धका संकट उपस्थित हुआ। इस संकटके समय . . . भारत पाषाणिक शक्तिका प्रतिरोध करने के अपने संकल्पमें और उस खतरेको राष्ट्रकुलके हर भागके लिए एक समान खतरा मानने के अपने बोधमें एकजुट था। इस एकताको देखते हुए वाइसरायने भारतीय सद्भावना और सहयोगकी प्राप्तिके लिए अपनी सच्ची और हार्दिक इच्छाका परिचय दिया . . .। . . . वाइसरायने पहले भारतीय लोक-मतके नेताओंके साथ कई मुलाकातों की और उन मुलाकातोंके फलस्वरूप उन्होंने दो सुनिश्चित प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव एक प्रकारका वचन था। वह एक स्पष्ट और सुनिश्चित वक्तव्य था कि युद्ध समाप्त हो जाने पर सैवधानिक समस्याओंपर, पिछले कुछ सालोंके अनुभवकी रोशनीमें, फिरसे विचार किया जायेगा। दूसरेमें, भारतकी सलाहसे लाभ उठाने के खयालसे और भारतीय नेताओंको अपना विश्वास-

१. देखिए पृ० ३३७, ३५४, ३७०-७१ और ४१७-१८। यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

पात्र बनाने की गरजसे, उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक सलाहकार समिति बनाई जाये, जो युद्धके कारण पैदा होनेवाली बहुत-सी समस्याओंपर उनके साथ विचार-विमर्श करे और भारतीय लोकमतके ख्यानोंके साथ उनका निरन्तर घनिष्ठ सम्पर्क रखे। . . .

. . . सलाहकार समितिके प्रस्तावके पीछे पूर्णतया यह इच्छा थी कि भारतीय लोकमतकी प्रमुख संस्थाओंका यथासम्भव अधिकसे-अधिक सहयोग प्राप्त किया जाये। कांग्रेसने, जो निश्चय ही भारतका सबसे बड़ा दल है, इसे अस्वीकार कर दिया। गैर-कांग्रेसी भारतने — जिसमें स्मरण रहे करोडो भारतीय आते हैं — इसे सारतः स्वीकार कर लिया। यह पूछा जा सकता है कि क्या वाइसरायके लिए यह सम्भव न था कि वे और आगे बढ़ते और कोई ऐसा प्रस्ताव रखते जिससे भारतीय लोकमतके इस कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी विभाजनसे बचा जा सकता? यह पहला सवाल है और बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल है, जिसकी ओर मैं सदनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सदस्य यदि इसके गूढ़ार्थोंको समझना चाहते हैं तो उन्हें भारत सरकार अधिनियम पर हुई कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण वदोंको याद करना होगा। उनका केन्द्र-बिन्दु यह वचन था कि भारतीय नीतिका लक्ष्य औपनिवेशिक दर्जा है। जैसा कि श्री वेजबुड वेनने कहा है, ये वचन बार-बार दुहराये गये थे। भारत सरकार अधिनियमके द्वितीय वाचनकी प्रस्तावनामें मैंने जो भाषण दिया था उसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें उन वचनोंकी पुनः पुष्टि की गई थी।

मैंने यह स्पष्ट कर दिया था और आज फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि हम लॉर्ड अविनके वचनपर कायम हैं और जब हम औपनिवेशिक दर्जेकी बात करते हैं तो हमारा आशय वही होता है जो हम कहते हैं, और हमारा आशय सरकारकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहा है जिसमें भारत राष्ट्रकुलके अन्य सदस्योंके साथ बराबरीके दर्जेसे वचित रहे।

कुछ लोगोंका खयाल मालूम देता है कि औपनिवेशिक दर्जेकी कोई दो किस्में हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जिस औपनिवेशिक दर्जेकी बात सोचते हैं वह वही औपनिवेशिक दर्जा है जिसका वर्णन श्री वेजबुड वेनने किया है, अर्थात् १९२६ का औपनिवेशिक दर्जा। मैंने यह भी कहा था कि औपनिवेशिक दर्जा किसी योग्य समाजको दिया जानेवाला कोई पुरस्कार नहीं है, बल्कि जो तथ्य वस्तुतः अस्तित्वमें होते हैं उन्हींकी स्वीकृति है। जैसे ही ये तथ्य भारतमें अस्तित्वमें आते हैं, और मेरे विचारसे वे जितनी जल्दी अस्तित्वमें आयें उतना ही अच्छा है, वैसे ही हमारी नीतिका लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा। यदि कठिनाइयाँ मार्गमें आ रही हैं तो वे हमारी पैदा की हुई नहीं हैं। इस बड़े उपमहाद्वीपमें वगैरे और समुदायोंके जो बहुत-से भेद हैं, ये कठिनाइयाँ उनमें अन्तर्निहित हैं। इन भेदोंको दूर करना स्वयं भारतवासियोंका लक्ष्य होना चाहिए, जैसे कि इस कार्यमें भारतवासियोंकी सहायता करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

फूट डालने और राज करने की इच्छासे हम इतनी दूर हैं कि इन भेदोंको हम भारी मुसीबत मानते हैं और उन्हें मिटाने के लिए ज्यादासे-ज्यादा कोशिश करने को

तैयार है। इस विषयमें अपने सद्भावका हम परिचय दे चुके हैं। हमने जब साम्प्रदायिक पंच-फैसला दिया तो यह सद्भाव दिखाया था। मान लीजिए हमारी इच्छा फूट डालने और राज करने की होती तो उस समय हम कह सकते थे: 'पहले खुद अपने साम्प्रदायिक मतभेद सुलझाओ, जबतक आप उन्हें सुलझा नहीं लेते तब तक कोई संवैधानिक प्रगति नहीं हो सकती।' वह रास्ता हमने नहीं अपनाया, बल्कि खुद भारी जोखिम उठाते हुए और बहुत अधिक आलोचनाका सामना करते हुए, साम्प्रदायिक पंच-फैसला दिया, जिसके बिना प्रांतीय स्वायत्त शासन सम्भव ही न होता।

परन्तु हमारे पंच-फैसलेके बावजूद, ये भेद अब भी मौजूद हैं और जबतक ये मिट नहीं जाते तबतक अल्पसंख्यकोंके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। १९३५ में हमारी यह स्थिति थी, और आज हमारी यही स्थिति है। हम चाहते हैं कि ये भेद मिट जायें, लेकिन यदि हम इनके अस्तित्वकी ओरसे आँखें मूंद लें और उन्हें मानने से इन्कार कर दें तो हम इन्हें कभी मिटा नहीं सकेंगे? इन भेदोंके कारण ही केन्द्रमें उत्तरदायी सरकारकी स्थापना और एक अखिल भारतीय परिसंघके महान् आदर्शकी प्राप्ति का कार्य इतना कठिन हो गया।

नरेशोंको ब्रिटिश भारतके आधिपत्यका डर है, मुसलमान केन्द्रमें हिन्दुओंके बहुमतके कट्टर विरोधी हैं। दलित वर्ग और अन्य अल्पसंख्यक वस्तुतः यह सोचते हैं कि उत्तरदायी सरकार, अर्थात् हिन्दू बहुमतपर निर्भर सरकार, उनके हितोंको तिलांजलि दे देगी। ये दुश्चिन्ताएँ अब भी मौजूद रहेंगी। काश, ये न होतीं।

लेकिन जबतक ये मौजूद हैं, तबतक सरकारके लिए यह असम्भव है कि वह केन्द्रमें तुरन्त, एक निश्चित तिथिपर, पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम करनेकी माँग स्वीकार कर सके। यदि हमने ऐसा किया तो मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यकों और यूरोपीय समुदायको हम बार-बार बहुत ही गम्भीरतापूर्वक जो वचन दे चुके हैं वे सब झूठे हो जायेंगे।

यह कहा जा सकता है कि 'मान लीजिए, केन्द्रमें तुरन्त पूर्ण उत्तरदायी शासन असम्भव ही हो, तो भी क्या कुछ ऐसे अन्य कदम नहीं उठाये जा सकते जो हमारे सद्भावके सूचक हों और जिनसे भारतके आगे यह स्पष्ट हो जाये कि वह लक्ष्य हमारे ध्यानमें आज भी उसी तरह है जिस तरह कि चार वर्ष पहले उन वचनोंको देते समय था?' श्री वेजवुड बेनने खुद आज तीसरे पहर कई सुझाव रखे हैं और मैं उनपर विचार करनेकी कोशिश करूँगा। पहले मैं उनकी यह भ्रान्त धारणा दूर कर दूँ, जो मेरे खयालसे वे पाले हुए हैं, कि हम निकट भविष्यमें लन्दनमें एक शाही सामरिक मन्त्रिमण्डल स्थापित करनेकी बात सोच रहे हैं और उसमें भारतके एकसे अधिक प्रतिनिधि होने चाहिए। उस तरहका कोई शाही सामरिक मन्त्रिमण्डल स्थापित करनेका अभी कोई इरादा नहीं है। यदि कभी उसका समय आया तो मैं तब निश्चय ही उन विचारोंको ध्यानमें रखूँगा जो इस विषयमें उन्होंने व्यक्त किये हैं और मैं समझता हूँ कि उनपर बहुत ही सावधानीसे विचार किया जायेगा।

उसके बाद वे उस योजनापर बोले थे जिसपर पहले एकाधिक बार बहस हो चुकी है। उन्होंने पूछा था : “वाइसरायकी कौंसिलमें राजनीतिक नेताओंको शामिल करना क्या सम्भव न होगा, जिनके पास कि कुछ बड़े-बड़े विभाग रहें ?” मैं कह चुका हूँ कि यह कोई नया सुझाव नहीं है। जहाँतक मुझे याद है, सयुक्त प्रवर समितिमें हुई बहसमें यह रखा गया है।

मेरा खयाल है कि एक समय स्वयं विरोधी पक्षके नेताने यह सुझाव रखा था। तब हमने इसपर पूरी तरह विचार किया था और उस समय इसे स्वीकार करने में हमें अपने आगे कुछ कठिनाइयाँ नजर आई थी। उन कठिनाइयोंको मैं आज गिनाने नहीं जा रहा हूँ। मैं द्वार बन्द करना नहीं चाहता, बल्कि भारत सरकार अधिनियमकी सीमाओंके अन्तर्गत जितनी भी सम्भावनाएँ हैं मैं उन सबकी छानवीन करना चाहता हूँ। . . .

. . . उसके बाद श्री वेजवुड बेनने उस विचार-विमर्शकी चर्चा की थी जो पिछले युद्धके दौरान सविधानके विषयपर हुआ था। उन्होंने मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड विचार-विमर्शका उल्लेख करते हुए पूछा था कि क्या इस युद्धके दौरान उस तरहका विचार-विमर्श सम्भव होगा।

इसका कोई अन्तिम उत्तर तो मैं नहीं देना चाहता, पर यह जरूर बताना चाहूँगा कि कुछ मामलोंमें आज परिस्थिति मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड विचार-विमर्शके समयकी परिस्थितिके काफी भिन्न है। समस्याएँ तब इतनी कटु नहीं हुई थी जितनी कि आज हो गई हैं। खास तौरपर मैं साम्प्रदायिक समस्याकी बात सोच रहा हूँ। इसके अलावा कमसे-कम युद्धके आरम्भमें उस तरहके विचार-विमर्शका होना मुझे असम्भव लगता है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड विचार-विमर्श, मेरे खयालसे, पिछला युद्ध छिड़ने के तीन वर्ष बाद हुआ था। फिर भी, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इस तरहके मुद्देपर मैं आज कोई अन्तिम उत्तर देना नहीं चाहूँगा।

एक और मुद्देपर भी, जो श्री वेजवुड बेनने उठाया है, यानी कि भारतमें आम चुनाव होने चाहिए, मैं कोई अन्तिम उत्तर नहीं दूँगा। कमसे-कम युद्धके आरम्भमें आम चुनाव मुझे प्रायः असम्भव लगते हैं। भारतमें अधिकारी रात-दिन युद्धके कार्यमें लगे हैं। इसके अलावा, तथ्य यह है कि चुनावमें साम्प्रदायिक भावनाएँ, मुझे यकीन है, बहुत बढ़क जायेंगी। इस विषयमें मैं कोई सिद्धान्त तो बनाना नहीं चाहता और न ‘कदापि नहीं’, ‘किसी भी हालतमें नहीं’-जैसे शब्द ही प्रयुक्त करना चाहता हूँ, पर यह जरूर कहना चाहूँगा कि आज जो हालात हैं उनमें केन्द्रीय विधान-सभाके लिए आम चुनाव, मेरी रायमें, असम्भव होगा।

सलाह-मशविरके व्यापक प्रश्नपर लौटते हुए मैं बता दूँ कि वाइसराय इस सलाह-मशविरके लिए किन्हीं निश्चित तरीकोंके प्रति बद्ध नहीं हैं। यह मूलतः ऐसा प्रश्न है जिसे उन्हें और राजनीतिक नेताओंको परस्पर हल करना है। मैं यह कह सकता हूँ कि वे नेताओंके साथ उसके तरीके और तफसीलोंके बारेमें विचार-विमर्श करने को तैयार हैं, और उनका विचार इस विचार-विमर्शके लिए तुरन्त मिलने को

उन्हें निमन्त्रण भेजने का है। जबतक यह और अन्य विचार-विमर्श नहीं हो जाता तबतक कोई निर्णायक स्वर अपनाना, मेरे विचारमें बड़ी भारी गलती होगी। भारतीय नेताओंको इन सम्भावनाओंको तोलना चाहिए। उन्हें वाइसरायसे मिलकर एक बार फिर इसपर विचार-विमर्श करना चाहिए और उन्हें इसके विकल्पोंपर भी एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए।

जहाँतक केन्द्रमें सीधा और तुरन्त उत्तरदायी शासनके विकल्पका प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मैंने सदनको यह यकीन दिला दिया है कि आजकी परिस्थितियोंमें इस तरहके विकल्पको स्वीकार करना असम्भव है।

मैं एक दूसरे विकल्पपर आता हूँ और चाहूँगा कि भारतीय नेता एक बार फिर उसपर गम्भीरतासे विचार करें। चाहता तो असलमें मैं यह था कि मुझे उसकी कतई चर्चा न करनी पड़ती। वह विकल्प असहयोगका है, एक ऐसा विकल्प जिसके अधीन भारतीय कांग्रेस अपने रास्तेपर चलेगी और ब्रिटिश सरकार तथा भारतके अल्पसंख्यक सम्प्रदाय अपने रास्तेपर चलेगे। यदि बात इसपर आ जाती है तो हमारे पास कोई और चारा नहीं रह जायेगा। सम्राटकी सरकार चालू रहनी ही चाहिए और वह कुशलता, ओज और न्यायके साथ चालू रहेगी। जैसा कि इस तरहकी परिस्थितियोंमें कोई भी सरकार करेगी, हम वाइसरायको अपना पूरा समर्थन देंगे। परन्तु भारत और ब्रिटेनके हर सदाशयी व्यक्तिको यह सोचना चाहिए कि असहयोगके इस तरहके अध्यायका अर्थ कितनी बरबादी होगी। इतने सालोंतक गोलमेज सम्मेलनों, संयुक्त प्रवर समितियों और इस सदनकी बहसोंमें हमने जो सैद्धान्तिक प्रयास किये हैं, वे सब व्यर्थ हो जायेंगे। . . .

मैं जब इंडिया ऑफिसमें आया तब असहयोग पूरे जोरोंपर था। . . . मैंने आशा की थी कि जब यह अधिनियम अमलमें आयेगा तो यह अध्याय समाप्त हो जायेगा। परन्तु आज जब दुनियाके सामने उसके इतिहासका सबसे बड़ा संकट उपस्थित है—ऐसा संकट जिसमें हमारे लिए जो खतरा है वह भारतके लिए भी खतरा है और जो भारतके लिए खतरा है वह हमारे लिए भी खतरा है, जिसमें हम और भारत एक नई और बेहतर विश्वव्यवस्था स्थापित करने का एक-जैसा बड़ा संकल्प रखते हैं—तब भी यह अध्याय चालू है। इस बातका भारी खतरा है कि इस तरह हम ऐसी स्थितिमें पहुँच सकते हैं कि एक समान मोर्चेपर कुर्मनसे लड़ने के बजाय हम परस्पर एक-दूसरेसे ही झगड़ते रहें।

मुझे बताया गया है, यद्यपि मैं इसपर मुश्किलसे ही यकीन कर पाता हूँ कि भारतमें कुछ क्षेत्रोंमें यह कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार टकरावके लिए बहाना खोज रही है। मैं पूरी शक्तसे इस बातका खण्डन करता हूँ। ब्रिटिश सरकार सहयोग चाहती है, टकराव नहीं। ब्रिटिश सरकार अपनी नीतिके ध्येयको पूरा हुआ देखना चाहती है और उन परिस्थितियोंको प्राप्त करना चाहती है जिनमें भारत स्वतन्त्र जातियोंके ब्रिटिश राष्ट्रकुलमें अपना वास्तविक स्थान ग्रहण कर सके। असहयोग हमें वापस वर्षों पूर्वकी परिस्थितिमें ले जा सकता है। उसके प्रवर्तक चाहे ऐसा चाहें या न चाहें, पर असहयोग हमें सविनय अवज्ञा, कानून और व्यवस्थाके उल्लंघन

और दंगे एवं दमनके उस दुश्चक्रकी ओर ले जाता है जिससे हमेशाके लिए बच निकलने की हमने आशा क्री थी।

जबतक कि ये चीजें वस्तुतः होती नहीं हैं, तबतक तो मैं यही मानूंगा कि ये होनेवाली नहीं हैं। मेरा बराबर यह विश्वास रहेगा कि ऐसे समयमें जब हमारी और भारतकी महान् जनताके सामने एक समान खतरा है और जब वे एक समान आदर्श से प्रेरित हैं, एक बड़े समुदायका असहयोग करना जबरदस्त मुसीबत और बरबादी होगी। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतोंके लाखों भारतवासी मेरे इस विचार से सहमत हैं। हमारे साथ सहयोग करने की उनमें उत्तनी ही इच्छा है जितनी कि उनके साथ काम करने की हममें है। खुद कांग्रेस पार्टी — अभी तीन दिन पहले श्री गांधी द्वारा कहे शब्दोंका ही प्रयोग कर्हें तो — “अपना नैतिक समर्थन देकर, जो कि उसकी विशेषता है, ब्रिटेनकी सहायता करना चाहती है। कांग्रेस यह समर्थन तबतक नहीं देगी जबतक कि उसे ब्रिटेनकी नैतिक स्थितिकी पूर्ण निर्दोषताका विश्वास नहीं हो जायेगा।”

मेरा यह दावा है कि हमारी स्थिति पूर्णतया निर्दोष है। हमने भारतमें सद्-भावना और सच्ची लगनके साथ इतना बड़ा सर्वैधानिक प्रयोग आरम्भ किया है जितना कि विश्वमें अबतक कभी नहीं हुआ। साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाएँ हम बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। हमारा यह विश्वास है कि हमारा ध्येय विश्वमें दूसरे लोगों पर राज करना नहीं है, बल्कि वे खुद अपनेपर राज कर सकें, इसमें उनकी सहायता करना है। इसी भावनासे पार्लियामेंटने कई ऐसे महान् अधिनियम पास किये हैं जिनसे उपनिवेशोंको उनका स्वतन्त्र सविधान मिला है। १९३५ का भारत सरकार अधिनियम हमने इसी भावनासे पास किया है, जिसके अधीन हमने, स्वयं अपनी इच्छासे भारत सरकारको व्यापक अधिकार सौंपे हैं। इस अधिनियमको हम इसी भावनासे लागू करना चाहते हैं और पूर्ण उपलब्धकी राहमें जो भेद आड़े आ रहे हैं उन्हें इस युद्धके दौरान दूर करने की हम भरसक कोशिश करना चाहते हैं। और युद्ध समाप्त हो जाने पर, और साम्राज्यके संयुक्त प्रयत्नोंके फलस्वरूप विजयके साथ समाप्त हो जाने पर, हम तुरन्त उन सर्वैधानिक कठिनाइयोंसे जूझनेवाले हैं जिन्हें पिछले कुछ सालोंमें हमने अनुभव किया है। तेजीसे और लगातार होनेवाली इस प्रगतिको असहयोग और केवल असहयोग ही रोकेंगा। . . . दुनियाके इतिहासकी यह सबसे नाजुक घड़ी हमारे दोनों देशोंके लोगोंको आक्रमणकारीका प्रतिरोध करने, पाशविक शक्तियोंसे जूझने और एक नई और बेहतर विद्व-व्यवस्थाका निर्माण करने के लिए पुकार रही है — ऐसी व्यवस्थाका निर्माण करने के लिए जिसमें हम और भारतवासी आजादीसे अपने न्यायसगत कार्य कर सकें और उस खतरेसे मुक्त रहें जो आजकल इस पीड़ित जगके बहुत-से भागोंमें रात-दिन बना हुआ है। समुक्त मोर्चेको इस तरह भंग करना इस पुकारको अस्वीकार करना होगा।

प्रधान मन्त्रीके १२ अक्तूबरके वक्तव्यमें प्रयुक्त शब्दोंमें कर्हें तो “हम इस युद्धमें स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए ही कूदे, कोई प्रतिशोवकी भावनासे नहीं।” आज

केवल छोटे राष्ट्रोंकी ही स्वतन्त्रता खतरमें नहीं है। ब्रिटेन, उपनिवेश, भारत, ब्रिटिश साम्राज्यके बाकी हिस्सों, फ्रान्स और वस्तुतः सभी स्वतन्त्रता-प्रेमी राष्ट्रोंका शान्तिपूर्ण अस्तित्व खतरमें है। वर्तमान संघर्षका परिणाम चाहे जो हो और इसकी समाप्ति चाहे किसी भी तरीकेसे हो, पर दुनिया जैसी पहले थी वैसी नहीं रहेगी। . . . इस नई दुनियामें भारतको एक बड़ी भूमिका अदा करनी है और शायद किसी भी एशियाई देशकी अपेक्षा बड़े क्षेत्रमें अदा करनी है। इसे ब्रिटिश राष्ट्रकुलमें भी एक बड़ी भूमिका अदा करनी है, क्योंकि यह इस बातका एक घाह और सुस्पष्ट चिह्न होगा कि हममें किसी भी तरहका जातीय भेदभाव नहीं है। इसे पूरी दुनियामें एक बड़ी भूमिका अदा करनी है, क्योंकि भारतको राष्ट्र संघके एक नमूनेकी तरह सामने आना होगा, जिसमें से युद्ध अनेक पीढ़ियोंके लिए समाप्त हो गया होगा और कानून एवं इन्साफका शासन मजबूतीसे कायम हो गया होगा। इस महान् आशाको सामने रखते हुए हमें असहयोगकी बंजर राह हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए और इस युद्धको जीतने और शान्ति प्राप्त करनेके लिए तथा इस दुहरी विजयमें भारतकी आशाओंकी पूर्तिकी ओर एक बड़ा कदम उठाने के लिए एक-दूसरेकी सहायता करनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २७-१०-१९३९; द इंडियन एन्युअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० ३९८-४०३ भी।

परिशिष्ट १५

त्रावणकोर सरकारकी प्रेस-विज्ञप्ति^१

२३ सितम्बर, १९३९ को जारी की गई एक विज्ञप्तिमें त्रावणकोर सरकारने बताया है कि वर्तमान परिस्थिति तथा आयात और निर्यातपर त्रावणकोरकी तरह निर्भर प्रदेशमें युद्ध-जनित प्रतिकूल परिस्थितियोंसे प्रभावित प्रजाकी औद्योगिक तथा आर्थिक अवस्थाको ध्यानमें रखते हुए सरकार इस समय आन्दोलनकी किसी संगठित योजनाको सहन नहीं कर सकती। सरकारने चेतावनी दी कि ऐसे आन्दोलनकी योजनाके निश्चय ही गम्भीर परिणाम होंगे, और रियासतकी विधि-पालक प्रजाको संरक्षण देनेके कर्तव्यसे बंधी सरकारको स्थितिको सामान्य बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ करने की विवश होना पड़ेगा।

त्रावणकोर रियासत कांग्रेसने अब मलाबार जन्त्रीके अनुसार हर महीनेकी ८, १६ और २४ तारीखको सार्वजनिक सभाएँ आयोजित करने की व्यवस्था की है। इन तीनों दिनोंको क्रमशः नागरिक स्वतन्त्रता दिवस, उत्तरदायी सरकार दिवस

और राजनीतिक कैदी-दिवसकी संज्ञा दी गई है। स्वयंसेवकोंकी सभाएँ करने, प्रशिक्षण-केन्द्र खोलने और जिसे संगठन-कार्य कहा गया है, उसे करने का भी विचार है। इस बातको लक्ष्य किया गया है कि ये प्रदर्शन महाराजा साहवकी जन्म-तिथिसे सम्बन्धित समारोहोंके आयोजनकी शुरुआतसे एक दिन पहले आरम्भ होने को है।

सभी लोगोंको इन प्रदर्शनों और सभाओंसे अलग रहने को आगाह किया जाता है; और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे इन्तहारों, पत्तों आदिके माध्यमसे जन-मतको न भड़कायें और आन्दोलन तथा अशान्तिको बढ़ावा न दें। ऐसे आन्दोलन या प्रदर्शनोंमें भाग लेनेवाले लोगोंके खिलाफ, उन्हें कोई और पूर्व-सूचना दिये बिना, श्रावणकोर सुरक्षा अधिघोषणा तथा नियमके अधीन कार्रवाई की जायेगी।

सरकारका मुख्य सचिव

हुजूर कचहरी, त्रिवेन्द्रम,

३० अक्तूबर, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ११-११-१९३९

परिशिष्ट १६

वाइसरायकी रेडियोपर प्रसारित घोषणा^१

बड़े दुःखके साथ मुझे यह घोषित करना पड़ रहा है कि मेरे आमन्त्रणपर कांग्रेस और मुस्लिम लीगके प्रतिनिधियोंके बीच जो वार्ता आरम्भ हुई थी, उसका अभीतक वैसे कोई परिणाम नहीं निकला है जिसकी मुझे आशा थी। ऐसे नाजुक समयमें इतने महत्त्वपूर्ण मामलेके सम्बन्धमें देशको यह जानने का अधिकार है कि जिस बातपर विचार करने के लिए मैंने उक्त दो संस्थाओंके अपने मित्रोंको आमन्त्रित किया था, वह क्या थी। कल मैं जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित करूँगा, उससे स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जायेगी। अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन चर्चाओंके पीछे मेरा उद्देश्य इन बड़े दलोंके नेताओंको आपसमें मिलवाकर, उनके बीच होनेवाले व्यक्तिगत सम्पर्क और मेरी ओरसे दी जानेवाली यत्किन्चित् सहायताके परिणामस्वरूप, उनके बीच प्रान्तोंमें उनके लेखे, ऐसी सहमति पैदा करने का था जिससे वे युद्ध-कालमें केन्द्रमें ऐसी रचनात्मक प्रगतिके लिए प्रस्ताव पेश कर सकें जो गवर्नर-जनरलकी कार्यकारिणी परिषद्के विस्तार और उसमें राजनीतिक नेताओंके समावेशके रूपमें सामने आयेगी।

मेरी १७^१ अक्तूबरकी घोषणामें एक सलाहकार समितिकी तजवीज थी। इतनी भयाहित ढंगकी व्यवस्थाका प्रस्ताव केवल इसलिए किया गया था कि देशकी

१. देखिए पृ० ३७६-७८ और ४१७-१८।

२. साधन-सूत्रमें "१८" है; देखिए परिशिष्ट १२।

बड़ी-बड़ी कौमोंके बीच स्पष्ट मतभेद हैं। अगर ऐसी मर्यादित ढंगकी व्यवस्था न की जाती तो इन मतभेदोंके रहते इस बातकी कोई आशा नहीं थी कि केन्द्रमें मेरी कार्यकारिणी परिषद्की संयुक्त सदस्यताके सिद्धान्तके आधारपर काम-काज तालमेलके साथ चल सकेगा, हालांकि ऐसे समयमें काम-काज इस तरह तालमेलके साथ चले, यह सर्वोपरि महत्त्वकी बात थी। इस सबके बावजूद मुझे यह मानना पड़ता है कि वह समिति भविष्यके लिए बड़ी-बड़ी सम्भावनाओंसे आपूरित है—ऐसी सम्भावनाओंसे जो, मुझे यकीन है, आम तौरपर जितना माना जाता है उससे गुस्तर हैं।

कहने की जरूरत नहीं कि यह मेरे लिए बड़ी निराशाकी बात है कि सम्राट्की सरकार द्वारा, जिन नेताओंसे मैंने बातचीत की उनके और उनके मित्रों द्वारा तथा स्वयं मेरी ओरसे किये गये इतने अधिक प्रयत्नके बावजूद हमारे पास दिखाने को कोई परिणाम नहीं है और हमारे सामने सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं रह गया है कि कई प्रान्तोंमें हम आपातस्थिति-सम्बन्धी उन धाराओंका इस्तेमाल करें जिन्हें इस प्रयोजनसे भारत सरकार अधिनियममें दाखिल किया गया है। जहाँतक उन धाराओंका सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वे कोई विधान नहीं, बल्कि परिस्थिति-विशेषसे निबटने के लिए अपनाये गये कार्य-साधक उपाय हैं। उनके इस्तेमालके सम्बन्धमें अपनी प्रबल भावनाकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति मैं उस उद्धरणका भावार्थ प्रस्तुत करके ही दे सकता हूँ जो अरबी लिपिमें फतहपुर सीकरी के दरवाजेपर अंकित है। उद्धरणमें कहा गया है : “जिन्दगी एक पुल है—ऐसा पुल जिसपर से तुम अवश्य गुजरोगे। लेकिन उसपर अपना घर कभी मत बनाना।”

ऐसा भी नहीं है कि व्यापकतर क्षेत्रमें मैं इस निराशाको अन्तिम तथ्यकी तरह स्वीकार करने को तैयार हूँ या उस प्रयत्नको छोड़ देने का इरादा रखता हूँ जो इस देशके विभिन्न समुदायोंके मतभेदोंको मंत्रीपूर्ण रीतिसे निबटाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि हम अपने समान लक्ष्योंकी प्राप्तिके लिए आपसमें सहयोग करते रह सकें। जिन मतभेदों और कठिनाइयोंके कारण आज भारतमें संवैधानिक प्रगति और समान लक्ष्यकी यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र प्राप्तिके मार्गमें बाधा उपस्थित होने—बल्कि प्रतिगमनकी स्थिति उत्पन्न होने—का खतरा पैदा हो गया है, वे स्वतः समाप्त होनेवाली नहीं हैं, और न महज इस कारण मिट जानेवाली हैं कि हम उनके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते। उनका समाधान तो आपसी लिहाज-मुरखत और विश्वासकी भावनासे तथा सफल होनेके संकल्पके साथ चलाई जानेवाली पारस्परिक वार्ताओंसे ही होगा।

आजकी रात मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं भारतीय जनता तथा बड़ी-बड़ी राजनीतिक संस्थाओं—उनके सदस्यों और नेताओं—से अनुरोध करूँगा कि मैं जो प्रयत्न जारी रखना चाहता हूँ, उसके प्रति वे धीरज और सद्भावनासे काम लें।

कठिनाइयाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं। वे कितनी बड़ी हैं, यह बात पिछले छह सप्ताहोंकी घटनाओंसे बिलकुल स्पष्ट हो गई है। लेकिन उनका समाधान ढूँढने का

प्रयत्न अनिवार्य और अत्यावश्यक है, और चाहे मैं सफल होऊँ या विफल, उस परिणामको प्राप्त करने में मैं कुछ भी उठा नहीं रखूँगा जिसकी कामना, मैं जानता हूँ, उन सब लोगोंके हृदयोंमें है जिन्हें भारत और उसके भविष्यकी चिन्ता है।

[अंग्रेजीसे]

द इंडियन एन्थ्रॉपल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० २४५

परिशिष्ट १७

नेताओंके साथ हुए पत्र-व्यवहारके प्रकाशनपर वाइसरायकी प्रस्तावित टिप्पणियाँ^१

५ नवम्बर, १९३९

उसके बाद मैंने श्री गांधी, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद और श्री जिन्नाको १ नवम्बर को आकर मुझसे मिलने को आमन्त्रित किया, और हमने उनके साथ पूरी स्थितिकी चर्चा खुले दिलसे की। उनके साथ अपनी पिछली मुलाकातोंके दौरान उनसे— और वास्तवमें अपने लगभग सारे मुलाकातियोंसे— गवर्नर-जनरलकी परिषद्के विस्तारकी सम्भावनापर विभिन्न दृष्टिकोणोंसे मैं चर्चा कर चुका था। अब मैंने उन्हें बताया कि केन्द्रमें भारतीय नेताओंकी भागीदारीके सम्बन्धमें यदि हम सलाहकार मण्डल-भर स्थापित करने की तजवीजसे आगे बढ़ने में असमर्थ हैं तो उसका कारण वही कौमोंके बीच ऐसी पूर्व-सहमतिका अभाव है जिससे केन्द्रका कार्य ताल-मेलके साथ चल सके। मैंने यह भी कहा कि २२ अक्टूबरको कांग्रेस कार्य-समिति और मुस्लिम लीग द्वारा जारी किये गये घोषणापत्रोंसे इन दोनों बड़े दलोंके बीचका अन्तर और भी स्पष्ट हो गया।

इन परिस्थितियोंमें मैंने अपने मुलाकातियोंसे अनुरोध किया कि वे आपसमें मिलकर प्रान्तीय स्थितिपर इस दृष्टिसे बातचीत करें कि आगे वे आपसी सह-मतिसे ऐसे प्रस्ताव रख सकें जिनपर केन्द्रमें गवर्नर-जनरलकी परिषद्के सदस्योंकी सख्या बढ़ाने की बातको ध्यानमें रखकर विचार किया जा सके। मैंने उनसे कहा कि प्रान्तीमें उनके बीच जो मतभेद है, उससे सम्बन्धित हरएक तफसीलका निवटारा हो जाये, यह मैं जरूरी नहीं मानता। आवश्यकता मतभेदोंको सिर्फ इस हदतक मिटाने की है जिससे केन्द्रमें ठीक सहयोगकी योजना तैयार करना सम्भव हो जाये। मैंने उनसे हार्दिक अनुरोध किया कि आपसी सहमतिपर पहुँचने के लिए वे कुछ भी उठा नहीं रखें। मैंने उन्हें समझाया कि यह तो तत्त्वतः भारतीयोंको प्रभावित करनेवाला प्रदन है और मैं जिस बातके लिए उत्सुक हूँ, वह यह है कि

१. देखिए पृ० ३७६-७८, ३८३-८४ और ४१७-१८। यहाँ प्राक्कथनके कुछ अंश भी दिये जा रहे हैं।

इस प्रश्नपर स्वयं भारतीयोंके बीच सहमति हो जाये। मैंने न केवल अपनी बल्कि सम्राट्की सरकारकी भी इस गहरी चिन्ताको दुहराया कि ऐसा कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए जो इस तरहकी सहमतिमें सहायक हो सके।

मेरी सुझाई चर्चाएँ हो चुकी हैं। लेकिन इनके परिणामस्वरूप मुझे घोर निराशा ही हाथ लगी है। आज स्थिति यह है कि मुख्य दलोंके प्रतिनिधियोंके बीच बुनियादी सवालोकें सम्बन्धमें पूरी-की-पूरी असहमति कायम है। मैं इतना ही कहूँगा कि इस विफलताको मैं सिर झुकाकर स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। उचित समय आने पर इन दलों और देशी नरेशोंसे परामर्श करके मैं फिर यह देखने की कोशिश करूँगा कि अब भी एकता हासिल करने की सम्भावना है या नहीं। मैं जबसे भारतमें हूँ तबसे एकता स्थापित करने से अधिक चिन्ता मैंने और किसी बातकी नहीं की है, और शायद हमेशा जितना समझा जाता उसकी अपेक्षा भारत के लिए एकताका महत्त्व बहुत ज्यादा है। एकताका मतलब यह भी है कि भारतीय चाहे किसी भी कौम या दलके हो और वे चाहे ब्रिटिश भारतमें रहते हों या रियासतोंमें, वे एक सामान्य योजनाके अन्तर्गत आपसमें मिल-जुलकर काम करें। उन्नत स्थिति प्राप्त करने की कोशिशका बहुत बड़ा महत्त्व है। अबतक मैं भले ही असफल रहा होऊँ लेकिन मैं फिर कोशिश करूँगा। और जब मैं फिर कोशिश करूँगा उस समय भारतसे मेरी कठिनाइयोंको समझने और मुझे हार्दिक शुभेच्छा और सहायता करने की दिली ख्वाहिश रखने का श्रेय देने को कहूँगा। हम एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसके समक्ष इस देशकी महान् संस्थाओंके ऐक्यबद्ध प्रयत्न भी नाकाम हो गये। जिन मतभेदोंको ध्यानमें रखकर हमें चलना है और जिन्हें हमें पाटना है, वे बहुत गहरे हैं। अनेक ऐसे प्रबल और बड़मूल हित हैं जिनका अधिकसे-अधिक खयाल किया जाना है और जिन्हें मामूली समझकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनके सदस्योंकी संख्या बहुत बड़ी है और जो ऐतिहासिक महत्त्व तथा संस्कृतिकी दृष्टिसे महान् हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें यथेष्ट महत्त्व दिया जाना है। किन्तु समस्याओंके बहुत जटिल होते हुए भी मैं उन्हें समाधानसे परे नहीं समझता, और मैं यह मानना चाहूँगा कि अगर सद्भावनापूर्वक और धीरजके साथ इनके सम्बन्धमें आपसमें बातचीत की जाये तो अन्य मानवीय समस्याओंकी तरह इनका समाधान भी हो सकता है। इन दलोंके नेताओंके साथ मेरी पूरी बातचीतमें मैत्रीकी जो भावना व्याप्त रही, उससे मेरी इस मान्यताको और भी बल मिलता है। इस देशसे, इन महान् दलों के नेताओं और इनके उन अनुभामियोंसे, जिनका उन नेताओंमें निस्सन्देह पूर्ण विश्वास है और जिन्हें बहुत सुयोग्य नेतृत्व मिल रहा है, मैं कहूँगा कि यदि इस बातकी कोई आशा कायम रहनी है कि हम अपनी कठिनाइयोंपर पार पा लेंगे और जिस परिणामकी कामना निस्सन्देह सबको है, वह परिणाम प्राप्त हो जायेगा तो जिस सहायताकी मुझे इतनी अधिक जरूरत है, वह सहायता वे दें।

[अंग्रेजीसे]

द इंडियन एन्युअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० ४११

परिशिष्ट १८

लॉर्ड जेडलैण्डका वक्तव्य^१

७ नवम्बर, १९३९

इस विषयपर कुछ कहने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ, और यदि मेरा उत्तर कुछ लम्बा हो जाये तो आशा करता हूँ कि सदन मुझे क्षमा करेगा।

कहने की जरूरत नहीं कि गवर्नर-जनरल कांग्रेस और मुस्लिम लीगके प्रतिनिधियों के बीच समझौता कराने के लिए पिछले हफ्ते जो वात्सा चला रहे थे, उसकी विफलता का उन्हीं की तरह सम्राट्की सरकारको भी गहरा दुःख है। क्या मैं सदनको याद दिला सकता हूँ कि गत कई सप्ताहोंसे गवर्नर-जनरल धैर्यपूर्वक पहले जो बातचीत चला रहे थे, उससे उन्हें यकीन हो गया था कि जिन प्रान्तोंमें कांग्रेस सत्तारूढ़ है उनमें अपनी स्थितिके सम्बन्धमें मुसलमानोंको महसूस होनेवाली कठिनाइयोंका जबतक कोई समाधान नहीं निकल आता, तबतक उन योजनाओंपर किसी प्रकारकी सहमति प्राप्त करने की सम्भावना नगण्य थी जिनका विचार गवर्नर-जनरल युद्ध-संचालनकी दृष्टिसे भारतीयोंको भारतकी केन्द्रीय सरकारमें सहभागी बनाने के उद्देश्यसे कर रहे थे?

कल प्रकाशित दस्तावेजोंसे सदनको मालूम हो गया होगा कि जबतक सम्राट्की सरकार इस आशयकी घोषणा करने को तैयार नहीं हो जाती कि भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है और यदि वह यथासम्भव व्यापकतम मताधिकारके आधारपर निर्वाचित संविधान-सभाके माध्यमसे और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके धारमें आपसमें समझौता करके, अपनी भावी शासन-व्यवस्थाका स्वरूप तय करता है तो सम्राट्की सरकार उसका कोई विरोध नहीं करेगी तबतक कांग्रेसने वैसी ठोस योजनाओंपर विचार करने से साफ इन्कार कर दिया है जैसी योजनाओंकी रूपरेखा गवर्नर-जनरलने प्रस्तुत की है। कांग्रेसने तदनु रूप आगे यह रख भी अक्षितयार किया है—और लगता है अब भी वह अपने इस रखपर कायम है—कि भारतमें प्रजातिगत और धर्मगत अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इस बातकी इस सन्दर्भमें कोई प्रासंगिकता नहीं है, और कांग्रेसका मंशा सदासे यह रहा है कि स्वयं भारतीयों द्वारा बनाये जानेवाले संविधानके माध्यमसे अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंको ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाये जो स्वयं अल्प-संख्यकोंको स्वीकार्य हो।

१. देखिए पृ० ३७८ और ४१७-१८।

सम्राट्की सरकारको इस स्थितिको स्वीकार करना असम्भव लगता है। भारत से दीर्घ कालके सम्बन्धके फलस्वरूप सम्राट्की सरकारपर उसके प्रति कुछ ऐसे दायित्व आ गये हैं कि उसके भावी शासन-विधानकी रचनासे सर्वथा तटस्थ रहकर उन दायित्वोका त्याग करना उसके लिए असम्भव है। इसके अतिरिक्त, गवर्नर-जनरल हालमें भारतके सभी दलों और हितोंके प्रतिनिधियोंके साथ जो बातचीत चलाते रहे हैं, उसका एक विशिष्ट परिणाम यह हुआ है कि यह बात असन्दिग्ध रूपसे सिद्ध हो गई है कि जैसी घोषणाका सुझाव दिया गया है वैसी घोषणा करके सम्राट्की सरकार आनन-फानन भारतमें अपनी वर्तमान स्थितिको समाप्त कर दे, यह चीज भारतकी आबादीके बहुत बड़े हिस्सेको कभी स्वीकार्य नहीं होगी।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतको अपनी सामर्थ्य-भर ऐसी सहायता देने के हमारे सकल्पमें कोई शिथिलता आई है जिससे वह ब्रिटिश राष्ट्रकुलमें अपनी वह स्थिति अनावश्यक विलम्बके बिना प्राप्त कर ले जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हालमें कामन्स सभामें भारतपर हुई बहसके दौरान लॉर्ड प्रीवी सीलने भारतके लिए सोचे जा रहे दर्जेके रूपमें "१९२६ के औपनिवेशिक दर्जे" का जो उल्लेख किया था उससे भारतमें कुछ शंका-सन्देह उत्पन्न हो गये हैं। इस अवसरपर मैं उन सन्देहोंका निवारण कर देना चाहता हूँ। मुझे मालूम हुआ है, ऐसी शंका व्यक्त की गई है कि १९३१ में वेस्टमिन्स्टर अधिनियमके पारित हो जाने से उन उपनिवेशोंका दर्जा, जिनपर यह अधिनियम लागू होता है, उस दर्जेसे कुछ भिन्न और ऊपर हो गया है जिसका वर्णन १९२६ के साम्राज्यीय सम्मेलनमें समाविष्ट बालफर अधिघोषणामें किया गया है।

चाहे जो हो, सदनको मेरी इस बातका विश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ऐसी शंका निराधार है। मेरे माननीय मित्र (सर सैम्युअल होर) ने १९२६ के औपनिवेशिक दर्जेका उल्लेख इसलिए किया कि उसी वर्ष साम्राज्यीय सम्मेलनने उपनिवेशोंका दर्जा परिभाषित किया था और सम्मेलन द्वारा परिभाषित दर्जेको तबसे घटित होनेवाली किसी भी बातने परिवर्तित नहीं किया है, और वेस्टमिन्स्टर अधिनियमने मात्र इतना ही किया कि उस समयकी स्वीकृत संवैधानिक स्थितिके कतिपय परिणामोंको वैधानिक रूप प्रदान कर दिया।

हमें उम्मीद थी कि यदि गवर्नर-जनरल द्वारा निर्दिष्ट योजनाएँ, जिनमें केन्द्रीय सरकारमें भारतके मुख्य राजनीतिक दलोंके नेताओंके शामिल किये जाने की खास तजवीज भी शामिल थी, कार्यान्वित कर दी गई तो उससे भारतके मार्गीकी आजकी मुख्य बाधा दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। गवर्नर-जनरलने स्पष्ट कर दिया है कि सम्बन्धित पक्ष इस मतलेपर नये सिरेसे विचार करेंगे, उनकी यह आशा इस विफलतासे समाप्त नहीं हुई है, और उन्होंने अवसर आने पर इस दिशामें भरसक अपनी सेवाएँ अर्पित करने की जो तत्परता बताई है, उसका सम्राट्की सरकार हासिक अनुमोदन करती है।

फिलहाल स्थिति यह है कि बंगाल, पंजाब और सिन्धके मन्त्रिमण्डल, जिनकी कांग्रेसमें निष्ठा नहीं है, पदाच्छेद हैं। शेष आठ प्रान्तोंमें कांग्रेस सत्ताच्छेद रही है।

इनमें से पाँचकी सरकारोंने त्यागपत्र दे दिये हैं और तीन अन्य प्रान्तोंकी सरकारोंके निकट भविष्यमें त्यागपत्र देने की आशा है। एक प्रान्त — असम — में वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल बनने की सम्भावना दिखाई दे रही है, लेकिन इस एक अपवादको छोड़कर शेषके सम्बन्धमें गवर्नरोंने ऐसा पाया है या शीघ्र ही वे ऐसा पायेंगे कि उनके सामने सिवाय इसके और कोई विकल्प नहीं रह गया है कि ऐसी परिस्थितिमें अधिनियमकी धाराएँ उन्हें जो सत्ता अपने हाथोंमें ले लेने का अधिकार देती हैं उसे वे एक अधिघोषणाके जरिये अपने हाथोंमें ले लें, क्योंकि इन प्रान्तोंमें विधानमण्डलके विश्वासके भाजन वैकल्पिक मन्त्रिमण्डल सामने नहीं आ रहे हैं।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अधिनियमकी जिस धारा ९३के अधीन यह कार्रवाई की गई है वह किसी भी तरहसे दण्डात्मक धारा नहीं है। इसके विपरीत, उसमें सम्भावित आवश्यकताके लिए मात्र एक व्यवस्था प्रस्तुत की गई है। पार्लियामेंटने अपनी दूरदृष्टितासे इस आवश्यकताका अनुमान पहले ही लगा लिया था, क्योंकि स्वयं इस अधिनियममें प्रयुक्त शब्दोंमें कहें तो — “यह सम्भव था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये जब प्रान्त-विशेषका शासन वादशाहकी सरकारके संचालनके लिए बनाई गई इस अधिनियमकी धाराओंके अनुसार न चलाया जा सके।”

हमें आशा है कि यदि कांग्रेसके समर्थकों और दूसरे क्षेत्रोंकी ओरसे कोई विरोध नहीं किया गया तो अपने सरकारी सलाहकारों और लोक-सेवाओंके सदस्योंकी सहायतासे गवर्नर प्रान्तोंका प्रशासन सुचारु और कुशल रीतिसे चलाने में सफल होंगे। फर्क यह होगा — और यह बड़ा बुनियादी फर्क होगा — कि तब गवर्नर जो कार्रवाई करेंगे, उसका निर्णय प्रान्तीय विधानमण्डलके प्रति जिम्मेदार मन्त्रियों द्वारा दी गई सलाहके अनुसार नहीं, बल्कि इस सदन, इस पार्लियामेंटके प्रति जिम्मेदारीका ध्यान रखते हुए किया जायेगा। हमें इस बातका गहरा दुःख है कि जो मन्त्रिमण्डल उत्साह के साथ अपने महान् प्रान्तोंका शासन चलाते रहे हैं और प्रशासन-कार्यमें स्वभावतः जो समस्याएँ उनके सामने आई हैं, उन्हें इतने अधिक ओज और उपाय-कुशलताके साथ निबटाते रहे हैं, उन्हें अब आगे अपने देशको अपनी सेवाओंका लाभ प्रदान करना बन्द कर देने की आवश्यकता महसूस हुई है; लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं कि उनके द्वारा अपनी सेवाएँ वापस ले लेने की यह स्थिति लम्बे अर्सेतक कायम रहेगी, और जबतक आशाका कोई आधार हमारे सामने रहेगा तबतक हम यह आशा करते रहेंगे कि गवर्नरोंकी घोषणाओंके कुछ ही समयतक कायम रखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं सदनको यह आश्वासन दे सकता हूँ कि गवर्नर अपने जिम्मेदार सलाहकारोंकी सेवाएँ सुलभ होते ही उन्हें अविलम्ब वापस बूला लेने के लिए सहर्ष तत्पर रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]

द इंडियन एन्युअल रजिस्टर, १९३९, जिल्द २, पृ० ४११-१३

परिशिष्ट १९

वाइसरायको कांग्रेस-अध्यक्षका पत्र^१

विड़ला भवन, नई दिल्ली
३ नवम्बर, १९३९

आपके २ नवम्बरके पत्रके लिए धन्यवाद। जब हम १ नवम्बरको आपसे मिले थे उस समय आपने हमारे सामने जो प्रस्ताव रखा था उसे इस पत्रमें बहुत स्पष्ट रूपसे प्रस्तुत किया गया है। मैं और मेरे सहयोगियोंने इसपर पूरी गम्भीरतासे विचार किया है। हमने जनाब मुहम्मद अली जिन्नाके साथ भी विस्तारसे चर्चा की। लेकिन हम उस उत्तरमें कोई परिवर्तन करने की सूरत नहीं देख पा रहे हैं जो हमने आपके साथ मुलाकातके समय दिया था।

आरम्भमें ही मैं यह कह देना चाहूँगा कि मुलाकातके दौरान गांधीजी को और मुझे दोनोंको यह बात बहुत खटकी कि युद्ध-लक्ष्योंके जिस स्पष्टीकरणके बिना कांग्रेस के लिए किसी गौण प्रस्तावपर विचार करना असम्भव है उसके सम्बन्धमें उसके द्वारा उठाये गये मुख्य और नैतिक प्रश्नका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया।

वर्तमान संकटका कारण यूरोपमें युद्ध छिड़ना और भारतीय जनताकी सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतका युद्ध-रत देश घोषित कर दिया जाना है। यह संकट पूर्णतः राजनीतिक है, और भारतके साम्प्रदायिक प्रश्नसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे ब्रिटिश सरकारके युद्ध-लक्ष्योंके सम्बन्धमें और उनके सन्दर्भमें भारतकी स्थितिके बारेमें गम्भीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। आपको मालूम ही है कि कांग्रेस कार्य-समितिके १४ सितम्बर, १९३९ को एक विस्तृत वक्तव्य जारी किया, जिसमें उसने ब्रिटिश सरकारको अपने युद्ध-लक्ष्योंकी, और विशेषकर ये लक्ष्य भारतपर किस तरह लागू होनेवाले हैं तथा अभी उनका कार्यान्वयन किस प्रकार किया जायेगा, इसकी घोषणा करने को आमन्त्रित किया था। यह भी कहा गया था कि भारतीय जनताको बाहरी हस्तक्षेपके बिना, एक संविधान-सभाके माध्यमसे अपना संविधान खुद बनाने की सुविधा देकर आत्म-निर्णयका अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए और उसे अपनी नीतिका निर्धारक स्वयं होना चाहिए। १० अक्टूबर, १९३९ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने इस वक्तव्यका अनुसोदन और पुष्टि की और कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा की जानेवाली घोषणामें भारतको स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित

१. देखिए पृ० ४१६-१७।

किया जाना चाहिए और अभी जहाँतक सम्भव हो वहाँतक उसके इस दर्जेको अमली रूप दिया जाना चाहिए। महासमित्तिने आगे यह भी कहा कि भारतकी स्वतन्त्रता लोकतन्त्र, एकता और सभी अल्पसंख्यक वर्गके अधिकारोकी स्वीकृति और सुरक्षापर आधारित होनी चाहिए।

तत्पश्चात्, ब्रिटिश सरकारकी नीतिकी घोषणा वाइसरायके उस वक्तव्यमें की गई जिसके उद्घरण भेजने का आपने सौजन्य दिखाया है। तत्काल बाद ही कांग्रेस कार्य-समित्तिने इस वक्तव्यपर विचार करके अपनी यह राय जाहिर की कि वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण और सर्वथा असन्तोषजनक है। फलतः उसे ऐसी घोषणा करने पर विवश होना पड़ा कि वह ग्रेट ब्रिटेनको कोई समर्थन नहीं दे सकती और साथ ही उसे कांग्रेसी बहुमतवाले प्रान्तोंकी सरकारोंसे त्यागपत्र देने को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

व्यातव्य है कि ब्रिटेनकी नीतिकी वाइसराय द्वारा की गई घोषणापर भारतके बहुत बड़े लोकमतने—जिसमें कांग्रेसके बाहरके लोगोंका स्वर भी शामिल था—अपनी नापसन्दगी जाहिर की।

वादमें पार्लियामेंटमें ब्रिटिश सरकारकी ओरसे जो वक्तव्य दिये गये, उनसे भी वाइसरायके वक्तव्यमें निर्दिष्ट नीतिमें कोई मौलिक अन्तर नहीं पड़ा है, और जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, उस नीतिका नियमन आज भी उन उद्घरणोंके अनुसार होता है जो आपने उस वक्तव्यमें से लेकर मुझे भेजने की कृपा की है। मुझे कहना पड़ेगा कि जबतक कांग्रेस द्वारा सुझाई गई पद्धतिपर घोषणा करके ब्रिटिश सरकार की नीति स्पष्ट नहीं कर दी जाती तबतक उक्त नीतिको स्वीकार करना या आगे सहयोगके लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इस विषयपर विचार करना हमारे लिए असम्भव है।

इस सम्बन्धमें साम्प्रदायिक प्रश्नको घसीटा गया है, यह देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ है। उसने मुख्य प्रश्नको धूमिल बना दिया है। कांग्रेसकी ओरसे बार-बार कहा गया है कि साम्प्रदायिक विवादके सभी मुद्दोंको आपसी सहमतिसे सुलझा लेने की हमारी हार्दिक इच्छा रही है, और इसके लिए हम अपने प्रयत्न जारी रखना चाहते हैं। लेकिन मैं यह वताना चाहूँगा कि यह प्रश्न ऊपर सुझाई गई रीतिसे भारतकी स्वतन्त्रताकी घोषणा किये जाने के मार्गमें किसी भी तरहसे बाधक नहीं है। ऐसी घोषणा किसी खास कौमपर नहीं, बल्कि पूरे भारतपर लागू होगी, और भारतके संविधानकी रचना करनेवाली संविधान-सभा यथासम्भव व्यापकतम मताधिकार के आधारपर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके सम्बन्धमें उचित समझौता करके गठित की जायेगी। हम सब इस बातपर सहमत हैं कि अल्पसंख्यकोंके अधिकारों और हितोंको पूरा संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, और यह संरक्षण सम्बन्धित पक्षोंकी आपसी सहमति से प्रदान किया जाना चाहिए। हमारी रायमें, इस दायित्वके वहनमें भागीदार बनने की

बात कहकर ब्रिटिश सरकारने इस प्रश्नके समाधानको, जितना कठिन वह अन्यथा होता, उससे बहुत अधिक कठिन बना दिया है, ब्रिटिश सरकारकी सभी सच्ची चिन्ता कांग्रेसकी इस घोषणासे दूर हो जानी चाहिए कि वह ऐसे किसी भी संविधानकी बात नहीं सोचती जिसमें सच्चे अल्पसंख्यक वर्गोंको उनके सन्तोषके लायक संरक्षण प्रदान न किया गया हो।

हमें लगता है कि इस मामलेपर आगे कोई विचार तभी हो सकता है जब ऊपर सुझाई गई रीतिसे स्पष्ट घोषणा कर दी जाये। मैं इतना और कहना चाहूँगा कि इस यूरोपीय युद्धने हालमें जो मोड़ लिये है, उनके कारण युद्ध-लक्ष्योंकी घोषणा और भी जरूरी हो गई है। अगर सन्तोषजनक घोषणा कर दी जाती है तो आपके द्वारा पेश किये गये प्रस्तावपर चर्चा करना उपयुक्त और लाभदायक होगा, और हम खुशी-खुशी आपसे उसपर चर्चा करेंगे।

शायद यह कहने की जरूरत न हो कि इस पत्रसे गांधीजी की पूर्ण सहमति है। कल शाम हम वर्धाको प्रस्थान करना चाहते हैं। आपकी इच्छा कुछ अन्यथा हो तो कृपया सूचित करें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ६-११-१९३९

सामग्रीके साधन-सूत्र

- सावरमती संग्रहालय, अहमदाबाद : पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय, जहाँ गांधीजी से सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैं।
- नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।
- म्यूनिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।
- ‘वाम्ब्रे क्राॅनिकल’ : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।
- ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।
- ‘हिन्दू’ . मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।
- ‘हरिजन’ : गांधीजी की देखरेखमें हरिजन सेवक संघकी ओरसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।
- ‘हरिजनबन्धु’ . गांधीजी की देखरेखमें हरिजन सेवक संघकी ओरसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।
- ‘हरिजनसेवक’ : गांधीजी की देखरेखमें हरिजन सेवक संघकी ओरसे प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक।
- ‘इंडियन एन्युअल रजिस्टर, १९३९’ (अंग्रेजी) : नृपेन्द्रनाथ मित्र द्वारा सम्पादित; द एन्युअल रजिस्टर ऑफिस, कलकत्ता।
- ‘पिल्ग्रिमेज टु फ्रीडम— १९०२-१९०५’ (अंग्रेजी) . के० एम० मुंशी; भारतीय विद्याभवन, बम्बई; १९६७।
- ‘(ए) वच ऑफ ओल्ड लेटर्स’ (अंग्रेजी) : जवाहरलाल नेहरू द्वारा संपादित; एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई; १९५८।
- ‘महात्मा गांधी— द ग्रेट रोग ऑफ इंडिया’ (अंग्रेजी) : गोविन्ददास कॉन्सल; नेशनल पब्लिशर्स, दिल्ली; १९३९।
- ‘महात्मा : लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी’, जिल्द ५ (अंग्रेजी) : डी० जी० तेंदुलकर, विट्ठलभाई के० झवेरी तथा डी० जी० तेंदुलकर द्वारा संपादित; ६४ वाकेश्वर रोड, बम्बई, १९५२।
- ‘लीब्ज फ्रॉम ए डायरी’ (अंग्रेजी) : राजेन्द्रलाल हाडा; इंडिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई; १९६८।

- ‘बापुना पत्रो—२ : सरदार वल्लभभाईने’ (गुजराती) : मणिवहन पटेल द्वारा सम्पादित; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९५२।
- ‘बापुनी आश्रमनी केलवणी’ (गुजराती) : शिवाभाई जी० पटेल; गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद; १९६९।
- ‘बापुनी प्रसादी’ (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९४८।
- ‘पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद’ : काका कालेलकर द्वारा सम्पादित; जमनालाल बजाज सेवा ट्रस्ट, वर्धा, १९५३।
- प्यारेलालके कागजात : श्री प्यारेलाल, नई दिल्लीके पास सुरक्षित कागजात।
- महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी . स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमें सुरक्षित।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ जुलाईसे ३० नवम्बर, १९३९)

१६ जुलाई : गांधीजी ७ जुलाईसे एवटावादमें थे।

१७ जुलाई : सिकन्दर ह्यात खांको लिखे पत्रमें उनकी सुझाई वैकल्पिक संघ-योजना को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की।

२२ जुलाई : समाचारपत्रोंके लिए वक्तव्य जारी करते हुए अपनी कश्मीर-यात्रा रद्द करने की घोषणा की।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंको मुलाकात दी।

२३ जुलाई . बम्बईमें अगस्तसे लागू किये जानेवाले मद्य-निषेधके निर्णयपर बम्बई सरकार मद्य-निषेध बोर्डको सन्देश भेजा।

एडोल्फ हिटलरको पत्र लिखकर उनसे युद्धको आगको शमित करने की प्रार्थना की, क्योंकि "आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्धको रोक सकते हैं, जो मानव-जातिको बर्बर अवस्थामें पहुँचा सकता है।"

एवटावादमें भाषण दिया।

२६ जुलाई या उसके पूर्व : डॉ० चार्ल्स फादरीसे बातचीत।

२६ जुलाई : एवटावादसे बर्षके लिए रवाना हुए।

कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल और डॉ० सुशीला नैयर भी साथ थीं।

२७ जुलाई : सुवह गाजियाबाद स्टेशनपर उतरे और वहाँसे दिल्लीके लिए मोटर-कारमें रवाना हुए।

लगभग दिनके १०.३० पर हरिजन कालोनीमें हरिजन उद्योगशालाके पहले दीक्षान्त-समारोहकी अध्यक्षता की और वहाँ छात्रोंको प्रमाणपत्र प्रदान किये।

दोपहर बाद मध्य प्रान्त विधानसभाके अध्यक्ष घनश्यामसिंह गुप्त, हैदराबाद राज्यके आर्यसमाज सत्याग्रहके विनायक राव और देशबन्धु गुप्त गांधीजी से मिले और उन्होंने गांधीजी को घनश्यामसिंह गुप्त और अकबर हैदरीके बीच हैदराबाद-सुघारोंके सिलसिलेमें हुआ पत्र-व्यवहार दिखाया।

हिमालयी राज्य प्रजामण्डलके शिष्ट-मण्डलको घामो गौलीकाण्डके सिलसिलेमें प्रजा-परिषद्के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरूसे मिलने की सलाह दी। दिल्लीसे बर्षके लिए ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेससे रवाना हुए।

३१ जुलाई : गांधीजी के नाम अपने पत्रमें एस० के० बोले ने कहा कि "उस आवेदन-पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओंने जो-कुछ किया, वह ईमानदारीके साथ किया है और उनका इरादा बम्बई मन्त्रि-मण्डलको घमकी देने का नहीं था।"

- १ अगस्त : लाँडें लिनलिथगोको एक तार भेजकर गांधीजी ने उनसे ५ अगस्तको दिल्लीमें न मिल पाने के लिए खेद प्रकट किया।
- ३ अगस्त : बंगालके राजनीतिक कौदियोंने भूख-हड़ताल स्थगित करना तय किया।
- ४ अगस्तके पूर्व : तजीभ-उल-भोमिनीनके अध्यक्षको लिखे पत्रमें गांधीजी ने शिया-सुन्नी विवादके फलस्वरूप जूनके आरम्भमें शुरू किये गये सविनय अवज्ञा आन्दोलनको वापस लेने का अनुरोध किया।
- ५ अगस्त : सत्याग्रही वी० वी० साठेसे बातचीत करके बम्बई सरकारके खिलाफ अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए उनके प्रस्तावित उपवासको स्थगित करने के लिए उन्हें राजी किया।
- ७ अगस्त : च० राजगोपालाचारीने मद्रास विधान-सभा द्वारा पारित मन्दिर-प्रवेश प्राधिकीकरण और क्षतिपूर्ति विषेयक विधान-परिषद्में पेश किया।
- ८ अगस्त : "आर्य सत्याग्रह" की समाप्तिकी घोषणा।
- ११ अगस्त : कांग्रेस कार्य-समितिके एक प्रस्ताव पास करके सुभाषचन्द्र बोसको ३० अगस्त से तीन वर्षके लिए बंगाल प्रान्तीय कांग्रेसके अध्यक्ष-पदके लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
- २३ अगस्त : समाचारपत्रको एक वक्तव्य देकर गांधीजी ने कांग्रेस कार्य-समिति द्वारा पारित दो प्रस्तावों— सुभाषचन्द्र बोसको अध्यक्ष-पदके लिए अयोग्य घोषित करने और युद्ध-सम्बन्धी प्रस्तावोंकी आलोचनाओंका उत्तर दिया।
- २७ अगस्त : आसन्न विश्व-संकटके बारेमें समाचारपत्रको दिये गये अपने वक्तव्यमें गांधीजी ने कहा : "मैं अपने विश्वासपर सबसे अधिक जोर यही कहकर दे सकता हूँ कि यदि मेरे अपने देशको हिंसाके द्वारा स्वतन्त्रता मिलना सम्भव हो तो भी मैं स्वयं उसे हिंसासे प्राप्त नहीं करूँगा।"
- ३० अगस्तके पूर्व : एक सन्देशमें पोलैंडवासियोंको "शुभकामनाएँ और आशीर्वाद" भेजे।
- ३१ अगस्त : घनश्यामदास बिड़लाको भेजे एक तार द्वारा व्यापारी-वर्गको विश्व-संकटके बारेमें तबतक कुछ न कहने की सलाह दी "जबतक परिणामका ठीक पता नहीं चल जाता।"
- २ सितम्बर : वाइसरायके निमन्त्रणपर शिमलाके लिए रवाना हुए।
- ३ सितम्बर : इग्लैंड और फ्रान्सने जर्मनीके विरुद्ध युद्धकी घोषणा की।
- ४ सितम्बर : वाइसरायसे मिले।
- ५ सितम्बर : गांधीजी वर्षाके लिए रवाना हुए।
अपनी शिमला-यात्राके बारेमें वक्तव्य जारी किया।
आधिकारिक तौर पर साबरमती आश्रम 'हरिजन आश्रम' घोषित किया गया।
- ८ सितम्बर : वर्षामें कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक आरम्भ हुई।
- ११ सितम्बर : वाइसरायने विधान-सभाको सम्बोधित किया; संघ-योजना स्थगित करने की घोषणा की।

- १५ सितम्बर : कांग्रेस कार्य-समितिके घोषणापत्र पर समाचारपत्रोंको वक्तव्य दिया । कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकका समापन ।
- २० सितम्बर : गांधीजी ने कांग्रेस कार्य-समितिके घोषणापत्र को ध्यानमें रखते हुए मन्त्रि-मण्डलका रुख कैसा होना चाहिए, इस बारेमें एक वक्तव्य दिया ।
- २३ और २४ सितम्बर : ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंसे बातचीत की ।
- २४ सितम्बर : वाइसराय द्वारा बातचीतके दूसरे दौरका निमन्त्रण पाकर शिमला रवाना ।
- २६ सितम्बर : शिमलामें वाइसरायसे मिले ।
- २७ सितम्बर . सेर्गावके लिए प्रस्थान किया ।
- २८ सितम्बर . वाइसरायसे हुई मॅटके बारेमें नागपुर रेलवे स्टेशनपर प्रश्नोंके उत्तर दिये ।
- समाचारपत्रोंके लिए वक्तव्य जारी करते हुए लॉर्ड जेटलैंडसे अपील की कि वे "पुराने साम्राज्यवादियोंकी भाषा भूल जायें और जो लोग साम्राज्यके बन्धनमें रहते आये हैं, उन सबके लिए एक नया अध्याय आरम्भ करें।"
- २ अक्तूबर : दिल्लीमें राजेन्द्रप्रसाद और जवाहरलाल नेहरूके वाइसरायसे मिलने से पहले उनसे गांधीजी ने विचार-विमर्श किया ।
- ३ अक्तूबर . 'मैचेस्टर गाजियन'की मार्फत ब्रिटिश जनताके नाम अपने सन्देशमें गांधीजी ने "लोकतन्त्रके बारेमें ब्रिटेनके दावे"के प्रति ईमानदारी बरतनेकी अपील की ।
- ५ अक्तूबर . वाइसरायसे मिले ।
- ६ अक्तूबर : सेर्गाव पहुँचे ।
- ७-१० अक्तूबर . वधामें कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकमें सम्मिलित हुए ।
- १० अक्तूबर . अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने युद्ध-सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया । 'हरिजन'के लेख 'कसौटी पर' में कांग्रेसियोंके बारेमें यह स्वीकार करते हुए कि "अहिंसात्मक साधनोंके जरिये सशस्त्र आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेके लिए वे तैयार नहीं हैं" गांधीजी ने घोषणा की कि "अपनी सरहद्दोंकी रक्षाके निमित्त भी हिंसाका त्याग ही भारतके लिए अधिक श्रेयस्कर मार्ग है।"
- १२ अक्तूबर . कांग्रेसका नेतृत्व सँभालनेमें असमर्थता प्रकट करते हुए विधानचन्द्र रायके नाम अपने एक पत्रमें गांधीजी ने जवाहरलाल नेहरूके नामका सुझाव दिया ।
- १३ अक्तूबर एक वक्तव्यमें अ० भा० का० कमेटीके युद्ध-प्रस्तावको "नरम और बुद्धिमत्तापूर्ण" बतलाते हुए कांग्रेसियोंसे अपील की कि "ऐसे संकटके समय वे कोई भी ऐसी कार्रवाई न करे जिसमें अनुशासनहीनता अथवा अवज्ञाकी गन्ध आती हो।"
- १७ अक्तूबर : वाइसरायने भारतके राजनीतिक भविष्य और युद्धके प्रति उसके रुख की घोषणा की ।

- १८ अक्टूबर: समाचारपत्रोंके नाम अपने वक्तव्यमें गांधीजी ने वाइसरायकी घोषणाको "बड़ी ही निराशाजनक" बताया।
- १९ अक्टूबर: वर्षामें मध्य प्रान्त और वरारकी स्थानिक संस्थाओंके प्रतिनिधियोंके सम्मेलनमें बुनियादी शिक्षा योजनापर बोले।
- २० अक्टूबर: सेर्गाममें 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिको मुलाकात दी।
- २२ अक्टूबर: अपनी सुरक्षा-व्यवस्थाकी आवश्यकताको गैर-जल्दुरी मानते हुए पुलिस सुपरिन्टेंडेंट तथा डिप्टी कमिश्नरके नाम एक पुर्जा भेजा।
कांग्रेस कार्य-समितिके कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलसे त्यागपत्र देने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पास किया।
- २३ अक्टूबर: विश्वके समाचारपत्रोंके नाम अपने एक तारमें गांधीजी ने कहा: "कांग्रेसने दरवाजा खुला रख छोड़ा है ताकि ब्रिटेन अपनी भूल सुधार ले।"
- २५-२६ अक्टूबर: गांधी सेवा संघके सदस्योंसे विचार-विमर्श किया।
- २७ अक्टूबर: कामन्स सभामें सर सैम्युअल होरके दिये भाषणके समझौतेके स्वरका स्वागत करते हुए गांधीजी ने समाचारपत्रोंके नाम एक वक्तव्य जारी किया, लेकिन वक्तव्यमें उन्होंने सर सैम्युअल होर द्वारा अल्पसंख्यकोंके संरक्षणकी दुहाईके आधारपर कांग्रेसकी माँगके ठुकराये जाने की आलोचना की।
मद्रास सरकारने त्यागपत्र दिया।
- २८ अक्टूबर: बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, पूनाके लिए सन्देश भेजा।
- ३१ अक्टूबर: वाइसरायसे मेटके लिए दिल्ली रवाना।
'हरिजन' में 'कांग्रेसजन' शीर्षक लेखमें गांधीजी ने कहा, "निर्णायक कदम उठाने के लिए सारी कांग्रेसको विश्वासके साथ और एक-मनसे आगे बढ़ना होगा।"
- १ नवम्बर: दिल्ली जाते हुए रेल-यात्रामें चीनकी कार्यकारिणीके उप-प्रधान और चीनी बच्चोंको पत्र लिखे।
दिल्लीमें राजेन्द्रप्रसाद और मु० अ० जिन्नाके साथ वाइसरायसे मिले।
जिन्नाके निवास-स्थानपर वार्ता जारी रखी।
- २ नवम्बर: हरिजन-निवासके प्रार्थना-कक्षके उद्घाटनके अवसरपर बोले।
- ४ नवम्बर: वाइसरायसे मिले।
'मैनेस्टर गाजियन' के संवाददाताको मेट देते हुए गांधीजी ने कहा कि "लॉर्ड जेटलैण्डके इस कथनसे मैं स्तम्भित रह गया कि कांग्रेस एक हिन्दू संस्था है।"
- ५ नवम्बर: नागपुरमें समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंको मेट दी।
वाइसरायने रेडियो-प्रसारणमें घोषणा की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीगके प्रतिनिधियोंको शामिल करने के विचारसे उन्होंने गवर्नर-जनरलकी कार्यकारिणी परिषद्के विस्तारका जो प्रस्ताव रखा था, उससे नेताओंके असहमत होने पर भी वे अन्तिम रूपसे "निराश" नहीं हुए हैं और वे मैत्रीपूर्ण समायोजनका प्रयत्न नही छोड़ेंगे।

- ७ नवम्बर. 'हरिजन' में लिखे लेख 'मतभेद होते ही हैं' में गांधीजी ने आशा व्यक्त की कि जिन्ना और जवाहरलाल नेहरूकी वातचीतके फलस्वरूप "साम्प्रदायिक समस्याके स्थायी हलका आधार निकल आयेगा।"
- ८ नवम्बर: समाचारपत्रोंको दिये गये वक्तव्यमें वाइसरायके रेडियो-प्रसारण और अखबारी वक्तव्यका जिक्र किया और ब्रिटेनसे भारतको गुलामीसे छुटकारा देने का अनुरोध किया।
- १४ नवम्बर. 'न्यूज क्रॉनिकल', लन्दनको तार द्वारा वक्तव्य भेजा।
- १८ नवम्बर: इलाहाबादके लिए रवाना हुए।
- १९ नवम्बर: 'हरिजन' में प्रकाशित लेख 'एक ही रास्ता' में गांधीजी ने कहा, "मविधान-सभा साम्प्रदायिक समस्याका न्यायसम्मत समाधान ढूँढने का सबसे आसान तरीका प्रस्तुत करती है।" इलाहाबादमें कांग्रेस कार्यकारिणीकी बैठकमें शामिल हुए; कमला नेहरू स्मारक अस्पतालकी आधारशिला रखी और वही विशाल जन-समूहके सामने भाषण दिया।
- २२ नवम्बर. कांग्रेस कार्यसमितितने भारतकी राजनीतिक स्थितिपर गांधीजी द्वारा नैयार किये गये प्रस्तावके मसौदेपर चर्चा की।
- २३ नवम्बर. गांधीजी ने नाई मुन्नीलालको प्रमाणपत्र दिया। कांग्रेस कार्य-समितितने गांधीजी का प्रस्ताव पारित किया। सुभाषचन्द्र बोसके नाम अपने पत्रमें गांधीजी ने लिखा कि उनपर लगाये गये प्रतिबन्धमें गांधीजी भी शरीक थे। सं० प्रा० के कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंसे वातचीत की।
- २४ नवम्बर: मैसूरके लोगोंको पत्र लिखकर गांधीजी ने 'जगल सत्याग्रह' से असह-मति प्रकट की।
- २५ नवम्बर: वर्षा पहुँचे।
- २७ नवम्बर: 'हरिजन' में प्रकाशित लेख 'स्त्रियोंके हाथों स्वराज्य' में स्त्रियोंसे कर्ताईको अपनाने का अनुरोध किया।

शीर्षक-सांकेतिका

उत्तर : ऑक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंको, १७६
चर्चा : गांधी सेवा संघकी कार्यकारिणीके
सदस्योंके साथ-१, ३२९-३०; -२,
३३३-३५

टिप्पणियाँ . २०, ४६, ५२, ७६-७८, १०२-
३, ११४-१५, ११८-२०, १३९-४०,
१५१, १६०, १७०-७४, १७५, १८४-
८६, १९२-९३, १९८-२०१, २३७-३९,
३४०-४१, २४४-४५, २८५-८६,
२९५-९६, ३५६, ३८७-८८, ४१३-१४,
४२९-३२

तार : अमृतकौरको, २७, २९, ३६४, ३८४,
३९२; -(नटेश)अय्यरको, ३; -(सी०
पी० रामस्वामी) अय्यरको, १७६-
७७; -(अबुल कलाम) आजादको,
२०४; -कराची जिला कांग्रेस कमेटीके
अध्यक्षको, ३; -(सिकन्दर ह्यात)जाँ
को, ४७; -(नारणदास) गांधीको,
५९; -(डॉ० डी० डी०) गिल्डरको,
२८; -(गोविन्द वी०) गुरजलेको,
२४३; -(जवाहरलाल) नेहरूको, ३५,
१०७; -'न्यूज फ्रॉनिकल' को, ३३९-
४०, ३८९-९०; -मादरेस्कीको,
१८१-८२, -पालितानाके शासकको,
३७५; -(पत्तम ताणु) पिल्लैको,
४, १८१, ३१६, -(जमनालाल)
वजाजको, १७७; -(घनश्यामदास)
विड़लाको, १६३; -मुल्कराजको,
१६३; -राजारामको, २; -राजेन्द्र-

प्रसादको, १, ८, १५२, १६९;
-(लॉर्ड) लिनलिथगोको, ५८-५९,
१६९; -विश्वके समाचारपत्रोंको,
३२३; -श्रीप्रकाशको, १३९;
-(एस०) सत्यमूर्तिको, ३७८;
-सम्युर्णानन्दको, ३६२, -(एगया)
हैरिसनको, २५३

पत्र : अमतुस्सलामको, ९-१०, ४८-४९, ५४,
६०, ६९, ८०, ८५, २३२, ३२७;
-अमृतकौरको, ६-७, १४, १५-१६,
५५, ६३, २५२, २५७, ३४५, ३५७,
३६१, ३७८, ३८०, ३९१, ३९३,
३९६, ४०५, ४२६, ४४०, ४४१,
४४२; -(ए० वैद्यनाथ) अय्यरको,
१५८; -(सी० पी० रामस्वामी)
अय्यरको, २११, -अरोड़ासिंहको,
१०६, -(लेडी रजा) अलीको,
२३४; -(अबुल कलाम) आजादको,
२७९; -(आजम) आवेदको, १२८;
-(लीलावती) आसरको, ९१-९२,
१०६, १८२, -(ए०) ईश्वरनको,
२८१; -ईश्वरशरणको, ११०, ३८०;
-(हरिभाऊ) उपाध्यायको, ३४४;
-(सी० एफ०) एन्ड्रयूजको, १४२,
२९३; -(प्रीमावहन) कंटकको,
१५४-५६, ३४६-४७; -(गोविन्द-
दास) कंसलको, २४९, -(जी०
एन०) कानिटकरको, १९०-९१;
-(द० वा०) कालेलकरको, ५४, ६४,

२३१; -(भारतन्) कुमारप्पाको, ४४१; -(गुलाम रसूल) कुरैशीको, ९६, ३६९, -कृष्णचन्द्रको, ५८, ६०, ८०, १०७, २८३, ३०९, ३४३-४४, ४०६; -(माणकलाल और राधा) कोठारीको, ४०३, -(पी०) कोदण्ड-रावको, २३१, ४०४; -(सिकन्दर ह्यात) खाँको, ४-५, ३६२, -(बी० जी०) खेरको, ३३२; -(कनु) गांधी को, ३०३, ३५८, -(जमनादास) गांधी को, २५९; -(जयसुखलाल) गांधीको, ५६, १६७, ३०३, ४०२; -(देवदास) गांधीको, ५७; -(नारणदास) गांधीको, ५६-५७, १०९, १९१, २०७, २४०-४१, २५८, २९४, २९७, -(मणिलाल) गांधीको, ८७-८८, -(मणिलाल और सुशीला) गांधीको ७९, १२२, २५४; -(संयुक्ता) गांधीको, १२१; -(सरस्वती) गांधीको, २५५, ४२५; -(सीता) गांधीको, ८८; -(सुशीला) गांधीको, ८८; -(ए०) गुप्तको, १५४, -(गोविन्द वी०) गुरजलेको, २९९, ३९१; -(बारीन) घोषको, ४२४; -(ब्रजकृष्ण) चाँदी-वालाको, २०६, ३१०, ३१७; -(पोपटलाल) चुडगरको, १२४; -(पोत्ती श्रीरामुलु) चेट्टीको, ६३; -(शारदाबहन गो०) चौखावालाको, ८, ८७, २३२, ३५९, ४०३; -(नाजुकलाल एन०) चोकसीको, ३०२; -(गोपबन्धु) चौधरीको, ९०; -(जगलाल) चौधरीको, १५३; -(तारा) जसाणीको, ९२, ३०४; -(रहमान) जीवाभाईको, २८३;

-(पुरुषोत्तम के०) जेराजाणीको, १९८, २१८, -(अमृतलाल वि०) ठक्कर को, १६६; -तंजीम-उल-मोमिनीनके अध्यक्षको, ६५-६६; -ताताचारको, २८१; -(शम्भुशांकर) त्रिवेदीको, ३७५; -त्र्यम्बकलाल पोपटलालको, ४२७; -(डॉ० वाई० एम०) दादूको, २०६, २३३; -(दूधाभाई) दाफड़ाको, १९६, -दिविजयार्थसहको, ३३३, (रंगराव रा०) दिवाकरको, १८३; -(कुन्दर) दीवानको, २५५; -(दिलखुश बी०) दीवानजीको ८९, ३९५; -दुनीचन्दको, १५; -(शिवजी) देवशाकरको, १३३; -(जीवणजी डा०) देसाईको, ५८, १०४; -(वालजी गो०) देसाईको, ७८, १५९, २५४, ३३६; -(रामकृष्ण) धूतको, २०५; -(अमृतलाल डा०) नानावटीको, ९, ७९, १११, १२१, १२९, २०५, २४२, ३७९, ३९४; -(इन्दिरा) नेहरूको, २८४; -(जवाहरलाल) नेहरू को, ४७-४८, ९५-९६, २०४, २१७, ३२८, ३३१, ३४६, ३६६, ३८८-८९; -(विजयावहन एम०) पंचोली को, ११५, १३४, १४४, १५७, १९२, १९३, २१३, २५८, ३९४, -(डाह्या-भाई म०) पटेलको, ४०६; -रावजी-भाई ना०) पटेलको, १२९; -(वल्लभ-भाई) पटेलको, २१४, २२१, २८२-८३, ३६१; -(शिवाभाई जी०) पटेल को, २७२; -(वसुमती) पण्डितको, ८६; -(नरहरि द्वा०) परीखको, १२८; -(पुरुषोत्तमदास अ०) पाट-डियाको, १६६; -(इन्दु एम०)

पारेखको, १४३, -(कान्ति एन०)
 पारेखको, ३०३; -(कुँवरजी खेतसी)
 पारेखको, २४१, २५९, २७६, ३३२,
 ३६९; -(पत्तम ताणु) पिल्लैको,
 १६४-६५, २१२; -पृथ्वीसिंहको,
 ३३६, -प्रभावतीको, १९-२०, ६४-
 ६५, ८५, १५६-५७, ३००, ३७९,
 -(वी० एम०) प्रसादरावको, १५८-
 ५९; -(हरिभाऊ जी०) फाटकको,
 २७४-७५, -(जमनालाल) वजाज
 को, १२२, १८०, -(जानकीदेवी)
 वजाजको, ३९२, -(राधाकृष्ण)
 वजाजको, ३८, ८९, -(रामकृष्ण)
 वजाजको, २१४, -वलवन्तसिंहको,
 १८३, २३३, ३२८, -(पुरातन जे०)
 बुचको, ३४२, -(एस० के०) बोलेको,
 २१; -(सुभाषचन्द्र) बोसको, ४१९-
 २०; -(जयकृष्ण प्र०) भणसालीको,
 ४०५-६, -मथुरादास त्रिकमजीको,
 ३८१; -(किशोरलाल घ०) मशरू-
 वालाको, १२३, १२४, -(मनु-
 वहन सु०) मशरूवालाको, १६५,
 ४०१-२, -(मनुवहन और सुरेन्द्र)
 मशरूवालाको, २४२, ३०१; -सुरेन्द्र
 वी०) मशरूवालाको, ९३-९४;
 -(एम० आर०) मसानीको,
 २९९, -(मदनमोहन) मालवीय
 को, ४२५-२६, -मीरावहनको,
 ७, १७६; -(डॉ० वी० एस०)
 मुज्जेको, २२, -(एम०) मुजीवको,
 १२०; -मुल्कराजको, १३९; -(सुरेन्द्र
 वा०) मेढको, २०८, -(डॉ० जीवराज
 एन०) मेहताको, ९०-९१, १०५-६,
 १७८; -(मुहम्मद) यूनूसको, २८०;

-(वी० पी०) रस्तोगीको, ३०२,
 -राखालको, ७३; -(च०) राज-
 गोपालाचारीको, १०८, ३५७, -राम-
 सिंहको, २०७, -(डॉ० विवानचन्द्र)
 रायको, २७५, -(लॉर्ड) लिन-
 लिथगोको, १५३, २९८, ३२७;
 -(वल्लभराम) वैद्यको, १११;
 -शमशेरसिंहको, ४१५, -(कंचन-
 वहन मु०) शाहको, २३२, ३०१,
 ३५८, ३९५, -(चिमनलाल न०)
 शाहको, १-२, -(मुन्नालाल ग०)
 शाहको, २४३, ३२२, ३४३; -(रवि-
 शंकर) शुक्लको, १०४, ३०८-९;
 -(एस०) सत्यमूर्ति और लक्ष्मीको,
 २३०, -सम्पूर्णानन्दको, ३५, -(लक्ष्मी-
 श्वर) सिन्हाको, १०५; -(वी० ए०)
 सुन्दरम्को, १६४, ३०९; -हरिवश-
 सिंहको, १८७, -हरिश्चन्द्रको, ३००,
 -(एन० एस०) हर्डीकरको, २८, ११०,
 २८०, ३१६-१७, -(सैयद फैजुल)
 हसनको, २८२, -(आर० एल०) ह्याडा
 को, ९३, -(तोताराम) हिगोरानीको,
 ८४, -(आनन्द तो०) हिगोरानीको,
 ८४-८५, -(एडोल्फ) हिटलरको,
 २३, -(अकचर) हँदरीको, २१२,
 -(एगथा) हैरिसनको, २४

(एक) पत्र १४२-४३, ३२४, ४०१

पत्रका अथ (होरिय) अलेक्जेंडरको लिखे
 पत्रका अंश, २९३, -(एच० एच०)
 कुगको लिखे पत्रका अथ, ३६३; -चीनी
 वच्चोको लिखे पत्रका अंश, ३६३;
 -तान युन-थानको लिखे पत्रका अथ,
 ३६३, -मैसूरके लोगोंको लिखे पत्रका

अंश, ४२४-२५; —(मुहम्मद) यूनुसको
लिखे पत्रका अंश, ४०४

पुर्जा : पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा डिप्टी कमि-
श्नरको, ३२१-२२

प्रमाणपत्र : मुन्नीलालको, ४१९

बातचीत : आक्सफोर्ड ग्रुपके सदस्योंसे,
२१५-१७; —एक मित्रके साथ, २७२-
७४; —चार्ल्स फावरीके साथ, ३०-
३५; —बी० वी० साठेके साथ, ६९-
७२; —संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी
की कार्यकारिणीके सदस्योंके साथ,
४२०-२३

भाषण : एबटाबादमें, २५-२७; —कमला
नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद
में, ४१०-११; —स्थानिक संस्थाओंके
प्रतिनिधियोंके सम्मेलन, वर्धामें, ३०४-
७; —हरिजन उद्योगशाला, दिल्लीमें,
३६-३७; —हरिजन-निवास, नयी
दिल्लीमें, ३६४-६५

मैट : एक साथी कार्यकर्ताको, ३९६-४०१;
—गोवर्धनलाल शुक्लको, ६६; —'टाइम्स
ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिको, ३१०-
१३; —'मैचैस्टर गार्जियन' के सम्वाद-
दाताको, ३६५-६६; —समाचारपत्रों
के प्रतिनिधियोंको, ३६७

वक्तव्य : समाचारपत्रोंको, १३, १९, ४९,
६२, ८१, ८६-८७, १२५-२७, १४१,
१७८-८०, १९४-९६, २३९-४०, २७६-
७७, २९७-९८, ३३७-३८, ३७०-७१,
३७६-७८

एक वक्तव्य : २१०-११

सन्देश : ठक्कर बापा जयन्ती समारोहके
अवसरपर, ४३२; —दलितवर्ग-सम्मेल-
नको, १०९; —पोलैडवासियोंको,

१५७; —बम्बई सरकार मद्य-निषेध
बोर्डको, २१; —बुनियादी शिक्षा-
योजनाके शुभारम्भपर, ८१;
—बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन, पूनाको,
३४२; —ब्रिटिश जनताको, २५३

विविध

अकालका भय, ६१; अगला कदम,
३५२-५३; अच्छा भी और बुरा भी,
३५४-५५; अनावश्यक भय, ३८३-८४;
अनुप्रस्थ वनाम अनुलम्ब पद्धति, २१८-१९;
अशोभनीय प्रदर्शन, १६७-६८; आँखें खोल
देनेवाला काम, २५६-५७; एक मन्त्रीका
स्वप्न, २६५-६६; एक महाराजाकी धमकी,
१३६-३८; एक रोचक निरीक्षण, २२०-२१;
एक स्पष्टीकरण ८२; एक ही रास्ता,
४०७-१०; औद्योगिक सर्वेक्षण समितिकी
रिपोर्टका सारांश, ३८-४५; कर्तव्योंकी मज-
दूरी, ११२-१४; कभी न पटनेवाली खाई,
२६६-६९; कसौटीपर, २६९-७१; कांग्रेस
कार्य-समितिका प्रस्ताव, ९४-९५, ४१६-१८;
कांग्रेसजन, ३५९-६१; काठियावाड़की रिया-
सतें, १९०; किन कारणोंसे?, ३२४-२६;
क्या कांग्रेस हिन्दुओंकी संस्था है?, ३८१-८३;
क्या मैं ईश्वरका दूत हूँ?, ३१३-१५; क्या
मैं सर्वसमर्थ हूँ?, ७३-७६; क्या हिन्दुस्तान
सैनिक देश है?, २२२-२३; खांडके वारमें
एक भ्रम, २७७-७८; ग्राहक चाहिए, ११६-
१८; चक्करमेंडालनेवाली स्थिति, ४३६-३८;
छोटी-छोटी रियासतोंका परिंसंघ, ९८-९९;
जयपुर-सत्याग्रह, १९६-९८; जैसे साँपनाथ
तैसे नागनाथ, २६३-६५; तमिलनाडुमें खादी,
१४४-५०; द्रावणकोरकी अभागी प्रजा,
२४९-५२; दुःखकी बात, ४३२-३६; दोषी

नहीं, १०-१३; घामी-काण्डसे सवक, ५०-५१, नावालिगी शासन, १६-१९; पहेलियाँ, २२४-२७; पुराने क्रान्तिकारी, २२७-२९; प्रश्नका उत्तर, २३९, प्रान्तीय विधान-मण्डलके प्रस्तावका मसौदा, २०८-१०; फिर प्रावण-कोर, ३६७-६८; बहुसंख्यक वर्गका कृत्रिम हीआ, २८६-९०; बापा-जयन्ती, २९२; विना शर्त सहायता, ३४७-४८; ब्रह्मचर्यके बारेमें, ३१९-२१, भारतका दृष्टिकोण, २६०-६२; भूख-हड़ताल, ९७-९८, मतभेद होते ही हैं, ३७१-७४; मन्दिर-प्रवेश, २०१-३, मामलेकी जाँच की जाये, १७४, मिल बनाम चरखा, ८२-८३; मिल या घानीका तेल, १३४-३५, मुल्कराजके नाम

तारका मसौदा, १०८, मेरा जीवन, ३४८-५२, मेरी सहानुभूतिका आधार, १८७-८९; मोटर बनाम बैलगाड़ी, १३२-३३; मोरवीमें दुर्मिन्न-निवारण-कार्य, २९०-९१; मौनके लाभ, ३१७-१९; मौन-दिवसकी टिप्पणी, २९४; राजकोट सुधार, ४११-१२, राजनीति बनाम नैतिकता, ३८५-८७; लीम्बडी, १६१-६२; विनोद-वृत्तिकी कमी, २४६-४८, शावाश बम्बई!, ६७-६८; मिन्धमें दग्ने, ४३९-४०, स्त्रियोंके हाथो स्वराज, ४२७-२८; स्वेच्छा-प्रेरित सध-व्यवस्थाकी जरूरत, १३०-३१, हरिजन-सेवक सम्मेलन, ५३; हरिजनोंके लिए एक और मन्दिर खुला, ८३, हिन्दू-मुस्लिम एकता, २३४-३७

सांकेतिका

अ

अंग्रेज, ३७३, ३८१, —[जों]के लिए श्रेय का मार्ग, २२७
 अंग्रेजी, —एक लचीली भाषा, ३४; —प्राथमिक स्तरपर अनावश्यक, १६०; —से प्राकृतिक विकास कुठित, १६०
 अकबर, १२८; —और धर्म ३७२-७३
 अकाल, —और कताई, ५९, १०२-३, ११२, ११६, १७२, २९०-९१; —और कताई यज्ञ, ६१; —और सघ-व्यवस्थाकी वाछनीयता, १३०-३१; —काठियावाड़में, १०९
 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, देखिए कांग्रेस महासमिति
 अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, ४१, ४३, ८२, १०३, ११४-१५, २१८
 अखिल भारतीय चरखा संघ, १ पा० टि०, ३९, ४१, ४३, १०२-३, ११२, ११३-१६, ११९-२०, १४४-४६, १४८, १४९, १५०, १७२-७३, १८४-८५, २३८, २५६, ४२३, —और आयोजना की अनुप्रस्थ पद्धति, २१९
 अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्; कांग्रेसकी —के जरिये रियासतोंमें काम करने की सलाह, ५१, —का आयोजन त्रावणकोरमें, १७७; —की स्थायी समिति, ४७ पा० टि०, ५०, १३७; —प्रजा-मण्डलोंकी —के मार्ग-दर्शनमें काम करने की सलाह, १८, ५०
 अखिल भारतीय हिन्दू महासभा, ३३८, ३८२, ४२९; —एक साम्प्रदायिक

संस्था, ३६५; —और हिन्दू, ३५६; —कांग्रेस-विरोधी संस्था, ३५९-६०
 अजमल खाँ, देखिए खाँ, अजमल
 अडालजा, वलीवहन, २५९
 अधिसूचना, २६ दिसम्बरकी, ४११-१२
 अधीश्वरी सत्ता, —और देशी नरेश, ५०, ३७०, ३९०, —और रियासतें, १६-१९
 अनाक्रामक प्रतिरोध आन्दोलन, २०६
 अनुशासन, —और प्रदर्शन, १५२; —और सविनय अवज्ञा, ३९७, ४००-१, ४१८
 अन्तरात्माकी आवाज, २१५-१६; —सुनने की पात्रता सतत ईश्वर-आराधनाके वाद ही, २१७
 अन्सारी, जोहरा, २९
 अन्सारी, डॉ०, ३८२
 अमतुस्सलाम, ९, १९, ४८, ५४, ६०, ६९, ८०, ८५, ८७, ९६, १२८, १५४, १५६, २३२, ३२७
 अमृतकौर, ६, १४, १५, १९, २७, २९, ५५, ६३, १४४, १५६, २०७, २३८, २४०, २४१, २५२, २५७, २५८, २९०, २९३, ३००, ३४५, ३५७, ३६१, ३६४, ३७८, ३८०, ३८४, ३९१, ३९२, ३९३, ३९६, ४०५, ४१५, ४२६, ४४०, ४४१, ४४२
 अमृतलाल, २५८
 अमेरिकी, २७३
 अम्बेडकर, डॉ० भीमराव, २७५ पा० टि०
 अय्यंगार, श्रीनिवास, १०८
 अय्यर, ए० वेंचनाथ, १५८, २०१-२
 अय्यर, के० आर० वेंकटराम, २४५

अध्यर, नटेश, ३
 अध्यर, सी० पी० रामस्वामी, १६४, १७६,
 १७७, २११, २५२
 अरोड़ासिंह, १०६
 अर्चिजी, ३२३ पा० टि०
 अली, जाहिद, २३५
 अली-बन्धु, देखिए अली, मुहम्मद और
 अली, शौकत
 अली, मुहम्मद, २३५-३६, ३१०, ३८२
 अली, लेडी रजा, २३४
 अली, शौकत, २३५-३६, ३१०, ३८२
 अली, सैयद रजा, २३४
 अलेक्जेंडर, होरेस, २९३
 अल्पसंख्यक, ४३०-३१, ४३७; —और भारत
 की स्वतन्त्रता, ३७०-७१, ३७६-७७,
 ३९०, ४१७; —और संविधान-सभा,
 ४०७, ४०९, ४३३; —और सविनय
 अवज्ञा, ३९७; —[कों]का डर झूठा,
 २८७-९०; —का प्रतिनिधित्व सरकारी
 सेवाबोर्ड, ५; —की समस्या, ३२३,
 ३३७-३८; —की समस्याके हल के बारे
 में गांधीजी का मतौदा, ४ पा० टि०;
 —के लिए पृथक् निर्वाचक मण्डल,
 ४१८; —के हितोंकी रक्षा कांग्रेसकी
 जिम्मेदारी, ४३५
 असहयोग, —१९२० का, १२६, २२६-२७,
 ३७१, ३८१; —का पहला कदम
 कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलोंका पदत्याग,
 ३६७, ४१८
 असूच्यता, ११, ३६-३७, २४४, २४७;
 —एक असत्य, २०३; —और मन्दिर-
 प्रवेश, २०१-३; —और हिन्दू-धर्म, ४६,
 ३६५; —का तात्त्विक आवश्यक प्रायश्चित्त,
 ३६५; —का निवारण, ३४९, ३५३;
 —का निवारण और सविनय अवज्ञा,
 ३५३, ३८६

अहिंसा, ५, १२०, १७९, १८२, १८८,
 १८९, १९४, २००, २०१, २२९,
 २४७, २६२, २७२, २७३, २७४,
 २८५, ३०७, ३१३-१५, ३२४-२६,
 ३४६, ३४८, ३८५, ४०५, ४२०,
 ४२२, ४३३, ४३६-३७, ४४०; —और
 अनासक्ति, २३१; —और आत्मन्य-
 कारी-आत्मरक्षका भेद, २८६; —और
 कांग्रेस, ११, १२६-२७, २२३-२४,
 २२६, २९५, ३६०, ४३९; —और
 कांग्रेसी, २९५-९६; —और 'कुरान',
 २३५-३६, २७१-७२; —और गांधी
 सेवा संघकी सदस्यता, ३३४-३५;
 —और भारतका दायित्व, २२३; —और
 मन्त्रिपद, ३३३-३४; —और नृसल्लान,
 २३५-३६; —और मुहम्मद, २७१-
 ७३; —और सविनय अवज्ञा, ३५२-
 ५३, ३८६, ३९८; —और स्त्रियाँ,
 ४२८; —और स्वतन्त्र भारत, २०;
 —का सबसे पूर्ण प्रदर्शन चम्पारन,
 ३३५; —की कला, ३१६; —की कला
 और हिन्दू, २३६; —की कर्त्तवी विस्व-
 युद्ध, द्वितीयके सन्दर्भमें, २६९-७१;
 —की शक्ति, २३७-३८; —के संगठनमें
 गांधीजी असफल, १८३; —ठोस घातुके
 निमित्त २२५; —दीरोंका गुण, ३३०;
 —विवेकका दूसरा नाम, १४१;
 —स्वराज्य-प्राप्तिका साधन, ४३४

आ

आँकतफोर्ड ग्रुप, १७६, २१५
 आजाद, (मौलाना) अबुल न्लान, १९५
 पा० टि०, २०४, २०९ पा० टि०,
 २७९-८०, ३७१-७३, ३८२
 आत्मकथा, देखिए सत्यके प्रयोग अथवा
 आत्मकथा

आत्मवचना, —से गांधीजी भी मुक्त नहीं,
२१५

आदिवासी, —और ठक्कर बापा, २९२

आन्ध्र पत्रिका, १७३

आन्ध्र प्रदेश, —और सूत्र-यज्ञ, १७२-७४

आवेद, आजम, १२८

आयंगर, श्रीनिवास, देखिए अय्यंगर,
श्रीनिवास

आयोजना, —की अनुग्रह्य और अनुलम्ब
पद्धतियाँ, २१८-१९

आर्यनायकम्, आशादेवी, ३०५, ३०६, ४४२

आर्यनायकम्, ई० डब्ल्यू०, १०५, ३०६,
४४२

आर्य-सभा, १००

आर्यसमाज, —का सत्याग्रह, ५५, १००

आशालतावहन, ३९४

आसर, लक्ष्मीदास, ६०, ६९

आसर, लीलावती, २, २०, ९०, ९१,
१०६, १८२, ३५८, ३९१

इ

इंग्लैंड, १८०, १८८-८९, २६०, २६१

इंडियन ओपिनियन, ८८, १२२

इतियराह, साराहम्मा, ३९

इम्पीरियल बैंक, १०८

इस्माइल, सर मिर्जा, २८० पा० टि०

इस्लाम, १२०, ३१४-१५; —का अर्थ शान्ति,
२३६; —और अहिंसा, देखिए 'कुरान'
और अहिंसा

ई

ईराक, १९९

ईश्वर, २०, २६-२७, ३१-३३, १०७,

१४१, १७९, १९१, १९२, १९३,

२०३, २०४, २१५-१७, २४३, २४७,

२४८, २६८, २७४, ३०१, ३०३,

३१३-१४, ३२१, ३२६, ३५०, ३७९,

४३४, ४४०; —और न्याय, १८२;

—से साक्षात्कारजीवनका अन्तिम उद्देश्य,

२४७; —हिंसा-अहिंसासे परे, ३०२

ईश्वरदास, १८३, २३३

ईश्वरन्, ए०, २८१

ईश्वरशरण, ११०, ३८०

ईसाई, ३१२, ३१५, ३५९, ३७२, ३७३;

—और कांग्रेस, ३८१

ईस्ट इण्डिया कम्पनी, ८२

उ

उज्ज्वलसिंह, सरदार, ४३०

उत्तमचन्द, २०५

उपवास, ६२, ४१२; —और ब्रह्मचर्य-
पालन, ३२१; —यरवडा जेलमें, २१६

उपाध्याय, हरिभाऊ, ३४४

उमा, देखिए डिनोव्स्का, वाढा

उर्दू, १२०

उर्दू लिपि, ५२

ए

एकलव्य, २४६

एन्ड्र्यूज, सी० एफ०, ४८, १४२, २८५,
२९३

एवीसीनिया, २२५

एशियाई (ट्रान्सवाल) भूमि और व्यापार
अधिनियम, —के विरुद्ध सत्याग्रह, ४९

पा० टि०

एशियाई-विरोधी कानून, २२७

ऐ

ऐयामुत्तु, १४४, १४९

ओ

ओम, देखिए वजाज, उमा

औ

औद्योगिक सर्वेक्षण समिति, —की रिपोर्ट, ३८-६५

औपनिवेशिक दर्जा, देखिए अगली प्रविष्टि
औपनिवेशिक स्वराज्य, —और भारत, ५, २८५, ३१२, ३३७, ४३३-३४

क

कंक, प्रेमावहन, १५४, १५६, ३४६, ३५०, ३५८, ३५९

कंसल, गोविन्ददास, २४९

कटि-स्तान, २०५

कतार्ह, १४५, १४७, ४३८; —अकाल-
राहतका साधन, ६१, १७२; —अर-
नाडमें, २५६; —और अप्रमाणित
व्यापारी, १४६; —और 'जरायम-
पेशा' जातियाँ, ११४-१५; —और
बुनकर, १७०-७१; —और स्त्रियाँ,
४२७-२८; —की मजदूरी, देखिए
कत्तिनोंकी मजदूरी; —के आँकड़े,
२२०-२१; —शिक्षा के साधनके रूपमें,
२६५-६६, ३०५-६; —सविनय
अवज्ञाकी अनिवार्य शर्त, ३५३,
३८६, ३९९, ४१८, ४२१-२३,
४२७-२८; देखिए अगली प्रविष्टि
और चरखा भीकतार्ह-यज्ञ, १०९, १८४, २५८; —आन्ध्रमें,
१७२-७४; —और मोरवी रियासत,
२९०-९१; —नारणदास गांधीके
तत्त्वावधानमें, ५९, ६१, ७७, ४१३-
१४; —सीताराम शास्त्रीके तत्त्वा-
वधानमें, ७७

कतैया, देखिए कत्तिन

कत्तिन, २५६-५७; —[नें] आन्ध्रकी,
१७३; —तमिलनाडुकी, १४६; —[नों]
की मजदूरी, ११२-१४, १४४-४५,
१४७-४८, १८४-८५

कनसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ३५४

कर्नया, देखिए गांधी, कनू

कमला नेहरू स्मारक अस्पताल. —के लिए
चन्देकी अपील, ४१०-११, ४१३
करवन्दी, ३९८

करुणागपल्ली सम्मेलन, १७७ पा० टि०

कर्म, —और प्रार्थना, ३२

कांग्रेस, त्रावणकोर राज्य, १६४, २४९-५२;
—का कार्यक्रम, २६४-६५; —के प्रस्ताव,
३६८; —द्वारा सविनय अवज्ञा स्युजित.
३६७

कांग्रेस, दक्षिण आफ्रिका. ८७, १०२

कांग्रेस, नेटाल भारतीय, १०२ पा० टि०

कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय, १०, १८, ४४,
४७, ९४, १०१, १४३, १६६, १६७,
१७९, १९५, २३४, २५३, २६३,
२७७, २८९, २९८, ३०७, ३२९,
३३२-३५, ३४७-५०, ३५१, ३५५,
३६१, ३७०-७१, ३७२, ३७४, ३८४,
३८६, ३८९, ३९०, ३९९, ४१७,
४३३; —और अहिंसा, ११, १२६,
२३५, २६९-७१, ४३९; —और देशी
नरेश, १३७-३८; —और देशी रियासतें,
२३९-४०; —और धर्म निरपेक्षता,
२३९; —और प्रजा परिषद्, ५०-५१;
—और मुसलमान, ३६०; —और
मुस्लिम लीग, ३५६, ३८२, ४३४-३५;
—और रचनात्मक कार्य, ६८; —और
बाइसरायकी घोषणा, ३१०-१३; —और
विश्व-युद्ध, द्वितीय, १९४-९६, २८६,
२९७, ३२३, ३५३, ४१६-१८; —और

- संविधान सभा, ३४०, ४०७, —और
सविनय अवज्ञा, ३९७-९८; —और
साम्प्रदायिक निर्णय, ३८७, —और
साम्प्रदायिक सगठन, ४२९; —और
हिन्दू, ३६५, ३८१-८३, —का नशा-
बन्दी-सम्बन्धी प्रस्ताव, १५३, —का
शिष्टमण्डल लकाके लिए, ४८, —की
कमजोरियाँ, ७३-७६, ३२४-२५, ३६०,
३७७; —की भूलोके खिलाफ अनशनकी
घमकी, ६९-७२, —की मींग २४०,
२८५-९०, ३१०-१२, ३३७-४०, ३७६;
—के अन्दरके गुट, ३५९-६०; —के
तात्कालिक कर्तव्य, ३५२-५३, —के
शासनमें हरिजनके साथ न्याय, १७४,
—पर जेटलैण्डका आरोप, ३६५-६६;
—बम्बई नगर निगममें कांग्रेसका बहुमत,
१४०, —से गांधीजी का सम्बन्ध-विच्छेद,
१२७
— अधिवेशन, १५
— कार्य-समिति, ४ पा० टि०, ५, १५,
२९, ५१, ६२, ७१, ७२, ७३, ९६,
९७-९८, ११६, १५५, १७९, २०८
पा० टि०, २११, २३०, २६९, २७२,
२९६, २९८, ३२५, ३३१, ३४०,
३५२-५३, ३८२, ३९०, ३९९, ४००,
४२७; —और अहिंसा, १२५, २२६;
—और राजनीतिक कैदी, ६६, —और
विश्व-संकट-सम्बन्धी घोषणापत्र, १९४-
९६; —और सविनय अवज्ञा, ४३८;
—और सुभाष बाबू, १२५, १२६,
१६७-६८, ४१९, —के प्रस्ताव, ९४-९५,
१२५-२७, ३४७-४८, ३८५, ४१६-१८,
४२८; —के सदस्योंकी स्थिति, ३२९
— जिला समिति, कराचीकी, ३
— प्रान्तीय समिति
—आन्ध्रकी, १७३

- पंजाबकी, —और डाँ० सत्यपाल, १०१
—बंगालकी, ९५, ४१९
— महासमिति, १२, ९४, १२६, २०८
पा० टि०, २११, २२६-२७, २९५;
—का प्रस्ताव, २७६
— सविधान, १६८; —में सशोधन, ७४,
७५
— सरकार, ४४, ७०, ७३, ७४, ७५,
१०३, १५०, १७१; —[रों]का पद-
त्याग, ३५२, ३६७, ३७४, ३८५-
८७, ४१४, ४१८
कांग्रेसी, ५, ११-१२, ५१, ७१-७२, ७३,
७५-७६, १९५, २२४, २७०, २८९,
३२४-२६, ३२९, ३३३, ३८७, —और
अनुशासन, १२५-२६, १६८, ४००-१;
—और अहिंसा, ३९५-९६, —और खादी-
सम्बन्धी धाराका पालन, ४०१, —और
रचनात्मक कार्यक्रम, ३५३; —[सियों]
पर केवल आन्दोलनकारी होने का
आरोप, ४१०; —पर मुस्लिम-विरोधी
का आरोप गलत, २९५; —में फूट,
२६; —सभी राष्ट्रवादी, ३५९
काका साहब, देखिए कालेलकर, ६० वा०
काज़ी, अताउल्ला, ८६
काठियावाड़, —की रियासतें और अकाल
राहत-कार्य, १७२; —की रियासतोंकी
समस्याएँ, ९३, ९८-९९
काणे, कर्णसिंह, १०९ पा० टि०
कानजी, मुनि, ९२
कानिटकर, जी० एन०, १८९
कापन्ना, डाँ० ए० एन०, ३९, ४१
काम अने कामिनी, १५४ पा० टि०
कामथ, ३९४
कामन्स सभा, ३४८, ३४९, ३५४
कार्य, सी० के०, २५६ पा० टि०
कार्य-समिति, देखिए कांग्रेस कार्य-समिति

काले, अनसूयाबाई, १४२ पा० टि०
 कालेलकर, चन्दन, ९
 कालेलकर, द० बा०, ९, ५४, ६४, ७१,
 १२१, २३१, ३९४
 कालेलकर, सतीश द०, २३१
 किशोरलाल, २८२
 किसान-सभा, ३९८
 कुंग, एच० एच०, ३६३
 कुटीर उद्योग, ३८; —और रोजगार, ८२-
 ८३
 कुप्युस्वामी, २४५
 कुमारप्पा, जे० सी०, ३९, ४०, ११७;
 —के आर्थिक विचार, २१८-१९
 कुमारप्पा समिति, —की रिपोर्ट, ३०५
 कुमारप्पा, भारतन्, ४४१
 कुरान ६५, ३१४-१५; —और अहिंसा,
 २३५-३६, ३७१-७३
 कुरैशी, अकबर, ३६९
 कुरैशी, अमीना, ३६९
 कुरैशी, गुलाम रसूल, ९६, ३६९
 कृपलानी, जे० वी०, ९५, १५३, २८०
 पा० टि०, २९५, ३६६
 कृपापुरीश्वरर मन्दिर, —में हरिजन-प्रवेशका
 प्रश्न, २४३ पा० टि०
 कृषि, ४२
 कृष्णचन्द्र, २०, ५८, ६०, ८०, १०७,
 २५५, २८३, ३०९, ३४३, ४०६
 कृष्णदास, ४०२
 कृष्ण पत्रिका, १७३
 केदार, टी० जे०, १४३ पा० टि०
 केप टाउन समझौता, १९१४ का, ४९
 केलकर, न० वि०, १५५, २७४, २७५
 पा० टि०
 केल्लपन, ४४१
 कैदी, —और मौन, ३१९
 —त्रावणकोरके, २५०, ३६८

—पंजाबके, —[दियों]की भूख-हड़ताल
 और उनकी रिहाईकी समस्या, ६६;
 —बंगालके, —[दियों]की भूख हड़ताल
 और उनकी रिहाईकी समस्या, १,
 १३, ६२, ६६, ८१, ९७-९८
 कैप्टेन, पेरीनवहन, २२१
 कैलेनबैक, एच०, १८६
 कोठारी, माणिकलाल, ४०३
 कोठारी, राधा, ४०३
 कौजलगी, एच० एस०, ११४, ३१६ पा०
 टि०
 किस्टोफर, ८७

ख

खाँ, (हकीम) अजमल, ३८२
 खाँ, अब्दुल गफ्फार, २६, ४८, २३६, २३७
 खाँ, जफरल्ला, ४३०
 खाँ, (डॉ०) शफात अहमद, ४३०
 खाँ, सिकन्दर हयात, २९, ४७, २२८, ३६०;
 —की संघ योजना, ४-५
 खाँड़, २७७-७८
 खाँडेकर, एच० जे०, १०४ पा० टि०
 खादी, ११, ८९, ११३, १३४, २१८,
 २४४, २६४, २६६, ३०६, ४२२;
 —और अकाल-सुरक्षा, १०३, २९०-
 ९१; —और कत्तिनोंकी मजदूरी, ११२-
 १४, १४४-४५, १४७, १८४-८५;
 —और कांग्रेस-संरक्षण, ७४-७५, १०३,
 ४०१; —और पदत्यागी मन्त्री, ४१४;
 —और विश्वयुद्ध, द्वितीय, १८५;
 —का विकेन्द्रीकरण, १४९; —की खपत
 का प्रश्न, १०२-३, ११६-१८, १२९,
 १५०, १८४-८५; —की सम्भावनाएँ,
 २५६-५७; —के अप्रमाणित व्यापारी,
 ११९-२०, १४८-४९, १५०; —तमिल-
 नाडुमें, १४४-५०, १८४; —प्रसारके

लिए योजना, २५७; -बनाम मिलका कपड़ा, २२०-२१; -शिक्षाके माध्यमके रूपमें, १०२-३; -सरकारी संरक्षणकी पात्र, ११६-१७; देखिए कताई-यज्ञ, चरखा और बुनकर तथा अगली तीन प्रविष्टियां भी
खादी-कार्य, १४४, २३८, ३६९
खादी-सप्ताह, २४४; देखिए कताई-यज्ञ भी
खादी-सेवक, १०२-३; -[कों]का सम्मेलन १४८
खान, नवाब, १२८
खान साहब, देखिए खाँ, अब्दुल गफ्फार
खान साहब, डॉ०, ८६
खिलाफत आन्दोलन, २३५, २९५, ३८२
खेर, दा० गं०, १६६, २०९ पा० टि०, ३३२

ग

गांधी, कनु, ९२, १५६, १९१, ३०३, ३३६, ३५८
गांधी, कसुम्बा, ५६, १२१, १६७
गांधी, कस्तूरबा, ५७, ७९, ८६, ८७, १६५, १९२, २०७, २४२, ३००, ३२७, ३७९
गांधी, कानम, १४, २०
गांधी, कान्तिराल, १५६, २५५, ३००, ४२५
गांधी, कृष्णदास, १५६, ३००, ४०२
गांधी, जमनादास, २५९
गांधी, जयसुखलाल, ५६, १२१, १६७, ३०३, ४०२
गांधी, देवदास, ५७
गांधी, नारणदास, ५६, ५९, ७७, १०९, १७३-७४, १९१, २०७, २४०, २५८, २९१, २९४, २९७, ४१३-१४, ४२१

गांधी, निर्मला, १४, २०, ६९, ८७
गांधी, मगनलाल, १३४, २०० पा० टि०
गांधी, मणिलाल, ७९, ८७, १२२, २०८, २५४
गांधी, माणिकलाल, ४०२
गांधी, मनोज्ञा, १५६
गांधी, मो० क०, -और नेहरूके बीच मतभेद, ३६६; -और विनोद-वृत्ति, २४६-४८; -की असंगतिका स्पष्टीकरण, २६६-६८; -की ७१वीं वर्षगांठ, १७३; -की हिटलरसे अपील, २३; -द्वारा कुछ व्यक्तिगत आरोपों का उत्तर, ३४८-५२; -द्वारा पुलिस सुरक्षाका लाभ लेने से इनकार, ३२१-२२; -युद्धमें ब्रिटेन व फ्रांसके समर्थक, १७९
गांधी, राधा, ३००, ३९१
गांधी, रामदास, १४ पा० टि०
गांधी, लक्ष्मी, १०८, १९८, ४०३ पा० टि०
गांधी, लक्ष्मीदास, ४०३ पा० टि०
गांधी, लक्ष्मीदास नये, १९८
गांधी, संयुक्ता, ५६, १२१
गांधी, सरस्वती, १५६, २५५, ३००, ४२५
गांधी, सीता, ८८
गांधी, सुशीला, ७९, ८८, १२२, २५४
गांधी, हरिलाल, २४१ पा० टि०
गांधी-जयन्ती, -का सच्चा महत्त्व, २४४; देखिए कताई-यज्ञ भी
गांधीवाद, २७२-७४
गांधीवादी, ३५९
गांधी सेवा संघ, १२३ पा० टि०, १५२ पा० टि०, ३२९-३०, ३३३-३५
गांव, -और अ० भा० चरखा संघ, ११६; -और कारखानोंमें उत्पादन, ८२-८३; -और खादी, १४५, १४७, १७४, ३५३; -और प्राथमिक शिक्षा,

३०५-६, ३०८; —[बों]का स्वावलम्बन और अहिंसा, ३३०; —की अवस्थाका सर्वेक्षण, ३८-४५; —की समृद्धिका मार्ग, ११४, २१८-१९, —के लोगोंकी प्राथमिक आवश्यकताओंकी उपेक्षा, ४४; —को लाभदायक रोजगारकी आवश्यकता, १३२, —में उद्योग, ३८-४५, ७४; —में प्रचार-कार्य और बैलगाडी, १३२-३३; —में मजदूरीकी अपर्याप्त दर, ११३

गिब्सन, ई० सी०, २४०

गिल्डर, डॉ० डी० डी०, २८, ६७

गीता, देखिए भगवद्गीता

गुप्त, ए०, १५४

गुप्त, धनश्यामासिंह, ५५ पा० टि०, १००

गुप्ता, देशबन्धु, ५५ पा० टि०

गुरजले, गोविन्द वी०, २४३, २९९, ३९१

गोरखा, २७१

गोलमेज सम्मेलन, ३५०, ३५५, ४०९, ४३०

गौहर जान, ३१०

ग्राम उद्योग पत्रिका, ८२, १३२, २१८

ग्रामोद्योग, ८३, १८४, २३८; —[गों]का पुनरुत्थान, १३४-३५, ३०६, —के बारेमें कुमारप्पा समितिकी रिपोर्ट, ३०५

ग्रामोद्योग संघ, देखिए अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ

घ

घानी, —के पुनरुद्धारकी वाछनीयता, १३४-३५

घुड़दौड़, —का व्यसन, २४८

घेरा, के० पी०, ३९

घोष, डॉ० प्रफुल्लचन्द्र, २९५

घोष, बारीन, ४२४

घोषणा, —वाइसरायकी, २९७-९९

च

चट्टोपाध्याय, कमलादेवी, —द्वितीय विश्व-युद्ध के सम्बन्धमें, २६०-६२

चन्दावरकर, वी० एन०, २७५ पा० टि०
चमन कवि, २०

चम्बा, —के नाबालिग राजा, १६

चरखा, १३४, १४५, १७३, ३०७, ३३०, ४३६-३७; —अकाल राहतका साधन, ११२; —अहिंसाका प्रतीक, ३५३;

—और जवाहरलाल नेहरू, ११६, —और स्वराज्य, ३८६; —रोजगारका सबसे कारगर साधन, ८२, —[स्त्रे]की क्षमता, ११७

चरखा सघ, देखिए अखिल भारतीय चरखा सघ

चाँदीवाला, जानकीदेवी, ३६४-६५

चाँदीवाला, ब्रजकृष्ण, २०१, २०६, ३१०, ३१७

चावड़ा, अकबरभाई, ५४

चित्रे, केशव महादेव, १५९, २५४, ३३६

चीन, ३६३ पा० टि०; —के मुसलमान, ३७२-७३

चुङगर, पोपटलाल, १२४

चेक, २२५

चेट्टी, पोती श्रीरामलु, ६३

चेम्बरलेन, जोसेफ, १८०, १८८

चोकसी, नाजुकलाल एन०, ३०२

चोकसी, मोती, ३०२

चोखावाला, शारदाबहन गो०, २, ८, ८७, २३२, ३००, ३५८, ३५९, ४०३

चौधरी, गोपबन्धु, ९०

चौधरी, जगलाल, १५३

चौधरी, सुखाभाऊ, १

चौधरी, सुखाभाऊ, १

चौधरी, सुखाभाऊ, १

चौधरी, सुखाभाऊ, १

चौधरी, सुखाभाऊ, १

चौधरी, सुखाभाऊ, १

चौधरी, सुखाभाऊ, १

ज

जंगल-सत्याग्रह, ४२४-२५
 जन-साक्षरता अभियान, २६४
 जमींदार, —और किसानोंका आन्दोलन
 पटियाला राज्यमें, १३६
 जमीयत-उल-उलेमा, —और वुनियादी शिक्षा,
 १२०
 जयपुर, —की जेलमें जमनालाल बजाजकी
 अवस्था, ७६-७७, —का सत्याग्रह
 सफल, १९६-९८
 जयप्रकाश नारायण, ३००, ३७९
 जयरामदास दीलतराम, २९५, ४०५
 'जरायमपेशा जातियाँ', —और कताई, ११४-
 १५
 जर्मनी, १८८-८९, २२३, २५२
 जलियाँवाला बाग स्मारक-निधि, १०८
 पा० टि०
 जसाणी, चतुर्भुजभाई, ३९
 जसाणी, तारा, ९२, ३०४
 जहाँगीर, क्रावसजी, २७५ पा० टि०
 जाकिर हुसेन समिति, १०५ पा० टि०
 जाजू, श्रीकृष्णदास, ११३
 जामिया मिलिया इस्लामिया, १२०
 जिन्ना, मुहम्मद अली, २८८, ३५६, ३७४,
 ३७६, ३७७, ३८३, ३९७, ४२९
 जुआ, २४८
 जुलू बिद्रोह, ४२२
 जेटलैण्ड, लॉर्ड, २४०; —का वक्तव्य,
 ३६५-६६, ३७८, ३९८, ४२९; —द्वारा
 कांग्रेसपर हिन्दू संस्था होने का आरोप,
 ३८१
 जेन्द अवेस्ता, ३१५
 जेराजाणी, पुरुषोत्तम के०, १९८, २१८
 जेराजाणी, मगन, १२३
 जेराजाणी, विट्ठलदास, ५६
 जेसुदासन, १४२

जोशी, छगनलाल, ६१, १०९, १९८ पा०
 टि०, २४१, २९७
 ज्यूइश ट्रिब्यून, २८

झ

झा, आर० एन०, ३९

ट

(लन्दन) टाइम्स, ३७०-७१
 टाइम्स ऑफ इंडिया, —की अपील और
 गांधीजी का उत्तर, ३१०-१३
 टॉमसन, एडवर्ड, ३२७, ३४८-४९, ३५०
 टॉल्स्टॉय, ३१
 ट्रिब्यून, ९९, १९०, —का कांग्रेस पर
 आरोप, ३८२

ठ

ठक्कर, अमृतलाल वि०, १६६, ३१७, ४४०,
 ४४२ पा० टि०, —और आदिवासी,
 २९२; —और भारत सेवक मंडल,
 ३४०-४१; —और हरिजन-कार्य,
 २६८; —की वर्षगांठ और हरिजन,
 २९२

ठक्कर बापा जयन्ती समारोह, ४३२
 ठाकुर, (डॉ०) आर० एस०, ३९, ४१

ड

डाबर, न्यायमूर्ति, ३१६ पा० टि०
 डिनोव्स्का, वांडा, १९९ पा० टि०
 डेवरी, साइड-विशेषज्ञ, २७८

ढ

ढेवर, उ० न०, ८७, २०७

तंजीम-उल-मोमिनीन, —और शिया-सुन्नी-
विवाद ६५
तंजौर मन्दिर, —में हरिजन-प्रवेश, २ पा०
टि०, ४६
तकली, २५५
'तबरी', —'कुरान' में तबरी कहने की
इजाजत नहीं, —६५
ताताचार, के०, १७४, २८१
तात्याजी, देखिए केलकर, न० चि०
तान युन-वान, ३६३
ताराबहन, १०७
तिलक, बाल गंगाधर, ६७, १५५, ३४१
पा० टि०
तिलक स्वराज्य-कोष, ३४१
तुर्की, १९९
तेल, —मिल, १३४-३५
तैयबजी, बदरुद्दीन, ३८२
तैयबजी, सालेह, ४८
त्रावणकोर, —का मामला, १६४-६५, १७७
—पा० टि०, २४९-५२; —की सरकारी
—विज्ञप्ति, २५०, ३६३-६४; —के कैदी,
२५०, २६८; —के दीवानकी वर्ष-
गाँठसे उत्पन्न विवाद, ३६८; —के
महाराजा, देखिए वर्मा, बलराम; —में
दमन, ३६७-६८; —राज्य कांग्रेस, देखिए
कांग्रेस, त्रावणकोर राज्यकी; —में
सविनय अवज्ञा-स्थगित, ३६७
त्रावणकोर रक्षा अधिषोषणा, —के नियम,
२५१
त्रिवेदी, शम्भुशंकर, २०७, ३७५
त्र्यम्बकलाल पोपटलाल, ४६७
द
दंगे, —सिधमें, ४३९

दक्षिण आफ्रिका, ४८, २१६; —की सत्याग्रह-
समिति, ४९; —में स्थानीय कांग्रेस
और सत्याग्रहियोंके बीच फूट, १०२
दत्त, वाल्टर, ३९
दलित वर्ग, ३७१; —और स्वराज्य, ३३७;
—सम्मेलन, १०९
दस्तकारी, —[रियों]का पुनरुद्धार, ३०६
दांडी-कूच, —२२७, २७०, ४२१, ४२७,
देखिए नमक सत्याग्रह भी
दातारसिंह, ६-७, १४, १८३, २३३
दादू, (डाँ०) वाई० एम०, ४९३, २०६,
२०८, २३३
दाफडा, दूधामाई, १९६, २४७
दास, प्रियरंजन, १६७
दास, मुकुन्दप्रसाद, ९० पा० टि०
दिग्विजयासिंह, ३३३
दिवाकर, रंगनाथ रा०, १८३, २८०; ३१६
पा० टि०
दीवान, कुन्दर, २५५
दीवानजी, दिलखुश बी०, ८९, ३९५
दुनीचन्द, —लाला, १५, १०१
दुर्भिक्ष, देखिए अकाल
देवनागरी लिपि, —और साक्षरता आन्दोलन,
—५२; —के अधिकतर भारतीय भाषाओं
की लिपि-बनने की सम्भावना, ५२
देव, शंकरराव, १५४, १५५, १५६, २९५,
३१६ पा० टि०
देवशंकर, शिवजी, १३३
देसपाण्डे, गंगाधरराव, ३१६ पा० टि०
देशी-नरेश, १९०, २५२, ३३८, ४०९;
—अधीश्वरी सत्ताके अनुगामी, १६,
३७०-७१, ३९०, ४१७; —और
दीवानोंकी नियुक्ति, —१९७; —और
स्वतन्त्रताका प्रश्न, ३७०-७१; —ब्रिटिश
साम्राज्यकी उपज, ३५४; —[शों]को
सलाह, १३७-३८

देशी राज्य, देखिए रियासतें
 देशी राज्य प्रजा परिपद्, देखिए अखिल
 भारतीय देशी राज्य प्रजा परिपद्
 देसाई, जीवणजी डा०, ५८, ६४, १०४
 देसाई, दुर्गाविहन, ८७
 देसाई, नारायण, ९२
 देसाई, भूलाभाई, १४३
 देसाई, भगनभाई प्रभुदास, ५४, ६४
 देसाई, महादेव, १, ३८, ५५, ५७, ६२,
 १०८, १८२, १८३, २०४, २२८,
 २५७, २९३, ३०३, ३१०, ३१७,
 ३४५, ३४९, ३५७, ३८९, ४२५,
 ४२६, ४४०, ४४२
 देसाई, बालजी गो०, ७८, १५९, ३५४,
 ३३६
 द्वितीय विश्वयुद्ध, देखिए विश्वयुद्ध, द्वितीय
 द्विराष्ट्र-सिद्धान्त, देखिए पृथक् राष्ट्रका
 सिद्धान्त

घ

घरना, —नशाबन्दीके लिए, ३, —[ने]की
 मर्यादाएँ, ४३१-३२
 घर्म, ३१४-१५
 घर्मन्त्रसिंह, ४११-१२
 घामी-काण्ड, १५-१६, ४७ पा० टि०, ६३;
 —से सवक, ५०-५१
 घूत, रामकृष्ण, २०५
 घुब, ११५

न

नई तालीम, ३०५ पा० टि०
 नटवरलाल, ३७९
 नदवी, मौलाना सुलेमान, ३१४
 नमक सत्याग्रह, २४४, २७०, ३३५, ३७५,
 ३८१; देखिए दाँडी-कूच भी

नयन (ज० प्र० भणसालीकी भतीजी),
 ४०५
 'नये गाधी', देखिए गाधी, लक्ष्मीदास नये
 नरसिंहगढ, —के मामलेकी जाँच, २३८
 नवमल्लिका, देखिए पारेख, नवमल्लिका
 नवजीवन, ३२५, ३५०
 नगावन्दी, देखिए मद्य-निषेध
 नागपुर टाइम्स, १४२
 नागरिक स्वतन्त्रता, ३९८, —और मन्त्रि-
 मण्डलोका त्यागपत्र, ३८५; —का अर्थ,
 २३८
 नाजीवाद, १८८, २८९
 नाना, ७९
 नानाभाई, देखिए भट्ट, नृसिंहप्रसाद
 कालिदास
 नानावटी, अमृतलाल ठा०, ९, ७८, ८७,
 १११, १२१, १२९, २०५, २४२,
 ३७९, ३९४
 नायक, गजानन, —के खाँडके वारेमें विचार,
 २७७-७८
 नायक, भीमप्पा, ३१७ पा० टि०
 निजाम सरकार, —और आर्य सत्याग्रह,
 ५५ पा० टि०, १०० पा० टि०
 निर्मलानन्द, देखिए गुरजले, गोविन्द वी०
 निःशस्त्रीकरण, —भारतीय जनताका, ४३४
 निष्क्रिय प्रतिरोध, —सत्याग्रहका आरम्भिक
 नाम, २२७
 नूरी, एम० वार्ड०, १०६
 नेटाल भारतीय कांग्रेस, देखिए कांग्रेस,
 नेटाल भारतीय
 नेहरू, इन्दिरा, २८४, ३२८
 नेहरू, कमला, ४१०-११
 नेहरू, जवाहरलाल, २८, ३५, ४७, ६३,
 ९५, १०७, १२६, १३७, १९४, १९५,
 २०४, २१७, २३०, २६२, २७५,
 २८२, ३२८, ३४६, ३४९, ३७४,

- ३७७, ३८८, ४१३, ४२६, ४२९, ४३६, ४४१, —और गांधीजी में मतभेद, ३३१, ३६६, —और चरखा, ११६; —और संविधान-सभा, ४०७; —की चीन-यात्रा, ९६, १०७
- नेहरू, रामेश्वरी, ४६, ५३
- नैयर, प्यारेलाल, १९१, २२८, २३७, ३४९, ४०३
- नैयर, सुशीला, २०, ४८, ५७, ६४, ६९, ८०, ८७, ९०, १५६, २०५, ३४९, ३५८, ३६९, ३९४
- नोमानी, शिबली, ३१४
- नौरोजी, दादाभाई, ३८१
- न्यास-सिद्धान्त, —और 'हृदीस', १७५
- न्यूज क्रॉनिकल, ३३९, ३८८, ३८९
- प
- पंचोली, मनुभाई, २१३
- पंचोली, विजयावहन, ९, १११, ११५, १२१, १२९, १३४, १४४, १९२, १९३, २०५, २१३, २४२, २५८, ३००, ३७९, ३९४
- पंजाब, —के कांग्रेसी और डॉ० सत्यपाल, १०१; —के राजनीतिक क्रांति, देखिए क्रांति, पंजाबके
- पंजाब नेशनल बैंक, १२२, १३९
- पड्या, भगवानजी पु०, ५७
- पटवर्धन, अप्पा, १७०
- पटवर्धन, पी० एच०, १५५
- पटियाला, —के महाराजाकी घमकी, १३६-३८
- पटेल, क्षेवरभाई, १३४-३५
- पटेल, डाह्याभाई, ४०६
- पटेल, नारणभाई, १११, १२१, १२९, १३४, १५७, १९२, २१३
- पटेल, (डॉ०) भास्कर, १४४
- पटेल, रावजीभाई, १२९
- पटेल, वल्लभभाई, ५७, १३४, १३०, १४३, १६६, २१४, २२१, २८२, २९६, ३६१, ३८१
- पटेल, शिवाभाई, २७२
- पण्डित, वसुमती, ८६, ३५८
- पन्त, गोविन्दवल्लभ, ६५, ८१ पा० टि०
- परमानन्द, श्रीमती, ६
- परीख, नरहरि, १२८
- परीख, वनमाला, ८६
- पाटडिया, पुरुषोत्तमदास अ०, १६६
- पाठ्यपुस्तक, —[को]के सरकारी प्रकाशन की आवश्यकता, १७०
- पादरेफुस्की, १८१
- पारनेरकर, यशवन्त महादेव, २
- पारसी, ३१२, ३१५, ३७३; —और कांग्रेस, ३८१; —और मद्य-निषेध, ६७
- पारेख, इन्दु, १४३
- पारेख, कान्ति, ३०३
- पारेख, कुँवरजी खेतसी, २४१, २४२, २५९, २७६, ३०१, ३३२, ३६९, ४०२
- पारेख, चन्दनबहन, ९, ७९, १११, २३१
- पारेख, नवल्लिका, ४०२ पा० टि०
- पारेख, रामी, २४१ पा० टि०, २७६, ३३२, ४०२
- पालिताना, —के शासक, ३७५
- पिल्लै, पत्तम ताणु, ४, १६४, १८१, २१२, २६३, ३१६, ३६८
- पृथक् राष्ट्रका सिद्धान्त, ३७२-७४
- पृथ्वीसिंह, सरदार, २२७-२९, ३३६
- पैदल कामपर जाने का माहात्म्य, २६६-६८
- पेंसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन, ८७-८८
- पोलैंड, १८९, १९९; —और द्वितीय विश्व-युद्ध, १५७, १८१-८२, २००; —की वीरता, २२३; —की स्वतन्त्रता, २०१
- प्यारेलाल, देखिए नैयर, प्यारेलाल

प्रजातन्त्र, -ब्रनाम सर्वसत्तावाद, २२५
 प्रजामण्डल, -और देशी राज्य प्रजा
 परिपद्, १८, ५०; -जयपुरका, १९७;
 -त्रावणकोरका, १७७; -पटियाला
 राज्यका, १३६, १३७; -पटौदी राज्य
 का, ३०२ पा० टि०; -सिरोही रिया-
 सतका, १९९; -हिमालयी राज्योंका,
 ५०-५१

प्रान्तीय विधान-मण्डल, -[लो]के प्रस्ताव
 का मसौदा, २०८-१०

प्रभावती, १९, ६४, ८५, १५६, ३००,
 ३७९

प्रह्लाद, -की अहिंसा, ३०२
 प्राथमिक शिक्षा, देखिए बुनियादी शिक्षाके
 अन्तर्गत उप-प्रविष्टि "प्राथमिक स्तर
 की"

प्रार्थना, -और कर्मका सिद्धान्त, ३२;
 -और बृद्ध, ३२-३३; -और बौद्ध
 धर्म, ३०-३३; -का मर्म, ३०-३४,
 ३६४-६५, -के सम्बन्धमें टॉल्स्टॉयके
 विचार, ३०-३३

फ

फाटक, हरिभाऊ, २७४
 फावरी, चार्ल्स, -के प्रार्थना-विषयक विचार,
 ३०-३४

फासिज्म, २८९, ३९८
 फिलिपोज, ३६८
 फ्रान्स, १८०, १८८-८९, १९६, २६०;
 -के साथ गांधीजी की सहानुभूति, १७९

व

बंगाल, -के राजनीतिक कंदी, देखिए कंदी,
 बंगालके
 बच्छराज, नेठ, ८०

बजाज, उमा, ३९२
 बजाज, कमलनयन, ८९
 बजाज, जमनालाल, ३८, ५६, ६४, ७६-
 ७७, ८९, ११९, १२२, १२४, १७७,
 १८०, १९६-९७, २१४

बजाज, जानकीदेवी, ३९२
 बजाज, मदालसा, ३९२
 बजाज, राधाकृष्ण, ३८, ८९
 बजाज, रामकृष्ण, २१४
 बजाज, सावित्री, ८९

बटलर, हारकोर्ट, -समितिकी रिपोर्ट, ९९
 बद्रका युद्ध, -और मुहम्मद, ३९३
 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, १६४ पा० टि०
 बम्बई, -में मद्य-निषेध, २१, ६७-६८
 बम्बई सरकार मद्य-निषेध बोर्ड, २१
 बर्मा, ४८

बर्वे, १६६
 बलवन्तसिंह, ६-७, १४, ४०, १८३, २३३,
 ३१०, ३२८

बहुसंख्यक, -का झूठा हीआ, २८६-९०
 बा, देखिए गांधी, कस्तूरबा
 बाइबल, ३१५
 बादशाह खान, देखिए खाँ, अब्दुल गफ्फार
 बापा/बापा साहेब, देखिए ठक्कर, अमृतलाल
 वि०

बाबलो, देखिए देसाई, नारायण म०
 बॉम्बे क्रॉनिकल, २६०-६१, ३४८
 वारी, मौलाना अब्दुल, २३६-३७
 बालकोवा, देखिए भावे, बालकृष्ण
 बालुकाका, देखिए कानिटकार, जी० एन०
 बासवय्या, तुम्मल, १२३ पा० टि०
 बिड़ला, घनग्यामदास, १६३, ३९३
 बिसेन, शिवबालक, २०५
 बीकम, सर सेंट जॉन डब्ल्यू०, १९७
 बुच, पुरातन जे०, ३४२
 बृद्ध, -और प्रार्थना, ३१-३३

बुनकर, —[रों]के उद्धारका मार्ग हाथ-कताई,
१७०-७१

बुनियादी तालीम/शिक्षा, २३८, २८१;
—और जमीयत-उल-उलेमा, १२०;
—का आधार आर्थिक स्वावलम्बन,
३०८-९; —का आर्थिक-राजनीतिक
पक्ष, ३०४-७; —की वर्षा योजना,
११२, ३४२; —के प्रसारका कदम,
८१; —प्राथमिक स्तरकी, —और कताई,
२६५-६६; —को कोई औद्योगिक
आधार देना आवश्यक, ३०९; —में
अंग्रेजीको स्थान नहीं, १६०

बुनियादी शिक्षा-योजना, ८१

बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन, ३४२

बृहदीश्वर मन्दिर, २ पा० टि०; —हरिजनों
के लिए खुला, ४६

बैंक ऑफ नागपुर, १०८

बैंकर, शंकरलाल, ३८, ७६, ८०, ८५,
१४८, १७२, १८५, २२०, २३८

बैजल, हृदयनाथ, १५१-५२

बोले, एस० के०, २१, ८२ पा० टि०

बोल्शेविकवाद, २८९

बोस, सुभाषचन्द्र, १ पा० टि०, ८१, ९४,
१५४, १६७, ४०० पा० टि०, ४१९;

—और कांग्रेस कार्य-समिति, १२५-२६,
१६७-६८; —के विरुद्ध प्रदर्शनकी
निन्दा, १६७-६८

बौद्ध, ३७३

बौद्ध धर्म, —और प्रार्थना, ३०-३३

ब्रह्मचर्य, २४७; —और गांधीजी, ३५०-५१;
—की व्याख्या, ३१९-२१, ४२५

ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ८७, १०२

ब्रिटिश सरकार, —और अल्पसंख्यक, ३३७-
३८; —और कांग्रेसकी माँग, २८६-
९०, ३३७-४०, ४१६; —और विश्व-
युद्ध, द्वितीय, १८७-८९, २०८, २२६.

२५१, २८६-८७, २९७, ३४७, ४१६;

—की 'फूट डालो और ढुकूमत करो'
की नीति, ४३५

ब्रिटेन, १९६; —और लोकतन्त्र, २५३;

—के साथ गांधीजी की सहानुभूति,
१७९; —को विना शर्त सहायता देने

का गांधीजी का विचार, १९४

ब्रेलवी, सैयद अब्दुल्ला, ४०९

भ

भगवद्गीता, ७२, २३१, ३१५, ३४४,
४०१

भगवानजी, देखिए पंढ्या, भगवानजी पु०

भट्ट, गोकुलभाई, १९८, १९९

भट्ट, नृसिंहप्रसाद कालिदास, २१३, २२९,
३९४

भणसाली, जयकृष्ण प्र०, २, ७१, ८७, ४०५

भण्डारी, २८४ पा० टि०

भण्डारी जाति, —और मद्य-निषेध, ८२

भागमल, १७.

भागवत, ४२५

भासा, हाजी इस्माइल, २३३

भारत, —एक राष्ट्र, ३१४-१५; —और

सैनिकवाद, २२२-२३; —का दृष्टिकोण

द्वितीय विश्व-युद्धके प्रति, २६०-६२;

—की गरीबीके कारण, ११३

भारत-कार्यालय, ३४०

भारत सरकार, ४९; —और संघ-विधान,
२५०-५१

भारत सरकार अधिनियम (१९३५),
३११; —और संघ-योजना ४, ५,
१३०

भारत सेवक मण्डल, —और ठक्कर बापा,
३४०-४१

भारतीय, —[यों] का संघर्ष दक्षिण आफ्रिका
में, १०२

भावे, बालकृष्ण, २०, ६०, ८०, ८७, २५५,
२७६
भावे, विनोबा, ७१, ११३
भूख-हडताल, —और राजनीतिक कैंदी,
देखिए कैंदी; —के दुरुपयोगकी निन्दा,
९७-९८

म

मंगलसिंह, १०१
मगन संग्रहालय, २००
मजदूर, —और पूंजीपति, १२; —और
शराबबन्दी, ६८
मजदूरी, कर्तव्यों/कत्तिनोंकी, ११२-१४,
१४५-४६
मजीद, २५२
मथुरादास त्रिकमजी, ३८१
मद्य-निषेध, ३, ६८, ११८-१९, १५३,
२४६, २६४, ३०६; —और कराची
जिला कांग्रेस कमेटी, ३; —और
भण्डारी-समिति, ८२, पा० टि०;
—और सविनय अवज्ञा ३८६; —वम्बईमें,
२१, ६७-६८; देखिए शराब भी
'मधे सहावा', ६५
मनु/मनुजी, देखिए मगरूवाला, मनुबहन सु०
मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन, १०८ पा० टि०,
३५९; —और हरिजन, २ पा० टि०,
४६, ८३, १५८, २०१-३, २४५;
—हिन्दू-धर्मकी शुद्धिका द्योतक, ४६
मन्दिर-प्रवेश प्राधिकीकरण और क्षतिपूर्ति
विवेक, १०८ पा० टि०
मशरूवाला, किनोरलाल घ०, १४, १२३,
१२४, १९८, ३३४
मशरूवाला, मनुबहन सु०, ९३, १६५ २४२,
३०१, ४०१
मशरूवाला, सुरेन्द्र, १४, ९३, २४२, ३०१,
४०२

मसानी, एम० आर०, २९९
महाजनी, ई० आर०, ३९
महात्मा गांधी—एसेन एंड रिप्लेक्सन्स,
२४४ पा० टि०
महादेव, देखिए देसाई, महादेव
महाभारत, —की रचना हिंसाकी निष्फलता-
सिद्धिके लिए, ३७३
महायुद्ध, देखिए विश्वयुद्ध, द्वितीय
मालवीय, मदनमोहन, १६४, ४२५
मालवीय, राधाकान्त, ४२९
मिलका कपडा, —और खादी, १०३, ११६-
१८
मिश्र, जी० पी०, १४३ पा० टि०
मीनाक्षी मन्दिर, १५८ पा० टि०, २०१-२;
—का तथाकथित बहिष्कार, १५८,
२४५
मीराबहन, ७, ५५, १०९, २०७, ३५०
मुजे, डॉ० बी० एस०, २२
मुंशी, क० मा०, २०८ पा० टि०, २०९
पा० टि०
मुंशी, लीलावती, २२१
मुगल साम्राज्य, ३७२
मुजीव, एम०, १२०
मुन्नीलाल, ४१९
मुल्कराज, १०८, १३९, १६३
मुसलमान, ११, २६, २३९, २७१, २८३,
३१२, ३३८, ३५२, ३५६, ३५९,
३७१, ४३३; —और आर्य सत्याग्रह,
१००; —और कांग्रेस, ३६०, ३८१-
८२; —और हिंसा-अहिंसा, २३५-३६;
—चीनके, ३१५, —[नों] और हिन्दुओं
की एकता, २३४-३७, ३२५; —और
हिन्दुओंके दंगे, २९५, —की पृथक्
राष्ट्रीयताका प्रश्न, ३७२-७४; —के
लिए पृथक् निर्वाचक मण्डल, २९,
४०७, ४०९; —के लिए विधान-मण्डलो

और नीकरियोंमें आरक्षणकी मांग,
२७९ पा० टि०; -द्वारा सम्पत्ति-कर
का विरोध, ६८

मुसलमान स्त्रियाँ, २३३, -और गांधीजी,
३५१

मुसोलिनी, बेनिटो, २६१

मुस्लिम लीग, ५, २३४-३५, २५१, २८८,
३७०-७१, ३७४, ३७७, ३८४, ४२९;
-और कांग्रेस, ४३४-३५; -और
ब्रिटिश सत्ता, ३५६; -और संविधान-
सभा, ४०७, ४०९; -और सविनय
अवज्ञा, ३५२, ३८३-८४, ३९६-९७

मुहम्मद, हजरत, २१४; -और अहिंसा,
३७१-७३

मुहम्मद बिन कासिम, ३७२

मेढ, सुरेन्द्र, ८८, २०८, २५४

मेहता, जीवराज एन०, ९०, ९१-९२,
१०५, १०६, १७८, ४१३

मेहता, दिनशा, ३९२

मेहता, प्राणजीवनदास, ९ पा० टि०

मेहता, (सर) फीरोजशाह, ३८१

मेहता, हंसाबहन, २२१

मेहर आश्रम, ६४

मैचेस्टर गार्जियन, ३६५

मैकडॉनल्ड, जे० रैम्जे, ३५५, ४३०; -और
साम्प्रदायिक निर्णय, ३८७-८८

मैजिनो रेखा, २७०

मैथ्यू, पी० जी०, ८७, २७६, ३३२ पा०
टि०

मैसूरका मामला, २८०; -और जन-
आन्दोलन, ४२४

मोरवी, -में अकाल और खादी, २९०-९१

मौन, ४२६; -और कैदी, ३१९; -के
लाभ, ३१७-१९

मौलाना साहब, देखिए आजाद, अबुल
कलाम

य

यंग इंडिया, २४७, ३२५, ३५०, ३८६
यरवडा जेल, -में आत्म-शुद्धिके लिए
उपवास, २१६

यहूदी, ३१२, ३७३

यहूदी धर्म, -और शराब, २८, १८६

यादवेन्द्रसिंह, -की धमकी, १३६-३८

युद्ध, देखिए विश्व-युद्ध, द्वितीय

यूनुस, मुहम्मद, २७९ पा० टि०, २८०,
-४०४

र

रचनात्मक कार्यक्रम, १३, ६८, ११५, १६४-

६५, २३८, २६४, ३२५, ३३४,

४१०; -और सविनय अवज्ञा, २७३,

३५२-५३, ३८३-८४, ३८६, ३९६-

९९, ४१८, ४२१-२३, ४२७-२८;

-पर लोहियाके विचार, १०-१३;

देखिए अस्पृश्यता-निवारण, अहिंसा,

कताई, मद्यनिषेध और साम्प्रदायिक

एकता भी

रमण, महर्षि, ४८, ३२२

रमण-आश्रम, २०१, २४३, ३९५

रस्तोगी, बी० पी०, ३०२

रहमान, जीवाभाई, २८३

राखाल, ७३

राजकोटका मामला, -और गांधीजी, ९९,

४११-१२

राजकोट राष्ट्रीय शाला, -में कताई-यज्ञ,

६१, ७७, १७३

राजगोपालाचारी, च०, ६३, १०८, २४४,

२४५, २८१, ३५७, ४०५

राजन, डॉ० टी० एस० एस०; २०२, २४५,

३१७

राजनीतिक कैदी/बन्दी, देखिए कैदी

राजाराम, राजासाहब, २, ४६
 राजेन्द्रप्रसाद, १, ८, १९, ६४, ८५, १०१,
 १२०, १२५, १५२, १५५, १५६,
 १६७, १६९, १८३, २७३, २८३,
 २८८, २९५, २९६, ३२९, ३५७,
 ३६०-६१, ३७६, ३८३, ३८५, ३८८
 राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली, १६४-२४४
 राम, भगवान्, १९३
 रामचन्द्रन, जी०, ७८
 रामजीभाई, १७८
 रामदुर्ग, —की घटना, ३१६
 रामदेव, ३६१ पा० टि०
 रामनाथन्, एस०, ३
 रामनाम, २५८; —और ब्रह्मचर्व, ३२०;
 —का महत्त्व, ३४३-४४
 रामसिंह, २०७
 राय, मानवेन्द्रनाथ, ३८५-८७
 राय, डॉ० विद्यानचन्द्र, २७५, ४१३
 राव, के० नागेश्वर, १७३
 राव, (सर) टी० माधव, १९७
 राव, पी० कोदण्ड, २३१, ४०४
 राव, वी० एम० प्रसाद, १५८
 राव बहादुर, १५८
 राष्ट्रकुल, ३३७
 राष्ट्र-सघ, ४०४
 रियासतें, —और अचीश्वरी सत्ता, १६-
 १९; —और अ० भा० देशी राज्य
 प्रजा परिपद्, १८, ५०-५१, १३७;
 —और कांग्रेस, १३८, २३९-४०;
 —और प्रजाके अधिकार, १७; —और
 विश्व-युद्धमें अंग्रेजों का हेतु, २५१-
 ५२; —[तों]के परिसघ की
 बाह्यनीयता, ९८-९९, १३०-३१,
 १९०; —में अंग्रेज दीवान अनुपयुक्त,
 १९७; —में नावाल्गी शासनमें सुधार
 की अधिक सम्भावना, १९७; देखिए

काठियावाड़, चम्बा, जयपुर, त्रावणकोर
 देशी नरेश, घामी-काण्ड, नरसिंहगढ,
 निजाम-सरकार, पटियाला, मँसूर,
 मोरवी, रामदुर्ग, लीम्बडी और सिराही
 भी
 रुजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी०, १४१
 रूमी, मौलाना, २०
 रूस, २२३; —और द्वितीय विश्व-युद्ध,
 २२५
 'रेंटिया जयन्ती', देखिए कताई-यज्ञ
 रेंटिया वारस, देखिए कताई-यज्ञ
 'रेंटिया यज्ञ', देखिए कताई-यज्ञ
 रेंड डेली मेल; २०८
 लका, —के लिए कांग्रेसका शिष्टमण्डल, ४८
 लक्ष्मी (एस० सत्यमूर्तिकी पुत्री), २३०
 लक्ष्मीदास, १२४
 लक्ष्मीपति (डॉ०) ए०, ३०९
 लॉर्ड सभा, ३६५; —में जेटलैण्डका वक्तव्य,
 ३७८, ४२९; —में भारतीय मामला,
 २३९-४०
 लिनलिथगो, लॉर्ड, २४, ५८, १३०, १५३,
 १६९, १७८, १७९, १८७, १८९,
 २२६, २८८, ३२७, ३४७, ३५७,
 ३८३, ४३१, ४३५, ४३७; —का
 रेडियो प्रसारण, ३७६-७८; —की
 घोषणा, २९७-९९, ३१०-१३, ३३९
 .ल
 लेंडौ, डॉ०, १८६
 लोकतन्त्र, —और ब्रिटेन, २५३; —और
 विश्व-युद्ध, २०९-११; —में अनिवार्यता
 के लिए स्थान नहीं, २६५
 लोकमान्य, देखिए तिलक, बाल गंगाधर
 लोथियन, लॉर्ड, १९९
 लोहिया, राममनोहर, —और सत्याग्रह-
 सम्बन्धी कांग्रेसका प्रस्ताव, १०-११

व

वनु, देखिए परीख, वनमाला न०
वयस्क मताधिकार, —और संविधान-सभा
का निर्वाचन, ४१७

वर्गीज, २६३

वर्धा-शिक्षण-योजना, देखिए वुनियादी शिक्षा
के अन्तर्गत

वाइसराय, देखिए लिनलियगो, लॉर्ड

वाडिया, ए० एस०, २२१

वाडिया, सोफिया, २६७

वामपंथियों, —पर प्रतिबन्ध, ४००

विद्यार्थी, गणेशशंकर, ४२२

विद्यावती, ६४

विनायकराव, ५५ पा० टि०

विनोद-वृत्ति, —और गांधीजी, २४६-४८

वियोगी हरि, ३६-३७, ३१७

विल्मिडन, लॉर्ड, २३४

विल्सन, जे० एन०, ४४२ पा० टि०

विश्व-युद्ध प्रथम, —साम्राज्य-रक्षाके लिए,
४१६,

विश्वयुद्ध, द्वितीय, २५३, ३३०;

—और अहिंसा, २२६-२७, २६९-७१;

—और कांग्रेसकी माँग, १२६-२७,

१७९, २७६-७७, २८६-९०, २९७,

३२३, ३३७-४०, ४१६; —और

त्रावणकोरका मामला, २५०-५१;

—और दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंका

संघर्ष, २०६; —और पौलंडवासी,

१८१-८२; —और प्रस्तावित गोलमेज

सम्मेलन, २९७; —और भारतकी

स्थिति, २६०-६२, २८५-८६; —और

भारतकी स्वतन्त्रताका प्रश्न, ३७६-

७७; —और मित्र-राष्ट्रोंके प्रति सहा-

नुभूतिके कारण, १८७-८९, ३४७-

४८; —और लोकतन्त्र, २०९-११,

—और व्यापारियोंकी घोषणा, १६३

पा० टि०; —और साम्राज्यवाद, ३७६,

४१६; —की घोषणा, १६९ पा० टि०;

—के सन्दर्भमें अंग्रेजोंको सुझाव, २२७;

—पर गांधीजीके दृष्टिकोणका स्पष्टी-

करण, २२४-२७; —पर चट्टोपाध्याय,

कमलादेवी, २६०-६१; —पर विधान-

मण्डलोंका प्रस्ताव, २०८-११; —में

अंग्रेजोंका उद्देश्य और रियासतें, २५१-

५२; —में भारतका जबरदस्ती शामिल

किया जाना, २०८

वीरावाला, दरबार, २४०, ४११-१२

वेस्टमिन्स्टर ऐक्ट, १७९, १८८

वेस्टर्न इंडिया एजेंसी, ९८

वैद्य, कन्हैयालाल, २३८

वैद्य, जुगताराम, २४१

वैद्य, बलभराम, १११, १४४, १५७

श

शंकर, देखिए कालेलकर, सतीश द०

शंकरन, ३२२

शंकरभाई, ६९

शंकराचार्य, २१७

शमशेरसिंह/शम्मी, ३९३, ४१५, ४२६

शम्भुशंकर, देखिए त्रिवेदी, शम्भुशंकर

शराव, २४७; —और यहूदी धर्म, १८६;

—और सट्टा, ३१०; देखिए मद्य-

निषेध भी

शरावबन्दी, देखिए मद्य-निषेध

शर्मा, कृष्ण, २१२

शान्तिলাल, १६६

शान्ति-सेना, —संगठित करने का सुझाव,

४३९

शास्त्री, परचुरे, ३३ पा० टि०, ४०३,

४०५

शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, २२५ पा०
टि०
शास्त्री, सीताराम, -और कताई-यज्ञ, ७७
शाह, कंचनबहन मु०, ६०, २३२, ३०१,
३४३, ३५८, ३९५
शाह, खुशाल टी०, ९६
शाह, चिमनलाल न०, १
शाह, मुन्नालाल गं०, २३२, २४३, ३०१,
३२२, ३४३, ३५८, ३९५
शाह, शकरीबहन सी०, ६०, ८०
शिक्षा, -और सिनेमा, ११९; -की चालू
पद्धतिके दोष, ३०४-५; -के लिए
पाठ्यपुस्तकोंका प्रश्न, १७०; देखिए
दुनियादी शिक्षा भी
शिया, -और सुन्नियोंका विवाद, ४७
पा० टि०
शुक्ल, गोवर्धनलाल, ६६
शुक्ल, रविशंकर, १०४, ३०५, ३०६, ३०८
श्रम, -का महत्त्व, २१८-१९
श्रीप्रकाश, १०७, १३९
श्रीमन्नारायण, २०५
श्रीरंगम् मन्दिर, -में हरिजनोके प्रवेगका
प्रश्न, २४५

स

संघ-व्यवस्था, २४; -और १९३५ का अधि-
नियम, १३०; -और मुंजे, २२ पा०
टि०; -और विश्व-युद्ध, २५० पा०
टि०; -और सिकन्दर हयात खाँ, ४-५;
-का स्वेच्छा-प्रेरित होना आवश्यक,
१३०-३१; -के विरोधी, २५१
संविधान-सभा, ३७१, ३७४, ४०८; -का
प्रस्तावित स्वरूप, ४०९-१०, ४१७;
-के फलितार्थ, ४०७-१०
संस्कृत, ५२
सट्टा, २४८

सतीग बाबू, २०७
सत्य, २०, ११०, २००, २२४, २४६,
२४७, २७४, ३१३-१५, ३२६, ३२९;
-और असंगति, २१४; -का समर्थन
असत्यसे, २०३
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा, ५८, ६४,
१०४, २४६, २४७, पा० टि०
सत्यदेव, स्वामी, १५५
सत्यपाल, डॉ०, -और पंजाब कांग्रेस, १०१
सत्यमूर्ति, एम०, २३०, ३७८
सत्याग्रह, ७०, १८८, २२७, ३२४, ३२५,
४१८, ४२२, -आर्यसमाजियोंका,
५५ पा० टि०, १००; -और पटि-
याला राज्य प्रजामण्डल, १३६; -और
मुस्लिम लीगकी समस्या, ३७७, -और
रचनात्मक कार्यक्रम, ११, १३; -और
राममनोहर लोहिया, १०-११; -जय-
पुरमें सफल, १९६-९८; -त्रावणकोरमें,
४ पा० टि०; -दक्षिण आफ्रिकामें,
१०२, ३५१, -पटियालामें, १३२;
-प्राण्तामें, ९४-९५; -में शत्रुताका
कोई स्थान नहीं, १८८; -मियाओंका,
६५; -सखरके मुसलमानोंका, ४३९
पा० टि०; देखिए जगल मत्याग्रह
और सविनय अवज्ञा भी
सत्याग्रह समिति, दलित वर्गोंकी, १०४
पा० टि०
सत्याग्रही, २०, ४९, ६९; -और हिमक
आचरण, २३३; -के गुण, १८८,
४३७-३८; -दक्षिण आफ्रिकाने, १०२
सनातनी, २०१-३, ३५९, -और अहिंसा,
३५२; -और मन्दिर-प्रवेग, २४५;
-[नियो]का गावीजी पर आरोप,
३४९-५०
समू, तेजबहादुर, ३४९, ४३०
समू, पी० एन०, ३४९

सम्पूर्णानन्द, ३५, ३६२
 सरदार, देखिए पटेल, वल्लभभाई
 सरदार साहब, देखिए दातारसिंह
 सविनय अवज्ञा, २२ पा० टि०, २५, ३२५,
 ३६०, ३६६, ३६७, ४०८, ४१०,
 ४३२, ४३६; —आरम्भ करने की पूर्व
 शर्तें, २७३, ३५२-५३, ३८३-८४,
 ३८६, ३९६-४०१, ४१८, ४२१-२३,
 ४२७-२८; —और गैर-कांग्रेसी, ३९७-
 ९८; —और मुस्लिम लीग, ३८३-
 ८४, ३९६-९७; —और सरकारको
 परेशान न करनेकी नीति, ४३७;
 —का स्थगन और वाइसरायका
 समझौतेका प्रयत्न, ३८३; —का ही
 रूप करवन्दी, ३९८-९९; —की
 एकमात्र नियामक कांग्रेस कार्य-
 समिति, ३५२-५३; —की तैयारीका
 अर्थ, ४२१; —जयपुरमें, ७६; —त्रावण-
 कोरमें स्थगित, २४९; —ब्रिटिश सर-
 कारकी ओरसे पहला वार होने पर
 ही, ३५३; —स्वाधीनताका साधन-
 मात्र, ४२१
 सहजानन्द, स्वामी, १६७
 साक्षरता आन्दोलन, —और देवनागरी लिपि,
 ५२
 सागरिया, के० पी०, ३९, ४१
 साठे, वी० वी०, —और अनशन, ६९-७२
 साम्प्रदायिक एकता, ११, २३५, २४४,
 ३५३, ३७०, ३८२; —और सविनय
 अवज्ञा, ३५२-५३, ३८३-८४, ३९६-
 ९७, ४२३; —कांग्रेसकी जिम्मेदारी,
 ४३५
 साम्प्रदायिक दंगे, ३४६ पा० टि०, ३९७;
 —और अहिंसा, २२६; —सिधमें, ४३९,
 देखिए हिंदू-मुस्लिम दंगे भी

साम्प्रदायिक निर्णय, ३५५, ३८७; —पंच-
 निर्णय या निर्णय, ४२९-३१
 साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, —और सरकारी
 नौकरियाँ, ५
 साम्प्रदायिक समझौता, —और हिंसा, ४०८
 साम्प्रदायिक समस्या, ३७४, ४१७; —और
 संविधान सभा, ४०७
 साम्राज्यवाद, ३७६, ३९८; —और विश्व-
 युद्ध, द्वितीय, ३७६, ४१६; —की
 परिभाषा, ३५४
 साराभाई, मूडुलावहन, ६०, ६९, २८३
 सालारजंग, सर, १९७
 सावरकर, विनायक दामोदर, २७४, २७५
 पा० टि०, ४२९
 सिख, २७१, ३१२, ३१५, ३७३
 सिनेमा, २४८
 सिन्हा, लक्ष्मीश्वर, १०५
 सीगफीड रेखा, २७०
 सीतलबाबू, चिमनलाल, २७५ पा० टि०
 सीमा-प्रान्त, —और अहिंसा, २३७-३८
 सुच्चासिंह, ३६२
 सुधारक, —की मर्यादा, २४८
 सुन्दरम्, वी० ए०, १६४, ३०९
 सुन्नी-शिया विवाद, ६६
 सुमंगलप्रकाश, ६५
 सुरेन्द्र, २५९
 सूत्रयज्ञ, देखिए कताई-यज्ञ
 सूवेदार, वी० वी०, ३९
 सूर्य-स्नान, २०५
 सेवानन्द, देखिए कानिटकर, जी० एन०
 सैनिकवाद, —और भारत, २२२-२३
 सोनक, डॉ०, १४३
 सौराष्ट्र सेवा समिति, १७२
 स्त्रियाँ, —और त्वराज्य, ४२७-२८
 स्पीगल, मार्गरेट, २३१
 स्वतन्त्रता, देखिए त्वराज्य

स्वदेशी, २६४

स्वराज्य, ११, २०, २५, ३०, ३१०-१३,
३३०, ३६०, ४०९;—और अराजकता,
३५३;—और अल्पसंख्यकोका प्रश्न,
३७०-७१, ३७६-७७;—और अहिंसा,
१२, २६९, ४३४, —और कंदी,
३६८;—और देशी नरेश, ३७०-७१;
—और द्वितीय विश्वयुद्ध, ३८९-९०;
—और स्त्रियाँ, ४२७;—और संवि-
धान-सभा, ४०८;—और हिन्दू-मुस्लिम
एकता, २५-२६;—की शक्ति, ३८६;
—के लिए कतारह, ४३८;—पद-ग्रहण
का उद्देश्य—की ओर प्रगति, ३८५;
पूर्ण स्वराज्यकी माँग, २५३
स्वराज्य भवन (इलाहाबाद), ४१३
स्वाधीनता, देखिए स्वराज्य

ह

हक्सर, सर कैलाशनारायण, ६, १४
हठीसिंह, कुण्ठा, ४८, २८४ पा० टि०
'हदीस', १७५
हनीफ, १२८, ३२७
हरिजन, ४७, ५३, ५५, ८८, ९३, १६६,
१७३, १८३, १८५, १८६, १८७,
१९०, १९२, २२७, २४६, २४७,
२४८, २६६, २७३, २९४, ३१८,
३२५, ३२९, ३५४, ३५७, ३६०,
३६६, ३७७, ३८८, ४३१, ४३६,
४४१
हरिजन, ३, ३६-३७, ४४, ५३, १६६,
३१७, ३४९;—और ठक्कर बापा,
२९२;—और बम्बई नगरनिगम,
१३९-४०;—और मन्दिर-प्रवेश, २,
४६, ८३, १५८, २०१-३, २४३
पा० टि०, २४५;—[नो कि कल्याणके

लिए मोरवीमें प्रयत्न, २९०-९१;—के
लिए पृथक् निर्वाचक मण्डल, ४, २९;
—पर अत्याचार १७४; देखिए
अस्पृश्यता भी

हरिजन-कार्य, २३८, —और गांधीजी, २६८;
—के निमित्त गांधीजी के दौरे, २०२
हरिजनबन्धु, २०, ५६, २९४
हरिजनसेवक, १९२
हरिजन सेवक सघ, ८३, ३४०-४१
हरिजन सेवक सम्मेलन, ५३
हरिर्वर्धसिंह, १८७
हरिद्वन्द्व, ३००
हर्डीकर, एन० एस०, २८, ११०, २८०,
३१६, ३१७ पा० टि०
हसन, सैयद फैजुल, २८२
हाँडा, आर० एल०, ९३, ९९ पा० टि०,
१९०

हाँग, डोरोथी, १४२
हिगोरानी, आनन्द तो०, ८४
हिगोरानी, विद्या, ८४
हितलर, एडोल्फ, २४, १४१, १८०, १८८-
: ८९, २२५, २५२, २६०-६२, २९७,
३०२, ३३०, ३३४, ३३९;—और
देशी नरेशोंकी तुलना, २५१;—द्वारा
ब्रिटेनको भारतकी स्वतन्त्रताके बारेमें
चुनीती, ३९०, —से अपील, २३
हिन्द स्वराज्य, ३३०;—अन्धकार-युगमें
लौटने का प्रयत्न नहीं, ३६७-६८
हिन्दुस्तान टाइम्स, ४४२
हिन्दुस्तानी, १२०
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, ११४, ११५
हिन्दू, २०२
हिन्दू, ११, २६, २००, २०३, २३६, २३७,
२८३, २८८, २९५, ३१५, ३२५,
३५६, ३५९, ३६५, ३७०, ३७२,
३८२, ४३५, ४३९;—और अहिंसा,

- २३६; —और कांग्रेस, ३८१-८२; —सीमा प्रान्तके, ८६-८७
- हिन्दू-धर्म, ३६, ४६, ३५२; ३६०; —पर अस्पृश्यताका कलंक, २०३
- हिन्दू महासभा, ३३८, ४२९; —एक साम्प्रदायिक संस्था, ३६५; —और हिन्दू, ३५६; —कांग्रेस-विरोधी संस्था, ३५९-६०
- हिन्दू-मुस्लिम एकता, ४, २२ पा० टि०, १०३, २३४-३७, ३२५, ३३०, ३६९; —और मुसलमान, १२८; —और स्वराज्य, २५-२६; —का अर्थ साम्प्रदायिक एकता, ३५६; —के वारेमें सुझाव, २७९ पा० टि०
- हिन्दू-मुस्लिम दंगे, २९५-९६, ३५२, ४२३; देखिए साम्प्रदायिक दंगे भी
- हिन्दू-मुस्लिम समस्या, २९६, ३२३, ३४०, ३८२, ४२९
- हिरण्यकशिपु, ३०२
- हुसैन, जाकिर, १२०
- हैदरी, सर अकबर, ५५ पा० टि०, २१२
- हैरिसन, एगथा, २४, १४२, २५३, २८४ पा० टि०
- होमी, ३९१
- होर, सर सैम्युअल, ३११ पा० टि०, ४३१; —का भारत-सम्बन्धी बयान, ३३७-३८, ३५४-५५, ३७४
- ह्यूम, ए० ओ०, ३८१

